



नवाचार और उत्कृष्टता के
माध्यम से सुदृढ़ विकास

Resilient Growth through
Innovation and Excellence



वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2024-25



Bank of India 

Relationship beyond banking



श्री वी. वी. शेनॉय, श्री पी.आर. राजगोपाल (कार्यपालक निदेशक), श्री अशोक नारायण, श्रीमती जमुना रवि, श्री एम. आर. कुमार (अध्यक्ष), श्री रजनीश कर्नाटक (एमडी एवं सीईओ), श्री मनोज.एम.अय्यप्पन, श्री सुब्रत कुमार (कार्यपालक निदेशक), श्री राजीव मिश्रा (कार्यपालक निदेशक) (बाएं से दाएं)

Shri V.V. Shenoy, Shri P.R. Rajagopal (Executive Director), Shri Ashok Narain, Smt. Jamuna Ravi, Shri M.R. Kumar (Chairman), Shri Rajneesh Karnatak (MD & CEO), Shri Manoj.M.Ayyappan, Shri Subrat Kumar (Executive Director), Shri Rajiv Mishra (Executive Director) (From left to right).

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India	महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
(भारत सरकार का उपक्रम), (A Government of India undertaking), प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. फोन : 022 - 6668 44 44 ई-मेल : HeadOffice.share@bankofindia.co.in वेबसाइट: www.bankofindia.co.in Head Office : Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Phone : 022- 6668 44 44 E-mail : HeadOffice.share@bankofindia.co.in Website : www.bankofindia.co.in	लाभार्थ के भुगतान और ई वोटिंग तथा वीसी के माध्यम से एजीएम में सहभागिता करने के लिए रिकॉर्ड तिथि।	20 जून 2025	Record Date for payment of dividend and E-voting and to participate in AGM through VC	20th June, 2025
	रिमोट ई-वोटिंग	प्रारंभ - 24 जून 2025 (सुबह 9.00 बजे) समापन - 26 जून 2025 (शाम 5.00 बजे)	Remote E-voting	Start - 24th June 2025 (9.00 AM) End – 26th June 2025 (5.00 PM)
	29वीं वार्षिक आम बैठक	27 जून, 2025 प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से	29th Annual General Meeting	27th June, 2025 at 11.00 am through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)

विषय सूची

Contents

अवलोकन
Overview

2	कार्य-निष्पादन 2025 एक नजर में
4	सांविधिक लेखा परीक्षक
4	मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक
5	अध्यक्ष का वक्तव्य
7	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का वक्तव्य

सांविधिक रिपोर्ट
Statutory Reports

11	निदेशक रिपोर्ट
18	हरित जमाराशि प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट
30	प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण
83	व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट
84	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट
86	कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट
125	निदेशकों की गैर-अयोग्यता प्रमाणपत्र
127	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फार्म एमआर-3)
133	सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण
133	मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा
134	सत्यनिष्ठा संधि
325	बेसल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन
326	वार्षिक आम बैठक की सूचना
339	हरित पहल

वित्तीय विवरण
Financial Statements

136	तुलनपत्र
137	लाभ एवं हानि खाता
138	नकदी प्रवाह विवरण
147	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
164	खातों के भाग स्वरूप टिप्पणियां
234	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
249	समेकित वित्तीय विवरण
261	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां - समेकित
292	खातों के भाग स्वरूप टिप्पणियां- समेकित
313	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट- समेकित

2	Performance at a Glance 2025
4	Statutory Auditors
4	Chief General Managers & General Managers
5	Chairman's Statement
7	Managing Director & CEO's Statement
15	Directors' Report
24	Green Deposit Impact Assessment Report
59	Management Discussion & Analysis
83	Business Responsibility & Sustainability Report
84	Corporate Social Responsibility Report
106	Corporate Governance Report
125	Certificate of Non-disqualification of Directors
127	Secretarial Audit Report (Form - MR-3)
133	CEO/CFO Certificate
133	Declaration by CEO
134	Integrity Pact
325	Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
326	Notice of Annual General Meeting
339	Green Initiative
136	Balance Sheet
137	Profit & Loss Account
138	Cash Flow Statement
155	Significant Accounting Policies
199	Notes Forming Part of Accounts
241	Independent Auditor's Report
249	Consolidated Financial Statements
277	Significant Accounting Policies - Consolidated
303	Notes Forming Part of Accounts - Consolidated
319	Independent Auditor's Report - Consolidated

कार्य-निष्पादन 2025 एक नजर में Performance at a Glance 2025

वर्ष के अंत में	At the Year End	मार्च 2025 March 2025	मार्च 2024 March 2024	मार्च 2023 March 2023	मार्च 2022 March 2022	मार्च 2021 March 2021	मार्च 2020 March 2020	मार्च 2019 March 2019
1. प्रदत्त पूंजी	1. Paid-up Capital	4553	4553	4104	4104	3278	3278	2760
2. आरक्षितियां	2. Reserves	74048	64327	54866	51027	42408	40539	38921
3. जमाराशियां	3. Deposits	816541	737920	669586	627896	627114	555505	520862
4. अग्रिम	4. Advances	666047	585595	515852	457014	410436	416521	382860
5. ऋण जमा अनुपात (%)	5. Credit : Deposit Ratio (%)	81.57	79.36	77.04	72.78	65.45	74.98	73.51
6. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	6. Priority Sector Advances	215081	183378	164461	151600	138935	126371	130494
क) कृषि	a) Agriculture	100123	84460	72391	66418	59007	52918	57302
7. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम	7. MSME	90639	77877	70777	64750	57267	52302	51866
8. निर्यात ऋण	8. Export Credit	6145	5770	6720	6859	6661	6888	7955
9. निवेश	9. Investments	259112	227144	204398	174448	187253	158573	147639
10. कार्यशील निधियां (कुल आस्तियां/देयताएं)	10. Working Funds (Total Assets/Liabilities)	1042582	912598	815556	734613	725856	656995	625223
11. कुल शाखाएं	11. Number of Branches	5328	5170	5150	5127	5108	5106	5117
क) विदेशी	a) Foreign	22	22	21	22	24	23	25
ख) भारतीय	b) Indian	5306	5148	5129	5105	5084	5083	5092
उनमें से -	of which :							
i) महानगरीय	i) Metropolitan	974	990	991	991	991	991	994
ii) शहरी	ii) Urban	851	830	829	815	812	810	812
iii) अर्ध-शहरी	iii) Semi-Urban	1573	1464	1459	1462	1453	1454	1454
iv) ग्रामीण	iv) Rural	1906	1862	1853	1837	1828	1828	1832
12. कुल स्टाफ सदस्य (विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों सहित)	12. Number of Employees (including at Foreign Branches/Offices)	50564	50944	52374	52374	52037	50098	49144
13. परिचालन लाभ	13. Operating Profit	16412	14069	13393	9988	10273	11519	8092
14. शुद्ध लाभ	14. Net Profit	9219	6318	4023	3405	2160	-2957	-5547
15. आस्तियों पर प्रतिफल (%)	15. Return on Assets (%)	0.90	0.70	0.49	0.43	0.28	-0.43	-0.84
16. प्रति शेयर अर्जन (रु.)	16. Earning Per Share (Rs.)	20.25	14.90	9.80	8.84	6.59	-9.10	-29.79
17. प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	17. Book Value Per Share (Rs.)	144.16	121.05	100.20	89.99	84.24	65.61	79.81
18. लाभांश (%) #	18. Dividend (%) #	40.5	28	20	20	-	-	-
19. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	19. Capital Adequacy Ratio (%)	17.77	16.96	16.28	16.51	14.93	13.10	14.19
20. सकल एनपीए अनुपात (%)	20. Gross NPA Ratio (%)	3.27	4.98	7.31	9.98	13.77	14.78	15.84
21. शुद्ध एनपीए अनुपात (%)	21. Net NPA Ratio (%)	0.82	1.22	1.66	2.34	3.35	3.88	5.61

जहाँ आवश्यक हो, आंकड़े पुनः समूहीकृत किए गए हैं
घरेलू शाखाओं की संख्या में डीबीयू शामिल हैं
वित्त वर्ष 24-25 के आंकड़े प्रस्तावित लाभांश से संबंधित

Figures have been regrouped wherever necessary

The number of domestic branches include DBUs

Figures for FY24-25 pertain to proposed Dividend

राशि करोड़ में / Rs. in Crores

मार्च 2018 March 2018	मार्च 2017 March 2017	मार्च 2016 March 2016	मार्च 2015 March 2015	मार्च 2014 March 2014	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008	मार्च 2007 March 2007	मार्च 2006 March 2006
1744	1055	817	666	643	597	575	547	526	526	526	488	488
33797	31432	31499	30781	29280	23322	20387	16743	13704	12969	10063	5407	4496
520854	540032	513005	531907	476974	381840	318216	298886	229762	189708	150012	119882	93932
375995	393788	381662	411727	376228	292968	251494	216154	168491	142909	113476	85116	65174
72.19	72.92	74.40	77.41	78.88	76.73	79.03	72.31	73.33	75.33	75.64	71.00	69.38
121691	113027	104656	94572	82021	65518	59205	48880	52125	41472	32827	27765	22611
51938	54303	50508	43183	36071	27041	23468	17632	18256	16284	13128	11289	9020
51678	42768	39466	39822	35504	28912	27128	23705	25810	17941	11703	7351	5625
9386	10943	9721	10503	10993	9531	8128	7533	6635	6176	6666	5264	4393
137111	127827	118849	119792	114152	94613	86754	85872	67080	52607	41803	35493	31782
609575	626309	609914	618698	573190	452603	384536	351172	274966	225502	178830	141817	112274
5186	5184	5077	4948	4702	4345	4049	3519	3236	3048	2909	2750	2645
59	61	61	56	56	53	49	29	29	27	26	25	23
5127	5123	5016	4892	4646	4292	4000	3490	3207	3021	2883	2725	2622
885	875	873	863	833	787	722	660	628	585	560	523	505
860	859	835	821	789	742	709	645	607	568	521	475	432
1371	1379	1350	1317	1258	1165	1078	841	701	624	575	508	484
2011	2010	1958	1891	1766	1598	1491	1344	1271	1244	1227	1219	1201
49041	48134	49811	45613	43466	42666	41897	40127	39676	40155	40616	41511	42206
7139	9733	6036	7488	8423	7459	6694	5384	4705	5457	3701	2395	1701
-6044	-1558	-6089	1709	2729	2749	2678	2489	1741	3007	2009	1123	701
-0.91	-0.24	-0.94	0.27	0.51	0.65	0.72	0.82	0.70	1.49	1.25	0.88	0.68
-52.55	-15.72	-83.01	26.57	44.74	47.79	48.98	47.35	33.15	57.26	40.83	23.04	14.39
108.91	189	262.77	398.02	387.53	362.37	326.52	283.24	236.84	211.89	164.05	112.75	93.77
-	-	-	50	50	100	70	70	70	80	40	35	30
12.94	12.14	12.01	11.42	10.76	11.02	11.95	12.17	12.94	13.01	12.04	11.75	10.75
16.58	13.22	13.07	5.39	3.15	2.99	2.34	2.23	2.85	1.71	1.68	2.42	3.72
8.26	6.90	7.79	3.36	2.00	2.06	1.47	0.91	1.31	0.44	0.52	0.95	1.49

सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors

एस. जयकिशन , सनदी लेखाकार

S. Jaykishan, Chartered Accountants

ए. बाफना एवं कंपनी, सनदी लेखाकार

A. Bafna & Co , Chartered Accountants

एससीवी एवं कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार

SCV & Co. LLP, Chartered Accountants

सारदा और पारीक एलएलपी, सनदी लेखाकार

SARDA & PAREEK LLP, Chartered Accountants

मुख्य सतर्कता अधिकारी (यथा 31.03.2025) Chief Vigilance Officer (As on 31.03.2025)

विष्णु कुमार गुप्ता

VISHNU KUMAR GUPTA

मुख्य महाप्रबंधक (यथा 31.03.2025) Chief General Managers (As on 31.03.2025)

अभिजीत बोस

ABHIJIT BOSE

अशोक कुमार पाठक

ASHOK KUMAR PATHAK

सुधीरंजन पाढ़ी

SUDHIRANJAN PADHI

प्रफुल्ल कुमार गिरि, सी.सी.ओ

PRAFULLA KUMAR GIRI, C.C.O.

पिनपाला हरि किशन, सी.आर.ओ

PINAPALA HARI KISHAN, C.R.O.

शारदा भूषण राय

SHARDA BHUSHAN RAI

नितिन गोविंदराव देशपांडे

NITIN GOVINDRAO DESHPANDE

ज्ञानेश्वर जगन्नाथ प्रसाद

GYANESHWAR JAGANNATH PRASAD

राजेश सदाशिव इंगले

RAJESH SADASHIV INGLE

प्रशांत थपलियाल

PRASHANT THAPLIYAL

महाप्रबंधक (यथा 31.03.2025) General Managers (As on 31.03.2025)

राजेश कुमार राम

RAJESH KUMAR RAM

सुनील शर्मा

SUNIL SHARMA

लोकेश कृष्णा

LOKESH KRISHNA

कुलदीप जिंदल

KULDEEP JINDAL

वैकटाचलम आनंद

VENKATACHALAM ANAND

राघवेंद्र कुमार

RAGHVENDRA KUMAR

उद्दालक भट्टाचार्य

UDDALOK BHATTACHARYA

प्रमोद कुमार द्विवेदी

PRAMOD KUMAR DWIBEDI

अमिताभ बनर्जी

AMITABH BANERJEE

राधा कान्त होता

RADHA KANTA HOTA

बी कुमार, सी.एफ.ओ.

B KUMAR, C.F.O.

गीता नागराजन

GEETHA NAGARAJAN

बिश्वाजित मिश्र

BISWAJIT MISHRA

संजय राम श्रीवास्तव

SANJAY RAM SRIVASTAVA

मनोज कुमार सिंह

MANOJ KUMAR SINGH

वासु देव

VASU DEV

सुब्रत कुमार रॉय

SUBRATA KUMAR ROY

शंकर सेन

SHANKAR SEN

सत्येंद्र सिंह, सी.टी.ओ

SATYENDRA SINGH, C.T.O.

संजीव सरकार

SANJIB SARKAR

धनंजय कुमार

DHANANJAY KUMAR

नकुल बेहेरा

NAKULA BEHERA

अनिल कुमार वर्मा

ANIL KUMAR VERMA

मनोज कुमार

MANOJ KUMAR

अंजलि भटनागर

ANJALI BHATNAGAR

रमेश चंद्र बेहेरा

RAMESH CHANDRA BEHERA

सुवेंदु कुमार बेहेरा

SUVENDU KUMAR BEHERA

रजनीश भारद्वाज

RAJNISH BHARDWAJ

मुकेश शर्मा

MUKESH SHARMA

विजय माधवराव परलीकर

VIJAY MADHAVRAO PARLIKAR

संतोष एस

SANTOSH S

प्रशांत कुमार सिंह

PRASHANT KUMAR SINGH

विकास कृष्णा

VIKASH KRISHNA

शम्पा सुधीर बिस्वास

SHAMPA SUDHIR BISWAS

सौन्दर्य भूषण साहनी

SOUNDARJYA BHUSAN SAHANI

दीपक कुमार गुप्ता

DEEPAK KUMAR GUPTA

चंदर मोहन कुमरा

CHANDER MOHAN KUMRA

सुधाकर एस. पसुमूर्ति

SUDHAKAR S. PASUMARTHY

अजय ठाकुर

AJEYA THAKUR

एम. शुभकर

SUBHAKAR MYLABATHULA

अमरेंद्र कुमार

AMRENDRA KUMAR

मनोज कुमार श्रीवास्तव

MANOJ KUMAR SRIVASTAVA

जी उन्नीकृष्णन

G UNNIKISHNAN

कुमार विकास

KUMAR VIKAS

आशुतोष मिश्रा, सी.एफ.टी.ओ.

ASHUTOSH MISHRA, C.F.T.O.

अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement



प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय अस्थिरता प्रदर्शित की है। 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' अप्रैल 2025 में, आईएमएफ ने वर्ष 2024 में 3.3% से वर्ष 2025 हेतु वैश्विक वृद्धि के पूर्वानुमानों को घटाकर 2.8% कर दिया। यह तीव्र गिरावट वैश्विक अर्थव्यवस्था को व्यापार तनाव और नीतिगत अनिश्चितता से जूझते हुए दर्शाती है। जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं धीमी वृद्धि का सामना कर रही हैं, उभरते बाजार व्यापार व्यवधानों और आर्थिक तंगी की स्थितियों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं।

इस वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, भारत ने वित्तीय वर्ष 25 में 6.5% की स्थिर आर्थिक वृद्धि दर्ज की, जो त्वरित उपभोक्ता मांग, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और बेहतर व्यापार गतिशीलता से प्रेरित थी। एक निभावकारी मौद्रिक नीति अपनाने हेतु आरबीआई का कदम बाजार की तरलता में वृद्धि और मुद्रास्फीति दरों को कम करने, उधार और निवेश को बढ़ाने का एक प्रमाण है। हालांकि, हम इस बात से अवगत हैं कि आने वाली तिमाहियों में मौद्रिक नीति में निरंतर सुगमता बैंक के निवल मार्जिन ब्याज को कम कर सकती है।

बैंक उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर और विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करके मजबूत डिजिटल उपस्थिति और मजबूत ईएसजी भागीदारी के साथ एक स्थायी बैंकिंग पोर्टफोलियो के निर्माण पर केंद्रित है। इन प्रयासों का उद्देश्य चल रहे वैश्विक संरचनात्मक बदलाव के बीच दीर्घकालिक वित्तीय लचीलापन को बढ़ावा देना है।

Dear Shareholders and Stakeholders,

The global economy demonstrated notable instability across regions during the financial year 2025. In its April 2025 World Economic Outlook, the IMF downgraded global growth forecasts for 2025 to 2.8% from 3.3% in 2024. This sharp downgrade reflects a global economy grappling with trade tensions and policy uncertainty. While advanced economies face slower growth, emerging markets remain vulnerable to trade disruptions and constrained financial conditions.

Despite this global uncertainty, India recorded steady economic growth of 6.5% in FY25, driven by accelerated consumer demand, a pick-up in capex, and improved trade dynamics. RBI's move to adopt an accommodative monetary policy is a testament to increased market liquidity and lower inflation rates, amplifying lending and investment. However, we are cognizant that continued monetary policy easing could compress the Bank's Net Interest Margin in the coming quarters.

The Bank is focused on building a sustainable banking portfolio with strong digital presence and robust ESG partnerships by leveraging advanced technologies and working closely with different stakeholders. These efforts aim to foster long-term financial resilience amid an ongoing global structural shift.

अनुपालन की एक मजबूत संस्कृति बैंक के दीर्घकालिक लचीलेपन हेतु महत्वपूर्ण है। आपका बैंक अभिशासन और नैतिकता के उच्चतम मानकों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सभी विनियामक आवश्यकताओं और हमारे अपने आंतरिक नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। यह प्रतिबद्धता हमारे बैंक की प्रतिष्ठा की रक्षा करती है और हमारे हितधारकों के हमारे प्रति विश्वास को मजबूत करती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपके बैंक ने अपने लाभ को बढ़ाया है और पर्याप्त रूप से पूंजीकृत बना हुआ है। आस्ति गुणवत्ता, सीआरएआर और पीसीआर में समग्र सुधार के प्रमाण के रूप में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 9,219 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है। इसके अलावा, आरएएम (RAM) खंडों पर अधिक ध्यान के साथ, डिजिटलीकरण में तेजी लाने और परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के साथ, बैंक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कार्य-निष्पादन मेट्रिक्स को मजबूत करना है।

सधन्यवाद



एम.आर.कुमार

अध्यक्ष

A strong culture of compliance is central to a bank's long-term resilience. Your Bank is firmly committed to the highest standards of governance and ethics, making sure all regulatory requirements and our own internal rules are strictly complied with. This commitment protects our Bank's reputation and strengthens the trust our stakeholders place in us.

During FY 2024-25, your Bank strengthened its bottom line and remains adequately capitalized. Evidenced by an overall improvement in its asset quality, CRAR, and PCR, the Bank posted a net profit of Rs. 9,219 Crore for FY 2024-25. Furthermore, with a heightened focus on RAM segments, accelerating digitalization and improving asset quality, the Bank aims for stronger performance metrics during FY 2025-26.

Thank you

M.R.Kumar
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का वक्तव्य Managing Director & CEO's Statement



प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,

1. बैंक की 29वीं वार्षिक आम बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय परिणाम, उपलब्धियाँ और विभिन्न पहलों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
2. वैश्विक स्तर पर, वि.व.25 एक और महत्वपूर्ण चुनौतियों का वर्ष था क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं उच्च मुद्रास्फीति के स्तर, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और महत्वपूर्ण व्यापार नीति-आधारित व्यवधानों से जूझ रही थी। वैश्विक स्थिति की आशंका के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था में आशावाद की भावना बनी हुई है। आरबीआई के अनुमानों के अनुसार, वि.व. 25 के लिए वास्तविक जीडीआई में 6.5% की वृद्धि हुई है और आरबीआई के अनुमान वि.व. 26 के लिए 6.5% की समान वास्तविक जीडीपी वृद्धि का संकेत देते हैं। देश ने वि.व.25 के लिए निवल जीएसटी राजस्व में सालाना 8.60% वृद्धि दर्ज की, जो मजबूत घरेलू आर्थिक गतिविधि का संकेत है। इसके अलावा, सेवा निर्यात में 12.4% की प्रभावशाली वृद्धि हुई और एफ़डीआई प्रवाह में 13.7% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो वैश्विक बाजार में भारत की मजबूत स्थिति और भारत की विकास गाथा और इसके आकर्षक निवेश वातावरण में निरंतर अंतरराष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है। राजस्व, निर्यात और निवेश में व्यापक-आधारित वृद्धि को दर्शाने वाले ये आंकड़े मजबूत आधार वाली बहुआयामी अर्थव्यवस्था के संकेतक हैं।
3. घरेलू वित्तीय सेवा क्षेत्र में, दिसंबर 2024 की आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र अच्छी स्थिति में है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए सितंबर 2024 में घटकर 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर आ गया, जबकि निवल एनपीए 0.6% पर रहा। वित्तीय दबाव परीक्षण यह प्रमाणित करते हैं कि अधिकांश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास गंभीर रूप से प्रतिकूल परिदृश्यों में भी पर्याप्त पूंजी बफर है। इस सकारात्मक

Dear Shareholders & Stakeholders,

1. It is my privilege to present the Annual Report of your Bank for the Financial Year ended March 31, 2025, at the 29th Annual General Meeting. I sincerely appreciate each one of you for your continued support. The financial results, achievements, and various initiatives are detailed in the Annual Report.
2. Globally, FY25 was another year of significant challenges as economies grappled with elevated inflation levels, rising geopolitical tensions, and significant trade policy-led disruptions. Amidst the apprehensive global situation, the Indian economy continues to retain a sense of optimism. As per RBI estimates, Real GDP has grown by 6.5% for FY25, and RBI projections indicate a similar Real GDP growth of 6.5% for FY26. The nation recorded a healthy 8.60% YoY growth in net GST revenue for FY25, signalling robust domestic economic activity. Furthermore, service exports surged by an impressive 12.4% and FDI inflows grew by a significant 13.7%, reflecting India's strengthening position in the global market and continued international confidence in India's growth story and its attractive investment environment. These figures, showcasing broad-based growth in revenue, exports, and investment, are all indicators of a multifaceted economy with strong underpinnings.
3. In the domestic financial services sector, RBI's Financial Stability Report of December 2024 underscores that the Indian Banking Sector is in good health. The report further highlights, Gross NPAs of the Scheduled Commercial Banks declined to a 12-year low of 2.6% in September 2024 with Net NPAs at 0.6%. Financial stress tests validate that most scheduled commercial banks have adequate capital buffers even under severely adverse scenarios. Further adding to this positive outlook, for the financial year ended March

दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ₹1.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड संचयी निवल लाभ हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि दर्शाता है।

4. केंद्रीय बजट 2025 में वित्तीय क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी पहलों की रूपरेखा दी गई है। इनमें एक सहज अनुभव के लिए एक नया केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री प्रक्रिया, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% करना और केसीसी सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करके किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इन पहलों से आने वाले दिनों में क्षेत्रवार वृद्धि में तेजी और उत्साहवर्धक विकास की उम्मीद है।
5. इस संदर्भ में, मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के प्रदर्शन की मुख्य बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
 - ए. बैंक का वैश्विक कारोबार मिश्र ₹1.59 लाख करोड़ की वृद्धि के साथ सालाना आधार पर 12.02% की दर से बढ़कर ₹14.83 लाख करोड़ हो गया।
 - बी. बैंक की वैश्विक जमाराशि 10.65% की सालाना वृद्धि के साथ 8.16 लाख करोड़ हुई, जबकि वैश्विक अग्रिम 13.74% की वृद्धि के साथ 6.66 लाख करोड़ रुपये हुआ।
 - सी. घरेलू मोर्चे पर, बैंक का कारोबार मिश्र ₹1.41 लाख करोड़ की वृद्धि के साथ सालाना आधार पर 12.63% की दर से बढ़कर ₹12.64 लाख करोड़ हो गया।
 - डी. बैंक की घरेलू जमाराशियां 11.21% की सालाना वृद्धि के साथ ₹7.00 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गई हैं जबकि घरेलू अग्रिम 14.45% से बढ़कर ₹5.63 लाख करोड़ हुई।
 - ई. आर.ए.एम. खंड में खुदरा अग्रिमों में 19.93%, कृषि अग्रिमों में 16.30% तथा एमएसएमई अग्रिमों में 18.39% की वृद्धि हुई। आर.ए.एम. अग्रिम अब हमारे अग्रिमों का 57.26% है।
 - एफ. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में सालाना 17.24% की वृद्धि हुई। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और कृषि अग्रिम दोनों ही विनियामक मानदंडों में बेहतर प्रदर्शन किया और क्रमशः एनबीसी का 45.44% और 21.15% रहा।
 - जी. वित्तीय वर्ष 25 के लिए निवल ब्याज आय (एनआईआई) में सालाना 6% की वृद्धि हुई जबकि वैश्विक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) अब 2.82% रही।
 - एच. बैंक का आस्तियों पर प्रतिफल में 20 बीपीएस का सुधार हुआ, जो वित्तीय वर्ष 24 में 0.70% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 25 में 0.90% हो गया और इक्विटी पर प्रतिफल में 214 बीपीएस का सुधार हुआ, जो वित्तीय वर्ष 24 में 13.13% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 25 में 15.27% हो गया।
 - आई. वित्तीय वर्ष 2025 के लिए परिचालन लाभ 16.66% सालाना वृद्धि के साथ 16,412 करोड़ रुपये हो गया, जबकि निवल लाभ में 45.92% सालाना वृद्धि हुई और यह 9,219 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए इक्विटी शेयरों पर 40.50% लाभांश की संस्तुत की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की अनुमोदन के अधीन है।
 - जे. सकल एनपीए अनुपात सालाना 171 बीपीएस के सुधार के साथ 3.27% हुआ, जबकि निवल एनपीए अनुपात 0.82% पर है, जिसमें सालाना आधार पर 40 बीपीएस का सुधार हुआ।
 - के. पीसीआर सालाना आधार पर 180 बीपीएस के सुधार के साथ

2025, Public Sector Banks achieved a record cumulative net profit of ₹1.78 Lakh Crore, marking a growth of 26% over the previous year.

4. The Union Budget 2025 outlines ambitious initiatives for the financial sector. These include a revamped central KYC registry process for a smoother experience, increased FDI in the insurance sector from 74% to 100%, and enhanced financial support to farmers by increasing the KCC limit from ₹3 lakh to ₹5 lakh. These initiatives promise accelerated and invigorating sectoral growth in coming days.
5. In this setting, let me present the highlights of the Bank's performance during the financial year 2024-25.
 - a. Bank's Global Business Mix grew by 12.02% YoY with an incremental increase of ₹1.59 Lakh Crore to reach ₹14.83 Lakh Crore.
 - b. Bank's Global Deposits reached ₹8.16 Lakh Crore with a YoY growth of 10.65% while Global Advances grew by 13.74% to reach ₹6.66 Lakh Crore.
 - c. On the Domestic front, Bank's Business Mix grew by 12.63% YoY with an incremental growth of ₹1.41 Lakh Crore to reach ₹12.64 Lakh Crore.
 - d. Bank's Domestic Deposits have surpassed the ₹7.00 Lakh Crore mark with a YoY growth of 11.21% while Domestic Advances grew by 14.45% to reach ₹5.63 Lakh Crore.
 - e. In the RAM segment, Retail Advances grew by 19.93%, Agriculture Advances by 16.30% and MSME Advances by 18.39%. RAM advances now constitute 57.26% of our advances.
 - f. Priority Sector Advances increased by 17.24% YoY. Both Priority Sector and Agriculture Advances surpassed regulatory norms, constituting 45.44% and 21.15% of ANBC, respectively.
 - g. Net Interest Income (NII) for FY25 increased by 6% YoY while Global Net Interest Margin (NIM) now stands at 2.82%.
 - h. The Bank's Return on Assets improved by 20 bps, standing at 0.90% in FY25 against 0.70% in FY24 and Return on Equity improved by 214 bps from 13.13% in FY24 to 15.27% in FY25.
 - i. Operating Profit for FY25 grew by 16.66% YoY to Rs.16,412 crores while net profits achieved 45.92% YoY growth reaching ₹9,219 Crore. The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of 40.50% on equity shares for FY25, subject to the approval of the Shareholders at the Annual General Meeting.
 - j. Gross NPA ratio at 3.27% improved by 171 bps YoY while Net NPA ratio is at 0.82%, an improvement of 40 bps YoY.
 - k. PCR improved by 180 bps YoY and stands at 92.39%.

92.39% पर रहा।

एल. वित्तीय वर्ष 25 के लिए स्लिपेज अनुपात में 22 बीपीएस का सुधार हुआ और यह 0.76% ऋण लागत सुधार के साथ 1.36% रहा।

एम. वित्तीय वर्ष 2025 की समाप्ति पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 17.77% रहा।

6. कारोबार प्रदर्शन के अलावा, मैं आपके बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 में की गई कुछ प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा।

ए. बीओआई हरित जमा योजना: ग्राहकों को हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्रतिस्पर्धी रिटर्न अर्जित करते हुए वैश्विक स्थिरता प्रयासों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करने के लिए, बैंक ने अपनी नई ग्रीन डिजिटल योजना शुरू की है।

बी. गैर-प्रतिदेय जमा राशियां: दीर्घकालिक निवेश होराइजन वाले ग्राहकों हेतु, बैंक ने घरेलू शाखाओं के लिए ₹1 करोड़ से अधिक और ₹500 करोड़ तक की राशि के लिए गैर-प्रतिदेय जमा राशियां को फिर से शुरू किया है।

सी. परिवार बचत खाता: एक नई पारिवारिक बचत योजना - बीओआई स्टार परिवार बचत एक साथ बैंकिंग करने हेतु एक ही परिवार के कई सदस्यों के लिए रियायतें, विशेषाधिकार और लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।

डी. स्टार डिजी बिज़ ऋण: जीएसटी टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए 1.00 करोड़ रुपये तक के ऋण की गारंटी के लिए एक नया डिजिटल उत्पाद का शुभारंभ किया गया है।

ई. उद्यमी वनिता: महिला उद्यमियों को समर्थ बनाने के लिए अंतर्निहित लाभों के साथ एक नया अनुकूलित ऋण उत्पाद शुरू किया गया है।

एफ. स्टार युवा उद्यमी: 35 वर्ष तक की आयु के युवा उद्यमियों के लिए, बैंक ने 1.00 करोड़ तक की ऋण सहायता के साथ यह नई योजना शुरू की है।

जी. जन सुरक्षा पोर्टल: बैंक अब पोर्टल में सहभागी है, जिससे ग्राहक पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई जैसी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में स्वयं सदस्यता ले सकते हैं।

एच. वित्तीय समावेशन: हमारे सभी आरसेटी (43) को अब ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा "ए" ग्रेड दिया गया है। वित्तीय वर्ष 25 में हमने एक नया आरएसईटीआई और 35 नए सीएफएल खोले हैं, जिससे उनकी कुल संख्या क्रमशः 44 और 186 हो गई है।

आई. ग्राहक प्रतिक्रिया: बैंक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और सभी स्टाफ सदस्यों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करने के लिए एक नई क्यूआर कोड-आधारित प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू की है।

जे. सीआरएम नेक्स्ट: हमने एक नया वेब-आधारित शिकायत प्रबंधन मॉड्यूल शुरू किया है जो ग्राहकों को उन्नत कॉल सेंटर एकीकरण के साथ सेवा अनुरोध और शिकायतें आसानी से प्रस्तुत करने तथा ट्रैक करने की सुविधा देता है।

के. सीबीडीसी ऐप: बैंक का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऐप लाइव कर दिया गया है।

एल. विशेष रूपी वास्ट्रो खाते: बैंक ने बैंक के आठ विदेशी केंद्रों (बीओआई युगांडा, बीओआई न्यूजीलैंड, बीओआई डीआईएफसी शाखा दुबई, बीओआई सिंगापुर, बीओआई लंदन, बीओआई तंजानिया, बीओआई नैरोबी और बीओआई इंडोनेशिया) के लिए

l. Slippage Ratio for FY25 improved by 22 bps YoY and stands at 1.36% with Credit Cost improving to 0.76%.

m. Capital Adequacy Ratio (CRAR) as at the end of FY25 stands at 17.77%.

6. In addition to the business performance, I would also like to highlight a few of the major initiatives your bank has undertaken in FY25.

a. BOI Harit Jama Yojana: To provide customers an opportunity to promote green energy, reduce carbon emissions and support global sustainability efforts while earning competitive returns, Bank has rolled out its new Green Deposit Scheme.

b. Non-Callable Deposits: For customers with a long-term investment horizon, Bank has re-launched non-callable deposits for domestic branches for amounts more than ₹1 Cr and up to ₹500 Crs.

c. Family Savings Account: A new family savings scheme – BOI Star Parivaar Savings Account has been launched to give concessions, privileges and benefits for multiple members of the same family who bank together.

d. Star Digi Biz Loan: A new digital product has been introduced for underwriting loans up to Rs. 1.00 Crore for MSME borrowers based on GST Turnover.

e. Udyami Vanita: To support women entrepreneurs, a new tailored loan product with embedded benefits has been launched.

f. Star Yuva Udyami: For Young Entrepreneurs of age up to 35 years, Bank has launched this new scheme with loan assistance up to 1.00 Crore.

g. Jan Suraksha Portal: Bank is now a participant in the portal, enabling customers to self-subscribe to government social security schemes like PMSBY and PMJJBY.

h. Financial Inclusion: All our RSETIs (43) have been now "AA" graded by Ministry of Rural Development. In FY25 we have opened one new RSETI and 35 new CFLs taking their total numbers to 44 and 186 respectively.

i. Customer Feedback: The Bank has rolled out a new QR Code-Based Feedback system to enhance client experience and gather real-time insights into all front-facing employees.

j. CRM Next: We have rolled out a new web-based Complaint Management Module that allows customers to easily submit and track service requests and complaints with advanced call centre integration.

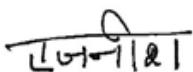
k. CBDC App: Bank's Central Bank Digital Currency App has been made live.

l. Special Rupee Vostro Accounts: Bank has secured RBI approval for the opening of Special Rupee Vostro Accounts for eight Foreign Centres of the Bank (BOI Uganda, BOI New Zealand, BOI DIFC Branch Dubai,

विशेष रूपी वास्ट्रो खाते खोलने के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

7. बैंक ऑफ इंडिया में हम सकारात्मक और रिवाइड देने वाले कार्यस्थल वातावरण को तैयार करने में विश्वास करते हैं। 'बैंक ऑफ इंडिया विविधता, समानता और समावेश (डीआईआई) नीति' और 'समान अवसर नीति' संगठन के भीतर लैंगिक विविधता, समावेशिता और गरिमा को बढ़ावा देती है। 2020 में 26% से, वर्तमान में महिला स्टाफ सदस्य के अनुपात में सुधार होकर 29% हुआ है।
8. हमारे बैंक को एक सतत मार्ग पर आगे बढ़ाने और एक हरित कल की ओर ले जाने के अंग के रूप में, हमारे पास एक व्यापक ईसीजी नीति है।
9. बैंक ऑफ इंडिया में, एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति हमारे परिचालन का अभिन्न अंग है और हमारी कार्यप्रणाली की आधारशिला है।
10. बैंक का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2025-26 में बेहतर ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाकर सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में परिकल्पित वृद्धि हासिल करने के लिए आश्वस्त है। बैंक आस्ति की गुणवत्ता, लाभप्रदता और सतत व्यावसायिक वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। एक ओर जहां हम अपने अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर हम अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण और उद्देश्यों के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए बैंक ने 'विज़न@125' - एक रणनीतिक दीर्घकालिक विज़न दस्तावेज़ को अपनाया है, जो वित्तीय वर्ष 2031 में अपने 125वें स्थापना वर्ष तक प्राप्त की जाने वाली बैंक की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को रेखांकित करता है।
11. मैं बोर्ड के सभी निदेशकों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य सभी सरकारी और विनियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं इस अवसर पर शेयरधारकों और ग्राहकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बैंक की विकास यात्रा में अपनी प्रतिबद्धता और विश्वास प्रदर्शित किया है और आने वाले वर्षों में उनके निरंतर सहयोग की आशा करता हूँ। अंत में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा की गई निष्ठा, ईमानदारी एवं दृढ़ सेवाओं की सराहना करता हूँ तथा बैंक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ। साथ ही, नई ऊंचाइयों को छूने की अपनी यात्रा में हम आपके निरंतर संरक्षण, समर्थन और सदाशय की कामना करते हैं।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ



रजनीश कर्नाटक
एमडी एवं सीईओ

BOI Singapore, BOI London, BOI Tanzania, BOI Nairobi, and BOI Indonesia).

7. We at Bank of India believe in a positive and rewarding workplace environment. 'Bank of India Diversity, Equity and Inclusion (DEI) Policy' and 'Equal Opportunity Policy' promote gender diversity, inclusivity, and dignity within organization. From 26% in 2020, female employee ratio has improved to 29% as of today.
8. As part of taking the Bank ahead on a sustainable path and towards a greener tomorrow, we have a comprehensive ESG Policy in place.
9. At Bank of India, a robust compliance culture is integral to our operations and stands as a cornerstone of our functioning.
10. The Bank's management is confident of achieving envisaged growth across all business segments by leveraging digital technology with a focus on enhanced customer experience in the financial year 2025-26. The Bank will continue its focus on asset quality, profitability, and sustainable business growth. While we work towards our short-term goals and targets, we also remain committed in our long-term vision and objectives. Towards this, Bank has adopted 'Vision@125' – a strategic long-term vision document outlining the bank's aspirations and goals to be achieved by its 125th foundation year in FY2031.
11. I would like to acknowledge and thank all the Directors on the Board for their valuable contribution. I express my sincere regards to the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Reserve Bank of India, SEBI and all other Government and Regulatory Authorities for their unwavering support and guidance. I also take this opportunity to convey my deep sense of gratitude to shareholders and customers for demonstrating commitment and belief in the Bank's growth trajectory and look forward to their ongoing affiliation in the years ahead. Finally, and importantly, I appreciate the sincere and steadfast services delivered by the Bank's employees and highly value their commitment to the Bank. We bank on your continued patronage, support, and goodwill as we march towards making greater strides.

With warm regards



Rajneesh Karnatak
MD& CEO

निदेशक रिपोर्ट

निदेशक मंडल सहर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित लेखा विवरणी, लाभ एवं हानि खाता तथा कारोबार और परिचालनों की रिपोर्ट सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं -

1. कार्य-निष्पादन संकेतक

घरेलू कारोबार:

- बैंक के समग्र घरेलू कारोबार में 12.63% वृद्धि दर्ज हुई और यह यथा 31.03.2024 को रु. 11.22 लाख करोड़ की तुलना में बढ़कर यथा 31.03.2025 को रु. 12.64 लाख करोड़ हो गया।
- कासा जमाराशियां में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.86% वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2025 को रु. 2.80 लाख करोड़ रही तथा कासा अनुपात 40.28% रहा।
- कुल घरेलू जमाराशियों में 11.21% की वृद्धि हुई है और यह 31.03.2024 को 6.30 लाख करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर यथा 31.03.2025 को 7 लाख करोड़ रुपए हो गई।
- सकल घरेलू अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 14.45% की वृद्धि हुई है और यह यथा 31.03.2024 को 4.92 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर यथा 31.03.2025 को 5.64 लाख करोड़ रुपये हो गए।
- यथा 31.03.2025 को कुल अग्रिमों में आरएएम अग्रिम की हिस्सेदारी 57.26% (अर्थात 3.23 लाख करोड़ रुपये) रही जो 31.03.2024 को 55.36% (अर्थात 2.73 लाख करोड़ रुपये) थी।
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण, समायोजित निवल बैंक ऋण के 45.44% रहे और यथा 31.03.2025 को समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 21.15% रही।
- रिटेल ऋण यथा 31.03.2024 को 1.11 लाख करोड़ से 19.93% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2025 को 1.34 लाख करोड़ रुपये हो गए। यथा 31.03.2025 को कुल घरेलू ऋणों में रिटेल ऋणों की हिस्सेदारी 23.72% रही।
- एमएसएमई ऋण यथा 31.03.2024 को 0.76 लाख करोड़ रुपये से 18.39% की वृद्धि करते हुए यथा 31.03.2025 को 0.91 लाख करोड़ हुई। यथा 31.03.2025 को कुल घरेलू ऋण में से एमएसएमई ऋण का हिस्सा 16.08% था।
- यथा 31.03.2025 तक घरेलू सीडी अनुपात 80.47% रहा।

विदेशी कारोबार :

- विदेशी कारोबार में 8.61% की वृद्धि हुई तथा यह यथा 31.03.2024 को 2.01 लाख करोड़ रुपये की तुलना में यथा 31.03.2025 को रु. 2.19 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- कुल विदेशी अग्रिम में 9.97% की वृद्धि दर्ज की गई तथा यथा 31.03.2024 को यह 0.93 लाख करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2025 को 1.02 लाख करोड़ रुपये हो गया।

- कुल विदेशी जमाराशि में 7.43% की वृद्धि दर्ज की गई तथा यथा 31.03.2024 को यह 1.08 लाख करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2025 को 1.16 लाख करोड़ हो गया।

वैश्विक कारोबार :

- बैंक के सकल कारोबार ने 12.02% की वृद्धि दर्ज की और यह यथा 31.03.2024 को 13.24 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर यथा 31.03.2025 को 14.83 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- कुल जमाराशियों में 10.65% की वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2024 को 7.38 लाख करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2025 को 8.17 लाख करोड़ रुपये हो गई।
- सकल अग्रिमों में 13.74% की वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2024 को 5.86 लाख करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2025 को 6.66 लाख करोड़ हो गया।
- यथा 31.03.2025 को वैश्विक ऋण-जमा अनुपात 81.57% रहा।

वित्तीय मानदंड :

- परिचालन लाभ में वर्ष दर वर्ष 17% की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2024 के लिए रु. 14,069 करोड़ की तुलना में वि.व 2025 के लिए रु. 16,412 करोड़ हो गया।
- बैंक ने वि.व 24 में रु. 6,318 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वि.व 25 में वर्ष-दर-वर्ष 46% की वृद्धि दर्शाते हुए रु. 9,219 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31.03.2024 को 16.69% की तुलना में यथा 31.03.2025 को 17.77% के बेहतर स्तर पर रहा।
- निवल मालियत (नेट वर्थ), यथा 31.03.2024 को रु. 55,118 करोड़ से 19% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2025 को रु. 65,642 करोड़ रही।
- 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिशेयर बही मूल्य रु. 148.88 रहा।
- सकल एन.पी.ए (वैश्विक) राशि में वर्ष-दर-वर्ष 25% की गिरावट आई और यह राशि यथा 31.03.2024 को रु. 29,183 करोड़ से यथा 31.03.2025 को रु. 21,749 करोड़ हो गई।
- सकल एन.पी.ए का प्रतिशत यथा 31.03.2024 को 4.98% से कम होकर बेहतर होते हुए यथा 31.03.2025 को 3.27% हो गया।
- निवल एन.पी.ए राशि में वर्ष दर वर्ष 22% की गिरावट आई और यह यथा 31.03.2024 को रु. 6,845 करोड़ की तुलना में यथा 31.03.2025 को रु. 5,359 करोड़ हो गया।
- यथा 31.03.2025 को निवल एन.पी.ए प्रतिशत सुधरकर 0.82% हो गया जो यथा 31.03.2024 को 1.22% था।

वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

विवरण	2023-24	2024-25	Growth(%)
निवल ब्याज आय	23,053	24,394	6%
गैर-ब्याज आय	6,095	8,994	48%
परिचालन व्यय	15,079	16,975	13%
परिचालन लाभ	14,069	16,412	17%
प्रावधान/आकस्मिकताएं + कर	7,751	7,193	-0.07%
निवल लाभ/हानि	6,318	9,219	46%
प्रति शेयर आय (रु.)	14.90	20.25	
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	131.30	148.88	
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	13.13	15.27	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.70	0.90	

प्रमुख वित्तीय अनुपात निम्नलिखित हैं:

विवरण	प्रतिशत (%)	
	2023-24	2024-25
अग्रिमों पर प्रतिफल	8.38	8.46
निवेशों पर प्रतिफल	6.75	7.10
निधियों पर प्रतिफल	7.03	7.24
जमाराशियों की लागत	4.51	4.90
निधियों की लागत	4.36	4.75
निवल ब्याज मार्जिन	2.97	2.82
परिचालन व्ययों की तुलना में गैर ब्याज आय	40.42	52.98
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य आय	0.67	0.88
औसत कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन व्यय	1.75	1.74
औसत कार्यशील निधि की तुलना में स्टाफ व्यय	1.06	1.05
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.68	0.68
आस्ति उपयोग अनुपात	1.63	1.68
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	9.12	11.27
निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	20.91	26.94
लागत आय अनुपात	51.73	50.84

2. जुटाई गई पूंजी :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने जुटाए हैं:

- 26.09.2024 को टियर-II बॉन्ड (सीरीज XVII) के माध्यम से रु. 2500 करोड़

3. दीर्घकालिक अवसंरचना बांड जारी करके जुटाई गई धनराशि

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने 10 वर्ष की अवधि के लिए 3 किस्तों में दीर्घकालिक अवसंरचना बांड जारी करके 12,690 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

4. पूंजी पर्याप्तता:

- बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार, बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिनांक 31.03.2025 को 17.77% था, जो नियामक आवश्यकता अर्थात 11.5% से अधिक है।
- पूंजी पर्याप्तता (बासेल III) का विवरण निम्नानुसार है:

(रु.करोड़ में)

विवरण	बासेल - III			
	31.03.2024		31.03.2025	
सीईटी I पूंजी	58,660	14.24%	6,6194	14.84%
टियर I पूंजी	61,512	14.93%	68,996	15.47%
टियर II पूंजी	8,395	2.03%	10,244	2.30%
कुल पूंजी	69,907	16.96%	79,240	17.77%
जोखिम भारित आस्तियां	4,12,078		4,45,960	

5. प्रमुख कारोबार पहल

- बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और केआईए मोटर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत चुनिंदा वाहन मॉडलों पर 100% वित्त पोषण के साथ एक विशेष योजना शुरू की गई है। इन समझौतों से जमीनी स्तर पर वाहन वित्तपोषण में सुधार और तेज़ तथा अधिक सुव्यवस्थित सेवाएं प्रदान करने की उम्मीद है।
- बैंक ने जनसमर्थ पोर्टल पर छह अनिवार्य योजनाओं को शामिल किया है जैसे कि केसीसी, केसीसी-मत्स्यपालन, एएमआई, ईएनडब्ल्यूआर, एनआरएलएम और एसीएबीसी, ताकि बाजार से लीड प्राप्त की जा सके। ऋण प्रबंधन प्रणाली, ई-प्लेटफॉर्म को भी जनसमर्थ पोर्टल में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।
- बीओआई भीम यूपीआई क्यूआर कोड का उपयोग करके किए गए यूपीआई लेनदेन (क्रेडिट) को सहज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम ऑडियो पुष्टि प्रदान करने हेतु बैंक ने पोर्टेबल यूपीआई क्यूआर साउंड बॉक्स शुभारंभ किया है। यह व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए भुगतान अनुभव को बेहतर बनाएगा।
- बीओआई स्टार एक्सपोर्ट क्रेडिट एक नया उत्पाद है। इसके बजट को इमर्जिंग कॉर्पोरेट क्रेडिट शाखाओं (ईसीसीबी) को आवंटित किया गया है। इस उत्पाद का उद्देश्य बैंक के निर्यात ऋण कारोबार को बढ़ाना है।
- बैंक ऑफ इंडिया ने किफायती आवास क्षेत्र में वेतनभोगी और स्व-नियोजित ग्राहकों को लक्षित करते हुए बंधक गारंटी समर्थित गृह ऋण

उत्पादों की पेशकश करने के लिए इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन (आईएमजीसी) के साथ साझेदारी किया है।

- बैंक को 12 विशेष रूपी वास्ट्रो खातों (एसआरवीए) के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है, जिनमें से 5 खाते पहले से ही सक्रिय हैं।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 252 लाख पीएमजेडीवाई खातों को रुपये कार्ड जारी किया है, जिससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के लाभार्थियों को ग्राहक आधारित आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से स्थानीय बीसी-आउटलेट/शाखाओं जैसे कैश-आउट पॉइंट से सब्सिडी राशि निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- बैंक द्वारा 'मॉम्स रीलॉन्च प्रोग्राम', मातृत्व के बाद वापस लौटने वाली माताओं के लिए एक पहल का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 6 महीने की उम्र के बच्चों के साथ मातृत्व के बाद वापस लौटने वाले स्टाफ सदस्यों को परामर्श प्रदान करना है।
- 'स्टार समर्थ' एक नई मानव संसाधन पहल है, जिसका उद्देश्य स्टाफ सदस्यों को उनके स्वयं के प्रदर्शन और बैंक के समग्र कारोबार सूचकांक में बाधा डालने वाली चिंताओं और चुनौतियों को साझा करने में उन्हें सशक्त और सहायता प्रदान करता है।

6. मानव संसाधन रूपांतरण पहल

बीओआई स्टार लाइट, एचआर रूपांतरण परियोजना 1 मार्च, 2024 को शुरू की गई थी और इसे तीन चरणों में लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्टाफ सदस्यों से जुड़ाव, करियर और प्रतिभा प्रबंधन तथा कार्य-निष्पादन प्रबंधन में वृद्धि करते हुए, भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करना है। जैसे ही परियोजना तीसरे चरण में प्रवेश करती है, 15 डिजिटल टूल्स शुरू किए गए हैं, जिनमें प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस), स्कोरकार्ड, जॉब फैमिली सर्वे, कौशल मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण आदि शामिल हैं, जिन्हें बैंक की व्यावसायिक कार्यनीति और दूरदर्शी लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए, बैंक की एचआर प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में सार्थक बदलाव लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

7. आईटी रूपांतरण पहल

डिजिटल और आईटी रूपांतरण - स्टार नेक्स्टेक

अपनी व्यापक डिजिटल और तकनीकी रूपांतरण यात्रा के एक भाग के रूप में, आपका बैंक अपने आईटी परिदृश्य के कार्यनीति पुनः डिज़ाइन और आधुनिकीकरण के माध्यम से अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को विस्तृत कर रहा है।

पिछले कुछ महीनों में, संपूर्ण आईटी कार्यों में परिचालन दक्षता, सिस्टम लचीलापन और अभिशासन को बढ़ाने के लिए कई प्रमुख पहल शुरू की गई हैं। इनमें शामिल हैं:

1. रिसिलिएन्सी ऑपरेशन सेंटर (आरओसी) की स्थापना, जिसमें बैंकों के महत्वपूर्ण एप्लिकेशनों और बुनियादी ढांचे की 24x7 संपूर्ण निगरानी प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जिससे सक्रिय समस्या समाधान और बेहतर अपटाइम सुनिश्चित हो सके।

2. गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए उत्कृष्टता परीक्षण केंद्र की स्थापना के माध्यम से परीक्षण का केंद्रीकरण
3. आईटी खरीद और वेंडर प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए वेंडर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।

आपका बैंक अपने मुख्य प्लेटफॉर्मों जैसे कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस), मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग इंटरफेस, एपीआई गेटवे आदि के सिस्टम संवर्द्धन की भी योजना बना रहा है।

इन संवर्द्धनों का उद्देश्य उद्योग-अग्रणी कार्य-निष्पादन, वास्तुशिल्पीय मजबूती और मापनीयता हासिल करना है, जिससे बैंक भविष्य की डिजिटल पहलों को अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन देने में सक्षम हो सके।

सामूहिक रूप से, ये प्रयास आपके बैंक के दीर्घकालिक कार्यनीति लक्ष्यों के अनुरूप एक सुरक्षित, सक्रिय और उच्च प्रदर्शन वाली आईटी नींव के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

डेटा लेक प्रोजेक्ट - स्टार आदित्य

आपके बैंक ने अपने मौजूदा डेटा प्लेटफॉर्म के व्यापक आधुनिकीकरण की शुरुआत की है, जिसमें नवीनतम एप्लिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीकें शामिल हैं। इस कार्यनीति पहल का उद्देश्य आपके बैंक की डेटा विश्लेषण क्षमताओं को बढ़ाना है, जिससे गहन जानकारी और निर्णय लेने फैसले सुनिश्चित हो सके। आपके बैंक ने डेटा अखंडता, अनुपालन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मजबूत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क लागू किया है। समय पर और सटीक रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए उन्नत डेटा रिपोर्टिंग टूल को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने ग्राहक संचार चैनलों को अनुकूलित किया है, ग्राहक जुड़ाव और संतुष्टि को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया है। ये प्रगति सामूहिक रूप से व्यवसाय सृजन को बढ़ावा देती हैं, जोखिम कारकों को कम करती हैं, और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करती हैं।

स्टार आदित्य (एनालिटिक्स ड्रिवेन इनसाइट्स टू यील्ड्स एक्शन) के अंतर्गत, आपके बैंक ने निम्नलिखित पहल की हैं:

1. संरचित, अर्ध-संरचित और असंरचित डेटा के एकीकृत अंतर्ग्रहण को सक्षम करने के लिए डेटा वेयरहाउस का आधुनिकीकरण करना, जिससे उद्यम-व्यापी विश्लेषण के लिए आधारशिला रखी जा सके।
2. उन्नत विश्लेषणात्मक उपयोग मामलों को सशक्त बनाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का लाभ उठाना, कच्चे डेटा को पूर्वानुमानात्मक और निर्देशात्मक व्यावसायिक अंतर्दृष्टि में बदलना।
3. स्मार्ट, इंटरैक्टिव ग्राहक विवरण लॉन्च किए गए, जो स्थिर रिपोर्टों को आकर्षक, व्यक्तिगत डिजिटल अनुभवों में बदल देते हैं।
4. वास्तविक समय, डेटा-संचालित निर्णय समर्थन के साथ नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए गतिशील डैशबोर्ड और विज़ुअलाइज़ेशन विकसित किए।
5. पूरे संगठन में विश्वसनीय, अनुपालनकारी और उच्च-निष्ठा विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए डेटा अभिशासन और गुणवत्ता ढांचे को मजबूत किया गया।

8. पुरस्कार और सम्मान : हमारी क्षमता की पहचान

- दिनांक 24.09.2024 को, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए **भारत अभियान के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति के लिए** कृषि अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ़ इंडिया को सम्मानित किया।
- पीएफआरडीए के 80 प्रति शाखा के लक्ष्य के बदले प्रति शाखा 140 एपीवाई योजना नामांकन करने पर बैंक को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एपीवाई वार्षिक पुरस्कार (जुलाई 2024 में प्राप्त) के विजेता के रूप में पुरस्कृत किया गया।
- बैंक को यूनिवर्सल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के लिए ग्राहक अनुभव को बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग के तहत 5वें बीएफएसआई प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमएसवीनिधि ऋण प्रदर्शन में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से 'पीएमएसवीनिधि प्रशंसा पुरस्कार' प्राप्त हुआ।
- पीएफआरडीए ने 'रिटायरमेंट रिवलेशनरिस' के लिए एक अभियान शुरू किया और बैंक के 5 आंचलिक प्रबंधकों को पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।

9. दृष्टिकोण, कार्यनीति एवं भविष्य की योजना:

- अपने मौजूदा ग्राहक आधार का लाभ उठाकर बैंक के खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएमएम) ऋण प्रोफाइल का विस्तार करना।
- कासा जैसे कम लागत वाली जमाराशियां जुटाकर वित्त पोषण लागत को नियंत्रित करना जारी रखना।
- आस्ति गुणवत्ता में सुधार और एनपीए स्तर को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- बैंक के कॉर्पोरेट ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और उभरती हुई कॉर्पोरेट ऋण शाखाओं के माध्यम से मध्य कॉर्पोरेट क्षेत्र का विस्तार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना

- क्रॉस सेलिंग अवसरों को बढ़ाने, लागत कम करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ लेना।
- कार्यनीति निगरानी के साथ अनुपालन को संतुलित करके दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना

10. निदेशक के उत्तरदायित्व कथन :

निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में:

- लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई हो तो उसके लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है,
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीति का दृढ़ता से पालन किया गया है। बैंक के मामलों की सही और निष्पक्ष जानकारी देने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए,
- बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए भारत में कार्यरत बैंकों पर लागू विधियों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित एवं उपयुक्त सावधानी बरती जाती है,
- वार्षिक लेखा, संस्था की निरंतरता के आधार पर तैयार किए गए हैं,
- बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं,
- समस्त लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था बनायी गयी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त है और प्रभावी रूप से परिचालन में है।

DIRECTORS' REPORT

Your Board of Directors have the pleasure of presenting the Bank's Annual Report on its Business and Operations along with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2025.

1. Performance Indicators

Domestic Business:

- Overall Domestic Business of the Bank registered growth of 12.63% to reach at Rs.12.64 lakh crore as on 31.03.2025 as against Rs.11.22 lakh crore as on 31.03.2024.
- CASA Deposits increased by 3.86% on YoY basis and stood at Rs. 2.80 lakh crore as on 31.03.2025 and CASA Ratio stood at 40.28%.
- Total Domestic Deposits increased by 11.21% to reach at Rs. 7 lakh crore as on 31.03.2025 as against Rs. 6.30 lakh crore as on 31.03.2024.
- Gross Domestic Advances registered growth of 14.45% YoY, reached at Rs. 5.64 lakh crore as on 31.03.2025 from Rs 4.92 lakh crore as on 31.03.2024.
- Share of RAM Advances to Total Advances was 57.26% (i.e. Rs 3.23 lakh crore) as on 31.03.2025 as compared to 55.36% (i.e. Rs 2.73 lakh crore) as on 31.03.2024.
- Priority Sector Lending constituted 45.44% of Adjusted Net Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 21.15% as on 31.03.2025.
- Retail Credit grew by 19.93% from Rs. 1.11 lakh crore as on 31.03.2024 to Rs. 1.34 lakh crore as on 31.03.2025. The share of Retail Credit to Domestic Credit was 23.72% as on 31.03.2025.
- MSME Credit registered growth of 18.39% from Rs. 0.76 lakh crore as on 31.03.2024 to Rs. 0.91 lakh crore as on 31.03.2025. The share of MSME Credit to Total Domestic Credit was 16.08% as on 31.03.2025.
- The Domestic CD Ratio stood at 80.47% as on 31.03.2025.

Overseas Business:

- Overseas Business has increased by 8.61% and reached at Rs 2.19 lakh crore as on 31.03.2025 from Rs. 2.01 lakh crore as on 31.03.2024.
- Total Overseas Advances increased by 9.97% and reached at Rs. 1.02 lakh crore as on 31.03.2025 from Rs. 0.93 lakh crore as on 31.03.2024.
- Total Overseas Deposits increased by 7.43% and reached Rs. 1.16 lakh crore as on 31.03.2025 from Rs. 1.08 lakh crore as on 31.03.2024.

Global Business:

- Gross Business of the Bank registered a growth of 12.02% and reached Rs. 14.83 lakh crore as on 31.03.2025 from Rs. 13.24 lakh crore as on 31.03.2024.

- Total Deposits increased 10.65% and reached Rs. 8.17 lakh crore as on 31.03.2025 from Rs. 7.38 lakh crore as on 31.03.2024.
- Gross Advances increased by 13.74% and reached Rs. 6.66 lakh crore as on 31.03.2025 from Rs. 5.86 lakh crore as on 31.03.2024.
- The Global CD Ratio stood at 81.57% as on 31.03.2025.

Financial Parameters:

- Operating Profit increased by 17% YoY and reached Rs. 16,412 crore for FY'25 as against Rs. 14,069 crore for FY'24.
- The Bank has reported Net Profit of Rs. 9,219 crore in FY'25 as against Rs. 6,318 crore in FY'24 exhibiting a growth of 46% YoY.
- Capital Adequacy Ratio stood at an improved level of 17.77% as on 31.03.2025 as against 16.69% as on 31.03.2024.
- Net Worth increased by 19% YoY to Rs. 65,642 Crore as on 31.03.2025 from Rs. 55,118 Crore as on 31.03.2024.
- Book Value per share was Rs. 148.88 as at 31.03.2025.
- Gross NPA (Global) declined by 25% YoY from Rs. 29,183 crore as on 31.03.2024 to Rs. 21,749 crore as on 31.03.2025.
- Gross NPA Ratio improved to 3.27% as on 31.03.2025 from 4.98% as on 31.03.2024.
- Net NPA declined by 22% YoY and stood at Rs. 5,359 crore as on 31.03.2025 as against Rs. 6,845 crore as on 31.03.2024.
- Net NPA Ratio improved to 0.82% as on 31.03.2025 from 1.22% as on 31.03.2024.

The financial performance of the Bank for the year 2024-25 is summarized below:

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	2023-24	2024-25	Growth(%)
Net Interest Income	23,053	24,394	6%
Non-Interest Income	6,095	8,994	48%
Operating Expenses	15,079	16,975	13%
Operating Profit	14,069	16,412	17%
Provisions/Contingencies +Tax	7,751	7,193	-0.07%
Net Profit/Loss	6,318	9,219	46%
Earnings per Share (Rs.)	14.90	20.25	
Book Value per Share (Rs.)	131.30	148.88	
Return on Equity (%)	13.13	15.27	
Return on Average Assets (%)	0.70	0.90	

Key Financial Ratios are presented below:

Particulars	Percentage (%)	
	2023-24	2024-25
Yield on Advances	8.38	8.46
Yield on Investments	6.75	7.10
Yield on Funds	7.03	7.24
Cost of Deposits	4.51	4.90
Cost of Funds	4.36	4.75
Net Interest Margin	2.97	2.82
Non-Interest Income to Operating Expenses	40.42	52.98
Other Income to Average Working Fund	0.67	0.88
Operating Expenses to Average Working Fund	1.75	1.74
Staff Expenses to Average Working Fund	1.06	1.05
Other Operating Expenses to Average Working Fund	0.68	0.68
Asset Utilization Ratio	1.63	1.68
Non-Interest Income to Total Income	9.12	11.27
Non-Interest Income to Net Income	20.91	26.94
Cost to Income Ratio	51.73	50.84

2. Capital Raised:

During the financial year 2024-25, Bank has raised:

- Rs. 2500 crore by way of Tier II bonds (Series XVII) on 26.09.2024.

3. Funds raised by issuance of long term infrastructure bonds

- During the FY 2024-25, Bank has raised Rs.12,690 crore by issue of Long Term Infrastructure Bond in 3 tranches for a tenor of 10 years.

4. Capital Adequacy:

- As per Basel III Framework, Bank's Capital Adequacy Ratio was 17.77% as on 31.03.2025, which is higher than the regulatory requirement of 11.5%.
- Details of Capital Adequacy (Basel III) are as under:

(Amount in Rs. Crore)

Particulars	BASEL - III			
	31.03.2024		31.03.2025	
CET1 Capital	58,660	14.24%	6,6194	14.84%
Tier I Capital	61,512	14.93%	68,996	15.47%
Tier II Capital	8,395	2.03%	10,244	2.30%
Total Capital	69,907	16.96%	79,240	17.77%
Risk Weighted Assets	4,12,078		4,45,960	

5. Key Business Initiatives

- Bank of India has entered into an MOU with TATA, Maruti, Mahindra & Mahindra and KIA Motors, whereby a special scheme with 100% finance on select vehicle models has been floated. These engagements are expected to improve last mile vehicle financing and deliver faster and more streamlined services.

- The Bank has on boarded six mandated schemes, i.e. KCC, KCC-Fisheries, AMI, eNWR, NRLM and ACABC on Jansamarth Portal for capturing leads from market place. It has also successfully integrated its Loan Management System, E-Platform into Jansamarth Portal.
- In order to provide real-time audio confirmation ensuring seamless, secure and user-friendly UPI transactions (credit) made using the BOI BHIM UPI QR Code, the Bank has introduced Portable UPI QR Sound Box. This will elevate the payment experience for both merchants and customers.
- BOI Star Export Credit is a new product. Budgets of the same allotted to Emerging Corporate Credit Branches (ECCB). This product aims at augmenting export credit business of the Bank.
- Bank of India has partnered with India Mortgage Guarantee Corporation (IMGC) to offer mortgage guarantee backed home loan products, aiming the salaried and self-employed customers in the affordable housing segment.
- The Bank has received RBI Approval for 12 Special Rupee Vostro Accounts (SRVAs), of which 5 accounts are already live.
- The Bank has issued RuPay Cards to 252 lakh PMJDY accounts during FY 2024-25, encouraging beneficiaries of Direct Benefit Transfer schemes to withdraw subsidy amounts from cash-out points like local BC-outlets/Branches by way of customer based Aadhar authentication.
- 'Mom's Relaunch Program', an initiative for returning mothers has been implemented by the Bank which is aimed at providing counselling to staff members who have returned post maternity, having children aged 6 months on PAN India basis.
- 'Star Samarth' is a new HR initiative to provide empowerment and assistance to the employees to share their concerns and challenges that might be hampering their own performance and overall business indices of the Bank.

6. HR Transformation Initiative

BOI STAR LIGHT, the HR transformation project was launched on March 1, 2024, and is being implemented in three phases, with an aim to build a future-ready workforce by amplifying employee engagement, career and talent management and performance management. As the Project enters the third phase, 15 digital tools have been launched, including Performance Management System (PMS), Scorecards, Job Family Survey, Skill Assessment & Target Setting etc., designed to drive meaningful change in digitization of Bank's HR processes aligned with the business strategy & Visionary goals of the Bank.

7. IT Transformation Initiatives**Digital & IT Transformation – Star Nextech**

As part of its comprehensive digital and technical transformation journey, your Bank has been ramping up its digital infrastructure through a strategic redesign and modernization of its IT landscape.

Over the past few months, several key initiatives have been launched to enhance operational efficiency, system resilience

and governance across the IT function. These include:

1. Establishment of Resiliency Operations Center (ROC), designed to provide 24x7 end-to-end monitoring of the Bank's critical applications and infrastructure, ensuring proactive issue resolution and improved uptime.
2. Centralization of Testing through establishment of a Testing Center of Excellence to standardize quality assurance processes
3. Establishment of Vendor Center of Excellence to optimize IT procurement and vendor management.

Your Bank is also planning system enhancements of its core platforms such as the Core Banking System (CBS), Mobile and Internet Banking interface, API Gateway etc.

These enhancements aim to achieve industry-leading performance, architectural robustness & scalability, enabling the Bank to support future digital initiatives more effectively.

Collectively, these efforts represent a major step forward in building a secure, agile and high-performing IT foundation in sync with your Bank's long-term strategic goals.

Data lake Project - Star Aditya

Your Bank has embarked on a comprehensive modernization of its existing data platform, integrating latest applications and infrastructure technologies. This strategic initiative aims to enhance your Bank's data analytic capabilities, ensuring in-depth insights and informed decision-making. Your Bank has implemented robust data governance framework to maintain data integrity, compliance, and security. Advanced data reporting tool has been adopted to facilitate timely and accurate reporting. Additionally, your Bank optimized customer communication channels, leveraging digital platforms to enhance customer engagement and satisfaction. These advancements collectively drive business generation, mitigate risk factors, and significantly improve operational efficiency.

Under Star Aditya (Analytics driven Insights to Yields Actions), your Bank has taken the following initiatives:

1. Modernize the data warehouse to enable unified ingestion of structured, semi-structured, and unstructured data, laying the foundation for enterprise-wide analytics.
2. Leveraged AI and machine learning to power advanced analytical use cases, turning raw data into predictive and prescriptive business insights.
3. Launched smart, interactive customer statements that transform static reports into engaging, personalized digital experiences.
4. Developed dynamic dashboards and visualizations to empower leadership with real-time, data-driven decision support.
5. Strengthened data governance and quality frameworks to ensure trusted, compliant, and high-integrity analytics across the organization.

8. Awards and Recognition: Unlocking our Potential

- On 24.09.2024, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare felicitated Bank of India under the Agriculture Infrastructure Fund Scheme for **Target achievement under BHARAT Campaign for FY 2023-24.**

- The Bank was recognized as the Winner of APY Annual Awards for FY 2023-24 (received in July'24) for achieving 140 APY scheme enrolment per branch against the PFRDA target of 80 per branch.
- Bank was awarded as Best Bank under the Innovative Use of Technology to enhance Customer Experience at the 5th BFSI Technology Excellence Award 2024 for Universal Application Project
- Bank of India has earned the 'PMSVANidhi Praise Award' from MOHUA for securing 3rd position in PMSVANidhi Loan Performance during FY 2023-24.
- PFRDA launched a campaign for 'Retirement Revolutionaries' and 5 of the Bank's Zonal Managers have been nominated for the award.

9. Vision, Strategy and Future Outlook

- Expand the Bank's Retail, Agriculture and MSME (RAM) lending profile by leveraging its existing customer base.
- Continue to contain funding cost by sourcing low cost deposits such as CASA.
- Focus on improving asset quality and containing NPA levels.
- Adopt a multi-pronged approach to increase the Bank's Corporate Clientele and expand the Mid Corporate Space through Emerging Corporate Credit Branches
- Leverage technology to increase cross selling opportunities, reduce cost and enhance customer experience.
- Improving Risk Management Systems to ensure long term sustainability by balancing compliance with strategic oversight

10. Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2025:

- a. The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,
- b. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,
- c. Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,
- d. Annual accounts have been prepared on a going concern basis,
- e. Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,
- f. Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

हरित जमाराशि प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट

1 परिचय

दिनांक 11 अप्रैल 2023 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने हरित जमाराशि की स्वीकृति के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया। यह ढांचा 1 जून 2023 से प्रभावी है। बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने जनवरी 2024 में हरित जमाराशि की शुरुआत की। दिनांक 24-01-2024 को बोर्ड द्वारा नीति को विधिवत अनुमोदित किया गया था और तत्पश्चात दिनांक 25-02-2025 को बोर्ड द्वारा समीक्षा और अनुमोदित किया गया था। ये जमाराशि बीओआई-हरित जमाराशि एवं वित्तपोषण फ्रेमवर्क नीति द्वारा तैयार किए गए फ्रेमवर्क के तहत अधिशासित होती हैं, जो दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को जारी हरित जमाराशि को स्वीकार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फ्रेमवर्क के साथ संरेखित है। हालांकि, बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार नीति पर दूसरी पार्टी की राय नहीं ली है।

2. कार्य का दायरा

बीओआई ने हरित जमाराशि प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने हेतु केयर एनालिटिक्स एंड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड (सीएएपीएल) के साथ मिलकर काम किया। प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट में 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि शामिल है।

हरित जमाराशि स्वीकार करने हेतु आरबीआई फ्रेमवर्क के प्रमुख पक्ष।

आरबीआई ने दिनांक 1 जून, 2023 से प्रभावी हरित जमाराशि की स्वीकृति हेतु फ्रेमवर्क की शुरुआत की है, बैंकों और एनबीएफसी को ऐसे उद्देश्यों के लिए जमाराशि निर्धारित करके, बोर्ड-अनुमोदित नीतियों की आवश्यकता और तीसरे पक्ष के सत्यापन और प्रभाव मूल्यांकन को अनिवार्य करके हरित गतिविधियों के लिए निधियां जुटाने हेतु प्रोत्साहित करता है।

मुख्य विशेषताएं	विवरण
उद्देश्य	नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और हरित भवनों सहित हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना।
प्रभावी दिनांक	जून 1, 2023
प्रयोजनीयता	एसएफबी सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर।
हरित जमाराशि	ब्याज-वहन जमाराशियों को हरित वित्त के आबंधन हेतु निर्धारित किया गया है।
अनिवार्य नीतियां	हरित जमाराशियों को स्वीकार करने और उनका उपयोग करने हेतु बैंकों और एनबीएफसी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां होनी चाहिए।
तृतीय-पक्ष सत्यापन	हरित जमाराशि निधि के उपयोग को किसी तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
छूट	जीवाश्म ईंधन, परमाणु शक्ति, तंबाकू आदि से जुड़ी गतिविधियों को बाहर रखा गया है।
रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण	बैंकों को हरित जमाराशि जुटाने, निधि उपयोग और प्रभाव मूल्यांकन पर पारदर्शी और व्यापक रिपोर्टिंग बनाए रखनी चाहिए।

3 बीओआई हरित जमाराशि योजना

जनवरी 2024 में, बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने हरित जमाराशि और वित्तपोषण फ्रेमवर्क नीति विकसित की है। ठहरित जमा योजना आरबीआई के हरित जमाराशि फ्रेमवर्क के तहत बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांड पहल है।

नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- उद्देश्य: दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के आरबीआई हरित जमाराशि फ्रेमवर्क के अनुसार हरित जमाराशि जारी करने और आबंधन हेतु एक रोड मैप तैयार करना।
- आय का उपयोग: हरित जमाराशि की आय का उपयोग केवल पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं में वित्तपोषण/निवेश हेतु किया जाएगा। पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं में आरबीआई हरित जमा फ्रेमवर्क के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, क्लीन परिवहन, ऊर्जा दक्षता और वनीकरण/पुनःवनीकरण शामिल हैं।
- हरित जमाराशि आय का अस्थायी आबंधन: बैंक हरित जमाराशि आय का अस्थायी आबंधन (जो कि केवल एक वर्ष की अधिकतम मूल अवधि तक लिक्विड इंस्ट्रुमेंट्स में होगा, जैसा कि वित्तपोषण ढांचे के तहत निर्दिष्ट है) की व्यवस्था करेगा, जो पात्र गतिविधियों/परियोजनाओं को आबंधित होने तक होगा। बैंक लिक्विड इंस्ट्रुमेंट्स में किए गए निवेश का विवरण सालाना अंतराल पर उपलब्ध कराएगा।
- परियोजना मूल्यांकन: हरित जमा राशि का उपयोग केवल उन परियोजनाओं के वित्तपोषण/या उनमें निवेश करने के लिए किया जाएगा जो आरबीआई द्वारा निर्धारित पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं।
- सतत विकास पर ध्यान: नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और अन्य पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए धन आबंधित किया जाता है।
- पारदर्शिता: इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अन्य- पक्ष द्वारा सत्यापन, प्रभाव आकलन और नियमित रिपोर्टिंग शामिल है।

4. हरित जमाराशि प्रभाव आकलन

हरित जमाराशि योजना के माध्यम से जुटाई गई हरित जमाराशि को ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (जीवीआरईएल) को आबंधित किया गया है। यह एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) और दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम है। परियोजना की पहली चरण लागत 310 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए रु. 1,250 करोड़ है। बीओआई और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कंसोर्टियम के आधार पर परियोजना के पहले चरण का वित्तपोषण कर रहे हैं (प्रत्येक की 50% हिस्सेदारी); इस प्रकार, बीओआई का कुल वित्तपोषण रु. 625 करोड़ है। बीओआई को आबंधित बिजली उत्पादन 155 मेगावाट होगा। प्रभाव रिपोर्ट में मूल्यांकन हेतु 155 मेगावाट क्षमता पर विचार किया गया है।

चूंकि परियोजना अभी चालू नहीं हुई है, अतएव प्रभाव आकलन मान्यताओं के आधार पर किया गया है। वास्तविक बिजली उत्पादन डेटा के अभाव में, अनुमानित बिजली उत्पादन की गणना संयंत्र की स्थापित क्षमता का उपयोग

करके की गई है। पीवी वाट द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर, दोनों संयंत्रों की औसत वार्षिक क्षमता 1,500 किलोवाट है। यह डेटा आगे के विश्लेषण के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। नीचे आबंटन विवरण दिए गए हैं:

हरित जमा प्रभाव आकलन							
1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	परियोजना का नाम	यथा 31.03.2025, हरित जमा आबंटित राशि (करोड़ रु. में)	मेगावाट क्षमता	प्रति वर्ष उत्पन्न किलोवाट (किलोवाट घंटा)*	कुल उत्पादित किलोवाट = मेगावाट क्षमता (किलोवाट घंटा/वर्ष में)	किलोवाट घंटा से मिलियन किलोवाट घंटा	संचयी CO2 उत्सर्जन में कमी (MT CO2e / MWhr.)**
					(4*5*1000)	(6*10^6)	7(K5*0.727/10^3),3)
1	ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (जीवीआरईएल)	33.54	155	1500	23,25,00,000	232.50	0.17

- ** कम उत्सर्जन की गणना करने के लिए, हमने भारत औसत उत्सर्जन कारक (0.727 TCO2/MWh बिजली) का संदर्भ लिया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया। इस कारक को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन डेटा के साथ जोड़ा जाता है भारत में विद्युत उत्पादन के लिए विशिष्ट CO2-समतुल्य (CO2eq) का पता लगाने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाएगा।
- यथा 31.03.2025, बैंक के ग्रीन जमाराशि पोर्टफोलियो का कोई भी हिस्सा अप्रयुक्त नहीं है
- * <https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php> 2 स्थानों (तिलैया और पंचेत, झारखंड) पर 1 घंटे क्षमता वाले प्लांट के लिए अनुमानित उत्पादन प्राप्त करने के लिए NREL PV वाट्स कैलकुलेटर का उपयोग किया गया था। संदर्भ के लिए कैलकुलेटर के अनुमानित मान संलग्न हैं। मानों को पूर्णांकित (1472kWh/वर्ष और 1529kWh/वर्ष, हमने 1500kWh/वर्ष का औसत आंकड़ा माना है) करते हुए। अधिक जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक 2 और 3 का संदर्भ लें।

5. अप्रयुक्त आय

यथा 31 मार्च 2025, बैंक के हरित जमाराशि पोर्टफोलियो का कोई भी हिस्सा अप्रयुक्त नहीं है।

6. प्रभाव आकलन



हरित जमाराशि प्रभाव विश्लेषण करने के लिए, सीएएपीएल ने सभी साक्ष्य, सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए विस्तृत सूचना सामग्री की मांग की, जिसे उसने सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक माना। निम्नलिखित सूचना चेकलिस्ट की सूची है जिसका हमने उल्लेख किया है

सामान्य आवश्यकताएँ:

- आय के उपयोग का विवरण
- नामांकित परियोजनाओं और गतिविधियों की सूची
- प्रबंधन और रिपोर्टिंग प्रथाएँ

धन के विनियोजन पर विशिष्ट आवश्यकताएँ:

- आवंटित राशि का साक्ष्य
- आय की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग का साक्ष्य

जमा के लिए विशिष्ट आवश्यकताएँ:

- निवेशित राशि

7. पोर्टफोलियो सूचना

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) (राशि करोड़ ₹ में)	पिछला वित्तीय वर्ष (2023-24) (राशि करोड़ ₹ में)	संचयी* (राशि ₹ करोड़ में)
जुटाई गई कुल हरित जमाराशियाँ (ए)	33.54	शून्य	33.54
हरित जमाराशियाँ निधि का उपयोग**			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा (सौर परियोजना)	33.54	शून्य	33.54
(2) ऊर्जा दक्षता	-	-	-
(3) क्लीन परिवहन (ईवी कार वित्तपोषण)	-	-	-
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	-	-	-
(5) सतत जल और अपशिष्ट	-	-	-
प्रबंधन	-	-	-
(6) प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण	-	-	-
(7) हरित भवन	-	-	-
(8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	-	-	-
(9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण	-	-	-
कुल आवंटित हरित जमाराशियाँ फंड (बी = 1 से 9 का योग)	33.54	शून्य	33.54
आवंटित न की गई हरित जमाराशियाँ निधि की राशि (सी = ए - बी)	शून्य	शून्य	शून्य
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को आवंटित किए जाने तक हरित जमाराशि के अस्थायी आवंटन का विवरण	शून्य	शून्य	शून्य

*इसमें वह संचयी राशि शामिल होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान द्वारा ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश शुरू करने के बाद से जमा की गई है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक ने 1 जून, 2023 से ग्रीन डिपॉजिट जुटाना शुरू किया है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई और आवंटित की गई जमाराशियों का विवरण शामिल होगा। **प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान प्रत्येक उप-क्षेत्र को आवंटित निधियों के आधार पर उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान ठनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसी उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं।

प्रासंगिक स्रोत: <https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=12487&Mode=0> Data provided by the State Bank of India

8. किए गए कार्य

अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम:

- हरित जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु आरबीआई फ्रेमवर्क का उल्लेख किया गया
- बीओआई की हरित जमाराशि और वित्तपोषण फ्रेमवर्क नीति की समीक्षा की गई
- हरित जमाराशि नीति और हरित जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए आरबीआई फ्रेमवर्क में उल्लिखित प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रणों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए हरित जमाराशि परिनियोजन में शामिल प्रबंधन और प्रमुख कर्मियों के साथ बातचीत की गई।

- हमने बीओआई द्वारा उपलब्ध कराए गए खातों की सूची का संदर्भ दिया है, जिनमें हरित जमाराशि की आय आवंटित की गई है। परियोजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन हरित जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए आरबीआई फ्रेमवर्क में परिभाषित मानदंडों के अनुरूप किया गया है।
- डैशबोर्ड (संदर्भ अनुलग्नक 1) की जांच की गई, जहां आवंटन और मानदंड परिभाषित किए गए हैं और मेकर-चेकर प्रक्रिया के साथ आरबीआई हरित जमाराशि फ्रेमवर्क के अनुसार सभी हरित जमाराशि लेनदेन का लाइव रिकॉर्ड रखा गया है।
- नामांकित परियोजनाओं और आस्तियों को आवंटित जमा राशि की पुष्टि बीओआई की आंतरिक प्रणाली की जांच के माध्यम से की गई है। डेटा बीओआई द्वारा प्रदान किया गया है।

9. निष्कर्ष

निम्नलिखित निष्कर्ष किए गए कार्य और प्राप्त साक्ष्य तथा ऊपर वर्णित हमारी सहभागिता के दायरे पर आधारित है।

केयरएज एडवाइजरी का मानना है कि जनवरी 2024-मार्च 2025 के दौरान जुटाई गई ग्रीन डिपॉजिट, बीओआई ग्रीन डिपॉजिट पॉलिसी और फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क पॉलिसी और 11 अप्रैल, 2023 को जारी ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) फ्रेमवर्क के अनुरूप है।

10. बीओआई के प्रबंधन की जिम्मेदारियां

बीओआई का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि हरित जमा की तैनाती बीओआई हरित जमा नीति और 11 अप्रैल, 2023 को जारी हरित जमा स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रूपरेखा के अनुरूप हो।

11. विशिष्ट सीमा और बहिष्करण

सीएएपीएल ग्रीन डिपॉजिट प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट निम्नलिखित सीमाओं के अधीन है, क्योंकि हम निम्नलिखित कार्यों में संलग्न नहीं हैं:

- बीओआई के वित्तीय विवरण और आर्थिक प्रदर्शन
- बीओआई द्वारा प्रदान की गई राय, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य या भविष्य के इरादे या वैश्विक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं की अभिव्यक्ति का वर्णन करने वाले बीओआई के बयानों को सत्यापित करें।

12. सीएएपीएल की जिम्मेदारियां

सीएएपीएल की जिम्मेदारी जमा आवंटन आधार बीओआई ग्रीन डिपॉजिट पॉलिसी और आरबीआई ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के लिए किए गए प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्य के संबंध में प्रभाव विश्लेषण प्रदान करने की सीमा तक सीमित है। हमने एक बहु-विषयक टीम के साथ अपना जुड़ाव किया जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं को समझने में उपयुक्त कौशल और अनुभव वाले पेशेवर शामिल थे।

यह ग्रीन डिपॉजिट प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट हमारी टीम द्वारा पूरी तरह से बीओआई को दी जाती है, जिसमें प्रकटीकरण के लिए एक सहमत व्यवस्था शामिल है। बीओआई के अलावा कोई भी पक्ष जो हमारी प्रभाव आकलन रिपोर्ट या उसकी एक प्रति तक पहुँच प्राप्त करता है और हमारी प्रभाव आकलन रिपोर्ट पर भरोसा करना चुनता है, वह अपने जोखिम पर ऐसा करेगा। कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, हम अपने काम के लिए, इस ग्रीन डिपॉजिट प्रभाव आकलन रिपोर्ट के लिए या हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के लिए जारीकर्ता के अलावा किसी भी पक्ष के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं और किसी भी दायित्व से इनकार करते हैं।

अनुलग्नक 1

Centre	Scheme Code	Amount as on 31-03-2025 (In Crores)	Number of Accounts
01.FGMO PATNA	HARIT JAMA YOJANA DBD	0.59	15
02.FGMO CHANDIGARH	HARIT JAMA YOJANA DBD	1.26	35
03.FGMO KOLKATA	HARIT JAMA YOJANA DBD	7.54	252
04.FGMO AHMEDABAD	HARIT JAMA YOJANA DBD	4.51	88
05.FGMO RANCHI	HARIT JAMA YOJANA DBD	2.91	70
06.FGMO BHOPAL	HARIT JAMA YOJANA DBD	3.04	84
07.FGMO NEW DELHI	HARIT JAMA YOJANA DBD	0.23	9
08.FGMO BHUBANESWAR	HARIT JAMA YOJANA DBD	1.17	23
09.FGMO CHENNAI	HARIT JAMA YOJANA DBD	2.64	184
10.FGMO HYDERABAD	HARIT JAMA YOJANA DBD	2.55	71
11.FGMO LUCKNOW	HARIT JAMA YOJANA DBD	3.79	101
12.FGMO MUMBAI	HARIT JAMA YOJANA DBD	1.71	25
13.FGMO PUNE	HARIT JAMA YOJANA DBD	1.58	38
Grand Total		33.51	995

अनुलग्नक 2

5/23/25, 5:30 PM

PVWatts Calculator



Caution: Photovoltaic system performance predictions calculated by PVWatts® include many inherent assumptions and uncertainties and do not reflect variations between PV technologies nor site-specific characteristics except as represented by PVWatts® inputs. For example, PV modules with better performance are not differentiated within PVWatts® from lesser performing modules. Both NREL and private companies provide more sophisticated PV modeling tools (such as the System Advisor Model at sam.nrel.gov) that allow for more precise and complex modeling of PV systems.

The expected range is based on 30 years of actual weather data at the given location and is intended to provide an indication of the variation you might see. For more information, please refer to this NREL report: The Error Report.

Disclaimer: The PVWatts® Model ("Model") is provided by the National Renewable Energy Laboratory ("NREL"), which is operated by the Alliance for Sustainable Energy, LLC ("Alliance") for the U.S. Department Of Energy ("DOE") and may be used for any purpose whatsoever.

The names DOE/NREL/ALLIANCE shall not be used in any representation, advertising, publicity or other manner whatsoever to endorse or promote any entity that adopts or uses the Model. DOE/NREL/ALLIANCE shall not provide any support, consulting, training or assistance of any kind with regard to the use of the Model or any updates, revisions or new versions of the Model.

YOU AGREE TO INDEMNIFY DOE/NREL/ALLIANCE, AND ITS AFFILIATES, OFFICERS, AGENTS, AND EMPLOYEES AGAINST ANY CLAIM OR DEMAND, INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS' FEES, RELATED TO YOUR USE, RELIANCE, OR ADOPTION OF THE MODEL FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER. THE MODEL IS PROVIDED BY DOE/NREL/ALLIANCE 'AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY

RESULTS

1,472 kWh/Year*

Month	Solar Radiation (kWh / m ² / day)	AC Energy (kWh)
January	5.34	127
February	6.08	127
March	6.54	148
April	6.62	141
May	6.21	136
June	5.43	117
July	4.20	96
August	4.52	103
September	5.06	111
October	5.91	135
November	5.08	116
December	4.80	114
Annual	5.48	1,471

Location and Station Identification

Requested Location	Panchet, jharkhand
Weather Data Source	Lat, Lng: 23.69, 86.74 1.2 mi
Latitude	23.69° N
Longitude	86.74° E

अनुलग्नक 3

5/23/25, 5:28 PM

PVWatts Calculator



Cautions: Photovoltaic system performance predictions calculated by PVWatts® include many inherent assumptions and uncertainties and do not reflect variations between PV technologies nor site-specific characteristics except as represented by PVWatts® inputs. For example, PV modules with better performance are not differentiated within PVWatts® from lesser performing modules. Both NREL and private companies provide more sophisticated PV modeling tools (such as the System Advisor Model at sam.nrel.gov) that allow for more precise and complex modeling of PV systems.

The expected range is based on 30 years of actual weather data at the given location and is intended to provide an indication of the variation you might see. For more information, please refer to this NREL report: The Error Report.

Disclaimer: The PVWatts® Model ("Model") is provided by the National Renewable Energy Laboratory ("NREL"), which is operated by the Alliance for Sustainable Energy, LLC ("Alliance") for the U.S. Department Of Energy ("DOE") and may be used for any purpose whatsoever.

The names DOE/NREL/ALLIANCE shall not be used in any representation, advertising, publicity or other manner whatsoever to endorse or promote any entity that adopts or uses the Model. DOE/NREL/ALLIANCE shall not provide any support, consulting, training or assistance of any kind with regard to the use of the Model or any updates, revisions or new versions of the Model.

YOU AGREE TO INDEMNIFY DOE/NREL/ALLIANCE, AND ITS AFFILIATES, OFFICERS, AGENTS, AND EMPLOYEES AGAINST ANY CLAIM OR DEMAND, INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS' FEES, RELATED TO YOUR USE, RELIANCE, OR ADOPTION OF THE MODEL FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER. THE MODEL IS PROVIDED BY DOE/NREL/ALLIANCE "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY

RESULTS

1,529 kWh/Year*

Month	Solar Radiation (kWh / m ² / day)	AC Energy (kWh)
January	5.69	137
February	6.04	129
March	6.72	155
April	7.21	156
May	6.56	144
June	5.27	114
July	4.30	98
August	4.40	101
September	4.87	109
October	5.64	130
November	5.67	130
December	5.18	125
Annual	5.63	1,528

Location and Station Identification

Requested Location	Tilaiya, jharkhand
Weather Data Source	Lat, Lng: 23.97, 85.26 1.3 mi
Latitude	23.97° N
Longitude	85.26° E

GREEN DEPOSIT IMPACT ANALYSIS REPORT

1 Introduction

On 11 April 2023, the Reserve Bank of India issued a Framework for Acceptance of Green Deposits. The framework is effective from 1 June 2023. Bank of India (BOI) introduced green deposits in January 2024. The policy was duly approved by the board on 24-01-2024 and subsequently reviewed and approved by the board on 25-02-2025. These deposits are governed under the framework prepared by BOI -Green Deposit & Financing Framework Policy, which is aligned with the Reserve Bank of India (RBI) framework for accepting green deposits, issued on April 11, 2023. However, the bank has not undertaken a second-party opinion on the policy as per RBI guidelines.

2. Scope of the engagement

BOI engaged with CARE Analytics and Advisory Private Limited (CAAPL) to prepare a Green Deposit Impact Analysis Report. The impact analysis report covers the period from April 1, 2024, to Mar 31, 2025.

Key Aspects of the RBI framework for accepting green deposits.

The RBI introduced the framework for acceptance of green deposits, effective from June 1, 2023, encourages banks and NBFCs to mobilize funds for green activities by earmarking deposits for such purposes, requiring board-approved policies, and mandating third-party verification and impact assessments.

Key Features	Description
Purpose	To mobilize financial resources towards green activities and projects, including renewable energy, green transport, and green buildings.
Effective Date	June 1, 2023.
Applicability	Scheduled Commercial Banks, including SFBs, but excluding Regional Rural Banks (RRBs).
Green Deposits	Interest-bearing deposits are earmarked for allocation towards green finance.
Mandatory Policies	Banks and NBFCs must have board-approved policies for accepting and utilizing green deposits
Third-Party Verification	The use of green deposit funds must be verified by a third party.
Exclusions	Activities involving fossil fuels, nuclear power, tobacco, etc., are excluded.
Reporting and Disclosures	Banks must maintain transparent and comprehensive reporting on green deposit mobilization, fund utilization, and impact assessment.

3 BOI's Green Deposit Policy

In January 2024, the Bank of India (BOI) has developed a Green Deposit & Financing framework Policy. The "Harit Jama Yojana" is Bank of India's brand initiative under the RBI's green deposit framework.

The key highlights of the policy are as follows:

1. Purpose: To draw a road map for the Issuance and allocation of green deposits, in accordance with the RBI green deposit framework dated April 11, 2023.
2. Use of Proceeds: Proceeds of green deposits shall be used only to finance/ invest in eligible green activities/ projects. Eligible green activities/ projects include Renewable Energy, Waste Management, Clean Transportation, Energy Efficiency and Afforestation/ Reforestation as per RBI green deposit framework.
3. Temporary allocation of green deposit proceeds: Bank shall arrange temporary allocation (which would only be in liquid instruments up to a maximum original tenure of one year, as specified under the Financing Framework) of green deposit proceeds, pending their allocation to the eligible activities/projects. The bank shall provide details of the investment made in liquid instruments at a yearly interval.
4. Project Evaluation: The green deposit proceeds shall be used only to finance/ or to invest in the projects that fall under the eligible green activities/ projects prescribed by RBI.
5. Sustainability Focus: Funds are allocated to projects in renewable energy, energy efficiency, and other eco-friendly sectors.
6. Transparency: Includes third-party verification, impact assessments, and regular reporting to ensure accountability.

4 Green Deposit Impact Assessment

The Green deposit raised through Harit Jama Yojana has been allocated to Green Valley Renewable Energy Limited (GVREL). It is a 50:50 Joint Venture between NTPC Green Energy Limited (NGEL) and Damodar Valley Corporation (DVC). The first phase of the project cost is Rs 1,250 Crores for generating 310 MW of power. BOI & State Bank of India (SBI) are financing the first phase of the project on a consortium basis (50% share each); thus, BOI's total financing is 625 Crores. The power generation assigned to BOI will be 155 MW. The impact report has considered 155 MW capacity for assessment.

Since the project is not yet operational, the impact assessment has been carried out based on assumptions. In the absence of actual power generation data, the estimated power output has been calculated using the plant's installed capacity. Based on the data provided by PVWatts, the average annual capacity for both plants is 1,500 kWh. This data serves as the basis for further analysis. Below are the allocation details:

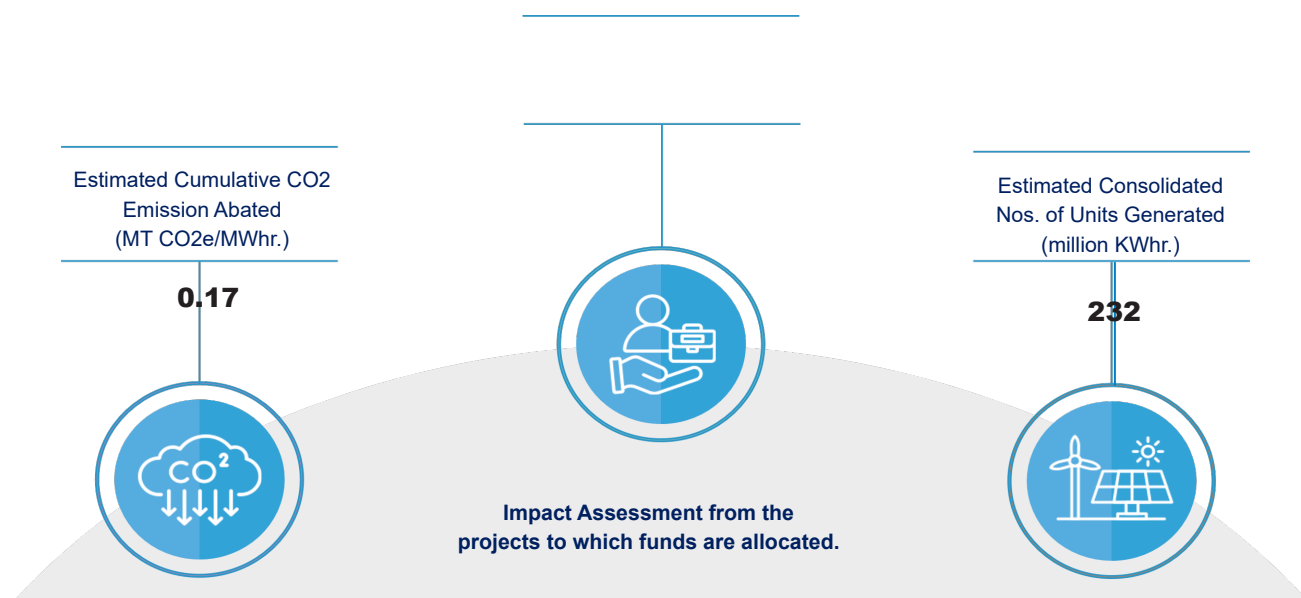
Green Deposit Impact Assessment							
1	2	3	4	5	6	7	8
Sr No	Name of the project	Green deposit Amount allocated as on 31.03.2025 (Rs crore)	MW Capacity	KW generates per year (kwh)*	Total KW generated =MW capacity into kwh/year	kwh to Million kwh	Cumulative CO2 Emission Abated (MT CO2e / MWhr.)*
					$(4*5*1000)$	$(6*10^6)$	$7((K5*0.727/10^3),3)$
1	Green Valley Renewable Energy Limited (GVREL)	33.54	155	1500	23,25,00,000	232.50	0.17

- 1) **To calculate abated emissions, we have referred to the weighted average emission factor (0.727 TCO2/MWh electricity) provided by the Central Electricity Authority. This factor is combined with the energy generation data from renewable sources to arrive the specific CO2-equivalent (CO2eq) for power generation in India.
 - 2) There is no unused portion of the Green Deposit portfolio of the bank as on 31.03.2025
- * <https://pwwatts.nrel.gov/pwwatts.php> NREL PV Watts calculator was used for getting estimated generation for 1kW capacity plant at 2 locations (Tilaiya & Panchet, Jharkhand). The estimated values of the calculator are attached for reference. Rounding off the values (1472kWh/yr & 1529kWh/yr, we have considered an average figure of 1500kWh/year). Please refer Annexure 2 and 3 for more details.

5. Unutilised Proceeds

There is no unused portion of the Green Deposit portfolio of the bank as on 31st March 2025.

6. Impact assessment



To perform green deposit impact analysis, CAAPL sought detailed information materials to obtain all the evidence, information and explanations that it considered necessary to arrive at a meaningful conclusion. The following is the list of information checklists we referred to

General requirements:

- Details on Use of proceeds
- List of nominated projects and activities
- Management and Reporting practices

Specific requirements on deployment of funds:

- Evidence on the amount allocated
- Evidence of tracking and reporting of proceeds

Specific requirements for Deposit:

- Amount Deployed

7. Portfolio information

Particulars	Current Financial Year (2024-25) (Amount in ₹ Crore)	Previous Financial Year (2023-24) (Amount in ₹ Crore)	Cumulative* (Amount in ₹ Crore)
Total green deposits raised (A)	33.54	Nil	33.54
Use of green deposit funds**			
(1) Renewable Energy (Solar project)	33.54	Nil	33.54
(2) Energy Efficiency	-	-	-
(3) Clean Transportation (EV car finance)	-	-	-
(4) Climate Change Adaptation	-	-	-
(5) Sustainable Water and Waste Management	-	-	-
(6) Pollution Prevention and Control	-	-	-
(7) Green Buildings	-	-	-
(8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	-	-	-
9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	-	-	-
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	33.54	nil	33.54
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	NIL	NIL	NIL
Details of the temporary allocation of the green deposit proceeds pending them allocation to the eligible green activities/projects	NIL	NIL	NIL
*This shall contain the cumulative amount since the RE started offering green deposits. For example, if a bank has commenced raising green deposits from June 1, 2023, then the annual financial statement for the period ending March 31, 2025, would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023, till March 31, 2025. **Under each category, REs may provide sub-categories based on the funds allocated to each sub-sector. For example, REs may provide sub-categories like solar energy, wind energy, etc. under “Renewable Energy.”			

Format Source: <https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=12487&Mode=0> Data provided by the State Bank of India

8. Work undertaken

To reach our conclusion we:

- Referred RBI framework for accepting green deposits
- Reviewed the BOI's Green Deposit & Financing framework Policy
- Held conversations with management and key personnel involved in the Green Deposit deployment to assess the implementation of processes, systems, and controls outlined in the Green Deposit Policy and RBI framework for accepting green deposits.
- We have referred to a list of accounts provided by BOI to which green deposits proceeds have been allocated. The performance of the projects has been assessed in line with the criteria defined in the RBI framework for accepting green deposits.
- Checked a Dashboard (ref annexure 1) where allocation and criteria has been defined and maintained a live record of all green deposit transactions as per the RBI Green Deposit framework with a maker-checker process.
- Confirmed the amount of deposit proceeds allocated to nominated projects and assets through examination of BOI's internal system for tracking the same. The data has been provided by BOI.

9. Conclusion

The following conclusion is based on the work performed and evidence obtained, and the scope of our engagement described above.

CareEdge Advisory believes that the green deposits raised during January 2024- March 2025 is aligned with the BOI green deposit policy & financing framework policy and the Reserve Bank of India (RBI) framework for accepting green deposits, issued on April 11, 2023.

10. BOI's Management's responsibilities

The management of the BOI is responsible for ensuring the deployment of green deposits is align with the BOI Green deposit policy and Reserve Bank of India (RBI) framework for accepting green deposits, issued on April 11, 2023.

11. Specific limitation and exclusion

CAAPL green deposit impact analysis report is subject to the following limitations, as we have not been engaged to:

- BOI's financial statements and economic performance
- Verify the BOI's statements that describe the expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim or future intention or global socio-economic and environmental aspects provided by the BOI.

12. CAAPL's responsibilities

CAAPL's responsibility is limited to the extent of providing impact analysis for the Deposit allocation basis BOI green deposit policy and RBI green deposit framework in relation to the procedures performed and the evidence obtained. We conducted our engagement with a multidisciplinary team which included professionals with suitable skills and experience in understanding environment, social and governance practices.

This green deposit impact analysis report is made solely to the BOI by the team of our engagement, which includes an agreed arrangement for disclosure. Any party other than the BOI who obtains access to our impact assessment report or a copy thereof and chooses to rely on our impact assessment report will do so at its own risk. To the fullest extent permitted by law, we accept or assume no responsibility and deny any liability to any party other than the issuer for our work, for this Green Deposit Impact Assessment Report or for the conclusions we have reached.

Annexure 1

Centre	Scheme Code	Amount as on 31-03-2025 (In Crores)	Number of Accounts
01.FGMO PATNA	HARIT JAMA YOJANA DBD	0.59	15
02.FGMO CHANDIGARH	HARIT JAMA YOJANA DBD	1.26	35
03.FGMO KOLKATA	HARIT JAMA YOJANA DBD	7.54	252
04.FGMO AHMEDABAD	HARIT JAMA YOJANA DBD	4.51	88
05.FGMO RANCHI	HARIT JAMA YOJANA DBD	2.91	70
06.FGMO BHOPAL	HARIT JAMA YOJANA DBD	3.04	84
07.FGMO NEW DELHI	HARIT JAMA YOJANA DBD	0.23	9
08.FGMO BHUBANESWAR	HARIT JAMA YOJANA DBD	1.17	23
09.FGMO CHENNAI	HARIT JAMA YOJANA DBD	2.64	184
10.FGMO HYDERABAD	HARIT JAMA YOJANA DBD	2.55	71
11.FGMO LUCKNOW	HARIT JAMA YOJANA DBD	3.79	101
12.FGMO MUMBAI	HARIT JAMA YOJANA DBD	1.71	25
13.FGMO PUNE	HARIT JAMA YOJANA DBD	1.58	38
Grand Total		33.51	995

Annexure 2

5/23/25, 5:30 PM

PVWatts Calculator



Caution: Photovoltaic system performance predictions calculated by PVWatts® include many inherent assumptions and uncertainties and do not reflect variations between PV technologies nor site-specific characteristics except as represented by PVWatts® inputs. For example, PV modules with better performance are not differentiated within PVWatts® from lesser performing modules. Both NREL and private companies provide more sophisticated PV modeling tools (such as the System Advisor Model at [//sam.nrel.gov](https://sam.nrel.gov)) that allow for more precise and complex modeling of PV systems.

The expected range is based on 30 years of actual weather data at the given location and is intended to provide an indication of the variation you might see. For more information, please refer to this NREL report: The Error Report.

Disclaimer: The PVWatts® Model ("Model") is provided by the National Renewable Energy Laboratory ("NREL"), which is operated by the Alliance for Sustainable Energy, LLC ("Alliance") for the U.S. Department Of Energy ("DOE") and may be used for any purpose whatsoever.

The names DOE/NREL/ALLIANCE shall not be used in any representation, advertising, publicity or other manner whatsoever to endorse or promote any entity that adopts or uses the Model. DOE/NREL/ALLIANCE shall not provide any support, consulting, training or assistance of any kind with regard to the use of the Model or any updates, revisions or new versions of the Model.

YOU AGREE TO INDEMNIFY DOE/NREL/ALLIANCE, AND ITS AFFILIATES, OFFICERS, AGENTS, AND EMPLOYEES AGAINST ANY CLAIM OR DEMAND, INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS' FEES, RELATED TO YOUR USE, RELIANCE, OR ADOPTION OF THE MODEL FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER. THE MODEL IS PROVIDED BY DOE/NREL/ALLIANCE 'AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY

RESULTS

1,472 kWh/Year*

Month	Solar Radiation (kWh / m ² / day)	AC Energy (kWh)
January	5.34	127
February	6.08	127
March	6.54	148
April	6.62	141
May	6.21	136
June	5.43	117
July	4.20	96
August	4.52	103
September	5.06	111
October	5.91	135
November	5.08	116
December	4.80	114
Annual	5.48	1,471

Location and Station Identification

Requested Location	Panchet, jharkhand
Weather Data Source	Lat, Lng: 23.69, 86.74 1.2 mi
Latitude	23.69° N
Longitude	86.74° E

Annexure 3

5/23/25, 5:28 PM

PVWatts Calculator



Caution: Photovoltaic system performance predictions calculated by PVWatts® include many inherent assumptions and uncertainties and do not reflect variations between PV technologies nor site-specific characteristics except as represented by PVWatts® inputs. For example, PV modules with better performance are not differentiated within PVWatts® from lesser performing modules. Both NREL and private companies provide more sophisticated PV modeling tools (such as the System Advisor Model at sam.nrel.gov) that allow for more precise and complex modeling of PV systems.

The expected range is based on 30 years of actual weather data at the given location and is intended to provide an indication of the variation you might see. For more information, please refer to this NREL report: The Error Report.

Disclaimer: The PVWatts® Model ("Model") is provided by the National Renewable Energy Laboratory ("NREL"), which is operated by the Alliance for Sustainable Energy, LLC ("Alliance") for the U.S. Department Of Energy ("DOE") and may be used for any purpose whatsoever.

The names DOE/NREL/ALLIANCE shall not be used in any representation, advertising, publicity or other manner whatsoever to endorse or promote any entity that adopts or uses the Model. DOE/NREL/ALLIANCE shall not provide any support, consulting, training or assistance of any kind with regard to the use of the Model or any updates, revisions or new versions of the Model.

YOU AGREE TO INDEMNIFY DOE/NREL/ALLIANCE, AND ITS AFFILIATES, OFFICERS, AGENTS, AND EMPLOYEES AGAINST ANY CLAIM OR DEMAND, INCLUDING REASONABLE ATTORNEYS' FEES, RELATED TO YOUR USE, RELIANCE, OR ADOPTION OF THE MODEL FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER. THE MODEL IS PROVIDED BY DOE/NREL/ALLIANCE AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY

RESULTS

1,529 kWh/Year*

Month	Solar Radiation (kWh / m ² / day)	AC Energy (kWh)
January	5.69	137
February	6.04	129
March	6.72	155
April	7.21	156
May	6.56	144
June	5.27	114
July	4.30	98
August	4.40	101
September	4.87	109
October	5.64	130
November	5.67	130
December	5.18	125
Annual	5.63	1,528

Location and Station Identification

Requested Location	Tilaiya, jharkhand	
Weather Data Source	Lat, Lng: 23.97, 85.26	1.3 mi
Latitude	23.97° N	
Longitude	85.26° E	

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

1. वैश्विक परिदृश्य

वर्ष 2024 हेतु वैश्विक मत, सजग आशावाद, सामान्य राजकोषीय नीति, उच्च सार्वजनिक ऋण, सीमित निवेश, कम मुद्रास्फीति और स्थिर विकास आंकड़ों की विशेषता की थी, जिसने वैश्विक स्थिरता को रोक दिया। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली शून्य-संचय खेल (zero sum game) की व्यवस्था के तहत काम कर रही है, तथा विश्व के एक ओर से आने वाली शॉक वेव ने दूसरी ओर के आर्थिक संकेतकों को स्थिर किया है। प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियों के लागू होने से कुछ उभरते बाजार आस्तियों के वित्तीय प्रवाह में तेजी आई, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार का स्वरूप में बदलाव हुआ।

वर्ष 2024 में वैश्विक व्यापार रिकॉर्ड 33 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जो वर्ष 2023 से 3.7% अधिक है, जिसमें सेवा व्यापार का योगदान आधा है। एशिया ने दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का अनुसरण करते हुए अपने व्यापारिक निर्यात की मात्रा में 8.5% की अधिक वृद्धि में योगदान दिया। COP29 में कार्बन सीमा समायोजन पर चर्चा के लिए यह आवश्यक है कि विकासशील देशों पर बोझ डाले बिना, आयातित वस्तुओं पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर टैरिफ लगाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाए।

व्यापार नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष 2025 को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है एवं पूर्वानुमान, निवेश और भविष्य के आर्थिक दृष्टिकोण को नुकसान पहुंच सकता है।

2. घरेलू आर्थिक परिदृश्य

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार विकास की गति प्रदर्शित की, जिससे एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई। यह प्रगति मजबूत एफडीआई प्रवाह, विस्तारित निर्यात क्षेत्र, तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे के खर्च और प्रगति के साथ राजकोषीय विवेकशीलता को प्राथमिकता देने से स्पष्ट हुई।

वर्ष 2024, जिसमें दुनिया भर के 60 देशों में चुनाव हुए, लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक वर्ष माना जाता है, और भारत इसका कोई अपवाद नहीं था, जिसने तीसरी बार सत्ता में वापसी की। प्रशासन ने महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए हैं, और उभरते क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया है। साहसिक नीतिगत बदलाव, रोजगार सृजन में तेजी, सतत विकास के लिए ठोस प्रयास, मांग में संतुलन और प्रौद्योगिकी के कारण नवाचार देश के विकास की कहानी की आधारशिला रहे हैं।

एनएसओ के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% की वृद्धि होने का अनुमान रहा है, जो कि सेवा निर्यात वृद्धि, बढ़े हुए विदेशी मुद्रा भंडार, मजबूत खाद्यान्न उत्पादन और बिजली क्षेत्र में क्षमता वृद्धि सहित मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारकों से प्रेरित है।

आईएमएफ के अनुसार, 2025 हेतु भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति जीडीपी 2,880 डॉलर है, जो 2015 से 1590 डॉलर अधिक है। यह वृद्धि, जो 81

प्रतिशत दशकीय वृद्धि को दर्शाती है, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक गतिविधि का विस्तार, रोजगार परिदृश्य में बदलाव एवं मजबूत बाजार क्षमता के कारण है।

चूंकि भारत वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए वर्ष 2024-25 हेतु 'विकसित भारत' के तहत एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें 'रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन', 'प्रधानमंत्री इंटरनेट', 'आईटीआई का कौशल विकास एवं उन्नयन', कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेच की स्थापना जैसी पहलों के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है।

वित्त वर्ष 2026 का बजट लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को रेखांकित करते हुए, आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है। 4.5% से कम राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता, सकल कर में सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को 12% तक सुधारने का प्रयास, व्यतिक्रम शुल्क ढांचे को सही करने के उद्देश्य से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) दर में पुनर्संरक्षण, रुके हुए आवास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए रु. 15,000 करोड़ के कोष के साथ किफायती मध्यम आय आवास (स्वामी) कोष 2.0 के लिए विशेष विंडो की स्थापना, ऐसे कई व्यवधान में से कुछ हैं जो विकसित भारत 2047 के लिए लॉच पैड के रूप में कार्य करेंगे।

3. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में प्रगति:

वित्तीय वर्ष 2025 में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वित्तीय झटकों का सामना करने में निरंतर तत्पर रहने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वार्षिक लाभ बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है। बैंकिंग क्षेत्र ने स्लिपेज में कमी, राइट ऑफ में वृद्धि, खराब आस्तियों के संचय में घटोतरी और सतत क्रेडिट वृद्धि करते हुए सकल एनपीए को सितंबर 2024 में 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर 2.6% पर लाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में जमाराशियों में वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष लगभग 10.25% और तिमाही-दर-तिमाही 2.3% रही - जो वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में तिमाही-दर-तिमाही 2.6% की वृद्धि में थोड़ा कम है। जब क्रेडिट में वृद्धि, जमाराशियों में वृद्धि के मुकाबले अधिक हो जाती है तो इनके बीच कम होने वाले अंतर के कारण एनआईएम पर दबाव पड़ने से बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होती है। नवंबर 2023 में 15.2% वार्षिक वृद्धि के मुकाबले नवंबर 2024 में 11.8 प्रतिशत वृद्धि, समग्र बैंक क्रेडिट में मंदी के रूप में यह संकेत देती है कि स्वाभाविक सुधार जारी है।

बाजार तरलता में कमी और उच्च आधार प्रभाव के कारण वित्तीय वर्ष 2025 में क्रेडिट विस्तार घटकर वर्ष-दर-वर्ष 11 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पूर्व 20.2 प्रतिशत था। जबकि उद्योग क्षेत्र में क्रेडिट में वृद्धि धीमी रही, कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में यह लगभग आधी रही। अग्रणी उद्योगों में, 'पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन', 'मूल धातु और धातु उत्पाद', 'इंजीनियरिंग' और 'निर्माण' के बकाया क्रेडिट में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई।

सिलसिलेवार रणनीतिक दखलों, कॉर्पोरेट कार्रवाइयों और निवेशकों के बढ़ते आत्मविश्वास ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान की। इसके अलावा, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उत्कृष्ट परिणाम घोषित करने के बाद सिस्टम क्रेडिट वृद्धि में अपेक्षित सुधार होने की संभावना है, क्योंकि तरलता की स्थिति सुधर रही है और ब्याज दरें कम हो रही हैं।

भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2018 में ईज सुधार एजेंडा का अनावरण किया गया था, जिसकी शुरुआत नवंबर, 2017 में आयोजित 'पीएसबी मंथन' में हुई थी। ईज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक कॉमन सुधार एजेंडा है जिसका उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। सुधार प्रक्रिया जनवरी 2018 में ईज 1.0 के पहले संस्करण के शुभारंभ से शुरू हुई। जहां पहले संस्करण ईज-1.0 ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों की नींव रखी, वहीं बाद के संस्करण 2.0 से 7.0 ने प्रक्रियाओं और प्रणालियों को मजबूत करके और परिणामों को आगे बढ़ाकर सुधार यात्रा को अपरिवर्तनीय बना दिया।

वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी मुद्रा अभूतपूर्व अस्थिरता और बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के बीच उथल-पुथल भरे दौर से गुजरी। रुपये ने वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव का सामना किया है। मुद्रा पर इस अतिरिक्त दबाव को अंततः आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में चरणबद्ध तरीके से 36 बिलियन डॉलर की बिक्री के माध्यम से हस्तक्षेप करके कम किया गया। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव के कारण रुपया कमजोर पड़ गया था, तथा इसमें और अधिक गिरावट आ रही थी, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में इसमें तेजी से सुधार हुआ। एक ऐसे परिस्थितिकी तंत्र में जहां लचीलापन प्रभावकारिता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, वहां भारतीय अर्थव्यवस्था की बाह्य प्रतिकूलताओं से निपटने की क्षमता को रुपये का दायरा निर्धारित करेगा।

केंद्रीय बजट 2025 में कुछ प्रमुख उद्योग आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया गया है, और प्रस्तावित पहले प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि और प्रगति हासिल करने में मदद करेगी, जिससे क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास, स्थिरता और समावेशिता हेतु एक मजबूत आधार बनेगा। ग्रामीण उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' का शुभारंभ, एक संशोधित केंद्रीय केवाईसी प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव, पुराने नियमों की समीक्षा करने और अनुपालन प्रथाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना, ऐसे निर्देशित सुधार हैं जो बैंकिंग उद्योग के लिए तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करेंगे।

बीएफएसआई मॉड्यूल पर विशिष्ट जोखिमों का दबाव बना रहेगा, जहां प्रशासनिक चूक उद्योग की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और लेखापरीक्षा कार्यों संबंधी सतर्कता की बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

कारोबार समीक्षा:

1. संसाधन संग्रहण:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 3.86% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्ज करते हुए कासा में कुल रु. 10,412 करोड़ की वृद्धि हुई है। इस उक्त

अवधि के दौरान बचत जमा राशियों में वर्ष दर वर्ष 3.46% की वृद्धि के साथ रु. 8,190 करोड़ की वृद्धि हुई है। बैंक ने वर्ष दर वर्ष 6.66% की वृद्धि के साथ रु. 2,222 करोड़ की वृद्धि करते हुए चालू जमा राशियों में उच्चतर वृद्धि दर्ज की है। बैंक की मीयादी जमा पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष 15.45% की वृद्धि के साथ रु. 55,602 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। बैंक की कुल जमा राशियों में वर्ष-दर-वर्ष 11.21% की वृद्धि के साथ रु. 70,581 करोड़ की वृद्धि हुई है।

हमारे बचत पोर्टफोलियो में कुल 15,916 नए एचएनआई बचत ग्राहक जोड़े गए, जिनका प्रति खाता औसत शेष रु. 5,00,000/- एवं उससे अधिक है और इसमें वर्ष-दर-वर्ष 2.65% की वृद्धि हुई है, जिससे बैंक के समग्र बचत पोर्टफोलियो में रु. 567 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार, हमारे चालू खाता पोर्टफोलियो में कुल 2619 नए चालू जमा एचएनआई ग्राहक जोड़े गए, जिनका प्रति खाता औसत शेष रु. 2,00,000/- और उससे अधिक है और इसमें वर्ष-दर-वर्ष 2.01% की वृद्धि हुई है, जिससे बैंक के समग्र चालू जमा पोर्टफोलियो में रु. 820 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि हुई है।

कासा पर निरंतर फोकस और ग्राहक अधिग्रहण पर जोर देने के साथ, वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर बैंक का कासा अनुपात 40.28% रहा।

2. अग्रिम :

बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम 31.03.2024 को रु.5,85,595 करोड़ से बढ़कर 31.03.2025 को रु.6,66,047 करोड़ हो गया, जो 13.74% की मजबूत साल-दर-साल वृद्धि को दर्शाता है। सकल घरेलू ऋण में 14.45% की स्थिर वृद्धि देखी गई, जो इसी अवधि में रु.4,92,392 करोड़ से बढ़कर रु.5,63,550 करोड़ रहा। कॉर्पोरेट्स और मध्यम आकार के उद्यमों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक सहायक महाप्रबंधकों और मुख्य प्रबंधकों के नेतृत्व में अन्य प्रमुख शाखाओं के साथ-साथ नौ बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं का परिचालन करता है। मध्य-कॉर्पोरेट ऋण को और मजबूत करने के लिए, वित्तीय वर्ष 24-25 में रणनीतिक स्थानों पर 10 नई एमजिंग कॉर्पोरेट ऋण शाखाएँ (ECCB) स्थापित की गईं।

हरित ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने एक समर्पित हरित वित्तपोषण कक्ष की स्थापना की है। यह विशेष इकाई धारणीय निवेश को बढ़ावा देने, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने और हरित अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले वित्तीय समाधानों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। हरित वित्त को प्राथमिकता देकर, बैंक सक्रिय रूप से उन व्यवसायों और पहलों का समर्थन कर रहा है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के साथ संरेखित हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के देश के मिशन समर्थन के लिए, बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने में वृद्धि की है, जिससे तेज़, अधिक सुरक्षित और कुशल लेनदेन सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, हम अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सेवा उपलब्धता को डिजिटल बनाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पहुंच में सुधार करने के लिए कई मोर्चों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये प्रयास तकनीकी नवाचार के

प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं, जिससे व्यवसायों को आसान और विश्वसनीयता के साथ डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

3. रिटेल:

बैंक का रिटेल ऋण पोर्टफोलियो 31/03/2024 को 1,11,484 करोड़ रुपए से बढ़कर 31/03/2025 को 1,33,699 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें 22,215 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 19.93% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। हमने वर्ष के दौरान आवास ऋण और वाहन ऋण खंडों पर अपना विशेष ध्यान जारी रखा।

वर्ष के दौरान आवास ऋण के क्षेत्र में 14.75% की वृद्धि दर्ज की गई जो 59,107 करोड़ रुपए से बढ़कर 67,826 करोड़ रुपए हुई। वर्ष के दौरान वाहन ऋण के क्षेत्र में 25.16% की वृद्धि दर्ज की गई जो 16,641 करोड़ रुपए से बढ़कर 20,828 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष के दौरान वाहन ऋण हेतु ऑटो विनिर्माताओं के साथ टाई-अप व्यवस्था से वाहन ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद मिली।

हमारे बैंक ने कर्मचारियों के साथ टाई-अप व्यवस्था के तहत कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के कर्मचारियों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट/संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए हमारे रिटेल उत्पादों हेतु विशेष रियायतें अनुमोदित की हैं।

रिटेल ऋण में वृद्धि मुख्य रूप से दो प्रमुख ऋण क्षेत्रों द्वारा योगदान दिया गया है; जैसे आवास ऋण और वाहन ऋण। हम ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिग्रहण और ग्राहकों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हम प्रतिभूत रिटेल पोर्टफोलियो के शेयर में वृद्धि हेतु बंधक संपत्तियों पर ऋण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हम आकर्षक उत्पाद सुविधाओं के माध्यम से शिक्षा ऋण क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हमने अपने एलओएस को पीएम सूर्य घर योजना हेतु पीएम सूर्य घर पोर्टल और शिक्षा ऋण हेतु पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है। इसके अलावा, हमने वर्ष के दौरान सभी रिटेल ऋण उत्पादों जैसे व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, संपत्ति पर ऋण और आवास ऋण हेतु डिजिटल यात्रा शुरू की है।

4. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम):

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है तथा निम्न प्रति व्यक्ति निवेश से अर्थव्यवस्था की विकेंद्रीकृत वृद्धि द्वारा आय और रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमएसएमई क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% और कुल निर्यात में 40% है।

मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ईज रिफॉर्म जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान देने के कारण बैंक स्तर पर एमएसएमई ऋणों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।

एमएसएमई खंड के अंतर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

सकल एमएसएमई अग्रिम (पीडबल्यूओ व यूआरआई को छोड़कर)					
विवरण	मार्च-24	दिस-24	मार्च-25	वर्ष दर वर्ष वृद्धि	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)
सकल एमएसएमई	76,559	89,134	90,639	14,080	18.39%

वित्तीय वर्ष 2024-25 की विशेषताएँ :

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान रु. 36,268 करोड़ की मंजूर सीमा के साथ 2,47,088 नए खाते खोले गए। इन नए खातों ने एमएसएमई बुक में रु. 24,518 करोड़ का योगदान दिया है।
- मुद्रा ऋण- वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान, बैंक ने रु. 12,496 करोड़ की कुल मंजूर राशि पर रु. 11,005 करोड़ का संवितरण किया।
- टीआरडीएस (TReDS)- बैंक ने 64.83% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ रु. 6827.41 करोड़ की बकाया सीमा प्राप्त की है।
- बैंक ऑफ इंडिया को एमएसएमई वृद्धि हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच (SKOCH) गोल्ड अवार्ड मिला है।
- एसएमईसीसी/यूसी का पुनर्गठन: एसएमईसीसी एवं यूसी की संख्या 116 से बढ़कर 136 हो गई है और रु.10 लाख और इससे अधिक के सभी प्रस्तावों का केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण सुगमता से हो रहा है। इससे विभिन्न दूरस्थ शाखाओं की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ टर्नअराउंड समय में सुधार हुआ है।
- हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड (एचएलएफएल) के साथ करार - बैंक ने वाणिज्यिक वाहन खंड में फ्लीट फाइनेंस विकसित करने हेतु हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड (टीएमएफएल) के साथ करार - बैंक ने वाणिज्यिक वाहन खंड में कारोबार को मजबूत करने हेतु टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड (टीपीएसएसएल) के साथ करार - बैंक ने आसान और किफायती वित्तपोषण प्रदान करने हेतु टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जो रूफटॉप सोलर और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में तेजी लाने में योगदान देता है।
- एमएसई-गिफ्ट (ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन) योजना और एमएसई-स्पाइस (वृत्तीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए योजना) योजना के लिए भागीदार ऋण संस्थान के रूप में बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान, बैंक ने क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान को बढ़ाने और क्लस्टर आधारित वित्त योजना हेतु वित्तीय समाधान विकसित करने के लिए "प्रोजेक्ट सक्षम" लॉन्च किया है।

- “बीओआई स्टार युवा उद्यमी” योजना युवाओं के नेतृत्व वाली एमएसएमई संस्थाओं को सरलीकृत वित्तपोषण समाधान और परेशानी मुक्त नकदी प्रवाह आधारित वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
- महिला उद्यमियों हेतु रियायती ऋण के साथ एक विशिष्ट उत्पाद तैयार करने के उद्देश्य से ‘बीओआई स्टार उद्यमी वनिता’ योजना शुरू की गई है।
- “बीओआई स्टार एमएसएमई थाला” योजना एमएसएमई इकाइयों हेतु पट्टे/किराया छूट के साथ यात्रा और पर्यटन, आतिथ्य, रसद और बुनियादी ढांचे जैसे उभरते चैंपियन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू की गई है।

5. कृषि वित्त:

ए) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम:

- बैंक अपने ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से कृषि और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उत्थान के लिए काम कर रहा है।
- बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत 2,13,227 करोड़ रुपये (मार्च-25 एनबीसी का 45.05%) की बकाया राशि स्तर को प्राप्त किया है।
- कृषि के अंतर्गत बकाया राशि 1,00,126 करोड़ रुपये था, जो मार्च-25 एनबीसी का 21.15% है, जिसमें से एसएफ और एमएफ के लिए बकाया राशि 58,185 करोड़ रुपये (मार्च-25 एनबीसी का 12.29%) है।
- एमएसएमई-सूक्ष्म के अंतर्गत बकाया राशि 46,215 करोड़ रुपये (मार्च-25 एनबीसी का 9.76%) है।
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र - शिक्षा ऋण में बकाया राशि स्तर 2,434 करोड़ रुपये, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र - आवास ऋण 20,565 करोड़ रुपये है और अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 16 करोड़ रुपये है।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र, कृषि, एसएफ और एमएफ, एमएसएमई सूक्ष्म और कमजोर वर्गों को ऋण के अंतर्गत विनियामक अनुपातों को प्राप्त किया है।

विवरण	वास्तविक बकाया राशि मार्च -24 (लेखापरीक्षित)	वास्तविक बकाया राशि दिसंबर -24 (लेखापरीक्षित)	वास्तविक बकाया राशि मार्च -25 (लेखापरीक्षित)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (मार्च 24/मार्च 25) राशि	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (मार्च 24/मार्च 25) %	ए.एन.बी. सी मार्च 25 तिमाहियों का %	विनियामक-कीय आवश्यकताएं
एनबीसी	4,16,035	4,58,281	4,73,348				
1) कृषि	84,445	96,920	1,00,126	15,681	18.57	21.15	18
2) लघु एवं सीमांत किसान	53,362	53,867	58,185	4,823	9.04	12.29	10
3) सूक्ष्म उद्यम	43,128	46,630	46,215	3,087	7.16	9.76	7.5
प्राथमिकता क्षेत्र	1,83,459	2,07,213	2,13,227	29,768	16.23	45.05	40

* आरआईडीए एवं पीएसएलसी के बकाया सहित कुल कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र।

- कृषि के अंतर्गत बैंक शाखाओं ने रु. 74,962 करोड़ रुपये संवितरित की जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लघु एवं सीमांत किसानों को कुल रु. 40,959 करोड़ संवितरित किए गए।
- हमारे बैंक ने पीएसएलसी - एसएफ¹ एमएफ के अंतर्गत रु.7,000 करोड़ रुपये बेचे हैं और पीएसएलसी - कृषि के अंतर्गत रु.7,000 करोड़ रुपये खरीदे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएसएलसी के व्यापार से शुद्ध अर्जन रु.111.26 करोड़ रुपये रही, जिसमें जीएसटी भी शामिल है।
- बैंक ने लचीले ऋण उपयोग के लिए रु.9,606 करोड़ रुपये के संवितरण के साथ वर्ष के दौरान 1.46 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।
- यथा मार्च,25 तक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बैंक का ऋण जोखिम 19,393 करोड़ रुपये (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 9.09%) है।
- कमजोर वर्गों के अंतर्गत यथा 31.03.2025 तक बकाया राशि रु. 73,573 करोड़ (15.54% एनबीसी मार्च-25) है।
- यथा 31.03.2025 तक बैंक का प्राथमिकता प्राप्त खाद्य एवं कृषि उद्योगों को वित्त पोषण 10,321 करोड़ रुपये है।

बी) स्वर्ण ऋण: स्वर्ण ऋण में प्रगतिशील वृद्धि आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान रु. 7,786 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई और यह 31.03.2025 तक रु 35,339 करोड़ बकाया स्तर को प्राप्त किया।

सी) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी): यथा 31.03.2025 को बैंक के पास 6.84 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का ग्राहक आधार है, जिनमें से 3.52 लाख एसएचजी ऋण से जुड़े हैं तथा उनमें से 31.03.2025 तक 3.27 लाख महिला एसएचजी शामिल हैं।

डी) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) : ग्रामीण गरीबों के लिए यह एक महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। वर्ष के दौरान, बैंक ने 95,783 स्वयं सहायता समूहों को 6,455 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

ई) कृषि प्रसंस्करण केंद्र (स्टार कृषि विकास केंद्र (एसकेवीके) और एग्री डेस्क)

- सामान्य रूप से कृषि ऋण और विशेष रूप से निवेश ऋण की पर्याप्त और सतत गुणवत्ता वृद्धि के लिए क्लस्टर क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमता का दोहन करने के लिए, टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) का पालन सुनिश्चित करते हुए, स्टार कृषि विकास केंद्र (एसकेवीके) स्थापित किए गए हैं।

- वर्तमान में, सभी 13 एफजीएमओ में 63 अंचलों में 160 एस्केवीके कार्यरत हैं, जो ऋण प्रसंस्करण के लिए 2816 ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं सहित 3347 शाखाओं से जुड़े हुए हैं।
- एस्केवीके ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15,211 करोड़ रुपए संवितरित किए।
- इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से खाद्य एवं कृषि तथा कृषि अवसंरचना व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए, गुणवत्ता आधारित विकास के लिए एसएमई सिटी केंद्रों में 134 कृषि डेस्क संचालित किए गए हैं।
- एग्री डेस्क ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 3,723 करोड़ रुपए संवितरित किए।

6. वित्तीय समावेशन:

बैंक यह मानता है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से व्यवसाय करना व्यावहारिक है तथा इस दिशा में बैंक ने अपने दृष्टिकोण को “सीएसआर” से “आर्थिक व्यवहार्यता” की ओर मोड़ दिया है। वित्तीय क्षेत्र की अपेक्षानुसार अत्यंत कम लागत के संव्यवहारों को समर्थित करने एवं संरक्षित करने हेतु आईसीटी आधारित समाधान का प्रयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) से वित्तीय समावेशन अभियान को गति प्राप्त हुई है। आईसीटी द्वारा समर्थित व्यापार संपर्की मॉडल के नेतृत्व में आई.सी.टी. के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ने ये सेवाएं दी हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

पीएमजेडीवाई एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:

वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान 16.42 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए। भारत सरकार द्वारा चलाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बैंक की सक्रिय भागीदारी रही है। वर्ष (2024-25) के दौरान बैंक ने पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के अंतर्गत 36.92 लाख खाते एवं पीएमजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) के तहत 18.35 लाख खाते इस अवधि में कवर किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक द्वारा 5.84 लाख नए एपीवाई (अटल पेंशन योजना) अभिदाता जोड़े गए हैं।

स्टार हॉकर आत्मनिर्भर लोन (एसएचएएल)

स्टार हॉकर आत्मनिर्भर लोन (एसएचएएल)-पीएम स्वनिधि जून 2020 में शुरू किया गया था ताकि शृंखला - I के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 12 ईएमआई में चुकाने योग्य 10,000/- तक का परेशानी मुक्त कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) प्रदान किया जा सके। पीएम स्वनिधि के तहत दूसरी शृंखला उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी जिन्होंने अपना पहला पीएम स्वनिधि ऋण चुकाया है। किस्त - II के तहत, डब्ल्यूसीडीएल रु. 20000/- (न्यूनतम रु.15000/-) तक स्ट्रीट वेंडरों को प्रदान करता है और यह 18 महीने की किस्तों में चुकाने योग्य है। किस्त - III के तहत, डब्ल्यूसीडीएल रु. 50000/- (न्यूनतम रु.30000/-) तक स्ट्रीट वेंडरों को प्रदान किया है और यह 36 महीने की किस्तों में चुकाने योग्य है। इसे 31.12.2024 से बंद कर दिया गया है, संशोधित योजना मंत्रालय के साथ प्रक्रियाधीन है।

दिनांक 31/03/2025 तक, हमने प्राप्त 6.96 लाख आवेदनों में से 6.84 लाख मामलों (98.27%) को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 6.83 लाख मामलों (संस्वीकृत आवेदनों का 99.91%) में संवितरित किए हैं।

पीएम विश्वकर्मा

सितंबर 2023 में पीएम विश्वकर्मा उन कारीगरों और शिल्पकारों के लिए शुरू किया गया था, जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं, आमतौर पर स्वरोजगार करते हैं और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होते हैं। इन व्यक्तियों को ‘विश्वकर्मा’ कहा जाता है और ये मुख्य रूप से लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि व्यवसायों में लगे हुए हैं। ये कौशल या व्यवसाय पारंपरिक प्रशिक्षण के गुरु-शिष्य मॉडल के अनुरूप पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत किया जाए। इसका लक्ष्य विश्वकर्मा (18 लक्षण) यानी कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र समर्थन प्रदान करना है, ताकि उन्हें अपने संबंधित व्यापार में मूल्य शृंखला को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का कार्यान्वयन एमएसएमई मंत्रालय, डीएफएस और वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। एमएसएमई मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है। पीएम विश्वकर्मा को शुरुआत में 2027-28 तक पाँच साल के लिए लागू किया गया है। इसमें रु. 1,00,000 तक का ऋण पहली किस्त में 5% ब्याज दर (निर्धारित) पर प्रदान किया जाएगा, जिसे 18 महीने में चुकाना होगा। रु. 2,00,000 तक का ऋण दूसरी किस्त में 5% ब्याज दर (निर्धारित) पर प्रदान किया जाएगा, जो 30 महीने में चुकाना होगा। लाभार्थी दूसरी किस्त के लिए तब पात्र होगा जब पहली किस्त का ऋण पूरी तरह से चुका दिया जाएगा। इसके अलावा, पहली किस्त के ऋण के वितरण के छह महीने से पहले दूसरा ऋण नहीं दिया जाएगा। एमओएमएसएमई बैंक को अग्रिम रूप से 8% की दर से ब्याज सहायता प्रदान करेगा।

दिनांक 31/03/2025 तक, हमने 27265 पात्र आवेदनों में से 17627 आवेदनों (65%) को मंजूरी दी है और 14663 आवेदनों (84%) में संवितरण किया।

स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):

बैंक झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु 44 आरसेटी को प्रायोजित कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आरसेटी ने 1588 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए एवं 46,566 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया और 72.57% (33791) का नियोजन सुनिश्चित करते हुए 56.06% (18535) अभ्यर्थियों को ऋण प्रदान किया गया ताकि लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। एमओआरडी द्वारा हमारी 44 आरसेटी में 43 आरसेटी को “ए” श्रेणी दी गई है और एक नई आरसेटी है, जिसे अगले दो वर्ष तक ग्रेडिंग से छूट प्राप्त है।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी):

एफएलसीसी/ एफएलसी की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के जिला केंद्रों में की गई है, जहाँ बैंक के

पास अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी है। बैंक की 49 एफएलसी सभी 49 अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा एफएलसी मामला-दर-मामला आधार पर दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए उपचारात्मक परामर्श तथा संचार माध्यमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से निवारक परामर्श भी देते हैं। 31 मार्च 2025 तक, कुल 19.77 लाख जरूरतमंद संकटग्रस्त लोगों को परामर्श दिया गया।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल): पायलट परियोजना

आरबीआई से 10 दिसंबर 2020 के पत्र के संदर्भ में, हमें सूचित किया गया कि आरबीआई ने देश के प्रत्येक ब्लॉक में मार्च 2024 तक सीएफएल की पहुँच को चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने की घोषणा की थी। हम सीएफएल पायलट प्रोजेक्ट के प्रारंभिक कार्यान्वयन के बाद से एक प्रयोजक बैंक के रूप में जुड़े हुये हैं, जो अब 01.12.2021 तक बढ़ गया है। हमें प्रायोजक बैंक द्वारा आंशिक वित्तपोषित करते हुए जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए)/ वित्तीय समावेशन निधि (एफईएफ) द्वारा कुल 186 सीएफएल को प्रायोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तदनुसार, हमने 1 दिसंबर 2021 से आरबीआई द्वारा पहचाने गए पाँच एन. जी. ओ. के सहयोग से पाँच राज्यों (झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश) में 186 सीएफएल खोले/बढ़ाए हैं। समग्र रूप से, 31.03.2025 तक कुल 186 सीएफएल ने 2,02,071 शिविर आयोजित किए एवं कुल 69,10,656 संकटग्रस्त लोगों को परामर्श दिया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

विलय के पश्चात, बैंक 3 आरआरबी को प्रायोजित कर रहा है, यथा उत्तर प्रदेश में **आर्यावर्त बैंक (एबी)**, मध्य प्रदेश में **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (एमपीजीबी)** एवं महाराष्ट्र राज्य में **विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी)**, जिनमें यथा 31.03.2025 को 82 जिलों में 2554 शाखाओं का नेटवर्क है। इन सभी प्रायोजित आरआरबी का प्रबंधन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा नियुक्त अध्यक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इनके कार्यनिष्पादन की प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक एफआई एवं आरआरबी (प्रभाग) द्वारा निगरानी की जाती है। सिस्टम जनरेट रिपोर्ट सुविधा के साथ तीनों आरआरबी की शाखाएँ एवं प्रशासनिक कार्यालय सीबीएस प्लेटफॉर्म पर है। इन आरआरबी में आरटीजीएस, एनईएफटी एवं एटीएम प्लेटफॉर्म की सुविधा है। हमारी सभी आरआरबी का कुल मिश्रित कारोबार यथा दिनांक 31.03.2025 को रु. 1,11,236 करोड़ है।

अग्रणी जिला योजना :

हमारा बैंक पूरे देश के पाँच राज्यों के 49 जिलों में (21 जिलों में फैला) अग्रणी बैंक होने का उत्तरदायित्व निभा रहा है। उनके विवरण निम्नलिखित है:

क्रमांक संख्या	राज्य के नाम	अग्रणी जिलों की संख्या	अग्रणी जिलों के नाम
1	झारखंड	15	वेस्ट सिंघभूम, सेराईकेला-खरसवान, रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, ईस्ट सिंघभूम, कोडरमा, चतरा, गिरिदिह, सिमडेगा और खुंटी

2	महाराष्ट्र	12	गडचिरोला, कोल्हापुर, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपुर, रायगड, सांगली, वर्धा, रत्नागिरी, चंद्रपुर, गोडिया और सोलापुर
3	मध्य प्रदेश	13	भोपाल, सेहोर, खंडवा, खरगोन, राजगढ़, धार, अगर-मालवा, बुरहानपुर, देवास, बरवानी, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर
4	उत्तर प्रदेश	07	बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और कन्नौज
5	ओडिशा	02	मयूरभंज और केंदुझर

ए) अग्रणी जिला प्रबंधको के मुख्य कार्यों का उल्लेख :

- जिला ऋण योजना के कार्यान्वयन की देखरेख
- वित्तीय साक्षरता केंद्रों(एफएलसी), बैंक द्वारा आरसेटी के स्थापना में संबद्ध
- बैंकों के ग्रामीण शाखाओं, एफएलसी द्वारा वित्तीय साक्षरता कैप के आयोजन में संबद्ध
- बैंक और सरकारी अधिकारियों के लिए एनजीओ/पंचायत राज संस्थान के भागीदारी में वार्षिक सुग्राहिकारण कार्यशाला का आयोजन करना
- तिमाही में जागरूकता, सामाजिक प्रतिपुष्टि बैठक, शिकायत निवारण आदि की व्यवस्था
- डीसीसी/डीएलआरसी/बीएलबीसी के उनके जिलों/खंडों में बैठकों का संचालन करना
- समय-समय पर शेष बचे हुये समस्याओं के समाधान हेतु डीडीएम/एलडी/सरकारी अधिकारियों का बैठक का आयोजन करना
- समाज के पिछड़े वर्गों और प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को देखना
- एसएलबीसी/सरकार/नबार्ड/आरबीआई को समय से डाटा को प्रस्तुत करना
- राहत उपाय (कोई भी आपदा हो) उसकी समीक्षा करना
- जिला में बैंक के विकास के लिए व्यवसाय सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना
- आकांक्षित जिलों में 4 केपीआई के अंतर्गत (कासा, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई) का निगरानी करना

अग्रणी बैंक योजना के तहत, सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार शाखाओं के नेटवर्क से योजनबद्ध विकास और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिला में संपोषणीय विकास के लिए सभी ऋण देने वाले संस्थाओं के प्रयासों का समन्वय करने की भूमिका सौंपी है। संक्षेप में अग्रणी जिला प्रबंधक वित्तीय संस्थानों और सरकार के बीच उत्प्रेरक का काम करता है। अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक का विस्तृत शाखा है जो जिला प्रशासन, नबार्ड, आरबीआई, अन्य औपचारिक / अनौपचारिक एजेंसियां जो सीधे या परोक्ष रूप से जिले के विकास में शामिल हैं, के बीच समन्वय स्थापित करती हैं।

7. अंतरराष्ट्रीय

बैंक की कुल 22 विदेशी शाखाएँ, जकार्ता (इंडोनेशिया) में 1 प्रतिनिधि कार्यालय, 4 समनुषंगी संस्थाएँ तथा 1 सहयोगी/संयुक्त उद्यम हैं, जो कि सभी टाइम ज़ोन में स्थित 5 महाद्वीपों के 15 देशों में फैले हुए हैं। दिनांक 31.03.2025 तक बैंक के वैश्विक कारोबार मिश्र में विदेशी परिचालनों का हिस्सा 14.75% रहा है।

विदेशी समनुषंगी संस्थाएँ एवं सहयोगी :

- पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
- बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड
- बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लिमिटेड
- बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड
- इंडो- ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईजेडबी) - संयुक्त उद्यम

8. ऋण निगरानी:

बैंक के ऋणों की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें सुधार लाने तथा ऋण जोखिम को कम करने के लिए ऋणों की निगरानी अनिवार्य है। ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की रक्षा करना और ऋण के गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में बदलने के जोखिम को कम करना है। स्वीकृत शर्तों के अनुपालन तथा निधियों के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करना ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य है। इसे पहचाने गए तनावग्रस्त खातों/निगरानी सूची खातों को मानक श्रेणी में वापस लाने के लिए प्रयास करना है। विभाग कमजोरियों/संभावित चूक/अपराधियों के संकेतों वाले तनावग्रस्त खातों की पहचान और निगरानी के लिए विभिन्न उपकरणों और विधियों का उपयोग कर रहा है ताकि संभावित चूक को प्रभावी ढंग से रोकने के साथ-साथ अच्छी परिसंपत्ति गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण के उपाय:

पूर्व चेतावनी संकेत:

अगस्त 2020 से हमारे बैंक में पूरी तरह से तकनीक आधारित ईडब्ल्यूएस समाधान लागू किया गया है। हमारा ईडब्ल्यूएस पूरी तरह से स्वचालित समाधान है जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित कार्य प्रवाह बनाया गया है। अलर्ट आंतरिक (सीबीएस और रेटिंग डेटा) और बाहरी डेटा (एमसीए, सीआईसी आदि) दोनों के आधार पर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न अलर्ट बैंक को शुरुआती कमजोरियों की पहचान करने और समय पर सक्रिय उपचारात्मक उपाय शुरू करने में मदद करते हैं। समाधान बैंक को खातों में धोखाधड़ी (यदि कोई हो) की प्रारंभिक पहचान करने में मदद करता है। यह समाधान शाखाओं को खातों की बारीकी से निगरानी करने में भी सक्षम बनाता है। वर्तमान में, 1.00 करोड़ रुपये से अधिक जोखिम वाले खातों में ईडब्ल्यूएस अलर्ट उत्पन्न किए जा रहे हैं।

क्रेडिट आरएफए/ धोखाधड़ी जांच:

विभाग डीएफएस के निर्देशों के अनुरूप धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी एनपीए खातों की अनिवार्य रूप से जांच कर

रहा है। इसके अलावा, जिन खातों में ईडब्ल्यूएस कुछ संदिग्ध संकेत देता है, उनकी तुरंत रेड फ्लैग के लिए जांच की जाती है और उसके बाद नियामक समय सीमा के भीतर निर्णय के लिए धोखाधड़ी जांच की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग:

एसएमए श्रेणी में खातों की पहचान से नियमितीकरण, पुनर्गठन आदि के लिए अनुवर्ती कार्रवाई जैसे शमनकारी कदम उठाए जाते हैं। आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले तनावग्रस्त खातों की रिपोर्ट आरबीआई को साप्ताहिक/ मासिक आधार पर सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म पर दी जाती है।

सिस्टम एसेट क्लासिफिकेशन (एसएससीएल):

वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर दो महीने से अधिक की अवधि के अतिदेय को दर्शाने वाले संभावित स्लिपेज की पहचान करने के साथ-साथ तकनीकी अनियमितताएँ दिखाने वाले खातों जैसे तीन महीने से अधिक स्टॉक स्टेटमेंट जमा न करना/सीसी खातों में कोई क्रेडिट नहीं होना आदि के लिए एक पूर्वानुमानित कार्यक्रम। यदि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे खातों की डाउनग्रेडिंग हो सकती है। मानक संपत्तियों की डाउनग्रेडिंग को रोकने के लिए इन खातों की विशेष रूप से विभिन्न वर्टिकल द्वारा निगरानी की जाती है। एक नया एसएससीएल प्रारूप तैयार किया गया है जो अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है और क्षेत्र को अधिक केंद्रित जानकारी प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हुए, हम एसएससीएल के दैनिक निर्माण और एनपीए को चिह्नित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में, एनपीए की पहचान और अंकन दैनिक आधार पर किया जाता है। सामान्यतः खातों की पहचान दैनिक एसएससीएल रिपोर्ट के अनुसार खातों की सूची से की जाती है, लेकिन ईओडी पर एनपीए चिह्नित करते समय, सभी खातों का सत्यापन किया जाता है और दैनिक एसएससीएल के अलावा अन्य खातों को भी चिह्नित किया जाता है, यदि वे दिन के दौरान किए गए किसी संशोधन/परिवर्तन के कारण आईआरएसीएंडपी मानदंडों के अंतर्गत पात्र हों।

एसएमए निगरानी:

एसएससीएल के अतिरिक्त, इस वर्ष एसएमए निगरानी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शाखाएं एसएमए 0 खातों की निगरानी शुरू करने के लिए अनुशासित किया गया है ताकि प्रारंभिक चरणों में सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके और संबंधित खाता एसएमए 1 या एसएससीएल में आगे न बढ़े। यह देखा गया है कि एसएमए का लगभग 50% खुदरा ऋणों द्वारा योगदान दिया जाता है और इसलिए हमारा विभाग विरासत खातों में ईसीएस / ईएनपीएच अधिदेश के पंजीकरण के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

आंचलिक वसूली केंद्र (जेडसीसी):

सभी अंचलों में अगस्त 2023 में आंचलिक वसूली केंद्र (जेडसीसी) का गठन किया गया था। जेडसीसी का प्राथमिक उद्देश्य अंचल के सीआरएमडी में अन्य अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले क्रेडिट निगरानी के अन्य मामलों के साथ एसएमए को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। जेडसीसी रु. 25 लाख और उससे अधिक के एसएमए खाते के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें एसएमए को नियमित श्रेणी में वापस लेने का लक्ष्य रखा गया है।

उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उधारकर्ताओं को खाते के एसएमए श्रेणी में जाने के परिणामों के बारे में शिक्षित करें और परामर्श दें, जिसमें बिगड़ते क्रेडिट स्कोर और ऋण राशि तथा ब्याज दरों पर समझौता वार्ता की शक्ति के कम होने पर विशेष जोर दिया जाए। ज़ेडसीसी सदस्यों को उधारकर्ता पर संपूर्ण अतिदेय और संकटपूर्ण राशि का भुगतान करने के लिए जोर देना भी आवश्यक है। शीघ्र चुकौती से बेहतर क्रेडिट स्कोर और बेहतर ब्याज दर के लिए समझौता वार्ता करने की क्षमता बढ़ेगी। जेडसीसी सदस्यों को उधारकर्ता को अपने प्राथमिक सक्रिय (ऑपरेटिव) खाते को हमारे बैंक में स्थानांतरित करने के लिए भी जोर देना चाहिए। उन्हें रिटेल उधारकर्ताओं के व्यावसायिक खातों के अधिग्रहण के लिए भी जोर देना चाहिए।

यदि उधारकर्ता अपने प्राथमिक सक्रिय खाते को हमारे बैंक में स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हैं, तो जेडसीसी सदस्यों को ईसीएस/एनएसीएच/ई-एनएसीएच प्राप्त करना चाहिए

रु. 25.00 लाख से कम एक्सपोजर वाले खातों के लिए, अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलो-अप) की मुख्य जिम्मेदारी शाखा की है, हालांकि, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें पूर्व-स्टाफ और बीसी की सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है और इसके लिए फील्ड पर कार्य करने वाले अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश दिए जाने चाहिए।

वसूली प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) :

हमने वसूली प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित कर दिया है, जो शाखा के अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा कर एसएमए/डीएनपीए पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने में हमारी मदद करेगा। प्रस्तावित समाधान के काम का दायरा निम्नलिखित है :-

1. एसएमए जोखिम प्रेडिक्शन
2. सभी प्रासंगिक जानकारी जैसे अतिदेय राशि/पता/संपर्क विवरण इत्यादि के साथ एसएमए/डीएनपीए सूची
3. एसएमए गतिविधि (मूवमेंट) की ट्रैकिंग (रोल फॉरवर्ड/बैकवर्ड)
4. वसूली कार्रवाई तथा भुगतान करने के वादे (पीटीपी) सहित ग्राहक की प्रतिक्रिया को अपडेट करना
5. पूर्व के पत्राचार की विजिबिलिटी
6. उधारकर्ता को एसएमएस/आईवीआर/ईमेल से अनुस्मारक भेजना
7. सुधारात्मक सुझाव कार्रवाई
8. आउटबाउंड कॉलिंग के माध्यम से ग्राहक की प्रतिक्रिया को दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर के साथ समेकन
9. फील्ड अधिकारी के लोकेशन के आधार पर जियो टैगिंग तथा अगले दौरे का सुझाव
10. शाखा/आंचलिक कार्यालय/एफजीएमओ/एचओ के लिए एमआईएस

ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा (सीपीए) :

ऋण प्रक्रिया की लेखा परीक्षा (सीपीए) यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती

है कि स्वीकृति की संवितरण पूर्व और संवितरण पश्चात् शर्तों/अनुबंधों का अनुपालन किया जा रहा है। सीपीए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि संवितरण करने वाले अधिकारी द्वारा बैंक निधियों का संवितरण करने से पूर्व, प्रतिभूति के सृजन / प्रतिभूति की पूर्णता हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं ताकि उक्त प्रतिभूतियों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित की जा सके। अब, सीपीए रियल टाइम में निगरानी के लिए फिनेकल के साथ एकीकृत किया गया है।

पीएसआरएस संवीक्षा एवं प्रमाणपत्र :

पीएसआरएस मंजूरी/मूल्यांकन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका आस्ति संविभाग पर असर पड़ता है और बदले में बैंक की लाभ प्रभावता में वृद्धि होती है। हम एफजीएमओ स्तर पर दी गई मंजूरी के संबंध में रु.5 लाख और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले सभी खातों के लिए समय पर मंजूरी उपरांत समीक्षा प्रणाली की संवीक्षा भी करते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यह अभ्यास एफजीएमओ और आंचलिक स्तर पर आयोजित किया जाए।

क्रेडिट निरीक्षण :

5 लाख रुपए तक की सीमा वाले खातों की समीक्षा के लिए ऋण निरीक्षण के माध्यम से खातों की समीक्षा की प्रणाली लागू की गई है।

स्टॉक लेखापरीक्षा :

हम पात्र खातों में स्टॉक एवं प्राप्य राशियों के संबंध में समयपूर्वक लेखापरीक्षा किया जाना सुनिश्चित करते हैं ताकि जब भी आवश्यक हो, सक्रिय/सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। वर्तमान में स्टॉक की लेखापरीक्षा उन मानक अग्रिम खातों के संबंध में लागू हैं, जिनका कार्यशील पूंजी एक्सपोजर रु.5 करोड़ तथा उससे अधिक है। इसे सालाना आयोजित करना आवश्यक है। कमजोरी के अंतर्निहित संकेत दिखाने वाली आस्तियों, जैसे कि खराब स्थिति, साख पत्र के तहत अतिदेय बिल, गारंटी का लागूकरण, समीक्षा हेतु लंबित आदि, जो बैंक की गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करते हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्मों और स्तरों पर टेलीविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

स्टॉक ऑडिट एमआईएस के लिए फिनेकल में एक नया स्टॉक ऑडिट मेन्यू (एसटीकेएडीटी) विकसित किया गया है जो किसी लागू खाते में स्टॉक ऑडिट के विषय में समय पर जानकारी प्राप्त करने में हमें सक्षम करेगा।

एनपीए का दैनिक अंकन :

दिनांक 15.04.2021 से बैंक के एनपीए की पहचान और नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु एनपीए का दैनिक अंकन को आरंभ कर दिया है।

पुनर्गठित खातों की निगरानी (आरएफसीआरएस पोर्टफोलियो) :

आरएफसीआरएस के तहत पुनर्संरचित खातों के आस्ति गुणवत्ता की रक्षा के लिए प्रधान कार्यालय, एफजीएमओ और आंचलिक कार्यालय स्तर पर एक समर्पित टीम बनाई गई है, जो आरएफसीआरएस खातों की बारीकी से निगरानी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, डीएनपीए उधारकर्ताओं सहित

सभी आरएफसीआरएस उधारकर्ताओं को एचओ स्तर से एसएमएस भेजे जा रहे हैं।

कॉल सेंटर से रिमाइंडर कॉल:

हमारे कॉल सेंटर में तैनात 100 लोगों की एक समर्पित टीम अग्रिमों की निगरानी के लिए काम कर रही है। वे एसएससीएल और एसएमएस उधारकर्ताओं के लिए कॉलिंग में लगे हुए हैं।

विशिष्ट निगरानी के लिए एजेंसियां (एसएमएस):

आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 250 करोड़ से अधिक के कुल बैंकिंग एक्सपोजर वाले खातों और नवरत्न खातों और पीएसयू/सरकारी गारंटी खातों जैसे कुछ छूट वाले श्रेणी के खातों को छोड़कर, विशेष प्रकृति के एक्सपोजर वाले खातों में एसएमएस (विशेषीकृत निगरानी के लिए एजेंसियां) को नियुक्त किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो, हम दबावग्रस्त खातों में एसएमएस की सेवाएं भी ले रहे हैं।

आईआरएसी एवं पी स्वचालन:

आरबीआई ने दिनांक आरबीआई/2020-21/37 14.09.2020 के अपने परिपत्र सं: संदर्भ सं: डीओएस. सीओ.पीपीजी. एसईसी. 03/11.01.005/2020-21 दिनांक 14.09.2020 के माध्यम से सभी बैंकों को सूचित किया है कि वे दिनांक 30.06.2021 तक अपनी प्रणालियों को अद्यतन (अपग्रेड) करें ताकि पहचान, आय निर्धारण, एनपीए/एनपीए के रूप में अग्रिम/निवेश का आस्ति वर्गीकरण, संबंधित विवरणियों का अर्जन एवं प्रावधानीकरण की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित किया जा सके। तदनुसार, हमने अपने बैंक में आईआरएसी एवं पी मानक के स्वचालन के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं।

व्यूलिंक पल्स - घरेलू एमआईएस प्रणाली की शुरुआत:

प्र.का. आईटी और एमआईएस के सहयोग से, हमने फील्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को दैनिक आधार पर एसएमएस और डीएनपीए डेटा की दैनिक स्थिति की प्राप्ति के लिए घरेलू (इन-हाउस) रिपोर्टिंग सिस्टम (बीओआई-पल्स) शुरू किया है। हमारे विभाग से संबंधित इस जानकारी के अतिरिक्त, मॉड्यूल में सत्रह रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई, जैसे नवीनतम एसएमएस, पुनरावर्ती एसएमएस, मूल्यांकन समाप्ति, स्टॉक स्टेटमेंट समाप्ति, समीक्षा समाप्ति, टीएल/डीएल आदि में भविष्य की मांगें, ताकि एफजीएमओ/अंचल/शाखाएं अग्रिमों की प्रभावी निगरानी के लिए तैयार जानकारी का लाभ उठा सकें।

पे-लिंक के माध्यम से एसएमएस खातों में वसूली: एसएमएस खातों में हमारी वसूली को मजबूत करने के लिए, बैंक कई भुगतान चैनलों के माध्यम से तत्काल भुगतान करने के लिए एसएमएस उधारकर्ता को अनुस्मारक एसएमएस में अनुकूलित पे-लिंक साझा करेगा। यह सुविधा हमारे एसएमएस उधारकर्ता को अन्य बैंक में रखे गए खातों को डेबिट करके अपने ऋण खाते में भुगतान करने में सक्षम बनाएगी।

संपूर्ण वसूली सेवाएं:

उद्योग जगत की सर्वोत्तम पद्धतियों और इज 8.0 के सुझावात्मक सुधार एजेंडे के अनुपालन के साथ हम वसूली भागीदार को शामिल करके वसूली

गतिविधि को आउटसोर्स करने पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में हम पहले से ही दो अग्रणी सेवा प्रदाताओं के साथ पीओसी कार्य चला रहे हैं।

संपूर्ण वसूली सेवाएं जिसमें विभिन्न उपलब्ध उपकरणों जैसे: एसएमएस, व्हाट्सएप, चैट बॉट, कॉल एजीक्यूटिव, फीट ऑन स्ट्रीट सेवाओं के माध्यम से सर्वोत्तम उपयुक्त वसूली कार्रवाई के साथ क्षेत्र विशिष्ट वसूली रणनीतियां शामिल हैं। सेवा प्रदाता कानूनी सेवाओं का भी लाभ उठाते हैं, जिससे हमें सरफेसी नोटिसों के लिए सॉफ्ट रिमाइंडर देने में सक्षम बनाता है और कानूनी कार्यवाही को ट्रैक करने में भी हमारी मदद करता है।

अन्य पर्यवेक्षण उपकरण:

- अनुपालन स्तर को मजबूत करने के लिए लागू किए गए पूर्व वितरण और वितरण के बाद के अनुबंधों की केंद्रीकृत निगरानी।
- ईडब्ल्यूएस के पालन पर खातों की रेड फ्लैगिंग और नियामक दिशानिर्देशों के संदर्भ में एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धोखाधड़ी के दृष्टिकोण की जांच के लिए नीतियां हैं। एक बार खाते को धोखाधड़ी घोषित कर देने के बाद, आरबीआई के सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म में तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाती है।
- सभी एसएमएस उधारकर्ताओं / एवं सभी सीसी/ओडी और टीएल उधारकर्ताओं को चुकौती सूचना के लिए एसएमएस भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में भी एसएमएस तथा आईविआर भेजे जा रहे हैं।
- खातों की अलग सूची जहां समीक्षा एक महीने से अधिक के लिए अतिदेय है और जहां स्टॉक विवरण एक महीने से अधिक के लिए देय है, तकनीकी स्लिपेज से बचने के लिए मासिक अंतराल पर शाखाओं को प्रदान किया जा रहा है।

9. अनर्जक आस्ति

एनपीए में कमी और कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स

(₹ करोड़)

पैरामीटर	मार्च 24	मार्च 25
	वास्तविक	वास्तविक
सकल एनपीए	29,183	21,749
निवल एनपीए	6,845	5,359
सकल एनपीए (%)	4.98%	3.27%
निवल एनपीए (%)	1.22%	0.82%

- ❖ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, सकल एनपीए में समग्र रूप से 25.48% का सुधार हुआ है जबकि जीएनपीए अनुपात 171 बीपीएस के साथ सुधरकर 4.98% से 3.27% हो गया है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 26 के लिए लक्षित जीएनपीए%: 3% से कम
- ❖ निवल एनपीए में समग्र रूप से 21.71% की कमी आई है;

एनएनपीए अनुपात में 40 बीपीएस का सुधार हुआ है जो 1.22% से 0.82% हो गया है।

- ❖ प्रारंभिक जीएनपीए के प्रतिशत के रूप में नकदी वसूली और उन्नयन, वित्तीय वर्ष 24 में 16.73% के सुधार के साथ वित्तीय वर्ष 25 में 24.90% रहा है।
- ❖ बट्टे खाते में डाले गए कुल नकदी वसूली वित्तीय वर्ष 25 में 2,487 करोड़ रुपए रही, जो वित्तीय वर्ष 24 में 1,467 करोड़ रुपए थी।
- ❖ यूसीआई और यूआरआई सहित नकदी वसूली और उन्नयन में 21% की वृद्धि हुई, वित्तीय वर्ष 24 में यह ₹ 7882 करोड़ था जो वित्तीय वर्ष 25 में ₹ 9,506 करोड़ रुपए हो गया।
- ❖ समग्र वसूली दर में 647 बीपीएस का सुधार हुआ, जो वित्तीय वर्ष 24 में 13.96% से बढ़कर 20.43% हो गया।
- ❖ एकमुश्त निपटान (ओटीएस) अनुमोदन 2.58 लाख खातों को पार कर गई, जो वित्तीय वर्ष 24 में 35% की वृद्धि दर्शाती है।

वसूली में सुधार के लिए कार्यनीतियाँ

समाधान और वसूली तंत्र

- ❖ एनपीए खातों का समाधान निम्नलिखित माध्यम द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है:
 - सरफेसी एक्शन
 - एनसीएलटी की कार्यवाहियाँ
 - सरफेसी/डीआरटी के माध्यम से गारंटर प्रतिभूतियों का प्रवर्तन
 - एआरसी/एनएआरसीएल को परिसंपत्तियों की बिक्री
 - मेगा ई-नीलामी
 - समझौता और ओटीएस योजनाएं
- ❖ परिचालन पहल
- ❖ वित्तीय वर्ष 25 में ₹ 5,963 करोड़ की वसूली हुई -
 - क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सक्रिय करना
 - ओटीएस के लिए नियमित वर्चुअल वसूली कैप
 - आवधिक वसूली अभियान
- ❖ शीघ्र समाधान के लिए पूरे भारत में 27 आस्ति वसूली शाखाएँ (एआरबी) कार्यरत हैं।
- ❖ अभियान और ड्राइव
- ❖ जारी पहलों में शामिल हैं:
 - समझौता दिवस, साप्ताहिक वसूली कैप, मेगा ई-नीलामी

- ❖ लगातार राष्ट्रव्यापी प्रयासों के माध्यम से वसूली की गति कायम रही।

ओटीएस योजनाएं

- ❖ विशेष योजनाएं - स्टार संजीवनी और बीओआई ओटीएस की समीक्षा की गई और वित्तीय वर्ष 26 के लिए 01.04.2025 से पुनः शुरू की गई।
- ❖ वित्तीय वर्ष 25 में :
 - स्टार संजीवनी और बीओआई ओटीएस योजनाएं 31.03.2026 तक बढ़ा दी गईं।
 - 5,265 करोड़ रुपए बकाया शेष वाले 2,58,523 खातों में ओटीएस स्वीकृति प्रदान किया गया।
 - स्वीकृत नकदी वसूली: ₹ 2,312 करोड़ (चुकोती जारी)

बट्टे खाते में डाले गए खातों की वसूली

- ❖ पीडब्ल्यूओ खातों के लिए वसूली कार्यनीतियाँ मुख्य समाधान तंत्रों को प्रतिबिंबित करती हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - सरफेसी/डीआरटी प्रवर्तन
 - एनसीएलटी समाधान
 - समझौता निपटान
 - एआरसी/एनएआरसीएल बिक्री
 - स्टार संजीवनी और बीओआई-ओटीएस योजनाएं
- ❖ नीलामी कार्यनीति
 - द्विमासिक मेगा ई-नीलामी आयोजित की गई।
 - अतिरिक्त केन्द्रित नीलामी:
 - गृह ऋण, एलएपी, एआरबी खाते, वाहन
 - उद्देश्य: बिक्री/ओटीएस/ उन्नयन के माध्यम से सूचीबद्ध संपत्तियों का 50% समाधान करना।
 - मुख्यालय स्तर पर अनेक माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया गया।

सीजीटीएमएसई दावा निपटान

- वित्तीय वर्ष 25 में दावा दाखिल करने का अभियान शुरू किया गया।
 - 7,305 दावों का निपटारा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए में ₹ 339 करोड़ की कमी आई।

10. कोषागार

फॉरेक्स कारोबार : ट्रेजरी, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार संभालता है तथा फॉरवर्ड तथा स्वैप के माध्यम से ग्राहकों को हेजिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। मुंबई में केंद्रीकृत ट्रेजरी के अतिरिक्त, बैंक का नई दिल्ली, में 1 (एक) सैटेलाइट डीलिंग रूम, कलकत्ता में 1 (एक) बीसीपी साइट तथा

गिफ्ट सिटी (अहमदाबाद) में एक केंद्रीयकृत बैंक ऑफिस है ताकि ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मर्चेन्ट तथा इंटरबैंक टर्नओवर क्रमशः रु. 1.28 लाख करोड़ तथा रु. 95.67 लाख करोड़ रहा। इस वित्त वर्ष के दौरान बैंक का फॉरेक्स कारोबार टर्नओवर रु. 96.96 लाख करोड़ रहा। पिछले वित्त वर्ष 2023-2024 की तुलना में कुल विदेशी मुद्रा कारोबार में 60.89% की वृद्धि हुई। गिफ्ट सिटी गांधी नगर में एक शाखा स्थापित करने के आधार पर, ट्रेजरी ने इस वित्तीय वर्ष में गैर-सुपुर्दगी योग्य फॉरवर्ड में व्यापार शुरू कर दिया है। करेंसी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में ट्रेजरी सक्रियतापूर्वक सहभागिता करता है तथा यह सभी एक्सचेंजों में अग्रणी बैंकों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान करेंसी फ्यूचर्स में बैंक का टर्नओवर यूएसडी 38.47 बिलियन रहा।

ट्रेजरी परिचालन एवं निवेश :

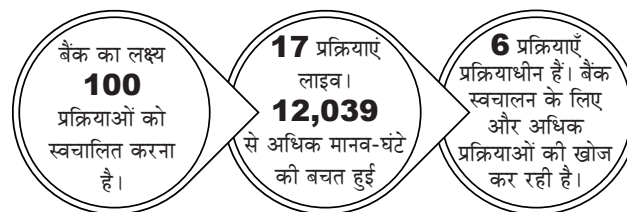
बैंक ने 2024-25 के दौरान के सभी क्षेत्रों में अर्थात-मुद्रा बाजार,फॉरेक्स, बॉण्ड तथा डेरिवेटिव में सक्रिय भूमिका अदा करना जारी रखा। ट्रेजरी शाखा सक्रिय रूप से वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से तरलता का प्रबंधन करती है जिसमें एसएलआर और सीडी उधार पर पुनर्वित्त, ओवर नाइट उधार शामिल हैं। इससे निधियों की लागत को नियंत्रण में रखने और सतत निवल ब्याज आय में सहायता मिली। रेपो/टीआरईपीएस विण्डोज़ से उधार लेने हेतु अतिरिक्त एसएलआर का उपयोग करते हुए पर्याप्त तरलता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने समय-समय पर एसएलआर निवेशों को विनियामक आवश्यकता, जो कि एन.डी.टी.एल का 18.00% है, उससे अधिक पर बनाये रखा। यथा दिनांक 31.03.2025 को सकल एसएलआर निवेश रु.1,99,328.43 करोड़ (कुल निवेश का 80.58%) था और गैर-एसएलआर निवेश रु.48,034.85 करोड़ (कुल निवेश का 19.42%) रहा। गैर एसएलआर निवेश में रु. 23,369.81 करोड़ के 'पुनःपूंजीकरण' के बॉण्ड भी शामिल हैं। एस.एल.आर ए.एफ.एस. पोर्टफोलियो का एम-ड्यूरेशन, 31.03.2024 को 2.81% था जो कि 31.03.2025 को 3.64% रहा। यथा 31.03.2025 तक कुल एफएस पोर्टफोलियो का एम-ड्यूरेशन 3.11% है। भारत सरकार द्वारा की गई हरित पहलों के साथ सहमति में, आरबीआई ने सॉवरैन ग्रीन बॉन्ड की बिक्री के लिए अधिसूचना जारी की थी। यथा 31.03.2025 को सॉवरैन ग्रीन बॉन्ड में ट्रेजरी शाखा का कुल निवेश एक्ससो. जर रु. 998.42 करोड़ का है। सभी निवेश, बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार किये जाते हैं और बाजार में होने वाले बदलावों/विनियामक आवश्यकताओं से तालमेल बनाए रखने हेतु समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी:

1) इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन (आईपीए)

इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन (आईपीए) का उद्देश्य रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए), मशीन लर्निंग (एमएल), एपीआई, इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग (आईडीपी) और अन्य हाइपर ऑटोमेशन टूल्स जैसी तकनीकों का उपयोग करके बैंकिंग प्रणाली और बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत मैनुअल, दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके बैंक की परिचालन दक्षता का अनुकूलन करना है।

इसके माध्यम से बैंक का उद्देश्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना, दक्षता बढ़ाना, संसाधन आबंधन का अनुकूलन करना, सटीकता में वृद्धि करना, कार्यनीतिक और मूल्य वर्धित गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव संसाधनों को मुक्त करना है।



2) आघात-सहनीयता परिचालन केंद्र (आरओसी)

आरओसी की स्थापना आईटी अवसंरचना के आघात-सहनीयता को बढ़ाने और बैंक में महत्वपूर्ण प्रणालियों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यह घटनाओं को सक्रिय रूप से हल करने के लिए एआई-चालित मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) और पूर्वानुमानित अंतर्दृष्टि का लाभ उठाता है। आरओसी व्यवधानों को कम करने, उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने और अनुपालन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।

आरओसी द्वारा निगरानी किए गए लेयर्स	आरओसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण
एप्लिकेशन्स सभी 31 महत्वपूर्ण बैंकिंग एप्लिकेशन्स।	1. टोएसओएम (टिबोली सर्विस ऑपरेशन मैनेजर): अवसंरचना और सर्वर स्वास्थ्य (जैसे, प्रदर्शन, उपलब्धता) की निगरानी करता है।
अवसंरचना सर्वर, संचयन, क्लाउड संसाधन और वर्चुअलाइजेशन लेयर्स।	2. एनट्रुइटी: नेटवर्क मॉनिटरिंग, कनेक्टिविटी, ट्रैफिक और विलंबता ट्रैकिंग के लिए विशेषीकृत।
नेटवर्क आईटी पारिस्थिति तंत्र में कनेक्टिविटी, ट्रैफिक प्रवाह और प्रदर्शन।	3. डेविस एआई (डायनाट्रेस): वास्तविक समय उपयोग प्रदर्शन, विसंगति का पता लगाने और एआई-संचालित आरसीए (उदाहरण के लिए, वेबसाइटों, बैंकिंग ऐप्स के लिए) के लिए एपीएम उपकरण।
	4. बीएमसी हेल्क्स: घटना प्रबंधन, टिकटिंग और वर्कफ्लो स्वचालन के लिए आईटीएसएम प्लेटफॉर्म।
	5. एटीएम निगरानी उपकरण: एटीएम अपटाइम, लेनदेन त्रुटियों और हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर स्थिति को ट्रैक करना।
	6. वेबसाइट निगरानी उपकरण: अपटाइम, उपयोगकर्ता अनुभव और सिंथेटिक लेनदेन (जैसे, लॉगिन प्रवाह, भुगतान गेटवे) की निगरानी करना।

आरओसी के लाभ

- परिचालन उत्कृष्टता:** बेहतर प्रतिक्रिया और समाधान समय, डाउनटाइम और परिचालन व्यवधानों को कम करना। सिस्टम प्रदर्शन और स्थिति में बेहतर दृश्यता।
- विनियामक अनुपालन:** आरबीआई को घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग और आईटी आघात-सहनीयता दिशानिर्देशों का पालन।
- ग्राहक विश्वास:** निरंतर सेवा वितरण, ग्राहक संतुष्टि और प्रतिधारण में सुधार।
- जोखिम न्यूनीकरण:** जोखिमों की सक्रिय पहचान और समाधान, संभावित वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान को कम करना।
- कार्यनीतिक विकास:** विश्वसनीय और आघात-सह

परिचालन सुनिश्चित करके बैंक की डिजिटल परिवर्तन यात्रा का समर्थन करना।

6. **ईज़ अनुपालन:** आरओसी की स्थापना से बैंक को परिचालन जोखिम प्रबंधन और आघात-सह से संबंधित ईज़ फ्रेमवर्क में प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे अंततः बैंक की ईज़ रैंकिंग में वृद्धि होगी।

3) व्हाट्सएप बैंकिंग: निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान करना

(+91 7997987601)

हमारा व्हाट्सएप बैंकिंग समाधान ग्राहकों को एक सहज, उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि यह हमारे व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ संरेखित है। सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके, हम अपने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हैं और इस डिजिटल चैनल के माध्यम से जुड़ाव बढ़ाते हैं।

प्रमुख सेवाएँ प्रदान की गईं

1. शेष राशि जांच

खाता शेष की जानकारी तक त्वरित और आसान पहुंच।

2. मिनी स्टेटमेंट

नवीनतम खाता लेनदेन तक त्वरित पहुंच।

3. ऋण (रिटेल, कृषि, एमएसएमई)

खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए ऋण संबंधी सरलीकृत पूछताछ और अपडेट।

4. जमा खाते खोलना

सावधि, आवर्ती या अन्य जमा खाते खोलने की सहज प्रक्रिया।

5. बीमा और म्यूचुअल फंड

बीमा उत्पादों और म्यूचुअल फंड सेवाओं तक आसान पहुंच।

6. सरकारी कारोबार उत्पाद

सरकार से संबंधित विभिन्न लेन-देन को सुविधाजनक बनाना।

7. अन्य सेवाएँ

बचत खाते खोलना, क्रेडिट कार्ड भुगतान, शाखा लोकेटर, पेंशनभोगियों के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, डेबिट/क्रेडिट कार्ड हॉटलिस्टिंग, लीड स्थिति ट्रैक करना और शिकायत दर्ज करना

4) केंद्रीकृत डिजिटल भुगतान प्रसंस्करण प्रणाली (सीडीपीपीएस)

यह समाधान एक केंद्रीकृत, एकीकृत मंच प्रदान करता है जो

प्रमुख भुगतान प्रणालियों को एक छत्र के नीचे लाता है, जिससे निर्बाध लेनदेन, बेहतर नियंत्रण और बेहतर दक्षता सुनिश्चित होती है।

प्रमुख विशेषताएँ

1. **व्यापक भुगतान एकीकरण:** यूपीआई, आईएमपीएस, एनएसीएच, आरटीजीएस, एनईएफटी, बीबीपीएस और स्विफ्ट का समर्थन करता है, निर्बाध घरेलू, क्षेत्रीय और उच्च मूल्य वाले अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को सक्षम बनाते हैं।
2. **एंड-टू-एंड भुगतान प्रबंधन:** सभी भुगतान प्रक्रियाओं का एक केंद्रीकृत दृश्य प्रदान करता है, जिसमें शुरुआत, निष्पादन, संदेश और बाहरी सिस्टम कनेक्टिविटी शामिल है।
3. **मल्टी-टेनेंसी संरचना:** बैंक ऑफ़ इंडिया, इसके प्रायोजित आरआरबी, विदेशी केंद्रों और भारतीय सहायक कंपनियों में तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मापनीयता और अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करता है।
4. **भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना:** डिजिटल मुद्रा, ई-टोल और ओएनडीसी सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का समर्थन करता है, जिसमें सीबीडीसी पहले से ही कार्यान्वित है।

अपनी मजबूत क्षमताओं के साथ, यह प्लेटफॉर्म परिचालन दक्षता को मजबूत करता है, वित्तीय संपर्क को बढ़ाता है, और अधिक स्मार्ट, अधिक सुरक्षित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करता है।

12. डेटा एनालिटिक्स

डेटा एनालिटिक्स की नई पहलें

1. **प्रोजेक्ट स्टार आदित्य (एनालिटिक्स ड्रिवेन इनसाइट्स टू वील्ड एक्शन्स):** उन्नत एनालिटिक्स, डेटा गवर्नेंस और विजुअलाइज़ेशन क्षमताओं और प्रक्रियाओं का निर्माण

बैंक ने अपने मौजूदा अनुप्रयोगों का व्यापक आधुनिकीकरण किया है, तथा विश्लेषण, प्रशासन और रिपोर्टिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया है।

डेटा अंतर्ग्रहण फ्रेमवर्क: यह फ्रेमवर्क सुनिश्चित करता है कि डेटा निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिए अधिकांश डेटा स्रोत एकीकृत हैं। बैंक ने इस फ्रेमवर्क के साथ अधिकांश डेटा स्रोतों को एंटरप्राइज़ डेटा वेयरहाउस के साथ एकीकृत किया है। इसमें विभिन्न अंतर्ग्रहण विधियों के माध्यम से डेटा अंतर्ग्रहण के लिए डेटा जॉब्स की स्थापना भी शामिल है।

डेटा संग्रहण प्लेटफॉर्म: यह प्लेटफॉर्म विश्लेषण और डैशबोर्डिंग उद्देश्यों के लिए उच्च मात्रा में कई प्रकारों (जैसे संरचित, अर्ध-संरचित और असंरचित) का डेटा संग्रहीत करने में सक्षम बनाता है।

डेटा गवर्नेंस समाधान : यह ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि डेटा पूरे संगठन में सटीक, सुसंगत और सुरक्षित है। इसमें डेटा प्रबंधन के

लिए नीतियां और प्रक्रियाएं स्थापित करना, विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना और डेटा की गुणवत्ता बनाए रखना शामिल है।

- **डेटा गुणवत्ता समाधान :** यह समाधान डेटा की सटीकता, पूर्णता और विश्वसनीयता बनाए रखने पर केंद्रित है। इसमें डेटा की क्लीजिंग और सत्यापन की प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा उच्च गुणवत्ता वाला है।
- **डेटा लिनीइज समाधान :** डेटा लिनीइज उपकरण सिस्टम में डेटा के प्रवाह को ट्रैक करते हैं, इसके मूल, परिवर्तन और गंतव्यों में दृश्यता प्रदान करते हैं। यह पारदर्शिता डेटा निर्भरता को समझने, समस्याओं का निवारण करने और अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता करती है।
- **डेटा कैटलॉग समाधान :** डेटा कैटलॉग डेटा आस्तियों की एक संगठित सूची है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा की खोज और उस तक पहुँच को आसान बनाती है। यह मेटाडेटा प्रबंधन और डेटा वर्गीकरण क्षमताएँ प्रदान करके डेटा शासन और सहयोग को बढ़ाता है।

कारोबार बोध (बीआई) प्लेटफॉर्म : एक बीआई प्लेटफॉर्म कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए डेटा को एकत्रित और विश्लेषित करता है। यह डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग के लिए उपकरण प्रदान करके निर्णय लेने में सहायता करता है, जिससे हितधारकों को प्रदर्शन और रुझानों की प्रभावी रूप से निगरानी करने में सक्षम बनाता है। बैंक ने शाखा स्तर और फील्ड पदाधिकारियों तक पहुँच के साथ विभिन्न व्यवसाय रिपोर्ट और गतिशील डैशबोर्ड विकसित किए हैं।

उन्नत विश्लेषण के लिए वितरित कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म : यह प्लेटफॉर्म कई मशीनों में बड़े डेटासेट की प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है, जिससे जटिल विश्लेषण कार्य आसान हो जाते हैं। यह उन्नत विश्लेषण कार्यभार के लिए आवश्यक स्केलेबल और कुशल डेटा प्रोसेसिंग का समर्थन करता है।

जनरेटिव एआई (जेनएआई) व्यवसाय उपयोग के मामले : बैंक ने कॉल सेंटर ग्राहक बॉयस बॉट जैसे जेनएआई उपयोग के मामले विकसित किए हैं और कुछ अन्य उपयोग के मामले व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित और बढ़ाने के लिए अवधारणा के प्रमाण चरण में हैं।

उन्नत विश्लेषिकी व्यवसाय उपयोग मामले : बैंक ने संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय में खुदरा आस्तियों, ऋण निगरानी, धोखाधड़ी का पता लगाने, ग्राहक प्रतिधारण, एमएसएमई और बीमा के क्षेत्र में कई विश्लेषिकी उपयोग मामले विकसित किए हैं।

ग्राहक संचार प्रबंधन: बैंक ने सेवाओं में सुधार और उत्पाद में बेहतरी के लिए ग्राहक संचार चैनलों को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट स्टेटमेंट के माध्यम से ग्राहक संचार माध्यम को नया रूप दिया है। बैंक ने ग्राहकों के लिए “स्टारफिनसैनैप” इंटरैक्टिव स्मार्ट स्टेटमेंट भी लॉन्च किया है।

इन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके, बैंक का लक्ष्य अपने परिचालन में परिवर्तन लाना, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाना तथा अपने ग्राहकों को उन्नत सेवाएँ प्रदान करना है।

2. यूनिवर्सल एप्लीकेशन:

बीओआई ओमनी नियो ऐप एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट बैंकिंग (आईबी) और मोबाइल बैंकिंग (एमबी) में बेहतर ओमनी चैनल अनुभव के लिए निर्बाध मोबाइल-इंटरनेट एकीकरण के साथ बैंकिंग आवश्यकताओं को एकीकृत करता है।

- एमबी में 9 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता, 6.2 लाख से अधिक एनटीबी (नए बैंक) उपयोगकर्ता और स्थापना के बाद से रु. 6300 करोड़ से अधिक का व्यवसाय उत्पन्न हुआ।
- आज तक 440+ उपयोग के मामले एमबी में उत्पादन में लाइव हैं
- आज तक आईबी में 240+ उपयोग के मामले उत्पादन में लाइव हैं
- मोबाइल बैंकिंग लाइट के लिए 116 कार्यात्मकताएँ उत्पादन में वितरित की गई हैं
- कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग वर्तमान में स्वत्वधारी हेतु शुरू की गई है, जिसमें प्री-लॉगिन, लॉगिन और पंजीकरण, लॉगिन में समस्या, निधि अंतरण और बड़े कॉर्पोरेट के लिए सेवाओं के विकास जैसी कार्यात्मकताएँ शामिल हैं।

● भुगतान विकल्प:

- आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस/यूपीआई सहित निधि अंतरण विकल्प
- क्यूआर का उपयोग करके लाभार्थी को जोड़ना, निधि विकल्प, विभाजित भुगतान विकल्प, समूह बनाने का विकल्प, दोहरा भुगतान विकल्प, त्वरित अंतरण आदि
- स्थायी निर्देश/एनएसीएच अधिदेश, बिल भुगतान सेट/संशोधित/हटाएं।

● सेव विकल्प :

- बचत खाता खोलना/सावधि जमा खाते: सभी मौजूदा खाताधारक ऐप के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल रूप से एसबी/टीडी खाते खोल सकेंगे।

● निवेश विकल्प:

- आदित्य बिड़ला, एसबीआई, एचडीएफसी, फ्रैंकलिन, कोटक, बंधन जैसी एमसी से म्यूचुअल फंड खरीदें और भुनाएं। नए फंड ऑफर करने का विकल्प भी उपलब्ध है।
- हमारे साझेदार जीवन, स्वास्थ्य, वाहन जैसे विभिन्न बीमा उत्पाद प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई जैसी सरकारी बीमा योजनाएँ भी प्रदान करते हैं।

- हमारे प्लेटफॉर्म पर एसजीबी, एससीएसएस, एफआरएसबी, एपीआई, एनपीएस, पीपीएफ जैसी सरकारी निवेश योजनाएं उपलब्ध हैं।
- 3 इन 1 डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना, जीईपीएल, एसीएम, एजकॉन जैसे ट्रेडिंग भागीदारों के साथ एसएसओ एकीकरण। एसबीए-आईपीओ विकल्प भी उपलब्ध।
- **अन्य सुविधाओं:**
 - बहुभाषी चैटबॉट समाधान और संवादात्मक बैंकिंग
 - खाता सेवा: सेवा विकल्प जैसे डीडी/पीओ, एफएटीसीए, लॉगिन और प्रमाणीकरण प्राथमिकता, ईमेल आईडी, पता का अद्यतन, चेक सेवाएं, विभिन्न विवरण और प्रमाण पत्र का अनुरोध
 - एडमिन मॉड्यूल एक वेब-आधारित पोर्टल है जिसका उपयोग बैंक द्वारा यूए में कॉन्फिगरेशन बदलने के लिए किया जा सकता है
 - अधिसूचनाएं, फीडबैक और सर्वेक्षण, साइट-मैप, पुरस्कार, शिकायत निवारण, क्रेडिट स्कोर, पेयू, बिलडेस्क, सबपैसा, एसबीआई ई-पे, सीसी एवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ इनवर्ड रीडायरेक्शन वगैरह
 - स्वर्ण ऋण, व्यक्तिगत ऋण, केसीसी, मुद्रा ऋण, रिटेल ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि के लिए देखें/आवेदन करें
 - ऐप स्लीप मोड, खातों को लिंक करना/डी-लिंक करना, एनटीबी ग्राहक एसेट और लायबिलिटी, बीओआई उत्पादों दोनों के लिए कम लागत पर अधिग्रहण बढ़ाने के लिए ऐप पर पंजीकरण कर सकते हैं।

13. डिजिटल बैंकिंग विभाग :

यथा 31.03.2025 तक डिजिटल उत्पाद का आधार निम्नलिखित है:

उत्पाद	यथा 31.03.2025
कुल क्रेडिट कार्ड	73,016
व्यापारी द्वारा प्राप्त (पीओएस+भीम आधार)	18,352
यूपीआई आधारित क्यूआर	12,56,582
मोबाइल बैंकिंग	90,46,267
इंटरनेट बैंकिंग	92,92,526
यूपीआई	2,20,54,111

वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्पादों के लॉन्च की योजना

- रुपे गिफ्ट कार्ड पर ई-कॉम लेनदेन का कार्यान्वयन: बैंक ने अपने रुपे गिफ्ट कार्ड पर ई-कॉम लेनदेन का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह सुविधा 31-05-2025 तक लाइव हो जाएगी।

- क्रेडिट लाइन को यूपीआई से लिंक करना: इससे यूपीआई क्रेडिट उपयोगकर्ताओं के लिए एक सरलीकृत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने की उम्मीद है। कोई व्यक्ति शुल्क ऑटो पे, वन-टाइम मैडेट आदि जैसी पूरक यूपीआई सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त, यूपीआई व्यापारी (मर्चेन्ट) अब यूपीआई क्रेडिट आधारित लेनदेन स्वीकार कर सकते हैं।
- भारत कनेक्ट पर बिलर ऑनबोर्डिंग: बैंक बीओयू सेवाओं पर लाइव होने जा रहा है, जिसका अर्थ है कि बिलर ग्राहकों से भुगतान एकत्र करने के लिए भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जिससे सुचारू लेनदेन और तेज निपटान सुनिश्चित हो सके। बीओयू मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और बैंक शाखाओं और बैंक मित्रों जैसे सहायक चैनलों के माध्यम से ग्राहकों के लिए लेनदेन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। यह प्रणाली कार्ड, यूपीआई और वॉलेट सहित विभिन्न भुगतान मोड का समर्थन करती है, जिससे तत्काल भुगतान पुष्टि के साथ निर्बाध लेनदेन सुनिश्चित होता है।
- एनएसीएच प्रायोजन सेवा: हम विभिन्न छोटे बैंकों, एनबीएफसी, वित्तीय संस्थानों (एमएफ/बीमा), कॉर्पोरेट्स और सरकारी एजेंसियों को एनएसीएच सेवा की सुविधा प्रदान करेंगे।
- ई-कॉम पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ईएमआई सुविधा।
- भारत कनेक्ट (बीबीपीएस) के माध्यम से क्रेडिट कार्ड भुगतान।
- हम को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे।
- क्रेडिट कार्ड ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए 'क्रेडिलियो' के साथ फिनटेक साझेदारी।

नई पहल - वित्तीय वर्ष 2024-25

ई-अधिदेश (मैनडेट) सरलीकृत प्रमाणीकरण तंत्र

- वर्तमान में बैंक एनपीसीआई के एनएसीएच प्लेटफॉर्म के तहत ईएमआई, एसआईपी और उपयोगिता भुगतान आदि जैसे स्वचालित थोक लेनदेन की सुविधा के लिए प्रायोजक के साथ-साथ गंतव्य के रूप में एनएसीएच मैनडेट (भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों) को संसाधित कर रहा है।
- एनपीसीआई ने अपने परिपत्र सं. एनपीसीआई/2023-24/ एनएसीएच/003 दिनांक 21 जुलाई 2023 के माध्यम से ई-मैनडेट पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने, ग्राहक अनुभव में सुधार लाने और मैनडेट के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए नया वर्कफ्लो शुरू किया है। नए डिजाइन के अनुसार, मैनडेट को निम्नलिखित कारकों के आधार पर प्रमाणित किया जाएगा:
 1. आधार संख्या (अंतिम 4 अंक)
 2. पैन (अंतिम 5 अंक)
 3. ग्राहक आईडी
- इसे सीबीएस के साथ प्रमाणित किया जाएगा और मैनडेट पंजीकरण हेतु सफल सत्यापन के बाद ग्राहक को ओटीपी भेजा जाएगा

इंटरनेट बैंकिंग

- बैंक ने कई नई और उन्नत सुविधाओं के साथ नई रिटेल इंटरनेट बैंकिंग सेवाएँ शुरू की हैं। इस संबंध में, हम ग्राहकों को वेबसाइट पर आने वाली नई रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के लिए उपलब्ध नई सुविधाओं के बारे में सूचित करना चाहते हैं।

प्रत्यक्ष डेबिट व्यवस्था में ओटीपी आधारित मैनडेट पंजीकरण का कार्यान्वयन

- बैंक ने ओटीपी आधारित मैनडेट पंजीकरण का प्रस्ताव दिया है जो एक सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसका उपयोग प्रत्यक्ष डेबिट मैनडेट के ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान व्यक्तियों को प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए किया जाता है।

मजबूत डिजिटल शिकायत प्रबंधन (सीआरएम नेक्स्ट)

- सीआरएम नेक्स्ट शिकायत प्रबंधन मॉड्यूल एवं सेवा प्रबंधन मॉड्यूल को सभी शाखाओं में लाइव कर दिया गया है। यह शिकायत मॉड्यूल बैंक की वेबसाइट के साथ एकीकृत है। ग्राहक बैंक की वेबसाइट के माध्यम से अपनी डिजिटल लेनदेन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। एटीएम, पीओएस, यूपीआई, आईएमपीएस, ईपीएस और पेमेंट गेटवे जैसे विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से लेनदेन से संबंधित शिकायतें सीआरएम नेक्स्ट पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं।

डेबिट कार्ड के माध्यम से आरआरबी में ईकॉम सुविधा

- डेबिट कार्ड के माध्यम से ई-कॉम सुविधा 3 आरआरबी में शुरू की गई है। एटीएम स्विच, एनपीसीआई बीईपीजी और एसीएस में इसी अनुकूलन को लागू करने हेतु ग्राहकों को ई-कॉमर्स वेबसाइट में लेनदेन करने की अनुमति दी गई।

पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क (पीबीके) में अतिरिक्त सेवाएं

- बैंक ने पीबीके में एपीआई आधारित सेवाओं को एकीकृत करने का निर्णय लिया है। नीचे पीबीके के लिए प्रस्तावित एपीआई सेवाएँ दी गई हैं।

पीबीके में एकीकृत की जाने वाली सेवाएं	
शेष (बैलेंस) पूछताछ	चेक बुक अनुरोध
लघु विवरणी	मोबाइल बैंकिंग अनलॉक करना
खाता आधारित पासबुक मुद्रण (प्रिंटिंग)	शिकायत मॉड्यूल
सावधि जमा (टीडीआर) खोलना	ग्राहक प्रतिपुष्टि
चेक भुगतान रोकना	लीड जनरेशन

ऋण खातों में एनएसीएच ई-मैनडेट पंजीकरण हेतु वेब यात्रा का शुभारंभ

- बैंक के 119वें स्थापना दिवस पर, ऋण खाताधारकों के लिए एनएसीएच ई-मैनडेट पंजीकरण की एक नई सुविधा शुरू की गई, जिसके तहत वे अन्य बैंकों में अपने चालू खातों से, बिना किसी

शाखा के हस्तक्षेप के, वेब जर्नी के माध्यम से स्वयं ईएमआई का संग्रह कर सकेंगे।

क्रेडिट कार्ड का नए प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरण

- बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड प्रबंधन प्रणाली को अपने पिछले वेंडर मेसर्स वर्ल्डलाइन से एक नए वेंडर मेसर्स आईएसजी के पास स्थानांतरित कर दिया है, नए प्रौद्योगिकी साझेदार को शामिल करने के साथ, बैंक केंद्रित कार्यनीतियों के साथ अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड व्यवसाय को नया रूप देने की दिशा में काम कर रहा है।

ईसीएस की स्वचालित समाप्ति

- नई कार्यात्मकता को लाइव किया गया है, जिसमें ऋण खाता बंद होने पर एनएसीएच/ई-एनएसीएच मैडेट स्वतः रद्द हो जाएगा और शाखाओं को रद्द करने के लिए बंद ऋण खातों के इन मैडेट को डीएमएस में अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह स्वतः रद्दीकरण सेवा केवल हमारे ऋण खातों के लिए अन्य बैंकों के साथ पंजीकृत ईसीएस/एनएसीएच मैडेट के लिए है।

बैंक ने एनएफएस यूडीआईआर हेतु अपने एटीएम अधिग्रहण स्विच को सक्रम कर दिया है।

- यूडीआईआर का मतलब है एकीकृत विवाद और समस्या समाधान। ग्राहक अपने बैंक के माध्यम से विफल लेनदेन और/या विवाद की स्थिति के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक के एटीएम टर्मिनलों पर किए गए लेनदेन के लिए बैंक के एटीएम स्विच द्वारा एपीआई के माध्यम से यूडीआईआर सिस्टम को लेनदेन की स्थिति प्रदान की जाएगी।

पोर्टेबल यूपीआई क्यूआर साउंड बॉक्स डिवाइस

- बीओआई भीम यूपीआई क्यूआर कोड का उपयोग करके किए गए सफल यूपीआई भुगतान क्रेडिट हेतु वास्तविक समय की ऑडियो पुष्टि प्रदान करने के लिए, बैंक ने अपने मौजूदा और नए व्यापारियों(मर्चेंट) के लिए पोर्टेबल यूपीआई क्यूआर साउंड बॉक्स की शुरुआत की है।
- पोर्टेबल यूपीआई क्यूआर साउंड बॉक्स व्यापारी को उसके खाते से जुड़े यूपीआई क्यूआर कोड पर किए गए प्रत्येक सफल यूपीआई भुगतान के बारे में सूचित करेगा। सभी मौजूदा और नए व्यापारी(मर्चेंट) पोर्टेबल यूपीआई क्यूआर साउंड बॉक्स डिवाइस के लिए पात्र होंगे।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का कार्यान्वयन और परिचय

- बैंक के ग्राहक बैंक के सीबीडीसी ऐप के माध्यम से डिजिटल मुद्रा जारी और उपयोग कर सकते हैं।
- सीबीडीसी ऐसे साधन हो सकते हैं जो भुगतान के सुरक्षित एवं लचीले साधन के रूप में कार्य करके सरकार के सार्वजनिक नीति उद्देश्यों का समर्थन करते हैं। यदि उचित रूप से निगरानी की जाए और

इसमें शामिल जोखिमों को प्रभावी तरीकों से दूर किया जाए, तो वे एक कुशल, समावेशी और नवोन्मेषी भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हैं।

- वर्तमान में, ऐप लाइव है और यह परीक्षण के लिए क्लोज्ड यूजर ग्रुप में है।

14. डिजिटल लेंडिंग

- **ई-प्लेटफॉर्म:** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने 15516 करोड़ रुपए का नया कारोबार जुटाया था और चौथी तिमाही में 88% की नई उच्चाई के स्तर को छूकर वित्त वर्ष 2024-25 में इसमें 68,732 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

डिजिटल ऋण विभाग द्वारा की गई पहल इस प्रकार हैं:

- फसल ऋण के अंतर्गत वेब यात्रा को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य के लिए भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह चित्र आधारित फसल पैटर्न और फसल इतिहास प्राप्त करने के लिए पीएसबी गठबंधन के साथ टाई-अप किया है।
- डेयरी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए पायलट आधार पर गुजरात राज्य में अमूल सोसायटी के लिए दूध उत्पादन संबंधी डेटा और आय से संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजीवृद्धि के साथ टाई-अप।
- कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के लिए केसीसी जनसमर्थ हेतु संपूर्ण एसटीपी यात्रा के लिए ऑनलाइन पीएसबी ऋण (ओपीएल) के साथ टाई-अप।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप पैनल के लिए ओपीएल के साथ एकीकरण।
- ई-हस्ताक्षर और ई-दस्तावेजीकरण को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक राज्यों में लागू किया गया है।
- प्रधानमंत्री कृषि उपज निधि के अंतर्गत ई-एनडब्ल्यूआर वित्तपोषण के लिए ओपीएल के साथ टाई-अप।
- मेसर्स स्कोरमी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई-अप: एसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए हमारा डिजीबिज (जीएसटी आधारित ऋण) उत्पाद आरंभ किया गया है।

हमने मौजूदा सीएपीएस मॉड्यूल को ई-प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर लिया है और अब सभी ऋणों का प्रसंस्करण हमारे ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है।

बैंक कई सोशल मीडिया पर डिजिटल उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है और वेब यात्रा के माध्यम से कारोबार प्राप्त करने पर अधिक जोर दे रहा है। मार्केटिंग टीम / डिजिटल लेंडिंग चैंपियंस को आवास ऋण,

व्यक्तिगत ऋण और कृषि ऋण जैसे ऋणों को मंजूरी देने के लिए त्वरित टर्न-अराउंड के लिए लैपटॉप और टैबलेट प्रदान किए गए हैं। इस स्वचालन ने मंजूरी के लिए टीएटी को कम कर दिया है, इसके अलावा, फील्ड स्तर पर कई अनुपालन और परिचालन मुद्दों को कम किया है।

हमने समस्याओं के समाधान और डिजिटल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ऋण विभाग में वेब सहायता टीम भी शुरू की है।

- **ट्रेड्स कारोबार:** ट्रेड्स (ट्रेड्स) एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण/बट्टे की सुविधा प्रदान करता है। बैंक ऑफ़ इंडिया की सभी ट्रेड्स प्लेटफॉर्मों पर एक सक्रिय भागीदारी है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इन प्लेटफॉर्मों पर ट्रेड्स कारोबार के समग्र थ्रूपुट के 7.82% बाजार हिस्सेदारी का लाभ लेता है। बैंक का ट्रेड्स कारोबार बकाया वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 64.83% बढ़ा है और 31.03.2025 तक 6827.41 करोड़ रुपए के स्तर पर है। इसके अलावा, हमारे ट्रेड्स कारोबार को बढ़ाने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध हैं क्योंकि कई नए कॉर्पोरेट खरीदार प्लेटफॉर्मों पर नामांकित हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का ट्रेड्स कारोबार अच्छी गति से बढ़ने की उम्मीद है और हमने 31 मार्च, 2026 तक कारोबार को 8,300 करोड़ रुपए के स्तर पर वृद्धि का लक्ष्य रखा है।

बैंक ने ट्रेड्स के तहत कारोबार प्राप्त करने के लिए 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म यानी आरएक्सआईएल, इनवॉयसमार्ट और एम1 एक्सचेंज को शामिल किया है।

- **पूल बाय-आउट:** वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 67.63% की वृद्धि दर्ज की गई और 31.03.2025 तक 5144 करोड़ रुपए का बकाया रहा। वर्तमान में, हमारे पास पूल बाय-आउट सुविधा के लिए लगभग 1650 करोड़ रुपए की असंवितरित संस्वीकृत सीमा है। लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कारोबार प्रक्रियाधीन है। हमें उम्मीद है कि 31 मार्च, 2026 तक पूल बायआउट कारोबार 6,500 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा।
- **को-लेंडिंग:** - वर्तमान में, हम एमएसएमई और खुदरा उत्पादों में को-लेंडिंग के लिए विभिन्न एनबीएफसी के साथ टाई-अप कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वृद्धिशील वृद्धि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 120.51% है, जिसमें 31.03.2025 तक कुल बकाया 558 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, हमने 4 नई एनबीएफसी के साथ को-लेंडिंग व्यवस्था की है और चालू वित्त वर्ष के दौरान 6 अतिरिक्त एनबीएफसी के साथ नई टाई-अप व्यवस्था करने की योजना बना रहे हैं। हम 31 मार्च, 2026 तक को-लेंडिंग कारोबार को 1000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचाने का अनुमान लगा रहे हैं।

मुंबई दक्षिण क्षेत्र में एसएमईयूसी-को-लेंडिंग का गठन किया गया है, ताकि दायित्व-वार ऋण प्रस्तावों की प्रक्रिया और स्वीकृति की जा सके। सभी को-लेंडिंग कारोबार को सेंट्रलाइज्ड पूल बाय आउट और को-लेंडिंग सेल (सीपीबीसीएलसी) मुंबई दक्षिण क्षेत्र में स्थापित किया गया है।

● आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण:

चालू वित्त वर्ष के दौरान हम आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण कारोबार को 2000 करोड़ रुपये के स्तर तक बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं।

इसके लिए, हम कारोबार को बढ़ाने के लिए पूर्ण विकसित टीम के साथ प्रधान कार्यालय में नई आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण (एससीएफ) कक्ष की स्थापना कर रहे हैं। एससीएफ कक्ष ने आपूर्ति श्रृंखला कारोबार को गति देने के लिए सभी क्षेत्रों से ईसीसीबी सहित 76 शाखाओं की पहचान की है। कारोबार के विकास के लिए एचओ टीम इन शाखाओं के साथ मिलकर काम करेगी।

15. जोखिम प्रबंधन :

जोखिम तथा नियंत्रण :

बैंक के पास जोखिमों तथा प्रतिलाभों के बीच तालमेल को बनाये रखने के लिए, उधारकर्ता स्तर और पोर्टफोलियो स्तर पर प्रासंगिक जोखिमों का अनवरत मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र है। बैंक का निदेशक मण्डल विशिष्ट जोखिमों पर ध्यान देने के लिए गठित बोर्ड की विशिष्ट समिति के माध्यम से बैंक में सभी जोखिमों की समग्र निगरानी करता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आर. कॉम.) बोर्ड की एक उपसमिति है जो जोखिम प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई है, जिसे विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तर की समितियों जैसे आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को), सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति), एमआरएमसी (बाजार जोखिम प्रबंधन समिति) और ओआरएमसी (परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के लिए समिति) से सहयोग प्राप्त होता है।

जोखिम प्रबंधन में बैंक में सभी गतिविधियों तथा उत्पादों से संबंधित जोखिम की पहचान, माप, निगरानी, शमन और सभी संभावित जोखिमों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शामिल है। इन प्रक्रियाओं से संबंधित नीतियों अर्थात् एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन बाजार जोखिम प्रबंधन, एक्सपोजर (बैंक एक्सपोजर एवं लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क), आस्ति देयता प्रबंधन, फॉरेन एक्सचेंज और डीलिंग रूम परिचालन आदि में इनके विषय में विस्तार से बताया गया है।

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, अपने परिचालनों और संस्कृति में, जोखिम प्रबंधन के पूर्ण एकीकरण पर केंद्रित है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढाँचा जोखिम प्रबंधन चक्र से आरंभ होता है, जिसमें कई चरण होते हैं: जोखिम पहचान-क्षमता स्थापित करना, दबावग्रस्तता संबंधी जाँच आयोजन करना, परिस्थितियों का विश्लेषण, सभी खण्डों में जोखिम मूल्यांकन का संपूर्ण क्षेत्र तैयार करना। जोखिमों की पर्याप्त रूप से पहचान, विश्लेषण, मापन, रिपोर्ट व शमन किया जाता है। जोखिम प्रबंधन बैंक के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए

प्रयासरत है कि सभी जोखिम क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली श्रेष्ठतम वैश्विक पद्धतियों को अपनाया जाए। इस जिम्मेदारी को मानव संसाधन और सिस्टम में निवेश करके तथा जोखिम पहचान करने की संस्कृति को तैयार करके पूरा किया जा रहा है। बैंक ने जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों तथा तकनीकों जैसे विवेकपूर्ण व आंतरिक सीमाओं की निगरानी, बासेल के अनुरूप ऋण रेटिंग मॉडल, सक्रिय लिक्विडिटी प्रबंधन, ईआरएम स्कोरकार्ड, पीक्यूआई आदि का उपयोग किया है।

ऋण रेटिंग की सीमाएं विशिष्ट उद्योग/क्षेत्र के कार्य-निष्पादन पर आधारित थीं। उधारकर्ताओं की साख योग्यता का आकलन करने के लिए बैंक विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल और स्कोरकार्ड का उपयोग करता है। बदलते आर्थिक परिवेश और परिवर्तित होते व्यवसाय मॉडल को ध्यान में रखते हुए, जोखिम चालकों को बेहतर ढंग से दर्ज करने और अंडरराइटिंग मानकों को और मजबूत करने के लिए रेटिंग मॉडल का पुनः कैलिब्रेशन किया गया है।

व्यापार के सामान्य क्रम में बैंकों को मुख्य रूप से विभिन्न जोखिमों जैसे-ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ऋण जोखिम ऋण चुकाने या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ता की विफलता के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की संभावना है। ऋण जोखिम गणना के लिए बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) को अपनाया है।

बाजार के कारकों में उतार-चढ़ाव के कारण, बैंक को नुकसान की संभावना **बाजार जोखिम** है जैसे कि ब्याज दर, विदेशी मुद्रा दर, इक्विटी मूल्य आदि। बैंक ने बाजार जोखिम गणना के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति (एसडीएम) को अपनाया है।

परिचालन जोखिम को अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रिया, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल है, लेकिन इसमें रणनीतिक और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है। बैंक बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के माध्यम से परिचालन जोखिम भारत आस्तियों की गणना करता है। बैंक आरबीआई दिशानिर्देशों के मसौदे में उल्लिखित परिचालन जोखिम भारत परिसंपत्तियों की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार है। परिचालन जोखिमों से होने वाले नुकसान की संभावना और संभावित प्रभाव को कम करने के लिए बैंक प्रक्रियाओं के एक व्यापक दायरे, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और नीतियों के साथ परिचालन जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करता है।

आस्ति और देयता प्रबंधन : बैंक ने आस्ति और देयता के संतुलन न होने के उपरांत आने वाले वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत एएलएम प्रथाओं को अपनाया है। जोखिम को कम करते हुए अधिक दक्षता और लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए बैंक की सतत और गुणात्मक वृद्धि के लिए प्रभावी आस्ति और देयता प्रबंधन (एएलएम) आवश्यक है। आपके बैंक का एएलएम, बाजार की गतिशीलता की समीक्षा कर उससे प्राप्त संकेतों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट को मजबूत करने का प्रयास करता है और विनियामक अपेक्षाएँ को बनाए रखता है। मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की

प्रतिबद्धता के तौर पर आपका बैंक नियमित रूप से बाजार स्थितियों में उतार-चढ़ाव को अपनाने के लिए 'ऋण और अग्रिमों हेतु मूल्य निर्धारण, वैश्विक आस्ति और देयता प्रबंधन', दबाव परीक्षण नीति' पर अपनी आंतरिक नीतियों की समीक्षा करता है। आपका बैंक अतिरिक्त दबावग्रस्तता परीक्षण और रिवर्स दबावग्रस्तता परीक्षण करता है ताकि सबसे खराब स्थिति में भी किसी भी तरह की जोखिम को दूर किया जा सके। बैंक के घरेलू बैंकिंग परिचालनों के लिए लिक्विडिटी का प्रबंधन सीधे प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है। बैंक की विदेशी शाखाएं और ऑफशोर इकाई प्रधान कार्यालय के समर्थन से स्वतंत्र रूप से अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं। इसी तरह, बैंक की सहायक कंपनियां स्वतंत्र रूप से आर. कॉम के मार्गदर्शन में अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं और आर.कॉम सहायक कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ सहायक कंपनियों में भौतिक जोखिमों के जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करता है। इसके अलावा, बैंक अन्य मुद्राओं में लिक्विडिटी आवश्यकताओं की निगरानी के लिए उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं का रखरखाव करता है।

आपके बैंक की लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन ढांचा सुस्पष्ट बोर्ड अनुमोदित वैश्विक आस्ति देयता प्रबंधन नीति के माध्यम से निर्देशित होता है। इस प्रक्रिया के रूप में आपके बैंक ने बैंकिंग बही में लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिमों के लिए विभिन्न बोर्ड अनुमोदित सीमाएं स्थापित की हैं। आस्ति देयता समिति (एल्को) एक निर्णय लेने वाली इकाई है, जो बैंक की लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रणनीति को अपने जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप लागू करने के लिए जिम्मेदार है और बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहन/सीमाओं का पालन सुनिश्चित करती है। एल्को नीति के कार्यान्वयन और सीमाओं की निगरानी की समीक्षा करता है। परिपक्वता अंतर को कम करने में बेसल III अनुपात, और स्टॉक अनुपात सीमाएं लिक्विडिटी जोखिम को प्रबंधित करने में, निवल ब्याज आय और बाजार मूल्य प्रभाव बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इसे लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम दोनों को कवर करने हेतु बोर्ड अनुमोदित व्यापक परीक्षण योजना को मंजूरी देकर मजबूती से लागू किया गया है।

मजबूत व्यवहार विश्लेषण निश्चित रूप से प्रभावी एलएम प्रबंधन परिदृश्य का मूल है। आपके बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर व्यवहार अध्ययन किए जाते हैं ताकि ग्राहक व्यवहार का आकलन किया जा सके ताकि गैर-संविदात्मक आस्तियों और देयताओं तथा ग्राहकों के लिए उपलब्ध विकल्पों पर उचित कार्रवाई की जा सके जिनका उपयोग परिपक्वता अंतराल के प्रबंधन और जोखिम को दोहराते समय किया जाता है। लिक्विडिटी और ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणों में बहिर्प्रवाह/अंतर्वाहों का उचित स्थापन सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार संबंधी अध्ययन किए जाते हैं, जो मीयादी ऋणों/मीयादी जमाराशियों के पूर्व भुगतान, कासा में रन-ऑफ आदि जैसे तुलन-पत्र एक्सपोजर और बीजी/एलसी आदि में लागूकरण और न्यागमन जैसे तुलन-पत्र एक्सपोजर के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। गैर-संविदागत आस्तियों और देयताओं से संबंधित पूर्वानुमानों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है और नवीनतम अध्ययनों के परिणामों के अनुसार उनमें संशोधन किया जाता है। इसके अलावा, आपके बैंक के पास इंस्ट्राडे लिक्विडिटी जोखिम को प्रबंधित करने और कम करने के लिए आवश्यक ढांचा और बोर्ड अनुमोदित नीति है।

विनियामक और बैंक की आंतरिक नीति बेंचमार्क द्वारा निर्धारित एलसीआर के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्व्यूएलए) और निवल नकदी बहिर्गमन के स्टॉक की दैनिक निगरानी की जाती है। आपके बैंक ने आरबीआई के एनएसएफआर दिशानिर्देशों को लागू किया है, जो लिक्विडिटी के संदर्भ में आपके बैंक के दीर्घकालिक आघात-सहनीयता को मापते हैं। आपका बैंक अपनी बैलेंस शीट (ऑन/ऑफ) एक्सपोजर पर बदलती ब्याज दरों से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों की पहचान अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टिकोणों से करता है। इस प्रयोजन के लिए जोखिम पर आय (ईएआर) और इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन पूर्व-परिभाषित टॉलरेंस सीमाओं के साथ किया जाता है, जिससे प्रबंधन एनआईआई/निवल मूल्य में क्षरण के संभावित परिदृश्य में उपयुक्त निवारक कदम शुरू करने में सक्षम होता है। आपका बैंक अपनी बेंचमार्क आधार दरों के माध्यम से पर्याप्त मौद्रिक नीति अंतरण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करता है। आपके बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैलेंस शीट में आस्ति-देयता मिश्रण को संशोधित करके और समय-समय पर आस्ति और देयता के मूल्य निर्धारण को पुनर्व्यवस्थित करके लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करती है। एल्को अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज दर परिदृश्यों, देयता उत्पादों के विकास पैटर्न, ऋण वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक लाभों, लिक्विडिटी स्थितियों में परिवर्तन, विनियामक निर्देशों के अनुपालन आदि की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

आपका बैंक जून 2023 से बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) को माप रहा है और उसकी निगरानी कर रहा है। बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) बैंकों की पूंजी और ब्याज दरों में प्रतिकूल गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली आय के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बुक स्थितियों को प्रभावित करता है जिसमें आपका बैंक 6 निर्धारित विनियामक मानकीकृत ब्याज दर झटके के आधार पर इक्विटी और अर्जन (एनआईआई) के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव की गणना करता है।

बैंक वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) करता है जिसमें स्तंभ- I जोखिम, बैंक की जोखिम वहन-क्षमता और बैंकों के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में बैंक द्वारा अपेक्षित आंतरिक पूंजी के उचित स्तर के साथ-साथ विभिन्न जोखिमों (स्तंभ छ जोखिम) का आकलन/माप शामिल है। अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बैंक को संभावित प्रभाव की बेहतर समझ प्रदान करके जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस परीक्षण प्रक्रिया मौजूद है। आईसीएएपी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वह उचित स्तर की पूंजी के साथ काम करे। इसमें एक पूर्ण इंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के रूप में माने जा सकने वाले एक बड़े हिस्से को शामिल किया गया है। आईसीएएपी जोखिम और पूंजी प्रबंधन गतिविधियों को एक ऐसे रूप में एक साथ लाता है जिसका उपयोग व्यावसायिक निर्णयों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। बैंक, स्तंभ-II के प्रासंगिक जोखिमों की भी पहचान, आकलन और माप करता है और जोखिम समिति को रिपोर्ट करते समय उनके प्रशमन की योजना बताता है।

पिछले ढाई वर्ष में जलवायु जोखिम, धारणीय वित्त और ईएसजी से संबंधित विनियम तेजी से विकसित हो रहे हैं। बैंक ने आईसीएपी में जलवायु जोखिम की स्तम्भ-II जोखिम के रूप में पहचान कर ली है। इसके अलावा, चूंकि जलवायु जोखिम संबंधी विनियम और शासन विकसित हुए हैं अतः बैंक के बोर्ड ने बैंक के लिए ईएसजी नीति (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन) को अपनाया है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ईएसजी नीति में प्रशासनिक ढांचे को शामिल किया गया है और बैंक के विभिन्न विभागों हेतु की जाने वाली कार्रवाई भी निर्धारित किए गए हैं। बैंक ने एक समर्पित जलवायु जोखिम नीति का भी मसौदा तैयार किया है, जिसके माध्यम से बैंक ने अपने कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के जलवायु जोखिम स्कोर का आकलन करना शुरू कर दिया है। जलवायु जोखिम नीति मेट्रिक्स और लक्ष्यों को भी निर्दिष्ट करती है जो बैंक को भारतीय राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लक्ष्यों के साथ संरेखित करती है।

इसके अतिरिक्त, बैंक के पास फील्ड स्तर पर भी जोखिम संस्कृति को समझाने के लिए सभी भौगोलिक केंद्रों (अंचलों और फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय और विदेशों में स्थित शाखाओं) में फील्ड स्तर के जोखिम प्रबंधक हैं।

बैंक की सूचना जोखिम प्रबंधन प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य, बैंक को साइबर हमलों और साइबर सुरक्षा खतरों में तेजी के कारण सूचना सुरक्षा जोखिमों से बचाना है, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों के लिए। सूचना सुरक्षा विभाग बैंक के ब्रांड, प्रतिष्ठा और आस्ति की सुरक्षा के लिए नियंत्रण को मजबूत करता है। बैंक अपने ग्राहकों और खाताधारकों से संबंधित डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के प्रति सतर्क है और इसे साइबर हमलों से बचाने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतता है। बैंक ने कैप्टिव सिक्वोरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) स्थापित किया है। बैंक ने 24x7 आधार पर सूचना सुरक्षा उल्लंघन के प्रयासों/घटनाओं/स्थितियों की रियल-टाइम निगरानी के लिए सूचना सुरक्षा उपकरण लगाए हैं ताकि समय पर इन्हें रोका जा सके, पता लगाया जा सके और प्रत्युत्तर दिया जा सके। उन्नत सुरक्षा उपकरण जैसे एसआईईएम (सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन), पीआईएम (विशेषाधिकार पहचान प्रबंधन), डीएम (डेटाबेस गतिविधि निगरानी), डब्ल्यूएफ (वेब एप्लिकेशन फायरवॉल), एनबीएडी (नेटवर्क व्यवहार विसंगति का पता लगाना), एंटी-एपीटी (एडवांस पर्सिस्टेंस थ्रेट) वेब और ईमेल चैनलों के लिए और एंटी-डीडीओएस, डेटा डीएलपी (डेटा लीकेज रोकथाम) प्रयोग किए जा रहे कई सुरक्षा समाधानों में से हैं। थ्रेट हंटिंग, रोकथाम, पता लगाने और प्रत्युत्तर देने पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न नए सुरक्षा समाधान भी लागू किए गए हैं। बैंक आईएसओ 27001:2013 (आईएसएमएस) और आईएसओ 22301:2019 (बीसीएमएस) तथा पीसीआईडीएसएस प्रमाणित है। नकली साइटों के माध्यम से बैंक के ग्राहकों को फ़िशिंग हमलों से बचाने के लिए प्रभावी ब्रांड सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध हैं। सभी सिस्टमों के लिए समय पर उपचारात्मक गतिविधियों के साथ जोखिम और अतिसंवेदनशीलता का मूल्यांकन कार्य नियमित रूप से किया जाता है। सुरक्षा जागरूकता अभियान, विशेष रूप से सोशल इंजीनियरिंग के संबंध में, पूरे बैंक में आयोजित किये जाते हैं, जिनमें स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ ग्राहकों को भी शामिल किया जाता है तथा अध्ययन और संप्रेषण के विभिन्न चैनलों का प्रयोग किया जाता है।

16. थर्ड पार्टी उत्पाद प्रभाग :

1. बैंक ऑफ इंडिया दो जीवन बीमा कंपनियों, चार साधारण बीमा कंपनियों और तीन स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट एजेंट है।
2. बैंक ने म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए निष्पादन मॉडल अपनाया है। म्यूचुअल फंड कारोबार में बैंक एक खुली संरचना का अनुसरण करता है, जिससे अधिक टाई-अप समझौते करने में मदद मिलती है। इसलिए बैंक ने म्यूचुअल फंड उत्पाद वितरण के लिए कई आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ टाई-अप समझौते भी किए हैं।
3. बैंक बीमा और म्यूचुअल फंड एएमसी के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते समय, बैंक आरबीआई/आईआरडीआई/एमएफआई / एसईबीआई या किसी अन्य विनियामक जो उस पर बाध्यकारी है, के संगत दिशानिर्देशों का पालन करता है।
4. प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड एएमसी के साथ बैंक के मौजूदा टाई-अप निम्नलिखित हैं:

मौजूदा टाई-अप :-

क्र.सं.	उत्पाद	टाई अप पार्टनर
1	जीवन बीमा	1) स्टार यूनिनयन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. 2) भारतीय जीवन बीमा निगम
2	साधारण बीमा	1) रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 2) बजाज अलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 3) पयूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. 4) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3	स्वास्थ्य बीमा	1) स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि. 2) केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. 3) निवा बूपा इंश्योरेंस कंपनी लि.
4	म्यूचुअल फंड	एएमसी का नाम 1) बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि. 2) यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. 3) एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. 4) कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. 5) फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट प्रा. लि. 6) बंधन म्यूचुअल फंड (पूर्व में आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.) 7) डीएसपी म्यूचुअल फंड (पूर्व में डीएसपी ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लि.)
		8) आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड (पूर्व में बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.) 9) निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (पूर्व में रिलायंस म्यूचुअल फंड) 10) एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.

5. बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न क्षेत्रों (सेगमेंट) से कुल रु 281.25 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

टीपीपी अनुभाग	कमीशन आय
जीवन बीमा	223.43
साधारण बीमा	30.68
स्वास्थ्य बीमा	18.72
म्यूचुअल फंड	8.42
कुल	281.25

17. विपणन एवं प्रचार

बैंक का लक्ष्य आम जनता, ग्राहकों और अपने सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के बीच अपने उत्पादों और अत्याधुनिक सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाकर दृश्यता में सुधार करना है। प्रचार और जन संपर्क गतिविधियों को सभी भौगोलिक क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न मीडिया जैसे ओओएच के साथ साइनेज, डिजिटल होर्डिंग्स रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से कई विज्ञापन अभियान और संचार उपलब्ध कराकर समाज के सभी वर्गों को जागरूक करना है।

बैंक ने विभिन्न विपणन दृष्टिकोणों को लागू किया है जो न केवल प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बल्कि ग्राहक के जुड़ाव और वफादारी को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया और डिजिटल विपणन कार्यनीतियों को अपनाकर, बैंक ऑनलाइन मीडिया की क्षमता का लाभ उठाने, बड़ी आबादी तक पहुंचने, उन्हें संयोजित करने और कारोबार में बदलने में सक्षम है। विपणन, प्रचार, विज्ञापन और जनसंपर्क बैंक को लोगों के बीच निरंतर ब्रांड का स्मरण रखने में मदद करते हैं और इसे ब्रांड निर्माण में निवेश के रूप में माना जाता है।

18. कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर)

बीपीआर विभाग मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करने के साथ-साथ बैंक में नई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की शुरुआत एवं परिवर्तन प्रबंधन के अन्य पहलुओं पर काम करता है जिसमें संगठनात्मक संरचना, उत्पाद और नीतियां शामिल हैं। 2024-25 के दौरान की गई प्रमुख ग्राहक केंद्रित पहलें इस प्रकार हैं:-

वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान परियोजना कार्य/पहलें :

- निर्देश पुस्तिका का वास्तविक समय पर अद्यतन:** बैंक की निर्देश पुस्तिका सभी परिचालन प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के लिए एकल संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है। मैनुअल को अद्यतन किया गया और मैनुअल का वास्तविक समय पर अद्यतन को भी लागू किया गया।
- नई शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रों की पहचान :** नए प्रस्तावित केन्द्रों की क्षमता का विश्लेषण किया गया और सिविल से प्राप्त ऐतिहासिक आंकड़ों तथा आरबीआई डाटाबेस पर उपलब्ध पिन कोड आधारित जमा आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। इस अध्ययन के आधार पर 211 नई शाखाएं पहचानी गईं और खोली गईं।

- सेवा प्रभागों को तर्कसंगत करना :** सेवा प्रभागों को अधिक ग्राहक अनुकूल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तर्कसंगत किया गया है। प्रक्रियाएं अधिकतर स्वचालित कर दी गई हैं।
- भारतीय शाखाओं का पुनः वर्गीकरण:** हमने वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित किया है और तदनुसार सही स्टाफिंग और ग्राहक सेवा वितरण में आसानी सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं का पुनः वर्गीकरण किया गया है।
- बैंक की वेबसाइट को अद्यतन करना :** बैंक की वेबसाइट से सभी अप्रासंगिक और अप्रचलित सामग्री को हटाने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की गई हैं और अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।
- संगठनात्मक संरचना में संशोधन :** एरिया प्रबंधक पद अपेक्षित स्तर तक प्रभावी नहीं पाया गया, इसलिए इसे दिनांक 30.06.2024 से समाप्त कर दिया गया।
- स्टार परामर्श -** स्टाफ सुझाव योजना, फील्ड से प्रत्यक्ष परिचालन/व्यावहारिक सुझाव प्राप्त करने के लिए: हमने परिचालन दक्षता और सेवा प्रभावशीलता के लिए सम्मेलनों, गोष्ठियों और प्रशिक्षण केंद्रों सहित सभी मंचों पर दिए गए स्टाफ के सभी विचारों और सुझावों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया है।
- प्रधान कार्यालय के विभागों का संकलन-** यह संकलन प्रधान कार्यालय के विभागों की भूमिकाओं और कार्यों पर स्पष्टता प्रदान करता है। संकलन को नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है।
- परिपत्रों को अपलोड करना -** विभागों द्वारा जारी परिपत्रों को सार्वजनिक फोल्डर एवं स्टारडेस्क पर नियमित रूप से अपलोड करना (संरचित समिति के निर्देशानुसार सार्वजनिक फोल्डर पर परिपत्रों को अपलोड करना बंद कर दिया गया है)

उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज) 7.0 :

ईज 7.0 को बैंकों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने, मजबूत ग्राहक सेवा अभिविन्यास बनाए रखने, परिचालन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने एवं निर्मित नई आयु क्षमताओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने पर जोर देने के साथ शुरू किया गया था।

ईज 7.0 का फोकस पांच प्रमुख विषयों पर है:

- विकसित भारत की ओर बैंकिंग
- ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता
- नये युग की प्रौद्योगिकी एवं अन्य उन्नत क्षमताओं को अपनाना
- प्रभावी जोखिम/धोखाधड़ी प्रबंधन तथा वसूली
- उभरती बैंकिंग प्राथमिकताओं के लिए कर्मचारियों का विकास करना

बैंक ऑफ़ इंडिया को ईज 7.0 के तहत वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में बेसलाइन की तुलना में 85.4% सुधार के साथ 12 सार्वजनिक क्षेत्र

के बैंकों में से 6 वां स्थान और सर्वश्रेष्ठ सुधारक श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है।

ईज 7.0 के अंतर्गत बैंक द्वारा की गई प्रमुख पहलों की सूची निम्नलिखित है:

- 1) **चैपियन क्षेत्र:** “पर्यटन, आतिथ्य और लॉजिस्टिक्स” को एमएसएमई अग्रिम में सुधार के लिए चैपियन क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 हेतु रु. 2000 करोड़ और वित्त वर्ष 2026 के लिए रु. 3000 करोड़ है।
- 2) **युवा ग्राहकों के लिए उद्यमशील उत्पाद :** युवा-उन्मुख उद्यमशील उत्पाद “युवा उद्यमी” का लक्ष्य युवा ग्राहकों (आयु वर्ग 18-35 वर्ष) को ध्यान में रखकर विकसित भारत के विचार के साथ युवा ग्राहक आधार को व्यापक बनाना है।
- 3) **ग्रीन सेल गठन:** एक विशेष इकाई, “ग्रीन सेल” का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य नए उत्पाद प्रस्तुत करके ग्रीन देनदारियों में सुधार करने के अवसरों की खोज करना और अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों पर जोखिम को कम करने और टिकाऊ उधार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मार्गों के निर्माण के माध्यम से ग्रीन आस्तियों में सुधार करना है।
- 4) **फीडबैक कैप्चरिंग तंत्र:** ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर ग्राहक अनुभव पर शाखाओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड विकसित किया गया है।
- 5) **चैटबॉट का उपयोग करके ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना :** ग्राहक संपर्क को बेहतर बनाने के लिए एआई/एमएल का उपयोग करना एवं समग्र ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए हमारी चैटबॉट कार्यक्षमताओं को उन्नत करना।
- 6) **क्यूएमएस:** ग्राहक सुविधा में सुधार के लिए अधिक संख्या में आने वाली शाखाओं में केंद्रीय निगरानी वाले डिजिटल क्यूएमएस की तैनाती।
- 7) **ऑनलाइन ओटीएस :** रु.10 लाख तक के छोटे ऋणों के ओटीएस के लिए डिजिटल पोर्टल को लाइव किया गया, ताकि छोटे एनपीए ऋणों की वसूली में सुधार हो सके।
- 8) **एनालिटिक्स- संचालित -समाधान :** ग्राहकों को संवर्धित ग्राहक सहभागिता के लिए एनालिटिक्स-संचालित समाधान प्रदान करना।
- 9) **उत्पादों का डिजिटल सफर :** आरएमए खंडों में 16 उत्पादों का संपूर्ण डिजिटलीकरण, जिससे मार्च 2025 तक एसटीपी ऋण सफर की संख्या मौजूदा 4 से बढ़कर 16 हो जाएगी।
- 10) **मानव संसाधन परिवर्तन:** मानव संसाधन परिवर्तन पहले जो हमारी परिचालन क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए जनशक्ति नियोजन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

जैसा कि ऊपर उल्लेखित पहलों से स्पष्ट है कि डिजिटलीकरण, डिजिटाइजेशन एवं प्रक्रिया पुनर्विन्यास, ईज 7.0 के तहत परिकल्पित बैंक को रूपान्तरित करने की कुंजी है।

बैंक ने ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने, उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कई पहलों की हैं।

19. विधि एवं सूचना का अधिकार अधिनियम

बैंक का विधि विभाग सपोर्ट विभाग के रूप में कार्य करता है तथा प्रधान कार्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विभागों में सामने आने वाले मामलों पर सलाह, प्रलेखीकरण, मुकदमों इत्यादि के संबंध में प्लैटफॉर्म उपलब्ध कराता है।

विभिन्न एफजीएमओ/अंचलों, घरेलू शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक की अनुषंगियों द्वारा संदर्भित मामलों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त यह विभाग विभिन्न संविदाओं/सेवा स्तरीय करारों (एसएलए), सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीद, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्था/नये उत्पाद इत्यादि के प्रलेखों की ड्राफ्टिंग/वेरिफिकेशन के द्वारा विशेषज्ञ विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग, कोषागार विभाग, डिजिटल बैंकिंग विभाग, डिजिटल लेंडिंग विभाग, कार्ड उत्पाद विभाग, संयवहार बैंकिंग विभाग इत्यादि विशेषज्ञ विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

सूचना के अधिकार ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है तथा विभिन्न स्तरों पर बैंक के द्वारा विभिन्न आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। बैंक ने विभिन्न एफजीएमओ/अंचलों/एलसीबी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी निर्धारित किये हैं। विधि विभाग के सहायक महाप्रबंधक (विधि) /उप महाप्रबंधक (विधि), प्रधान कार्यालय को बैंक का सीपीआईओ नामित किया गया है तथा प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, विधि विभाग को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। आवेदन या अपील को निपटाने की प्रक्रिया यह है कि विभिन्न विभागों से वांछित जानकारी एकत्र की जाती है तथा 30 दिनों की निर्धारित अवधि के दौरान उसे आवेदकों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य एफजीएमओ/अंचलों को भी विशिष्ट बिन्दुओं पर मार्गदर्शन दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विधि विभाग, विधियों में संशोधन तथा नये विधानों पर एफजीएमओ/अंचलों को परिपत्र और दिशानिर्देश जारी करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विधि विभाग निम्नलिखित से संबंधित कार्य भी करता है:

- बैंक द्वारा दायरवादों के संबंध में वाद पत्र का अनुमोदन तथा वैसे वादों की निगरानी करना।
- बैंक के विरुद्ध दायर रिट, वादों, अपीलों, दावों इत्यादि पर परामर्श देना, आवेदनों/शपथ पत्रों इत्यादि, जहाँ भी लागू हों, उनकी जाँच करना।
- विभिन्न अधिनियमों पर विचाराधीन संशोधनों/नये विधानों सहित विभिन्न मामलों पर मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा आईबीए के

विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देना।

- शेयर विभाग के शेयर अंतरण मामले पर राय देना।
- बैंक के विरुद्ध वाद/बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है/प्रावधान आवश्यकताएं/अंचलों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई इत्यादि।
- एफजीएमओ/अंचलों से प्राप्त लोक अदालत के डेटा का समेकन।
- वाद दाखिल/डिक्री किए गए मामलों, आरबीएस डाटा, आरटीआई रिटर्न से संबंधित डाटा/सांख्यिकी एकत्रित तथा संकलित करना तथा विभिन्न प्राधिकारियों जैसे आरबीआई, डीएफएस, सीआईसी इत्यादि को प्रस्तुत करना।

20. अनुपालन विभाग

बैंक के पास एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक स्तर का एक अधिकारी करता है जिसे समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी के नाम से संदर्भित किया जाता है। विभाग का मुख्य कार्य घरेलू और विदेशी, इन दोनों परिचालनों के लिए सांविधिक, विनियामक और बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए संपर्क का एकल बिंदु है और प्रचलित एसपीएआरसी ढांचे के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन कार्य नीति है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और इसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा एवं अद्यतन किया जाता है। यह नीति निम्नलिखित घटकों से संबंधित है: i) प्रशासन ii) अनुपालन जोखिम मूल्यांकन iii) नीतियां, प्रक्रिया और संबंधित नियंत्रण iv) अनुपालन निगरानी और परीक्षण v) रिपोर्टिंग और संप्रेषण vi) अनुपालन में सुधार के लिए प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं vii) विनियामक संपर्क और समन्वय।

विभाग ने पारदर्शिता, प्रभावकारिता, निरीक्षण और प्रभावशीलता में सुधार करने तथा अनिश्चितता से निपटने और ज्ञात एवं अज्ञात दोनों जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया है जो कार्यनीति, कार्यनिष्पादन और निर्णय लेने के लिए अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद कर सकता है। विभाग आरबीआई दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुपालन और संधारणीय जाँच की पुष्टि करने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्र दोनों स्तर पर समय-समय पर परीक्षण का कार्य भी कर रहा है। अनुपालन परीक्षण की संख्या वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती जा रही है और परीक्षण परिणामों की रिपोर्टिंग समय-समय पर शीर्ष प्रबंधन को सौंपी जाती है। क्षेत्र स्तर पर अनुपालन जोखिम मूल्यांकन के लिए अनुपालन परीक्षण परिणामों के साथ-साथ अन्य नियंत्रण उपायों को शामिल किया गया है।

आगे बढ़ते हुए, विभाग बैंक के सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए एक अनुपालन मैनुअल शुरू करने की प्रक्रिया में है। विभाग आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में अनुपालन कार्य को स्वचालित करने का भी लक्ष्य बना रहा है।

अनुपालन विभाग, उन विदेशी प्रतिष्ठानों के अनुपालन कार्य की भी निगरानी कर रहा है जो अपने संबंधित देश आधारित अनुपालन नीतियों के साथ-साथ केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीतियों का पालन करते हैं। प्रत्येक विदेशी केंद्र/शाखा/अनुगंगी के पास संबंधित अनुपालन कार्य की देखभाल करने के लिए एक स्वतंत्र अनुपालन अधिकारी होता है। विदेशी शाखाएं, लागू विनियामक आवश्यकताओं स्वदेश/मेजबान देश के विनियामक दिशानिर्देश, इनमें से जो भी कड़े हों) का पालन करती हैं और पुष्टिकरण/अनुपालन स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। प्रत्येक विदेशी शाखा का अनुपालन अधिकारी, मासिक, अनुपालन परीक्षण करता है और प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। निचले स्तर पर संस्कृति विकसित करने के लिए, समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी की सीधी रिपोर्टिंग लाइन के तहत पूरे भारत में प्रत्येक अंचल और फील्ड महाप्रबंधक कार्यालयों (एफजीएमओ) में फील्ड स्तर के अनुपालन अधिकारियों को तैनात किया गया है।

21. राजभाषा:

बैंक में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करता है। सरकार की राजभाषा नीति के योजनाबद्ध कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप हमारे बैंक द्वारा वार्षिक कार्य-योजना 2024-25 तैयार की गई, जिसका विमोचन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया गया। विश्व हिंदी दिवस 2025 तथा हिंदी दिवस 2024 को पूरे उत्साह से मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय अंतर बैंक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे बैंक में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें विदेशी शाखाओं से भी सहभागिता रही। इस अवसर पर बैंक के सोशल मीडिया हैंडल पर राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया जिसमें ग्राहकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। 14 तथा 15 सितम्बर 2024 को भारत सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन (नई दिल्ली), में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सहभागिता की गई। इसमें माननीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय एवं अन्य गणमान्य पदाधिकारियों द्वारा हमारे बैंक को कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही नागपुर अंचल के संयोजन में कार्यरत नराकास को 'नराकास सम्मान' से सम्मानित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजभाषा अधिकारियों के क्षमता निर्माण एवं बेहतर कार्यनिष्पादन पर बल दिया गया एवं इसी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय वार्षिक समीक्षा बैठक, कंठस्थ 2.0 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उन्नत राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय में दिनांक 10.02.2025 को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कर कमलों से ई-पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति सप्ताह देश के महान सपूतों की जानकारी "सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व श्रृंखला" के माध्यम से भेजी जाती है। प्रधान कार्यालय में पूरे वर्ष के दौरान हिंदी ईमेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय के विभागों एवं अंचलों हेतु "राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता" आयोजित की गयी। राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अंचलों द्वारा भी अनेक संदर्भ साहित्य तैयार किये गए हैं। नई दिल्ली अंचल एवं कोलकाता अंचल द्वारा अखिल

भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। साथ ही 11 अंचलों द्वारा ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वर्ष 2024-25 में 15 नए राजभाषा अधिकारियों ने कार्यभार-ग्रहण किया।

हमारे अंचलों एवं नराकास को भारत सरकार से क्षेत्रीय स्तर के 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही, वर्ष के दौरान 34 अंचलों तथा शाखाओं को नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अनेक स्टाफ सदस्यों ने व्यक्तिगत स्तर पर अखिल भारतीय अंतर बैंक प्रतियोगिताओं एवं नराकास की प्रतियोगिताओं के पुरस्कार भी प्राप्त किये हैं। इस वर्ष बैंक ने कुल 210 राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें 5322 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। हमारा बैंक, सरकार द्वारा निर्धारित 15 नराकास के संयोजन का दायित्व सफलतापूर्वक निभा रहा है। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा वर्ष के दौरान हमारे 03 कार्यालयों/शाखाओं का निरीक्षण किया गया। सभी निरीक्षण सुचारु रूप से संपन्न हुए। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा बैंक के परिपत्र आदि का अनुवाद तत्परतापूर्वक किया जाता है। राजभाषा में अधिक कामकाज को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक द्वारा हिन्दी पत्रिका “बीओआई वार्ता” एवं गृहपत्रिका “तारांगण” पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

22. मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास :

ए. मानव संसाधन विभाग:

मानव संसाधन में डेटा से अधिक निर्णय लेने का लक्ष्य है ताकि विफलता तथा भेदभाव को कम किया जा सके। बैंक, क्षमता निर्माण तथा लगातार अध्ययन एवं विकास के माध्यम से सुसंगति प्राप्त करने का लक्ष्य कर रहा है।

- यथा 31.03.2025 को बैंक के रोल पर 50,564 स्टाफ थे। इसमें से 27,730 अधिकारी, 18101 लिपिक तथा 4733 अधीनस्थ स्टाफ सदस्य हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 दौरान बैंक ने सामान्य बैंकिंग तथा विशेषज्ञ संवर्ग में 799 स्टाफ अधिकारी तथा लिपिकीय संवर्ग में 228 (अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत 46) नियुक्तियाँ की हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान, बैंक की योजना है कि 1172 स्टाफ अधिकारियों तथा 1617 लिपिकीय स्टाफ की भर्ती की जाए।
- अधिकारियों हेतु नई कार्य-निष्पादन प्रबंधन नीति को बैंक के बोर्ड द्वारा 29.03.2025 को अनुमोदित किया गया है। कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) नीति संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ स्पष्टता, निष्पक्षता और संरेखण सुनिश्चित करती है, जिसमें भूमिका विशिष्ट केआरए, अंकन पद्धतियाँ, कोहोर्ट प्रबंधन, बहु-प्रतिष्ठा दृष्टिकोण, मूल्यांकन और प्रेडिग तर्क और अपील प्रक्रिया जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
- क्रमानुगत रूप से कार्यभार संभालने की योजना के अंतर्गत कॉरपोरेट ऋण, ऋण निगरानी, वसूली, कोषागार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत और उभरते क्षेत्रों जैसे अधोसंरचना वित्तपोषण तथा वित्तीय समावेशन में क्षमताओं के मुकाबले निर्धारित महत्वपूर्ण भूमिकाओं में कौशल की कमी को योजनबद्ध तरीके से दूर करना।

- प्रतिभा प्रबंधन के क्षेत्र में ध्यान देकर तथा प्रतिभा समीक्षा विकास प्रक्रिया की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन भूमिकाओं में वर्तमान पदधारी तथा क्षमतावान स्टाफ ठीक प्रकार से प्रशिक्षित तथा तैयार किए जाएं और ये समय पर इन भूमिकाओं को ले सकें।
- कागज रहित एचआर की दिशा में सेवाएं लाभ देय आवेदन को (ऑनलाइन) स्वीकार करने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन, प्रबंधन के लिए निवेश डैशबोर्ड आदि एचआरएमएस में फॉर्म 12बीबी जमा करना लागू किया गया है।
- बैंक ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समय-समय पर दिए गए सूचना के अनुसार भारत सरकार के निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन में एक लैंगिक तटस्थ 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) नीति' लागू की है। बैंक का यह प्रयास रहा है कि किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को समाप्त किया जाए तथा सुरक्षित, अनुकूल और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी कर्मचारियों को समानता, गरिमा और सम्मान का आनंद ले सकें।
- ऐसे अधिकारी जिनकी रुचि है तथा ऋण, जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी इत्यादि जैसे विशेषज्ञता क्षेत्र में काम करने का उत्साह है उन्हें 'स्टार हंट' योजना के माध्यम से पहचाना जा रहा है। चयन के बाद ऐसे अधिकारियों को चयनित वर्टिकल में प्रशिक्षण तथा निर्धारित फील्ड में तैनात किया जाता है।
- स्वाध्याय को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित संस्थानों तथा एमओसीसी के अंतर्गत भी अनेक पाठ्यक्रम बैंक के क्षमता निर्माण में शामिल हैं। ऋण अनुपालन, इत्यादि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए क्रिसल, आईआईबीएफ, सीएबी मनिपाल इंस्टीट्यूट जैसे बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।
- बैंक का लक्ष्य है कि विभिन्न एच.आर. पहल जैसे जॉब फैमिली, उत्तराधिकारी योजना तथा प्रतिभा प्रबंधन प्रक्रिया एवं अधिक अभिगम तथा सेवा उत्कृष्टता के लिए पीएसबी सुधार एजेंडा (ईज) में परिकल्पित किसी अन्य सरकारी निदेश का बाधा रहित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- बैंक ने नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर आधारित तथा किसी प्रकार के पक्षपात/ भेदभाव तथा शोषण से मुक्त कार्य वातावरण वाली संस्था सुनिश्चित करने की दिशा में 'बैंक ऑफ इंडिया नैतिकता तथा हितों का टकराव नीति' को कार्यान्वित किया है।
- हम सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए तथा सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांग व्यक्ति समानता और आत्मसम्मान से रहें तथा अन्यो के बराबर प्रदर्शन करने के लिए सशक्त रहें, हम अपने बैंक में समान अवसर नीति के कड़ाईपूर्वक अनुपालन तथा कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- **स्टार प्रतिबिंब (एचआर मूल्यांकन) वर्ष 2024 के लिए संशोधित -** तीन स्तरों पर मानव संसाधन मूल्यांकन करता है अर्थात् आंचलिक कार्यालय से आंचलिक कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण केंद्र तथा शाखा से शाखा। 100 में से अंकन प्रणाली के साथ 10 मापदंडों पर मूल्यांकन। इससे मानव संसाधन नीतियों के बेहतर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में मदद मिलेगी।
- **विशेषीकृत स्ट्रीम में पार्श्व भर्ती शुरू की गई -** विशेषज्ञ स्ट्रीम (सुरक्षा, अर्थशास्त्री, आईटी अधिकारी, कानून, जोखिम आदि) में 158 अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया पूरी हो गई है। उपयुक्त पाए गए 142 अधिकारियों का चयन किया गया है, जिनमें से 100 अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया।
- **‘स्टार समर्थ’** यह एक मानव संसाधन पहल है जो कर्मचारियों को अपने कैरियर की आकांक्षाओं, लक्ष्यों और अन्य चिंताओं को साझा करने हेतु सशक्त बनाने और सहायता प्रदान करती है, जो समस्त भारत के सभी अंचलों में कार्यात्मक है। प्राप्त फीडबैक और अनुभव के आधार पर एक वर्ष बाद कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। कर्मचारियों को प्रभावी सहायता प्रदान करने हेतु कल्याण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
- पेंशनभोगियों को पेंशन से संबंधित सभी सामान्य बेसीक प्रश्नों की जानकारी एवं सूचनाओं प्रदान करने हेतु **‘बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट’** सक्रिय किया गया है।
- **डीसीपीएस -** निवेश मॉडल में कॉर्पोरेट सीजी योजना मॉडल से सब्सक्राइबर लेवल मॉडल तक परिवर्तन: व्यक्तिगत स्टाफ को पेंशन फंड मैनेजर बदलने और एसेट क्लास आबंटन तय करने का विकल्प दिया गया है।
- स्टाफ सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में तीन केन्द्रों की पहचान की गई है
 - एमडीआई-मुंबई (व्यक्ति और नेतृत्व के लिए)
 - एसटीसी-नोएडा (ऋण एवं जोखिम के लिए) और
 - आईटीटीसी-पुणे (आईटी).
- **बैंक ने पायलट आधार पर शिक्षुओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है:** बैंक ने 400 शिक्षुओं की नियुक्ति हेतु दिनांक 25.02.2025 को अधिसूचना प्रकाशित की है। यह प्रक्रिया 31.05.2025 तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से 1000 शिक्षुओं की नियुक्ति की जाएगी।
- **स्थानांतरण एवं रोटेशन नीति (डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार) -** बैंक की स्थानांतरण एवं रोटेशन नीति की समीक्षा डीएफएस दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई है, जिसमें सभी अधिकारियों को 3 विकल्प दिए गए हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कर्मचारी अनुकूल बन गई है।
- **पदोन्नति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्केल III, IV**

और V के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षा को शामिल करके **पदोन्नति नीति में सुधार किया गया है।** वर्ष 2024-25 के लिए पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हो गई है और परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।

- बैंक ने विभिन्न स्टाफ ऋणों की सीमा में वृद्धि की है, जैसे स्टाफ वाहन ऋण, स्टाफ आवास ऋण, व्यक्तिगत ओडी सुविधा आदि ताकि स्टाफ सदस्यों को इन ऋणों का लाभ उठा सकें।
- ईएसजी पहलों के एक हिस्से के रूप में, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए:-
 - एगोनॉमिक्स पर व्याख्यान कर बोन मिनरल डेंसिटी और दंत रोगों पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।
 - स्तन कैंसर जागरूकता शिविर।
 - एच एन रिलायंस के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
- **‘क्यूआर आधारित फीडबैक प्रणाली :** हमारी ग्राहक सेवा को बढ़ाने और हमारे स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त करने हेतु, क्यूआर आधारित फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है।
- एचआरएमएस में विभिन्न नए मॉड्यूल पेश किए गए हैं जैसे -
 - परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए एनओसी का ऑनलाइन आवेदन
 - स्टाफ ओडी/सावधि ऋण का ऑनलाइन आवेदन और प्रसंस्करण

एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूडी/ भूतपूर्व-सैनिक के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन:

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय के साथ-साथ सभी आंचलिक कार्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कक्ष स्थापित किया गया है जो आरक्षण नीति को लागू करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टाफ से संबंधित शिकायतों के निवारण में विशेष ध्यान रखता है। बैंक में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्गों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण 01 फरवरी 2019 से लागू किया गया था।

यथा 31.03.2025 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस स्टाफ का प्रतिनिधित्व:

संवर्ग	एससी	कुल स्टाफ का %	एसटी	कुल स्टाफ का %	ओबीसी	कुल स्टाफ का %	ईडब्ल्यूएस	कुल स्टाफ का %	कुल
अधिकारी	4973	17.93%	2527	9.11%	8464	30.52%	409	1.47%	27730
लिपिक	2732	15.09%	2161	11.93%	5184	28.63%	506	2.79%	18101
अधीनस्थ	1627	34.08%	567	11.87%	1332	27.90%			4733
कुल	9332	18.57%	5255	10.39%	14980	29.62%	915	1.80%	50564

प्रोजेक्ट स्टारलाइट**विज़न 2031 का कार्यनीतिक समर्थक**

प्रोजेक्ट स्टारलाइट के माध्यम से बैंक ऑफ़ इंडिया के मानव संसाधन परिवर्तन को इसके दूरदर्शी लक्ष्यों को साकार करने के लिए एक कार्यनीतिक लीवर के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें कार्यनिष्पादन, दक्षता, नेतृत्व एवं डिजिटल सक्षमता पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। यह पहल 5 परिवर्तन स्तंभों पर आधारित है::

1. कार्यनिष्पादन एवं जवाबदेही :

- फील्ड एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक नई कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) का शुभारंभ किया गया, जिसमें परिणाम-आधारित केआरए और संरचित समीक्षा लय को शामिल किया गया।
- बोर्ड द्वारा अधिकारी 1-अधिकारी 6 स्तरों के लिए संशोधित एपीएआर नीति को मंजूरी दी गई, जिससे भविष्य की भूमिकाओं और संगठनात्मक आवश्यकताओं के साथ कार्यनिष्पादन मूल्यांकन को शामिल किया जा सके।
- वित्त वर्ष 26 के लक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से निर्धारित किए गए। यह सिबिल एवं आरबीआई से बाजार आसूचना का उपयोग करते हुए एक उपकरण है, तथा इसे कॉर्पोरेट कार्यालय से लेकर अंचल तक संस्थान-व्यापी स्तर पर लागू किया गया है, जिससे संरेखण और स्वामित्व सुनिश्चित होता है।

2. प्रतिभा तैनाती और गतिशीलता :

- संपूर्ण पदोन्नति और नियुक्ति प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें अधिकारी स्थानांतरण हेतु नियम-आधारित अनुशंसा इंजन भी शामिल है।
- जॉब फैमिली फ्रेमवर्क को 8 से बढ़ाकर 11 परिवार किया गया; संशोधित नीति को बोर्ड ने अनुमोदित किया है। व्यक्तिगत कैरियर मैपिंग के लिए अधिकारी वरीयताएँ (अधिकारी 1-अधिकारी 5) कैप्चर की गईं।
- यह डेटा-समर्थित दृष्टिकोण जनशक्ति आबंधन एवं उत्तराधिकार आयोजना में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाता है।

3. बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण:

- 5,000+ मदों के क्यूरेटेड प्रश्न बैंक का उपयोग करके अधिकारी 1- अधिकारी 4 तक के सभी 25,000+ अधिकारियों ने भूमिका-आधारित कौशल मूल्यांकन किया है। प्रमुख समूहों में शाखा प्रबंधक, क्रेडिट, डिपॉजिट, आईटी, जोखिम, लेखापरीक्षा, अनुपालन और अन्य विशेषज्ञ स्टीम शामिल हैं।

- 1 लाख से अधिक डिजिटल इंप्रेशंस का समायोजन करके, एक गतिशील अध्ययन एवं विकास प्लेटफॉर्म जो नेतृत्व पाँ डकास्ट, सेक्टर प्राइमर्स और वेलनेस सेमिनार की पेशकश करते हुए स्टार संवाद का शुभारंभ।
- पार्श्व गतिशीलता और भविष्य की तत्परता का समर्थन करने के लिए लक्षित कौशल, निरंतर सीखने और विकास पर जोर।

4. नेतृत्व प्रक्रियाधीन प्रणाली को सशक्त बनाना:

- 540+ वरिष्ठ अधिकारियों (अधिकारी 5- अधिकारी 7) का 11 व्यवहारिक दक्षताओं के एक सुदृढ़ फ्रेमवर्क पर मूल्यांकन किया गया, जिससे नेतृत्व का बेहतर निदान संभव हो सका।
- संशोधित उत्तराधिकार आयोजना नीति अब बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, जिसे कोचिंग मध्यक्षेप और प्रतिभा दृश्यता द्वारा समर्थित किया गया है।
- नेतृत्व विकास अब एक संरचित यात्रा है - योग्यता मूल्यांकन से लेकर भूमिका तत्परता तक, जो एक स्थायी कार्यपालक बेंच को सक्षम बनाती है।

5. अभिशासन, अनुपालन और ईज़ संरेखण:

- लक्ष्य निर्धारण, मूल्यांकन (एपीएआर), व्यक्तिगत विकास योजना (आईडीपी), जनशक्ति आयोजना, तैनाती एवं उत्तराधिकार आयोजना के लिए एंड-टू-एंड उपाय अब कार्यान्वित किए गए हैं।
- संस्थागत उत्कृष्टता के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को बल देने हेतु, तीसरी एवं चौथी तिमाही की समीक्षा के दौरान ईज (EASE) 7.0 बेंचमार्क के साथ पूर्ण अनुपालन प्रदर्शित किया गया।
- लोगों के विश्लेषण और जनरेटिव एआई में चल रहे निवेश से निरंतर फीडबैक लूप, वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि और कुशल मानव संसाधन अभिशासन सुनिश्चित होता है।
- प्रोजेक्ट स्टारलाइट के माध्यम से यह परिवर्तन केवल मानव संसाधन को आधुनिक बनाने हेतु नहीं है - यह डिजिटल रूप से सशक्त, कार्यनीतिक रूप से संरेखित एवं भविष्य हेतु तैयार कार्यबल का निर्माण करने हेतु है जो बैंक ऑफ़ इंडिया के विकास को आगे बढ़ा सकता है।

23. अध्ययन एवं विकास विभाग:

अध्ययन एवं विकास (एलएंडडी) विभाग ने व्यापक कर्मचारी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चूंकि बैंकिंग परिदृश्य तकनीकी प्रगति, विनियामक अद्यतन और ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के साथ विकसित हो रहा है, इसलिए हमारी एलएंडडी टीम कर्मचारियों को उन्नत बनाने हेतु गतिशील

वातावरण में आवश्यक कौशल और ज्ञान से दक्ष करने पर केंद्रित है।

वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में कई डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेक और विनियामक अनुपालन मॉड्यूल का शुभारंभ शामिल किया गया। एक मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण - व्यक्तिगत सत्र, आभासी कक्षाएं और स्व-स्थापित ई-लर्निंग के संयोजन ने पूरे संगठन में अधिक पहुंच और लचीलापन सक्षम बनाया है।

वर्ष के दौरान, 27000 से अधिक कर्मचारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें जोखिम प्रबंधन, ग्राहक सेवा उत्कृष्टता, डिजिटल बैंकिंग उपकरण और साइबर सुरक्षा जागरूकता सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने उच्च-संभावित प्रतिभाओं और नव नियुक्त डीआरओ के लिए विशेष प्रशिक्षण के मार्ग शुरू किए, जिसका उद्देश्य बैंक के भीतर भविष्य के नेतृत्व को बढ़ावा देना है।

निरंतर सीखने में सहयोग करने हेतु, एलएंडडी टीम ने बैंक के आंतरिक ज्ञान मंच का विस्तार किया और वैयक्तिक कैरियर पाथों के अनुरूप व्यक्तिगत रूप से सीखने की यात्राएँ शुरू की हैं। कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु, बैंक ने कई प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहकार्यता (कोलैबोरेशन) की है, जैसे कि सीएफएआरएल, सीएबी पुणे, एनआईबीएम पुणे, इंडियन स्कूल ऑफ़ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद एवं मोहाली, आईआईएम उदयपुर, एससीआई हैदराबाद, आईडीबीआई ट्रेनिंग कॉलेज हैदराबाद, आईआईबीएफ, आईआईबीएम, बर्ड लखनऊ एवं मैंगलोर, आईआरएमए आनंद, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (एक्सआईएमबी), भुवनेश्वर, निब्सकॉम नोएडा, नेशनल फ़ोरेंसिक साइंस नई दिल्ली एवं गांधीनगर, मणिपाल ग्लोबल, आईएमआई नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडियन सोसाइटी फ़ॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट (आईएसटीडी), नई दिल्ली आदि।

नॉलेज पार्टनर के परिसरों में अनुकूलित प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों में गहन/सघन ऋण, महिला शाखा प्रमुखों, आरबीसी प्रमुखों, एसएमईसीसी प्रमुखों, मानव संसाधन प्रमुखों, स्टार कृषि विकास केंद्र प्रमुखों (एसकेवीके), आंतरिक लेखा परीक्षकों और अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। 2900 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता की।

सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय सामूहिक रूप से मासिक पत्रिका स्टार दर्पण प्रकाशित कर रहे हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा प्रकाशित संदीपनी और विजेता जैसे अन्य प्रकाशन कर्मचारियों के कौशल उन्नयन में सहायक हैं।

मानव संसाधन परिवर्तन अभ्यास (प्रोजेक्ट स्टार लाइट) के तहत तीन प्रशिक्षण कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में पहचाना गया है। सीओई का विवरण इस प्रकार है:

एमडीआई बेलापुर: जन एवं नेतृत्व विकास हेतु उत्कृष्टता केंद्र।

आईटीटीसी पुणे: आईटी एवं ग्राहक सेवा हेतु उत्कृष्टता केंद्र।

एसटीसी नोएडा: ऋण एवं जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र।

भविष्य की ओर देखते हुए, अध्ययन एवं विकास विभाग प्रशिक्षण प्रयासों को बैंक के परिवर्तन एजेंडे और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करके

एक प्रत्यास्थ, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है।

24. ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग विभाग

- ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग विभाग वेब पोर्टल, कॉल सेंटर, ईमेल, हैंड डिलीवरी आदि जैसे विभिन्न चैनलों पर ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों का निवारण करता है। शिकायतों का प्रभावी और समय पर निवारण सुनिश्चित करते हुए, सीईबीबी विभाग ग्राहकों के बीच सेवा श्रेष्ठता की भावना को भी बढ़ावा देता है, जिसके लिए फ़ील्ड स्टाफ को मुस्कुराहट के साथ ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- हमारे विभाग में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए विभिन्न स्तर हैं, जिनमें बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) सर्वोच्च है। विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र पर एक व्यापक नोट प्रत्येक तिमाही में सीएसबी के समक्ष रखा जाता है, ताकि विभाग की कार्यक्षमता और गतिविधियों के साथ-साथ विभिन्न मापदंडों पर प्रदर्शन का आकलन किया जा सके।
- ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) की बैठक मासिक आधार पर आयोजित की जाती है, जिसमें बैंक की शिकायत निवारण प्रणाली एवं ग्राहक सेवा की समीक्षा की जाती है। समिति की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक करते हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक भाग लेते हैं। विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दे, जिन्हें समाधान के लिए सीईबीबी विभाग को भेजा जाता है, इन बैठकों में समाधान किए जाते हैं और उन पर चर्चा की जाती है, जिसमें शिकायतों के त्वरित, प्रभावी और निर्णायक निवारण के लिए शीर्ष प्रबंधन द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाते हैं।
- ईज में बैंक के प्रदर्शन में तिमाही दर तिमाही उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ईज 7.0 के तहत नवीनतम तिमाही की रेटिंग में, बैंक ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
- बैंक के पास मजबूत शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, अर्थात् स्टार संपर्क (सीआरएम नेक्स्ट) जो विभिन्न चैनलों से आने वाली सभी शिकायतों को केचर करती है। प्रत्येक शिकायत में एक यूनिक आईडी होती है जिसे ग्राहक ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है। शिकायत के संबंध में अपडेट की सूचना शिकायतकर्ता को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है। बैंक द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट न होने पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पुनः दर्ज कर सकता है।
- सीईबीबी विभाग ने हमारे ग्राहकों के बीच बैंक की सेवाओं के संतुष्टि स्तर का आकलन करने के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से फीडबैक कैप्चरिंग मैकेनिज्म को भी लागू किया है। शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से फीडबैक कैप्चर किया जाता है। इसने ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक की निगरानी के लिए मजबूत तंत्र अर्थात् क्विक सेंस पोर्टल को भी लागू किया है। क्विक

सेंस पोर्टल ग्राहक संतुष्टि स्कोर (सीएसएटी) की निगरानी करता है जो बैंक के ग्राहकों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

- कॉल सेंटरों दो भूकपीय क्षेत्रों अर्थात् ऐरोली (मुंबई) और बेगमपेट (हैदराबाद) में स्थित हैं। कॉल सेंटर भी ग्राहकों को 24x7x365 विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं। बैंक, बदलते तकनीकी परिदृश्य में नई अत्याधुनिक तकनीक के साथ कॉल सेंटर को नया रूप देने की प्रक्रिया में है।

25. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार - शाखा विस्तार विभाग

भौगोलिक रूप से भारत और विदेश में बैंक का शाखा नेटवर्क काफी विस्तृत है। यथा 31.03.2025 तक बैंक की भारत में 5306 शाखाएँ थीं। बैंक के घरेलू शाखा नेटवर्क की संरचना इस प्रकार है:

वर्ग	31.03.2024		31.03.2025	
	शाखाओं की संख्या	कुल का %	शाखाओं की संख्या	कुल का %
महानगरीय	990	19.23	974	18.36
शहरी	830	16.12	851	16.04
अर्ध-शहरी	1464	28.44	1573	29.65
ग्रामीण	1862	36.17	1906	35.92
डिजिटल बैंकिंग यूनिट	2	0.04	2	0.03
कुल घरेलू शाखाएँ	5148	100	5306	100

वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने 211 नई शाखाएँ खोली हैं। नई खोली गई 211 शाखाओं का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:-

महानगरीय	शहरी	अर्ध-शहरी	ग्रामीण	कुल
32	28	109	42	211

इसके अतिरिक्त, बैंक की उपस्थिति विदेशों में भी है, जिसमें 22 शाखाएँ (गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग इकाई सहित), 4 सहायक कंपनियाँ, 1 संयुक्त उद्यम और 1 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, जो 5 महाद्वीपों के 15 देशों में फैले हैं, जिससे दुनिया के सभी समय क्षेत्रों और महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों में बैंक की उपस्थिति है।

26. घरेलू अनुषंगी प्रबंधन प्रभाग

बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड (बीओआईएसएल)

बीओआईएसएल में बैंक का निवेश रु.6.65 करोड़ है, जो बैंक की पूर्णतः अनुषंगी है। बीओआईएसएल दोनों निक्षेपागारों राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) एवं केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) हेतु निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के रूप में कार्य करता है। कंपनी ने अप्रैल 2024 में अपनी कॉर्पोरेट बीएसए गतिविधि भी शुरू कर दी है।

बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.(बीओआईआईएमपीएल) तथा बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसिस प्रा.लि. (बीओआईटीएसपीएल) (पूर्व में बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि. तथा बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसिस प्रा.लि.)

यह अनुषंगी, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र विनियमन के तहत म्यूचुअल फंड और निवेश परामर्श सेवाएँ के कारोबार में हैं। बैंक ऑफ इंडिया रु.98.10 करोड़ के सम्मिलित निवेश के साथ बीओआईआईएमपीएल और बीओआईटीएसपीएल में 100%शेयरधारक है।

बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लि.(बीओआईएमबीएल):

वर्ष 2014 में स्थापित, बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स सामूहिक ऋण, बॉन्ड तथा डिबेंचर की व्यवस्था सहित मर्चेन्ट बैंकिंग कारोबार में लगा हुआ है। यह बैंक की रु.10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

एसटीसीआई फाइनांस लिमिटेड

1994 में स्थापित, एसटीसीआई फाइनांस लि. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बैंक ऑफ इंडिया एसटीसीआई में 29.96%(रु.130.10 करोड़ का निवेश) धारिता के साथ सबसे बड़ा हितधारक है। एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. (एसटीसीआईपीडी), एसटीसीआई फाइनांस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसटीसीआईपीडी ने जून 2007 से परिचालन शुरू किया तथा यह देश के अग्रणी प्राथमिक डीलरों में से एक है।

स्टार यूनिजन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (सुड लाइफ)

अपने ग्राहकों को जीवन बीमा सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया, यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया तथा दाई-इची लाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स, जापान ने “स्टार यूनिजन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी” संयुक्त उद्यम का गठन किया है। कंपनी ने फरवरी, 2009 से बीमा कारोबार आरंभ किया। कंपनी में बीओआई की धारिता 27.48%(रु.132.92 करोड़ का निवेश) है, यूबीआई की धारिता 25.10%तथा दाई-इची लाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स की धारिता 47.42% है।

एसएसआरआईसी (इंडिया)लि.

एसएसआरआईसी (इंडिया)लि. को प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्गठन गतिविधियाँ करने के लिए विनिर्दिष्ट उपक्रम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) द्वारा शुरू किया गया था। कंपनी में बैंक की हिस्सेदारी 26.02%(रु.27.60 करोड़ का निवेश) है।

निवेश/गठबंधन:

नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. (एनएआरसीएल) - आईबीए ने बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए समस्या के समाधान करने के लिए बैड बैंक स्थापित किया है। बैंक ने 9%धारिता के साथ एनएआरसीएल में रु. 247.50 करोड़ का निवेश किया है।

इंडिया डेब्ट रेज़ल्यूशन कंपनी लि. (आईडीआरसीएल) - आईबीए द्वारा एनएआरसीएल को डेब्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रदान करने हेतु आईडीआरसीएल की भी स्थापना की गई है। आईडीआरसीएल अपनी क्षेत्रीय विशेषज्ञता एवं टर्न अराउंड विशेषज्ञों की टीम के साथ विशेषज्ञता लाती है। बैंक ने 4.00%शेयर धारिता सहित कंपनी में रु.0.80 करोड़ का निवेश किया है।

नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विसेस लि.(एनसीएमएल) को नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स) द्वारा प्रवर्तित है। यह प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं के सुरक्षित प्रबंधन तथा नियंत्रण रखने के लिए संपादक प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 28.09.2004 को निगमित हुआ। रु.3 करोड़ के निवेश के साथ कंपनी की इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 2.34% है।

स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस प्रा.लि. एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे स्विफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 9 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्विफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% धारिता 9 प्रमुख बैंकों के पास है। कंपनी में रु.7.71 करोड़ के निवेश के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया की शेयर धारिता 2.81% है।

एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड (पूर्व में एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एसएमईआरए)) की स्थापना वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान सिडबी द्वारा डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से की गई थी, जो वाणिज्यिक डेटा और एनालिटिक्स के अग्रणी प्रदाताओं में से एक है। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण की उपलब्धता होगी। रु.0.28 करोड़ के निवेश के साथ इसकी इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 1.96% है।

अन्य कार्यनीतिक निवेश :

बैंक ने निम्नलिखित संस्थाओं में भी कार्यनीतिक निवेश किया है

(रु करोड़ में, यथा 31.03.2025)

कंपनी का नाम	बही मूल्य#	अंकित मूल्य
सिडबी	650.53	15.10
मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया	0.00	5.00
ओएनडीसी	14.47	20.00
एनपीसीआई	10.00	10.00
इन्वेंट एसेट सिक्यूरिटाजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	5.35	4.00
एसबीआई डीएफएचआई लि.	29.99	4.42
सीईआरएसएआई	50.70	2.16
एग्रीकल्चरल फाइनांस कॉरपोरेशन	1.82	1.26
सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लि.	39.92	1.03
पीएसबी एलायंस	1.76	2.00
सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लि.	12.10	1.00
सीसीआईएल	14.09	0.50
यू.वी.एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं. लि.	0.32	0.15

वाणिज्यिक बैंकों (निर्देश) 2023 द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के स्पष्टीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर आरबीआई मास्टर निर्देश

दिनांक 12.09.2023 के अनुपालन में। सभी निवेशों का प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्यांकन किया गया और बाद में मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को दिनांक 01.04.2024 तक सामान्य रिजर्व में बदल दिया गया। तदनुसार, गैर-सूचीबद्ध कार्यनीतिक निवेश में निवेश का ब्रेकअप मूल्य के माध्यम से उचित मूल्यांकन किया गया और निवेश का बही मूल्य दिनांक 01.04.2024 से प्रभावी रूप से बदल दिया गया।

27. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

उत्तम कारपोरेट शासन, धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। यह सच है कि धोखाधड़ी को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सक्रिय फ्रेमवर्क और दृष्टिकोण के साथ, अन्य कारोबारी जोखिमों की तरह धोखाधड़ी जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है और कम किया जा सकता है, जैसे कि -

- * परिचालन मैनुअल एवं एसओपी द्वारा समर्थित बोर्ड - अनुमोदित नीति के अनुसार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार करना और उसका प्रबंधन करना,
- * विनियामकों एवं बोर्ड को धोखाधड़ियों की समय से रिपोर्टिंग करना,
- * प्रधान कार्यालय के हितधारक विभागों की मदद से धोखाधड़ी मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण और निदान तथा उपचारी उपायों का कार्यान्वयन एवं उत्पाद की कमियों के संबंध में जोखिम कम करने के लिए कदम उठाना,
- * परिपत्रों/अनुदेशों के जरिए समान प्रवृत्ति की धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली और धोखाधड़ी के कारणों की जानकारी देना ताकि शाखाओं में उक्त प्रकार की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके,
- * एमएमएस के द्वारा टिकर्स/आवधिक संदेशों से शॉर्ट अलर्ट संदेशों के माध्यम से तथा अध्ययन एवं विकास विभाग के समन्वय से धोखाधड़ी को रोकने पर प्रशिक्षण / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से स्टाफ को जागरूक करें।
- * सीओआरएम अनुमोदित एसओपी से कार्ड को छोड़कर सभी नॉन-क्रेडिट वितरण चैनलों को शामिल करने वाले इंटरप्राइज वाइड धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएम) को घरेलू शाखाओं एवं विशेष विदेशी केंद्र को साथ कवर करते हुए लागू किया गया है,
- * डिजिटल बैंकिंग विभाग के साथ समन्वय में, आवश्यक डेटा प्रदान करने के लिए एलईए द्वारा प्रबंधित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) पोर्टल पर काम करते हुए, ग्राहकों को और नुकसान से रोकने के लिए खातों को फ्रीज करना,
- * शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईएएस) के पास शिकायतें दर्ज कराना।

- * एम.एच.ए. (गृह मंत्रालय) के निदेशों के आधार पर आईबीए (भारतीय बैंक संघ) के मौजूदा दिशा-निर्देशानुसार एल.ओ.सी. जारी करना।

वर्ष के दौरान विशेषताएँ:

- * वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रिपोर्ट की गई नई धोखाधड़ी की घटनाओं की राशि रु.1073.49 करोड़ (रु.375.72 करोड़ की 5 धोखाधड़ी को छोड़कर जिसे पुनःजांच के बाद पुनः रिपोर्ट किया गया है) है, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की राशि रु.131.31 करोड़ (रु.735.39 करोड़ रुपए की सात धोखाधड़ी को छोड़कर, जिनकी पुनःजांच के बाद पुनःरिपोर्ट की गई थी) की तुलना में वृद्धि हुई है। रु. 375.72 करोड़ की राशि वाले पांच मामले जिन्हें आरबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 27.03.2023 के फैसले के अनुसार निष्क्रिय कर दिया गया था, हमारे द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पुनः जांच के बाद पुनः रिपोर्ट किए गए हैं। इसलिए, इन 5 मामलों को छोड़कर, जिनमें रु. 375.72 करोड़ की राशि शामिल है, वित्त वर्ष 2024-25 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की कुल राशि केवल रु.1073.49 करोड़ है।
- * वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्टाफ की भागीदारी वाली आंतरिक धोखाधड़ी रु.7.42 करोड़ थी, जो रु.1073.49 करोड़ की रिपोर्ट की गई नई धोखाधड़ी का केवल 0.69% है।

28. सतर्कता प्रबंधन :

सतर्कता प्रबंधन: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सामान्य निगरानी में, बैंक में सतर्कता प्रशासन के लिए, सतर्कता विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। घरेलू परिचालनों, विदेशी परिचालनों तथा अनुषंगियों में बैंक के अधिकारियों के सभी सतर्कता संबंधी मामलों को सतर्कता विभाग देखता है।

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यथा विदर्भ-कोकण ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक तथा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के सतर्कता प्रशासन की देखरेख भी सतर्कता विभाग करता है।

सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है जिनको दो उप महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारी सहायता करते हैं जिन्हें परिचालन, अन्वेषण तथा अनुशासनात्मक मामलों के क्षेत्र में अनुभव है। परिचालनात्मक सहायता के लिए, सतर्कता विभाग ने सतर्कता विभाग, प्रधान

कार्यालय के सीधे नियंत्रण में प्रत्येक अंचल में एक सतर्कता अधिकारी तैनात किया है। विदेशी केंद्रों में काम करने वाले समवर्ती लेखा परीक्षक, विदेशी शाखाओं के लिए सतर्कता अधिकारी की भूमिका निभाते हैं।

सतर्कता प्रशासन के सभी 3 कार्यप्रणाली जैसे निवारक, दंडात्मक तथा निगरानी संबंधी सतर्कता के मूलभूत आधार पर सतर्कता विभाग कार्य करता है तथा इसका लक्ष्य यह है कि संस्था की प्रबंधकीय दक्षता के स्तर को बढ़ाया जाए। डीएफएस, डीओपीटी, सीवीसी द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों इत्यादि के सार को शामिल करते हुए संसूचनाएं निवारक सतर्कता के अन्य संबंधित विषय के साथ-साथ समय समय पर फील्ड पदाधिकारियों/ कार्यालयों को परिचालित किया जाता है।

29. लाभांश वितरण नीति

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह हमारी वेबसाइट <https://bankofindia.co.in/documents/20121/25744421/5-Dividend-Distribution-policy.pdf> पर उपलब्ध है।

आभार:

बैंक का निदेशक मंडल (बोर्ड), भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड तथा अन्य विनियामकीय प्राधिकरणों के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं प्रतिनिधि बैंकों के सहयोग एवं सहायता के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। बोर्ड ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों, बॉण्डधारकों एवं शेयरधारकों को उनके असीमित समर्थन हेतु आभार व्यक्त करता है। साथ ही बोर्ड बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

बोर्ड के निदेशकों हेतु एवं उनकी ओर से

ह/-

रजनीश कर्नाटक
एमडी एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 9 मई 2025

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. GLOBAL SCENARIO

Global sentiments for CY2024 were one of cautious optimism, characterized by normalized fiscal policy, elevated public debt, constrained investments, easing inflation and steady growth figures, holding back global stability. With the international system operating under the set-up of a zero sum game, shock waves emanating from one side of the world crippled economic indicators on the other. Imposition of restrictive trade policies accelerated financial inflows into some of the emerging market assets, reshaping international markets.

Global Trade in CY 2024 hit a record \$33 trillion, stretching 3.7% from CY2023 with services trade steering half the expansion. Asia contributed to a whopping 8.5% elevation in its merchandise export volume, followed by South and Central America. Dialogues around Carbon Border Adjustment at the COP29 necessitate that international trade be aligned with climate goals by introducing tariffs on imported goods basis their carbon foot print, without burdening developing nations.

Uncertainty is brewing over CY2025 amid shifts in trade policy that could disrupt global supply chains, undermine predictability, investment and future economic outlook.

2. DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

During FY2024-25, the Indian economy exhibited a consistent trajectory of growth, crystallizing its position as an emerging global economic powerhouse. This headway was typified by healthy FDI inflows, an expanding export sector, exponential infrastructure spending and prioritizing fiscal prudence with progress.

The year 2024, which saw elections in 60 countries across the globe was considered a defining year for democracy, and India was no exception, returning the incumbent to office for the third term. The administration has made significant policy changes, paying closer attention to sunrise sectors. Bold policy resets, accelerated job creation, concerted efforts towards sustainable growth, balancing the demand pull and technology push innovation have been the cornerstones of the country's development narrative.

Real GDP, according to the Second Advance Estimates by NSO has been estimated to grow by 6.5% in FY 2024-25, driven by strong macroeconomic fundamentals, including services export growth, swelled forex reserves, robust food grain production and capacity addition in the power sector.

According to the IMF, India's projected GDP per capita for 2025 is \$2,880, a \$1590 addition since 2015. This increase, representing an 81 percent decadal growth can be ascribed to population boom, expanding economic activity, transforming employment landscape and a strong market potential.

As India propels towards becoming a US\$30 trillion economy by 2047, a comprehensive strategy under 'Viksit Bharat' has been outlined for 2024-25, prioritizing skill development and employment through initiatives like 'Employment Linked Incentive', 'Prime Minister's Internship', 'Skilling and Upgradation of ITIs', setting up of working women's hostels and creches.

The Budget for FY2026 charts a clear path for addressing looming challenges, underscoring People, Economy and

Innovation. Commitment to attain a lower than 4.5% fiscal deficit, striving improvement in gross tax to GDP ratio to 12%, realignment in the Basic Customs Duty (BCD) rate with an aim to correct the inverted duty structure, establishment of Special Window for Affordable Mid- Income Housing (SWAMIH) Fund 2.0 with a corpus of Rs. 15,000 crore for expeditious completion of stalled housing projects are few of the many interventions which will serve as the launch pad for Viksit Bharat 2047.

3. BANKING AND FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENTS

In the fiscal year 2025, the Indian Banking system displayed consistent preparedness in its ability to weather financial shocks.

Public Sector Banks recorded a cumulative rise in its annual profits to Rs. 1.78 lakh crore, posting a 26 percent growth over the previous year. The banking sector pulled off a significant milestone, with gross NPAs hitting a 12-year low of 2.6% in September 2024, buoyed by falling slippages, slack in the accumulation of new bad assets and steady credit growth.

Deposit accretion in Q4 FY2025 was however tepid at about 10.25% YoY and 2.3% QoQ – slightly below 2.6% QoQ growth recorded during Q3 FY2025. While credit growth outpaces deposit growth, the shrinking gap has implications for the profitability of the banks, with a renewed pressure on the NIM. The slowdown in the overall bank credit, from 15.2 percent YoY growth in Nov 2023 to roughly about 11.8 percent in Nov 2024 indicates that a natural correction is underway.

Credit expansion decelerated in FY2025 to nearly 11 percent YoY as opposed to 20.2 percent a year ago, due to waning market liquidity and higher base effect. While Credit growth in the industry sector was muted, that in agriculture and allied activities sector almost halved. Among leading industries, outstanding credit to 'petroleum, coal products and nuclear fuels', 'basic metal and metal products', 'engineering' and 'construction' logged a spurred growth.

A series of strategic interventions, corporate actions and boosted investor confidence added a cushion to the banking sector. Further, the system is watching for an expected uptick in credit growth after posting solid results for the year ended March 2025, as liquidity conditions soften and interest rates fall.

The EASE Reforms Agenda was unveiled by the Government of India in January, 2018, having its genesis in the 'PSB Manthan' held in November, 2017. EASE is a common reform agenda for PSBs aimed at institutionalizing clean and smart banking. The reform process commenced from launching the first edition of EASE 1.0 in January 2018. While the first edition EASE-1.0 laid the foundation for reforms in PSBs, the subsequent versions 2.0 to 7.0 made the reforms journey irreversible by strengthening processes and systems and driving outcomes.

The Indian economy and its currency traversed through a tumultuous FY2025 amidst unprecedented volatility and changing geostrategic conditions. The Rupee has endured significant fluctuations between Q2 and Q3 of FY2025. This additional pressure on the currency was eventually

reset by the RBI's intervention through a \$36 billion sell off in a phased manner in the foreign exchange market. In the face of heightened global tension, the Rupee was on thin ice, facing further depreciation before it staged a sharp comeback at the close of the fiscal. In an ecosystem where resilience overweighs efficacy by a large margin, the rupee's ambit will define the ability of the Indian economy to insulate itself against external headwinds.

The Union Budget 2025 directly addressed some of the key industry requirements and the initiatives proposed are poised to drive significant growth and advancement across vital segments, thereby creating a strong foundation for marked long term growth, stability and inclusiveness in the sector. Launch of the 'Grameen Credit Score' to assess the credit worthiness of the rural borrowers, proposal to roll out a revamped Central KYC system, setting up of a high level committee to review outdated regulations and streamline the compliance culture are reforms directed at positioning the banking industry for an exponential growth.

Idiosyncratic risks will continue to weigh on the BFSI module where governance lapses can impact the sentiments of the industry, pressing for enhanced vigilance about compliance, risk management and audit functions.

BUSINESS REVIEW :

1. RESOURCE MOBILISATION

There has been an overall growth of Rs.10,412 Crore in CASA during FY 2024-25 with a y-o-y growth of 3.86%. During the period, Saving Deposits have grown by Rs.8,190 Crore registering y-o-y growth of 3.46%. Bank has registered higher growth in Current Deposits which have increased by Rs. 2,222 Crore with y-o-y growth of 6.66%. The Term Deposit portfolio of the Bank has grown by Rs.55,602 Crore with y-o-y growth of 15.45%. The Total Deposit portfolio of the Bank has grown by Rs.70,581 Crore with y-o-y growth of 11.21%.

A total of 15,916 new HNI Savings Customers were added to our Savings Portfolio whose average balance per accounts is Rs. 5,00,000/- & above and the same has increased by 2.65% y-o-y contributing additional growth of Rs.567 Crore in overall Savings Portfolio of the Bank.

Similarly, a total of 2619 new Current Deposits of HNI customers were added to our Current Account Portfolio whose average balance per account is Rs. 2,00,000/- & above and the same has increased by 2.01% y-o-y contributing to additional growth of Rs.820 Crore in overall Current Deposit portfolio of the Bank.

With continued focus on CASA & thrust on customer acquisition, CASA Ratio of the Bank stood at 40.28% at the end of FY 2024-25.

2. ADVANCES:

Bank's Global Gross Advances grew from ₹5,85,595 Crore as of 31.03.2024 to ₹6,66,047 Crore as of 31.03.2025, reflecting a strong year-on-year growth of 13.74%. Gross Domestic Credit saw a steady rise of 14.45%, increasing from ₹4,92,392 Crore to ₹5,63,550 Crore over the same period. Catering to the diverse financial needs of corporates and mid-sized enterprises, Bank operates nine Large Corporate Branches alongside other major branches led

by Assistant General Managers and Chief Managers. To further strengthen mid-corporate lending, 10 new Emerging Corporate Credit Branches (ECCBs) were established in FY24-25 at strategic locations.

To support the national goal of green energy, Bank has established a dedicated Green Financing Cell. This specialized unit focuses on promoting sustainable investments, facilitating funding for eco-friendly projects; and driving financial solutions that contribute to a greener economy. By prioritizing green finance, Bank is actively supporting businesses and initiatives that align with the country's clean energy transition.

To support the country's mission of fostering a digital economy, Bank has enhanced the issuance of Electronic Bank Guarantees, ensuring faster, more secure, and efficient transactions. Additionally, we are actively working on multiple fronts to digitize service availability for our corporate clients, streamlining processes and improving accessibility. These efforts reinforce our commitment to technological innovation, helping businesses navigate the digital transition with ease and reliability.

3. RETAIL:

Retail credit portfolio of the Bank increased from Rs. 1,11,484 Crore as on 31/03/2024 to Rs. 1,33,699 Crore as on 31/03/2025, registering y-o-y growth of 19.93% with an increase of Rs.22,215 Crore. We continued with our special focus on Home Loan and vehicle loan segments during the year.

The Home loan segment recorded a growth of 14.75% from Rs. 59,107 Crore to Rs. 67,826 Crore during the year. The Vehicle Loan segment recorded growth of 25.16% from Rs. 16,641 Crore to Rs. 20,828 Crore during the year. Tie-up arrangements with auto manufacturers for vehicle loans during the year helped to increase vehicle loan portfolio.

Our Bank has approved Special Concessions for our retail products to the employees of corporate borrowers and the employees of other PSUs/ PSEs/ Reputed Corporates/ Institutions under tie-up arrangement with employers.

In Retail loan, the growth is contributed mainly by two major loan segments like Home Loan and Vehicle loan. We are focusing more on takeovers and acquisition of customers through e-platform. In addition, we are focusing on Loan against mortgaged properties for increasing share of secured retail portfolio.

We are also focusing on growth of Education Loan segment through attractive product features.

We have end to end integrated our LOS with PM Surya Ghar Portal for PM Surya Ghar scheme and with PM Vidyalakshmi portal for Education loan. Further, we have introduced digital journey for all retail loan products viz. Personal Loan, Vehicle Loan, education Loan, Loan against property and Home Loan during the year.

4. MSME (MICRO,SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)

The MSME sector is the backbone of Indian economy and plays an important role in the employment and income generation, adding to the decentralized growth of the economy with low per capita investment. MSME Sector

contributes 30% to India's GDP, 45% to manufacturing output and around 40% of total exports.

Focus on programmes such as Make in India, Start Up India, Digital India, Atmanirbhar Bharat and EASE Reforms has also brought major changes in MSME Credit at Bank's Level.

The performance under MSME segment of the Bank is as under:

GROSS MSME ADVANCES (EXCLUDING PWO & URI)					
Particulars	Mar-24	Dec-24	Mar-25	Growth YOY	Growth YOY (%)
GROSS MSME	76,559	89,134	90,639	14,080	18.39%

Highlights of FY 2024-25:

- During the financial year 2024-25, 2,47,088 new accounts have been added with sanctioned limit of Rs.36,268 Cr. These new accounts have contributed Rs.24,518 Crore to the MSME book.
- MUDRA Loans-During Financial year 24-25, Bank has disbursed Rs.11,005 Crore, against total sanction of Rs.12,496 Crore.
- TReDS- Bank has achieved outstanding limit of Rs.6827.41 Crore, exhibiting y-o-y growth of 64.83%.
- Bank of India has received prestigious SKOCH Gold Award for MSME growth
- SMECC/UC Revamping: The number of SMECC & UCs (dedicated processing centres for MSME) increased to 136 from 116 and centralized processing of all proposals of above Rs.10 Lakhs is being done smoothly. This has improved turnaround time, alongwith catering to various remote branches.
- Agreement with Hinduja Leyland Finance Limited (HLFL) – Bank has signed partnership agreement with Hinduja Leyland Finance Limited for developing fleet finance in the commercial vehicle segment.
- Agreement with Tata Motors Finance Limited (TMFL) – Bank has signed partnership agreement with Tata Motors Finance Limited for strengthening business in the commercial vehicle segment.
- Agreement with Tata Power Solar Systems Limited (TPSSL) – Bank has signed partnership agreement with Tata Power Solar Systems Limited to provide easy and affordable financing, contributing to accelerating installation of Rooftop Solar & EV Charging Stations.
- Memorandum of Understanding has been signed between Bank of India & Small Industries Development Bank of India (SIDBI) as participating lending institution for MSE-GIFT (Green Investment & financing for Transformation) scheme & MSE-SPICE (Scheme for Promotion & Investment in Circular Economy) scheme.
- During Q4 of FY 2024-25, Bank has launched "Project Saksham" to enhance sector specific knowledge and to develop financial solutions for cluster based finance scheme.
- "BOI STAR YUVA UDYAMI" scheme has been launched for providing simplified financing solutions

and hassle free cash flow based financing solutions to youth-led MSME entities.

- "BOI STAR UDYAMI VANITA" scheme has been launched with a view to have an exclusive product designed with concessional credit for women entrepreneurs.
- "BOI STAR MSME THALA" scheme has been launched with focus on emerging champion sectors like Travel and Tourism, Hospitality, Logistics & Infrastructure, alongwith Lease/ Rental Discounting for MSME units.

5. AGRICULTURE FINANCE: -

a) Priority Sector Advances:

- The bank is serving for the upliftment of the agriculture and priority sector, through its network of rural and semi-urban branches.
- Under Priority Sector Advances, the Bank has registered an outstanding level of Rs 2,13,227 Crore (45.05 % of March-25 ANBC).
- Under Agriculture, the outstanding was Rs 1,00,126 Crore, which is 21.15% of March-25 ANBC, out of which Outstanding for SF & MF is Rs. 58,185 Crore (12.29% of March-25 ANBC).
- Outstanding under MSME-Micro is Rs. 46,215 Crore (9.76% of March-25 ANBC).
- Outstanding level in Priority sector - Education loan is Rs 2,434 Crore, Priority Sector -Housing loan is Rs 20,565 Crore and other priority sector advances is Rs 16 Crore.
- Bank has achieved the regulatory ratios under Priority sector, Agriculture, SF & MF, MSME Micro and credit to weaker sections of FY 2024-25.

(Amt in Rs. Crore)

Particulars	Actual O/S Level March-24 (Audited)	Actual O/S Level Dec-24 (Audited)	Actual O/S Level March-25 (Audited)	Y-O-Y Growth (Mar 24/ Mar 25)		% of Mar-25 Qtrs. ANBC	Regulatory Requirement
				Amt	%		
ANBC	4,16,035	4,58,281	4,73,348				
1) Agriculture	84,445	96,920	1,00,126	15,681	18.57	21.15	18
2) Small & Marginal Farmers	53,362	53,867	58,185	4,823	9.04	12.29	10
3) Micro Enterprises	43,128	46,630	46,215	3,087	7.16	9.76	7.5
Priority Sector	1,83,459	2,07,213	2,13,227	29,768	16.23	45.05	40

*Total Agriculture and Priority Sector includes outstanding of RIDF & PSLC

- Under Agriculture, Bank branches disbursed Rs 74,962 Crore, whereas under Small and Marginal Farmers total disbursement during FY 2024-25 was Rs.40,959 Crore.

- Our Bank has sold Rs 7,000 Crore under PSLC – SF & MF and purchased Rs 7,000 Crore under PSLC – Agriculture. Net earnings by trading of PSLC was Rs 111.26 Crore, inclusive of GST during FY 2024-25.
 - Bank has issued 1.46 Lakh Kisan Credit Cards during the year with disbursement of Rs 9,606 Crore for flexible credit utilization.
 - Bank's credit exposure to the Minority Communities is Rs 19,393 Crore as on March 25 (9.09% of Priority Sector Lending).
 - Under weaker sections, Amount O/S as on 31.03.2025 is Rs. 73,573 Crore (15.54 % ANBC March-25).
 - Bank's finance to Priority - Food & Agro Industries as on 31.03.2025 is Rs. 10,321 Crore.
- b) **Gold Loan:** Gold loans registered incremental growth of Rs.7,786 Crore during FY 24-25 and reached an outstanding level at Rs. 35,339 Crore as on 31.03.2025.
- c) **Self Help Groups (SHGs):** Bank has customer base of 6.84 lakh Self Help Groups (SHGs) as on 31.03.2025 of which 3.52 lakh SHGs are credit linked, including 3.27 lakh women SHGs as on 31.03.2025.
- d) **National Rural Livelihood Mission (NRLM):** It is an important poverty eradication programme for rural poor. During the year, Bank has sanctioned amount of Rs 6,455 Crore to 95,783 SHGs.
- e) **Agriculture Processing Centers (Star Krishi Vikas Kendra (SKVK) & Agri Desk)**
- To harness the potential available in cluster areas for substantial and sustainable quality growth of Agriculture credit in general and investment credit in particular while ensuring adherence to Turnaround Time (TAT), Star Krishi Vikas Kendras (SKVKs) have been established.
 - Presently, 160 SKVKs are functional in 63 Zones across all 13 FGMOs tagged with 3347 branches including 2816 Rural / Semi Urban Branches for the processing of loans.
 - SKVK disbursed Rs. 15,211 Crore during FY 2024-25.
 - In addition to this, 134 Agri Desks are operationalized in SME City centers for focused & quality-driven growth in agriculture segment specially to cater to Food and Agro and Agri Infra business.
 - Agri Desk disbursed Rs 3,723 Crore during FY 2024-25.

6. FINANCIAL INCLUSION:

Bank considers Financial Inclusion as a viable business proposition and has shifted outlook from "CSR" to "economic

viability". ICT based solutions to support and secure sufficiently low cost transactions are required by the financial sector. Financial inclusion drive gained momentum with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) programme. Bank has provided banking services in unbanked rural areas through ICT led Business Correspondents model.

PMJDY and Social Security Schemes:

During FY24-25, 16.42 Lakh PMJDY accounts were opened. Bank has also actively participated in Social security schemes launched by Govt. of India. During the year (2024-25), Bank has covered 36.92 Lakh accounts under PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) and 18.35 Lakh accounts under PMJJBY (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) in this period. 5.84 Lakh new APY subscribers (Atal Pension Yojana) have been enrolled by the Bank in FY 2024-25.

Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL)

Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL)-PMSVANidhi was launched in June 2020 to provide hassle free Working Capital Demand Loan (WCDL) up to 10,000/-, repayable in 12 EMI to street vendors under Tranche I. Second Tranche under PMSVANidhi was for those street vendors who repaid their 1st PMSVANidhi Loan. Under Tranche II, WCDL upto Rs 20000/- (minimum Rs 15000/-) - repayable in 18 months installments was provided to street vendors. Under Tranche III, WCDL up to Rs 50000/- (Minimum Rs 30000/-) - repayable in 36 months installments has been provided to street vendors. It is discontinued from 31.12.2024, revised schemes is under progress with ministry.

Till 31/03/2025, we have sanctioned 6.84 lakh cases (98.27%) out of 6.96 lakh applications received, with total disbursement in 6.83 lakh cases (99.91% of sanctioned applications).

PM VISHWAKARMA

In September 2023, PM VISHWAKARMA was launched for the artisans and craftspeople, who work with their hands and tools, are usually self-employed and part of the informal or unorganized sector of the economy. These individuals are referred to as 'Vishwakarmas' and are primarily engaged in occupations like Blacksmiths, Goldsmiths, Potters, Carpenters, Sculptors etc. These skills or occupations are passed from generation-to-generation following a guru-shishya model of traditional training and it is aimed to ensure that these are integrated with the domestic and global value chains. It is the goal to offer holistic end-to-end support to the Vishwakarmas (18 traits), i.e. the artisans and craftspeople, to enable them to move up the value chain in their respective trades. The Scheme is being implemented by the Ministry of MSME, DFS & Ministry of Finance. MoMSME is the Nodal Ministry for the Scheme. PM Vishwakarma is initially implemented for five years up to 2027-28. Loan up to Rs. 1, 00,000/- is provided at 5% interest rate (fixed) in 1st Tranche, repayable in 18 months. Loan up to Rs. 2, 00,000/- is provided at 5% interest rate (fixed) in 2nd Tranche, repayable in 30 months. The beneficiary will be eligible for 2nd tranche when first tranche loan is fully repaid. Further, the second loan shall not be granted before six months of the disbursement of first tranche loan. MoMSME will provide interest subvention @ 8% to the Bank as upfront.

Till 31/03/2025, we have sanctioned 17627 applications (65%) out of 27265 eligible applications and disbursed 14663 applications (84%).

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs):

Bank is sponsoring 44 RSETIs across the states of Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal to impart training to Rural Youth. During the Financial year 2024-2025, RSETIs have conducted 1588 training programs and imparted training to 46,566 candidates ensuring settlement of 72.57% (33791) and providing credit linkage to 56.06% (18535) candidates to enable them for gainful employment. Out of 44 RSETIs, 43 RSETIs are graded in "AA" category by MoRD and one is a new RSETI, which is exempted from grading upto next two years.

Financial Literacy and credit Counseling Centres (FLCC)

FLCC/ FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines at Rural and Urban centers at district locations, where Bank is having Lead Bank responsibility. Bank's 49 FLCs are functional in all 49 Lead districts. The FLCs, in addition to imparting training, also undertake remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars. Till 31st March 2025, total 19.77 lakh needy distressed people were given counseling.

Centre For Financial Literacy (CFL): Pilot Project

In terms of communication dated December 10, 2020 from RBI, we have been advised that RBI had announced expanding the reach of CFL to every block in the Country in phased manner by March 2024. We have been associated as one of the sponsor banks since initial implementation of CFL Pilot Project which stands scaled up w.e.f. 01.12.2021. We were entrusted responsibilities for sponsoring of total 186 CFL, funded from Depositor Education and Awareness (DEA) / Financial Inclusion Fund (FIF) with some portion to be funded by sponsor bank. Accordingly, we have opened / scaled up 186 CFLs in five States (Jharkhand, Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh & Uttar Pradesh) in collaboration with RBI Identified Five NGOs from 1st December, 2021. Put together, all 186 CFL have conducted 2,02,071 camps and total 69,10,656 distressed people have been counseled up to 31.03.2025.

Regional Rural Banks:

Post amalgamation, we are sponsoring 3 RRBs, Aryavart Bank (AB),- in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh Gramin Bank (MPGB) in Madhya Pradesh and Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB) in Maharashtra state, covering 82 districts with a network of 2554 branches as on 31.03.2025. All these sponsored RRBs are managed by the Chairmen deputed from Bank of India and the performances are being monitored by General Manager FI & RRB (Div.) from Head Office. All three RRBs have branches and administrative offices on CBS platform with system generated report facility. These RRBs are enabled on RTGS, NEFT and ATM platforms. All our RRB have a combined business mix of Rs.1,11,236 Crore as on 31.03.2025.

Lead Bank Scheme:

Our Bank has Lead Bank responsibility in 49 districts of the country across five states (spread over 21 Zones), details of which are as under:

S. No.	Name of State	No. of Lead Districts	Name of Lead Districts
1	Jharkhand	15	West-Singhbhum, Seraikela-Kharsawan, Ranchi, Bokaro, Dhanbad, Ramgarh, Hazaribagh, Gumla, Lohardaga, East-Singhbhum, Koderma, Chatra, Giridih, Simdega and Khunti
2	Maharashtra	12	Gadchiroli, Kolhapur, Bhandara, Sindhudurg, Nagpur, Raigad, Sangli, Wardha, Ratnagiri, Chandrapur, Gondia and Solapur
3	Madhya Pradesh	13	Bhopal, Sehore, Khandwa, Khargone, Rajgarh, Dhar, Agar-Malwa, Burhanpur, Dewas, Barwani, Indore, Ujjain and Shajapur.
4	Uttar Pradesh	07	Barabanki, Unnao, Lucknow, Hardoi, Farrukhabad, Mainpuri and Kannauj
5	Odisha	02	Mayurbhanj and Keonjhar

a) Main functions envisaged for LDMs:

- Monitoring the implementation of the District Credit Plan
- Associate with the setting up of Financial Literacy Centres (FLCs), RSETIs by banks
- Associate with organizing financial literacy camps by FLCs and rural branches of banks
- Holding annual sensitization workshops for banks and Government officials with participation by NGOs/ Panchayati Raj Institutions (PRIs)
- Arranging for quarterly awareness and feedback public meetings, grievance redressal etc.
- Convening meeting of DCC/ DLRC/ BLBC in their districts/ blocks
- Organizing periodical meetings of DDM/ LD/ Government Officials for resolving outstanding issues
- Flow of credit to priority sector and weaker sections of the society
- Timely submission of data to SLBC/ Government/ NABARD/ RBI
- Review of relief measures (in case of natural calamities wherever applicable)

- To act as business facilitator for growth of Bank in the district.
- Monitoring of progress under 4 KPIs (CASA, PMJJBY, PMSBY and APY) in Aspirational Districts.

Under Lead Bank Scheme, the Bank is assigned the role of coordinating the efforts of all lending institutions for a planned growth through branch network and credit deployment in the districts for sustainable growth to meet the social objectives in terms of GOI guidelines. In nutshell, Lead District Manager acts as a catalyst between the Government and Financial Institutions. LDMs are extended arm of banks for coordinating between District Administration, NABARD, RBI, other formal & non-formal agencies directly or indirectly involved in the development of the district.

7. INTERNATIONAL

The Bank has 22 Overseas Branches, 1 Representative Office at Jakarta (Indonesia), 4 Subsidiaries, 1 Associate/ Joint Venture, all spread across 15 countries in 5 Continents of all time zones. The contribution of foreign operations in Bank's global business mix has been 14.75% as on 31.03.2025.

Overseas Subsidiaries and Associates:

- i) PT Bank of India Indonesia Tbk
- ii) Bank of India (Tanzania) Ltd
- iii) Bank of India (New Zealand) Ltd
- iv) Bank of India (Uganda) Ltd
- v) Indo-Zambia Bank Ltd. (IZB) - Joint Venture

8. CREDIT MONITORING:

Monitoring of the credit portfolio is essential in order to maintain and improve the asset quality of the bank and minimize credit risks. The main objective of Credit Monitoring is to safeguard the quality of loan portfolio and minimize the risk of loan turning into Non-Performing Assets (NPAs). It has to endeavor for roll back of identified stressed accounts/ watch list accounts in standard category. The Department is using various tools and methods for identifying and monitoring stressed accounts with signs of weakness/ potential default/ delinquencies to ensure good asset quality coupled with containment of probable slippages effectively.

Tools for efficient monitoring & control process:

Early Warning Signal:

A fully tech based EWS solution is implemented in our Bank since August 2020. Our EWS is fully automated solution with in built well defined work flow. Alerts are generated based on both internal (CBS and Rating Data) and external Data (MCA, CIC etc). The generated alerts help the Bank for identifying incipient weakness and initiate proactive timely remedial measures. The solution helps the Bank in early identification of Fraud in accounts (if any). This solution also enables the branches for close monitoring of accounts. At present, EWS alerts are being generated in the accounts with exposure above Rs. 1.00 Crore.

Credit RFA/ Fraud examination:

Department is mandatorily examining all the NPA accounts of Rs. 50 Crore and above for fraud angle, in line with DFS

directives. Further, the accounts wherever EWS indicates something suspicious, is immediately examined for Red Flag and thereafter, the process of fraud examination is initiated for decision within the regulatory timeframe.

CRILC Reporting:

Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's revised guidelines, stressed accounts with credit limit of Rs. 5 Crore and above are reported to RBI on CRILC platform on weekly/ monthly basis.

System Asset Classification (SASCL):

A predictive program in identifying the probable slippages showing overdue of more than two months' period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock statement over three months insufficient/ no credit in CC accounts etc. This may cause downgrading of accounts if timely corrective action is not taken. These accounts are monitored specifically by various verticals for containment of downgrading of standard assets. A new SASCL format has been devised which is more user friendly and will provide more focused information to the field. Going forward, we have moved to daily generation of SASCL and marking of NPA. At present, NPA identification and marking is taken place on daily basis. The SASCL Data is circulated on monthly basis at the beginning of the month and also Daily SASCL Reports are circulated on daily basis along with maintaining the same in internal 'Garuda' folder for access of everybody. Generally, the accounts are identified from the List of Accounts as per the Daily SASCL Reports, but while NPA marking at the EOD, all the accounts are verified and the accounts, other than the Daily SASCL are also marked, if eligible under the IRAC&P Norms, due to any modification / changes carried out during the day.

SMA Monitoring:

Apart from SASCL, focus is there on SMA monitoring. Branches have been made disciplined to start monitoring SMA 0 accounts so that the remedial actions can be taken at initial steps and the concerned account do not move further to SMA 1 or SASCL. It is observed that nearly 50% of SMA is contributed by Retail Loans and hence our department is following up for registration of ECS / eNACH mandate in the legacy accounts.

Zonal Collection Centre (ZCC):

Zonal collection Centre (ZCC) was formed in August 2023 in all the Zones. The primary objective of the ZCC is to focus on reduction of SMA and DNPA by timely collection of dues and various matters of credit monitoring to be carried out by other officials in CrMD of the Zones. The ZCC will be responsible for SMA account of Rs. 25 lakhs and above, with target of roll back of SMA to regular category.

They are required to educate and counsel the borrowers regarding consequences of account moving to SMA category with emphasis on deteriorating credit scores and lesser power to negotiate loan amount and interest rates. ZCC members are also required to insist on the borrower to pay the entire overdue and the critical amount. Prompt repayment will lead to better credit scores and ability to negotiate for better rate of interest. ZCC members should also insist the borrower

to shift their primary operative account to our Bank. They should also insist for takeover of business accounts of retail borrowers;

If the borrowers are not able to shift their primary operative account to our Bank, the ZCC members should obtain ECS/ NACH/e-NACH

For accounts with exposure less than Rs. 25.00 lakhs, the main responsibility of follow-up lies with the Branches, however, if necessitated, they are permitted to avail the services of ex-Staff and BC's and suitable instructions were given to the field functionaries for the same.

Collection Management System (CMS):

We have already implemented Collection Management System, which will help us in managing SMA/DNPA portfolio by providing Digital Platform to Branch officials. Following are the scope of work:

1. SMA Risk Gradation
2. SMA/DNPA account list with all relevant information like overdue amount / address / Contact Details etc.
3. Tracking of SMA movement (Roll Forward / Backward)
4. Updating of Collection actions & Customer response, including Promise to Pay (PTP)
5. Visibility of past communication
6. Pushing of reminder SMS/IVR/email to the borrower
7. Suggestive corrective action
8. Integrated with Call Centre to capture customer response through outbound calling
9. Geo tagging & Suggested next visits based on field officer location
10. MIS for Branch/ZO/NBG/HO for better monitoring

Credit Process Audit (CPA):

Credit Process Audit is to ensure compliance of Pre and Post disbursement terms of sanction terms / covenants, where in the disbursing officer, before parting with the Banks funds, has taken all necessary measures for creation/perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities. Now, CPA is Finacle integrated to monitor in real-time.

PSRS Scrutiny & Certificate:

PSRS is an important tool to evaluate and ensure the quality of sanction/ appraisal which has a bearing on the asset portfolio and in turn a healthy bottom-line of the Bank. We also timely conduct Post Sanction Review System Scrutiny for all Accounts with exposure of Rs. 5 Lakh and above in respect of sanctions accorded at FGMO level and also ensure that this exercise is conducted at FGMO and Zonal level.

Credit Inspection:

A system of review of Accounts through credit inspection has been put in place for review of Accounts with limit of Rs. 5 Lakh.

Stock Audit:

We ensure timely conduct of Stock & Receivables audit in eligible accounts and take active/preventive steps wherever warranted. The stock audit is presently applicable to

standard advance accounts having working capital exposure of Rs. 5 crore and above. It is required to be conducted annually. Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the bank's asset quality, are followed up at various platforms & levels through Tele / Video conferencing.

A new menu for stock audit (STKADT) has been developed in Finacle for stock audit MIS, which will enable us to get timely information about the status of Stock Audit in any applicable account.

Daily marking of NPA:

The Banks has migrated to daily marking of NPA w.e.f. 15.04.2021 to have more transparency in identification of NPA & for compliance of regulatory guidelines.

Monitoring of Restructured Accounts (RFCRS portfolio):

To guard the asset quality of accounts restructured under RFCRS, a dedicated team is formed at Head Office, NBG and Zonal Office level, which ensures close monitoring of RFCRS accounts. Apart from the same, SMS are being sent from HO level to all RFCRS borrowers including the DNPA borrowers.

Reminder calls from Call Centre:

A dedicated team of 100 people deployed at our call Centre is working for Monitoring of advances. They are engaged in outbound calling for SASCL & SMA borrowers.

Agencies for Specialised Monitoring (ASM):

As per IBA guide lines ASM (Agencies for Specialised Monitoring) is appointed in accounts having total Banking exposure of above Rs. 250 Crores and accounts with exposure of a specialised nature except in some exempted category accounts like Navaratna Accounts and PSU / Government Guaranteed accounts. We are also engaging services of ASM in stressed accounts wherever required.

IRAC&P Automation:

RBI vide their Circular No: RBI/2020-21/37 Ref No: DoS.CO.PPG./SEC.03/11.01.005/2020-21 dated 14.09.2020 advised all the Banks to put in place and upgrade their Systems by 30.06.2021 to fully automate the processes for identification, Income recognition, Asset classification of advances / investments as NPA / NPA, provisioning and generation of related returns. Accordingly, we have initiated steps to implementation of Automation of IRAC&P Norms in our Bank.

Introduction of in-house MIS System - Qlik:

With the support of HO IT & MIS, we have introduced in-house reporting system (BOI-Pulse) to avail the daily position of SMA & DNPA data on daily basis to the field functionaries. In addition to this information pertaining to our Department, seventeen reports were made available in the module viz., Latest SMA, Repetitive SMA, Valuation Expiry, Stock Statement Expiry, Review Expiry, Future Demands in TL/DL etc., to enable the FGMS / Zone / Branches to take benefit of readymade information for their effective monitoring of advances.

Collection in SMA account through Pay-link: To strengthen our Recovery in SMA accounts, Bank share customized Pay-link in Reminder SMS to the SMA borrower to make instant

payment through multiple payment channel. This facility enable our SMA borrower to make Payment in their loan account by debiting accounts maintain with other bank

End to end collection Services:

With adherence to the Industry best practices and EASE 8.0 suggestive reform agenda, we are considering to outsource collection activity by onboarding collection partner. In this regard, we have already running POC work with two leading service providers.

End to End collection services comprising segment specific collection strategies with best suitable collection action by deploying various available tools like: SMS, Whatsapp, Chat bot, call executives, Feet on street services. The service provide also leveraging the legal services, enabling us to serve soft reminder to SERFASI notices also help us too track legal proceedings.

Other monitoring tools:

- Centralized monitoring of Pre-disbursement & post disbursement covenants implemented for strengthening Compliance level.
- Policies are in place for Red Flagging of accounts on observance of EWS & examination of Fraud angle within a specified timeline in terms of regulatory guidelines. Prompt reporting is ensured once account is declared fraud, in RBI's CRILC platform.
- SMS & IVR are being sent to SMA borrowers and CC/OD & TL borrowers for repayment intimation. In addition to this, SMS are being sent in vernacular languages as well.
- Separate list of account where review is overdue for more than a month and where stock statement is due for more than a month is being provided to branches on a monthly frequency for aversion of technical slippages.

9. NON-PERFORMING ASSETS

NPA Reduction & Performance Metrics

(₹ Crore)

Parameter	Mar'24	Mar'25
	Actual	Actual
Gross NPA	29,183	21,749
Net NPA	6,845	5,359
Gross NPA (%)	4.98%	3.27%
Net NPA (%)	1.22%	0.82%

- ❖ On a Year-on-Year (y-o-y) basis, Gross NPA has improved by 25.48% in absolute terms, with the GNPA ratio improving by 171 bps, from 4.98% to 3.27%.
- ❖ Target GNPA% for FY26: Below 3%.
- ❖ Net NPA reduced by 21.71% in absolute terms; NNPA ratio improved by 40 bps, from 1.22% to 0.82%.
- ❖ Cash recovery and upgradation, as a percentage of opening GNPA, improved to 24.90% for FY25 from 16.73% in FY24
- ❖ Total Cash recovery from written-off accounts stood at ₹2,487 Crore in FY25, compared to ₹1,467 Crore in FY24.

- ❖ Cash recovery and upgradation including UCI & URI grew by 21%, reaching ₹9,506 Crore in FY25 versus ₹7,882 Crore in FY24.
- ❖ Overall Recovery Rate improved by 647 bps, reaching 20.43% from 13.96% in FY24.
- ❖ One-Time Settlement (OTS) approvals crossed 2.58 lakh accounts, reflecting a 35% increase over FY24

Strategies for Recovery Enhancement

Resolution and Recovery Mechanisms

- ❖ Resolution of NPA accounts is actively pursued through:
 - SARFAESI actions
 - NCLT proceedings
 - Enforcement of guarantor securities via SARFAESI/DRT
 - Sale of assets to ARC/NARCL
 - Mega E-Auctions
 - Compromise and OTS schemes
- ❖ Operational Initiatives
- ❖ ₹5,963 Cr recovered in FY25 due to:
 - Activation of field functionaries
 - Regular virtual recovery camps for OTS
 - Periodical recovery campaigns
- ❖ 27 Asset Recovery Branches (ARBs) established across India for early resolution.
- ❖ Campaigns and Drives
 - ❖ Ongoing initiatives include:
 - Samjhauta Day, Weekly Recovery Camps, Mega E-Auctions
 - ❖ Recovery momentum sustained through consistent nationwide efforts.
- ❖ **OTS Schemes**
 - ❖ Special schemes—Star Sanjeevani and BOI OTS reviewed and relaunched from 01.04.2025 for FY26.
 - ❖ In FY25:
 - Star Sanjeevani and BOI OTS schemes extended until 31.03.2026
 - OTS approvals granted in 2,58,523 accounts with outstanding balance of ₹5,265 Crore
 - Estimated cash realization: ₹2,312 Crore (repayment ongoing)
- ❖ **Written-off Accounts Recovery**
 - ❖ Recovery strategies for PWO accounts mirror core resolution mechanisms, including:
 - SARFAESI/DRT enforcement

- NCLT resolution
- Compromise settlements
- ARC/NARCL sales
- Star Sanjeevani and BOI-OTS schemes

❖ Auction Strategy

- Mega E-Auctions conducted bi-monthly.
- Additional focused auctions:
 - ◆ Home Loans, LAP, ARB accounts, Vehicles.
- Aim: Resolve 50% of listed properties through sale/OTS/upgradation.
- Publicity undertaken at HO level through multiple channels.

❖ CGTMSE Claim Settlement

- Claim lodgement drive launched in FY25.
- ◆ 7,305 claims settled, resulting in NPA reduction by ₹339 Crore

10. TREASURY

FOREX Business: The Treasury manages the foreign exchange business of the bank, providing hedging solutions to the customers through forwards and swaps. Apart from having Centralized Treasury at Mumbai, the Bank has 1(one) satellite dealing room situated at New Delhi, 1(one) BCP site at Kolkata and 1(one) centralized back office in GIFT city (Ahmedabad) so as to provide better services to the customers. During the financial year 2024-25, Merchant and Interbank turnover was Rs.1.28 lakh Crore and Rs.95.67 lakh Crore respectively. The aggregate turnover of Bank's forex business during the year was Rs.96.96 lakh Crore. Aggregate forex turnover increased 60.89% compared to last FY 2023-2024. By virtue of having set-up a branch in GIFT city Gandhi Nagar, Treasury has started trading in Non-Deliverable Forwards this financial year. The Treasury actively participates in trading in Currency Futures and is one of the leading banks across all the exchanges. During the Financial Year 2024-2025, Bank's Turnover in Currency Futures was USD 38.47 Bn.

Treasury Operations & Investments:

Bank continued to play an active role across all segments of the market – Money market, Bonds and Derivatives in FY 2024-25. Treasury Branch actively manages liquidity through various sources of funding including refinances, Overnight borrowings against SLR and CD borrowings. This helped in keeping cost of funds under check and supporting sustainable Net Interest Income. Bank has maintained a higher level of investments by holding SLR investments in excess of the regulatory requirement of 18.00% of NDTL from time to time to ensure that sufficient liquidity is available by the way of borrowing against excess SLR from Repo/TREPS windows. As on 31.03.2025 the gross SLR investments were Rs. 1,99,328.43 Crore (80.58% of total Investments) and Non-SLR investments stood at Rs. 48,034.85 Crore (19.42% of total investments). The Non-SLR investments also include Recapitalization bonds of Rs.23,369.81 Crore. M-Duration of

SLR AFS portfolio stood at 3.64% as on 31.03.2025 against 2.81% as on 31.03.2024. M-duration of Total AFS portfolio as on 31.03.2025 stands at 3.11%. In concurrence with the Green initiatives taken by Government of India, RBI had issued notification for sale of Sovereign Green Bonds. As on 31.03.2025 the Bank's Treasury branch has investment exposure of Rs 998.42 Crore in Sovereign Green Bonds. All the investments are made in accordance with the Board approved investment policy which is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

11. INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

1) Intelligent Process Automation (IPA)

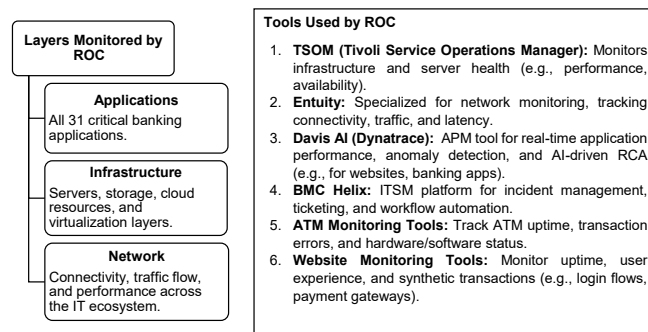
Intelligent Process Automation (IPA) aims at optimizing Bank's operational efficiency by automating manual, repetitive tasks within the Banking system and Banking operations using technologies such as Robotic Process Automation(RPA), Machine Learning(ML), APIs, Intelligent Document Processing (IDP) and other hyper automation tools.

Through this Bank aims to streamline operations, enhance efficiency, optimize resource allocation, increase accuracy, freeing up human resources to focus more on strategic activity.



2) Resilience Operation Centre (ROC)

RoC is established to enhance IT infrastructure resilience and ensure continuous monitoring of critical systems at the Bank. It leverages AI-driven root cause analysis (RCA) and predictive insights to resolve incidents proactively. RoC focuses on minimizing disruptions, ensuring high availability, and maintaining compliance.



Benefits of ROC

1. **Operational Excellence:** Improved response and resolution times, reducing downtime and operational disruptions. Enhanced visibility into system performance and health.

2. **Regulatory Compliance:** On-time reporting of incidents to RBI and adherence to IT resilience guidelines.
3. **Customer Trust:** Consistent service delivery, improving customer satisfaction and retention.
4. **Risk Mitigation:** Proactive identification and resolution of risks, reducing potential financial and reputational losses.
5. **Strategic Growth:** Supporting the bank's digital transformation journey by ensuring reliable and resilient operations.
6. **EASE Compliance:** The establishment of the ROC will enable the Bank to achieve key under the EASE framework related to operational risk management and resilience, ultimately enhancing the Bank's EASE ranking.

3) **WhatsApp Banking: Delivering Seamless Customer Service (+91 7997987601)**

Our WhatsApp Banking solution is designed to provide customers with an effortless, user-friendly experience while aligning with our business objectives. By offering a wide range of services, we cater to the evolving needs of our clients and enhance engagement through this digital channel.

Key Services Offered

1. **Balance Enquiry**
Quick and easy access to account balance information.
2. **Mini Statement**
Instant access to the latest account transactions.
3. **Loans (Retail, Agriculture, MSME)**
Simplified loan-related inquiries and updates for retail, agricultural, and MSME segments.
4. **Open Deposit Accounts**
Seamless process for opening fixed, recurring, or other deposit accounts.
5. **Insurance & Mutual Funds**
Easy access to insurance products and mutual fund services.
6. **Government Business Products**
Facilitating a wide array of government-related transactions.
7. **Other Services**
Open Savings Accounts, Credit Card Payments, Branch Locator, Pensioners FAQs, Debit/Credit Card Hotlisting, Track Lead Status & Raise Complaints

4) **Centralised Digital Payment Processing System (CDPPS)**

This solution offers a **centralized, integrated platform** that brings together major payment rails under one umbrella, ensuring seamless transactions, enhanced control, and improved efficiency.

Key Features

1. **Comprehensive Payment Integration:** Supports **UPI, IMPS, NACH, RTGS, NEFT, BBPS, and SWIFT**, enabling seamless domestic, regional, and high-value international payments.
2. **End-to-End Payment Management:** Provides a **centralized view** of all payment processes, covering initiation, execution, messaging, and external system connectivity.
3. **Multi-Tenancy Architecture:** Designed for **deployment across Bank of India, its Sponsored RRBs, Foreign Centres, and Indian subsidiaries**, ensuring scalability and adaptability.
4. **Future-Ready Infrastructure:** Supports emerging technologies including **Digital Currency, E-Toll, and ONDC**, with **CBDC** already implemented.

With its robust capabilities, this platform reinforces operational efficiency, enhances financial connectivity, and ensures a smarter, more secure payment ecosystem.

12. **DATA ANALYTICS :**

New initiatives of Data Analytics Department:

1. **Project Star ADITYA (Analytics Driven Insights to Yield Actions): Building of Advanced Analytics, Data Governance and visualization capabilities and processes**

The bank has undertaken a comprehensive modernization of its existing applications, integrating state-of-the-art technologies to enhance analytics, governance, and reporting capabilities.

Data Ingestion Framework: This framework ensures that most of the data sources are integrated for data extraction and processing. Bank has integrated most of the data sources with Enterprise Datawarehouse with this framework. It also involves establishing data jobs for ingesting data through different ingestion methods.

Data Storage Platform: This platform enables bank to store data of multiple variants (like Structured, semi-structured & Unstructured) of high volume for analysis and dashboarding purposes.

Data Governance Solution: This framework ensures that data is accurate, consistent, and secure across the organization. It involves establishing policies and procedures for data management, ensuring compliance with regulations, and maintaining data quality.

- **Data Quality Solution:** This solution focuses on maintaining the accuracy, completeness, and reliability of data. It involves processes for data cleansing, and validation, ensuring that the data used for analysis and decision-making is of high quality.
- **Data Lineage Solution:** Data lineage tools track the flow of data across systems, providing visibility into its origins, transformations, and destinations. This transparency aids in understanding data dependencies, troubleshooting issues, and ensuring compliance.
- **Data Catalog Solution:** A data catalog is an organized inventory of data assets, making it easier for users to discover and access data. It enhances data governance and collaboration by providing metadata management and data classification capabilities.

Business Intelligence (BI) Platform: A BI platform aggregates and analyzes data to provide actionable insights. It supports decision-making by offering tools for data visualization, reporting, and dashboarding, enabling stakeholders to monitor performance and trends effectively. Bank has developed various business reports and dynamic dashboards with access upto branch level and field functionaries.

Distributed Computing Platform for Advanced Analytics: This platform enables the processing of large datasets across multiple machines, facilitating complex analytics tasks. It supports scalable and efficient data processing, essential for advanced analytics workloads.

Generative AI (GenAI) Business Use Cases: The bank has developed GenAI use cases like Call Centre customer voice bot and some other use cases are in Proof of Concept (PoC) stage to automate and enhance business processes.

Advanced Analytics Business Use Cases: The bank has developed multiple analytics use cases in the domain of retail assets, credit monitoring, Fraud detection, customer retention, MSME and insurance, in coordination with concerned stakeholders.

Customer Communication Management: The bank has revamped customer communication medium through smart statements to enhance customer communication channels for services upliftment and product betterment. The bank has also launched “**StarFinSnap**” interactive smart statement for customers.

By integrating these technologies, the bank aims to transform its operations, improve decision-making, and deliver enhanced services to its customers.

2. Universal Application:

BOI Omni Neo App is a one stop platform unifying banking needs with seamless mobile-internet integration for enhanced omnichannel experience across internet banking (IB) and mobile banking (MB)

- 9 million+ registered users in MB with more than 6.2 lakh NTB (New to Bank) users and business generated worth more than Rs 6300 Cr since

inception

- 440+ use cases are live in production in MB till date
- 240+ use cases are live in production in IB till date
- 116 functionalities for Mobile Banking Lite have been delivered in production
- Corporate Internet Banking launched presently for proprietors with functionalities like pre-login, login & registration, trouble login, fund transfer and development of services for large corporate in progress.
- **Pay options:**
 - Fund transfer options including RTGS/ NEFT/ IMPS/ UPI
 - Addition of beneficiary using QR, pull fund option, split payment option, Create group option, Repeat payment option, quick transfer etc
 - Set/Modify/Delete standing instructions/NACH mandates, Bill payments.
- **Save options:**
 - Saving Account opening/Term Deposit Accounts: All the existing account holders will be able to open SB/TD accounts completely digitally via the app
- **Investment options:**
 - Purchase and redeem mutual funds from AMCs like Aditya Birla, SBI, HDFC, Franklin, Kotak, Bandhan. New fund offering option also available.
 - Various insurance products like Life, health, vehicle are being offered by our partners. Additionally, we offer government insurance schemes like PMSBY, PMJJBY.
 - Government investment schemes like SGB, SCSS, FRSB, APY, NPS, PPF are available on our platform.
 - 3 in 1 DEMAT and trading account opening, SSO integration with trading partners like GEPL, ACM, Ajcon. ASBA-IPO option also offered.
- **Other features:**
 - Multilingual chatbot solution and conversational banking
 - Account Servicing: Service options like DD/PO, FATCA, login and authentication preference, updation of email id, address, cheque services, requesting of various statements and certificates
 - Admin Module is a web-based portal that can be used by bank to change configurations in UA
 - Notifications, Feedback & survey, site-map, rewards, grievance redressal, credit score, Inward redirection with payment aggregators

like PayU, Billdesk, SabPaisa, SBI ePay, CCavenue etc

- View/apply for gold loan, personal loan, KCC, Mudra loan, retail loans, credit card etc
- App sleep mode, Linking/De-linking of accounts, NTB customer can register on the app to increase acquisition at low cost for both, asset and liability, BOI products.

13. DIGITAL BANKING DEPARTMENT:

The Digital Product base as on 31.03.2025 is as below:

Product	As on 31.03.2025
Total Credit Card	73,016
Merchant Acquiring (POS + BHIM Aadhaar)	18,352
UPI based QR	12,56,582
Mobile Banking	90,46,267
Internet Banking	92,92,526
UPI	2,20,54,111

Planned launch of products in FY 2025-26

- Implementation of E-com Transactions on Rupay Gift Card: The Bank has initiated implementation of E-com transaction on its Rupay Gift card. This feature will be live by 31-05-2025.
- Credit line linking to UPI: This is expected to provide a simplified user experience for the UPI credit users. One can leverage supplementary UPI features such as fee Auto Pay, one-time mandate etc. Additionally, UPI merchants can now accept UPI credit based transactions.
- Biller onboarding on Bharat Connect: Bank is going to go live on BOU services, meaning, Billers can use Bharat Connect platform to collect payments from customers efficiently, ensuring smooth transactions and faster settlements. BOUs can facilitate customer transactions through mobile app, internet banking, & assisted channels such as Bank Branches & Bank Mitras. The system supports various payment modes including Cards, UPI & wallets, ensuring seamless transactions with instant Payment confirmation.
- NACH Sponsorship Service: We will facilitate NACH service to various small Banks, NBFCs, Financial Institutions (MF/Insurance), Corporates & Govt. Agencies.
- EMI facility through Credit Card on E-com.
- Credit Card Payment via Bharat Connect(BBPS).
- We will launch co-branded Credit cards.
- Fintech partnership "**Credilio**" for increasing credit card customer base.

New Initiatives – FY 2024-25

- **E-Mandate Simplified Authentication Mechanism**
Presently bank is processing NACH mandates (both physical and electronic) as sponsor as well as destination to facilitate automated bulk transaction like EMI, SIP, and Utility Payment etc. under NACH

platform of NPCI.

- NPCI vide its circular no NPCI/2023-24/NACH/003 dated 21st July 2023 has introduced new workflow to simplify e-Mandate registration process improving customer experience and to drive digitization of mandates. As per the new design, mandates will be authenticated based on the following factors:
 1. Aadhaar Number (Last 4 digits)
 2. PAN (Last 5 digits)
 3. Customer ID
- The same will be validated with CBS and OTP will be triggered to the customer upon successful validation for mandate registration

Internet Banking

- Bank has launched **New Retail Internet Banking** Services with many new and enhanced features. In this regard, we propose to intimate customers for new features available for the upcoming New Retail Internet Banking on website.

Implementation of OTP Based Mandate Registration in Direct Debit Arrangement

- Bank has proposed OTP based mandate registration which is a secured process, used to authenticate and verify individuals during online registration of Direct Debit Mandates.

Robust Digital Grievance Management (CRM Next)

- CRM Next Complaint Management module and Service Management module has been made live across all branches. This complaint module is integrated with the Bank's website. Customers can lodge and track the status of their digital transaction complaint through the Bank's website. Complaints related to transactions through various digital channels like ATM, POS, UPI, IMPS, AEPS and Payment Gateway can be lodged in CRM Next portal.

ECOM facility in RRBs through Debit Card

- Ecom facility in 3 RRBs through debit card is live. For implementing the same customisation at ATM Switch, NPCI BEPG and ACS was done for allowing customers to transact in e - commerce website.

Additional Services in Passbook Printing Kiosk (PBK)

- Bank has decided to integrate API based services into PBK. Below are the proposed API services for PBK.

Services to be integrated in PBK	
Balance Enquiry	Cheque Book request
Mini statement	Unblock Mobile banking
Account based passbook printing	Complaint Module
Term Deposit(TDR) Opening	Customer Feedback
Stop Cheque payment	Lead generation

Launch of Web journey for NACH e-mandate registration in loan accounts

- On the bank's 119th Foundation day, a new facility for loan account customers to register NACH e-mandate,

for collection of EMIs from their operative accounts maintained in other banks, themselves without branch intervention through Web Journey was launched.

● **Credit Card Migration to New Platform**

The Bank has migrated its Credit Card Management System from its earlier vendor, M/s Worldline to a new vendor, M/s ISG. With onboarding of the new Technology partner, the Bank is working towards revamping its existing Credit card business with focused strategies.

Automatic Termination of ECS

- New functionality has been made live, in which the NACH/e-NACH mandate will be auto cancelled upon closure of loan account and branches need not upload these mandates of closed loan accounts in DMS for cancellation. This auto cancellation service is for ECS/NACH mandate registered with other banks for our loan accounts only.

Bank has enabled its ATM acquiring switch for NFS UDIR.

- UDIR stands for Unified Dispute and Issue Resolution. Customers can lodge complaint regarding failed transaction and / or dispute status through their bank. Status of the transaction will be provided to UDIR system through APIs by bank's ATM switch for transactions done at the bank's ATM terminals.

Portable UPI QR Sound Box Device

- In order to provide real-time audio confirmation for successful UPI payments-credit made using the BOI BHIM UPI QR Code, the Bank has introduced Portable UPI QR Sound box for its existing and new merchants.
- The Portable UPI QR Sound box will notify the merchant for every successful UPI payment made against the UPI QR code linked to his/her account. All the existing as well as new merchants will be eligible for Portable UPI QR Sound box Device.

Implementation and introduction of Central Bank digital currency

- Bank customers can issue and use Digital currency through Bank's CBDC APP.
- CBDCs can act as instruments that support public policy objectives of the government by functioning as a safe and resilient means of payment. They promote an efficient, inclusive and innovative payments ecosystem, if properly monitored, and the risks involved are overcome through effective means.
- Currently, the APP is LIVE and it is in Closed User Group for testing.

14. DIGITAL LENDING

- **E-Platform:** During FY 2023-24 bank had garnered new business of Rs.15516 crores and the same was increased to Rs. 68,732 Crore in FY2024-25 with adoption level touching a new high of 88% in Q4.

Initiatives taken by the Digital Lending Department are as follows:

- Department has done tie up with PSB alliance for fetching Land records, satellite image

based cropping patterns & cropping history for Madhya Pradesh state to promote the web journeys under crop loan.

- Tie-up with Digivridhi through Reserve Bank Innovation Hub (RBIH) platform for fetching milk pouring data & income related data for Amul Society – Gujarat state on pilot run for promotion of Dairy Financing.
- Tie-up with Online PSB Loans (OPL) for complete STP journey for KCC Jan Samarth for state of Karnataka, Uttar Pradesh & Maharashtra.
- Integration with OPL for Solar Rooftop panel under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana.
- E- Signing & E-documentation has been implemented in state of Madhya Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Gujarat, Telangana, Kerala and Karnataka.
- Tie-up with OPL for e-NWR financing under PM Krishi Upaj Nidhi.
- Tie-up with M/s Scoreme Solutions Pvt. Ltd.: For SME sector financing our Digibiz (GST based lending) product is launched.

We have successfully shifted from existing CAPS Module to E-platform and now all the loans are being processed through our E-platform.

Bank is promoting the Digital products on several social media emphasising more on generating business through web journeys. The Marketing team / Digital Lending Champions have been provided with laptops and tablets for quick turn-around for sanctioning loans like, Housing loan, Personal loans & Agri loans. This automation has reduced the TAT for sanction besides, mitigating several compliance and operational issues at field level.

We have additionally started Web support team at Digital Lending Department for resolving the issues and promoting the Digital Journeys.

- **TReDS Business:** TReDS is an electronic platform for facilitating the financing / discounting of trade receivables of MSMEs through multiple financiers. Bank of India is an active participant on all TReDS platforms and enjoys 7.82% of market share of overall throughput of TReDS business on these platforms during FY 2024-25. Bank's TReDS business outstanding has grown by 64.83% during FY 2024-25 as compared to FY'2023-24 and stood at the level of Rs.6827.41 Crs as on 31.03.2025. Further, substantial potential is available to grow our TReDS business as many new corporate buyers are getting enrolled on the platforms. Bank's TReDS business is expected to grow at good pace during FY 2025-26 and we have targeted to grow the business at the level of Rs. 8,300 Crore by March 31, 2026.

Bank has on-boarded 3 TReDS platforms viz. RXIL, Invoicemart & M1 Exchange for generating business under TReDS.

Pool Buy-out: During FY2024- 25 incremental growth of 67.63% recorded over the previous year FY 2023-24 with outstanding of Rs.5144 Crore as on 31.03.2025. Presently, we have undisbursed sanctioned limit of approximately Rs.1650 cr for pool buy-out facility. Further additional business of approx. Rs.500 Cr is under process. We are expecting to reach pool buyout business at the level of Rs. 6,500 crores by March 31, 2026.

- **Co-lending:** - Presently, we are having tie-up with various NBFCs for co-lending in MSME & Retail products. Incremental growth during FY2024-25 is 120.51% over the previous FY 2023-24 with total outstanding of Rs.558 Crore as on 31.03.2025. During Financial Year 2024-25, we have entered into co-lending arrangement with 4 new NBFC and planning to enter into new tie up arrangement with 6 additional NBFC during current financial year. We are estimating to reach co lending business at the level of Rs.1000 crores by March 31, 2026.

SMEUC-Colending formed at Mumbai South Zone for processing & sanctioning of obligor-wise loan proposals. All Co-lending business are parked in Centralized Pool Buyout & Co-lending Cell (CPBCLC) Mumbai South Zone.

- **Supply Chain Finance:**

During current financial year we are expecting to add supply chain finance business to the level of Rs.2000 crore.

For this, we are setting up New Supply Chain Finance (SCF) Cell at Head office with Full Fledged team to scale up the business. SCF Cell has identified 76 branches including ECCBs from all the Zones for mobilizing supply chain business. HO team will be working closely with these branches for development of the business.

15. RISK MANAGEMENT:

Risk and Control:

The Bank has an appropriate mechanism in place to ensure ongoing assessment of relevant risks on a Borrower Level as well as on a Portfolio level to maintain the trade-off between risks and returns. The Board of Directors of the Bank has an overall oversight of all risks in the Bank with specific Committees of the Board constituted to facilitate focused approach to specific risks. The Risk Management Committee of the Board (R.Com), is the subcommittee of the Board which is the apex body for Risk Management, supported by operational level committees of Top Executives for managing various risks, such as Asset Liability Management Committee (ALCO), CRMC (Credit Risk Management Committee), MRMC (Market Risk Management Committee) and ORMC (Operation Risk Management Committee).

Risk Management includes process of risk identification, measurement, monitoring, mitigation and reporting of all potential risks, in all activities and products in the Bank. These processes are well elaborated under respective policies viz. on Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Exposure (Bank Exposure & Large

Exposure Framework), Asset Liability Management, Foreign Exchange and Dealing Room operations etc.

Bank's Risk Management Framework is focused on full integration of risk management into its operations and culture. The integrated risk management framework starts with a risk management cycle, consisting of several steps: setting up the risk appetite, conducting stress testing, scenario analysis, preparing full scope risk assessment of all segments. Risks are adequately identified, assessed, measured, mitigated and reported. Risk Management is one of the core focus areas of the Bank. The Bank is working to ensure that it adopts global best practices in all the risk areas. This commitment is being achieved by investing both in people & systems and building an enduring risk culture. Bank deploys various tools and techniques for achieving Risk Management objectives viz. Prudential and internal limits Monitoring, Basel Compliant Credit Rating Models, Active liquidity management, ERM Scorecards, PQI etc.

Credit Rating thresholds are based on the performance of the specific industry/sector. Bank uses different internal Credit Risk Assessment Models and scorecards for assessing borrowers credit worthiness. The Internal Rating Model is recently recalibrated in view of the changing economic environment and evolving business models, to better capture the risk drivers and further strengthen the onboarding & underwriting standards.

In the normal course of business Banks experience various risks viz. Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk and Interest Rate Risk.

Credit Risk is the possibility of loss resulting from a borrower's failure to repay a loan or meet contractual obligations. Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk Computation.

Market risk is possibility of loss to the bank due to movement in market factors viz. Interest Rate, Foreign Exchange Rate, Equity Prices etc. Bank has adopted Standardized Duration Method (SDM) for Market Risk computation.

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal process, people and systems or external events. Operational Risk includes legal risk, but excludes strategic and reputation risk. Bank calculates Operational Risk Weighted Assets through Basic Indicator Approach (BIA). Bank is in the readiness to adopt New standardized approach for computing Operational Risk Weighted Assets, as mentioned in the draft RBI Guidelines. The Bank monitors and manages operational risks on an ongoing basis. Comprehensive set of processes, systems of internal controls, and policies are also in place, to reduce the probability and potential impact of losses from Operational Risks.

Asset & Liability Management: Bank has adopted robust ALM Practices to mitigate financial risks resulting from mismatch of assets and liabilities. Effective Assets and Liabilities Management (ALM) is essential for a bank's sustainable and qualitative growth to achieve greater efficiency and profitability while reducing risk. Your Bank's ALM endeavors to strengthen the Balance Sheet by reviewing the market dynamics, picking up signals emanating therefrom, and maintaining regulatory requirements.

As a part of commitment for sound Risk Management practices, your Bank regularly reviews its Internal Policies on 'Pricing for Loans & Advances', 'Global Asset and Liability Management', 'Stress Test Policy' to adapt to oscillations in market conditions. Your Bank further undertakes Stress Tests and Reverse Stress Tests to address any risks that may arise as a worst-case scenario. Liquidity for the Bank's domestic banking operations is directly managed at the Head Office. The overseas branches and offshore unit of the Bank independently manage their liquidity requirements with support from the Head Office. Similarly, the Bank's subsidiaries independently manage their liquidity requirements with adequate oversight by Risk Management committee of the Bank. Further, the Bank maintains suitable systems and processes to monitor liquidity requirements in other currencies as appropriate.

Your Bank's liquidity and interest rate risk management framework is guided by a well-defined Board approved Global Asset Liability Management Policy. As part of this process, your Bank has established various Board-approved limits for liquidity and interest rate risks in the banking book. The Asset Liability Committee (ALCO) is a decision-making unit responsible for implementing the liquidity and interest rate risk management strategy of the Bank in line with its risk management objectives and ensures adherence to the risk tolerance/limits set by the Board. ALCO reviews the policy's implementation and monitoring of limits. While the maturity gap, Basel III ratios, and stock ratio limits help manage liquidity risk, Interest rate risk in the banking book is monitored and managed by assessing & acting on the potential impact of interest rates changes on Net Interest Income and economic value of equity. This is reinforced by a comprehensive Board approved stress testing programme covering both liquidity and interest rate risk.

Robust behavioral analysis is certainly the core of effective ALM Management landscape. Behavioral Studies are carried out by your Bank at regular intervals to assess customer behavior to impart proper treatment of non-contractual assets and liabilities and embedded options available to customers, which are used while managing maturity gaps and reprising risk. Behavioral studies are conducted to ensure the proper placement of outflows/inflows in liquidity and interest rate sensitivity statements, which may result from balance sheet exposures like prepayment of Term Loans/Term Deposits, run-off in CASA etc. and Off-Balance Sheet (OBS) exposures like devolvement and invocation in BGs/LCs etc. The assumptions relating to non-contractual assets and liabilities are reviewed periodically, back-tested and revised as per the outcomes of the latest studies. Further, your Bank has the necessary framework and Board Approved policy in place to manage and mitigate intraday liquidity risk.

The stock of High-Quality Liquid Assets (HQLA) and net cash outflows are monitored daily under to ensure the maintenance of LCR as prescribed by the Regulator and Bank's internal Policy benchmarks. Your Bank has implemented the NSFR guidelines of RBI, measuring the long-term resilience of your Bank in terms of liquidity. Your Bank identifies the inherent risks associated with changing interest rates on its Balance Sheet (On/Off) exposures from both short-term and long-term perspectives. For this purpose, the impact of change in the interest rates on Earnings at Risk (EaR) and Economic Value

of Equity (EVE) is assessed with pre-defined tolerance limits, enabling the management to initiate appropriate preventive steps in a likely scenario of erosion in NII/ Net Worth. Your Bank constantly strives to ensure adequate monetary policy transmission through its benchmark lending rates. Your Bank's Asset Liability Management Committee (ALCO) monitors and manages Liquidity and Interest Rate risks by modulating the asset-liability mix in the Balance Sheet and recalibrating the pricing of liabilities and assets from time to time. The ALCO, inter alia, regularly reviews the interest rate scenarios, the growth pattern of liability products, credit growth, competitive advantages, evolving liquidity conditions, adherence to regulatory prescriptions, etc.

Your Bank is measuring and monitoring Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) since June'2023. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) refers to the current or prospective risk to banks' capital and earnings arising from adverse movements in interest rates that affect its banking book positions wherein your Bank compute the impact on Economic Value of Equity and earning (NII) based on the 6 prescribed regulatory standardized interest rate shocks.

The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis which contains assessment / measurement of various risks (Pillar II Risk) along with the pillar I risk, the Risk Appetite of the Bank and appropriate level of internal capital required by the bank in relation to the Banks risk profile. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the Bank a better understanding of the likely impact even in extreme unfavorable circumstances. The ICAAP is the process by which the bank ensures that it operates with an appropriate level of capital. It encompasses a large part of what could be considered a complete Enterprise Risk Management (ERM) framework. The ICAAP brings together risk and capital management activities in a form that can be used to support business decisions. Bank also identify the Pillar II risks relevant for the Bank, assess and measure them and suggest the mitigation plan while reporting to risk committee.

In last two and a half years year the regulation around Climate Risk, Sustainable Finance and ESG has been evolving rapidly. Bank has already identified climate risk as an pillar II risk in ICAAP. Further, as the regulation and governance around climate risk has evolved, Bank's Board has adopted ESG Policy (Environment, Social and Governance) for the Bank. ESG policy include the governance structure for taking the cause ahead and also set deliverables for the various departments in the Bank. The bank has also drafted a dedicated climate risk policy, through which bank has started assessing the climate risk score of its corporate borrowers. The Climate Risk policy also specifies metrics and targets which aligns the bank with the goals of Indian Nationally Determined Contributions (NDCs).

In addition, Bank has field level Risk Managers at all geographical centers (Zones, Field General Manager Office, and Overseas Branches) to inculcate the risk culture at the field functionary level also.

Bank's Information Risk Management System has clear objective to protect the bank from Information Security risks in the face of acceleration in cyber-attacks and cyber security threat, specifically to financial institutions. Information

security department strengthens controls to protect the brand, reputation and assets of the Bank. Bank is vigilant of the security and privacy of the data related to its patrons and account holders and takes utmost care to protect it from cyber-attacks. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC). Bank has implemented information security tools for Real-Time monitoring of Information Security breach attempts / incidents / events on 24x7 basis in order to timely prevent, detect and respond. Advanced security tools like SIEM (Security Information and Event Management), PIM (Privilege Identity Management), DAM (Database Activity Monitoring), WAF (Web Application Firewall), NBAD (Network Behaviour Anomaly Detection), Anti-APT (Advance Persistence Threat) for Web & Email Channels and Anti-DDoS, Data DLP (Data Leakage Prevention) are some of the many security solutions are deployed. Various new security solutions focusing on threat hunting, prevention, detection and response are also put in place. The Bank is ISO 27001:2013 (ISMS) and ISO 22301:2019 (BCMS) and PCIDSS certified. Effective brand protection services are put in place to protect Bank's customers from Phishing attacks by way of fake sites. Risk and vulnerability assessment exercises are regularly carried out for all systems with timely remedial activities. Security awareness campaigns, especially with respect to social engineering, are conducted across the Bank encompassing staff as well as customers through various channels of learning and communication.

16. THIRD PARTY PRODUCTS DIVISION

- Bank of India is a Corporate Agent for Two Life Insurance companies, Four General Insurance Companies and Three Standalone Health Insurance companies.
- Bank has adopted an Execution model for distribution of Mutual Fund products. In the Mutual Funds business, Bank follows an open architecture enabling it to enter into multiple tie-up arrangements. Accordingly, Bank has entered into a tie-up agreement with various Asset Management Companies to distribute Mutual Fund products.
- While offering the products and services of Bancassurance & Mutual Fund AMCs, the Bank adheres to relevant guidelines of RBI / IRDAI / AMFI / SEBI or any other regulator which are binding upon it.
- The Existing Tie up of the Bank with various Insurance companies under each category as well as with Mutual Fund AMC is as follows:

Existing Tie-ups :-

S r. No	Products	Tie-up Partner
i	Life Insurance	1) Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. 2) LIC of India
ii	General Insurance	1) Reliance General Insurance Co. Ltd. 2) Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. 3) Future General India Insurance Co. Ltd. 4) New India Assurance Co. Ltd

iii	Health Insurance	1) Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. 2) Care Health Insurance Co. Ltd. 3) Niva Bupa Insurance Co. Ltd.
iv	Mutual Funds	<u>Name of AMCs</u> 1) Bank of India Investment Managers Pvt Ltd. 2) UTI Asset Management Co. Pvt. Ltd. 3) HDFC Asset Management Co. Ltd. 4) Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd. 5) Franklin Templeton Asset Mgmt. Pvt. Ltd. 6) Bandhan Mutual Fund (Formerly IDFC Asset Management Co. Pvt. Ltd.) 7) DSP Mutual Fund (Formerly DSP BlackRock Investment Managers Ltd.) 8) Aditya Birla Sun Life Mutual Fund (Formerly Birla Sun Life Asset Management Co. Ltd.) 9) Nippon India Mutual Fund (Formerly Reliance Mutual Fund). 10) SBI Funds Management Private Limited

- Bank has earned a total Commission Income of Rs.281.25 crore for FY 2024-25 from various segments as detailed below:

(Amt. in Crore)

TPP Segment	Commission Income
Life Insurance	223.43
General Insurance	30.68
Health Insurance	18.72
Mutual Fund	8.42
Total	281.25

17. MARKETING & PUBLICITY:

Bank aims to improve visibility by spreading awareness of its products and state of the art services amongst general public, customers & all its stake holders. Publicity & PR activities are implemented across all geographies with an objective to cater to all sections of the society by bringing out several advertisements campaigns and communications through various available media viz. OOH including signage, digital hoardings, radio, television, print, digital and social media etc.

Bank has implemented different marketing approaches which are imperative not only to stay competitive but also to foster customer engagement and loyalty. Further, by adopting social media and digital marketing strategies, Bank is able to leverage the potential of online media to reach out to larger population, engage them and to translate the same into business. Marketing, Publicity, advertising & Public Relations help the bank towards sustained brand recall and recognition amongst general masses and the same is considered as an investment in brand building.

18. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

BPR Department works on improving the efficiency of existing systems and processes as well as introduction of new systems and processes in the Bank and on other aspects of change management that include the organizational structure, products, & policies. The major customer centric initiatives taken during 2024-25 are as under:-

Project works/initiatives during FY (2024-25):

1. **Real Time updating of Manual of Instructions:** Bank's Manual of Instructions serves as the single point of reference for all operational procedures and guidelines. The manual was updated and real time updating of the manual was also implemented.
2. **Identification of centres for opening of new branches:** The potential of newly proposed centres was analysed and weighed based on the historical data procured from CIBIL and PIN code based deposits data available on RBI data base. 211 new branches were identified and opened on the basis of this study.
3. **Rationalization of Service Charges:** Service charges have been rationalized in order to make it more customer friendly and competitive. The processes have been mostly automated.
4. **Re-categorization of Indian Branches:** We have revised categorization norms and accordingly re-categorization of branches has been done for ensuring right staffing and ease of customer service delivery.
5. **Updating of Bank's website:** Regular meetings have been conducted and follow-ups made to remove all irrelevant and obsolete content from bank's website.
6. **Modification in Organisational Structure:** The Area Manager vertical was not found to be effective to the expected level and hence was wound up with effect from 30.06.2024
7. **Star Paramarsh – Staff Suggestion Scheme** to have firsthand operational/practical suggestions from the field: We have expanded the scheme to cover all ideas & suggestions of staff given at all fora, including at conferences, conclaves, and training centers, for operational efficiency & service effectiveness.
8. **Compendium of HO Departments-** The Compendium provides clarity on the roles and functions of Head Office Departments. Updating of Compendium is being done on regular basis.
9. **Uploading of Circulars-** Regular uploading of circulars issued by departments on Public folder and Stardesk (As directed by the Structured Committee uploading of circulars to Public Folder has been discontinued)

Enhanced Access and Service Excellence (EASE) 7.0:

EASE 7.0 was launched with an emphasis on enabling the Banks to drive national priorities, maintain a strong customer service orientation, managing operational risks effectively and capitalising new age capabilities built.

The focus of EASE 7.0 is on five key themes:

- Banking towards Viksit Bharat
- Excellence in Customer Service

- Adoption of New Age Technology and Other Advance Capabilities
- Effective Risk/ Fraud Management and Recovery
- Developing Employees for Emerging Banking Priorities

Bank of India has been ranked 6th out of 12 PSBs and ranked 1st in Best Improver category with 85.4% improvement over Baseline in Q3, FY 2024-25 under EASE 7.0.

Major initiatives undertaken by the Bank under EASE 7.0 are listed hereunder

- 1) **Champion Sector :** "Tourism, Hospitality and Logistics", is identified as Champion Sector to improve MSME advances with target of Rs 2000 Cr for FY'25 and Rs 3000 Cr for FY'26.
- 2) **Entrepreneurial product for Young Customers :** Youth-oriented entrepreneurial product "YUVA UDAYMI" aimed at Young Customers (age group 18-35 years) to widening the young customer base for aligning with the idea of Viksit Bharat.
- 3) **Green Cell Formation:** A specialized unit, "Green Cell" is formed with the objective of exploring opportunities to improve Green Liabilities by adding new product offerings and to improve Green assets by formation of pathways to reduce exposure on highly polluting industries and focusing more on sustainable lending.
- 4) **Feedback Capturing Mechanism:** A Centralized Dashboard is developed to track the performance of branches on customer experience based on the feedbacks received from customers.
- 5) **Enhance customer experience using ChatBot:** Use of AI/ML to improve customer interactions and upgrading our ChatBot functionalities to further enhance the overall customer experience.
- 6) **QMS:** Deployment of Centrally Monitored Digital QMS in high footfall branches to improve Customer Convenience.
- 7) **Online OTS:** Digital portal for OTS of small ticket loans up to Rs 10.00 lakhs made live to improve recovery in small ticket NPA loans.
- 8) **Analytics-Driven Solutions:** Offering Analytics-driven solutions to Customers for Enhanced Customer Engagement.
- 9) **Digital Journey of RAM Products :** End to End digitization of 16 products across RAM segments to increase the number of STP loan journeys from the existing 4 to 16 by March 2025.
- 10) **HR Transformation :** HR Transformation initiatives which focus on manpower planning and skill development to further strengthen our operational capabilities.

As evident from the initiatives mentioned above, digitization, digitalization and process re-engineering are the key to transform the bank as envisaged under EASE 7.0.

Bank has taken a series of initiatives to create a digital ecosystem to enhance customer engagement, improved productivity and profitability.

19. LEGAL & RIGHT TO INFORMATION ACT:

Legal Department of the Bank acts as support department and provides platform for various matters of Opinion, Documentation, Litigation etc. emanating from various other functional departments at Head Office.

Besides attending to referral matters of various FGMOs/Zones, Domestic Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries, the Department also caters to the specific needs of specialized Departments like Information Technology Department, International Department, Treasury Department, Digital Banking Department, Digital Lending Department, Card Products Department, Transaction Banking Department etc. by Drafting/Vetting of documents of various contracts including Service Level Agreements (SLAs), agreements for Software/Hardware procurement, various types of tie-up arrangements /new products etc.

The Right to Information Act has taken a pivotal role in the Society and lot many applications are received by the Bank at various levels. Bank has identified Central Public Information Officer and Appellate Authority at various FGMOs/Zones/LCBs. AGM (Law)/DGM (Law) at, Head Office is designated as the CPIO for Head Office and the General Manager, Legal Department is the Appellate Authority at Head Office. The procedure for disposing of application(s) or appeals involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time duration of 30 days and also to guide the other FGMOs/Zones on specific points.

Moreover, with a view to create awareness among the staff, Legal Department issues circulars and guidance to FGMOs/Zones on the amendments on Statutes and new Legislations.

In addition to the above, the Legal Department also attends to:

- Approval of Plaints in respect of suits filed by Bank and Monitoring of said cases.
- Advising on writs, cases, appeals, claims etc. filed against the Bank, vetting of the applications/affidavits etc. wherever required.
- Attending to the various queries of Ministry, Reserve Bank of India and IBA on different matters including new Legislation/amendments under consideration on various Acts.
- Opinion on Share transmission matters of Share Dept/ Investor Relations Dept.
- Cases against Bank/Claim against Bank not acknowledged as debt/provision requirement/follow up with Zones etc.
- Consolidation of Lok Adalat data received from FGMOs/Zones
- Collection and compilation of data/statistics pertaining to suit filed/decreed cases/Lok Adalat, RBS date, RTI returns and submission to various authorities like Reserve Bank of India, DFS, CIC etc.

20. COMPLIANCE DEPARTMENT

Bank has an independent Compliance Department which is headed by an officer of the rank of Chief General Manager referred to as Group Chief Compliance Officer. The core function of the department is to ensure compliance of statutory, regulatory and Bank's internal guidelines for both domestic as well as overseas operations. The department works as the single point of contact for RBI and ensures smooth conduct of Risk Based Supervision (RBS) as per prevalent SPARC framework.

Bank has a Board approved Compliance Function Policy which is framed as per Reserve Bank of India guidelines and is reviewed & updated annually. The policy gives credence to the following components: i) Governance ii) Compliance Risk Assessment iii) Policies, Procedure and related controls iv) Compliance Monitoring and Testing v) Reporting and Communication vi) Training and use of technology to improve compliance and vii) Regulatory interaction and Co-ordination.

The department has adopted technology in compliance to improve transparency, efficacy, oversight and effectiveness and to deal with uncertainty and manage risks, both known and unknown which can help improve the strategy, performance and offer greater insight for decision making. The Department is also conducting periodic testing exercise, both at head office and field levels, to confirm adherence and sustenance of RBI guidelines/instructions. The number of Compliance testing is in increasing trend year on year and reporting of test results are submitted to Top Management on periodic basis. Compliance testing outcomes along-with the other control measures are included for assessment of field level compliance risk assessment.

Going forward, the department is in the process of introducing a Compliance Manual for the benefit of the entire workforce across the bank. The department is also aiming to automate the compliance function in the bank, as per the RBI guidelines.

The Compliance Department is also overseeing compliance function of overseas establishments which follow their respective territory based compliance policies as well as KYC-AML-CFT Policies. Each overseas centre/ branch/subsidiary has an independent compliance officer to look after the respective compliance function. Overseas branches comply with the applicable regulatory requirements (home country /host country regulatory guidelines whichever is stringent) and submit confirmations / compliance sustainability reports. The compliance officer of each overseas branch undertakes monthly compliance testing and submits report to Head Office. To inculcate culture at down the level, field level compliance officers are posted in each zones and Field General Manager Offices (FGMOs) across India under direct reporting line of Group Chief Compliance Officer.

21. OFFICIAL LANGUAGE:

The Bank has a well established Official Language Department which ensures implementation of the provisions related to the Official Language Policy of the Government of India and progressive use of Hindi in the Bank. In accordance with the annual programme of the Government of India, for the planned implementation of the Official Language Policy

of the Government, the Annual Karya Yojana 2024-25 was prepared by our bank, which was released by MD & CEO. World Hindi Day 2025 and Hindi Day 2024 were celebrated with full enthusiasm. All India Inter Bank Essay Competition was organised on the occasion of World Hindi Day. On the occasion of Hindi Diwas, many competitions were organized across the bank in which foreign branches also participated. On this occasion, a quiz related to the official language Hindi was organized on the social media handles of the bank in which customers also participated enthusiastically. Bank of India participated in the Fourth All India Official Language Conference (New Delhi), organized by the Government of India on 14th and 15th September 2024. In this, our bank was honored with the Kirti Award by the Hon'ble Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai and other dignitaries. Also, Narakas working in collaboration with Nagpur Zone was honored with 'Narakas Samman'..

In the financial year 2024-25, emphasis was laid on capacity building and better performance of Official Language Officers and keeping this in mind, All India Annual Review Meeting, training program on Kanthasth 2.0 and Advanced level Official Language Workshop were organised. The e-library was inaugurated by Managing Director and Chief Executive Officer on 10.02.2025 at the Head Office. At the All India level, information about the great sons of the country is sent every week in hindi through the "Eminent Personalities Series". Hindi email competition was organized in the head office throughout the year. "Rajbhasha Shield Competition" was organized for the departments of the head office and Zones. An All India Seminar has been organized by New Delhi Zone and Kolkata Zone. Further, an online seminar was organized by 11 zones. In the year 2024-25, 15 new Official Language Officers joined bank.

Our Zones and TOLIC have received 8 regional level awards from the Government of India. Also, 34 zones and branches have received awards from TOLIC during the year. Many staff members have also received awards at individual level in All India Interbank competitions and TOLIC competitions. This year the Bank has organized a total of 210 Official Language workshops in which 5322 staff members have been trained. Our Bank is successfully carrying out the responsibility of convenorship of 15 TOLIC as prescribed by the Government. Our 03 offices/branches were inspected by the Parliamentary Committee on Official Language during the year. All inspections were completed smoothly. To ensure the use of official language Hindi, the department promptly translates bank circulars etc. To encourage more work in the official language, the Bank is publishing Hindi magazine "BOI Varta" and house journal "Taarangan".

22. HUMAN RESOURCES, LEARNING AND DEVELOPMENT:

A. HUMAN RESOURCES:

Decision making in HR is aimed to be more data- driven to reduce the likelihood of failure and bias. Bank aims to achieve consistency through building capability and continuous learning and development.

- As on 31.03.2025, there were 50,564 employees on the rolls of the Bank. Out of this, there are 27,730 Officers, 18101 Clerks and 4733 Subordinate Staff. During FY 2024-25, Bank recruited 799 Staff Officers

in General Banking and Specialist cadre and 228 (46 under compassionate appointment) in Clerical cadre. During FY25-26, the Bank plans to recruit 1172 Staff Officers and 1617 clerical staff.

- The New Performance Management Policy for Officers has been approved by Bank's Board on 29.03.2025. The Performance Management System (PMS) Policy ensures clarity, fairness, and alignment with organizational goals, encompassing key areas such as role specific KRAs, marking methodologies, cohort management, multi-hatting approach, appraisal and grading logic and appeal process.
- In Succession Planning, endeavour is being made to bridge systematically the gaps of skill shortage in critical areas of Corporate Credit, Credit Monitoring, Recovery, Treasury etc and also in the emerging areas such as Infrastructure Financing and Financial Inclusion, through mapping of competencies vis-à-vis critical roles identified.
- In Talent Management sphere, a focussed Talent Review & Development Process is being undertaken to ensure that the current incumbents and potential employees in these roles will be suitably trained and groomed to assume these roles in time.
- Towards paperless HR, various digitisation initiatives such as Online acceptance of terminal dues applications, complaint handling, Investment dashboard for the management etc., submission of Form 12BB in HRMS have been implemented.
- Bank has implemented a gender neutral 'Prevention of Sexual Harassment at workplace (POSH) Policy' in strict compliance of Government of India instructions as are advised from time to time, for empowerment of women. It has been the endeavour of the Bank to eliminate any form of sexual harassment and ensure safe & conducive and harmonious work environment to guarantee that all employees enjoy equality, dignity and respect
- Officers who are interested and are having flair of working in specialized areas like Credit, Risk Management, Treasury etc., are being identified through 'Star Hunt' scheme. After selection, such officers are trained in the vertical they are selected for and are posted in identified fields.
- To promote self-learning many courses from identified institutes as well as under MOOCS were included in the Bank's Capacity Building. Customized training programmes have also been formulated in collaboration with external training institutes like CRISIL, IIBF, CAB Manipal Institute etc. for imparting trainings in areas like Credit, Compliance etc.
- Bank aims to ensure seamless implementation of various HR initiatives like Job Family, Succession Planning & Talent Management Process and any other Government directive envisaged in PSB Reforms Agenda for Enhanced Access & Service Excellence (EASE).
- Bank has implemented 'Bank of India Code of Ethics & Conflict of Interest Policy' towards ensuring an organization based on ethics and moral values

and a work environment free of any kind of bias/discrimination and harassment.

- We are committed to strict compliance and implementation of Equal Opportunity Policy in our bank towards eliminating all forms of discrimination and ensure that the persons with disabilities enjoy equality, dignity and are empowered and better equipped to perform at par with others.
- **Star Pratibimb (HR Evaluation) revamped for year 2024- HR Evaluation at 3 levels** i.e. Zonal Office to Zonal Office, Training Centre to Training Centre and Branch to Branch. Evaluation on 10 parameters with marking system in 100. Same would help in better objective evaluation of HR policies.
- **Lateral Recruitment in specialized stream initiated-** Process completed for recruitment of 158 Officers in Specialist Stream (Security, Economist, IT Officers, Law, Risk etc.). 142 Officers who have been found suitable have been selected, out of which 100 Officers have joined.
- **'Star Samarth'** an HR initiative to empower and provide assistance to the employees to share their career aspirations, goals, and other concerns is functional across all the Zones PAN India. Based on the feedback and experience gathered, the program shall be reviewed after one year. Training for the Welfare Officers has been conducted for providing effective assistance to the employees.
- **'WhatsApp Chatbot for Bank's Retirees'** has enabled the pensioners to get information and resolve all the basic general queries related to pension in just one click
- **DCPS-** Change in Investment Model from Corporate CG Scheme Model to Subscriber Level Model : Option has been given to Individual Staff to change Pension Fund Manager and decide Asset Class Allocation
- Three centers have been identified for Centers of Excellence (COEs) for training of staff members
 - o MDI-Mumbai (for people and leadership)
 - o STC-Noida (for Credit & Risk) and
 - o ITTC-Pune (IT).
- **Bank has initiated the process of engagement of apprentices in the Bank on pilot basis :** Bank has published notification dated 25.02.2025 for engagement of 400 apprentices. The process will be completed by 31.05.2025. Thereafter, 1000 apprentices will be engaged subsequently in a phased manner.
- **Transfer & Rotation Policy (as per DFS guidelines)** – The Transfer & Rotation Policy of the Bank has been reviewed in line with DFS guidelines with 3 Options given to all Officers making the process more transparent and employee friendly
- **Promotion Policy has been revamped** to streamline the process of promotion by including online assessment test for Scale III, IV and V. The promotion process for the year 2024-25 has been completed and results have been declared.

- Bank has made enhancement in limits of various Staff Loans i.e. Staff Vehicle Loan, Staff Housing Loan, Personal OD facility, etc. so as to enable the employees to avail the benefits of these loans.
- As a part of the ESG initiatives, various events were organized during the year ended 31.03.2025:-
 - ❖ Health Check-up Camp on bone mineral density & Dental preceded by talk on Ergonomics
 - ❖ Breast Cancer Awareness Camp.
 - ❖ Blood Donation camp was organized in collaboration with H N Reliance.
- **'QR based Feedback system :** To enhance our customer service and enable direct feedback on the services rendered by our staff members, QR based feedback system has been introduced.
- Various new modules have been introduced in HRMS such as –
 - Online application of NOC for appearing in Examinations
 - Online Application and processing of Staff OD/ Term Loan

Compliance with Reservation Policy for representation of SC/ST/OBC/EWS/PwD/Ex-SM:

The Bank is strictly complying with the reservation policy of Government of India. Separate cell for SC/ST and OBC has been set up at Head Office as well as in all Zonal Offices which takes exclusive care in implementing the reservation policy and redressal of grievances related to SC/ST/OBC Employees. EWS reservation in Direct Recruitment was implemented in the Bank since 01st February 2019.

Representation of SC/ST/OBC/EWS staff as on 31.03.2025:

Cadre	SC	% to total staff	ST	% to total staff	OBC	% to total staff	EWS	% to total staff	Total
OFFICER	4973	17.93%	2527	9.11%	8464	30.52%	409	1.47%	27730
CLERK	2732	15.09%	2161	11.93%	5184	28.63%	506	2.79%	18101
SUBSTAFF	1627	34.08%	567	11.87%	1332	27.90%			4733
TOTAL	9332	18.57%	5255	10.39%	14980	29.62%	915	1.80%	50564

Project StarLIGHT

A Strategic Enabler of Vision 2031

Bank of India's HR Transformation through Project StarLIGHT is architected as a strategic lever to realize its Visionary goals, with a clear focus on performance, agility, leadership, and digital enablement. The initiative is structured around 5 transformation pillars:

1. Performance & Accountability:

- Launched a new Performance Management System (PMS) for field and administrative officers, embedding outcome-based KRAs and structured review rhythms.
- Revised APAR policy for OF1-OF6 levels approved by the Board, aligning performance

evaluation with future roles and organizational needs.

- FY26 targets were scientifically set through Target Setting tool using market intelligence from CIBIL and RBI, and cascaded institution-wide—from Corporate office to Zones—ensuring alignment and ownership.

2. Talent Deployment & Mobility:

- The entire promotion and posting process has been digitized, including a rule-based recommendation engine for officer transfers.
- Job Family framework expanded from 8 to 11 families; revised policy approved by the Board. Officer preferences (OF1–OF5) captured for personalized career mapping.
- This data-backed approach enhances transparency and efficiency in manpower allocation and succession planning.

3. Capability Building at Scale:

- 25,000+ officers across OF1–OF4 have undergone role-based skill assessments using a curated question bank of 5,000+ items. Key groups include BMs, credit, deposit, IT, Risk, Audit, Compliance, and other specialist streams.
- Launched Star SAMVAAD, a dynamic L&D engagement platform offering leadership podcasts, sector primers, and wellness seminars—clocking 1 lakh+ digital impressions.
- Emphasis on targeted skilling, continuous learning, and development to support lateral mobility and future-readiness.

4. Leadership Pipeline Strengthening:

- 540+ senior officers (OF5–OF7) assessed on a robust framework of 11 behavioral competencies, enabling sharper leadership diagnostics.
- A revised Succession Planning policy is now Board-approved, supported by coaching interventions and talent visibility.
- Leadership development is now a structured journey—from competency assessment to role readiness, enabling a sustainable executive bench.

5. Governance, Compliance & EASE Alignment:

- End-to-end tools for target setting, appraisal (APAR), Individual Development Plans (IDPs), Manpower planning, Postings, and Succession Planning are now implemented.
- Demonstrated full compliance with EASE 7.0 benchmarks during Q3 & Q4 reviews, reinforcing the Bank's commitment to institutional excellence.

- Ongoing investments in people analytics and generative AI ensure continuous feedback loops, real-time insights, and agile HR governance.

This transformation through Project StarLIGHT is not just about modernizing HR—it is about building a **digitally empowered, strategically aligned & future ready workforce** that can anchor & propel Bank of India's growth ahead.

23. LEARNING AND DEVELOPMENT:

Learning and Development (L&D) Department played a pivotal role in advancing the Bank's strategic goals through comprehensive employee training and capacity building initiatives. As the banking landscape continues to evolve with technological advancements, regulatory updates, and shifting customer expectations, our L&D team remains focused on equipping employees with the necessary skills and knowledge to thrive in a dynamic environment.

Key achievements during the year included the launch of several digital learning programs, leadership development tracks, and regulatory compliance modules. A blended learning approach—combining in-person sessions, virtual classrooms, and self-paced e-learning—enabled greater accessibility and flexibility across the organization.

Over the year, more than 27000+ employees participated in training programs covering a broad range of topics including risk management, customer service excellence, digital banking tools, and cyber security awareness. Additionally, the department introduced specialized training pathways for high-potential talent and newly appointed DROs, aimed at fostering future leaders within the bank.

To support continuous learning, the L&D team expanded the Bank's internal knowledge platform and introduced personalized learning journeys tailored to individual career paths. To enhance the capabilities of employees, Bank has made several collaborations with Training Institutes viz. CAFRAL, CAB Pune, NIBM Pune, Indian School of Business (ISB) Hyderabad & Mohali, IIM Udaipur, ASCI Hyderabad, IDBI Training College Hyderabad, IIBF, IIBM, BIRD Lucknow & Mangalore, IRMA Anand, Xavier Institute of Management (XIMB), Bhubaneswar, NIBSCOM Noida, National Forensic Science New Delhi and Gandhinagar, Manipal Global, IMI New Delhi, Institute of Insurance and Risk Management (IIRM), Hyderabad, Indian Society for Training & Development (ISTD), New Delhi etc.

Customized trainings are being conducted at knowledge partner's campuses. These trainings include important subjects like Intensive Credit, Leadership Training programme for Women Branch Heads, RBC Heads, SMECC Heads, HR Heads, Star Krishi Vikas Kendra Heads (SKVK), Internal Auditors and Lead District Managers (LDMs). 2900+ participants attended various programmes

All training colleges are collectively bringing out monthly magazine, Star Darpan. Other publications like Sandipani and Vijeta by training colleges are instrumental in the skill upgradation of employees

Three training colleges have been identified as Centres of Excellence (COE) as part of HR transformation exercise

(Project Star LIGHT). The details of COEs are as under:

MDI Belapur: Centre of Excellence for People & Leadership Development.

ITTC Pune: Centre of Excellence for IT and Customer Service.

STC Noida: Centre of Excellence for Credit and Risk Management training.

Looking ahead, the Learning and Development Department remains committed to building a resilient, future-ready workforce by aligning training efforts with the bank's transformation agenda and long-term vision.

24. CUSTOMER EXCELLENCE BRANCH BANKING:

- Customer Excellence Branch Banking Department redresses the grievances raised by customer on different channels such as web portal, Call Centre, email, hand delivery etc. While ensuring effective and timely redressal of the grievances, the CEBB Department also fosters the sense of service excellence among the customers, by way of motivating the field staff to serve the customers with smile.
- There are various levels for supervision and monitoring of Internal Grievance Redressal Mechanism in our Department, Customer Service Committee of the Board (CSCB) being on the Top of the ladder. A comprehensive note on the Internal Grievance Redressal Mechanism is placed before the CSB every quarter, as per regulatory requirements, for their assessment of the functionality and activities of the Department coupled with the performance on various parameters.
- Standing Committee on Customer Service (SCCS) meeting is conducted on monthly basis to review the grievance redressal mechanism and customer service of the Bank. The Committee is headed by Executive Director, participants being CGMs/General Managers of various verticals. Issues pertaining to different departments, which are escalated to the CEBB Department for resolution are sorted out and discussed in these meetings wherein directions by the Top Management are passed on to the respective departments for speedy, effective and conclusive redressal of the grievances.
- In EASE Bank's performance has shown marked improvement quarter on quarter. In the ratings for the latest quarter under EASE 7.0, Bank has achieved 3rd rank in Customer Service amongst the 12 Public Sector Banks.
- The Bank has robust Complaint Management System, i.e. Star Sampark (CRM Next) which captures all complaints emanating from various channels. Every complaint is having (a) unique ID which can be tracked online by the customer. Notification of updates with regard to the complaint is sent to the complainant through SMS/email on their registered mobile number/email ID. Complainant can also reopen complaints if not satisfied with the resolution provided by the Bank.

- The CEBB Department has also implemented Feedback Capturing Mechanism through various sources to assess the satisfaction levels of our Bank's services among our customers. Feedback through QR code are captured for branch visiting customers. It has also implemented robust mechanism to monitor feedback received from customers i.e. Qlik Sense Portal. Qlik Sense portal monitors the Customer Satisfaction Score (CSAT) which represents feedback responses provided by the customer of the Bank.
- Call Centres are situated at two seismic zones i.e. Airoli (Mumbai) and Begumpet (Hyderabad). These Call Centres also cater to various services of customers 24X7X365. The Bank is in the process of revamping the Call Centre with new state of art technology in evolving changing technology landscape.

25. BRANCH NETWORK & EXPANSION

Bank has a geographically well spread branch network in India and abroad. Bank had 5306 branches in India as on 31.03.2025. Composition of Bank's domestic branch network is as under:

Category	31.03.2024		31.03.2025	
	No of Branches	% to total	No of Branches	% to total
Metropolitan	990	19.23	974	18.36
Urban	830	16.12	851	16.04
Semi-Urban	1464	28.44	1573	29.65
Rural	1862	36.17	1906	35.92
Digital banking units	2	0.04	2	0.03
Total Domestic Branches	5148	100	5306	100

During the year 2024-25, Bank has opened 211 new branches. The category wise break up of newly opened 211 branches is as under:-

Metro	Urban	Semi-Urban	Rural	Total
32	28	109	42	211

In addition, Bank has presence abroad, with 22 branches (including IFSC Banking Unit at GIFT City), 4 Subsidiaries, 1 Joint Venture and 1 Representative Office, spread across 15 countries in 5 Continents, which keep Bank's presence felt in all time zones and important financial centers of the globe.

26. DOMESTIC SUBSIDIARY MANAGEMENT DIVISION:

BOI Shareholding Limited (BOISL):

Bank has investment of Rs. 6.65 Crore in BOISL, a wholly owned subsidiary of the Bank. BOISL acts as Depository Participant (DP) for both the depositories - National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). The Company also commenced its Corporate BSA activity in April 2024.

Bank of India Investment Managers Pvt. Ltd. (BOIIMPL) & Bank of India Trustee Services Pvt. Ltd. (BOITSPL) (Erstwhile BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. and BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd.):

These subsidiaries are in the business of Mutual Fund and Investment Advisory Services under SEBI Investment Advisor Regulations. Bank of India is holding 100% stake in BOIIMPL and BOITSPL with investment of Rs. 98.10 Crore.

BOI Merchant Bankers Limited (BOIMBL):

Established in 2014, BOI Merchant Bankers Limited is engaged in merchant banking business including arranging of Syndicated Loans, Bonds and Debentures. It is a wholly owned subsidiary of the Bank with paid up capital of Rs. 10.00 Crore.

STCI Finance Limited:

Established in 1994, STCI Finance Ltd., acts as a non-deposit taking NBFC. Bank of India with 29.96% holding (investment of Rs. 130.10 Cr.) is the largest stakeholder in STCI. STCI Primary Dealer Ltd. (STCIPD) is a wholly owned subsidiary of STCI Finance Limited. STCIPD commenced its operations in June 2007 and is one of the leading primary dealers in the country.

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd. (SUDLIFE):

Bank of India, Union Bank of India and Dai-Ichi Life International Holdings, Japan have formed a Joint Venture "Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company" to provide life insurance services to its clients. The company commenced insurance business in February 2009. BOI holds 27.48% (investment of Rs. 132.92 Crore), with UBI holding 25.10% and Dai-Ichi Life International Holdings holding 47.42% stake in the Company.

ASREC (India) Ltd.

ASREC (India) Ltd. was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to undertake securitization and asset reconstruction activities. Bank holds 26.02% stake (investment of Rs. 27.60 Crore), in the Company.

INVESTMENT / ALLIANCES:

National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL) – IBA has set up Bad Bank to resolve the NPA issue in Banking Sector. Bank has invested Rs 247.50 Crore in NARCL with 9.00% holding.

India Debt Resolution Company Ltd (IDRCL) - IBA has also set up IDRCL to provide debt management service to NARCL. IDRCL brings expertise to the table – with its team of sectoral experts and turnaround specialists. Bank has invested Rs. 0.80 Crore in the company with 4.00% holding.

National Commodities Management Services Ltd. (NCML) is promoted by the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. Bank holds stake of 2.34% in the equity capital of the company with Investment of Rs. 3.00 Crore.

SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd. a joint venture company promoted by SWIFT and 9 major Banks including

Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is held by 9 major Banks. Bank of India has an equity stake of 2.81% in the company with an Investment of Rs. 7.71 Crore.

Acuite Ratings & Research Limited (Earlier SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)) was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading providers of commercial data and analytics. The Company's objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easy flow of credit to SME sector. Bank holds a stake of 1.96% in the equity capital with an investment of Rs. 0.28 Crore.

OTHER STRATEGIC INVESTMENTS:

Bank also has strategic investments in following entities:

(Rs. in Crore, as on 31.03.2025)

Name of the Company	Book Value#	Face Value
SIDBI	650.53	15.10
METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA	0.00	5.00
ONDC	14.47	20.00
NPCI	10.00	10.00
Invent Assets Securitization and Reconstruction Pvt. Ltd	5.35	4.00
SBI DFHI LTD	29.99	4.42
CERSAI	50.70	2.16
AGRICULTURE FINANCE CORPORATION	1.82	1.26
Central Ware Housing Corporation Ltd	39.92	1.03
PSB Alliance	1.76	2.00
CSC e-Governance services India Ltd	12.10	1.00
CCIL	14.09	0.50
U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd	0.32	0.15

In compliance with RBI Master Direction on Clarification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by commercial Banks (directions) 2023 dated 12.09.2023. All investments were fair valued on initial recognition and the subsequent Appreciation / Depreciation was transformed to General Reserve as on 01.04.2024. Accordingly, the investment in unlisted strategic investment were fair valued through breakup value and Book value of investment was changed w.e.f. 01.04.2024.

27. FRAUD RISK MANAGEMENT

Good corporate governance serves as an important factor in control of fraudulent activities. It may be true that Fraud itself cannot be eliminated but fraud risks can be managed and mitigated like other business risks with a proactive framework such as -

* Devising and managing the Fraud Risk Management Framework with a board approved Policy, supported by Operational Manual & SOPs,

- * Timely Reporting of Frauds to the Regulators and the Board,
- * Diagnosis and root cause analysis of fraud cases, and implementation of remedial measures to mitigate risks thereof in respect of product deficiencies, backing support from stake-holder departments at Head Office,
- * Dissemination of modus operandi & reasons for occurrence of fraud by way of Circulars / instructions to avoid the risk of recurrence of frauds of similar nature, at branches,
- * Sensitizing staff through short alert messages by way of tickers / periodical messages through MMS and training/ Video Conferencing on Fraud prevention, in coordination with Learning & Development Department,
- * Enterprise wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) encompassing all non-credit delivery channels except cards; which is being monitored through separate solution, has been implemented covering domestic branches and one overseas centre, with CORM approved SOP.
- * Working on 'Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), portal managed by LEAs to provide required data in coordination with Digital Banking Department and Freezing of the accounts for blocking further damage to customers,
- * Filing of Complaints with Law Enforcement Agencies (LEAs) by branches/ controlling offices.
- * Issuance of LOCs as per extant guidelines of IBA guided by the direction from MHA.

Highlights during the year:

- * Perpetration of new frauds reported during the FY 2024-25 is Rs.1073.49 Cr (excluding 5 frauds of Rs.375.72 Crore which are re-reported on re-examination) which shows increase on comparing with frauds reported in FY 2023-24 amounting to Rs.131.31 Cr. (excluding seven frauds of Rs. 735.39 Cr. which were re-reported after re-examination). Five cases with amount involved Rs.375.72 Cr which were de-activated by RBI as per Supreme Court verdict dated 27.03.2023 are re-reported by us during FY 2024-25 after re-examination, complying with Principle of Natural Justice. Hence, excluding these 5 cases, involving amount of Rs.375.72 Cr, total amount of fraud reported in FY 2024-25 is Rs.1073.49 Cr. only.
- * Internal frauds due to staff involvement was amounting to Rs.7.42 Cr in FY 2024-25 which consist of 0.69% of newly reported frauds of Rs.1073.49 Cr.

28 VIGILANCE MANAGEMENT:

"VIGILANCE MANAGEMENT: Vigilance department is headed by Chief Vigilance Officer for vigilance administration in the Bank under the general superintendence of Central

Vigilance Commission (CVC). Vigilance department covers all vigilance related matters of bank's officials in domestic operations, overseas operations, and subsidiaries.

The Vigilance Administration of three Regional Rural banks sponsored by Bank of India, viz. Vidharbha-Konkan Gramin Bank, Aryavart Bank and Madhya Pradesh Gramin Bank are also supervised by Vigilance Department.

Vigilance department works under Chief Vigilance Officer assisted by two Deputy General Managers and other officials having background / experience in the field of operations, investigation and disciplinary matters. For operational convenience, Vigilance Department has stationed one Vigilance Officer in each zone under the direct control of Vigilance Department, Head Office. Concurrent Auditors, working at overseas centres, perform the role of Vigilance Officer for overseas branches.

The Vigilance Department deals with all 3 functions of Vigilance Administration such as Preventive, Punitive and Surveillance Vigilance, with the objective of enhancing the level of managerial efficiency and effectiveness in the organisation. Communications covering gist of circulars, guidelines, and instructions etc., issued by the DFS, DoPT, CVC are circulated to field functionaries / Offices from time to time along with other related subjects of preventive vigilance".

29. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

In terms of Regulation 43A of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on our website –

<https://bankofindia.co.in/documents/20121/25744421/5-Dividend-Distribution-policy.pdf>

ACKNOWLEDGEMENT:

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and support. The Board also thanks the financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates, bondholders and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Place : Mumbai
Date : 9 May, 2025

Rajneesh Karnatak
MD & CEO

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (2) (एफ) के अनुसार कारोबार दायित्व एवं धारणीयता रिपोर्ट हमारी वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निवेशक - कारोबार दायित्व एवं धारणीयता रिपोर्ट के अंतर्गत उपलब्ध है। यह <https://bankofindia.co.in/business-responsibility> से भी प्राप्त किया जा सकता है।

BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT

In terms of Regulation 34 (2)(f) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Business Responsibility and Sustainability Report is available on our website - www.bankofindia.co.in under Investor Corner → Business Responsibility and Sustainability Report. The same can be accessed at <https://bankofindia.co.in/business-responsibility>

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर बैंक की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है, जो बैंक के कॉर्पोरेट दर्शन के अनुरूप, सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के सृजन के साथ अपने वित्तीय उद्देश्यों को संतुलित करता है, जिससे बैंक हेतु मूल्य और छवि निर्माण होता है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, बैंक समाज की बेहतरी के लिए योगदान देने के महत्व को गहराई से समझता है और पहचानता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत, जरूरतमंद, वंचित और समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा विभिन्न कल्याणकारी और सामाजिक गतिविधियां/ परियोजनाएं/कार्यक्रम किए गए हैं। बैंक जरूरतमंदों और वंचितों के लिए सीएसआर गतिविधियों को चलाकर समाज को वापस देने के दर्शन के लिए प्रतिबद्ध है जो उसे संरक्षण देता है।

बैंक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए “स्टार एंजेल स्कीम” नामक ब्रांड के अंतर्गत अपनी फ्लैगशिप सीएसआर गतिविधियों को भी जारी रखे हुए है। इस कार्यक्रम के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की छात्राओं की पहली कक्षा में ही पहचान की जाती है तथा उन्हें स्नातक तक उनके शिक्षा संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष रु.1200/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, हमारा बैंक शिक्षा को प्रायोजित कर, शिक्षा संबंधी सामग्री दान कर, दिव्यांगजनों तथा अनाथों को सहायता प्रदान कर, आधारभूत शिक्षा को सहायता प्रदान कर रहा है तथा गरीबों एवं वंचितों को जीवन जीने के बेहतर अवसरों के लिए कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है।

बैंक द्वारा पहले से ही की जा रही कुछ सीएसआर पहल इस प्रकार हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों में सौर स्ट्रीट लाइट और हैंडपंप सेट;
- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्कूलों के लिए शौचालयों का निर्माण;
- वर्षा जल संचयन तंत्र/उपकरण कृषि/पेयजल/क्षेत्र का विकास;
- समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों आदि के अस्पतालों तक एम्बुलेंस पहुंचाना;
- परिवार नियोजन केंद्रों और अन्य अस्पतालों को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण;
- शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों और अन्य लोगों को व्हील चेयर;
- कैंसर के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने तथा कैंसर रोगियों की सहायता हेतु सहयोग;
- समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए कक्षा-कक्षों(क्लासरूम) का निर्माण/स्कूल किट उपलब्ध कराना;
- अनाथ/दृष्टिबाधित/दिव्यांग छात्रों/व्यक्तियों को सहायता;
- समाज के गरीब वर्गों को भोजन/मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने वाली सरकारी/स्थानीय निकायों के स्कूलों के लिए वाहन;
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राहत कोष में योगदान;

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CSR is an integral part of Bank's activities to balance its financial objectives with creation of positive social and environmental impact, in line with Bank's corporate philosophy, with deriving value and image building for the Bank. As a responsible corporate citizen, Bank is deeply committed to and recognizes the importance of contributing towards betterment of society.

Under the Corporate Social Responsibility (CSR) activities, various welfare and social activities/ projects/ programmes are undertaken by the Bank to raise the quality of life for needy, deprived & underprivileged sections of the society. Bank is committed to the philosophy of giving back to the society which patronizes it - by way of undertaking CSR activities for the needy & deprived.

Bank is also continuing its flagship CSR activities under brand name “Star Angel Scheme” for promoting ‘Beti Bachao Beti Padhao’ Abhiyan. Under this programme, girl students from economically weaker sections are identified in Standard I and selected for extending financial support of Rs.1200/- per annum for meeting their educational expenses right upto graduation.

As a responsible corporate citizen, our Bank has been continuing to support basic education by sponsoring education, donating educational materials, extending assistance to differently abled and orphans; and also providing skill training for better life opportunities to poor and underprivileged.

Some of the CSR initiatives already being undertaken by the Bank are :

- Solar street lights and Hand pump sets in Rural areas;
- Construction of Toilets for schools under Swacchh Bharat Abhiyan;
- Rain water harvesting mechanism / equipment agriculture / drinking water / development of the area;
- Ambulances to Hospitals catering to economically challenged sections of the society, rural areas, etc;
- Ultra-modern medical equipment to Family Planning Centers and other hospitals;
- Wheel chairs to physically challenged sportspersons and others;
- Assistance for creating awareness against cancer and help for cancer patients;
- Construction of classrooms / providing school kits for the students from economically challenged sections of the society;
- Support to orphaned / visually challenged / differently abled students / persons;
- Vehicles for institutions providing food / mid-day meal to Government /Local bodies schools catering to poorer sections of the society;
- Contribution to Relief Funds for assistance of people affected by natural calamities;

- अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कौशल विकास प्रशिक्षण;

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	वर्ग	राशि (लाखों में)	%	लाभार्थियों की संख्या
1	बुनियादी शिक्षा और कौशल विकास	73.15	8.80	17
2	स्वच्छ भारत अभियान	50.52	6.08	20
3	सामाजिक कल्याण सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	201.46	24.23	26
4	पशु संरक्षण एवं कल्याण	23.00	2.77	2
5	शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों का सहयोग	2.92	0.35	2
6	'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान' के तहत महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना	113.98	13.71	9498
7	पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना	48.78	5.87	11
8	राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण	42.32	5.08	5
9	खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना	4.05	0.49	2
10	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों का कल्याण	4.44	0.53	1
11	नारी शक्ति का समर्थन	2.01	0.24	1
12	स्टार बॉन्डिंग पहल (एचओ-एचआर)	264.90	31.85	5304
	कुल	831.53	100.00	14889

सीएसआर सिद्धांतों को अपनाकर, बैंक ऑफ़ इंडिया सतत विकास में योगदान करते हुए हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ विश्वास बना रहा है, फलस्वरूप दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता एवं आघात सहनीयता क्षमता बढ़ रही है।

- Skill development training to economically weaker sections including minority, SC, ST and OBC;

During financial year 2024-25, Bank has undertaken various CSR projects, which are detailed below:

Sr No.	Category	Amt (In Lakhs)	%	No of Beneficiaries
1	Basic Education and Skill Development	73.15	8.80	17
2	Swachh Bharat Abhiyan	50.52	6.08	20
3	Health and Family Welfare including Social welfare	201.46	24.23	26
4	Animal Protection and Welfare	23.00	2.77	2
5	Supporting Physically Challenged	2.92	0.35	2
6	Empowering Women & Girl Child under "Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan"	113.98	13.71	9498
7	Ensuring Environmental sustainability and ecological balance	48.78	5.87	11
8	Protection of National Heritage	42.32	5.08	5
9	Promoting Sports activities and training	4.05	0.49	2
10	Welfare of armed forces veterans, war widows and their dependents	4.44	0.53	1
11	Supporting Nari Shakti	2.01	0.24	1
12	Star Bonding Initiative (HO-HR)	264.90	31.85	5304
	Total	831.53	100.00	14889

By embracing CSR principles, Bank of India is contributing to sustainable development, building trust with stakeholders, thereby enhancing long term competitiveness and resilience.

कॉरपोरेट प्रशासन प्रणाली

प्रशासन प्रणाली संहिता पर बैंक का दर्शन:

बैंक का कॉरपोरेट गवर्नेंस दर्शन इस विश्वास के इर्द-गिर्द बना गया है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस, दक्षता में सुधार और विकास के साथ-साथ निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में एक प्रमुख तत्व है। बैंक, कॉरपोरेट प्रशासन के उच्च मानक प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों और आत्म-अनुशासन में दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है और शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार और व्यापक समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करके कारोबार संचालन में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखता है। तदनुसार, कॉरपोरेट गवर्नेंस दर्शन को निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है:

“नैतिक व्यवसाय प्रथाओं के माध्यम से हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना”।

कॉरपोरेट गवर्नेंस के कार्यान्वयन के मूल में बोर्ड है, जो इस बात की देखरेख करता है कि प्रबंधन कैसे बैंक के सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हितों को पूरा तथा इसकी रक्षा कर रहा है। बैंक का मानना है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय, अच्छी तरह से सूचित और स्वतंत्र बोर्ड आवश्यक है। बैंक की कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का उद्देश्य भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, बीआईएस-कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अलावा पेशेवर निकायों द्वारा अनुशंसित अच्छी प्रथाओं या भारत में अग्रणी बैंकों / कंपनियों द्वारा प्रथाओं के पालन पर भी ध्यान दिया जाता है।

बोर्ड, कार्यपालकों और अन्य पदाधिकारियों के बीच अंतर-संबंध इस प्रकार से रखा गया है कि इनकी भूमिकाओं का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाए और कॉरपोरेट प्रदर्शन में सुधार हो। बैंक उच्च प्रकटीकरण मानकों और पारदर्शिता का पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, बैंक ने व्यवसाय के हर पहलू की निगरानी के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (राष्ट्रीयकरण अधिनियम) के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। निदेशक मंडल की संरचना राष्ट्रीयकरण अधिनियम के उपबंधों, यथासंशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970, यथासंशोधित द्वारा शासित होती है।

बोर्ड की जिम्मेदारियों में बैंक के समग्र कार्यसंचालन की निगरानी करना शामिल है, जिसमें व्यवसाय के संचालन के लिए नीतियों के अनुमोदन, व्यवसाय समीक्षा, लेखा परीक्षा और जोखिम कार्य की स्वतंत्रता का आकलन करना, त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत जांच, एनपीए प्रबंधन और प्रावधान में सत्यनिष्ठा, नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधनों का समग्र पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं परन्तु यह इतने तक सीमित नहीं है।

बोर्ड ने विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है और इसने बोर्ड की समितियों को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। बोर्ड तथा इसकी समितियां आवधिक अंतराल पर बैठक करती हैं।

31 मार्च 2025 तक, बोर्ड में पांच पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् एमडी एवं सीईओ, भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार कार्यपालक निदेशक और पांच गैर-कार्यपालक निदेशक (एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष, दो नामिती निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक) शामिल थे, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। उनका समृद्ध और विविध अनुभव बैंक को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रगति और उपलब्धियों में मार्गदर्शन करता है।

केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कामगार कर्मचारी निदेशक और अधिकारी कर्मचारी निदेशक के पद वर्ष के दौरान रिक्त थे। केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए श्रेणी के निदेशक और दो अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों के पद 31.03.2025 तक खाली थे।

यथा 31.03.2025 तक, बोर्ड की संरचना निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी	नियुक्ति दिनांक	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की होल्डिंग	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीवी और एसआरसीवी की सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीवी और एसआरसीवी के अध्यक्षों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र)
1.	श्री एम आर कुमार, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (गैर-कार्यपालक स्वतंत्र)	21.02.2024	एलवीएफसी, एनआरसी, आईडीसी पीई, जीजीयूसी, आईटी एवं डीपीडीसी, एससीएचआर, आरसीडबल्यूडी, एचवीएनपीए, सीएसआरसी	-	0	0	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त, 21.02.2024 से तीन साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो विशेषज्ञता का क्षेत्र हो: बीमा।

क्र. सं.	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी	नियुक्ति दिनांक	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की होल्डिंग	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र)
2.	रजनीश कर्नाटक, प्रबंध निदेशक और सीईओ (कार्यपालक)	29.04.2023	एमकॉम, डीपीसी, डीपीसी, एसटीसी, एलवीएफसी, आरएमसी, सीएससी, आईटी एवं डीपीडीसी, सीएसी, आईएसी, एससीएचआर, आरसीडब्ल्यूडी, एचवीएनपीए, सीएसआरसी, जीजीयूसी	-	-	0	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें 29.04.2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद धारण करना है। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग।
3.	श्री पी.आर.राजगोपाल कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	18.03.2020	एमकॉम एसआरसी एसटीसी एलवीएफसी आरएमसी सीएससी आईटी और डीपीडीसी सीएसी आईएसी एससीएचआर एचवीएनपीए सीएसआरसी जीजीयूसी	-	1	0	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, 18.03.2020 से पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 28.02.2022 तक के लिए पद पर बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने कार्यकाल को 28.02.2022 से 29.02.2024 और पुनः 29.02.2024 से 28.02.2026 तक 02 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक कार्यकाल बढ़ा दिया है। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग।
4.	श्री एम. कार्तिकेयन कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	10.03.2021	एमकॉम एसआरसी एसटीसी एलवीएफसी आरएमसी सीएससी आईटी और डीपीडीसी सीएसी आईएसी एसएचआर एचवीएनपीए सीएसआरसी जीजीजीयूसी	-	1	0	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 10.03.2021 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए था। केंद्र सरकार ने कार्यकाल को 09.03.2024 से आगे 31.03.2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग।

क्र. सं.	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी	नियुक्ति दिनांक	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की होल्डिंग	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र)
5.	श्री सुब्रत कुमार कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	21-11-2022	एमकॉम, एसआरसी, एसटीसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटी और डीपीडीसी, सीएसी, आईएसी, एससीएचआर, एचवीएनपीए, सीएसआरसी, जीजीजीयूसी	-	1	0	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 21.11.2022 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग।
6.	श्री राजीव मिश्रा कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	01.03.2024	एमकॉम एसआरसी एसटीसी एलवीएफसी सीएससी आईटी और डीपीडीसी सीएसी आईएसी एसएचआर एचवीएनपीए सीएसआरसी जीजीजीयूसी	-	1	0	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा पूर्णकालिक निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए, 01.03.2024 से प्रभावी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के रूप में नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग।
7.	श्री अशोक नारायण आरबीआई नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	14.07.2023	एमकॉम, एसीबी डीपीसी डीपीसीबी	-	1	0	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 14.07.2023 से अगले आदेश तक आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग।
8.	श्री विश्वनाथ वी शेनॉय शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक)	29.11.2022	एमकॉम डीपीसीबी एनआरसी एससीएचआर आरसीडब्ल्यूडी आईडीसी सीएसआरसी पीई जीजीयूसी एसआरसी एसटीसी एलवीए. फसी आरएमसी सीएससी आईटी एवं डीपीडीसी	11,000	1	0	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के तहत 29.11.2022 से 28.11.2025 तक तीन साल की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग।

क्र. सं.	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी	नियुक्ति दिनांक	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की होल्डिंग	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र)
9.	श्री मनोज एम अय्यप्पन (सरकार द्वारा नामित निदेशक)	05.08.2024	एसीबी, डीपीसी, डीपीसीबी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस एवं डीपीडीसी, एनआरसी, एससीएचआर, एचवीएनपीए, पीई		1	1	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए, 05.08.2024 से प्रभावी या अगले आदेश तक, नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग।
10	श्रीमती जमुना रवि शेयरधारक निदेशक (गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक)	04.12.2025	एसीबी, एसआरसी, एसटीसी, एलवीएफसी, आरएमसी, आईटीएस, डीपीडीसी, एनआरसी, आईडीसी, सीएसआरसी, पीई, जीजीयूसी	500	2	0	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के तहत 04.12.2024 से 03.12.2027 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित। विशेषज्ञता का क्षेत्र: आईटी।

\$ समिति के नामों का संक्षिप्त रूप

एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

सीएससी - बोर्ड की क्रेडिट स्वीकृति समिति

सीएससी - ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति

सीएसआरसी - कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

डीपीसी - निदेशक पदोन्नति समिति

डीपीसीबी - बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति

जीजीयूसी - ग्रुप गवर्नेंस यूनिट कमेटी

एचवीएनपीए - उच्च मूल्य एनपीए और हानि संपत्ति की निगरानी के लिए समिति

आईडीसी - बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक समिति

आईटीएस और डीपीडीसी - आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन समिति

एलवीएफसी - बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए निदेशकों की समिति

एमसीओएम - बोर्ड की प्रबंधन समिति

एनआरसी - निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति

पीई - प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/कार्यपालक निदेशकों/महाप्रबंधकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति

आरसीडब्ल्यूडी - इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति

आरएमसी - जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति

एससीएचआर - एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति

एसआरसी - हितधारक संबंध समिति

एसटीसी-शेयर ट्रांसफर कमेटी

प्रबंध निदेशक और सीईओ और कार्यपालक निदेशकों के अलावा सभी निदेशक बोर्ड में गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक और दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी-एलओडीआर) के विनियम 16 (बी) के अर्थ में स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण हमारी वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.co.in/familirization पर उपलब्ध है।

बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और अब तक नियुक्तियां/समाप्तियां:

क्र सं	नाम	उम्र	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान अवधि की समाप्ति तिथि	विशेषज्ञता की प्रकृति	संक्षिप्त प्रोफाइल
1	श्री मनोज एम अय्यप्पन	51	05.08.2024	केंद्र सरकार के अगले आदेश तक	बैंकिंग	श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन को दिनांक 05.08.2024 से बैंक ऑफ़ इंडिया में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। उनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) में परास्नातक डिग्री है और उन्होंने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, केरल से बीएससी किया है। वर्तमान में, वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) में संयुक्त सचिव के पद पर नई दिल्ली में तैनात हैं। इससे पहले, उन्होंने करूर वैश्य बैंक में बिजनेस हेड, एमएसएमई (स्मार्ट बिजनेस सेगमेंट) के रूप में काम किया था। उन्होंने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बिजनेस हेड (एमएसएमई) के रूप में भी काम किया है। उन्हें एसएमई ऋण, वित्तीय विश्लेषण, कारोबार वित्त, जोखिम प्रबंधन, दबावग्रस्त खाता प्रबंधन और ऋण परिचालन में 25 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से पहले, उन्होंने एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ सर्कल हेड-कमर्शियल बैंकिंग के रूप में काम किया है। उन्होंने एक्सेचर मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इंफोसिस बीपीओ और बैंक ऑफ़ मद्रुरा लिमिटेड के साथ भी काम किया है।
2	श्रीमती जमुना रवि	63	04.12.2024	03.12.2027	आईटी	श्रीमती जमुना रवि ने बिट्स, पिलानी, राजस्थान से विज्ञान (तकनीक), कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। वे वैश्विक आईटी उद्योग में 35+ वर्षों के अनुभव के साथ एक सूचना प्रौद्योगिकी नेतृत्वकर्ता हैं। वे टीसीएस में एक प्रोग्रामर की भूमिका से लेकर वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता तक की भूमिका निभा चुकी हैं, इसके बाद उन्होंने इंफोसिस, शेल और एचएसबीसी जैसी प्रमुख कंपनियों में कई वरिष्ठ नेतृत्व भूमिकाएँ निभाई हैं। वे वैश्विक सेटिंग में उद्योग के बारे में अंदरूनी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थीं। उन्हें लंदन बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड आदि जैसे विश्वविद्यालयों से संगठनात्मक परिवर्तन का नेतृत्व करने पर उद्योग से जुड़ी शिक्षा का भी लाभ मिला है। प्रौद्योगिकी में उनके वैश्विक नेतृत्व की स्थिति, मुख्य रूप से बैंकिंग और पूंजी बाजार उद्योग के आसपास, ने उन्हें वैश्विक स्तर पर बैंकिंग के लिए प्रौद्योगिकी में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीनतम रुझानों के बारे में अच्छी जानकारी दी है। वह एक प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक हैं और उद्यम सूचना और प्रौद्योगिकी के शासन में भी प्रमाणित हैं। उन्हें एज़टेका विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त है।

सेवा समाप्ति : वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित सदस्यों का निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	सेवा समाप्ति की तारीख	कारण
1	श्री भूषण कुमार सिन्हा	सरकार नामिती निदेशक	04-08-2024	कार्यकाल पूरा होना
2	श्रीमती वेणी थापर	शेयरधारक निदेशक	03-12-2024	कार्यकाल पूरा होना
3	श्री मुनीश कुमार रल्हन	सरकार नामिती निदेशक	20-03-2025	कार्यकाल पूरा होना
4	श्री एम कार्तिकेयन	कार्यपालक निदेशक	31-03-2025	सेवानिवृत्ति

निदेशकों का पारस्परिक संबंध:

निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

निदेशकों की समिति की सदस्यता:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के अनुसार इस प्रकटीकरण के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) और हितधारक की संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता और सदस्यता पर विचार किया जाता है।

बैंक का कोई भी निदेशक बतौर निदेशक वर्ष 2024-25 के दौरान 10 से अधिक समितियों में सदस्य के तौर पर या किसी भी सूचीबद्ध संस्थाओं/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया।

बैंक और अन्य सूचीबद्ध/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों में निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण निम्नलिखित है जहां वे 31.03.2025 तक निदेशक थे:

क्र. सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम (एसीबी/एसआरसी)	सदस्य
1	श्री एम.आर. कुमार (गैर-कार्यपालक अध्यक्ष)	बैंक ऑफ़ इंडिया अंबुजा सीमेंट कंपनी लि. चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फ़ाइनेंस कंपनी लि. औरोबिंदो फार्मा लि.	शून्य	शून्य
2	श्री रजनीश कर्नाटक (एमडी एवं सीईओ)	बैंक ऑफ़ इंडिया	शून्य	शून्य
3	श्री पी.आर. राजगोपाल (कार्यपालक निदेशक)	बैंक ऑफ़ इंडिया बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लि.	एसआरसी	सदस्य
4	श्री एम. कार्तिकेयन (कार्यपालक निदेशक)	बैंक ऑफ़ इंडिया बीओआई इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि.	एसआरसी	सदस्य
5	श्री सुब्रत कुमार (कार्यपालक निदेशक)	बैंक ऑफ़ इंडिया पीएसबी अलायन्स प्रा. लि. बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.	एसआरसी	सदस्य
6	श्री राजीव मिश्रा (कार्यपालक निदेशक)	बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार यूनियन डाई-ईची लाइफ़ इन्शुरेंस कंपनी लि. एसटीसीआई फ़ाइनेंस लिमिटेड	एसआरसी	सदस्य
7	श्री मनोज एम अय्यप्पन (गैर-कार्यपालक निदेशक)	बैंक ऑफ़ इंडिया	एसीबी	सदस्य
8	श्री विश्वनाथ वी. शेनॉय (गैर - कार्यपालक निदेशक)	बैंक ऑफ़ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
9	श्री अशोक नारायण (गैर - कार्यपालक निदेशक)	बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार यूनियन डाई-ईची लाइफ़ इन्शुरेंस कंपनी लि.	एसीबी	सदस्य
10	श्रीमती जमुना रवि (गैर - कार्यपालक निदेशक)	बैंक ऑफ़ इंडिया	एसीबी, एसआरसी	सदस्य

बोर्ड बैठकों का संचालन:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को 19 (उन्नीस) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

20.04.2024	26.04.2024	10.05.2024	06.06.2024	24.06.2024	02.08.2024
03.08.2024	30.08.2024	01.10.2024	22.10.2024	25.10.2024	11.11.2024
03.12.2024	17.12.2024	27.12.2024	23.01.2025	24.01.2025	25.02.2025
29.03.2025					

वित्त वर्ष 2024-25 में बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

निदेशकों का नाम	कुल बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या	अवधि	
			से	तक
रजनीश कर्नाटक	19	19	01-04-2024	31-03-2025
पी.आर. राजगोपाल	19	17	01-04-2024	31-03-2025
एम.कार्तिकेयन	19	16	01-04-2024	31-03-2025
सुब्रत कुमार	19	19	01-04-2024	31-03-2025
राजीव मिश्रा	19	19	01-04-2024	31-03-2025
बी.के. सिन्हा	7	5	01-04-2024	04-08-2024
वेणी थापर	13	13	01-04-2024	03-12-2024
एम. के. रल्हन	18	17	01-04-2024	20-03-2025
वी वी शेनॉय	19	17	01-04-2024	31-03-2025
अशोक नारायण	19	19	01-04-2024	31-03-2025
एम. आर. कुमार	19	19	01-04-2024	31-03-2025
एम. एम. अय्यप्पन	12	10	05-08-2024	31-03-2025
जमुना रवि	6	6	04-12-2024	31-03-2025

बोर्ड समितियां

कॉरपोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समितियाँ इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	समिति का नाम
1	बोर्ड की प्रबंधन समिति
2	बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति
3	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
4	हितधारकों के संबंध समिति
5	शेयर अंतरण समिति
6	निदेशकों की जोखिम प्रबंधन पर समिति
7	ग्राहक सेवा पर निदेशकों की समिति
8	निदेशकों पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति
9	धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बोर्ड की विशेष समिति
10	आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति
11	निदेशकों पदोन्नति समिति
12	मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति
13	उच्च मूल्य एनपीए और हानि संपत्तियों की निगरानी के लिए समिति

क्र. सं.	समिति का नाम
14	इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति
15	बोर्ड की स्वतंत्र निदेशकों की समिति
16	अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति
17	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
18	एमडी और सीईओ, कार्यपालक निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए समिति
19	समूह शासन यूनिट समिति

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। प्रबंधन समिति वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते लिखने संबंधी प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2025 इस समिति में एमडी एवं सीईओ, 4 कार्यपालक निदेशक, 1 शेयरधारक निदेशक और आरबीआई नमित निदेशक सहित 7 सदस्य शामिल हैं।

वित्तीय-वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित 23 बैठकें हुई :

12.04.2024	08.05.2024	05.06.2024	14.06.2024	25.06.2024	12.07.2024
29.07.2024	09.08.2024	23.08.2024	05.09.2024	24.09.2024	16.10.2024
29.10.2024	16.11.2024	30.11.2024	17.12.2024	27.12.2024	16.01.2025
30.01.2025	15.02.2025	01.03.2025	15.03.2025	28.03.2025	

वित्त वर्ष 2024-25 में प्रबंधन समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

निदेशकों का नाम	संबंधित अवधि के दौरान हुई बैठकें	उपस्थिति का रिकॉर्ड	अवधि	
			से	तक
रजनीश कर्नाटक	23	23	01-04-2024	31-03-2025
पी.आर. राजगोपाल	23	20	01-04-2024	31-03-2025
एम. कार्तिकेयन	23	18	01-04-2024	31-03-2025
सुब्रत दास	23	21	01-04-2024	31-03-2025
राजीव मिश्रा	23	22	01-04-2024	31-03-2025
वी. वी. शेनॉय	23	22	01-04-2024	31-03-2025
अशोक नारायण	23	23	01-04-2024	31-03-2025

2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-130.1 दिनांक 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु.800 करोड़ तक किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक एक्सपोजर के मामलों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी सीजीएम/महाप्रबंधक और ऋण के प्रभारी सीजीएम/महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ करते हैं। वित्तीय-वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित 48 बैठकें हुई:

04.04.2024	12.04.2024	19.04.2024	02.05.2024	09.05.2024	24.05.2024
06.06.2024	13.06.2024	20.06.2024	27.06.2024	04.07.2024	11.07.2024
18.07.2024	25.07.2024	01.08.2024	08.08.2024	17.08.2024	23.08.2024
29.08.2024	05.09.2024	12.09.2024	19.09.2024	26.09.2024	03.10.2024
10.10.2024	16.10.2024	23.10.2024	31.10.2024	07.11.2024	14.11.2024
21.11.2024	28.11.2024	05.12.2024	12.12.2024	19.12.2024	26.12.2024
02.01.2025	09.01.2025	16.01.2025	22.01.2025	30.01.2025	06.02.2025
13.02.2025	27.02.2025	06.03.2025	12.03.2025	20.03.2025	27.03.2025

3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के विनियमों के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है। यह एसीबी निर्देश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन की देखरेख भी करती है।

यथा दिनांक 31.03.2025, लेखा परीक्षा समिति में 3 सदस्य हैं, अर्थात् शेयरधारक निदेशक, सरकार नामित निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक।

निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखने से पहले बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तिमाही परिणामों और लेखापरीक्षित परिणामों की समीक्षा की गई थी।

वित्तीय-वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की निम्नलिखित 17 बैठकें हुईं:

20.04.2024	10.05.2024	31.05.2024	12.07.2024	03.08.2024	14.08.2024
05.09.2024	24.09.2024	01.10.2024	14.10.2024	05.11.2024	11.11.2024
16.12.2024	15.01.2025	24.01.2025	12.02.2025	10.03.2025	

वित्त वर्ष 2024-25 में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति दर्ज की गई	अवधि	
			से	तक
वेणी थापर	12	12	01-04-2024	03-12-2024
भूषण कुमार सिन्हा	05	02	01-04-2024	04-08-2024
मुनीश कुमार रल्हन	17	17	01-04-2024	20-03-2025
मनोज एम. अय्यप्पन	12	06	05-08-2024	31-03-2025
अशोक नारायण	17	17	01-04-2024	31-03-2025
जमुना रवि	05	05	04-12-2024	31-03-2025

4. स्टोक होल्डर संबंध समिति:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप कॉरपोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण/ हस्तांतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टोकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/संदर्भों का उत्तर दिया गया/निपटारा गया। निवेशकों की शिकायतों का आम तौर पर प्रासंगिक सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर समाधान किया जाता है। समिति में बैंक के चार कार्यपालक निदेशक और दो शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक को 49 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी का निवारण कर दिया गया है। समिति की वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 3 बार बैठक हुईं:

02.08.2024	26.11.2024	03.02.2025

श्री राजेश वी. उपाध्या, कंपनी सचिव, इस प्रयोजन के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं। उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

निदेशक के नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति दर्ज की गई	अवधि	
			से	तक
पी.आर. राजगोपाल	3	3	01-04-2024	31-03-2025
एम. कार्तिकेयन	3	2	01-04-2024	31-03-2025
सुब्रत दास	3	2	01-04-2024	31-03-2025
राजीव मिश्रा	3	3	01-04-2024	31-03-2025
वेणी थापर	2	2	01-04-2024	03-12-2024
वी. वी. शेनॉय	3	3	01-04-2024	31-03-2025
जमुना रवि	1	1	04-12-2024	31-03-2025

5. शेयर अंतरण समिति:

बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 के अनुसार इस समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई कार्यपालक निदेशक और दो शेयरहोल्डर निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 3 बैठकें हुईं :

02-08-2024	26-11-2024	03-02-2025

6. जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति:

बैंक ने सेबी के दिशा-निर्देशों, बैंक के आकार, जटिलता के स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन के दायरे के अनुरूप उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीतियां विकसित की हैं। बैंक द्वारा उठाए गए समग्र जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था।

इस समिति में प्रबंध निदेशक और सीईओ, चार कार्यपालकगण निदेशक, एक सरकारी नामित निदेशक, दो शेयरधारक निदेशक शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 15 बार बैठक हुई।

20.04.2024	16.05.2024	31.05.2024	25.06.2024	11.07.2024
20.08.2024	13.09.2024	09.10.2024	05.11.2024	21.11.2024
16.12.2024	03.01.2025	03.02.2025	25.02.2025	11.03.2025

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

निदेशक के नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति दर्ज की गई	अवधि	
			से	तक
रजनीश कर्नाटक	15	9	01-04-2024	31-03-2025
पी.आर. राजगोपाल	15	15	01-04-2024	31-03-2025
एम. कार्तिकेयन	15	13	01-04-2024	31-03-2025
वेणी थापर	10	10	01-04-2024	03-12-2024
एम. के. रल्हन	15	14	01-04-2024	20-03-2025
वी. वी. शेनॉय	15	15	01-04-2024	31-03-2025
जमुना रवि	5	5	04-12-2024	31-03-2025

7. ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति:

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन सितंबर 2004 में किया गया था। समिति का कार्य बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना और ग्राहक सेवा पर संचालन समिति (प्रधान कार्यालय में) के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। इसमें पूर्णकालिक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, एक शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक शामिल हैं। समिति की वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 5 बार बैठक हुई:

16.05.2024	06.09.2024	27.11.2024	17.12.2024	10.03.2025

8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एंड प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। इस समिति को रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71/मास्टर निदेश डीबीआर-आवेदन क्र. : 09/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 को बनाया गया। यथा 31.03.2025 तक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में दो स्वतन्त्र निदेशक, एक सरकार द्वारा नामित निदेशक और बैंक के एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष हैं। समिति की वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर दो बार बैठक हुई:

24.06.2024	21-11-2024

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति दर्ज की गई	अवधि	
			से	तक
भूषण कुमार सिन्हा	1	0	01-04-2024	04-08-2024
वेणी थापर	2	2	01-04-2024	03-12-2024
विश्वनाथ वी. शेनॉय	2	2	01-04-2024	31-03-2025
मुनीश कुमार रल्हन	2	2	01-04-2024	20-03-2025
एम. आर. कुमार	2	2	01-04-2024	31-03-2025

9. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति

इस समिति का गठन बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 4 बार बैठक हुई।

06.06.2024	09.08.2024	04.12.2024	25.02.2025

10. आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति:

आईटी कार्यनीतियों पर निर्णय लेने और आईटी परियोजनाओं के क्षेत्र में विकास की निगरानी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में समिति गठित की गयी थी। आईटी कार्यनीति समिति में प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और दो अन्य गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 13 बार बैठक हुई।

22.05.2024	25.06.2024	11.07.2024	23.07.2024	20.08.2024	13.09.2024
09.10.2024	04.11.2024	03.12.2024	03.01.2025	25.02.2025	11.03.2025
26.03.2025					

11. निदेशकों की पदोन्नति समिति:

इस समिति का गठन वित्त मंत्रालय (डीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था। इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ, भारत सरकार के नामित निदेशक और आरबीआई के नामित निदेशक हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इसकी निम्नलिखित तिथियों पर 3 बार बैठक हुई:

13.03.2025	15.03.2025	16.03.2025

12. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति:

इस समिति का गठन मानव संसाधन से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक, अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इसकी निम्नलिखित तिथियों पर 10 बार बैठक हुई:

16.05.2024	25.06.2024	14.08.2024	13.09.2024	09.10.2024
04.11.2024	17.12.2024	23.01.2025	25.02.2025	29.03.2025

13. उच्च मूल्य वाले एनपीए और हानि आस्तियों की निगरानी के लिए समिति:

समिति वसूली की निगरानी और उच्च 50 एनपीए की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। इस समिति में प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक, अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक शामिल हैं। वसूली विभाग के महाप्रबंधक संयोजक हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इसकी निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

06.06.2024	30.08.2024	04.12.2024	03.02.2025

14. इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति:

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ, दो शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इसकी निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई:

24.06.2024	06.09.2024	03.12.2024	10.03.2025

15. स्वतंत्र निदेशक समिति:

दो शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक समिति की निम्नलिखित तिथियों पर दो बार बैठक हुई:

14.08.2024	26.11.2024

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैठक हेतु स्वतंत्र निदेशकों की समिति की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

निदेशकों के नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति दर्ज की गई	अवधि	
			से	तक
वेणी थापर	2	2	01-04-2024	03-12-2024
एम. के. रल्लन	2	2	01-04-2024	20-03-2025
विश्वनाथ वी. शेनॉय	2	2	01-04-2024	31-03-2025
एम. आर. कुमार	2	2	01-04-2024	31-03-2025

16. अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति:

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ, सरकार द्वारा नामित निदेशक, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इसकी 3 बार बैठक हुई।

30.08.2024	16.12.2024	10.03.2025

17. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

भारत सरकार - सीएसआर - स्वैच्छिक दिशानिर्देश - 2009 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति गठित की गई। प्रबंध निदेशक और सीईओ, चार कार्यपालक निदेशक, दो स्वतंत्र निदेशक एवं बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष इस समिति के सदस्य हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 3 बार बैठक हुई।

02.08.2024	27.11.2024	11.03.2025

18. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों, मुख्य महाप्रबंधकों और महाप्रबंधकों के कार्य निष्पादन के लिए समिति

यह समिति भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के निर्देश एफ. संख्या 9/5/2009-आईआर दिनांक 30.08.2019 के अनुसार गठित की गई है। इस समिति के सदस्य दो शेयरधारक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और एक गैर-अशासकीय अंशकालिक निदेशक हैं। इस समिति की बैठक 24.06.2024 को हुई।

19. सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं संबंधी घोषणा के लिए समिति

यह समिति आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2014-15/362-डीबीआर संख्या सीआईडी.बीसी.54/20.16.064/2014-15 के अनुपालन में गठित की गई थी। इस समिति में प्रबंध निदेशक और सीईओ, एक शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान, समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर 2 बार बैठक की।

24.06.2024	06.09.2024

इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर्स) के प्रति बर्ताव पर संशोधित आरबीआई दिशानिर्देशों के आलोक में दिनांक 22.10.2024 को बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार समिति को बंद कर दिया गया था।

20. समूह प्रशासन इकाई समिति

इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ, चार कार्यपालक निदेशक और दो शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक शामिल हैं। समिति ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 9 बार बैठक की।

16.05.2024	11.07.2024	14.08.2024	06.09.2024	22.10.2024
04.11.2024	04.12.2024	23.01.2025	11.03.2025	

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति:

श्री एम. आर. कुमार, अध्यक्ष, श्री रजनीश कर्नाटक, एमडी एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक- श्री पी आर राजगोपाल, श्री एम कार्तिकेयन, श्री सुब्रत कुमार, श्री राजीव मिश्रा, शेयरधारक निदेशक - श्रीमती वेणी थापर, श्री विश्वनाथ वी. शेनॉय तथा गैर-कार्यपालक निदेशक श्री मुनीश कुमार रलहन ने 25 जून, 2024 को आयोजित बैंक की विगत वार्षिक आम बैठक अर्थात् अट्टाईसवीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया।

यथा दिनांक 31 मार्च, 2025 को वरिष्ठ प्रबंधन (मुख्य महाप्रबंधक) का विवरण

क्र.सं	नाम	नियुक्ति की तिथि	विभाग
1	श्री अभिजीत बोस	28-01-2022	धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, सामान्य परिचालन, परिसर, कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास
2	श्री अशोक कुमार पाठक	28-01-2022	रिटेल, ग्रामीण, एमएसएमई, वित्तीय समावेशन
3	श्री सुधिरंजन पाढ़ी	31-03-2023	सूचना प्रौद्योगिकी
4	श्री पी.के. गिरि	31-03-2023	अनुपालन
5	श्री पी. हरिकृशन	01-04-2023	जोखिम प्रबंधन
6	श्री शारदा भूषण राय	01-04-2023	संसाधन संग्रहण, प्रचार एवं जनसंपर्क, विपणन, अन्य पक्ष उत्पाद एवं सरकारी कारोबार, सीईबीबी, कॉल सेंटर
7	श्री नितिन जी. देशपांडे	01-04-2023	अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अनुषंगी, कॉरपोरेट ऋण, कोषागार, विदेशी कारोबार
8	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद	01-07-2023	निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण
9	श्री राजेश एस इंगले	06-11-2023	मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास, वित्त, आयोजना
10	श्री प्रशांत थपलियाल	01-03-2024	वसूली और ऋण निगरानी, दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली, विधि

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के हस्तांतरण और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए बोर्ड की शेयर ट्रांसफर समिति का गठन किया है। सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों और 03.12.2018 की सेबी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 31.03.2019 के बाद शेयरों के भौतिक हस्तांतरण की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे एक डीमैट खाता खोलें और अपनी भौतिक शेयरधारिता को डिमटेरियलाइज करें।

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में लेन-देन को आसान बनाने की दृष्टि से, एसईआईबी ने अपने दिनांक 25.01.2022 के परिपत्र के माध्यम से यह निर्णय लिया कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय ही अभौतिकीकृत मोड में शेयर जारी करेंगी:

- डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना;
- अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट से दावा;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण / विनिमय;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाण पत्र का सब डिवीजन/विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र/फोलियो का समेकन;
- ट्रांसमिशन;
- ट्रांसपोजीशन

शेयरधारक/दावेदार फॉर्म आईएसआर-4 विधिवत् भरकर जमा करेगा और आरटीए/सूचीबद्ध इकाई सेवा अनुरोधों को प्रोसेस करने के पश्चात् यदि कोई आपत्तियां होती हैं तो उनको हटाने के बाद ही ऐसे अनुरोधों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर शेयरधारक/दावेदार को भौतिक प्रमाण पत्र के बजाय “पुष्टि पत्र” जारी करेगी।

पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 120 दिनों के लिए वैध होगा, इतने समय के भीतर शेयरधारक/ दावेदार उक्त प्रतिभूतियों को डिमटेरियलाइज करने के लिए डिपॉजिटरी भागीदार से अनुरोध करेगा।

आरटीए पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद एक अनुस्मारक जारी करेगा, जिसमें प्रतिभूति धारक/ दावेदार को डीमैट अनुरोध जमा करने हेतु सूचित किया जाएगा।

आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक शेयर प्रमाणपत्र को बनाए रखेगा और सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने के बाद प्रमाणपत्र के मुखपृष्ठ/ पिछले पृष्ठ पर “पुष्टि पत्र जारी किया गया” की मुहर के साथ प्रमाण पत्र को विरूपित करेगा।

डिपॉजिटरी प्रतिभागी पुष्टि पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध उत्पन्न करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई/ आरटीए को अग्रेषित करेगा।

यदि पुष्टि पत्र के 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो शेयरों को इकाई के एस्क्रो उचित डीमैट खाते में जमा किया जाएगा।

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, बैंक ने मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है, जो शेयरों के हस्तांतरण, ट्रांसमिशन, लाभांश, शेयरधारकों के अनुरोधों की रिकॉर्डिंग और शेयरों के मामलों से संबंधित अन्य गतिविधियों के बीच शेयरधारकों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया के लिए अधिदेशित है। शेयरधारकों और निवेशकों से उक्त से किसी भी दस्तावेज को दर्ज करने के लिए और पृष्ठताछ/ शिकायतों/ सुझावों के लिए संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है:

इक्विटी शेयरों और डिबेंचर/बॉण्ड्स के लिए :

बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लि.,
ईकाई : बैंक ऑफ इंडिया, कार्यालय सं एस6-2, छठवां तल,
पिनाकल बिजनेस पार्क अहुरा सेंटर से आगे, महाकाली केव्स रोड,
अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400093,
ई-मेल: investor@bigshareonline.com

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8 वां तल, पूर्वी खंड, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051,
फोन 022-66684491, फैक्स- 022-66684491,
ई-मेल: headoffice.share@india.co.in

आम सभा बैठकें :

क्र. सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान	संकल्प
1.	असाधारण आम बैठक	मंगलवार, 3 दिसंबर, 2024 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीसी) के माध्यम से।	बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	- केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव। - श्री मनोज एम. अय्यप्पन की बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति। उनकी नियुक्ति पर विचार करना और यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो साधारण संकल्प पारित करना।
2.	अट्टाईसवीं वार्षिक आम बैठक	मंगलवार, 25 जून 2024 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	31 मार्च 2024 तक लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते, खातों द्वारा कवर की गई उपरोक्त अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अपनाना। - वर्ष 2023-24 के लिए रु. 2.80 (28%) प्रति इक्विटी शेयर की दर से लाभांश घोषित करना - बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी.आर. राजगोपाल का कार्यकाल विस्तार। उनकी नियुक्ति पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त पाया जाए तो साधारण संकल्प पारित करना। - बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. कार्तिकेयन का कार्यकाल बढ़ाया जाना। उनकी नियुक्ति पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त पाया जाए तो साधारण संकल्प पारित करना। - श्री अशोक नारायण की बैंक के गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति। उनकी नियुक्ति पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त पाया जाए तो साधारण संकल्प पारित करना। - श्री राजीव मिश्रा की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति। उनकी नियुक्ति पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त पाया जाए तो साधारण संकल्प पारित करना। - श्री एम.आर. कुमार को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना। उनकी नियुक्ति पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त पाया जाए तो विशेष संकल्प पारित करना।
3.	सत्ताईसवीं वार्षिक आम बैठक	मंगलवार, 27 जून 2023 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	31 मार्च 2023 तक की लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते, खातों द्वारा कवर की गई उपरोक्त अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अपनाना। - वर्ष 2022-23 के लिए रु. 2.00 (20%) प्रति इक्विटी शेयर की दर से लाभांश घोषित करना - श्री भूषण कुमार सिन्हा की बैंक के गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति। उनकी नियुक्ति पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त पाया जाए तो साधारण संकल्प पारित करना। - श्री सुब्रत कुमार की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति। उनकी नियुक्ति पर विचार करना तथा यदि उचित पाया जाए तो साधारण संकल्प पारित करना।

क्र. सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान	संकल्प
				5) श्री रजनीश कर्नाटक को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा तथा यदि उचित पाया गया तो साधारण संकल्प पारित किया जाएगा। 6) श्री मुनीश कुमार रल्हन की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति। उनकी नियुक्ति पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त पाया जाए तो साधारण संकल्प पारित करना। 7) नए इक्विटी शेयर जारी करके या बेसल III दिशा-निर्देशों के अनुसार टियर I और टियर II पूंजी जारी करके पूंजी जुटाना। विचार करना और यदि उपयुक्त पाया जाए तो विशेष संकल्प पारित करना।
4.	असाधारण आम बैठक	बुधवार, 28 नवंबर, 2022 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीसी) के माध्यम से	बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	केन्द्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव।
5.	छब्बीसवीं वार्षिक आम बैठक	मंगलवार, 15 जुलाई 2022 को दोपहर 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	1) 31 मार्च 2022 तक की लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि खाते, खातों द्वारा कवर की गई उपरोक्त अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अपनाना। 2) वर्ष 2021-22 के लिए रु. 2.00 (20%) प्रति इक्विटी शेयर की दर से लाभांश घोषित करना 3) नई इक्विटी पूंजी जारी का अनुमोदन

प्रकटन:

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के जिन प्रावधानों की राष्ट्रीयकरण अधिनियम और आरबीआई तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ समरूपता नहीं है उनको छोड़कर सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक अन्य, निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता:

क्र. सं.	विवरण	बैठक के अनुसार राशि*
1.	बोर्ड बैठक में शामिल होने के लिए	रु. 70,000/-
2.	बोर्ड समिति की बैठक में शामिल होने के लिए	रु. 35,000/-
3.	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	रु. 20,000/- (उपर्युक्त (1) के अतिरिक्त)

क्र. सं.	विवरण	बैठक के अनुसार राशि*
4.	बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	रु. 10000/- (उपर्युक्त (2) के अतिरिक्त)

*प्रति निदेशक प्रतिवर्ष रु. 25 लाख की सम्पूर्ण सीमा के अधीन

बैठक में रहने के शुल्क के अलावा, बैंक के कार्य के संबंध में यात्रा करने वाले ऐसे प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 के खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा और विराम व्यय, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आधार पर की जाएगी।

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन:

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर- कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, बोर्ड और बोर्ड की उप समितियों की की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जिनमें उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों, टियर 2 बांड, इस्क्रा बांड्स आदि से प्राप्त आगम राशियाँ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पूंजी जुटाई है:

क्र. सं.	आवृत्ति की तिथि	विवरण (निवेशकों)	शेयरों/ बांड्स की संख्या	निर्गम आकार करोड़ में
1.	19.07.2024	बैंक ने लॉन्ग टर्म इस्क्रा बांड्स सीरीज I के माध्यम से 7.54% की ब्याज दर पर रु. 5,000 करोड़ के लॉन्ग टर्म इस्क्रा बांड्स जुटाए हैं। बांड्स का अंकित मूल्य रु. 1,00,000/- है।	5,00,000	5,000
2.	26.09.2024	प्रतिभूत-रहित, गौण गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, पूर्णतः प्रदत्त, प्रतिदेय बेसल III अपरिवर्तनीय 7.49% टियर II बांड्स, श्रृंखला XVI अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक रु.1 करोड़ ("बांड्स")	2,500	2,500
3.	29.11.2024	बैंक ने लॉन्ग टर्म इस्क्रा बांड्स सीरीज II के माध्यम से 7.41% की ब्याज दर पर रु. 5,000 करोड़ के लॉन्ग टर्म इस्क्रा बांड्स जुटाए हैं। बांड्स का अंकित मूल्य रु. 1,00,000/- है।	5,00,000	5,000
4.	18.02.2025	बैंक ने लॉन्ग टर्म इस्क्रा बांड्स सीरीज III के माध्यम से 7.50% पर 2,690 करोड़ रुपये के लॉन्ग टर्म इस्क्रा बांड्स जुटाए हैं। बांड्स का अंकित मूल्य रु. 1,00,000/- है।	2,69,000	2,690

- iv. रु. 2,500 करोड़ की पूंजी निधि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूत करने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों में सुधार के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य से जुटाई गई थी और इसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों और कफायती आवास में दीर्घकालिक परियोजना के वित्तपोषण के लिए रु. 12,690 करोड़ के बुनियादी ढांचे के बांड्स जुटाए गए थे और इसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया।
- v) दिनांक 03.12.2024 को आयोजित ईजीएम के ई-वोटिंग परिणामों की एक्सबीआरएल फाइलिंग में देरी के लिए बीएसई और एनएसई द्वारा प्रत्येक पर रु. 10,000/- का जुर्माना लगाया गया।
- vi) सेबी एलओडीआर विनियमन-2015 के विनियम 40 (9) के अनुसार अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक

माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनियम के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक वर्ष में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है। ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई के वेब-पोर्टल, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं, पर लोड किए जाते हैं।

- vii) सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआईआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव की फर्म के द्वारा तिमाही आधार पर एक कैपिटल रिपोर्ट का समाधान (reconciliation) किया जाता है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।
- viii) वर्तमान में बैंक की कोई भी महत्वपूर्ण अनुषंगी नहीं है।
- ix) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक: स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठक 14.08.2024 और 26.11.2024 को आयोजित की गई।
- x) गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रशिक्षण: गैर-कार्यपालक निदेशकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण दिया गया

क्र. सं.	गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	प्रशिक्षण विवरण
1	श्री एम.आर. कुमार	जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर कार्यशाला
2	श्री मुनीश कुमार रल्हन	जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर कार्यशाला

- xi. निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता बैंक की वेबसाइट- https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/BOI_Code_of_Conduct_Dir_19042021.pdf/c54b5953-f8df-6d80-0b31-19b3bc4d3cdc?t=1663586179347 पर पोस्ट की गई है।
- xii. व्हिसल ब्लोअर नीति बैंक की वेबसाइट - <https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/POLICY.pdf/944036f2-d687-0f16-3169-7cec618d3028?t=1663586343555> पर पोस्ट की गई है।
- xiii. संबंधित नीति संव्यवहार - संबंधित पार्टी संव्यवहार की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है। संबंधित पार्टी संव्यवहार पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट - <https://bankofindia.co.in/documents/20121/25744421/G-Policy-on-Related-Party-Transactions.pdf/> पर पोस्ट की गई है। संबंधित पार्टी के संव्यवहार का विस्तृत विवरण एएस-18 के अंतर्गत है।
- xiv. पारिश्रमिक नीति - प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अन्य स्टाफ सदस्यों का वेतन आईबीए के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार है।
- xv. अधिग्रहण संहिता: बैंक ने समय-समय पर संशोधित सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 के प्रावधानों का भी अनुपालन किया गया है।
- xvi. सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का अनुपालन: विनियमों के आलोक में बैंक ने भेदिया व्यापार को रोकने के लिए पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों हेतु बैंक के शेयरों में व्यापार करने के लिए आचार संहिता तैयार की है। नामित कर्मचारियों और बैंक के निदेशकों से आवधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रपत्र तैयार किए गए हैं, जैसा कि इन

विनियमों के संदर्भ में अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, बैंक के शेयरों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो को बैंक के निदेशकों और नामित कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बंद रखा गया था:

ट्रेडिंग विंडो बंद होने की तिथियाँ	बंद करने का उद्देश्य
सोमवार, 01.04.2024 से सोमवार 13.05.2024 तक	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
सोमवार, 01.07.2024 से मंगलवार 06.08.2024 तक	30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
मंगलवार, 01.10.2024 से बुधवार 13.11.2024 तक	30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
बुधवार, 01.01.2025 से सोमवार 27.01.2025 तक	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।

xvii. लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस का विवरण:

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
1	वर्ष 2024-25 हेतु बैंक के लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि	88.89
2	वर्ष 2024-25 हेतु बैंक और उसकी अनुषंगियों के लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि	92.07

xviii. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	13
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	13
वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाधान हेतु लंबित शिकायतें	0

बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों का विवरण : बैंक की कोई भी अनुषंगी महत्वपूर्ण अनुषंगी नहीं है।

संचार के साधन:

तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित लेकिन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन) और लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम समाचार पत्रों - अंग्रेजी में बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदी में बिजनेस स्टैंडर्ड एवं मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में लोकसत्ता में प्रकाशित किए गए। परिणाम बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किए गए। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियाँ भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया अपनी वित्तीय और अन्य जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करता है।

वित्तीय कैलेंडर: 1 अप्रैल, 2025 से :

बैंक ऑफ़ इंडिया के वार्षिक लेखा परीक्षित खातों तथा लाभांश की अनुशंसा, पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक, यदि कोई हो	09.05.2025
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	ईमेल/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा।
प्राधिकृत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	20.06.2025

लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि	20.06.2025
29वीं एजीएम की तिथि, समय, स्थल	27.06.2025
प्रथम तीन तिमाहियों के अलेखापरीक्षित परिणाम पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक	प्रासंगिक तिमाही के 45 दिनों के भीतर।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

बैंक के शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड इस प्रकार हैं:

बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	532149
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	BANKINDIA
आईएसआईएन नंबर	INE084A01016

दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर (अतिरिक्त टियर I, टियर II पूंजी) और इफ्रा बॉण्ड के रूप में बेसल III अनुपालक गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड जारी किए हैं। तत्संबंधित विवरण इस प्रकार हैं:

बैंक ऑफ़ इंडिया - यथा 31.03.2025 तक टियर I, टियर II और दीर्घकालिक इफ्रा बॉण्ड की स्थिति

निर्गम का विवरण	कूपन दर	कुल मूल्य (रु. करोड़ में)	आईएसआईएन संख्या
अतिरिक्त टियर I			
श्रृंखला - VI	9.04%	750	INE084A08136
श्रृंखला - VII	9.30%	602	INE084A08144
श्रृंखला - VIII	8.57%	1500	INE084A08169
टियर II बॉण्ड			
श्रृंखला-XII	8.52%	3,000	INE084A08060
श्रृंखला XV	7.14%	1,800	INE084A08151
श्रृंखला XVI	7.88%	2,000	INE084A08177
श्रृंखला XVII	7.49%	2,500	INE084A08193
दीर्घावधि इफ्रा बॉण्ड			
श्रृंखला I	7.54%	5,000	INE084A08185
श्रृंखला II	7.41%	5,000	INE084A08201
श्रृंखला III	7.50%	2,690	INE084A08219
कुल		24,842	

इन सभी बॉण्डों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है।

क्रेडिट रेटिंग (आउटलुक):

क्र. सं.	जारीकर्ता रेटिंग	कॉरपोरेट रेटिंग (दीर्घ/लघु)	बैंक मीयादी जमाराशि	अतिरिक्त टियर I बॉण्ड	टियर II बॉण्ड	दीर्घावधि इफ्रा बॉण्ड	जमा का प्रमाण पत्र
1.	क्रिसिल लिमिटेड	-	-	AA (स्थिर)	AA+ (स्थिर)	AA+ (स्थिर)	A1+

क्र. सं.	जारीकर्ता रेटिंग	कॉरपोरेट रेटिंग (दीर्घ/लघु)	बैंक मीयादी जमाराशि	अतिरिक्त टियर I बॉण्ड	टियर II बॉण्ड	दीर्घावधि इन्फ्रा बॉण्ड	जमा का प्रमाण पत्र
2.	भारत रेटिंग	AA+ (स्थिर)	-	-	AA+ (स्थिर)	AA+ (स्थिर)	-
3.	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	-	AA+ (स्थिर)	-	AA+ (स्थिर)	AA+ (स्थिर)	-
4.	इन्फोमैरिक मूल्यांकन एवं रेटिंग	AAA (स्थिर)	-	-	AAA (स्थिर)	-	-
5.	एक्यूट रेटिंग्स	AAA (स्थिर)	-	AA+ (स्थिर)	AAA (स्थिर)	-	-
6.	फिच रेटिंग्स (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग)	BBB- (स्थिर)	-	-	-	-	-

शेयरों का अमूर्तीकरण:

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में ही किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया गया है।

यथा 31.03.2025 को शेयरधारकों द्वारा धारित अमूर्त एवं प्रत्यक्ष रूप में धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

क्षेत्री	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारक % में	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता %
एनएसडीएल	2,07,977	28.07	102,87,89,875	22.60
सीडीएसएल	4,46,478	60.25	351,10,78,537	77.12
प्रत्यक्ष	86,577	11.68	1,27,99,454	0.28
कुल	7,41,032	100	455,26,67,866	100

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश/ब्याज भुगतान:

बैंक निवेशकों को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से शेयरों पर लाभांश/बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान कर रहा है, जहाँ भी निवेशकों द्वारा अधिदेश दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (एनईसीएस), आरटीजीएस, एनईएफटी और डायरेक्ट क्रेडिट आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

निवेशक अपना अधिदेश बैंक के रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट, मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास इस रिपोर्ट में दिए गए पते पर दर्ज करा सकते हैं।

लाभांश भुगतान/रिकॉर्ड तिथि :

बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए शेयरधारकों को रु. 10 अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु. 4.05 (अर्थात् 40.50%) का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। यह निर्णय लिया गया है कि उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 20.06.2025 (बाद में रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर दर्ज हैं। वार्षिक आम बैठक (27.06.2025, शुक्रवार) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

अघोषित लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं है/ लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10बी के अनुसार, सात वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या दावा न किए गए लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना आवश्यक है। सात वर्षों की अवधि (वित्त वर्ष 2014-15 तक) के लिए दावा न किए गए सभी लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए गए हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

अदावाकृत शेयर:

शून्य.

सस्पेंस एस्करो खाते में शेयरों की स्थिति:

यथा 01.04.2024 को प्रारंभिक शेष राशि		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वृद्धि		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या और डेबिट किए गए शेयरों की संख्या		यथा 31.03.2025 तक अंतिम शेष	
शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1	200	16	3300	5	1800	12	1700

इन शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक अवरोधित रहेगा जब तक कि इन शेयरों का वास्तविक स्वामी इन शेयरों पर दावा नहीं करता।

यथा 31.03.2025 को शेयरधारिता पैटर्न:

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयर की संख्या	धारिता का %	लॉक-इन के अंतर्गत शेयर	लॉक-इन के अंतर्गत शेयरों का %
प्रमोटर(भारत सरकार)	1	3,34,08,61,720	73.38	0	0.00
म्यूचुअल फंड्स	104	19,91,65,469	4.37	0	0.00
वैकल्पिक निवेश फंड	3	46,042	0.00	0	0.00
वित्तीय संस्थान/बैंक	14	9,691	0.00	0	0.00
बीमा कंपनी	52	48,55,44,408	10.67	0	0.00

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयर की संख्या	धारिता का %	लॉक-इन के अंतर्गत शेयर	लॉक-इन के अंतर्गत शेयरों का %
योग्य संस्थागत निवेशक	7	3,91,95,889	0.86	0	0.00
कॉरपोरेट निकाय	1,519	1,56,82,780	0.34	0	0.00
विदेशी वित्तीय संस्थान निवेशक	223	17,69,66,192	3.89	0	0.00
भारतीय जनता	7,29,201	28,29,86,746	6.22	0	0.00
अन्य	9,908	1,22,08,929	0.27	0	0.00
कुल	7,41,032	4,55,26,67,866	100.00	0	0.00

कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक शेयर रखने वाले एकल व्यक्तियों (जन सामान्य) की शेयरधारिता:

शेयरधारक का नाम	शेयर की संख्या	धारिता का %
भारतीय जीवन बीमा निगम	36,37,10,617	7.99
एसबीआई पीएसयू फंड	6,90,82,881	1.52

यथा 31 मार्च, 2025 शेयरधारिता का वितरण:

धारित इक्विटी की शेयरों की संख्या	फोलियो		शेयर	
	संख्या	% आयु	संख्या	% आयु
500 तक	6,56,065	88.53	7,06,55,674	1.55
501 से 1000	42,184	5.69	3,32,39,460	0.73
1001 से 5000	35,938	4.86	7,84,10,242	1.72
5001 से 10000	3,858	0.52	2,85,22,124	0.63
10001 एवं इससे अधिक	2,987	0.40	4,34,18,40,366	95.37
कुल	6,28,403	100.00	4,55,26,67,866	100.00

अन्य अनुपालन:

- स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता समझौते के संदर्भ में कॉरपोरेट प्रशासन की अनिवार्य शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।
- कार्यरत किसी कंपनी सचिव से यह प्रमाण-पत्र संलग्न है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से बंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट:** सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 24ए के अनुपालन में, वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट (फॉर्म एमआर 3) संलग्न है।
- अनुषंगियों के वित्तीय विवरण:** सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 46(2) के अनुपालन में, अनुषंगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण हमारी वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.co.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।

अनिवार्य/गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन:

बैंक ने सेबी सूचीकरण विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग-ई के अंतर्गत उल्लिखित निम्नलिखित विवेकाधीन आवश्यकता का अनुपालन किया है:

क्र. सं.	गैर- अनिवार्य अपेक्षाएँ	कार्यान्वयन की स्थिति
1	बोर्ड - एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखने का हकदार है।	अध्यक्ष का पद गैर-कार्यपालक है और बैंक में उनका पृथक कार्यालय है।
2	शेयरधारकों के अधिकार - पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है।	तिमाही/वर्ष से तिथि/वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को भेजे जाते हैं और समाचार पत्रों में तथा बैंक की वेबसाइट पर मुख्य अंशों सहित प्रकाशित किए जाते हैं। तिमाही परिणाम, प्रेस विज्ञप्ति और विश्लेषक प्रस्तुति सभी शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा भेजी जाती है।
3	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत - सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा मत वाली वित्तीय विवरणों की व्यवस्था का चयन करती है।	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण असंशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ हैं।
4	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग	सभी आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हमारे निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जाती है, जो लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है।

क्र. सं.	गैर- अनिवार्य अपेक्षाएँ	कार्यान्वयन की स्थिति
5	अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पृथक पद - सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है।	बैंक में यह पद है। भारत सरकार ने श्री एम.आर. कुमार को गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं की अनुपालन स्थिति:

निम्नलिखित को छोड़कर, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 से 27 और उप-विनियमन 46 के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का अनुपालन करता है :

(ए) **बोर्ड संरचना (विनियमन 17(1))** : बैंक का अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक होता है। इस प्रकार, बोर्ड का एक तिहाई भाग स्वतंत्र होना चाहिए।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 11 निदेशकों में से 4 स्वतंत्र निदेशक थे और दिनांक 20.03.2025 तक बैंक के बोर्ड में एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र थे। दिनांक 20.03.2025 को एक स्वतंत्र निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद, एक तिहाई स्वतंत्र सदस्यों का मानदंड 11 दिनों की अवधि के लिए पूरा नहीं हुआ।

हालांकि, दिनांक 31.03.2025 को एक कार्यपालक निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद, दिनांक 01.04.2025 से निदेशकों की कुल संख्या नौ गई है और इनमें से तीन स्वतंत्र सदस्य हैं। अतएव, दिनांक 01.04.2025 से 1/3 स्वतंत्र सदस्यों के मानदंड का अनुपालन किया गया है।

(बी) **लेखापरीक्षा समिति की संरचना (विनियमन 18)**: हमारा बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) के तहत गठित एक नया बैंक है। बैंक के निदेशक मंडल की संरचना इस अधिनियम द्वारा शासित होती है।

केन्द्र सरकार प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करती है और अधिनियम के तहत विभिन्न परिभाषित श्रेणियों से पहचाने गए और चयनित गैर-कार्यपालक निदेशकों को नामित करने का हकदार है, जिन्हें स्वतंत्र निदेशक माना जा सकता है।

केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक बैंक में गैर-सरकारी शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम तीन निदेशकों तक का चुनाव करने के हकदार हैं। वर्तमान में, बैंक के दो शेयरधारक निदेशक हैं जिन्हें स्वतंत्र निदेशक माना जाता है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो गैर-आधिकारिक निदेशकों को भी स्वतंत्र निदेशक माना जाता है।

वर्तमान में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 25 की चौथी तिमाही के दौरान, एसीबी में चार निदेशक थे, अर्थात्, दो स्वतंत्र निदेशक और दो नामित निदेशक। एक स्वतंत्र निदेशक दिनांक 20.03.2025 को सेवानिवृत्त हुए।

डीएफएस के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी निदेशक जो प्रबंधन समिति/ऋण अनुमोदन समिति में है, वह किसी भी क्षमता में लेखा परीक्षा समिति में नहीं होगा। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड का अध्यक्ष लेखा परीक्षा का सदस्य नहीं हो सकता है।

एक स्वतंत्र निदेशक, श्री वी वी शेनॉय प्रबंधन समिति और अन्य समितियों के सदस्य हैं और इस प्रकार एसीबी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।

श्री एम आर कुमार गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक हैं और वे आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एसीबी के सदस्य नहीं हो सकते।

इसलिए, बैंक एसीबी पर दो तिहाई स्वतंत्र सदस्य रखने की स्थिति में नहीं है।

बैंक ने बोर्ड स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पहले ही इस मामले को उठाया है। एक बार जब ये रिक्तियां भारत सरकार द्वारा भरी जाती हैं, तो हमारा बैंक लेखा परीक्षा समिति की संरचना की आवश्यकताओं का पालन करने में सक्षम होगा।

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on Code of Governance:

The Bank's Corporate Governance philosophy is woven around the belief that Corporate Governance is a key element in improving efficiency and growth as well as enhancing investor confidence. The Bank strongly believes in ethical values and self-discipline to achieve higher standard of Corporate Governance and continues to strive for excellence in business operations by ensuring accountability, transparency, fairness and responsibility towards all stakeholders, including shareholders, customers, employees, Government and the wider community. Accordingly, the Corporate Governance philosophy has been scripted as under:

"Enhancing stakeholders' value through ethical business practices".

At the core of its Corporate Governance practice is the Board, which oversees how the management serves and protects the long-term interests of all the stakeholders of the Bank. The Bank believes that an active, well informed and independent Board is necessary to ensure the highest standards of Corporate Governance. The Bank's Corporate Governance practices are aimed at meeting the Corporate Governance requirements as per the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, BIS-Corporate Governance Guidelines, besides good practices either recommended by professional bodies or practices by leading Banks / Companies in India.

The interrelation between the Board, the Executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various Committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors:

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (the Nationalisation Act) as amended from time to time. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Nationalisation Act, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The responsibilities of the Board include monitoring overall functioning of Bank including but not limiting to approval of policies for conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit and risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA Management and provisioning integrity, compliance of regulatory and statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources, etc.

The Board has constituted various Sub-Committees and delegated its powers for different functional areas to the Committees of the Board. The Board as well as its Committees meet at periodic intervals.

As on 31st March 2025, the Board comprised of five whole time Directors viz. MD & CEO, Four Executive Directors appointed by the Government of India and Five Non-Executive Directors (One Non-Executive Chairman, two Nominee Directors and Two Independent Directors) who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience guides the Bank in its progress and achievements in various spheres.

The positions of Workmen Employee Director and Officer Employee Director to be nominated by the Central Government were vacant during the year. The Positions of CA category Director and two Part-Time Non Official Directors to be nominated by the Central Government were vacant as on 31.03.2025.

As on 31.03.2025, the Composition of the Board was as under:

Sr. No	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	Number of Chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/ Other Listed Companies and Area of Expertise)
1.	Shri M R Kumar Non-Executive Chairman & Part-Time Non-Official Director (Non-Executive - Independent)	21.02.2024	LVFC, NRC, IDC, PE, GGUC, IT&DPDC, SCHR, RCWD, HVNPA, CSRC	-	0	0	Appointed as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman by Central Government u/s 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a term of three years, from 21.02.2024, or until further orders, whichever is earlier Area of Expertise: Insurance.

Sr. No	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	Number of Chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/ Other Listed Companies and Area of Expertise)
2.	Rajneesh Karnatak Managing Director & CEO (Executive)	29.04.2023	MCOM, DPC, DPCB, STC, LVFC, RMC, CSC, IT& DPDC, CAC, IAC, SCHR, RCWD, HVNPA, CSRC, GGUC,	-	-	0	Appointed as Managing Director and CEO by Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold office for a period of three years w.e.f. 29.04.2023 until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking.
3.	Shri P.R. Rajagopal Executive Director (Executive)	18.03.2020	MCOM, SRC, STC, LVFC, RMC, CSC, IT& DPDC, CAC, IAC, SCHR, HVNPA, CSRC, GGUC	-	1	0	Appointed as whole Time Director by Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold office w.e.f. 18.03.2020 till 28.02.2022. The Central Govt has extended the term beyond 28.02.2022 till 29.02.2024 and again from 29.02.2024 till 28.02.2026 for a period of two years or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking.
4.	Shri M. Karthikeyan Executive Director (Executive)	10.03.2021	MCOM, SRC, STC, LVFC, RMC, CSC, IT& DPDC, CAC, IAC, SCHR, HVNPA, CSRC, GGUC	-	1	0	Appointed as a whole Time Director by Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold office for a period of three years from the date of his taking over the charge of the post on 10.03.2021 The Central Govt. has extended the term beyond 09.03.2024 till 31.03.2025 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking.
5.	Shri Subrat Kumar Executive Director (Executive)	21-11-2022	MCOM, SRC, STC, LVFC, CSC, IT& DPDC, CAC, IAC, SCHR, HVNPA, CSRC, GGUC	-	1	0	Appointed as a Whole Time Director by Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold office for a period of three years from 21.11.2022 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking.

Sr. No	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank \$	Holding of Bank's shares	Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	Number of Chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/ Other Listed Companies and Area of Expertise)
6.	Shri Rajiv Mishra Executive Director (Executive)	01.03.2024	MCOM, SRC, STC, LVFC, CSC, IT& DPDC, CAC, IAC, SCHR, HVNPA, CSRC, GGUC	-	1	0	Appointed as a Whole Time Director by Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years, with effect from 01.03.2024 or until further orders, whichever is earlier. Area of Expertise: Banking.
7.	Shri Ashok Narain RBI Nominee Director (Non-Executive)	14.07.2023	MCOM, ACB, DPC, DPCB	-	1	0	Appointed as RBI Nominee Director by Central Government u/s 9(3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 from 14.07.2023 until further orders. Area of expertise - Banking
8.	Shri Vishwanath V. Shenoy Shareholder Director (Non-Executive, Independent Director)	29.11.2022	MCOM, DPCB, NRC, SCHR, RCWD, IDC, CSRC, PE, GGUC, SRC, STC, LVFC, RMC, CSC, IT&DPDC	11,000	1	0	Elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 for a period of three years from 29.11.2022 to 28.11.2025. Area of Expertise : Banking
9.	Shri Manoj M Ayyappan (Govt Nominee Director)	05.08.2024	ACB, DPC, DPCB, LVFC, CSC, ITS & DPDC, NRC, SCHR, HVNPA, PE	-	1	1	Appointed as a Govt. Nominee Director by Central Government u/s 9(3)(b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years, with effect from 05.08.2024 or until further orders. Area of Expertise: Banking.
10.	Smt. Jamuna Ravi Shareholder Director (Non-Executive, Independent Director)	04.12.2025	ACB, SRC, STC, LVFC, RMC, ITS & DPDC, NRC, IDC, CSRC, PE, GGUC	500	2	0	Elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 for a period of three years from 04.12.2024 to 03.12.2027. Area of Expertise : IT

\$ Abbreviations of Committee Names

ACB	:	Audit Committee of the Board
CAC	:	Credit Approval Committee of Board
CSC	:	Committee of Directors for Customer Service
CSRC	:	Corporate Social Responsibility Committee
DPC	:	Director Promotion Committee

DPCB	:	Disciplinary Proceedings Committee of the Board
GGUC	:	Group Governance Unit Committee
HVNPA	:	Committee for monitoring High Value NPAs & Loss Assets
IDC	:	Independent Directors Committee of the Board
ITS & DPDC	:	IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee
LVFC	:	Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up Cases of Frauds
MCOM	:	Management Committee of the Board
NRC	:	Nomination & Remuneration Committee of Directors
PE	:	Board Committee for Performance evaluation of Managing Director & CEOs/Executive Directors/ Chief General Managers/ General Managers
RCWD	:	Review Committee for Wilful Defaulters
RMC	:	Risk Management Committee of the Board
SCHR	:	Steering Committee of the Board on HR
SRC	:	Stakeholders Relationship Committee
STC	:	Share Transfer Committee

All Directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-Executive Directors on the Board. Two Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government and two Part-time non-official Directors are Independent directors within the meaning of Regulation 16(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI-LODR).

Details of familiarization programmes imparted to Independent Directors are available at <https://bankofindia.co.in/familiarization>.

In the opinion of the Board, independent directors fulfil the conditions specified in these Regulations and are independent of the Management..

Appointments/Cessations during the Financial Year 2024-25 and till date:

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry date of Current term	Nature of Expertise	Brief Profile
1	Shri Manoj M. Ayyappan	51	05.08.2024	until further order by central Government.	Banking	Shri Manoj Muttathil Ayyappan, appointed as Government of India Nominee Director in Bank of India from 05.08.2024. He holds a Master's degree in Business Administration (MBA) and had done B.Sc. from Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala. Presently, he is posted as Joint Secretary in the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. Before that, he had worked as Business Head, MSME (SMART Business Segment) in Karur Vysya Bank. He has also worked as Business Head (MSME) with Utkarsh Small Finance Bank. He has rich experience of over 25 Years in SME lending, Financial Analysis, Trade Finance, Risk Management, Stressed Account Management and Credit Operations. Prior to Utkarsh Small Finance Bank, he has worked with Axis Bank Ltd., as Circle Head-Commercial Banking. He also had stints with Accenture Management Consulting, Infosys BPO and Bank of Madura Limited.
2.	Smt Jamuna Ravi	63	04.12.2024	03.12.2027	IT	Smt. Jamuna Ravi is Masters in Science (Tech), Computer Science from BITS, Pilani, Rajasthan. She is an Information Technology leader with 35+ years of experience in the global IT industry. She has navigated from the role of a programmer to a senior leader in TCS, followed by many senior leadership roles in marquee companies like Infosys, Shell and HSBC. She was able to get an insider view of the industry in a global setting. She has also benefitted from the industry linked education on leading organisational change from universities like London Business School, Harvard, Stanford, etc. Her global leadership positions in technology, mainly around the Banking and Capital Markets industry, has given her good exposure to best practices and latest trends in technology for banking globally. She is a Certified Information Systems Auditor and also Certified in Governance of Enterprise Information and Technology. She also has an honorary doctorate in Computer Science from Azteca University.

Cessation: The following members ceased to be the Directors during the financial year 2024-25:

Sr.No.	Name of Director	Category	Date of Cessation	Reason
1.	Shri Bhushan Kumar Sinha	Govt Nominee Director	04-08-2024	Completion of tenure
2.	Smt Veni Thapar	Shareholder Director	03-12-2024	Completion of tenure
3.	Shri Munish Kumar Ralhan	Govt Nominee Director	20-03-2025	Completion of tenure
4.	Shri M. Karthikeyan	Executive Director	31-03-2025	Superannuation

Inter-se relationship of Directors :

There is no inter-se relationship amongst the Directors.

Committee Membership of Directors :

In terms of regulations 26(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Chairpersonship and Membership of Audit Committee of the Board (ACB) and Stakeholders Relationship Committee (SRC) are considered for this disclosure.

No Director of the Bank was a member in more than 10 committees or acted as Chairperson of more than 5 Committees across all listed entities/public limited companies in which he/she was a Director during the year 2024-25.

Details of Membership/Chairmanship held by the Directors on the Committees of the Bank and other listed/public limited companies where he/she was a Director as on 31.03.2025 are as given here under:

Sr. No	Name & Designation of Director	Name of the Company	Name of the Committee (ACB/SRC)	Member
1.	Shri M.R. Kumar (Non-Executive Chairman)	Bank of India Ambuja Cement Co. Ltd. Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. Aurobindo Pharma Ltd.	Nil	Nil
2.	Shri Rajneesh Karnatak (MD & CEO)	Bank of India	Nil	Nil
3.	Shri P.R. Rajagopal (Executive Director)	Bank of India BOI Merchant Bankers Ltd.	SRC	Member
4.	Shri M. Karthikeyan (Executive Director)	Bank of India BOI Investment Managers Pvt. Ltd.	SRC	Member
5.	Shri Subrat Kumar (Executive Director)	Bank of India PSB Alliance Pvt. Ltd. BOI Shareholding Ltd.	SRC	Member
6.	Shri Rajiv Mishra (Executive Director)	Bank of India Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd. STCI Finance Limited	SRC	Member
7.	Shri Manoj M. Ayyappan (Non-Executive Director)	Bank of India	ACB	Member
8.	Shri Vishwanath V. Shenoy (Non-Executive Director)	Bank of India	SRC	Member
9.	Shri Ashok Narain (Non-Executive Director)	Bank of India Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co.Ltd.	ACB	Member
10.	Smt Jamuna Ravi (Non-Executive Director)	Bank of India	ACB, SRC	Member

Conduct of Board Meetings:

During the FY 2024-25, 19 (Nineteen) Board Meetings were held on the following dates:

20.04.2024	26.04.2024	10.05.2024	06.06.2024	24.06.2024	02.08.2024
03.08.2024	30.08.2024	01.10.2024	22.10.2024	25.10.2024	11.11.2024
03.12.2024	17.12.2024	27.12.2024	23.01.2025	24.01.2025	25.02.2025
29.03.2025					

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2024-25 are as follows:

Directors Name	Total no. of meetings	No. of meetings attended	Period	
			From	To
Rajneesh Karnatak	19	19	01-04-2024	31-03-2025
P.R. Rajagopal	19	17	01-04-2024	31-03-2025
M. Karthikeyan	19	16	01-04-2024	31-03-2025
Subrat Kumar	19	19	01-04-2024	31-03-2025
Rajiv Mishra	19	19	01-04-2024	31-03-2025
B K Sinha	7	5	01-04-2024	04-08-2024
Veni Thapar	13	13	01-04-2024	03-12-2024
M K Ralhan	18	17	01-04-2024	20-03-2025
V V Shenoy	19	17	01-04-2024	31-03-2025
Ashok Narain	19	19	01-04-2024	31-03-2025
M R Kumar	19	19	01-04-2024	31-03-2025
M M Ayyapan	12	10	05-08-2024	31-03-2025
Jamuna Ravi	6	6	04-12-2024	31-03-2025

Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

Sr. No	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board
2.	Credit Approval Committee of the Board
3.	Audit Committee of the Board
4.	Stakeholders' Relationship Committee
5.	Share Transfer Committee
6.	Risk Management Committee of the Board
7.	Committee of Directors for Customer Services
8.	Nomination and Remuneration Committee of Directors
9.	Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up cases of Frauds
10.	IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee
11.	Directors Promotion Committee
12.	Steering Committee of the Board on HR
13.	Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets
14.	Review Committee for Wilful Defaulters
15.	Independent Directors' Committee of the Board
16.	Disciplinary Proceeding Committee
17.	Corporate Social Responsibility Committee
18.	Committee for Performance Evaluation of MD&CEO, Executive Directors, Chief General Managers and General Managers
19.	Group Governance Unit Committee

1. The Management Committee of the Board

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals, etc. As on 31.03.2025, it comprised of 7 members consisting of MD & CEO, 4 Executive Directors, One Shareholder Director and RBI Nominee Directors.

The Management Committee of the Board met 23 times during the FY 2024-25 on the following dates:

12.04.2024	08.05.2024	05.06.2024	14.06.2024	25.06.2024	12.07.2024
29.07.2024	09.08.2024	23.08.2024	05.09.2024	24.09.2024	16.10.2024
29.10.2024	16.11.2024	30.11.2024	17.12.2024	27.12.2024	16.01.2025
30.01.2025	15.02.2025	01.03.2025	15.03.2025	28.03.2025	

Details of attendance of the Directors at the Management Committee of the Board Meetings in FY 2024-25 are as follows:

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
Rajneesh Karnatak	23	23	01-04-2024	31-03-2025
P.R. Rajagopal	23	20	01-04-2024	31-03-2025
M. Karthikeyan	23	18	01-04-2024	31-03-2025
Subrat Kumar	23	21	01-04-2024	31-03-2025
Rajiv Mishra	23	22	01-04-2024	31-03-2025
V V Shenoy	23	22	01-04-2024	31-03-2025
Ashok Narain	23	23	01-04-2024	31-03-2025

2. Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-130.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs.800 Crore in case of our Bank and exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the Committee are the Managing Director & CEO, the Executive Directors, The General Manager in-charge of Finance, CGM / General Manager in-charge of Risk Management and CGM/General Manager in charge of Credit. The Committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 48 times during the FY 2024-25 on the following dates:

04.04.2024	12.04.2024	19.04.2024	02.05.2024	09.05.2024	24.05.2024
06.06.2024	13.06.2024	20.06.2024	27.06.2024	04.07.2024	11.07.2024
18.07.2024	25.07.2024	01.08.2024	08.08.2024	17.08.2024	23.08.2024
29.08.2024	05.09.2024	12.09.2024	19.09.2024	26.09.2024	03.10.2024
10.10.2024	16.10.2024	23.10.2024	31.10.2024	07.11.2024	14.11.2024
21.11.2024	28.11.2024	05.12.2024	12.12.2024	19.12.2024	26.12.2024
02.01.2025	09.01.2025	16.01.2025	22.01.2025	30.01.2025	06.02.2025
13.02.2025	27.02.2025	06.03.2025	12.03.2025	20.03.2025	27.03.2025

3. Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India, the Government of India and Securities and Exchange Board of India Regulations as amended from time to time. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

As on 31.03.2025, the Audit Committee comprises of 3 members viz. Shareholder Director, Government Nominee Director and Reserve Bank of India Nominee Director.

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to placing before the Board of Directors for approval.

During the FY 2024-25, the Audit Committee met 17 times on the following dates.

20.04.2024	10.05.2024	31.05.2024	12.07.2024	03.08.2024	14.08.2024
05.09.2024	24.09.2024	01.10.2024	14.10.2024	05.11.2024	11.11.2024
16.12.2024	15.01.2025	24.01.2025	12.02.2025	10.03.2025	

Details of attendance of the Directors at the Audit Committee of the Board Meetings in FY 2024-25 are as follows

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
Veni Thapar	12	12	01-04-2024	03-12-2024
Bhushan Kumar Sinha	05	02	01-04-2024	04-08-2024
Munish Kumar Ralhan	17	17	01-04-2024	20-03-2025
Manoj M Ayyappan	12	06	05-08-2024	31-03-2025
Ashok Narain	17	17	01-04-2024	31-03-2025
Jamuna Ravi	05	05	04-12-2024	31-03-2025

4. Stakeholders Relationship Committee:

In compliance of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer / transmission of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of

Four Executive Directors and Two Shareholder Directors of the Bank.

During the year 2024-25, Bank has received 49 Complaints. All of these complaints have been resolved. The Committee met 3 times during the FY 2024-25 on the following dates:

02.08.2024	26.11.2024	03.02.2025

Shri Rajesh V Upadhyaya, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank for this purpose. The attendance record of the members in the above meeting is shown below

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
P.R. Rajagopal	3	3	01-04-2024	31-03-2025
M. Karthikeyan	3	2	01-04-2024	31-03-2025
Subrat Kumar	3	2	01-04-2024	31-03-2025
Rajiv Mishra	3	3	01-04-2024	31-03-2025
Veni Thapar	2	2	01-04-2024	03-12-2024
V V Shenoy	3	3	01-04-2024	31-03-2025
Jamuna Ravi	1	1	04-12-2024	31-03-2025

5. Share Transfer Committee:

In terms of Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2007 meeting of this committee is to be held as and when necessary. The committee comprises of Managing Director & CEO or in his absence any Executive Director and two Shareholder Directors. The Committee met 3 times during the FY 2024-25 on the following dates:

02-08-2024	26-11-2024	03-02-2025

6. Risk Management Committee of the Board:

The Bank has evolved suitable risk management policies consistent with the SEBI guidelines, size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operation of the Bank. Risk Management Committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The committee consists of any one Executive Director, MD & CEO of the Bank and Two Shareholder Directors. Other Executive Directors are invitees. The Committee met 15 times during the FY 2024-25 on following dates:

20.04.2024	16.05.2024	31.05.2024	25.06.2024	11.07.2024
20.08.2024	13.09.2024	09.10.2024	05.11.2024	21.11.2024
16.12.2024	03.01.2025	03.02.2025	25.02.2025	11.03.2025

The attendance record of the members in the above meeting is shown below:

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
Rajneesh Karnatak	15	9	01-04-2024	31-03-2025
P.R. Rajagopal	15	15	01-04-2024	31-03-2025
M. Karthikeyan	15	13	01-04-2024	31-03-2025
Veni Thapar	10	10	01-04-2024	03-12-2024
M K Ralhan	15	14	01-04-2024	20-03-2025
V V Shenoy	15	15	01-04-2024	31-03-2025
Jamuna Ravi	5	5	04-12-2024	31-03-2025

7. Committee of Directors for Customer Service:

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the Committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the Head Office). It comprises of Whole Time Directors, GOI Nominee Director, one Shareholder's Director and one Part time non official director. The Committee met 5 times during the FY 2024-25 on following dates:

16.05.2024	06.09.2024	27.11.2024	17.12.2024	10.03.2025

8. Nomination and Remuneration Committee:

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as Directors on the Boards of the Nationalised Banks. The Committee was formed in terms of Reserve Bank of India Notification No: RBI/DBR/2019-20/71/ Master Direction DBR-Appl.

No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019. As on March 31, 2025 the NRC consists of two Independent Directors, one Govt. Nominee Director and non-executive Chairman of the Bank. The Committee met twice during the FY 2024-25 on following dates:

24.06.2024	21-11-2024

The attendance record of the members are as under:

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
Bhushan Kumar Sinha	1	0	01-04-2024	04-08-2024
Veni Thapar	2	2	01-04-2024	03-12-2024
Vishwanath V Shenoy	2	2	01-04-2024	31-03-2025
Munish Kumar Ralhan	2	2	01-04-2024	20-03-2025
M R Kumar	2	2	01-04-2024	31-03-2025

9. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow up cases of frauds

The Committee was formed to monitor large value frauds. This Committee consist of Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors, Government Nominee Director and three other Non-Executive Directors. The Committee met 4 times during the FY 2024-25 on following dates:

06.06.2024	09.08.2024	04.12.2024	25.02.2025

10. IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee:

The Committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of Managing Director & CEO, Executive Directors, Government Nominee Director and two other Non-Executive Independent Directors. During the FY 2024-25, the Committee met 13 times on following dates:

22.05.2024	25.06.2024	11.07.2024	23.07.2024	20.08.2024	13.09.2024
09.10.2024	04.11.2024	03.12.2024	03.01.2025	25.02.2025	11.03.2025
26.03.2025					

11. Directors Promotion Committee:

The Committee was formed on Ministry of Finance (DFS) Guidelines. The members of this Committee are Managing Director & CEO, GOI Nominee Director and RBI Nominee Director. During the FY 2024-25, it met 3 times on following dates:

13.03.2025	15.03.2025	16.03.2025

12. Steering Committee of the Board on HR:

The Committee was formed to consider the HR related matters. The Members of this Committee are Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director, Part time non-official Director and one Shareholder Director. During the FY 2024-25 it met 10 times on following dates:

16.05.2024	25.06.2024	14.08.2024	13.09.2024	09.10.2024
04.11.2024	17.12.2024	23.01.2025	25.02.2025	29.03.2025

13. Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets:

The Committee was formed to monitor recovery & review of top 50 NPAs. This Committee consist of Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director, Part Time Non official Director. General Manager – Recovery Department is the convener. During the FY 2024-25, it met 4 times on following dates:

06.06.2024	30.08.2024	04.12.2024	03.02.2025

14. Review Committee for Wilful Defaulters:

The Members of this Committee are Managing Director & CEO, Two Shareholder Directors and one Part time non official Director. During the FY 2024-25, it met 4 times on following dates:

24.06.2024	06.09.2024	03.12.2024	10.03.2025

15. Independent Directors' Committee:

Two Shareholder Directors and one part time non-official Director are the members of this Committee. The independent Director's Committee of the Board met twice on following dates:

14.08.2024	26.11.2024

Details of attendance of the Independent Directors' Committee for Meetings in FY 2024-25 are as follows:

Directors Name	Meetings held during their tenure	Attendance Recorded	Period	
			From	To
Veni Thapar	2	2	01-04-2024	03-12-2024
M K Ralhan	2	2	01-04-2024	20-03-2025
Vishwanath V. Shenoy	2	2	01-04-2024	31-03-2025
M R Kumar	2	2	01-04-2024	31-03-2025

16. Disciplinary Proceedings Committee:

The Members of this Committee are Managing Director & CEO, Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and one Shareholder Director. During the FY 2024-25, it met on 3 times on

30.08.2024	16.12.2024	10.03.2025

17. Corporate Social Responsibility Committee:

Corporate Social Responsibility Committee constituted in terms of Government of India – CSR – Voluntary Guidelines – 2009. Managing Director & CEO, four Executive Directors, two Independent Director and non-executive chairman of the Bank are members of this Committee. The Committee met 3 times during the FY 2024-25 on following dates.

02.08.2024	27.11.2024	11.03.2025

18. Committee for Performance Evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Director, Chief General Managers and General Managers:

This Committee is constituted as per Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services directives F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019. The Members of this Committee are two Shareholder Directors, Govt. Nominee Director and one non official part time Director. The Committee met on 24.06.2024.

19. Committee for declaration of Non Co-operative Borrower:

The Committee was constituted as per RBI Circular RBI/2014-15/362- DBR No. CID.BC.54/20.16.064/2014-15. The Committee consists of Managing Director & CEO, one Shareholder Director and one Part time Non official Director. During the year, the Committee met 2 times on the following dates.

24.06.2024	06.09.2024

The Committee was discontinued as per the Board approval dated 22.10.2024 in the light of the revised RBI guidelines on Treatment of Wilful Defaulters.

20. Group Governance Unit Committee:

The Committee consists of Chairman, Managing Director & CEO, four Executive Directors and Two Shareholder Directors and one Part Time Non Official Director. The Committee met 9 times during the Financial Year 2024-25 on the following dates.

16.05.2024	11.07.2024	14.08.2024	06.09.2024	22.10.2024
04.11.2024	04.12.2024	23.01.2025	11.03.2025	

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting:

Shri M. R. Kumar, Chairman, Shri Rajneesh Karnatak, MD & CEO, Executive Directors- Shri P R Rajagopal, Shri M Karthikeyan, Shri Subrat Kumar, Shri Rajiv Mishra, Shareholder Directors - Smt. Veni Thapar, Shri Vishwanath V. Shenoy and Non-Executive Director Shri Munish Kumar Ralhan attended the last Annual General Meeting i.e. Twenty Eighth Annual General Meeting of the Bank held on 25th June, 2024.

Details of Senior Management (Chief General Managers) as on 31st March 2025:

Sr. No.	Name	Date of Appointment	Department
1.	Shri Abhijit Bose	28-01-2022	Fraud Risk Management, General Operations, Premises, Business Process Re-engineering
2.	Shri Ashok Kumar Pathak	28-01-2022	Retail, Rural, MSME, Financial Inclusion
3.	Shri Sudhiranjana Padhi	31-03-2023	Information Technology
4.	Shri P.K.Giri	31-03-2023	Compliance
5.	Shri P. Harikishan	01-04-2023	Risk Management
6.	Shri Sharda Bhushan Rai	01-04-2023	Resource Mobilisation, Publicity & PR, Marketing, Third Party Products & Government Business, CEBB, Call Centre

Sr. No.	Name	Date of Appointment	Department
7.	Shri Nitin G. Deshpande	01-04-2023	International, International Subsidiaries, Corporate Credit, Treasury, Foreign Business
8.	Shri Gyaneshwar Prasad	01-07-2023	Inspection & Audit
9.	Shri Rajesh S Ingle	06-11-2023	Human Resources, Learning & Development, Finance, Planning
10.	Shri Prashant Thapliyal	01-03-2024	Recovery & Credit Monitoring, Stressed Asset Recovery, Legal

Share Transfers and Redressal of Shareholders' Investors' Grievances:

The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters. In terms of SEBI guidelines dated 08-06-2018 and SEBI Press Release dated 03-12-2018, physical transfer of shares is not permitted after 31-03-2019. Thus, shareholders are requested to open a demat account and dematerialise their physical shareholding.

Further, in the interest of investors and with a view to enhance ease of dealing in securities markets by investors, SEBI, vide its circular dated 25-01-2022, decided that the listed entities shall henceforth issue the shares in dematerialised mode only while processing the following service requests:

- Issue of duplicate securities certificate;
- Claim from Unclaimed Suspense Account;
- Renewal / Exchange of securities certificate;
- Endorsement;
- Sub-division / Splitting of securities certificate;
- Consolidation of securities certificate / folios;
- Transmission;
- Transposition

The shareholder / claimant shall submit duly filled up Form ISR-4 and the RTA / listed entity shall, after processing the service requests, issue a "Letter of Confirmation" instead of physical certificates to the shareholder / claimant within 30 days of such requests after removing objections, if any.

The Letter of confirmation shall be valid for 120 days from the date of its issuance within which the shareholder / claimant shall make a request to the depository participant for dematerialising the said securities.

The RTA shall issue a reminder after the end of 45 days and 90 days from the date of issuance of Letter of Confirmation, informing the securities holder / claimant to submit the demat request.

The RTA shall retain the physical share certificate as per the existing procedure and deface the certificate with a stamp "Letter of Confirmation issued" on the face / reverse of the certificate, subsequent to processing the service request.

Depository Participant shall generate the demat request on the basis of the Letter of Confirmation and forward the same to the Listed entity / RTA for processing the demat request.

If demat request is not received within 120 days of the Letter of Confirmation, shares shall be credited to the Suspense Escrow Demat Account of the entity.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., as its Registrar and Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, transmission, dividend, recording of shareholders' requests, and solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For lodgement of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact:

For Equity Shares and Debentures/ Bonds:

Bigshare Services Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India,
Office No S6-2, 6th Floor,
Pinnacle Business Park,
Next to Ahura Centre,
Mahakali Caves Road,
Andheri (East) Mumbai – 400093

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Cell at:

Star House, 8th Floor,
East Wing, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051,
Phone: 022 – 6668 4490, Fax: 022 - 6668 4491,
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in.

General Body Meetings:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Resolution
1.	Extraordinary General Meeting	Tuesday, 3 rd December, 2024 at 11.00 A.M through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVC).	Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (E), Mumbai — 400 051	1) Election of One Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government. 2) Appointment of Shri Manoj M. Ayyappan as Govt. Nominee Director of the Bank. To consider his appointment and if found fit, pass Ordinary Resolution

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Resolution
2.	Twenty Eighth Annual General Meeting	Tuesday, 25th June 2024 at 11.00 am through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)	Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051	1) To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2024, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. 2) To declare dividend for the year 2023-24 @ Rs.2.80 (28%) per equity share. 3) Extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank. To consider his appointment and if found fit, pass Ordinary Resolution. 4) Extension of term of Shri M. Karthikeyan as Executive Director of the Bank. To consider his appointment and if found fit, pass Ordinary Resolution. 5) Appointment of Shri Ashok Narain as Non- Executive Nominee Director of the Bank. To consider his appointment and if found fit, pass Ordinary Resolution. 6) Appointment of Shri Rajiv Mishra as Executive Director of the Bank. To consider his appointment and if found fit, pass Ordinary Resolution. 7) Appointment of Shri M.R. Kumar as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank. To consider his appointment and if found fit, pass Special Resolution.
3.	Twenty Seventh Annual General Meeting	Tuesday, 27th June 2023 at 11.00 am through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)	Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051	1) To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2023, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2023, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. 2) To declare dividend for the year 2022-23 @ Rs.2.00 (20%) per equity share. 3) Appointment of Shri Bhushan Kumar Sinha as Non-Executive Nominee Director of the Bank. To consider his appointment and if found fit pass ordinary resolution. 4) Appointment of Shri Subrat Kumar as Executive Director of the Bank. To consider his appointment and if found fit pass ordinary resolution.

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Resolution
				5) Appointment of Shri Rajneesh Karnatak as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank. To consider his appointment and if found fit pass ordinary resolution. 6) Appointment of Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non-Official Director of the Bank. To consider his appointment and if found fit pass ordinary resolution. 7) Raising of capital by way of issuing fresh equity shares and or by way of issuance of Tier I & Tier II Capital as per BASEL III guidelines. To consider and if found fit pass Special resolution.
4.	Extraordinary General Meeting	Wednesday, 28 th November, 2022 at 11.00 A.M through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVC).	Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051	Election of One Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government.
5.	Twenty Sixth Annual General Meeting	Tuesday, 15 th July 2022 at 12.00 noon through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM)	Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051	1) To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31 st March 2022, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31 st March 2022, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts. 2) To declare dividend for the year 2021-22 @ Rs.2.00 (20%) per equity share 3) Approval to issue Fresh Equity Capital

Disclosures:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has complied with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with the Nationalisation Act and the guidelines issued by RBI and Government of India.

i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Directors is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the other Directors except sitting fees which is as under:

Sr	Particulars	Sitting Fees *
1.	For attending Board Meeting.	Rs.70,000/-
2.	For attending meeting of Board Committee	Rs.35,000/-
3.	For Chairing Board Meeting	Rs.20,000/- [in addition to (1) above]
4.	For Chairing meeting of Board Committee	Rs.10,000/- [in addition to (2) above]

*Subject to an overall ceiling of Rs.25.00 lakhs per annum per Director.

In addition to sitting fees, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clauses 17 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc., which may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues, Tier 2 bonds, Infra Bonds etc.

During the year under review, the Bank has raised the following funds:

Sr. No.	Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares/Bonds	Issue Size In Crore
1.	19.07.2024	Bank has raised Long Term Infra Bonds of Rs.5,000 Crore through Long Term Infra Bond Series I at 7.54%. Face Value of the bond is Rs.1,00,000/-	5,00,000	5,000
2.	26.09.2024	Unsecured, Subordinate Non-Convertible, Taxable, fully paid-up, Redeemable Basel III compliant 7.49 % Tier II Bonds, Series XVII in the nature of debentures of face value Rs.1Crore each (the "Bonds")	2,500	2,500
3.	29.11.2024	Bank has raised Long Term Infra Bonds of Rs.5,000 Crore through Long Term Infra Bond Series II at 7.41%. Face Value of the bond is Rs.1,00,000/-	5,00,000	5,000
4.	18.02.2025	Bank has raised Long Term Infra Bonds of Rs. 2,690 Crore through Long Term Infra Bond Series III at 7.50%. Face Value of the bond is Rs.1,00,000/-	2,69,000	2,690

- iv) The capital funds of Rs. 2,500 Crore were raised with the primary objective of augmenting Tier-II Capital for Strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long - term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose. Infrastructure Bonds of Rs. 12,690 Crore was raised for funding long term project in infrastructure sub sectors and affordable housing as prescribed by Reserve Bank of India and the same were utilised for the said purpose.
- v) Penalty of Rs. 10,000/- each imposed by BSE and NSE for delayed XBRL filing of evoting results of EGM held on 03.12.2024.
- vi) As required under regulation 40(9) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, a certificate is obtained every Year from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are uploaded on the web portals of BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.
- vii) In terms of SEBI's circular No. D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Share Capital Audit is

conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositories and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

- viii) At present, the Bank does not have any material subsidiary.
- ix) **Independent Directors Meeting:** The separate meeting of Independent Directors was held on 14.08.2024 and 26.11.2024.
- x) **Training of Non-Executive Directors:**

Following training was imparted to Non-Executive Directors

Sr. No.	Name of Non-Executive Director	Training details
1.	Shri M.R. Kumar	Workshop on climate change and sustainability
2.	Shri Munish Kumar Ralhan	Workshop on climate change and sustainability

- xi) Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/BOI_Code_of_Conduct_Dir_19042021.pdf/c54b5953-f8df-6d80-0b31-19b3bc4d3cdc?t=1663586179347
- xii) Whistle Blower Policy is posted at Bank's website – <https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/POLICY.pdf/944036f2-d687-0f16-3169-7cec618d3028?t=1663586343555>
- xiii) **Related Party Policy transaction** – The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted on Bank's website– <https://bankofindia.co.in/documents/20121/25744421/G-Policy-on-Related-Party-Transactions.pdf/>

Details of related party transactions are as detailed under AS-18.

- xiv) **Remuneration Policy** - The Remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of other staff members is as per the Tripartite Agreement of the IBA.
- xv) **Takeover Code:** The Bank has also complied, from time to time, with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended.
- xvi) **Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015:**

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and the Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was kept closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of trading window	Purpose of closure
w.e.f Monday, 01.04.2024 To Monday 13.05.2024	Declaration of Financial Results for the year ended 31st March, 2024.
w.e.f Monday, 01.07.2024 To Tuesday 06.08.2024	Declaration of Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024.
w.e.f Tuesday, 01.10.2024 To Wednesday 13.11.2024	Declaration of Financial Results for the Quarter ended 30th September, 2024.
w.e.f Wednesday, 01.01.2025 To Monday 27.01.2025	Declaration of Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2024.

xvii) **Details of fees paid to Auditors:**

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs. In Crore)
1	Amount paid to Auditors of the Bank for the year 2024-25	88.89
2	Amount paid to Auditors of the Bank and its subsidiaries for the year 2024-25	92.07

xviii) Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

No. of Complaints Filed during the FY 2024-25	13
Complaints resolved during the year FY 2024-25	13
Complaints Pending for Resolution FY 2024-25	0

Details of Material Subsidiaries of the Bank: None of the Subsidiaries of the Bank is a Material Subsidiary.

Means of Communication:

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the newspapers - Business Standard in English, Business Standard in Hindi and Loksatta in Marathi (Regional language). The results were also displayed on

the Bank's website at www.bankofindia.co.in. The presentations made to Institutional Investors are also available on Bank's website.

As required by SEBI LODR Regulations, Bank of India files its financial and other information online on the web portals of the Stock Exchanges.

Financial Calendar: From 1st April, 2025:

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend, if any	09.05.2025
Posting of Annual Report	By Email /Speed Post/ Courier.
Last date for receipt of Authorised Representation	20.06.2025
Record Date for payment of dividend	20.06.2025
Date, Time, Venue of 29th AGM	27.06.2025
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd., and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows

The BSE Ltd. (BSE)	532149
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA
ISIN Number	INE084A01016

Annual listing fee for 2024-25 has been paid to both the Stock Exchanges.

The Bank has issued Basel III Compliant Non-Convertible Bonds in the nature of Debentures (Additional Tier I, Tier II capital) and Infra Bonds from time to time. The relevant details thereof are as under:

BANK OF INDIA – TIER I, TIER II AND LONG TERM INFRA BONDS POSITION AS ON 31.03.2025

Particulars of the Issue	Coupon Rate	Total Value (Rs. in Crores)	ISIN No.
Additional Tier I			
Series - VI	9.04%	750	INE084A08136
Series VII	9.30%	602	INE084A08144
Series VIII	8.57%	1500	INE084A08169
Tier II Bonds			
Series-XII	8.52%	3,000	INE084A08060
Series XV	7.14%	1,800	INE084A08151
Series XVI	7.88%	2,000	INE084A08177
Series XVII	7.49%	2,500	INE084A08193
Long Term Infra Bonds			
Series I	7.54%	5,000	INE084A08185
Series II	7.41%	5,000	INE084A08201
Series III	7.50%	2,690	INE084A08219
TOTAL		24,842	

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2024-25 to the Stock Exchange.

Credit Ratings (Outlook):

Sr. No.	Issuer Rating	Corporate Rating (Long/ Short)	Bank Fixed Deposit	Additional Tier I Bonds	Tier II Bonds	Long Term Infra Bonds	Certificate of Deposit
1	CRISIL Limited	-	-	AA (Stable)	AA+(Stable)	AA+ (Stable)	A1+
2	India Ratings	AA+ (Stable)	-	-	AA+ (Stable)	AA+ (Stable)	-
3	Care Ratings Ltd	-	AA+ (Stable)	-	AA+ (Stable)	AA+ (Stable)	-
4	Infomeric Valuation & Rating	AAA (Stable)	-	-	AAA (Stable)	-	-
5	Acuite Ratings	AAA (Stable)	-	AA+ (Stable)	AAA (Stable)	-	-
6	Fitch Ratings (international Rating)	BBB- (Stable)	-	-	-	-	-

Dematerialisation of Shares:

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31.03.2025 are as under:

Category	No. of Shareholders	Shareholders In %	No. of Shares	Shareholding %
NSDL	2,07,977	28.07	102,87,89,875	22.60
CDSL	4,46,478	60.25	351,10,78,537	77.12
Physical	86,577	11.68	1,27,99,454	0.28
Total	7,41,032	100	455,26,67,866	100

DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the Investors. For this purpose, Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit, etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar and Transfer Agent, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., at the address given in this report.

PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE:

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of Rs. 4.05 per equity share (i.e. 40.50%) of face value of Rs.10/- each to the Shareholders for the year 2024-25, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as on, 20.06.2025 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (27.06.2025, Friday).

UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend for the year 2021-22, 2022-23 and 2023-24 are requested to contact the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Bank, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., for receiving the dividend.

As per Section 10B of the Nationalisation Act, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 125 of the Companies Act, 2013. All the dividends unclaimed for a period of seven years (pertaining to FY upto 2014-15) have been transferred to the IEPF Authority. Bank has not declared any dividend during FY 2015-16 to FY 2020-21.

UNCLAIMED SHARES:

Nil.

Status of shares lying in Suspense Escrow Account:

Opening Balance as on 01.04.2024		Addition during the FY 2024-25		No. of request recd. & Shares Debited during the FY 2024-25		Closing Balance as on 31.03.2025	
No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares	No. of Shareholders	No. of Shares
1	200	16	3300	5	1800	12	1700

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

Shareholding Pattern as on 31.03.2025:

Category of Shareholders	Number of Shareholders	Number of Shares	% of Holding	Shares under Lock-in	% of Shares under Lock-in
Promoter(Government of India)	1	3,34,08,61,720	73.38	0	0.00
Mutual Funds	104	19,91,65,469	4.37	0	0.00
Alternate Investment Funds	3	46,042	0.00	0	0.00
Financial Institution/Bank	14	9,691	0.00	0	0.00
Insurance Company	52	48,55,44,408	10.67	0	0.00
Qualified Institutional Investors	7	3,91,95,889	0.86	0	0.00
Bodies Corporate	1,519	1,56,82,780	0.34	0	0.00
Foreign Financial Institution Investor	223	17,69,66,192	3.89	0	0.00
Indian public	7,29,201	28,29,86,746	6.22	0	0.00
Others	9,908	1,22,08,929	0.27	0	0.00
Total	7,41,032	4,55,26,67,866	100.00	0	0.00

Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares:

Name of the Shareholder	Number of Shares	% of Holding
LIC of India	36,37,10,617	7.99
SBI PSU Fund	6,90,82,881	1.52

Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2025:

No. of Equity Shares held	Folio		Shares	
	Nos.	% age	Nos.	% age
Upto 500	6,56,065	88.53	7,06,55,674	1.55
501 to 1000	42,184	5.69	3,32,39,460	0.73
1001 to 5000	35,938	4.86	7,84,10,242	1.72
5001 to 10000	3,858	0.52	2,85,22,124	0.63
10001 & Above	2,987	0.40	4,34,18,40,366	95.37
Total	6,28,403	100.00	4,55,26,67,866	100.00

Other Compliances:

- The certificate issued by the practising Company Secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.
- A Certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority, is enclosed.
- Secretarial Audit Report:** In Compliance of Regulation 24A of SEBI LODR 2015, the Annual Secretarial Compliance Report (Form MR 3) is enclosed.
- Financial Statements of Subsidiaries:** In compliance of Regulation 46(2) of SEBI LODR 2015, the Audited Financial Statements of subsidiaries have been uploaded on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements:

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part –E of Schedule II of SEBI Listing Regulations, 2015:

Sr. No.	Non Mandatory requirements	Status of implementation
1.	The Board – A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expenses	The Chairman's Position is Non- Executive and there is a separate office in the Bank.

Sr. No.	Non Mandatory requirements	Status of implementation
2.	Shareholder's Rights- A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. Quarterly results, press release and analyst presentation is sent to all shareholders by email..
3.	Modified Opinion(s) in Audit Report –The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The Bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion.
4.	Reporting of Internal Auditor	All internal auditors are appointed by our Inspection and Audit Department, which reports to Audit Committee.
5.	Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer- The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.	The Bank is having this position. GOI has appointed Non-Executive Chairman Shri M.R. Kumar.

Compliance status of corporate governance requirements:

Bank is in compliance with corporate governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 except following:

- (a) **Board Composition (Regulation 17(1)):** Bank has Chairperson who is non-executive director. As such, one third of the Board should be independent.

During the FY 2024-25, out of 11 directors, 4 were independent directors and the Board of the Bank had one third of its members as independent up to 20.03.2025. Upon retirement of one independent director on 20.03.2025, the criteria of one third independent members was not fulfilled for a period of 11 days.

However, upon retirement of one Executive Director on 31.03.2025, the total number of directors is nine w.e.f 01.04.2025 and out of this, three are independent members. Hence, w.e.f 01.04.2025, the criteria of 1/3rd independent members is complied with.

- (b) **Audit Committee Composition (Regulation 18):** Our Bank is a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act). Composition of the Board of Directors of the Bank is governed by this Act.

The Central Government appoints Whole time Directors including the Managing Director and is entitled to nominate Non-Executive Directors identified and selected from various defined categories under the Act who can be considered as Independent Directors.

Shareholders other than the Central Government are entitled to elect up to three Directors depending on the percentage of non-governmental shareholding in the Bank. At present, Bank is having two Shareholder's Directors who are considered as Independent Directors. Two Non-Official Directors appointed by Government of India are also considered as Independent Directors.

Presently, Audit Committee of the Board (ACB) is constituted as per the Circulars issued by RBI from time to time.

During Q4 FY25, there were four directors in the ACB, viz., two independent directors and two nominee directors. One independent director retired on 20.03.2025.

As per DFS guidelines, any director who is on the Management Committee / Credit Approval Committee shall not be on the Audit committee in any capacity. As per the RBI guidelines, the Chairperson of the Board cannot be a member of the Audit Committee.

One Independent Director, Mr. V V Shenoy is member of Management Committee and other Committees and thus cannot be part of the ACB.

Shri M R Kumar is Non-Executive Chairman and Independent Director and he cannot be a member of the ACB as per RBI guidelines.

Hence, the Bank is not in a position to have two third of the independent members on ACB.

The Bank has already taken up this matter with Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for immediate filling up of various vacancies at the Board level. Once these vacancies are filled up by the Government of India, our Bank will be able to comply with the requirements of Audit Committee composition.

सावंत एंड एसोसिएट्स

प्रेक्टिस करने वाले कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र

सदस्यगण,
बैंक ऑफ इंडिया,
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बान्द्रा (पूर्व),
मुंबई-400 051

हमने 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक के वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के तहत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है, के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ इंडिया ("द बैंक/कंपनी") के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह प्रमाणपत्र न कोई लेखा परीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय की कोई अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लेख किए गए सेबी (एलओडीआर) 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है।

यूडीआईएन : A041210G000332963

कृते सावंत एंड एसोसिएट्स
प्रेक्टिस करने वाले कंपनी सचिव

प्राची प्रकाश सावंत

सदस्यता सं.: ए41210
सीओपी नं: 16317
पीआर: 2615/2022

स्थान: मुंबई
दिनांक : 13/05/2025

SAWANT & ASSOCIATES

PRACTISING COMPANY SECRETARY

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members,
Bank of India,
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai 400 051

We have examined all the relevant records of the Bank of India ("the Bank/Company") for the purpose of certifying compliance with the conditions of the Corporate Governance under Regulation 17 to 27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 entered into with National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited (Stock Exchanges) for the financial year from April 01, 2024 to March 31, 2025.

The compliance with conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation processes adopted by the Bank to ensure compliance with the conditions of Corporate Governance. This Certificate is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations and information furnished to us, we certify that the Bank has complied with all the conditions of Corporate Governance as stipulated in the SEBI (LODR) 2015.

UDIN: A041210G000332963

For Sawant & Associates
Practising Company Secretary

Prachi Prakash Sawant
Membership No.: A41210
COP No.: 16317
PR: 2615/2022

Place: Mumbai
Date: 13/05/2025

सावंत एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V, पैरा सी, खंड(10)(i) के अनुसार.

प्रति,

बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्य

हमने बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसका प्रधान कार्यालय, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 (इसके बाद इसे "बैंक" कहा जाएगा), है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रारों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न तथा प्रकटनों की जांच की है, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) के साथ पठित अनुसूची V पैरा सी, खंड 10(i) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन से बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध सत्यापनों(निदेशकों की पहचान संख्या(डीआईएन) सहित) एवं बैंक, और उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताये गए अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/कॉरपोरेट मामले मंत्रालय/वित्त मंत्रालय/भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	त्यागपत्र देने/ सेवा समाप्ति की तिथि
1.	श्री एम.आर. कुमार	गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष	21/02/2024	-
2.	श्री रजनीश कर्नाटक	कार्यपालक निदेशक, सीईओ - एमडी	29/04/2023	-
3.	श्री पी.आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक	18/03/2020	-
4.	श्री एम. कार्तिकेयन	कार्यपालक निदेशक	10/03/2021	31/03/2025
5.	श्री सुब्रत कुमार	कार्यपालक निदेशक	02/11/2022	-
6.	श्री राजीव मिश्रा	कार्यपालक निदेशक	01/03/2024	-
7.	श्री मनोज मुट्टातिल अय्यप्पन	गैर-कार्यपालक, सरकार द्वारा नामित निदेशक	05/08/2024	-
8.	श्री अशोक नारायण	गैर-कार्यपालक, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	14/07/2023	-
9.	श्री विश्वनाथ वी. शेनॉय	गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक	29/11/2022	-

SAWANT & ASSOCIATES PRACTISING COMPANY SECRETARY

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para Clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members of Bank of India.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bank of India having its Head office at Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400051 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2025 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank / Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs / Ministry of Finance / Reserve Bank of India or any such statutory authority.

Sr. No.	Name of Director	Category	Date of Appointment	Date of Resignation/ Cessation
1	Mr. M. R. Kumar	Non-Executive - Independent Director, Chairperson	21/02/2024	-
2	Mr. Rajneesh Karnatak	Executive Director, CEO- MD	29/04/2023	-
3	Mr. P. R. Rajagopal	Executive Director	18/03/2020	-
4	Mr. M. Karthikeyan	Executive Director	10/03/2021	31/03/2025
5	Mr. Subrat Kumar	Executive Director	02/11/2022	-
6	Mr. Rajiv Mishra	Executive Director	01/03/2024	-
7	Mr. Manoj Muttathil Ayyappan	Non-Executive Government Nominee Director	05/08/2024	-
8	Mr. Ashok Narain	Non-Executive RBI - Nominee Director	14/07/2023	-
9	Mr. Vishwanath V Shenoy	Non-Executive - Independent Director	29/11/2022	-
10	Ms. Jamuna Ravi	Non-Executive Independent Director	04/12/2024	-

10.	सुश्री जमुना रवि	गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक	04/12/2024	-
11.	श्री भूषण कुमार सिन्हा	गैर-कार्यपालक, सरकार द्वारा नामित निदेशक	11/04/2022	05/08/2024
12.	सुश्री वेणी थापर	गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक,	04/12/2021	03/12/2024
13.	श्री मुनीश कुमार रल्हन	गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक,	21/03/2022	20/03/2025

Sr. No.	Name of Director	Category	Date of Appointment	Date of Resignation/ Cessation
11	Mr. Bhushan Kumar Sinha	Non-Executive, Government Nominee Director	11/04/2022	05/08/2024
12	Ms. Veni Thapar	Non-Executive - Independent Director	04/12/2021	03/12/2024
13	Mr. Munish Kumar Ralhan	Non-Executive - Independent Director	21/03/2022	20/03/2025

बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, बैंक के बोर्ड में निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

नियुक्ति की पात्रता को सुनिश्चित करना/ बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखना, बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर, विचार प्रकट करना है।

यूडीआईएन: A041210G000332820

कृते सावंत एंड एसोसिएट्स

प्रेक्टिस करने वाले कंपनी सचिव

प्राची प्रकाश सावंत

सदस्यता सं.: ए41210

सीओपी नं.: 16317

पीआर: 2615/2022

स्थान: मुंबई

दिनांक : 13/05/2025

The Bank, being a nationalised bank, is governed by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, and the Banking Regulation Act, 1949. The provisions of the Companies Act, 2013, do not apply to the Bank. Hence, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain a DIN.

Ensuring the eligibility for the appointment/continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

UDIN: A041210G000332820

For Sawant & Associates

Practising Company Secretary

Prachi Prakash Sawant

Membership No.: A41210

COP No.: 16317

PR: 2615/2022

Place: Mumbai

Date: 13/05/2025

फार्म संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और परिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के साथ पठित सेबी के परिपत्र संख्या आईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2009 दिनांक 08.02.2019 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ़ इंडिया
मुंबई

हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (इसके बाद इसे 'बैंक' कहा जाएगा) के द्वारा, लागू विधिक प्रावधानों तथा अच्छी कॉरपोरेट परिपाटी के अनुपालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार से की गई कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/विधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है। सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान बैंक ऑफ़ इंडिया के बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा बैंक के द्वारा रखे गए अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर भी,

हम एतद्-द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार से, बैंक ने, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया और इसके अतिरिक्त बैंक के पास उचित प्रक्रियाएं तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है- उक्त व्यवस्था उस सीमा तक तथा उस प्रकार की है जैसा कि यहाँ इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के द्वारा रखी गयी बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त बही, दायर विवरणी तथा फार्म एवं अन्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया है :

- (i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970;
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970;
- (iii) बैंककारी विनियमन, 1949 और बैंकिंग विनियमन (कंपनी) नियम, 1949 (समय-समय पर संशोधित);
- (iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1945 और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निदेश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश;
- (v) बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007;
- (vi) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (vii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996, और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (viii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-
 - ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;
 - बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
For The Financial Year Ended 31st March 2025.

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, read along with SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 DATED 08.02.2019]

To,

The Members of
Bank of India,
Mumbai.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance with applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of India** (hereinafter called the 'Bank'). A Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/ statutory compliances and expressing our opinion thereon. Based on our verification of the **Bank of India** books, papers, minute books, forms, and returns filed and other records maintained by the Bank, and also the information provided by the Bank officials during the conduct of the secretarial audit,

We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March 2025 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Processes and compliance- mechanisms in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed, and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2025, according to the provisions of:

- (i) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;
- (ii) The Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
- (iii) The Banking Regulation Act, 1949 & Banking Regulation (Companies) Rules, 1949 (as amended from time to time);
- (iv) The Reserve Bank of India Act, 1945, and Master Directions, Notifications and Guidelines, etc., issued by the RBI from time to time;
- (v) The Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007;
- (vi) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (vii) The Depositories Act, 1996, and the Regulations and Byelaws framed thereunder;
- (viii) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -
 - a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
 - b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

- सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- ई) सेबी (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियम, 2018
- एफ) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबंधी नियम एवं विनियम; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्णय और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- आई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्णय और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2021
- जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)
- के) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

हमने निम्नलिखित लागू उपबंधों के अनुपालन का भी अध्ययन किया है :-

- (i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
- (ii) बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण संबंधी करार। समीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है:-
 - विनियम 6 (1) सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई अनुपालन अधिकारी के रूप में अर्हता प्राप्त कंपनी सचिव नियुक्त करेगी, बशर्ते अनुपालन अधिकारी एक ऐसा अधिकारी होगा, जो सूचीबद्ध इकाई में पूर्णकालिक रोजगार में कार्यरत हो, तथा निदेशक मंडल के स्तर से एक स्तर से अधिक कम न हो और इसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया जाएगा। बैंक ने एक अर्हता प्राप्त कंपनी सचिव नियुक्त किया है और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया है, लेकिन निदेशक मंडल के स्तर से एक स्तर से अधिक कम न होने वाले अनुपालन अधिकारी के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।
 - विनियम 17(1) (बी) सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, जहां निदेशक मंडल का अध्यक्ष एक गैर-कार्यपालक निदेशक है, निदेशक मंडल के कम से कम एक-तिहाई में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे और जहां सूचीबद्ध इकाई में नियमित गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं है, निदेशक मंडल

- c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- d) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- e) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.
- f) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment, and External Commercial Borrowings; (Not Applicable during the year under review)
- g) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not Applicable during the year under review)
- h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (Not Applicable during the year under review).
- i) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.
- j) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not Applicable during the year under review)
- k) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not Applicable during the year under review)

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd (NSE). During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except following:-
 - As per Regulation 6 (1) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a listed entity shall appoint a qualified Company Secretary as the Compliance Officer, provided that the Compliance Officer shall be an officer, who is in whole time employment of the listed entity, not more than one level below the board of directors and shall be designated as a Key Managerial Personnel (KMP). The Bank has appointed a qualified Company Secretary and designated as KMP, but has not complied with the provision of a Compliance officer not more than one level below the board of directors.
 - As per Regulation 17(1) (b) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, where the chairperson of the board of directors is a non-executive director, at least one-third of the board of directors shall comprise of independent directors and where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, at least half of the board

के कम से कम आधे में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वतंत्र निदेशक (20 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त) श्री मुनीश कुमार रलहन की सेवानिवृत्ति के बाद 10 दिनों के लिए, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या 31 मार्च 2025 तक कम हो गई।

- विनियम 18 (1) (ए) (बी) सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई संदर्भ की शर्तों के अनुसार एक अर्हता प्राप्त और स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित के अधीन होगी:

(ए) लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे; और

(बी) लेखा परीक्षा के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। बैंक के पास दो तिहाई स्वतंत्र सदस्य नहीं हैं।

चार स्वतंत्र निदेशकों में से दो लेखापरीक्षा समिति के सदस्य हैं, एक प्रबंधन समिति का हिस्सा है, और दूसरा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष है और इस प्रकार लेखापरीक्षा समिति का हिस्सा नहीं हो सकता है। इसलिए, बैंक अधिनियम के विनियम 18 का अनुपालन नहीं कर रहा है।

- सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44(3) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई अपनी साधारण बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में मतदान परिणामों के संबंध में विवरण स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी। बैंक ने दिसंबर 2024 में इस विनियम के तहत प्रदान की गई अवधि के भीतर मतदान परिणाम प्रस्तुत करने के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक ऑफ़ इंडिया बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) के तहत गठित एक नया तदनु रूप बैंक है। बैंक के निदेशक मंडल की संरचना इस अधिनियम द्वारा शासित होती है।

वर्तमान में, बैंक में दो शेरधारक निदेशक हैं जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो गैर-शासकीय निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंक के निदेशक मंडल में बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई) और 9 (3) (एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो कर्मचारी निदेशक शामिल नहीं थे।

बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के अनुसार, बोर्ड में एक निदेशक होगा जो कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो, जिसे रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। यह पद 21/06/2019 से खाली है।

बैंक के निदेशक मंडल में बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो निदेशक शामिल नहीं थे।

बैंक अधिकारियों ने बोर्ड स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार

of directors shall comprise of independent directors. During the year 2024-25, for 10 days after the retirement of Mr. Munish Kumar Ralhan, Independent Director (retired on 20th March 2025), the number of Independent Directors reduced till 31st March 2025.

- Regulation 18(1)(a)(b) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Every listed entity shall constitute a qualified and independent audit committee in accordance with the terms of reference, subject to the following:

(a) The audit committee shall have a minimum of three directors as members; and

(b) At least Two-thirds of the members of the audit committee shall be independent directors. The Bank does not have two thirds of the members as independent.

Out of four Independent Directors, two are Members of the Audit Committee, one is part of the Management Committee, and the other is the Non-Executive Chairman and thus cannot be a part of the Audit Committee. Hence, the Bank is non-compliant with Regulation 18 of the Act.

- As per Regulation 44(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The listed entity shall submit to the stock exchange, within two working days of conclusion of its General Meeting, details regarding the voting results in the format specified by the Board, the Bank could not comply with the provisions of submission of voting results within the period provided under this Regulation in December 2024.

We further report that

Bank of India is a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act). Composition of the Board of Directors of the Bank is governed by this Act.

At present, Bank is having two shareholders' directors who are also classified as Independent Directors. Two Non-Official Directors appointed by Government of India are classified as Independent Directors.

The Board of Directors of the Bank was not comprised of two Employee Directors required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(e) and 9(3) (f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In terms of section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board shall have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. The post has been vacant since 21/06/2019.

The Board of Directors of the Bank did not comprise the two Directors required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The Bank officials have taken up with the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, for immediate filling up of various vacancies at the Board level and the Central

अन्य निदेशकों को नामित करने की प्रक्रिया में है। भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति होने पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

बोर्ड बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है। एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को लिया जाता है और कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे सूचित करते हैं कि नियमों, कानूनों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निगरानी रखने के लिए बैंक के आकार और परिचालनों के अनुरूप बैंक के पास उचित प्रणाली एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान:

1. बैंक ने 25 जून, 2024 को आयोजित वर्ष 2023-2024 की अपनी वार्षिक आम बैठक में अपेक्षित बहुमत के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:
 - ए) प्रति इक्विटी शेयर रु. 2.80 (28%) वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश घोषित किया।
 - बी) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी।
 - सी) निदेशकों की अवधि का विस्तार इस प्रकार है:
 - श्री पी.आर. राजगोपाल कार्यपालक निदेशक के रूप में
 - श्री एम. कार्तिकेयन कार्यपालक निदेशक के रूप में
 - डी) निदेशकों की नियुक्ति इस प्रकार है:
 - श्री अशोक नारायण गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में
 - श्री राजीव मिश्रा कार्यपालक निदेशक के रूप में
 - श्री एम.आर. कुमार अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ बैंक के गैर कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में
2. बैंक, बेसल III पूंजी विनियमों पर आरबीआई द्वारा जारी आरबीआई मास्टर परिपत्र -बेसल III पूंजी विनियम, आरबीआई/2024-25/डीओआर.सीएपी. आरईसी 4/21.06.201/2024-25 दिनांक 1 अप्रैल, 2024 के अनुपालन में निम्नानुसार गैर जमानती, अधीनस्थ, मोचनीय, कर योग्य, गैर परिवर्तनीय, सूचीबद्ध, प्रतिभूति रहित, पूर्ण रूप से भुगतान किए गए बेसल III अनुपालन वाले बॉण्ड आबंटित किए गए हैं:
 - 26 सितंबर 2024 को रु. 2500 करोड़ (केवल दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये) राशि के रु. 1 करोड़ के अंकित मूल्य वाले डिबेंचर की प्रकृति में 7.49% टियर II बॉण्ड श्रृंखला XVII बॉण्ड
 - 19 जुलाई 2024 को रु. 5000 करोड़ (केवल पांच हजार करोड़ रुपये) राशि के रु. 1 लाख के अंकित मूल्य वाले डिबेंचर की प्रकृति में 7.54% दीर्घकालिक इस्क्रा बॉण्ड श्रृंखला।
 - 29 नवंबर 2024 को रु. 5000 करोड़ (केवल पांच हजार करोड़ रुपये) राशि के रु. 1 लाख के अंकित मूल्य वाले डिबेंचर की प्रकृति

Government is in the process of nominating other Directors. The vacancies shall be filled in as and when the Directors are appointed by the Government of India.

Adequate notice is given to all the directors to schedule the Board Meetings. Agenda and detailed notes on the agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. The majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations, and guidelines.

We further report that during the audit period:

1. The Bank in its Annual General Meeting for the year 2023-2024 held on 25th June 2024 passed the following resolutions with the requisite majority:
 - a) Declared dividend for the year 2023-24@ Rs. 2.80 (28%) per equity share.
 - b) Approve the financial results of the Bank for the year ending 31st March 2024.
 - c) Extension of Term of Directors as follows:
 - Shri P.R. Rajagopal as Executive Director
 - Shri M. Karthikeyan as Executive Director of the Bank
 - d) Appointment of Directors as follows:
 - Shri Ashok Narain as Non-executive Nominee Director
 - Shri Rajiv Mishra as Executive Director
 - Shri M.R. Kumar as part-time non-official Director of the Bank as well as Non-Executive Chairman of the Bank.
2. The Bank, in compliance with RBI Master Circular – Basel III Capital Regulation RBI/2024-25/DOR.CAP.REC 4/21.06.201/2024-25 dated 1st April 2024 issued by Reserve Bank of India (RBI) on Basel III Capital Regulations, has allotted Unsecured, Subordinated, Redeemable, Taxable, Non-Convertible, Listed, Fully Paid up, Long Term Bonds, Basel III Compliant Bonds as follows:
 - 7.49% Tier II Bonds Series XVII in the nature of debentures of the face value of Rs. 1 Crore each, amounting to Rs. 2,500 Crore (Rupees Two Thousand Five Hundred Crores Only) on 26th September 2024.
 - 7.54% Long Term Infra Bonds Series I In the nature of Debenture of Face value of Rs. 1 Lakh each, amounting to Rs. 5000 Crore (Rupees Five Thousand Crore Only) on 19th July 2024.
 - 7.41% Long Term Infra Bonds Series II In the nature of Debenture of Face value of Rs. 1 Lakh each,

में 7.41% दीर्घकालिक इन्फ्रा बॉण्ड श्रृंखला II

- 18 फरवरी 2025 को रु. 2690 करोड़ (केवल दो हजार छह सौ नब्बे करोड़ रुपये) राशि के रु. 1 लाख के अंकित मूल्य वाले डिबेंचर की प्रकृति में 7.50% दीर्घकालिक इन्फ्रा बॉण्ड श्रृंखला III

3. बैंक के प्रबंधन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:-

नियुक्ति:

- श्री मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 05.08.2024 तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पद धारण करने के लिए एक गैर-कार्यपालक सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
- सुश्री जमुना रवि को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत शेयरधारकों द्वारा दिनांक 04.12.2024 को तत्काल प्रभाव से दिनांक 03.12.2027 तक पद धारण करने के लिए एक गैर-कार्यपालक महिला स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

समाप्ति:

- श्री भूषण कुमार सिन्हा दिनांक 05.08.2024 को गैर-कार्यपालक सरकारी नामित निदेशक के पद से कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गए।
- सुश्री वेनी थापर दिनांक 03.12.2024 को गैर-कार्यपालक शेयरधारकों के स्वतंत्र निदेशक के पद से कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गए।
- श्री मुनीश कुमार रल्लहन दिनांक 20.03.2025 को गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के पद से कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गए।
- श्री एम. कार्तिकेयन दिनांक 31.03.2025 को कार्यपालक निदेशक के पद से कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गए।

यूडीआईएन: A041210G000403891

कृते सावंत एण्ड एसोशिएट्स
प्रेक्टिस करने वाले कंपनी सेक्रेटरी

प्राची प्रकाश सावंत

सदस्यता सं. A41210

सीओपी सं.: 16317

पीआर: 2615/2022

स्थान : मुंबई

दिनांक: 22/05/2025

amounting to Rs. 5000 Crore (Rupees Five Thousand Crore Only) on 29th November 2024.

- 7.50% Long Term Infra Bonds Series III In the nature of Debenture of Face value of Rs. 1 Lakh each, amounting to Rs. 2690 Crore (Rupees Two Thousand Six Hundred Ninety Crore Only) on 18th February 2025.

3. Following Changes Took place in the management of the Bank:-

Appointments:

- Mr. Manoj Muttathil Ayyappan was appointed as a Non-Executive Government Nominee Director w.e.f. 05.08.2024 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.
- Ms. Jamuna Ravi was appointed as a Non-Executive Woman Independent Director w.e.f. 04.12.2024 by the Shareholders u/s 9 (3)(i) of The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings. Act, 1970, to hold the post upto 03.12.2027.

Cessations:

- Mr. Bhushan Kumar Sinha ceased as Non-Executive Government Nominee Director w.e.f. 05.08.2024, retirement by way of completion of tenure.
- Ms. Veni Thapar ceased as Non-Executive Shareholders' Independent Director w.e.f. 03.12.2024, retirement by way of completion of tenure.
- Mr. Munish Kumar Ralhan ceased as Non-Executive Independent Director w.e.f. 20.03.2025, retirement by way of completion of tenure.
- Mr. M. Karthikeyan ceased as Executive Director w.e.f. 31.03.2025 upon attaining the age of superannuation.

UDIN: A041210G000403891

For Sawant & Associates
Practicing Company Secretary

Prachi Prakash Sawant
Membership No.: A41210
COP No.: 16317
PR: 2615/2022

Place: Mumbai

Date: 22/05/2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

Annexure-I to the Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31st March 2025

सेवा में,

सदस्यगण, बैंक ऑफ इंडिया,

सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के लिए लागू सभी नियमों, कानूनों, विनियमनों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से परीक्षण जांच आधार पर रिकॉर्ड्स और कार्यप्रणाली के सत्यापन तक सीमित थी।
2. सचिवीय तथा अन्य लागू नियमों के रिकॉर्ड्स का रख-रखाव बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरणों सहित रखे गए तथा प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड्स की लेखा-परीक्षा पर आधारित, सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है।
3. हमने उन लेखा कार्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में तर्कसंगत, आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड्स में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, परीक्षण जांच आधार पर सत्यापन किया गया है। सचिवीय तथा हमें प्रस्तुत अन्य रिकॉर्ड्स में सही तथ्य दर्शाए गए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण जांच आधार पर सत्यापन किया गया है। हमें विश्वास है कि सचिवीय रिपोर्ट जारी करने के लिए, हमारे द्वारा पालन की गई प्रक्रियाएँ एवं प्रणालियाँ हमारी राय हेतु तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती है।
4. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहाँ भी अपेक्षित था, हमने विधि, नियम एवं विनियमों के अनुपालन तथा लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान घटित घटनाओं के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

यूडीआईएन: A041210G000403891

कृते सावंत एण्ड एसोशिएट्स
प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सेक्रेटरी

प्राची प्रकाश सावंत

सदस्यता सं. A41210

सीओपी सं.: 16317

पीआर: 2615/2022

स्थान : मुंबई

दिनांक: 22/05/2025

नोट: हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के साथ दस्तावेजों, अभिलेखों और जानकारी के आधार पर वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा की गई थी।

To,

The Members of Bank of India,

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Bank of India (The Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. Our Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit report.
2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to issue a Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Bank, along with the explanations where so required.
3. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on a test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the process and practices we followed, provides reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of the Financial Records and Books of Accounts of the Bank.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules, and regulations and the happening of events during the Audit period.

UDIN: A041210G000403891

For Sawant & Associates
Practicing Company Secretaries

Prachi Prakash Sawant
Membership No.: A41210
COP No.: 16317
PR: 2615/2022

Place: Mumbai

Date: 22/05/2025

Note: Annual Secretarial audit was conducted based on the documents, records and information along with explanations provided through hybrid mode.

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

CEO / CFO CERTIFICATION

प्रति,
निदेशक मंडल,
बैंक ऑफ़ इंडिया,
मुंबई

सं. : सेबी (एलओडीआर) विनियमन-2015 के विनियम 17(8) तथा अनुसूची II
भाग बी के अंतर्गत प्रमाणपत्र

एतद्-द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि :

- (ए) हमने संबंधित वर्ष (2024-25) के वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :
- इन विवरणों में तथ्यपूर्ण रूप से कोई गलत कथन नहीं है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रमक हों।
 - ये सभी विवरण कुल मिलाकर बैंक की गतिविधियों की सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।
- (बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ीपूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।
- (सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियम की स्थापना एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा-परीक्षक और लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष किया गया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।
- (डी) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है :
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में किया गया है; तथा
 - ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो तथा जिसमें प्रबंधन अथवा कोई कर्मचारी शामिल हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

कृते बैंक ऑफ़ इंडिया

(बी कुमार)

महाप्रबंधक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 09.05.2025

(रजनीश कर्नाटक)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(रजनीश कर्नाटक)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 09.05.2025

To
The Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai.

Re : Certificate Under Regulation 17(8) & Schedule II Part B
of SEBI (LODR) Regulations, 2015

This is to certify that

- We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2024-25) and that to the best of our knowledge and belief
 - these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading
 - these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the auditors and the Audit Committee –
 - significant changes in internal control over financial reporting during the year
 - significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

(B Kumar)

General Manager &
Chief Financial Officer

Place: Mumbai

Date: 09.05.2025

(Rajneesh Karnatak)

Managing Director &
Chief Executive Officer

(Rajneesh Karnatak)

Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Mumbai

Date: 09.05.2025

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है, जिसका पाठ बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों एवं कोर प्रबंधन ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

DECLARATION BY CEO

Bank has laid down a Code of Conduct for all the Directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management has affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2025.

हमारे बैंक में सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) को अपनाना और कार्यान्वित करना

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, अन्य वित्तीय संस्थाओं और स्वायत्त निकायों आदि द्वारा सभी प्रमुख खरीदों के संबंध में स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) के आवश्यक अवयवों को रेखांकित करते हुए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।

हमारे बैंक ने सीवीसी के अनुमोदन से 28.08.2018 से नियुक्त आईईएम के माध्यम से हमारे बैंक में आईपी का कार्यान्वयन शुरू किया। हमारे बैंक की वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद (अनुमानित मूल्य रु. 1.0 करोड़ और उससे अधिक) की आईईएम द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की गई है। हमारे बैंक के लिए वर्तमान आईईएम (28.08.2024 से) निम्नानुसार हैं:

	आईईएम-1	आईईएम-2
नाम	डॉ. राजेंद्र कुमार तिवारी (सेवानिवृत्त आईएस)	लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडुरी
पता	हाउस नं.-बी-58, सेक्टर-105 नोएडा जिला-गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201304	हाउस नं. ए-5/8 तीसरा तल, डीएलएफ़ वेली, पिंजोर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स सेक्टर-3 पंचकुला, हरियाणा-134107
संपर्क ब्यौरे	ईमेल : rajendratiwari@rediffmail.com	ईमेल : navkkhanduri@yahoo.co.in

Adoption and Implementation of Integrity Pact (IP) in our Bank

Central Vigilance Commission has prepared the Standard Operative Procedure (SOP) outlining the essential ingredients of Integrity Pact (IP) for implementation of the same through Independent External Monitors (IEMs) in respect of all major procurements by the Govt. organizations, Public Sector Enterprises, Public Sector Banks, Insurance Companies, Other Financial Institutions and Autonomous bodies etc.

Our Bank started implementation of IP in our Bank through IEMs appointed w.e.f 28.08.2018 with the approval of CVC. Our Bank's all procurement of goods and services (estimated value Rs. 1.0 Crore and above) have been reviewed by the IEMs on quarterly basis. Present IEMs for our Bank (w.e.f 28.08.2024) are as under:

	IEM-1	IEM-2
Name	Dr. Rajendra Kumar Tiwari (Retd. IAS)	Lt. Gen. Nav K Khanduri
Address	House No. —B-58, Sector-105 Noida Distt-Gautam Budhha Nagar, Uttar Pradesh-201304	House No. A-5/8 3rd Floor, DLF Valley, Pinjore Kalka Urban Complex Sector-3 Panchkula Haryana-134107
Contact details	Email : rajendratiwari@rediffmail.com	Email : navkkhanduri@yahoo.co.in



बैंक ऑफ़ इंडिया

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2025

एवं

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

BANK OF INDIA

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2025

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2025

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2025

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2025

(000 छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
I. पूंजी और देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	45,534,070	45,534,070
आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves and Surplus	2	740,480,346	643,272,643
जमा राशियां	Deposits	3	8,165,414,874	7,379,202,058
उधार	Borrowings	4	1,238,564,269	809,240,678
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	235,825,907	248,729,799
कुल	TOTAL		10,425,819,466	9,125,979,248
II. आस्तियां	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	517,304,253	385,562,687
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	485,504,826	443,808,637
निवेश	Investments	8	2,591,118,048	2,271,444,677
अग्रिम	Advances	9	6,496,570,414	5,631,446,654
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	119,387,144	102,264,640
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	215,934,781	291,451,953
कुल	TOTAL		10,425,819,466	9,125,979,248
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	6,436,494,068	4,475,915,977
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		279,973,822	285,527,054
विशेष लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

तुलनपत्र बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

बी कुमार	राजेश एस इंगले	राजीव मिश्रा	सुब्रत कुमार	पी आर राजगोपाल	रजनीश कर्नाटक	एम.आर. कुमार
B Kumar	Rajesh S Ingle	Rajiv Mishra	Subrat Kumar	P. R. Rajagopal	Rajneesh Karnataka	M.R. Kumar
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष
General Manager & Chief Financial Officer	Chief General Manager	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO	Chairman

निदेशकगण DIRECTORS

मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन	अशोक नारायण	वी वी शेनॉय	जमुना रवि
Manoj Muttathil Ayyappan	Ashok Narain	V V Shenoy	Jamuna Ravi

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एस. जयकिशन For S. Jaykishan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	कृते सारदा और पारीक एलएलपी For SARDA & PAREEK LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 109262W/W100673) (FRN: 109262W/W100673)
नेमाई गोरई Nemai Gorai भागीदार Partner एम.नं. M. No. 057892	विवेक गुप्ता Vivek Gupta भागीदार Partner एम.नं. M. No. 400543	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	गिरिराज सोनी Giriraj Soni भागीदार Partner एम.नं. M. No. 109738

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai

दिनांक : 9 मई, 2025 / Date : May 9, 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(000 छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2025	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2024
			₹	₹
I. आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	708,262,982	607,094,904
अन्य आय	Other income	14	89,936,226	60,948,538
कुल	TOTAL		798,199,208	668,043,442
II. व्यय	EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	464,323,503	376,565,746
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	169,754,609	150,791,633
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		71,930,897	77,506,897
कुल	TOTAL		706,009,009	604,864,276
III. लाभ/(हानि)	PROFIT/(LOSS)			
वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the year		92,190,199	63,179,166
जोड़े : आगे लाया गया लाभ/(हानि)	Add: Profit/(Loss) brought forward		72,781,447	36,626,670
कुल	TOTAL		164,971,646	99,805,836
IV. विनियोग	APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		23,050,000	15,800,000
निवेश घट-बढ़ आरक्षित को अंतरण	Transfer to Investment Fluctuation Reserve		-	2,063,554
निवेश आरक्षित खाते में अंतरण	Transfer to Investment Reserve Account		-	257,803
राजस्व आरक्षित को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		-	-
पूंजी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		2,130,200	695,900.00
राजस्व एवं अन्य आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		-	-
लाभांश का भुगतान	Dividend paid		12,747,470	8,207,132
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित में अंतरण	Transfer to Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		-	-
लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss Account		127,043,976	72,781,447
कुल	TOTAL		164,971,646	99,805,836
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	Significant accounting policies	17		
लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		
प्रति शेयर अर्जन (मूलभूत एवं तनुकृत) ₹	Earnings Per Share (Basic and Diluted) ₹		20.25	14.90

ऊपर बताई गई अनुसूचियाँ लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

बी कुमार B Kumar महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager & Chief Financial Officer	राजेश एस इंगले Rajesh S Ingale मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	राजीव मिश्रा Rajiv Mishra कार्यपालक निदेशक Executive Director	सुब्रत कुमार Subrat Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	पी आर राजगोपाल P. R. Rajagopal कार्यपालक निदेशक Executive Director	रजनीश कर्नाटक Rajneesh Karnatak प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	एम.आर. कुमार M.R. Kumar अध्यक्ष Chairman

निदेशकगण DIRECTORS			
मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन Manoj Muttathil Ayyappan	अशोक नारायण Ashok Narain	वी वी शेनॉय V V Shenoy	जमुना रवि Jamuna Ravi

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एस. जयकिशन For S. Jaykishan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	कृते सारदा और पारीक एलएलपी For SARDA & PAREEK LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 109262W/W100673) (FRN: 109262W/W100673)
नेमाइ गोर्राई Nemai Gorai भागीदार Partner एम.नं. M. No. 057892	विवेक गुप्ता Vivek Gupta भागीदार Partner एम.नं. M. No. 400543	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	गिरिराज सोनी Giriraj Soni भागीदार Partner एम.नं. M. No. 109738

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai

दिनांक : 9 मई, 2025 / Date : May 9, 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2025

(000 छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2025	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2024
क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	A. Cash Flow from Operating Activities:		
करपूर्व निवल लाभ	Net Profit before taxes	124,344,442	100,990,706
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेश पर परिशोधन/मूल्यहास	Amortisation/Depreciation on Investments	(2,960,644)	2,256,935
निवेशों के (निष्पादन कर रहे निवेशों पर मूल्यहास सहित) पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि)	(Profit)/Loss on Revaluation of investments (including depreciation on performing investments)	(1,593,278)	853,983
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on Fixed Assets	5,940,916	4,985,907
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(Profit)/Loss on sale of Fixed Asset	(2,030,017)	(284,569)
एनपीए के लिए प्रावधान	Provision for NPAs	45,927,180	41,094,906
निवेश मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	(3,870,612)	(4,060,333)
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other items	541,030	1,939,446
एटी 1 एवं टियर II बॉण्ड पर ब्याज (पृथक माना गया)	Interest on AT 1 & Tier II Bonds (treated separately)	13,024,745	7,941,056
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Subsidiaries/Joint Ventures/Associates	(360,826)	(154,276)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
जमा राशियों में वृद्धि /(कमी)	Increase /(Decrease) in Deposits	786,212,816	683,344,345
उधार में वृद्धि /(कमी)	Increase /(Decrease) in Borrowings	404,323,591	154,450,446
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(8,981,290)	30,209,476
निवेश में (वृद्धि)/कमी	(Increase) / Decrease in Investments	(310,834,360)	(219,149,254)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(Increase) / Decrease in Advances	(911,050,940)	(813,545,208)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(Increase) / Decrease in Other Assets	44,581,473	(32,870,735)
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी	Direct Taxes (Paid)/Refund	(796,114)	12,664,140
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)	Net Cash Flow from Operating Activities (A)	182,418,113	(29,333,029)
ख. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह:	B. Cash Flow from Investing Activities:		
अचल सम्पत्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(6,969,448)	(8,302,669)
अचल सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Fixed Assets	415,528	173,442
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में (अतिरिक्त) निवेश/ बिक्री/ मोचन (निवल)	Sale / Redemption / (Additional) investment in Subsidiaries/Jt Ventures/Associates (Net)	(2,015,049)	(10,927,270)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Subsidiaries, Joint Venture & Associates	360,827	154,276
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(8,208,142)	(18,902,221)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash Flow from Financing Activities:		
शेयर पूंजी	Share Capital	-	4,491,018
शेयर प्रीमियम	Share Premium	-	40,310,559
टियर II पूंजी बॉण्ड (निवल) का निर्गम / (मोचन)	Issue/(redemption) of Tier II Capital bonds (Net)	25,000,000	5,000,000
लाभांश (अंतरिम और अंतिम) का भुगतान	Dividend (Interim & Final) paid	(12,747,470)	(8,207,132)
एटी 1, टियर II बॉण्ड पर ब्याज	Interest on AT 1 & Tier II Bonds	(13,024,745)	(7,941,056)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	Net Cash Flow from Financing Activities (C)	(772,215)	33,653,389
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	173,437,756	(14,581,861)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2025

(000 छोड़े गए हैं 000's Omitted)

विवरण	Particulars	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2025	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2024
वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	829,371,324	843,953,185
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	1,002,809,079	829,371,324
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य का समाधान	Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	517,304,253	385,562,687
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	485,504,826	443,808,637
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the end of the period	1,002,809,079	829,371,324

नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमा राशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि जिसे तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके, शामिल हैं।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

बी कुमार B Kumar महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager & Chief Financial Officer	राजेश एस इंगले Rajesh S Ingle मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	राजीव मिश्रा Rajiv Mishra कार्यपालक निदेशक Executive Director	सुब्रत कुमार Subrat Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	पी आर राजगोपाल P. R. Rajagopal कार्यपालक निदेशक Executive Director	रजनीश कर्नाटक Rajneesh Karnatak प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	एम.आर. कुमार M.R. Kumar अध्यक्ष Chairman

निदेशकगण DIRECTORS

मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन
Manoj Muttathil Ayyappan

अशोक नारायण
Ashok Narain

वी वी शेनॉय
V V Shenoy

जमुना रवि
Jamuna Ravi

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एस. जयकिशन For S.Jaykishan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	कृते सारदा और पारीक एलएलपी For SARDA & PAREEK LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 109262W/W100673) (FRN: 109262W/W100673)
नेमाइ गोरई Nemai Gorai भागीदार Partner एम.नं. M. No. 057892	विवेक गुप्ता Vivek Gupta भागीदार Partner एम.नं. M. No. 400543	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	गिरिराज सोनी Giriraj Soni भागीदार Partner एम.नं. M. No. 109738

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai

दिनांक : 9 मई, 2025 / Date : May 9, 2025

तुलनपत्र की अनुसूची SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	SCHEDULE - 1 : CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी	AUTHORISED CAPITAL		
प्रत्येक ₹ 10 के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष के अंत में 600,00,00,000)	600,00,00,000 (Previous year ended 600,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each	60,000,000	60,000,000
जारी पूँजी	ISSUED CAPITAL		
प्रत्येक ₹ 10 के 455,38,44,966 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 455,38,44,966)	Equity Shares 455,38,44,966 (Previous year 455,38,44,966) of ₹10 each	45,538,450	45,538,450
कुल	TOTAL	45,538,450	45,538,450
अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी	SUBSCRIBED & PAID-UP CAPITAL		
प्रत्येक ₹ 10 के 455,26,67,866 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 455,26,67,866)	455,26,67,866 Equity Shares (Previous year 455,26,67,866) of ₹10 each	45,526,679	45,526,679
जोड़ें: जल्ल शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल *	TOTAL *	45,534,070	45,534,070
* उपर्युक्त में से प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त 334,08,61,720 शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 334,08,61,720) जिनकी कीमत ₹ 3,34,08,617 (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 3,34,08,617) है, भारत सरकार द्वारा धारित हैं।	* Of the above, 334,08,61,720 Equity Shares (Previous year ended 334,08,61,720) of ₹ 10 each fully paid up amounting to ₹ 3,34,08,617 (Previous year ended ₹ 3,34,08,617) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	I. Statutory Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	110,658,842	94,858,842
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	23,050,000	15,800,000
कुल (I)	TOTAL (I)	133,708,842	110,658,842
II. पूँजी आरक्षितियां :	II. Capital Reserves:		
क) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	68,187,030	68,960,298
जोड़ें : परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़	Add: Addition during the year on Revaluation of Premises	15,802,420	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the year	(197,238)	(84,156)
घटाएँ : राजस्व आरक्षिति को अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Less: Depreciation on revalued Fixed Assets transferred to Revenue reserve	1,520,174	857,424
(क) का कुल	Total of (A)	82,666,513	68,187,030
ख) अन्य	B) Others:		
i पूँजी आरक्षिति (अनुपंगी/सहायक/स.यु.का विक्रय)	i Capital Reserve (Sale of Investment in Subsidiary/ Associate/Joint Venture)		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-	-
वर्ष के दौरान जोड़े गए	Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान घटाएँ गए	Deductions during the year	-	-
(i) का उप-कुल	Sub-total of (i)	-	-
ii. निवेश को विक्री पर लाभ - "परिपक्वता तक धारित"	ii. Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	34,216,579	33,520,679
अवधि के दौरान संवर्धन	Additions during the period	2,130,200	695,900
(ii) का उप-कुल	Sub-total of (ii)	36,346,779	34,216,579
iii. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	iii. Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	22,854,918	23,608,337
जोड़ें/(घटाएँ) : अवधि के दौरान संवर्धन/समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Additions / adjustments during the year (Net)	2,710,438	(753,419)
(iii) का उप-कुल	Sub-total of (iii)	25,565,356	22,854,918

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
iv. पूँजी आरक्षिति (एफएस के अंतर्गत इक्विटी का विक्रय) प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान जोड़े गए वर्ष के दौरान घटाए गए (iv) का उप-कुल (ख) का कुल कुल (II)	iv. Capital Reserve (Sale of equity under AFS) Opening Balance Additions during the year Deductions during the year Sub-total of (iv) Total of (B) TOTAL (II)	- - - - - 61,912,135 144,578,648	- - - - - 57,071,497 125,258,527
अनुसूची - 2 : आरक्षितियाँ एवं अधिशेष (जारी)	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)		
III. शेयर प्रीमियम : प्रारंभिक शेष जोड़े: वर्ष के दौरान संवर्धित घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ / (उपयोग) कुल (III)	III. Share Premium : Opening Balance Add : Additions during the year Less : Deductions/ Utilization during the year TOTAL (III)	202,855,883 - - 202,855,883	162,545,324 40,508,982 198,423 202,855,883
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ : i) राजस्व आरक्षिति : प्रारंभिक शेष जोड़े: अवधि के दौरान संवर्धन घटाएँ: अवधि के दौरान कटौतियाँ IV(i) का उप-कुल ii) निवेश आरक्षिति खाता प्रारंभिक शेष जोड़े: वर्ष के दौरान संवर्धन घटाएँ: राजस्व आरक्षिति निधि में अंतरण IV (ii) का उप-कुल iii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति प्रारंभिक शेष जोड़े: वर्ष के दौरान संवर्धन घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ IV (iii) का उप-कुल iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति प्रारंभिक शेष जोड़े: वर्ष के दौरान संवर्धन IV (iv) का उप-कुल कुल (IV) v) एफएस आरक्षिति : प्रारंभिक शेष जोड़े: वर्ष के दौरान संवर्धित घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ कुल (V) V. लाभ-हानि खाते में शेष : कुल (I से V)	IV. Revenue and Other Reserves : i) Revenue Reserve : Opening Balance Add: Additions during the period Less: Deductions during the period Sub-total of IV(i) ii) Investment Reserve Account : Opening Balance Add: Additions during the year Less: Transfer to Revenue Reserve Sub-total of IV(ii) iii) Investment Fluctuation Reserve : Opening Balance Add: Additions during the year Less: Deductions during the year Sub-total of IV(iii) iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 Opening Balance Add: Additions during the year Sub-total of IV(iv) TOTAL (IV) v) AFS Reserve : Opening Balance Add: Additions during the year Less: Deductions during the year TOTAL (V) V. Balance in Profit and Loss Account : TOTAL (I TO V)	88,598,555 2,370,630 - 90,969,185 4,065,618 - 4,065,618 - 12,853,771 - - 12,853,771 26,200,000 - 26,200,000 130,022,956 - 2,270,041 - - 127,043,976 740,480,346	87,744,906 853,649 - 88,598,555 3,807,815 257,803 - 4,065,618 10,790,217 2,063,554 - 12,853,771 26,200,000 - 26,200,000 131,717,944 - - - 72,781,447 643,272,643

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
अनुसूची - 3 : जमा राशियां	SCHEDULE - 3 : DEPOSITS		
क. I. मांग जमा राशियां :	A. I. Demand Deposits :		
i) बैंकों से	i) From Banks	5,484,792	6,980,450
ii) अन्यो से	ii) From Others	383,555,624	362,346,157
कुल (I)	TOTAL (I)	389,040,416	369,326,607
II. वचत बैंक जमा राशियां	II. Savings Bank Deposits	2,455,615,000	2,374,040,532
III. मीयादी जमा राशियां :	III. Term Deposits :		
i) बैंकों से	i) From Banks	488,560,194	461,506,285
ii) अन्यो से	ii) From Others	4,832,199,264	4,174,328,634
कुल (III)	TOTAL (III)	5,320,759,458	4,635,834,919
कुल क (I, II, III)	TOTAL A (I, II, III)	8,165,414,874	7,379,202,058
ख. i) भारत में शाखाओं की जमा राशियां	B. i) Deposits of branches in India	7,002,979,918	6,297,171,298
ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमा राशियां	ii) Deposits of branches outside India	1,162,434,956	1,082,030,760
कुल (ख)	TOTAL (B)	8,165,414,874	7,379,202,058
अनुसूची - 4 : उधार	SCHEDULE - 4 : BORROWINGS		
I. भारत में उधार:	I. Borrowings in India:		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	300,000,000	145,000,000
ii. अन्य बैंक	ii. Other Banks		
क. टियर I पूँजी बॉण्ड	a. Tier I Capital Bonds	7,490,000	7,740,000
ख. टियर II पूँजी बॉण्ड	b. Tier II Capital Bonds	9,090,000	6,340,000
ग. अन्य	c. Others	24,008,797	-
कुल (ii)	Total (ii)	40,588,797	14,080,000
III) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	III) Other Institutions and Agencies		
क. टियर I पूँजी बॉण्ड	a. Tier I Capital Bonds	21,030,000	20,780,000
ख. टियर II पूँजी बॉण्ड	b. Tier II Capital Bonds	83,910,000	61,660,000
ग. अन्य	c. Others	553,598,552	487,232,170
कुल (iii)	Total (iii)	658,538,552	569,672,170
कुल (I)	Total (I)	999,127,349	728,752,170
II. भारत के बाहर उधार	II. Borrowings outside India		
क. टियर I पूँजी बॉण्ड	a. Tier I Capital Bonds	-	-
ख. टियर II पूँजी बॉण्ड	b. Tier II Capital Bonds	-	-
ग. अन्य	c. Others	239,436,920	80,488,508
कुल (II)	Total (II)	239,436,920	80,488,508
कुल (I, II)	Total (I, II)	1,238,564,269	809,240,678
उपर्युक्त I & II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	Secured borrowings included in I & II above	730,498,552	213,870,541
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल	I. Bills Payable	16,076,630	16,576,093
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	2,964,920	-
III. उपचित ब्याज	III. Interest accrued	36,435,935	31,806,765
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax Liabilities	-	-
V. अन्य (प्रावधान सहित)*	V. Others (Including Provisions)*	180,348,422	200,346,941
कुल	TOTAL	235,825,907	248,729,799
*मानक आस्तियों के लिए प्रावधान ₹ 44,742,848 (पिछले वर्ष ₹ 48,976,713) शामिल	* Includes provision for Standard Assets ₹ 44,742,848 (Previous Year ₹ 48,976,713)		

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशि	SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)	I. Cash in hand (including foreign currency notes)	17,514,475	21,270,221
II. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास शेषराशि :*	II. Balances with Reserve Bank of India : *		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	398,611,207	364,216,414
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	101,178,571	76,052
कुल (II)	TOTAL (II)	499,789,778	364,292,466
कुल (I, II)	TOTAL (I, II)	517,304,253	385,562,687
*भारत के बाहर के केंद्रीय बैंकों के पास शेष राशि को मिलाकर	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में :	I. In India :		
i) बैंकों में शेषराशि	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	453,221	290,740
ख) अन्य जमा राशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	17,095,000	24,104,045
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	7,151,000	1,020,300
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	-	-
कुल (i & ii)	TOTAL (i & ii)	24,699,221	25,415,085
II. भारत के बाहर :	II. Outside India :		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	10,804,245	6,131,102
ii) अन्य जमा राशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	229,877,390	247,209,947
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	iii) Money at call and short notice	220,123,970	165,052,503
कुल (i, ii & iii)	TOTAL (i, ii & iii)	460,805,605	418,393,552
कुल (I & II)	TOTAL (I & II)	485,504,826	443,808,637
अनुसूची - 8 : निवेश	SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश :	I. Investments in India :		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	2,226,982,408	1,999,990,694
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	-	-
iii) शेयर	iii) Shares	15,682,840	7,157,950
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	iv) Debentures and Bonds	151,705,700	110,726,870
v) अनुषंगिया और/अथवा संयुक्त उद्यम (सहायक कंपनियाँ सहित)	v) Subsidiaries and/or Joint ventures (including Associates)	16,193,802	14,536,931
vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज़, म्यूचुअल फंड के यूनिट, पास थ्रू सर्टिफिकेट, प्रतिभूति रसीदें, उद्यम निधि, स्वर्ण इत्यादि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund, Gold etc.)	39,607,537	26,461,809
कुल (I)	TOTAL (I)	2,450,172,287	2,158,874,254
सकल	Gross	2,445,615,372	2,199,703,730
जोड़/(घटाना): मूल्यवृद्धि/मूल्यहास और परिशोधन	Add/(Less): Appreciation/Depreciation and Amortisation	4,556,915	(40,829,476)
निवल	Net	2,450,172,287	2,158,874,254

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
II. भारत के बाहर निवेश:	II. Investments outside India :		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	102,145,390	75,768,923
ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों में	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	23,460,525	22,965,905
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बॉण्ड आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	15,339,846	13,835,595
कुल (II)	TOTAL (II)	140,945,761	112,570,423
सकल	Gross	141,063,383	116,308,983
जोड़/(घटाना): मूल्यवृद्धि/मूल्यहास और परिशोधन	Add/(Less): Appreciation/Depreciation and Amortisation	(117,622)	(3,738,560)
निवल	Net	140,945,761	112,570,423
कुल (I & II)	TOTAL (I & II)	2,591,118,048	2,271,444,677
अनुसूची - 9 : अग्रिम	SCHEDULE - 9 : ADVANCES		
क. i) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	437,310,953	429,032,826
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	2,554,898,307	2,123,189,127
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	3,504,361,154	3,079,224,701
कुल (क)	TOTAL (A)	6,496,570,414	5,631,446,654
ख. अग्रिमों का विवरण :	B. Particulars of Advances :		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के निमित्त अग्रिमों सहित)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	4,660,159,039	3,943,203,635
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	379,880,735	552,871,419
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	1,456,530,640	1,135,371,600
कुल (ख)	TOTAL (B)	6,496,570,414	5,631,446,654
ग. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	C. Sectoral Classification of Advances :		
I. भारत में अग्रिम	I. Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,995,708,036	1,689,173,691
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	1,257,428,680	1,302,094,408
iii) बैंक	iii) Banks	146,583,097	142,231,724
iv) अन्य	iv) Others	2,074,957,783	1,568,562,170
कुल (ग-I)	Total (C-I)	5,474,677,596	4,702,061,993
II. भारत के बाहर अग्रिम :	II. Advances outside India :		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	367,870,788	380,731,883
II) अन्य से देय	II) Due from others		
क) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	74,242,311	102,826,124
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	408,806,675	237,577,531
ग) अन्य	c) Others	170,973,044	208,249,123
कुल (ग-II)	TOTAL (C-II)	1,021,892,818	929,384,661
कुल (ग - I, ग - II)	TOTAL (C - I, C - II)	6,496,570,414	5,631,446,654
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS		
I. परिसर :	I. PREMISES :		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance, at cost	21,328,479	21,115,362
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	Additions / Adjustments during the year	274,884	213,117
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the year	707	-
उप-कुल	Sub-total	21,602,656	21,328,479
जोड़: पुनर्मूल्यांकन के कारण अब तक संवर्धन	Add: Additions to date on account of revaluation	83,268,793	70,241,372
घटाएं: इस तारीख को मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	5,905,690	6,982,477
कुल (I)	TOTAL (I)	98,965,759	84,587,374

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
II. अन्य अचल आस्तियां : (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित) लागत पर आरंभिक शेष वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन उप-कुल घटाएं: तिथि पर मूल्यहास कुल (II)	II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures) Opening Balance at cost Additions / Adjustments during the year Less: Deductions / Adjustments during the year Sub-total Less: Depreciation to date TOTAL (II)	54,621,068 7,185,284 414,821 61,391,531 42,758,063 18,633,468	47,786,619 7,007,891 173,442 54,621,068 38,420,304 16,200,764
III. निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य कुल (I, II से III)	III. CAPITAL WORK IN PROGRESS TOTAL (I, II to III)	1,787,917 119,387,144	1,476,502 102,264,640
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS		
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निबल)	I. Inter-office adjustments (net)	0.00	37,718,785
II. उपचित व्याज	II. Interest accrued	64,113,656	55,500,099
III. अग्रिम में अदा किया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर	III. Tax paid in advance/tax deducted at source	40,169,245	55,342,554
IV. लेखन सामग्री एवं स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	158,959	131,912
V. आस्थगित कर आस्तियां (निबल)	V. Deferred Tax Assets (Net)	13,035,844	28,798,233
VI. अन्य*	VI. Others*	98,457,077	113,960,370
कुल	TOTAL	215,934,781	291,451,953
* इसमें नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के पास ₹ 24,301,210 की राशि की जमा राशि (पिछले वर्ष ₹ 43,265,948) शामिल है	* Includes Deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB amounting to ₹ 24,301,210 (Previous Year ₹ 43,265,948)		
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	39,241,584	41,231,772
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	II. Liability for partly paid Investments	524,446	886,789
III. अतिदेय वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	5,880,695,554	3,915,070,219
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
क. भारत में	a. In India	264,134,763	246,954,054
ख. भारत के बाहर	b. Outside India	27,747,972	35,523,950
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं	V. Acceptances, endorsements and other obligations	174,305,732	196,832,952
VI. उपरोक्त III में सूचीबद्ध के अलावा डेरिवेटिव संविदाएं	VI. Derivative contracts other than listed at III above	9,138,000	5,900,000
VII. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	40,706,017	33,516,241
कुल	TOTAL	6,436,494,068	4,475,915,977

लाभ एवं हानि खाता की अनुसूची
SCHEDULES TO THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2025 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2024 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित व्याज	SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर व्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	500,449,392	428,810,103
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	172,050,348	141,226,796
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि पर व्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियां	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	31,952,901	28,908,924
IV. अन्य	IV. Others	3,810,341	8,149,081
कुल	TOTAL	708,262,982	607,094,904
अनुसूची - 14 : अन्य आय	SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज	I. Commission, exchange and brokerage	31-03-2025 31-03-2024 19,945,794	17,496,075
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	II. Profit on sale of Investments Less : Loss on sale of Investments	17,136,596 16,171	7,131,540
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ घटाएं : निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	III. Profit on revaluation of Investments Less : Loss on revaluation of Investments	3,041,540 500,169 1,448,263 1,354,152	1,593,277 (853,983)
IV. जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ घटाएं: जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि	IV. Profit on sale of land, buildings and other assets Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	2,038,836 291,287 8,819 6,718	2,030,017 284,569
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि	V. Profit on exchange transactions Less: Loss on Exchange Transactions	4,306,458 (1) 335	4,306,459 5,125,642
VI. अनुषंगी/कंपनी और/अथवा विदेश/भारत में संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	VI. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India	360,826	154,276
VII. विविध आय*	VII. Miscellaneous Income*	44,563,257	31,610,419
कुल	TOTAL	89,936,226	60,948,538
* बट्टे खाते में कोई गई वसूली राशि ₹ 23,654,591 (पिछले वर्ष ₹ 14,670,443) शामिल है	* Includes Recoveries made in write-off accounts amounting to ₹ 23,654,591 (Previous Year ₹ 14,670,443)		
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया व्याज	SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED		
I. जमा राशियों पर व्याज	I. Interest on Deposits	377,659,689	312,419,921
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर व्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	73,149,871	56,250,429
III. अन्य*	III. Others*	13,513,943	7,895,396
कुल	TOTAL	464,323,503	376,565,746
* टियर I, टियर II और अन्य बॉण्ड पर व्याज शामिल है ₹ 13,024,745 (पिछले वर्ष ₹ 7,221,456)	* Includes Interest on Tier I, Tier II and other Bonds ₹ 13,024,745 (Previous Year ₹ 7,221,456)		
अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय	SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	102,996,025	91,884,722
II. किराया, कर एवं लाइटिंग	II. Rent, Taxes and Lighting	9,900,745	9,242,571
III. प्रिंटिंग एवं लेखन सामाग्री	III. Printing and Stationery	1,027,739	972,045
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	395,523	410,156
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	V. Depreciation on Bank's property	5,940,916	4,985,907
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	15,415	11,355
VII. लेखा-परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क एवं भत्ते सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including branch Auditors' fees & expenses)	888,876	993,937
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	578,460	426,546
IX. डाक-व्यय, टेलीग्राम, टेलीफोन, इत्यादि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	3,284,544	2,864,075
X. मरम्मत एवं रख-रखाव	X. Repairs and Maintenance	1,040,513	916,027
XI. बीमा	XI. Insurance	9,150,064	8,305,286
XII. अन्य व्यय	XII. Other Expenditure	34,535,789	29,779,006
कुल	TOTAL	169,754,609	150,791,633

अनुसूची 17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. तैयार करने का आधार:

संस्था की निरंतरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर, वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं जो सभी महत्वपूर्ण पक्षों में भारत में 'सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएपी) का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामकीय नियम, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। यदि अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो, विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है।

2. आकलन का आधार:

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में निर्धारित किया जाता है।

3. राजस्व का निर्धारण: (एएस 9 - राजस्व का निर्धारण)

- ए) यदि अन्यथा न उल्लिखित हो, तो आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय/व्यय निर्धारित की जाती है।
- बी) अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर, आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।
- सी) बैंक गारंटी(बीजी) तथा साख पत्र(एलसी) जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।
- डी) अन्य सभी कमीशन एवं विनियम, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की जब प्राप्ति हो जाती है तब उसका आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।
- ई) सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्डों और डिबेंचर के लिए आय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और बकाया नहीं होता है।
- एफ) म्यूचुअल फंड, एआईएफ और अन्य ऐसे पूल/सामूहिक निवेश फंडों की इकाइयों से आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है।
- जी) सभी प्रतिभूतियों पर छूट या प्रीमियम को स्थिर प्रतिफल पद्धति पर लिखतों के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि को "निवेश पर आय" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- एच) इक्विटी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि को लागत में शामिल किया जाता है।

आई) ऋण निवेश पर भुगतान/प्राप्त ब्रोकरेज, कमीशन, टूटी अवधि ब्याज को व्यय/आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है।

जे) निवेश की सदस्यता पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

के) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को "अन्य आय" शीर्षक के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ के मामले में, एक समतुल्य राशि (करों और सांविधिक रिजर्व में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर) लाभ और हानि खाते से 'पूँजी रिजर्व खाते' में विनियोजित की जाती है।

एल) एफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस रिजर्व में उस प्रतिभूति हेतु संचित लाभ/हानि एफएस रिजर्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दी जाती है।

एम) एफएस श्रेणी के तहत नामित इक्विटी लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि एफएस रिजर्व से पूँजी रिजर्व में अंतरित कर दी जाती है।

एन) किसी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनःवर्गीकरण/बिक्री पर मुनाफा/लाभ को पहले लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है और फिर पूँजी रिजर्व खाते में विनियोजित किया जाता है।

ओ) लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है।

पी) आयकर वापसी पर ब्याज आय को मूल्यांकन आदेश पारित करने के वर्ष में मान्यता दी जाती है।

क्यू) एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन:

एनपीए खाते के संबंध में, ए.) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, बी.) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय और सी.) एआरसी/एससी को समनुदेशन के माध्यम से की गई वसूली निम्नलिखित क्रम में की जानी है:

- खाते में नामे किए गए प्रभार ;
- व्यय/जब से किए गए व्यय लेकिन नामे नहीं किए गए;
- न वसूले गए ब्याज;
- अप्रभारित ब्याज; और
- मूलधन

अन्य मामलों में, संबंधित प्राधिकारी के आदेश के अनुसार वसूलियों को विनियोजित किया जाता है।

इसके अलावा, ऐसे उधारकर्ताओं के मामले में जिनके पास कई खाते हैं:

एक खाते में की गई वसूली को सिस्टम द्वारा उपर्युक्त क्रम में, अर्थात् उक्त खाते का व्यय, ब्याज और मूलधन बकाया में विभाजित किया जाता है। अतिरिक्त वसूली राशि यदि कोई है, तो उसी ग्राहक के अन्य खाते/खातों के व्यय, ब्याज और मूलधन बकाया का ध्यान रखती है।

4. अग्रिम:

- ए. लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों को “अर्जक” और “अनर्जक अग्रिमों” (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- बी. इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सी. घरेलू शाखाओं के संबंध में, एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किए जाते हैं :

एनपीए की श्रेणी	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान का प्रतिशत
अवमानक:	
ऐसे एक्सपोजर, जो आरंभ से गैर जमानती हैं (अर्थात् जहां प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य आरंभ से 10% से अधिक नहीं है)	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोजर जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान, जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति-इंफ्रा)	20%
अन्य	15%
संदिग्ध :	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में रहा)	
- एक वर्ष तक	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	40%
- तीन वर्ष से अधिक	100%
गैर जमानती हिस्सा	100%
हानि	100%

- (डी) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान, संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हो, के अनुसार होंगे।
- (ई) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार, निवल अग्रिम के परिकलन हेतु, कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्त ब्याज, ईसीजीसी दावा इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाए जाते हैं।
- (एफ) विशिष्ट खातों/योजनाओं/क्षेत्रों आदि के मामले में वृद्धि प्रावधानों को उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन से बनाए रखा जाता है।
- (जी) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में, यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो, इस कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते से नामे किया जाना है। यदि बिक्री का मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है, उस वर्ष में, एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जाना है। परंतु किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी), प्राप्त नकदी

(केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआर/पीटीसी के रिडेम्प्शन के द्वारा) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल, आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही होगा। हालांकि, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूत रसीदों (एसआर) के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान को हस्तांतरण के वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स किया जाता है यदि बिक्री प्रतिफल में केवल नकदी एवं भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हैं।

(एच) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनःसंचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों हेतु प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार किए जाते हैं।

(आई) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवल निधिकृत कंट्री एक्सपोजर का (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), ग्रेड किए गए स्केल के आधार पर प्रावधान किए जाते हैं।

5. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित, केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, आकस्मिकताओं के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवाई प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवाई प्वाइंट का प्रावधान, प्रारंभिक आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवाई प्वाइंट के लिए प्रावधान, जमा हुए बकाया प्वाइंट के आधार पर किया जाता है।

7. निवेश :

बैंक सभी प्रतिभूतियों में खरीद और बिक्री के लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए निपटान तिथि लेखांकन का पालन करता है।

क) वर्गीकरण:

- i. निवेश को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ए. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- बी. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- सी. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) (ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश श्रेणी है)
- डी. सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम
- ii. तुलन पत्र (अनुसूची 8 के अंतर्गत) में प्रकटीकरण के प्रयोजन हेतु निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

भारत में निवेश	भारत के बाहर निवेश
सरकारी प्रतिभूतियां	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम
शेयरों	अन्य
डिबेंचर और बॉण्ड	
सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	
अन्य	

iii. मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

ए) स्तर 1

बी) स्तर 2

सी) स्तर 3

स्तर 1/स्तर 2/स्तर 3 निम्नानुसार हैं:

स्तर 1: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में वे इनपुट होते हैं जो समान लिखतों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं) होते हैं जिन्हें बैंक माप तिथि पर एक्सेस कर सकता है। किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह उस मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो मूल रूप से स्तर 1 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 2 या स्तर 3 इनपुट नहीं होता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में, स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा वे इनपुट होते हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आस्ति या देयता के लिए अवलोकनीय होते हैं। किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह उस मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 और स्तर 2 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट नहीं होता है।

स्तर 3: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में अप्राप्य इनपुट हैं। किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह ऐसे मूल्यांकन को संदर्भित करता है जिसमें महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट होता है।

वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अधिग्रहण के समय किया जाता है।

i. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

ए. संविदागत नकदी प्रवाह एकत्रित करने के लिए परिपक्वता तक धारण करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित निवेश।

बी. ऐसे निवेश जो एसपीपीआई (केवल मूलधन का भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज) मानदंड को पूरा करते हैं।

सी. प्रतिभूतिकरण नोटों (इक्विटी अंश के अलावा) में निवेश को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, यदि वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित पूल भी एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है।

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)

ए. निवेशों को इस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है यदि प्रतिभूति को ऐसे उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने और प्रतिभूतियों को बेचने दोनों

द्वारा प्राप्त किया जाता है और संविदात्मक शर्तें एसपीपीआई (केवल मूलधन का भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज) मानदंडों को पूरा करती हैं।

बी. प्रारंभिक मान्यता पर, बैंक के पास एफएस के अंतर्गत इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने का अपरिवर्तनीय चुनाव होता है, जिसे ट्रेडिंग के उद्देश्य से नहीं रखा जाता है।

iii. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

ए. जो निवेश एचटीएम या एफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

बी. अनिवार्यतः, वैकल्पिक रूप से या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय विशेषताओं वाले निवेश और संविदात्मक हानि अवशोषण विशेषताओं वाले निवेश।

सी. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल की एक उप-श्रेणी है।

iv. सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम

ए. सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश को इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

ख) प्रारंभिक मान्यता:

i. सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न न हो।

ii. नीलामी, स्विच परिचालन और खुले बाजार परिचालन के माध्यम से प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है वह उचित मूल्य होगा।

iii. प्रतिभूतियों पर पहले दिन का लाभ/हानि, जिनका उद्धरण/उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उन्हें लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

iv. स्तर 3 निवेशों से होने वाले पहले दिन के नुकसान को लाभ और हानि खाते में तुरंत मान्यता दी जाती है जबकि पहले दिन के लाभ को स्थगित कर दिया जाता है। ऋण उपकरणों के मामले में पहले दिन के लाभ को परिपक्वता तिथि तक सीधी रेखा के आधार पर परिशिोधित किया जाता है जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी उपकरणों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाता है जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

ग) अनुवर्ती माप:

i. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

ए. प्रारंभिक मान्यता के समय, इस श्रेणी के अंतर्गत किए गए निवेश को लागत पर रखा जाता है, न कि मार्क-टू-मार्केट पर।

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)

ए. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।

बी. एफएस के अंतर्गत रखे गए सभी निवेशों के मूल्यांकन लाभ और हानि को, चाहे वे किसी भी वर्गीकरण के हों, एकत्रित

किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को सीधे एफएस रिजर्व में जमा या नामे किया जाता है।

iii. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

- ए. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है तथा ऐसे मूल्यांकन से होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या नामे किया जाता है।
- बी. एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है तथा ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या नामे कर दिया जाता है।

iv. सहायक कंपनियां, सहयोगी और संयुक्त उद्यम

- ए. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश अधिग्रहण लागत पर रखे जाते हैं।
- बी. बैंक तिमाही आधार पर इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश का मूल्यहास के लिए मूल्यांकन करेगा।

घ) मूल्यांकन की विधि:

भारत में निवेश का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है तथा विदेशी शाखाओं में किए गए निवेश का मूल्यांकन संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार या समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जो भी कम हो, किया जाता है।

लिखत का प्रकार	मूल्यांकन का आधार/पद्धति
वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र/राजकोष बिल	वहन लागत पर
पीएसयू/कॉर्पोरेट बांड्स	जी-सेक दर पर उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर
म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ	प्रत्येक योजना के संबंध में फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/एनएवी पर यदि एनएवी उपलब्ध न हो, तो लागत पर
वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) (गैर-उद्धृत)	एआईएफ द्वारा घोषित एनएवी

ङ) श्रेणियों के बीच निवेश का पुनःवर्गीकरण:

- विभिन्न श्रेणियों के बीच निवेश का पुनःवर्गीकरण केवल बोर्ड और आरबीआई से पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाता है।
- यदि बैंक को ऐसा अनुमोदन प्राप्त है, तो बैंक आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को पुनःवर्गीकृत करेगा।
- पुनः वर्गीकरण, पुनःवर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाएगा।

च) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

- घरेलू कार्यालयों के संबंध में निवेश को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- अनर्जक निवेशों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी जाती है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान किया जाता है।
- एनपीआई निवेशों पर प्रावधान को अर्जक निवेशों के मूल्यांकन लाभ और हानियों पर नहीं जोड़ा जाता है।
- किया गया प्रावधान आईआरसीएपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान और निवेश पर मूल्यहास में से अधिक है। एनपीआई (श्रेणी के बावजूद) के लिए प्रावधान लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।
- एफएस निवेश के मामले में, आवश्यक प्रावधान एफएस-रिजर्व में ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक चार्ज करके बनाया जाता है और एफएस रिजर्व में घाटे के मामले में, संचयी घाटे को एफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में 'अन्य आस्ति' (प्रावधान समायोजित कर) के तहत दर्शाया गया है।
- विदेशी कार्यालयों के संबंध में, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए वर्गीकरण और प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, जो भी आवश्यक हों, किए जाते हैं।

लिखत का प्रकार	मूल्यांकन का आधार/पद्धति
उद्धृत प्रतिभूतियां (उद्धृत एआईएफ सहित)	एफबीआईएल/मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य
गैर- उद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियां	एफआईबीआईएल द्वारा प्रकाशित परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर
भारत सरकार द्वारा जारी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/विशेष प्रतिभूतियां (गैर-एसएलआर)	परिपक्वता पर प्राप्ति के आधार पर एफआईबीआईएल द्वारा दी गई प्राप्ति से 25 आधार अंक अधिक अंकन करके
गैर- उद्धृत डिबेंचर और बॉण्ड	उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर
शून्य कूपन बॉण्ड	बाजार मूल्य पर यदि बाजार मूल्य उपलब्ध न हो तो 'शून्य कूपन प्रतिफल वक्र' का उपयोग करते हुए जेडसीबी का वर्तमान मूल्य
इक्विटी शेयर (सूचीबद्ध नहीं/अतरलता)	नवीनतम तुलन पत्र (18 महीने से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य (स्तर 3) पर, अन्यथा प्रति कंपनी 1 रु.
अधिमानि शेयरों	उद्धृत: अधिकतम कारोबार मूल्य गैर-उद्धृत: उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर

छ) रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन, संपादिक ऋण और ऋण के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तारीख पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है।

तरलता समायोजन सुविधा सहित रेपो खाता/सीमांत स्थायी सुविधा में शेष राशि को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तरलता समायोजन सुविधा/स्थायी जमा सुविधा के अंतर्गत आने वाले रिवर्स रेपो सहित भारतीय रिजर्व बैंक के पास सभी प्रकार के रिवर्स रेपो को अनुसूची 6 'नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष' के अंतर्गत मद (ii) भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष के उप मद (ii) 'अन्य खातों में' के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ 14 दिनों तक की मूल अवधि वाले रिवर्स रेपो को तुलन पत्र में अनुसूची 7 "बैंकों के साथ शेष एवं माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि" के तहत माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिनों से अधिक है, उन्हें अनुसूची 9 "अग्रिम" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाएगा: ए.(ii) 'नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और माँग पर चुकाने योग्य ऋण' बी.(i) 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूति' सी.(i). (iii) बैंक (iv) 'अन्य' (जैसा भी मामला हो)।

आरबीआई या अन्य के साथ रेपो लेनदेन की उधार लागत और रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को क्रमशः ब्याज व्यय और ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ज) आस्तियों द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश :

बैंक ने परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 दिनांक 24 सितंबर, 2021 एवं आरबीआई/डीओआर/2023/24/104 दिनांक 12 सितंबर, 2023 और आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.72/21.04.048/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 के माध्यम से आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिभूतिकरण के तहत एसआर का मूल्यांकन किया गया है।

i. एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है, जो ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग पर आधारित होता है।

बैंक द्वारा एआरसी को हस्तांतरित संकटग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में निवेश, हस्तांतरण या वसूली होने तक, बैंक की बहियों में सतत आधार पर, उपरोक्त एनएवी के आधार पर प्राप्त एसआर के मोचन मूल्य और अंतरण के समय अंतरित संकटग्रस्त ऋण के एनबीवी में से जो भी कम हो, दर्ज किया जाता है।

जब बैंक द्वारा अंतरित दबावग्रस्त ऋणों द्वारा समर्थित एसआर में निवेश, उसके अंतरित ऋणों द्वारा समर्थित सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक होता है, तो ऐसे एसआर का मूल्यांकन एसआर के अंकित मूल्य में से कम होता है, जो बैंक की बहियों में अंतर्निहित ऋणों के जारी रहने पर लागू काल्पनिक प्रावधान दर से कम होता है या एसआर का एनएवी होता है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित एनएवी की गणना किया जाता है।

- ii. एसआर/पीटीसी जो समाधान अवधि (अर्थात् पांच वर्ष या आठ वर्ष, जैसा भी मामला हो) के अंत तक भुनाए नहीं जाते हैं, उन्हें हानि वाली आस्ति माना जाता है तथा उनके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।
- iii. आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर उपकरणों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बॉण्ड/एसआर/पीटीसी में बैंक निवेश पर लागू होंगे। हालांकि, यदि एआरसी द्वारा जारी किए गए उपरोक्त लिखतों में से कोई भी संबंधित योजना में उपकरणों को सौंप गए वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक प्राप्ति तक सीमित है, तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए एआरसी से समय-समय पर प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

8. डेरिवेटिव

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला, ब्याज दर डेरिवेटिव, रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किए जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - ऑप्शन, करेंसी स्वैप तथा करेंसी फ्यूचर। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

- i. हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं।
- ii. हेजिंग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है।
- iii. सभी डेरिवेटिव अनुबंधों को तुलन पत्र की तिथि पर मान्यता दी जाती है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- iv. जहाँ भी हेज अकाउंटिंग का विकल्प नहीं चुना जाता है, डेरिवेटिव को उचित मूल्य पर हिसाब में लिया जाता है और उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- v. ट्रेडिंग स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को आय/व्यय के रूप में समाप्ति तिथि पर दर्ज किया जाता है। हेजिंग स्वैप की समाप्ति पर कोई भी लाभ/हानि स्थगित कर दी जाती है और स्वैप के शेष संविदात्मक जीवन या नामित परिसंपत्तियों/देनदारियों के शेष जीवन में से जो भी कम हो, उस पर मान्यता दी जाती है।
- vi. विकल्प शुल्क/प्रीमियम को विकल्प अनुबंध की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- vii. डेरिवेटिव अनुबंधों के संदर्भ में उचित मूल्य 'निकास मूल्य' का प्रतिनिधित्व करता है।
- viii. डेरिवेटिव आस्तियों और डेरिवेटिव देनदारियों का नेटिंग नहीं किया जाता है।

9. अचल आस्तियों: (एएस 10 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)

- i. अचल आस्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यहास/परिशोधन और हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है। जिन आस्तियों का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उन्हें पुनर्मूल्यांकित राशि में से संचित मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा की जाती है।
- ii. खरीद लागत सहित लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत, पेशेवर शुल्क आदि जैसे सभी व्यय शामिल हैं, जो आस्ति के उपयोग के लिए तैयार होने या उपयोग के लिए तैयार होने से पहले किए गए हैं। उपयोग के लिए तैयार आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब इससे ऐसी आस्तियों से भविष्य के लाभ या उनकी कार्यशील क्षमता में वृद्धि होती है।
- iii. मूल्यहास की दरें और मूल्यहास लगाने की विधि निम्नलिखित है:

क्र. सं.	विवरण	मूल्यहास की दर	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन	मूल्यहास प्रभारित करने का विधि
1.	भवन एवं भूमि:			
1क)	भूमि (फ्री होल्ड)	शून्य		
1ख)	पट्टाधारित भूमि		पट्टे की अवधि में लीज प्रीमियम परिशोधित की जाती है।	
1ग)	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गई है)	1.58%	60 वर्ष	सीधी आरेख
2.	अन्य अचल आस्तियां:-			
क)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख
ख)	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख
ग)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	6.33%	15 वर्ष	सीधी आरेख
घ)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	11.88%	8 वर्ष	सीधी आरेख
ङ)	साइकल	20.00%	5 वर्ष	सीधी आरेख
च)	मोबाइल फोन	33.33%	3 वर्ष	सीधी आरेख
छ)	कंप्यूटर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	33.33%	3 वर्ष	सीधी आरेख
ज)	सर्वर	20%	5 वर्ष	सीधी आरेख
झ)	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	20%	5 वर्ष	सीधी आरेख

- iv. पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में, यदि कोई हो तो पट्टा प्रीमियम, पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- v. वर्ष के दौरान परिवर्धन/बिक्री के संबंध में, वर्ष के दौरान आस्तियों के उपयोग के लिए तैयार रहने के दिनों की संख्या के अनुपातिक आधार पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।
- vi. कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग न बनने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- vii. 5 वर्ष से कम अनुमानित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों (जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं) को छोड़कर सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है, जहां आस्तियों की पूरी लागत उपयोगी जीवन पर परिशोधित की जाती है।
- viii. पुनर्मूल्यांकित आस्ति का मूल्यहास पुनर्मूल्यांकन के समय निर्धारित आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर किया जाता है। इस तरह के मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और एक समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में स्थानांतरित की जाती है। बैंक की अपनी आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है।
- ix. भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है, सिवाय उन केंद्रों के जहां स्थानीय वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा अलग-अलग दरें/पद्धति निर्धारित की गई हैं।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव” के अनुसार किया जाता है:

- क) **समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:** भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है:
 - i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित दैनिक क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।
 - ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफडीडीआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर, रिपोर्ट किया जाता है।
 - iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें पूर्व के लागत के अनुसार लगाया जाता है, उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।
 - iv. विदेशी मुद्रा में रखी गयी आकस्मिक देयताओं को एफडीडीआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।
 - v. बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए

एफईडीआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामतः लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

- vi. एफईडीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय बायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे बायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को, संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।
- vii. मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकॉर्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुआ।
- viii. मुद्रा बायदा कारोबार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान, दैनिक आधार पर, विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को, लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :

- i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर परिवर्तित किया जाता है।
- ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर, एफईडीआई द्वारा सूचित तिमाही औसत क्लोजिंग दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को, संबंधित विदेशी शाखाओं में, निवल निवेशों के निपटान तक, एक अलग खाते - 'विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व' में संचित किया जाता है।
- iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियों और देयताओं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित जाता है।

11. कर्मचारी लाभ : (एस 15 कर्मचारी लाभ)

ए. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, जो कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है, उसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

बी. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

क. परिनिश्चित लाभ योजना:-

i) उपदान (ग्रेच्युटी):

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह

लाभ, निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। यह राशि, प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय, 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 अथवा बीओआई उपदान निधि नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में, जो भी अधिक हो, के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक, निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन न्यासियों (ट्रस्टी) द्वारा किया जाता है जो तिमाही आधार पर एक स्वतंत्र बाह्य एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

ii) पेंशन:

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई पेंशन विनियमन, 1995 के अनुसार बैंक, पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता, स्वतंत्र एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के अंतर्गत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

i) भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने का हक है। बैंक, एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करता है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii) पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक, ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

सी) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

- i) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप एक्चुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।
- ii) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन अवार्ड,

पुनर्स्थापना लाभ, बीमारी अवकाश इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व हैं जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप एकचुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

- iii) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में, प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना, संबंधित देशों में विद्यमान कानूनों के आधार पर की जाती है।

12. सेमेंट रिपोर्टिंग: (एएस 17 सेमेंट रिपोर्टिंग)

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

13. पट्टा(लीज) संव्यवहार : (एएस 19 पट्टा)

पट्टा जहां स्वामित्व के जोखिम और रिवाइड पट्टेदार द्वारा प्रतिधारित किए जाते हैं, को एएस 19 (पट्टा) के अनुसार परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टे पर पट्टा व्यय लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किए जाते हैं।

14. प्रति शेयर अर्जन : (एएस 20 प्रति शेयर अर्जन)

एएस 20 'अर्जन प्रति शेयर' के अनुसार, प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट किए जाते हैं। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना, कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लाकर की जाती है।

15. आय पर कर: (एएस 22 आय पर कर हेतु लेखांकन)

बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर तथा आस्थगित कर के व्यय की कुल राशि, आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 "आय पर कर के लिए लेखांकन" के प्रावधानों अनुसार क्रमशः वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित, भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

आस्थगन कर समायोजन में, वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में

परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर, समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णतः लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर, आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव, लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यहास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

16. आस्तियों का ह्रास: (एएस 28 आस्तियों का ह्रास)

'स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर हासित हानि, यदि कोई हो तो, एएस 28 'आस्तियों का ह्रास' के अनुरूप, लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर हासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक, एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम हासित हानि से अधिक न हो।'

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां: (एएस 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां)

एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों के दायित्वों का निपटान करने की आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है। वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

18. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

SCHEDULE-17**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****1. BASIS OF PREPARATION:**

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. The actual results could differ from the estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3. REVENUE RECOGNITION: (AS 9 - Revenue Recognition)

- a. Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws/standards of host country.
- b. Interest income is recognised on time proportion basis except interest on non-performing assets.
- c. Commission on issue of Bank Guarantee (BG) and Letter of Credit (LC) is recognised over the tenure of BG/LC.
- d. All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.
- e. Income is recognized on accrual basis for Government Securities, bonds and debentures where interest is serviced regularly and is not in arrears.
- f. Income from units of Mutual funds, AIFs and other such pooled/collective investment funds is recognized on cash basis.
- g. Discount or Premium on all securities is amortized over the remaining life of the instruments on constant yield method. The amortized amount is shown under the head "Income on Investments".
- h. Brokerage, commission, securities transaction tax,

etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

- i. Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/sale consideration.
- j. Brokerage and Commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.
- k. Profit or loss on sale of investments under "Held to maturity" (HTM) is recognised in the Profit and Loss Account under the head "Other Income". In case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account' from Profit and Loss Account
- l. On sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in AFS Reserve is transferred from AFS Reserve to Profit and Loss Account.
- m. On sale or maturity of an equity instrument designated under AFS category, the accumulated gain/loss for that security in AFS Reserve is transferred from AFS Reserve to Capital Reserve.
- n. The gain/profit on reclassification/sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss Account and then appropriated to the Capital Reserve Account.
- o. Dividend Income is recognised when the right to receive the dividend is established.
- p. Interest Income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.
- q. Appropriation of recoveries in NPA accounts:
In respect of NPA account, recoveries effected except through a.) Compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's are to be made in the following order:
 - Charges debited to the account;
 - Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited;
 - Unrealised interest;
 - Uncharged interest; and
 - Principal

In other cases, the recoveries made are appropriated as per the order of relevant authority.

Further, in case of borrowers who are having multiple accounts:

Recovery made in one account is apportioned by the system in the above mentioned order i.e. Expenditure, interest and Principal outstanding of the said account.

Surplus recovery amount, if any, takes care of Expenditure, Interest and Principal outstanding of other account(s) of the same customer.

4. ADVANCES:

- Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.
- NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.
- In respect of domestic branches, NPA Provisions (on the Outstanding Advances) are made at the rates given as under:

Category of NPAs	Provision % on net outstanding advance
Sub Standard:	
Exposures, which are unsecured ab-initio (i.e. where realizable value of security is not more than 10% ab-initio)	25%
Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
Others	15%
Doubtful:	
Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- Upto one year	25%
- One year to three years	40%
- More than three years	100%
Unsecured portion	100%
Loss	100%

- In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.
- Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc. are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.
- Escalated provisions in case of specific accounts/scheme/sector etc. are maintained with approval of the appropriate authority.
- In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs

may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset. However, in case of Security Receipts (SRs) that are guaranteed by Government of India, the excess provision is reversed to Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by Government of India.

- Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.
- Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5. FLOATING PROVISION:

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes. These provisions are netted off from gross NPAs to arrive at Net NPAs.

6. DEBIT/CREDIT CARDS REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7. INVESTMENTS:

Bank follows Settlement date accounting for recording purchase and sale of transactions in all Securities.

A. Classification:

- Investments are classified under the following categories:
 - Held to Maturity (HTM)
 - Available for Sale (AFS)
 - Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)

(Held for Trading (HFT) is a separate investment category under FVTPL)
 - Subsidiaries, Associates and Joint Ventures
- Investments for the purpose of disclosure in

the Balance Sheet (under Schedule 8) are classified under the following categories:

Investments in India	Investments outside India
Government Securities	Government Securities (including local authorities)
Other approved Securities	Subsidiaries and/or Joint ventures
Shares	Others
Debentures and Bonds	
Subsidiaries and/or Joint ventures	
Others	

iii. Investments for the purpose of valuation are classified under the following categories:-

- Level 1
- Level 2
- Level 3

Level 1/Level 2/ Level 3 are as follows:

Level 1: In the context of inputs used for valuation of a financial instrument are those inputs which are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the bank can access at the measurement date. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation that is substantively based on Level 1 inputs and does not have any significant Level 2 or Level 3 inputs

Level 2: In the context of inputs used for valuation of a financial instrument are those inputs, other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation that is based on Level 1 and Level 2 inputs and does not have any significant Level 3 inputs

Level 3: In the context of inputs used for valuation of a financial instrument are unobservable inputs. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation in which there is a significant Level 3 input.

Basis of Classification

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

i. Held to Maturity (HTM)

- Investments acquired with an intention and objective to hold till maturity for collecting contractual cash flows.
- Investments that meet SPPI (Solely payment of principal and

Interest on Principal outstanding) criteria.

- Investments in securitization notes (other than equity tranche) is classified under HTM if the underlying pool of financial instruments also meets the SPPI Criteria.

ii. Available for Sale (AFS)

- Investments are classified under this category if the security are obtained with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities and contractual terms meet SPPI (Solely payment of principal and Interest on Principal outstanding) criteria
- On Initial recognition, Bank has irrevocable election to classify an equity instrument under AFS that is not held with an objective of trading.

iii. Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)

- Investments that do not qualify for inclusion in HTM or AFS are classified under FVTPL.
- Investments with compulsorily, optionally or contingently convertible features and Investments with Contractual loss absorbency features.
- Held for Trading (HFT) is a sub-category of FVTPL.

iv. Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

- Investments made in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are classified under this category.

B. Initial Recognition:

- All Investments are measured at fair value on initial recognition unless the fair value is materially different from the acquisition cost.
- In respect of Government securities acquired through auction, switch operations and open market operations, the price at which the security is allotted shall be the fair value.
- Day 1 gain/loss on securities which are quoted/fair value is determined based on market observable inputs are recognized in Profit and Loss Account.
- Day 1 loss arising from Level 3 investments are recognized immediately in Profit and

Loss Account while Day 1 gains are deferred. In case of Debt instruments Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date while for unquoted equity instruments, the gain is set aside as a liability until the security is listed or derecognized.

C. Subsequent Measurement:

i. Held to Maturity (HTM)

- Upon initial recognition, Investments held under this category are carried at cost and not at mark-to-market.

ii. Available for Sale (AFS)

- Investments under this category, are fair valued at least on a quarterly basis.
- The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification held under AFS are aggregated and the net appreciation or depreciation is directly credited or debited to AFS Reserve.

iii. Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)

- Investments under this category are fair valued on quarterly basis and the net gain or loss arising on such valuation are directly credited or debited to the Profit and Loss Account.
- Investments under HFT category are fair valued on daily basis and the net gain or loss arising on such valuation are directly credited or debited to the profit and loss account.

iv. Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

- Investments under this category are held at acquisition cost.
- Bank will evaluate Investments under this category for impairment on a quarterly basis.

D. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Type of Instrument	Basis of Valuation/Methodology
Other approved securities/ Special Securities issued by GoI(Non-SLR)	On Yield to Maturity basis by marking up by 25 basis points above yields put out by FIBIL
Unquoted debentures and bonds	On Yield to Maturity basis with appropriate mark up
Zero Coupon Bonds	At market value If market value not available, Present value of ZCB using 'Zero coupon yield curve'
Equity Shares (Not listed/ illiquid)	At break-up value (Level 3) as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Rs.1 per company
Preference Shares	Quoted: Max. Traded price Unquoted: on Yield to Maturity basis with appropriate mark up
Commercial Paper/ Certificate of Deposit/ Treasury Bills	At carrying cost
PSU/Corporate Bonds	On Yield to Maturity basis with appropriate mark up over G-sec rate
Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme If NAV not available, at Cost
Alternate Investment Funds (AIF) (Unquoted)	Declared NAV by AIF

E. Reclassification of Investments between Categories:

- Reclassification of Investments between various categories is done only upon prior approval from Board and RBI.
- If such an approval is obtained by the Bank, Bank will reclassify the investments as per applicable RBI guidelines.
- Reclassification to be applied prospectively from the reclassification date.

F. Non-performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

- In respect of domestic offices investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI.
- In respect of non-performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.
- The provision on NPI investments is not netted against the valuation gains and losses of performing investments.
- Provision made is higher of provision required as per IRCAP norms and depreciation on the Investment. The provision for NPI (irrespective of category) are recognized in Profit and Loss Account.

Type of Instrument	Basis of Valuation/Methodology
Quoted Securities (including Quoted AIF)	Prices declared by FBIL/Recognized stock exchanges/ FIMMDA
Unquoted SLR Securities	On Yield to Maturity basis published by FIBIL

- v. In case of AFS investment, the provision required is created by charging the same to AFS-Reserve to the extent of such available gains and in case of losses in AFS reserve, the cumulative losses shall be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule 11 (Net of Provision).
- vi. In respect of foreign offices, classification and provisions for non-performing investments (NPI) are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever are stringent.

G. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be.

Balance in Repo Account / Marginal Standing facility including those under Liquidity Adjustment facility is classified as Borrowings.

All type of Reverse Repos with RBI including those under Liquidity Adjustment Facility/Standing Deposit Facility are presented under sub item (ii) 'In Other Accounts' of item (II) Balances with RBI under Schedule 6 'Cash and balances with RBI'.

Reverse Repos with banks and other institutions having original tenors up to and inclusive of 14 days are classified as Money at Call & Short Notice under Schedule 7 "Balance with Banks and Money at call & short notice" in the Balance sheet.

Reverse Repo with banks and other institutions having original tenors more than 14 days shall be shown under Schedule 9 "Advances" under following head: A.(ii) 'Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand' B.(i) 'Secured by tangible assets' C.(i). (iii) Banks (iv) 'Others' (as the case may be).

Borrowing cost of repo transactions and revenue on reverse repo transactions, with RBI or others, is accounted for as interest expense and interest income, respectively.

H. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets: -

The Bank has valued SRs under securitization in line with RBI guidelines issued vide circular no. RBI/DOR/2021-22/86 DOR.STR. REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021 and RBI/DOR/2023/24/104 dated September 12, 2023, and in terms of RBI circular no. RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.

REC.72/21.04.048/2024-25 dated March 29, 2025.

- i. Investments in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs are valued periodically at the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

Investments in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by the Bank to the ARC, are carried in the Bank's books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

When the investment by bank in SRs backed by stressed loans transferred by it, is more than 10 percent of all SRs backed by its transferred loans, the valuation of such SRs is at lower of face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the underlying loans continued in the books of the Bank or NAV of the SRs. However, SRs guaranteed by the Government of India is valued periodically by reckoning the NAV declared by the ARC.

- ii. SRs/PTCs which are not redeemed as at the end of the resolution period (i.e., five years or eight years as the case may be) are treated as loss asset and fully provided for.
- iii. The valuation, classification and other norms applicable to investment in Non-SLR instruments prescribed by RBI from time to time are applicable to bank's investment in debentures/ bonds/ SRs /PTCs issued by ARC. However, if any of the above instruments issued by ARC is limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the bank reckons the NAV obtained from ARC from time to time, for valuation of such investments.

8. DERIVATIVES:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

- i. The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.
- ii. Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.
- iii. All Derivative contracts are recognised on the Balance Sheet date and measured at fair value
- iv. Wherever, hedge accounting is not opted,

derivatives are accounted at fair value with changes in fair value being recognised in the Profit and Loss Account.

- v. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.
- vi. Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.
- vii. Fair value in the context of derivative contracts represents the 'exit price'.
- viii. Netting of Derivative assets and Derivative liabilities is not carried out.

9. FIXED ASSETS: (AS 10 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT)

- i. Fixed assets are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortisation and impairment losses, if any. Assets which have been periodically revalued are stated at revalued amount less accumulated depreciation. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.
- ii. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is ready to use or capable of ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets ready to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- iii. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below:

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation	Estimated useful life as determined by the Bank	Method of charging depreciation
1	Land & Building:			
1.a.	Land (Freehold)	NIL		
1.b.	Leasehold Land		Lease premium is amortised over the period of lease	
1.c.	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 Years	Straight Line
2.	Other Fixed Assets:-			
a.	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's	9.50%	10 Years	Straight Line
b.	Electrical Fitting and Equipment's	9.50%	10 Years	Straight Line

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation	Estimated useful life as determined by the Bank	Method of charging depreciation
c.	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 Years	Straight Line
d.	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 Years	Straight Line
e.	Cycle	20.00%	5 Years	Straight Line
f.	Mobile phones	33.33%	3 Years	Straight Line
g.	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 Years	Straight Line
h.	Servers	20%	5 Years	Straight Line
i.	Computer Software, which do not form integral part of computer hardware	20%	5 Years	Straight Line

- iv. In respect of leasehold land, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease.
- v. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been ready to use during the year.
- vi. Computer Software, not forming integral part of computer hardware is classified as intangible asset and amortised over a period of 5 years.
- vii. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Mobile Phones, Computers and Computer Software forming integral part of hardware), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.
- viii. The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & Loss Account and an equivalent amount is transferred from the Revaluation Reserve to Revenue Reserve. The revaluation of Bank's own properties is carried out every 3 years.
- ix. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

10. TRANSACTION INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

- A. Translation in respect of Integral Foreign operations:** Foreign currency transactions of Indian

branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

- i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page on date of the transaction.
- ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.
- iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss Account.
- vi. Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.
- vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- viii. Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss Account.

B. Translation in respect of Non-Integral Foreign operations: Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

- i. Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.
- ii. Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by

FEDAI.

- iii. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.
- iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

11. EMPLOYEE BENEFITS: (AS 15 Employee Benefits)

A. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

B. Long Term Employee Benefits:

a. Defined Benefit Plan: -

i. Gratuity:

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days' basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules, 1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

ii. Pension:

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India Pension Regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes

such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

b. Defined Contribution Plan:

i. Provident Fund:

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ii. Pension:

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

C. Other Long Term Employee Benefit:

All eligible employees are entitled to the following-

- i. Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.
- ii. Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.
- iii. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. SEGMENT REPORTING: (AS 17 Segment reporting)

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI

guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

13. LEASE TRANSACTIONS: (AS 19 LEASES)

Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease payments on such lease are recognised in Profit & Loss Account on straight line basis over the lease term.

14. EARNINGS PER SHARE: (AS 20 Earnings per Share)

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

15. TAXES ON INCOME: (AS 22 Accounting for taxes on Income)

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the Profit and Loss account.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

16. IMPAIRMENT OF ASSETS: (AS 28 Impairment of Assets)

"Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognized directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

17. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS: (AS 29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)

As per AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the

obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

18. SHARE ISSUE EXPENSES

Share issue expenses are charged to Share Premium Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, सभी आंकड़े ₹ करोड़ में हैं, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

लेखा के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ

आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी दी गयी है:

1. पूंजी (बेसल-III के अनुसार):

(ए) नियामकीय पूंजी की संरचना :

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी (सीईटी I)	66,193.86	58,660.28
ii)	अतिरिक्त टियर I पूंजी	2,801.65	2,852.00
iii)	टियर I पूंजी (i + ii)	68,995.52	61,512.28
iv)	टियर 2 पूंजी	10,244.05	8,394.53
v)	कुल पूंजी (टियर I+टियर 2)	79,239.57	69,906.81
vi)	कुल जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए)	4,45,961	4,12,078
vii)	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात (सीईटीI) (%)	14.84%	14.24%
viii)	टियर I पूंजी अनुपात (%)	15.47%	14.93%
ix)	टियर II पूंजी अनुपात (%)	2.30%	2.04%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	17.77%	16.96%
xi)	लीवरेज अनुपात	6.23%	6.45%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	73.38%	73.38%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	0.00	4,500.00
xiv)	आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	0.00	0.00
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर I पूंजी की राशि, जिसमें से:		
	ए) बेसल III अनुवर्ती स्थायी गैर-संचयी अधिमध्य शेयर	0.00	0.00
	बी) बेसल III अनुवर्ती स्थायी अतिरिक्त टियर- I ऋण लिखत	0.00	1,500.00
xvi)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से	2,500.00*	2,000.00
	ए) स्थायी संचयी अधिमध्य शेयर	0.00	0.00
	बी) बेसल III अनुवर्ती प्रतिदेय टियर-II बॉण्ड	2,500.00*	2,000.00

31 मार्च, 2024 तक पूंजी - जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात और लीवरेज अनुपात की उक्त गणना 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी कए रूप में लगाई गई गैर-ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बॉण्ड के निवल वर्तमान मूल्य के प्रभाव पर विचार करने के बाद की गई है।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

(ए) 31 मार्च, 2025 को आस्ति एवं देयताओं की कुछ वस्तुओं के परिपक्वता का स्वरूप

विवरण	दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 महीने	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 साल से अधिक	कुल (1 से 10)
जमा\$	24,983.57 (9,775.46)	24,616.51 (13,539.73)	15,285.96 (13,828.73)	23,463.27 (15,032.43)	43,965.05 (29,326.33)	41,244.76 (31,425.89)	54,887.10 (46,051.04)	74,539.81 (47,227.88)	94,948.92 (53,037.26)	80,013.49 (42,534.90)	3,38,593.04 (4,36,140.58)	8,16,541.49 (7,37,920.21)
अग्रिम#	23,547.69 (16,593.69)	8,153.88 (6,791.71)	8,057.40 (7,769.95)	15,865.04 (15,329.67)	16,934.50 (16,888.05)	18,119.14 (18,083.48)	31,203.10 (26,146.71)	38,077.72 (39,381.37)	2,78,383.39 (2,22,060.13)	65,633.77 (58,512.27)	1,45,681.41 (1,35,587.64)	6,49,657.04 (5,63,144.67)
निवेश	114.97 (200.68)	1,464.95 (2,143.41)	0.00 (1,577.50)	1,163.89 (2,885.21)	3,985.42 (523.08)	2,240.38 (564.32)	7,699.14 (4,473.23)	2,952.27 (4,993.62)	28,149.22 (17,872.31)	39,776.52 (32,402.84)	1,71,565.05 (1,59,508.26)	2,59,111.80 (2,27,144.47)

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर.सीएपी आरईसी.15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मार्च 2023 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित और आस्थगित कर पर विचार किया है।

* बैंक ने सितंबर 2024 के दौरान ₹ 2,500 मूल्य के टियर 2 बॉण्ड जुटाए हैं (कूपन दर: 7.49%)।

(ए1) टियर-I पूंजी को बढ़ाने हेतु जुटाए गए अतिरिक्त टियर I (एटी-I) बॉण्ड के बकाया का विवरण निम्नानुसार है: -

यथा 31.03.2025 तक

जिस वर्ष में जुटाये	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2020-21	अतिरिक्त टियर I	1,352.00	1,352.00
2022-23	अतिरिक्त टियर I	1,500.00	1,500.00
	कुल	2,852.00	2,852.00

(ए2) टियर-II पूंजी बढ़ाने हेतु जुटाए गए टियर-II लिखतों के बकाया ब्यौरे निम्नानुसार है:

यथा 31.03.2025

जिस वर्ष जुटाया गया	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2015-16	टियर II	3,000.00	0.00
2020-21	टियर II	1,800.00	1,800.00
2023-24	टियर II	2,000.00	2,000.00
2024-25	टियर II	2,500.00	2,500.00
	कुल	9,300.00	6,300.00

बैंक ने क्रमशः 25 सितंबर, 2023 और 30 सितंबर, 2023 को टियर II बॉण्ड सीरीज X और सीरीज XI को रिडीम किया है जो ₹ 1,000 करोड़ और ₹ 500 करोड़ की राशि के हैं।

बैंक ने 15 सितंबर, 2023 को बेसल III अनुवर्ती टियर II बॉण्ड सीरीज XVI से ₹ 2,000 करोड़ की राशि जुटाई है।

बैंक ने 26 सितंबर, 2024 को ₹ 2,500 मूल्य की बेसल III कप्लेट टियर II बॉण्डसीरीज XVII जुटाई है।

(बी) आरक्षितियों से आहरण:

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, लाभ एवं हानि खाता में आरक्षितियों से कोई आहरण नहीं हुआ है।

विवरण	दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 महीने	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 साल से अधिक	कुल (1 से 10)
उधारियां	2,474.17 (8.59)	30,289.73 (22,289.64)	232.25 (308.04)	653.21 (80.47)	676.38 (10,957.70)	2,923.76 (5,852.26)	12,114.38 (11,990.93)	33,552.74 (9,818.03)	19,429.84 (13,199.42)	8,802.30 (6,419.00)	12,707.67 (0.00)	1,23,856.43 (80,924.07)
विदेशी मुद्रा आस्तियां###	3,586.40 (1,652.46)	9,386.78 (3,547.51)	1,151.29 (1,627.08)	16,185.28 (9,524.27)	18,629.89 (9,917.85)	20,261.29 (11,118.86)	21,525.73 (15,745.47)	9,284.04 (12,466.81)	32,943.63 (23,593.31)	23,532.40 (17,992.02)	10,287.59 (9,501.57)	1,66,774.32 (1,16,687.23)
विदेशी मुद्रा देयताएं\$	4,625.14 (1,753.01)	11,622.27 (4,320.33)	2,811.39 (6,716.39)	10,709.84 (6,541.70)	13,898.84 (16,480.77)	12,954.58 (16,952.48)	24,019.04 (24,584.71)	37,173.87 (12,354.49)	20,905.02 (17,016.65)	15,027.87 (12,182.31)	140.49 (4,263.47)	1,53,888.34 (1,23,166.32)

\$विदेशी मुद्रा में जमा सहित

#विदेशी मुद्रा में अग्रिम सहित

बैलेन्स शीट आस्तियों पर विदेशी मुद्रा, अग्रिम और निवेश को प्रतिपादित करती हैं।

\$ बैलेन्स शीट देयताओं पर विदेशी मुद्रा, ऋण और जमा को प्रतिपादित करती हैं।

नोट : 31 मार्च 2025, तक जमा, उधार, अग्रिम और निवेश का परिपक्वता पैटर्न निम्नलिखित पर आधारित है:

- एलएम पर आरबीआई के दिशानिर्देश।
- आस्तियों और देयताओं का व्यवहारिक अध्ययन जिनकी निश्चित परिपक्वता नहीं होती है और अंतर्निहित वैकल्पिकता के लिए

(सी) चलनिधि कवरेज अनुपात: प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

क्र. सं.	राशि रु. करोड़ में	वित्तीय वर्ष 2024-25*		वित्तीय वर्ष 2023-24*	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) @	कुल भारित मूल्य (औसत) @	कुल अभारित मूल्य (औसत) @	कुल भारित मूल्य (औसत) @
उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियाँ					
1	कुल उच्च स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए)		1,77,088.23		1,55,585.17
नकदी प्रवाह					
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से	5,08,561.04	39,505.95	5,18,171.71	45,101.08
(i)	स्थिर जमाराशियां	2,27,003.04	11,350.15	1,34,321.76	6,716.09
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	2,81,558.00	28,155.80	3,83,849.94	38,384.99
3	अप्रतिभूत थोक निधियां, जिसमें से :	1,80,279.42	1,07,686.92	1,01,480.07	57,036.96
(i)	परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	-	-	-	-
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)	1,20,987.50	48,395.00	74,071.86	29,628.74
(iii)	अरक्षित ऋण	59,291.92	59,291.92	27,408.21	27,408.21
4	जमानती थोक निधियन		1,243.16		208.94
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	1,07,379.97	27,983.99	76,157.78	18,813.14
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोजर से संबंधित बहिर्गमन	10,194.61	10,194.61	6,826.93	6,826.93
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन	-	-	-	-
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं	97,185.36	17,789.38	69,330.85	11,986.21
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व	20,147.32	20,147.32	17,974.56	17,974.56
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	40,641.41	1,219.24	34,733.24	1,042.00
8	कुल नकदी बहिर्गमन		1,97,786.59		1,40,176.67
नकदी अंतर्वाह					
9	जमानती उधार (उदा:रिवर्स रेपो)	4,011.36	2,657.96	3,595.18	2,421.74
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	33,369.69	25,766.48	26,038.22	20,583.85
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	22,707.41	20,076.36	16,835.62	15,562.34

क्र. सं.	राशि रु. करोड़ में	वित्तीय वर्ष 2024-25*		वित्तीय वर्ष 2023-24*	
		कुल अभांरित मूल्य (औसत) @	कुल भांरित मूल्य (औसत) @	कुल अभांरित मूल्य (औसत) @	कुल भांरित मूल्य (औसत) @
12	कुल नकदी अंतर्वाह	60,088.47	48,500.80	46,469.03	38,567.94
13	कुल एचक्यूएलए		1,77,088.23		1,55,585.17
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		1,49,285.79		1,01,608.74
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		118.62		153.12

टिप्पणी:-

*समेकित आधार पर (घरेलू परिचालन, विदेशी केंद्र और विदेशी अनुषंगियां शामिल)

@ दिनांक 31.03.2025 साथ-साथ 31.03.2024 तक के डाटा हेतु विगत 4 तिमाहियों में दैनिक अवलोकनों का साधारण औसत लेकर (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2023-24 क्रमशः हेतु औसत) प्रकटन किए गए हैं। यह आरबीआई के दिशा-निर्देश संदर्भ सं. डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुरूप है।

एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटीकरण

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) अधिक मजबूत बैंकिंग क्षेत्र विकसित करने के लिए बेसल समिति के प्रमुख सुधारों में से एक है। एलसीआर, एक वैश्विक मानक है जिसका उपयोग आपके बैंक की तरलता स्थिति को मापने के लिए भी किया जाता है। एलसीआर यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है जिसे 30-दिवसीय कैलेंडर तरलता दबाव परिदृश्य के अंदर अपनी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। एलसीआर, वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न झटकों को अवशोषित करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने में मदद करता है, चाहे इसका कुछ भी स्रोत हो। इस प्रकार यह वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक अर्थव्यवस्था में फैलने के जोखिम को कम करता है। बेसल III मानदंडों के आधार पर, आपके बैंक का औसत एलसीआर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समेकित आधार पर 118.62 प्रतिशत था, जबकि नियामकीय सीमा 100 प्रतिशत थी।

एलसीआर मानक का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एलसीआर) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता रहे जिससे अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अंतर्गत 30 कैलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने हेतु एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सके। गंभीर चलनिधि दबाव परिदृश्य में चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सहायता से बैंक, कम से कम अगले 30 कैलेंडर दिवस गुजर सके

उच्च कोटी की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)

एलसीआर = $\frac{\text{उच्च कोटी की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$

चलनिधि आस्तियां में शामिल उच्च गुणवत्ता आस्तियां जो कि तुरंत नकदीकृत किए जा सकते हैं या तनाव की अवस्थाओं में नकदी प्राप्त करने के लिए संपादिक के तौर उपयोग किए जा सकते हैं।

यहां,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाजार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है। लेवल 1 एसेट 0% हेयरकट के साथ हैं, लेवल 2A और लेवल 2B एसेट क्रमशः 15% और 50% हेयरकट के साथ हैं।

- आरबीआई/बासेल की परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अंतर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल अंतर्वाह, निवल नकदी बहिर्गमन है। निवल नकदी बहिर्गमन के परिकलन के लिए, अंतर्वाह को पूर्व परिभाषित हेयरकट पर माना जाता है तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित रन-ऑफ फैक्टर पर माना जाता है। नकदी बहिर्वाह का निर्धारण करने के लिए, बैंक अपनी जमाओं को विभिन्न ग्राहक खंडों में अलग करता है, जैसे खुदरा (जिसमें व्यक्तियों से जमा शामिल है), लघु व्यवसाय ग्राहक (7.5 करोड़ रुपये तक जमा वाले), और थोक (जो सभी अवशिष्ट जमा को कवर करेंगे)। थोक के भीतर, जमा जो समाशोधन, अभिरक्षा और नकदी प्रबंधन सेवाओं के कारण होते हैं, उन्हें परिचालन जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य संविदात्मक धन, जिसमें अन्य देनदारियों का एक हिस्सा शामिल है, जो 30 दिन की समय सीमा में नीचे चलने की उम्मीद है, नकदी बहिर्वाह में शामिल हैं। मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर ये वर्गीकरण, बैंक के एलसीआर ढांचे का हिस्सा हैं, और आरबीआई को भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

- कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह की गणना संविदात्मक प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष को उन दरों से गुणा करके की जाती है, जिन पर उन्हें कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75% की कुल सीमा तक प्रवाह करने की उम्मीद है। यदि दबावग्रस्त अंतर्वाह दबावग्रस्त बहिर्वाह से अधिक है, तो एलसीआर पर गणना के लिए कुल बहिर्वाह का 25% कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह के रूप में लिया जाएगा।

एलसीआर के मुख्य संचालक : एलसीआर के मुख्य संचालक, उच्च गुणवत्ता को चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) और खुदरा ग्राहकों से उच्च निधियन स्रोत की वजह से न्यून निवल नकदी हैं। की पर्याप्तता और खुदरा ग्राहकों से उच्च वित्त पोषण स्रोतों के कारण कम शुद्ध नकदी बहिर्वाह हैं। एचक्यूएलए के पर्याप्त स्टॉक ने एलसीआर बनाए रखने में बैंक की सहायता की है।

एचक्यूएलए की संरचना: उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अतिरिक्त एसएलआर, अतिरिक्त सीआरआर, एमएसएफ के तहत प्रतिभूतियाँ तथा एफएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा) होता है।

मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के प्रकटीकरण की तिथि के अनुसार औसत एचक्यूएलए की संरचना नीचे दी गई है:

हाथ में नकदी	2.01%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	3.14%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां	22.22%
एमएसएफ (वर्तमान में एमएसएफ के लिए अनुमत एनडीटीएल के 2 प्रतिशत की सीमा तक) के अंतर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ	7.87%

बासेल छ के मानक दृष्टिकोण के तहत 0% जोखिम भार वाले विदेशी सरकार द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां और रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार के कारण अन्य प्रतिभूति समायोजन	3.13%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा	61.77%
लेवल 2 आस्तियां	0.67%
तरलता अंतरण प्रतिबंधों को प्रतिबिंबित करने के लिए एचक्यूएलए में समायोजन	(-)0.81%

निधीयन स्रोत का संकेंद्रीकरण : बैंक के अधिकांश फंडिंग स्रोत खुदरा ग्राहकों और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से हैं, इसलिए तनावग्रस्त बहिर्वाह तुलनात्मक रूप से कम हैं। बैंक का, किसी महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से अत्यधिक निधि प्राप्त नहीं है। भारतीय संदर्भ में, दबावग्रस्त परिदृश्यों के लिए रन-ऑफ कारक आरबीआई द्वारा देनदारियों की विभिन्न श्रेणियों (जैसे, जमा, गैर जमानती और जमानती थोक उधार), अनाहरित प्रतिबद्धताओं, डेरिवेटिव-संबंधित एक्सपोजर, और उसी समय अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से उत्पन्न अंतर्बाहों के साथ ऑफसेट के लिए निर्धारित किए जाते हैं। नीचे दी गई जमा के लिए रन-ऑफ कारकों की एक तालिका है:

विवरण	रन-ऑफ कारक
खुदरा जमाराशि	5% - 10%
लघु व्यवसाय ग्राहक	5% - 10%
परिचालन जमाराशि	5% - 25%
गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट, संप्रभु, केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	40%
अन्य विधिक संस्थाएँ	100%

डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभाव्य संपार्श्विक कॉल: डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का बहुत कम एक्सपोजर है जो उल्लेखनीय नहीं है।

एलसीआर में मुद्रा असंतुलन: आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल देयताएं

(डी) निवल स्थिर निधीयन अनुपात

₹ करोड़ में		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
एसएफ मद						
1	पूंजी (2+3)	77,032.15	0.00	0.00	18,990.00	96,022.15
2	विनियामक पूंजी	77,032.15	0.00	0.00	6,300.00	83,332.15
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	12,690.00	12,690.00
4	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा: (5+6)	2,36,682.80	75,665.48	1,16,093.34	0.00	3,95,833.14
5	स्थिर जमा	1,42,497.80	25,429.89	36,786.07	0.00	1,94,478.07
6	कम स्थिर जमा	94,185.00	50,235.59	79,307.27	0.00	2,01,355.07
7	थोक निधीयन (8+9)	34,189.05	57,078.51	96,738.41	0.00	94,002.98
8	परिचालन जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन	34,189.05	57,078.51	96,738.41	0.00	94,002.98

का 5 प्रतिशत या अधिक हो। हमारे मामले में, यूएसडी एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्रा है।

चलनिधि प्रबंधन के संकेंद्रीकरण के स्तर का वर्णन तथा समूह की इकाइयों में पारस्परिक क्रिया : उद्यम स्तर पर बैंक का चलनिधि प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड की एक अलग उप-समिति (आर.कॉम) इस पर निगाह रखती है। एलसीओ द्वारा नियमित अंतराल पर चलनिधि प्रबंधन की आवधिक निगरानी की जाती है। बैंक की संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया, बैंक की ग्लोबल एलएएम नीति से शासित होती है। घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। बैंक की विदेशी शाखाएं और ऑफशोर इकाई प्रधान कार्यालय के समर्थन से स्वतंत्र रूप से अपनी चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं। इसी तरह, बैंक की सहायक कंपनियां स्वतंत्र रूप से आर.कॉम के मार्गदर्शन में अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं, जो सहायक कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ, सहायक कंपनियों में महत्वपूर्ण जोखिमों के जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करती हैं। इसके अलावा, बैंक अन्य मुद्राओं में चलनिधि आवश्यकताओं की निगरानी के लिए उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं का रखरखाव करता है।

मार्च 31, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दैनिक औसत पर आधारित औसत एलसीआर 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 118.62% के मुकाबले 153.12% था और यह 100% की वर्तमान निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से काफी ऊपर था। मार्च 31, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए औसत एचक्यूएलए रु. 177,088.23 करोड़ था, जिसमें 100.14% लेवल 1 एसेट थे जबकि लेवल 2ए और लेवल 2बी एसेट क्रमशः 0.56% और 0.11% थे। औसत एचक्यूएलए में समायोजन (0.81%) है। वित्त वर्ष के दौरान, भारत औसत एचक्यूएलए स्तर में 21,503.06 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण एसएलआर शेष में अतिरिक्त वृद्धि है। इसके अलावा, वित्त वर्ष के दौरान भारत औसत शुद्ध नकदी बहिर्वाह की स्थिति में 47,677.05 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण गैर जमानती थोक वित्तपोषण शीर्ष के तहत नकदी बहिर्वाह में वृद्धि है।

बैंक एचक्यूएलए का रख-रखाव अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा मुख्य रूप से एसएलआर निवेश के रूप में कर रहा है। खुदरा जमाएं कुल वित्तपोषण स्रोतों का प्रमुख हिस्सा हैं, जिनमें विविधता है। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास अपनी संभावित भविष्य की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

₹ करोड़ में		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
10	अन्य देयताएं: (11+12)	11,779.61	1,55,801.47	845.75	1,65,670.98	1,15,228.66
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		201.77	0.00	0.00	0.00
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	11,779.61	1,55,599.70	845.75	1,65,670.98	1,15,228.66
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					7,01,086.93
आरएसएफ मद						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)					8,074.99
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां	45.32	0.00	0.00	0.00	22.66
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन (17+18+19+21+23)	0.00	2,20,376.69	1,99,571.09	2,57,902.79	3,79,523.08
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण	0.00	17,729.06	33,598.21	0.00	19,458.46
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से:	0.00	2,02,647.63	1,65,972.88	1,96,440.47	3,12,545.89
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	2,02,647.63	1,65,972.88	1,96,440.47	3,12,545.89
21	आवासीय बंधक प्रदर्शन करना, जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	23,621.24	15,353.80
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	0.00	0.00	23,621.24	15,353.80
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	0.00	0.00	0.00	37,841.08	32,164.92
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग)	9,796.81	20,106.78	0.00	1,45,561.87	1,67,849.43
25	सोना सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी के डिफॉल्ट फंड में योगदान		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव एसेट्स		14,113.62	0.00	659.66	14,773.29
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		323.16	0.00	0.00	323.16
29	अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	9,796.81	5,670.00	0.00	1,44,902.21	1,52,752.99
30	ऑफ-बैलेंस शीट मदें		54,603.83	50,533.01	46,669.25	6,657.93

₹ करोड़ में		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		कोई परिपक्वता नहीं	<6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)					5,62,128.09
32	एनएसएफआर (%)					124.72%

'नो मेच्योरिटी' टाइम बकेट में रिपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स की कोई निश्चित परिपक्वता नहीं होती है।

इनमें स्थायी परिपक्वता वाली पूंजी, गैर-परिपक्वता जमा, शॉर्ट पोजीशन, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एचक्यूएलए इक्विटी, और भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) का उद्देश्य बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल की, विपरीत परिस्थितियों से फिर से उभरने की क्षमता को बढ़ावा देना और लंबे समय तक फिर से उभरने की क्षमता वाले बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। एनएसएफआर दिशा-निर्देश भविष्य में वित्तपोषण के तनाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को अपनी गतिविधियों को वित्तपोषण के पर्याप्त स्थिर स्रोतों से वित्तपोषित करने की आवश्यकता के द्वारा दीर्घ अवधि में वित्तपोषण जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\frac{\text{एनएसएफआर}}{\frac{\text{स्थिर निधियन की उपलब्ध राशि (एएसएफ)}}{\text{स्थिर निधियन की अपेक्षित राशि (आरएसएफ)}}} \geq 100\%$$

आरबीआई ने मई 2018 में कम से कम 100% के बराबर की न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधियन अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियम जारी किए। इसका कार्यान्वयन 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। एनएसएफआर की गणना बैंक स्टैंडअलोन और समेकित स्तर पर की जाती है।

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) को पूंजी और देयताओं के विश्वसनीय होने की उम्मीद के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 100 भारांक प्राप्त करने वाले 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाली देनदारियों के साथ देनदारियों की प्रकृति और परिपक्वता के अनुसार विभिन्न कारक भार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अपेक्षित स्थिर निधियन (आरएसएफ) को बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे सतत आधार पर वित्त पोषित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यक स्थिर निधि की राशि चलनिधि विशेषताओं और धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का एक कार्य है।

बैंक के एनएसएफआर के बारे में संक्षिप्त

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) के मुख्य चालक पूंजी आधार, खुदरा जमा आधार, और गैर-वित्तीय कंपनियों से वित्त पोषण और संस्थागत ग्राहकों से दीर्घकालिक वित्त पोषण हैं। संबंधित भार को लागू करने के बाद, पूंजी आधार लगभग 14%, खुदरा जमा (छोटे आकार के व्यावसायिक ग्राहकों से जमा सहित) का गठन 56% और थोक वित्त पोषण कुल उपलब्ध स्थिर फंडिंग का 13% बनाता है।

स्थिर निधियन में मुख्य रूप से कॉरपोरेट, खुदरा ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों को उधार देना शामिल था, जो प्रासंगिक भार लागू करने के बाद कुल आरएसएफ का 68% था। उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों का स्टॉक जिसमें प्रमुख रूप से आरबीआई के साथ नकद और आरक्षित शेष शामिल हैं, सरकारी ऋण जारी करने से उनकी उच्च गुणवत्ता और तरल विशेषता के कारण स्थिर वित्त पोषण की मात्रा कम या कम नहीं हुई। तदनुसार, प्रासंगिक भारों को लागू करने के बाद एचक्यूएलए, आवश्यक स्थिर निधियन का केवल 1% है। अन्य परिसंपत्तियां और आकस्मिक फंडिंग दायित्व, जैसे कि प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाएं, गारंटी और साख पत्र, आवश्यक स्थिर फंडिंग का 31% है।

बैंक का एनएसएफआर 31 मार्च 2025 को समेकित आधार पर 124.72% पर है और आरबीआई द्वारा निर्धारित 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है। 31 मार्च 2025 तक, भारत बिक्री के लिए उपलब्ध (एएसएफ) स्थिति ₹ 7,01,086.93 करोड़ और भारत आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) स्थिति ₹ 5,62,128.09 करोड़ थी।

3. निवेदश

(ए) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

31.03.2025 के अनुसार निवेश #

	भारत में निवेश				भारत के बाहर निवेश								
	सरकारी प्रतिभूतिया	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर एवं बॉण्ड	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतिया	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ		शेयर	डिबेंचर एवं बॉण्ड	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित कुल	1,80,366.02	0.00	0.00	3,216.45	0.00	1,83,582.47	3,502.83	0.00	0.00	0.00	153.32	3,656.15	1,87,238.62
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,80,366.02	0.00	0.00	3,216.45	0.00	1,83,582.47	3,502.83	0.00	0.00	0.00	153.32	3,656.15	1,87,238.62
विक्री के लिए उपलब्ध कुल	25,971.07	0.00	0.00	8,629.17	2,000.62	36,600.86	5,521.33	0.00	0.00	0.00	1,164.43	6,685.76	43,286.62
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205.36	0.00	0.00	34.09	0.00	239.44	(-)40.62	0.00	0.00	0.00	(-)7.21	(-)47.82	191.62
	26,176.43	0.00	0.00	8,663.26	2,000.62	36,840.31	5,561.95	0.00	0.00	0.00	1,171.64	6,733.58	43,573.89
एफवीटीपीएल-एचएफटी कुल	16,109.41	0.00	271.87	2,036.48	927.26	19,345.02	712.96	0.00	0.00	0.00	0.00	712.96	20,057.98
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46.37	(-)24.89	(-)24.89	5.48	(-)0.27	26.70	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	30.67
	16,155.78	0.00	246.98	2,041.96	926.99	19,371.72	708.99	0.00	0.00	0.00	0.00	708.99	20,080.70
एफवीटीपीएल-एनएचए, फटी कुल	0.00	0.00	1,157.44	1,250.00	1,006.37	3,413.80	438.86	0.00	0.00	0.00	266.54	705.40	4,119.20
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	163.86	(-)1.09	26.78	189.55	-1.91	0.00	0.00	0.00	57.49	55.58	245.13
	0.00	0.00	1,321.30	1,248.91	1,033.15	3,603.35	440.77	0.00	0.00	0.00	209.05	649.81	4,253.17
अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम कुल	0.00	0.00	1,619.38	0.00	0.00	1,619.38	0.00	0.00	2,346.05	0.00	0.00	2,346.05	3,965.43
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	2,22,446.50	0.00	3,048.69	15,132.09	3,934.25	2,44,561.54	10,175.98	0.00	2,346.05	0.00	1,584.29	14,106.32	2,58,667.85
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	251.73	0.00	138.97	38.48	26.51	455.69	(-)38.55	0.00	0.00	0.00	50.28	11.73	467.43
	2,22,698.24	0.00	3,187.66	15,170.57	3,960.76	2,45,017.23	10,214.53	0.00	2,346.05	0.00	1,534.00	14,094.59	2,59,111.81



31.03.2024 के अनुसार निवेश

	भारत में निवेश						भारत के बाहर निवेश					कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर एवं बॉण्ड	अनुषंगी एवं/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	अनुषंगी एवं/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता के लिए आयोजित												
कुल	162,669.92	0.00	1.11	805.21	1,496.06	61.66	165,033.95	0.00	2,298.46	0.00	2,298.46	167,332.41
घटाएँ: अनर्जक हेतु प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86	1.86
निवल	162,669.92	0.00	1.11	805.21	1,496.06	61.66	165,033.95	0.00	2,296.60	0.00	2,296.60	167,330.55
विक्री के लिए उपलब्ध												
कुल	36,056.78	0.00	1,676.47	11,839.68	0.00	4,077.28	53,650.21	7,875.06	0.00	1,457.38	9,332.44	62,982.65
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	805.33	694.12	0.00	1,099.97	2,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.42
निवल	36,056.78	0.00	871.14	11,145.56	0.00	2,977.31	51,050.79	7,875.06	0.00	1,457.38	9,332.44	60,383.23
ट्रेडिंग के लिए धारित												
कुल	1,273.76	0.00	2.47	9.97	0.00	0.00	1,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.20
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	1,273.76	0.00	2.47	9.97	0.00	0.00	1,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.20
कुल निवेश	200,000.46	0.00	1,680.05	12,654.86	1,496.06	4,138.93	219,970.36	7,875.06	2,298.46	1,457.38	11,630.90	231,601.26
घटाएँ: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	805.33	694.12	0.00	1,099.97	2,599.42	0.00	1.86	0.00	1.86	2,601.28
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	1.39*	0.00	159.26	930.42	42.38	350.08	1,483.52	298.17	0.00	73.82	371.99	1,855.51
निवल	199,999.07	0.00	715.46	11,030.32	1,453.68	2,688.88	215,887.42	7,576.89	2,296.60	1,383.56	11,257.05	227,144.47

नोट: आरबीआई ने 12 सितंबर, 2023 को अपने मास्टर निदेश के माध्यम से निवेश पोर्टफोलियो के लिए वर्गीकरण मानदंडों को बदल दिया है, जिसके अनुसार, बैंक ने 01 अप्रैल, 2024 और उसके बाद अपने निवेश पोर्टफोलियो को पुनर्वर्गीकृत किया है। विवरण के लिए, लेखांकन नीति में परिवर्तन हेतु नोट 6.1 (ii) (ए) का संदर्भ लें। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रकटीकरण के साथ तुलनीय नहीं है।

- (i) राशि ₹ 54,267.64 (पिछले वर्ष ₹ 35,489.39) की सरकारी प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्ष में आरबीआई, सीसीआईएल, क्लियरिंग हाउस और एक्सचेंजों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।
- (ii) बैंक के संयुक्त उद्यम स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मौजूदा शेयरधारकों को राइट बेसिस आधार पर ₹ 291 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 10 अंकित मूल्य के 1,82,72,424 पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर जारी किए हैं। हालांकि, बैंक ने कोई अतिरिक्त शेयर नहीं खरीदा, जिसके परिणामस्वरूप बैंक की हिस्सेदारी 28.96% से घटकर 27.48% हो

गई। तदनुसार, उक्त संयुक्त उद्यम के रिजर्व में बैंक की हिस्सेदारी ₹ 22.10% घटी है।

- (iii) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, बैंक को अपने एक मौजूदा सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात् आर्यावर्त बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में लंबित शेयर एप्लिकेशन राशि पर ₹152.04 की आनुपातिक इक्विटी शेयर पूंजी आवंटित की गई है।
- (iv) बैंक को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड में ₹ 49.46 के अतिरिक्त निवेश के लिए शेयर भी आवंटित किए गए।

विवरण	यथा 31.03.2025 तक	यथा 31.03.2024 तक
i) निवेश पर मूल्यहास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन		
ए) प्रारंभिक जमा	4,456.81	4,433.13
घटाएँ: नए आरबीआई परिपत्र के कारण सामान्य रिजर्व में अंतरण	4,456.81	0.00
नया प्रारंभिक शेष (1 अप्रैल, 2024 तक)*	0.00	0.00
(बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	461.38	939.93
(सी) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ/ राइट-बैक	905.31	871.11
(डी) जोड़ें/(घटाएँ): विनिमय अंतर की वजह से समायोजन	0.00	(-)45.14
ई) अंतिम शेष	(-)443.93	4,456.81
ii) निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन		
ए) प्रारंभिक जमा	1,285.38	1,079.02
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	0.00	206.36
सी) कम: ड्राडाउन	0.00	0.00
डी) अंतिम शेष	1,285.38	1,285.38
(iii) एफएएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2.03%	2.00%

* वाणिज्यिक बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर आरबीआई मास्टर निदेश (निर्देश) 2023 के अनुपालन में, 31.03.2024 तक बही खातों में दर्ज किए गए मूल्यहास को निवेश पोर्टफोलियो के पुनर्वर्गीकरण के दौरान सामान्य रिजर्व में अंतरित कर दिया गया है।

(सी) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और हस्तांतरण:

अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के दौरान एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री का कुल मूल्य 1 अप्रैल, 2024 तक एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के प्रारंभिक वहन मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि 12 सितंबर, 2023 को जारी वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर आरबीआई मास्टर निदेश (निर्देश) 2023 के अनुपालन में है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मास्टर निर्देशों के अनुसार, बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी और उसके बाद आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग से अनुमोदन के बिना श्रेणियों के बीच निवेश को पुनर्वर्गीकृत नहीं करेंगे।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री (ओएमओ के अंतर्गत एकबारगी अंतरण एवं बिक्री के अलावा)	6,650.82	बिक्री % में (<5%) =4.04%
यथा 01.04.2024 तक एचटीएम श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों का प्रारंभिक वहन मूल्य	164,668.00	

(d) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(ए)	प्रारंभिक जमा	2,601.29	3,016.60
(बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	233.83
(सी)	घटाएँ: उक्त अवधि के दौरान कटौती*	2,601.29	649.14
(ई)	अंतिम शेष	0.00	2,601.29
(एफ)	धारित कुल प्रावधान	0.00	2,601.29

* यह कटौती 12 सितंबर, 2023 के आरबीआई के नए मास्टर निदेश के कारण है।

ii. गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थानन की मात्रा	'निवेश ग्रेड' प्रतिभूतियों से कम की मात्रा*	'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की मात्रा*	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	3,412.73 (1,628.73)	2,897.99 (30.50)	0.00 (0.00)	410.80 (469.81)	0.00 (469.81)
ii.	वित्तीय संस्थाओं	6,257.87 (6,378.58)	6,257.87 (422.56)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
iii.	बैंकों	3,569.73 (1,426.99)	2,650.29 (1.15)	0.00 (0.00)	0.00 (1.15)	0.00 (631.74)
iv.	निजी कॉर्पोरेट	548.21 (1,878.57)	398.09 (1,427.10)	0.00 (884.75)	0.00 (948.18)	0.00 (1,427.10)
v.	अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम#	3,965.43 (3,794.53)	3,965.43 (3,794.53)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	3,965.43 (3,794.53)
vi.	अन्य *\$	41,387.20 (41,192.41)	31,661.21 (24,961.08)	0.00 (0.00)	25,818.49 (24,699.00)	1,635.34 (24,709.00)
	कुल	59,591.17 (56,299.82)	47,830.89 (30,636.92)	0.00 (884.75)	26,229.29 (26,118.14)	5,600.77 (31,032.18)
vii.	घटा: मूल्यहास के लिए धारित प्रावधान	(-)192.20 (4,455.41)	(-)203.96 (4,083.42)	0.00 (732.98)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	निवल	59,783.37 (51,844.40)	48,034.85 (26,553.50)	0.00 (151.77)	26,229.29 (26,118.14)	5,600.77 (31,032.18)

* इक्विटी में निवेश, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, रेटेड एसेट्स बेकड प्रतिभूतियाँ, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत अलग नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें वर्गीकरण/सूचीकरण दिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

अनुषंगीयों/संयुक्त उद्यम/सहायकों/आरआरबी में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया है।

\$ ₹ 23,369.81 (पिछले वर्ष ₹24,699) का भारत सरकार गैर-एसएलआर पुनर्पूजीकरण बॉण्ड में निवेश शामिल है।

iii. वर्ष के दौरान किए गए रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में):

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	बकाया यथा 31 मार्च, 2025
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ:				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	1.03 (0.00)	34,376.00 (22,089.60)	1,238.64 (4,692.40)	30,000.00 (15,374.38)
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ:				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	5.14 (0.00)	2,043.78 (745.00)	123.38 (105.17)	0.00 (0.00)
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

iv. सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य शर्तों में)

यथा 31 मार्च 2025 तक

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	31 मार्च, 2025 तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाक्षिक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाक्षिक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां			शून्य		

यथा 31 मार्च 2024 तक

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	31 मार्च, 2024 तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाक्षिक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाक्षिक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां			शून्य		

(ई) परिपक्व एनपीआई (अनुसूची 11 'अन्य आस्ति' में शामिल):

(i) निवेश का मूल्य:

विवरण	2024-25	2023-24
(i) निवेश का सकल मूल्य	2,690.07	1,857.75
(ए) भारत में	2,168.32	1,348.14
(बी) भारत के बाहर	521.75	509.61
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	2,690.07	1,857.75
(ए) भारत में	2,168.32	1,348.14
(बी) भारत के बाहर	521.75	509.61
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	0.00	0.00
(बी) भारत के बाहर	0.00	0.00

(ii) निवेश पर मूल्यहास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन:

विवरण	2024-25	2023-24
प्रारंभिक शेष	1,857.75	1,854.36
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	829.27	140.47
उप-जोड़	2,687.02	1,994.83
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बढ़े खाते में डालना/राइट-बैक करना	9.09	143.57
जोड़ें/(घटाएं): विनिमय अंतर के कारण समायोजन	12.14	6.49
अंतिम शेष	2,690.07	1,857.75

* एनपीआई का मूल्य लागत पर दर्शाया गया है

नोट: मानक परिपक्व निवेश (इंडीट्रेड) की राशि के रूप में ₹ 10 को सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया गया।

(एफ़) अनर्जक निवेश (परिपक्व निवेशों सहित)

विवरण	2024-25	2023-24
(i) निवल निवेश की तुलना में निवल एनपीए (%)	0.00	0.00
(ii) एनपीआई (सकल) का उतार-चढ़ाव		
(ए) आरंभिक शेष	4,449.04	4,870.97
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	841.41	370.79
(सी) वर्ष के दौरान कमी	4,768.70	792.72
(डी) अंतिम शेष	521.75	4,449.04
(iii) एनपीआई हेतु प्रावधान का उतार चढ़ाव		
(ए) आरंभिक शेष	4,449.04	4,870.97
(बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	841.41	370.79
(सी) वर्ष के दौरान कमी	4,768.70	792.72
(डी) अंतिम शेष	521.75	4,449.04
(iv) एनपीआई (निवल) का उतार-चढ़ाव		
(ए) आरंभिक शेष	0.00	0.00
(बी) राइट ऑफ/अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	0.00	0.00
(सी) राइट ऑफ/अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक	0.00	0.00
(डी) अंतिम शेष	0.00	0.00

नोट: मानक परिपक्व निवेश (इंडीट्रेड) की राशि के रूप में ₹ 10 को सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया गया।

4. आस्ति गुणवत्ता

(ए) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

यथा 31.03.2025 तक

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष	5,56,412.13	4,633.65	12,401.91	12,147.21	29,182.77	5,85,594.90
जोड़ें; वर्ष के दौरान परिवर्धन					7,588.56	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती*					15,022.44	
अंतिम शेष	6,44,298.55	4,484.69	9,178.43	8,085.77	21,748.89	6,66,047.44
*निम्नलिखित के कारण सकल एनपीए में कटौती:						
(i) उन्नयन					1302.94	
(ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से वसूली को छोड़कर)					5962.93	
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					5074.05	
(iv) ऊपर (iii) के तहत के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना					2682.52	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष		923.21	9,267.09	12,147.21	22,337.51	
जोड़ें; वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					4,593.00	
घटाएँ: रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते डाले गए ऋण					10,540.11	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष		1,229.08	7,075.55	8,085.77	16,390.40	
निवल अनर्जक आस्तियाँ						
प्रारंभिक शेष		3,710.44	3,134.82	0.00	6,845.26	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					2,995.56	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ					4,482.33	
अंतिम शेष		3,255.61	2,102.88	0.00	5,358.49	

नोट: एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में प्राप्त ईसीजीसी दावे शामिल हैं (विव 2024-25 ₹ 1,041.70 /विव 2023-24 ₹ 1,149.02) आंशिक भुगतान प्राप्त और उचित खाते में रखा गया (विव 2024-25 ₹ 141.66 /विव FY 2023-24 ₹ 106.23), एनपीए खातों के संबंध में विविध खातों में शेष (विव 2024-25 ₹ 777.26 / विव 2023-24 ₹ 860.96)।

अस्थायी प्रावधान यथा 31.03.2025 तक

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
प्रारंभिक शेष						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरण						0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						0.00

तकनीकी आधार पर बढ़े खाते में डालना और उस पर की गई वसूली यथा 31.03.2025 तक

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
तकनीकी/विवेकपूर्ण आधार पर बढ़े खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष						43,571.09
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े खाते में डाले गए*						8,853.38
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े खाते में डाले गए खातों में की गई वसूली						3,779.33
अंतिम शेष						48,645.14

*विनिमय अंतर सहित

यथा 31.03.2024 तक

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष	4,78,166.92	4,984.33	15,105.96	17,595.27	37,685.56	5,15,852.48
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					7,550.76	
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती					16,053.55	
अंतिम शेष	5,56,412.13	4,633.65	12,401.91	12,147.21	29,182.77	5,85,594.90
*निम्नलिखित के कारण सकल एनपीए में कटौती:						
(i) अपग्रेडेशन					1,043.61	
(ii) वसूली (अपग्रेड किए खातों से वसूली को छोड़कर)					5,260.89	
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण आधार पर बढ़े खाते में डालना					3,218.84	
(iv) ऊपर (iii) के तहत के अलावा अन्य बढ़े खाते में डालना					6,530.21	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष		1,392.48	10,644.20	17,595.27	29,631.95	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					4,109.49	
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधान उलटे/बढ़े खाते में डाले गए ऋण					3,184.95	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष		923.21	9,267.09	12,147.21	22,337.51	
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष		3,591.85	4,461.76	0.00	8,053.61	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					3,441.27	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					12,868.60	
अंतिम शेष		3,710.44	3,134.82	0.00	6,845.26	

नोट: एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में प्राप्त ईसीजीसी दावे (विव 2023-24 ₹ 1,149.02/ विव 2022-23 ₹ 1,048.64) आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ और उचित खाते में रखा गया वित्त वर्ष 2023-24 ₹ 106.23/वित्त वर्ष 2022-23 ₹ 64.51), एनपीए खातों के संबंध में विविध खातों में शेष (वित्त वर्ष 2023-24 ₹ 860.96/वित्त वर्ष 2022-23 ₹ 877.02) और पुनर्चित एनपीए के उचित मूल्य हास के एवज में किए गए प्रावधान (वित्त वर्ष 2023-24 ₹ 42.55/वित्त वर्ष 2022-23 ₹ 51.87)

अस्थायी प्रावधान यथा 31.03.2024

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
प्रारंभिक शेष						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
वर्ष के दौरान घटाई गई 15 राशि						0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						0.00

तकनीकी बढ़े खाते में डालना और उस पर की गई वसूली यथा 31.03.2024

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
तकनीकी/प्रूडेंशियल बढ़े खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष						40,352.25
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े खाते में डालना*						8,136.04
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली						4,917.20
अंतिम शेष						43,571.09

अनुपात

विवरण	2024-25	2023-24
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए (% में)	3.27	4.98
निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए (% में)	0.82	1.22
प्रावधान कवरेज अनुपात (% में)	92.39	90.59

(बी) क्षेत्र-वार अग्रिम (विवेकपूर्ण/तकनीकी राइट ऑफ को शामिल करते हुए) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

सं.	क्षेत्र	2024-25			2023-24		
		बकाया सकल अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का %	बकाया सकल अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का %
ए	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	98,338.13	9,387.68	9.55	84,554.77	9,672.78	11.44
2	उद्योगों को अग्रिम जो प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पात्र हैं	27,707.09	2,410.53	8.70	27,270.73	3,301.62	12.11
3	सेवाएं	61,998.73	5,265.37	8.49	47,078.04	5,768.04	12.25
4	वैयक्तिक ऋण	22,752.52	781.75	3.44	22,678.67	922.40	4.07
	उप-जोड़ (ए)	2,10,796.47	17,845.33	8.47	1,81,582.21	19,664.84	10.83
बी	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	25.62	0.00	0.00	45.54	0.01	0.02
2	उद्योग	1,52,474.48	769.23	0.50	1,45,063.01	3,767.23	2.60
3	सेवाएं	1,89,576.67	2,008.63	1.06	1,66,889.13	4,382.07	2.63
4	वैयक्तिक ऋण	1,13,174.20	1,125.70	0.99	92,015.03	1,368.62	1.49
	उप-जोड़ (बी)	4,55,250.97	3,903.56	0.86	4,04,012.70	9,517.93	2.36
	कुल (ए+बी)	6,66,047.44	21,748.89	3.27	5,85,594.91	29,182.77	4.98

(सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व:

क्रमांक	विवरण	2024-25	2023-24
1	कुल आस्तियां	1,60,997.60	1,30,485.16
2	कुल एनपीए	6,712.90	6,799.87
3	कुल राजस्व	9,543.19	8,554.65

(डी) संकल्प योजना और पुनर्गठन का विवरण

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर 7 जून 2019 के आरबीआई परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक 12 उधारकर्ता खातों (एक्सपोजर ₹ 5,467.11) के संबंध में बैंक के पास ₹ 1,537.16 का अतिरिक्त प्रावधान है, जहां व्यवहार्य समाधान योजना समीक्षा अवधि के 180 दिनों/365 दिनों के भीतर लागू नहीं की गई है।

(ई) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन:

वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण, परिसंपत्ति के वर्गीकरण में विचलन तथा प्रावधान पर आरबीआई के दिनांक 30 अगस्त, 2021 (यथा 13.12.2022 अद्यतन) के मास्टर निदेश संख्या.डीओआर.एससी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटन- आस्तियों के वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन के अनुसार यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं वर्गीकरण और प्रावधान, बैंकों को विचलन का प्रकटीकरण करना है:

(ए) संदर्भ अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में मूल्यांकित एनपीए हेतु अतिरिक्त प्रावधान, प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं से पूर्व लाभ के 5% से अधिक होने पर, उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाएं, और

(बी) आरबीआई द्वारा चिह्नित अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि हेतु रिपोर्ट की गई वर्धित सकल एनपीए से 5+अधिक है।

बैंक में विचलन उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर है। इसलिए, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए हेतु आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(एफ) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण:

दिनांक 24 सितंबर, 2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआरय आरईसीय51/21.04.048/2021-22 के अनुसार ऋण खातों (एसएमए और एनपीए) के अंतरण का प्रकटीकरण:

ए. बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी ऐसे ऋण का अंतरण नहीं किया है जिसमें चूक नहीं हुआ है या विशेष उल्लेख खातों में (एसएमए) में नहीं है (समनुदेशन, नवप्रवर्तन और ऋण भागीदारी के माध्यम से)।

बी. ऐसे ऋण जिनमें चूक नहीं हुआ है, समनुदेशन द्वारा उनके अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2024-25	2023-24
अधिगृहीत ऋणों की कुल राशि (रु करोड़ में)	3261.76	1,440.85
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में)	119.45	102.28
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (महीनों में)	13.89	9.01
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	15.74%	11.04%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (गुणक में)	1.98	1.98

नोट: ऋण का रेटिंग नहीं किया जाता है क्योंकि ये कॉर्पोरेट उधारकर्ता नहीं हैं।

सी. ऐसे ऋण जिनमें चूक नहीं हुआ है, ऋण भागीदारी (सह उधार) द्वारा उनके अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है

विवरण	2024-25
अधिगृहीत ऋणों की कुल राशि (रु करोड़ में)	431.80
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (महीनों में)	129.52
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (महीनों में)	1.67
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण (प्रतिशत में)	20.64
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (गुणक में)	2.47

नोट: ऋण का रेटिंग नहीं किया जाता है क्योंकि ये कॉर्पोरेट उधारकर्ता नहीं हैं।

डी. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी दबावग्रस्त (अनर्जक) आस्ति का अधिग्रहण नहीं किया है।

ई. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) का विवरण:

क्र. सं.	विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को	अन्य अंतरिती को
ए.	खातों की संख्या	6 (12)	1 (0.00)	0.00 (0.00)
बी.	अंतरित ऋणों का कुल मूलधन	594.04 (1,759.92*)	82.16 (0.00)	0.00 (0.00)
सी.	अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
डी.	अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	10.00 (188.87)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

क्र. सं.	विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को	अन्य अंतरिती को
ई.	कुल राशि	222.35 (498.21)	53.20 (0.00)	0.00 (0.00)
एफ.	पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
जी.	दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा	173.34 (84.66)	53.20 (0.00)	0.00 (0.00)

*इसमें ₹ 280.02 का निवेश शामिल है

एफ. यथा 31 मार्च 2025 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को दी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का वितरण:

रिकवरी रेटिंग बैंड	वहन मूल्य 2024-25
आरआर1+	32.61
आरआर1	285.60
आरआर2	33.95
आरआर3	0.00
आरआर4	0.00
आरआर5	0.00
रेटिंग वापस ले ली गई	0.00
अनरेटड	45.60
कुल	397.76

(एफए) एनपीए की बिक्री से लाभ:

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	एनपीए की बिक्री से प्राप्त लाभ	226.54	84.66

(जी) धोखाधड़ी खाते

विवरण	2024-25	2023-24
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	*152	209
धोखाधड़ी में शामिल राशि	*1,449.21	866.70
वर्ष के दौरान ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि	71.91	32.64
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान	*1,079.76	*653.73
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि	निरंक	निरंक

*इसमें पिछले वर्षों से संबंधित 5 मामले शामिल हैं, जिन्हें आरबीआई द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया था और जिन्हें पुनः जांच करने पर धोखाधड़ी के मामलों के रूप में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें ₹ 375.72 की राशि शामिल थी और 31 मार्च, 2025 तक ₹ 185.36 का बकाया शेष था। बैंक इस संबंध में 100% प्रावधान रखता है और इसमें 31.03.2025 तक ₹28.45 का गैर-निधि आधारित बकाया शामिल है।

(एच) समाधान फ्रेमवर्क 2.0 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 संबंधी दबाव का समाधान विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं डीओआर.एसटीआर.आरईसी.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 तथा परिपत्र सं डीओआर.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22 दिनांक 4 जून, 2021, के अनुरूप पुनः संचारित खातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(खातों की संख्या के अलावा राशि करोड़ में)

खातों की संख्या	यथा 31.03.2025 तक राशि	किए गए प्रावधान
33,772	1,151.60	74.46

आरबीआई परिपत्र सं डीओआर.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0), यथा दिनांक 30 सितंबर, 2024 के अनुसार समाधान योजना का विवरण:

उधारकर्ता का प्रकार	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति यथा: 31 मार्च 2024 (ए)	(ए) में से, कुल ऋण 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए में हो गया	(ए) में से, 30 सितंबर 2024 को समाप्त अर्ध-वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(ए) में से, 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति यथा 30 सितंबर 2024
वैयक्तिक ऋण	4,094.48	185	0.32	495.49	3,700.77
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	2,050.24	158.59	0.82	1,420.15	1,498.23
जिनमें से, एमएसएमई	1,790.69	158.59	0.82	924.47	1,398.96
अन्य	25.35	0.28	0.00	13.78	23.19
कुल	6,170.07	343.87	1.14	1,929.42	5,222.19

आरबीआई परिपत्र सं. डीओआर.बीपी.बीसी./3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और डीओआर.एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) यथा दिनांक 31 मार्च, 2025 के अनुसार समाधान योजना का विवरण:

उधारकर्ता का प्रकार	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति यथा: 30 सितंबर 2024 (ए)	(ए) में से, कुल ऋण जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया	(ए) में से, 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(ए) में से, 31 मार्च, 2025 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति यथा 31 मार्च, 2025
वैयक्तिक ऋण	3,700.77	159.80	0.23	818.83	3,435.20
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	1,498.23	103.85	0.27	2,277.01	1,212.68
जिनमें से, एमएसएमई	1,398.96	103.85	0.27	1,709.45	1,151.60
अन्य	23.19	3.38	0.00	30.21	20.03
कुल	5,222.19	267.03	0.50	3,126.05	4,667.91

*जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में यथा परिभाषित

मार्च 31, 2024

आरबीआई परिपत्र सं. डीओआर.बीपी.बीसी./3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और डीओआर.एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) यथा दिनांक 30 सितंबर, 2023 के अनुसार समाधान योजना का विवरण:

उधारकर्ता का प्रकार	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति यथा: 31 मार्च 2023 (ए)	(ए) में से, कुल ऋण 30 सितंबर 2023 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए में हो गया	(ए) में से, 30 सितंबर 2023 को समाप्त अर्ध-वर्ष के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(ए) में से, 30 सितंबर 2023 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति यथा 30 सितंबर 2023
वैयक्तिक ऋण	4,974.07	236.86	0.94	209.62	4,499.18
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	2,840.70	339.18	2.15	262.61	2,631.84
जिनमें से, एमएसएमई	2,446.74	339.18	2.15	212.64	2,252.25
अन्य	25.87	0.44	0.00	3.99	27.54
कुल	7,840.64	576.48	3.09	476.23	7,158.56

आरबीआई परिपत्र सं. डीओआर.बीपी.बीसी./3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और डीओआर.एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0), यथा दिनांक 31 मार्च, 2024 के अनुसार समाधान योजना का विवरण:

उधारकर्ता का प्रकार	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति यथा: 30 सितंबर 2023 (ए)	(ए) में से, कुल ऋण जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया	(ए) में से, 31 मार्च, 2024 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	(ए) में से, 31 मार्च, 2024 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति यथा 31 मार्च, 2024
वैयक्तिक ऋण	4,499.18	181.48	0.74	529.51	4,094.48
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	2,631.84	225.05	1.12	408.44	2,050.24
जिनमें से, एमएसएमई	2,252.25	225.05	1.12	349.65	1,790.69
अन्य	27.54	0.18	0.00	2.31	25.35
कुल	7,158.56	406.71	1.86	940.26	6,170.07

* जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में यथा परिभाषित

5. एक्सपोज़र

बैंक ऐसे क्षेत्रों को उधार दे रहा है, जो आस्तियों की कीमत के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है।

i. रियल इस्टेट क्षेत्र को एक्सपोज़र, प्रबंधन द्वारा यथा संकलित

क्र.सं.	श्रेणी	31.03.2025	31.03.2024
1	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	86,474.79	64,376.66
	(क) आवासीय बंधक (गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं सहित)	80,723.50	59,299.09
	(i) आवासीय संपत्ति पर ऋण, बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता द्वारा काबिज है या काबिज किया जाएगा या किराये पर दिया है (नीचे दिये गए (ii) के अलावा)	58,443.81	41,952.77
	(ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण	22,279.69	17,346.32
	(ख) वाणिज्यिक रियल इस्टेट	5,491.70	4,828.94
	वाणिज्यिक रियल इस्टेट (कार्यालय इमारत, रिटेल जगह, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, मल्टी-फैमिली आवासीय इमारत, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकसित एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी।	5,491.70	4,828.89
	(ग) गिरवी रखी गयी ड्यूटी (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश	259.59	248.63
	क) आवासीय	10.53	0.00
	ख) व्यवसायिक रियल इस्टेट	249.06	248.63
2)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	22,509.01	17,067.95
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीएल) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर	22,509.01	17,067.95
	रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर (1+2)	1,08,983.80	81,444.61

ii. पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर

क्र.सं.	श्रेणी	31.03.2025	31.03.2024
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अधिमुख म्यूचुअल फंड में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कापरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	885.66	683.43
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों(आईपीओ/ईएसओपीएस सहित)परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	1,167.11	791.32
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	186.10	1.45
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	603.37	1.75
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	1,982.36	902.04
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	0.03	0.12
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	0.02	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हमीदारी प्रतिबद्धताएं;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	0.00	0.00
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी निवेशों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)को इक्विटी के बराबर माना जाएगा और इस प्रकार पूंजी बाजार निवेश सीमा(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों)के अनुसार गणना की जाएगी।	126.51	228.17
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	4,951.17	2,608.28

iii. जोखिम श्रेणी-वार देश का एक्सपोजर

आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक का देश में एक्सपोजर को विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत कर निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है।

क्र. सं.	जोखिम श्रेणी	यथा दिनांक 31.03.2025		यथा दिनांक 31.03.2024	
		एक्सपोजर (निवल)	धारित प्रावधान	एक्सपोजर (निवल)	धारित प्रावधान
1	नगण्य	64,421.66	47.62	54,110.54	38.34
2	न्यून	26,003.28	9.48	18,610.70	8.41
3	साधारण	8,862.82	0.00	7,321.81	0.00
4	उच्च	1,093.00	0.00	228.84	0.00
5	बहुत उच्च	2,484.50	0.00	2,580.82	0.00
6	प्रतिबंधित	1.47	0.00	0.00	0.00
7	ऑफ क्रेडिट	211.01	0.00	21.84	0.00
	कुल	1,03,077.73	57.10	82,874.55	46.75

iv. गैर-जमानती अग्रिम :

विवरण	2024-25	2023-24
बैंक का कुल गैर-जमानती अग्रिम	1,45,653.06	1,13,537.16
जिसमें से		
i) अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि जो बैंक को सांपाक्षिक के रूप में प्रभारित किए गए हैं के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि.	0.00	0.00
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (जैसा कि उपर्युक्त (i))	0.00	0.00

v. फैक्टरिंग एक्सपोजर

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने गैर-आश्रय आधार पर कोई निर्यात फैक्टरिंग नहीं लिया है।

vi. इंटर-ग्रुप एक्सपोजर (जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है):

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
ए	इंटर ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	8,385.39	5,210.97
बी	शीर्ष 20 इंटर ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	8,385.39	5,210.97
सी	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर का इंटर ग्रुप एक्सपोजर का %	0.88%	0.62%
डी	इंटर ग्रुप एक्सपोजर पर सीमा के उल्लंघन और उस पर नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण।	शून्य	शून्य

vii. अप्रतिबंधित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
ए	शेष राशि प्रावधान खाता खोलना	72.09	70.58
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा	11.14	16.77
सी	लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स राशि	0.00	15.27
डी	प्रावधान खाते में शेष राशि	83.23	72.09

गैर-हेज किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएसडी) के साथ संस्थाओं के एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधान आवश्यकताओं के संबंध में बैंक की नीति है जो आरबीआई परिपत्रों पर आधारित है।

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध आंकड़ों और उधारकर्ताओं से घोषणा के आधार पर, जहां कहीं भी पॉलिसी के अनुसार प्राप्त हुआ, इस एक्सपोजर पर अतिरिक्त जोखिम-भारित आस्तियां ₹ 459.19 (पिछले वर्ष ₹ 535.49) है। इसके विपरीत, अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता ₹ 52.81 (पिछला वर्ष ₹ 61.58) है।

viii. एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के ब्यौरे, जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया:

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के अंदर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर तथा समूह उधारकर्ता एक्सपोजर लिया था।

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीमा	स्वीकृत सीमा	बकाया यथा 31.03.2025
1.	एकल उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

6. जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण

(ए) जमाराशियों का संकेंद्रण:

विवरण	2024-25	2023-24
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशियां	50,527.88	44,030.38
बैंक की कुल जमाराशियों में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	6.19%	5.97%

(बी) अग्रिमों का संकेंद्रण:

विवरण	2024-25	2023-24
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	1,09,733	1,02,423
बैंक के कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	15.40%	16.17%

(सी) एक्सपोज़र का संकेंद्रण

विवरण	2024-25	2023-24
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	1,14,585	1,02,688
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े धारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	11.79%	11.87%

(डी) एनपीए संकेंद्रण:

विवरण	2024-25	2023-24
बीस शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र*	1,986	3,310
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोज़र का प्रतिशत	9.13%	11.34%

* निवल विवेकपूर्ण बट्टे खाते (पीडब्लूओ) में गए का निवल एवं अप्राप्त ब्याज (यूआरआई)

7. डेरिवेटिव

(क) वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2025	यथा 31.03.2024
i)	स्वैप अनुबंध की नोशनल मूल राशि	913.80	590.00
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	0.00	0.22
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की जरूरत नहीं थी क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कॉर्पोरेट थे।	

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2025	यथा 31.03.2024
iv)	स्वैप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेंद्रण नहीं है।
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	10.86	0.22

(ख) विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2025	यथा 31.03.2024
(i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि (लिखत-वार)	0.00	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	0.00	0.00
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि और जो “उच्च प्रभावी” नहीं हो (लिखत वार)	0.00	0.00
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो “बहुत प्रभावी” नहीं हो (लिखत वार)	0.00	0.00

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरबीआई में आरआरसी खाता में तथा रेपो/रिजर्व रेपो संव्यवहार में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा कोई चूक एवं दंड नहीं लगाया गया है।

(सी) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक, तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर डेरिवेटिव, मुद्रा स्वैप और मुद्रा ऑप्शन ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा प्रतिफल बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक अनिवार्य भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर, अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन, जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में ट्रेडिंग गतिविधियों के एक्सपोज़र का आकार तथा जोखिमों के विषय में पर्याप्त जागरूकता है।

बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है जिसका सभापतित्व अध्यक्ष करते हैं।

हेज/रैर-हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग डेरिवेटिव पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार पर चिह्नित किया गया है और परिणामतः लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से विनियम व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार पर चिह्नित किया जाता है और परिणामतः हानि, यदि कोई, को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनियम व्यापार डेरिवेटिव का विनियम द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामतः लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा निर्धारित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि, इनमें से जो भी कम हो, से संबद्ध किया जाता है।

ऑप्शन संविदा के परिपक्वता काल पर ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश हैं। डेरिवेटिव लेन-देन समवर्ती, आंतरिक, सांविधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के शर्तों के अधधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक, प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स इकाइयाँ हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनियम डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित चालू ऋण जोखिम विधि अपनाई है। चालू ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम को जोड़ है।

चालू ऋण एक्सपोज़र, इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कल्पित मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वैप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल नोशनल मूल राशि पर लगाया जाने वाला ऋण परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनियम दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय “बिक्रीगत ऑप्शन” को वहाँ छोड़ दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम/ शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती है। इस पर संबंधित प्रतिपक्षकार की “मानक” श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान आवश्यकताएं भी लागू हैं। वर्तमान में जोखिम वाली आस्तियों पर 0.40% प्रावधान किया जाना है। खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याजदर डेरिवेटिव
1	डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि)		
	क) हेजिंग हेतु	5,780.70	0.00
		(7467.49)	(0.00)
	ख) कारोबार हेतु	337.08	75.00
		(0.25)	(590.00)
2	मार्कड टू मार्केट स्थिति		
	क)आस्ति [+]	0.13	0.00
		(29.30)	(0.00)
	ख) देयता (-)	(-)10.80	0.22
		(38.91)	(0.22)

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		व्याजदर डेरिवेटिव	
3	क्रेडिट एक्सपोजर	143.71		0.75	
		(170.99)		(6.12)	
4	व्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	36.00		0.00	
		(0.00)		(0.00)	
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	0.00		26.00	
		(0.00)		(22.48)	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01 की अधिकतम एवं न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
	क) हेजिंग पर	36.00	32.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
		0.00	0.00	26.00	0.00
	ख) ट्रेडिंग पर	(0.00)	(0.00)	(22.48)	(2.07)

(डी) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स

बैंक ने वर्तमान वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष में भी कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स नहीं किया है।

8. प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) प्लोट नहीं किया है।

9. ऑफ बैलेन्स शीट प्रायोजित एसपीवी

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड (डीईएफ) को अंतरण :

विवरण	2024-25	2023-24
डीईएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	2,949.20	2,599.00
जोड़ : वर्ष के दौरान डीईएफ में अंतरित राशि	915.15	629.84
घटाएं : दावों के तहत डीईएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	110.31	279.64
डीईएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	3,754.04	2,949.20

11. शिकायतों का प्रकटन

(ए) ग्राहकों तथा ओबीओ (बैंकिंग लोकपाल कार्यालय) से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों की सूचना का सार

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
अपने ग्राहकों से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतें			
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1,030	1,517
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3,04,705	2,32,265
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3,04,363	2,32,752
3.1	उनमें से बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या	5,891	12,963
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1,372	1,030
ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त रख-रखाव योग्य शिकायतें			
5	ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त रख-रखाव योग्य शिकायतों की संख्या	4,505	4,602
5.1	5 में से, बीओ के द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाये गए शिकायतों की संख्या	1,484	1,514
5.2	5 में से बीओ द्वारा जारी समझौता/माध्यस्थता/ एडवायजरी के माध्यम से समाधान की गई शिकायतें	3,021	3,088#
5.3	5 में से बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के बाद समाधान की गई शिकायतों की संख्या	0	0
6	निर्धारित समय में कार्यान्वयन किए गए निर्णयों की संख्या (अपीलीय को छोड़कर)	0	0

नोट: रख-रखाव योग्य शिकायतें वे हैं जो विशेष रूप से आरबीआईओ योजना 2021 में उल्लिखित हैं तथा योजना के क्षेत्र के अंतर्गत कवर की गई हैं।

इसमें से, एक मामले में एक दण्ड जारी किया गया था, जो कि बैंक के खिलाफ नहीं था क्योंकि दण्ड जारी करने से पहले ही सलाहकार के माध्यम से मामला सुलझा लिया गया था।

(बी) बैंक को ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार

शिकायत का आधार (अर्थात् शिकायत किससे संबंधित है)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी/कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
एटीएम/डेबिट कार्ड संबंधित	428 (1195)	118892 (128585)	(-)7.54 (-)33.90	468 (428)	0 (0)
इंटरनेट/मोबाईल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	315 (114)	93244 (42382)	120.01 (248.59)	628 (315)	0 (0)
खाता परिचालन संबंधित	36 (126)	71892 (27227)	164.05 (107.52)	253 (36)	0 (0)
अग्रिम/ऋण संबंधी	5 (36)	7123 (4123)	72.76 (50.14)	4 (5)	0 (0)
प्रभार संबंधी लेवी	3 (2)	3948 (3141)	25.69 (58.95)	3 (3)	0 (0)
अन्य	243 (44)	9606 (26807)	(-)64.17 (173.23)	16 (243)	0 (0)
कुल	1030 (1517)	304705 (232265)	(+)31.19 (-)0.89	1372 (1030)	7 (0)

12. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्मानों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशी विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्मानों का प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25

विवरण	उल्लंघन की प्रकृति	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माना	विनियामक/ परिचालन	163	0.20	0	0.00	163	0.20
विदेशी क्षेत्रों पर उनके संबंधित विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माना	विनियामक/ परिचालन	0	0.00	4	0.09	4	0.09

वित्तीय वर्ष 2023-24

विवरण	उल्लंघन की प्रकृति	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माना	विनियामक/ परिचालन	189	0.27	1	0.03	190	0.30
विदेशी क्षेत्रों पर उनके संबंधित विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्माना	विनियामक/ परिचालन	0	0.00	3	0.04	3	0.04

बी. एसजीएल फॉर्म बाउंस होने पर जुर्माना लगाने का प्रकटीकरण

समाप्त वर्ष	एसजीएल फॉर्म बाउंस होने की तिथि	राशि	राशि
2024-25		0.00	
2023-24		0.00	

सी. रिवर्स रेपो संव्यवहार में आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण (चूक करने वाले प्रतिभागियों के लिए लागू)

समाप्त वर्ष	राशि
2024-25	0.00
2023-24	0.00

डी. विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई द्वारा लगाए गए किसी अन्य जुर्माने का विवरण:

विवरण	2024-25	2023-24
(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	1.00	1.41
(ii) भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007	0.004	0.004
(iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006	0.00	0.00

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	श्री रजनीश कर्नाटक	52,69,865	33,70,597
2	श्री पी.आर.राजगोपाल	59,42,538	41,86,980
2	श्री एम कार्तिकेयन	49,17,186	33,34,464
3	श्री स्वरूप दासगुप्ता	0	30,29,208
4	श्री सुब्रत कुमार	51,40,710	34,84,956
5	श्री राजीव मिश्रा	35,65,716	2,81,400

14. अन्य प्रकटीकरण

(ए) कारोबार अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 (%में)	31.03.2024 (%में)
(i)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.90	6.68
(ii)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.88	0.67
(iii)	जमा लागत	4.90	4.51
(iv)	निवल ब्याज मार्जिन	2.82	2.97
(v)	औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.60	1.55
(vi)	संपत्ति पर वापसी	0.90	0.70
(vii)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹में)	28.21	25.87
(viii)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹में)	0.18	0.123

(बी) बैंकएश्योरेंस बिजनेस से प्राप्त फीस, पारिश्रमिक

विवरण	2024-25	2023-24
जीवन बीमा व्यवसाय	223.43	154.76
गैर-जीवन बीमा व्यवसाय	30.68	23.32
स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	18.72	17.42
कुल	272.83	195.50

(सी) विपणन और वितरण से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक :

विवरण	2024-25	2023-24
म्यूचुअल फंड्स	8.42	4.62
कुल	8.42	4.62

(डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) का प्रकटीकरण (जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है):

वर्ष के दौरान खरीदा गया	वर्ष के दौरान बेचा गया
7,000.00	7,000.00
(3,000.00)	(4,800.00)

बैंक ने छोटे किसान और सीमांत किसान के लिए ₹ 7,000 के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) को बेचकर ₹ 136.18 कमाया है और कुल व्यय के ₹ 24.92 के साथ ₹ 7,000 के पीएसएलसी कृषि खरीदे। निवल आमदनी ₹ 111.26 है।

(ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित होने वाले "प्रावधानों और आकस्मिकताओं" का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2024-25	2023-24
अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	(-)282.09	72.13
एनपीए के लिए प्रावधान	4,592.72	4,109.49
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	3,215.43	3,781.15
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(-)387.06	(-)406.03
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं		
● पुनर्चित खातों में हानि का प्रावधान	(-)155.27	(-)217.48
● देश के जोखिम के लिए प्रावधान	10.35	(-)30.64
● अन्य प्रावधान	199.01	442.07
कुल	7,193.09	7,750.69

(एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एस):

आरबीआई ने दिनांक 22 मार्च, 2019 के अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी. बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 के माध्यम से इंड एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है, क्योंकि आरबीआई द्वारा अनुशंसित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में विधायी संशोधन हैं जो की भारत सरकार के विचाराधीन है। हालांकि, सभी बैंकों को आरबीआई को हर छमाही में प्रोफार्मा इंड एस वित्तीय विवरण (पीएफएस) जमा करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, बैंक में इंड-एस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, बैंक सितंबर-2021 से आरबीआई प्रोफार्मा इंड एस वित्तीय विवरण (पीएफएस) तैयार कर रहा है और प्रस्तुत कर रहा है। पीएफएस को सूचना और रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड एवं बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

(जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान:

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	873.69	808.25
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

(एच) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी जाने वाली सुविधाएं:

केवल यूसीबी पर लागू

(आई) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या

आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 ने बैंकों को पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है। प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग। बैंक ने पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 612.09 की अतिरिक्त देयता को मान्यता दी है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि में उक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है।

तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में उक्त अतिरिक्त देयता हेतु ₹ 41.21 (पिछले वर्ष ₹ 142.42) को व्यय के रूप में मान्यता दी है और इस तिथि तक पारिवारिक पेंशन देयता की अपरिशोधित राशि शून्य (पिछले वर्ष ₹ 41.21) है।

(जे) “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्रचना” पर दिनांक 1 जनवरी, 2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआरएनओ.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2025 तक समय-समय पर एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्रचित खातों की संख्या	राशि	प्रावधान धारित
13,039 (19,844)	367.83 (530.71)	18.39 (26.54)

(के) बैंक द्वारा अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज़) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित):

वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने अनुषंगियों की ओर से कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए रॉयल बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड लि. के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी की है।

यथा 31.03.2025 तक, उपर्युक्त वायदों से कोई वित्तीय दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

(एल) हरित जमाराशियों से जुटाई गई निधियों के उपयोग के बारे में पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष	संचयी*
जुटाई गई कुल हरित जमा (ए)	33.54	0.00	33.54
हरित जमा निधियों का उपयोग **			
1) नवीकरणीय ऊर्जा	33.54	0.00	33.54
सौर ऊर्जा	33.54	0.00	33.54
2) ऊर्जा दक्षता	0.00	0.00	0.00
3) स्वच्छ परिवहन	0.00	0.00	0.00
4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	0.00	0.00	0.00
5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	0.00	0.00

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष	संचयी*
6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण	0.00	0.00	0.00
7) हरित भवन	0.00	0.00	0.00
8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	0.00	0.00	0.00
9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण	0.00	0.00	0.00
कुल हरित जमा निधि आबंटित (बी = 1 से 9 तक का योग)	33.54	0.00	33.54
हरित जमा निधियों की राशि आबंटित नहीं की गई (सी = ए - बी)	0.00	0.00	0.00
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को आबंटित किए जाने तक हरित जमा राशि के अस्थायी आबंटन का विवरण	-	-	-

* इसमें बैंक द्वारा हरित जमा की पेशकश शुरू करने के बाद की संचयी राशि शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि बैंक ने 1 जून, 2023 से हरित जमाराशि जुटाना शुरू कर दिया है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई और आबंटित जमाराशियों का विवरण शामिल होगा।

** प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, बैंक ने प्रत्येक उप-क्षेत्र को आबंटित धनराशि के आधार पर उप-श्रेणियां प्रदान की हैं।

(एम) आयकर:

- आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है जिसके अंतर्गत ₹ 2,048.01 (विगत वर्ष ₹ 2909.92) की विवादित आय कर/ व्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं जिनके लिए ऐसे विवादों पर विगत आकलनों के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। कथित विवादित देयताओं के विरुद्ध भुगतान/ समायोजनों को अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
- वर्ष के लिए लागू कर-विधियों के प्रावधानों और कतिपय विवादित मामलों में प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों पर यथोचित विचार किये जाने के बाद कर के प्रावधान का परिकलन किया गया है।

(एन) 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान प्राप्त और निपटाए गए निवेशकों की शिकायतों की संख्या का विवरण:

i)	वर्ष के आरंभ में लंबित	01
ii)	वर्ष के दौरान प्राप्त	48
iii)	वर्ष के दौरान निपटान	49
iv)	वर्ष के अंत में लंबित	00

(ओ) राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के अनुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का सम्मेलन हुआ है और 1 मई, 2025 से दो आरआरबी के संबंध में प्रायोजक बैंक को

बदला गया है। इन आरआरबी में बैंक के निवेश को 31 मार्च, 2025 तक के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

(ए) उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्मेलन का विवरण, जहां हस्तांतरित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित नहीं हैं, निम्नानुसार है:

क्र.सं	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का नाम	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के सम्मेलन के बाद नया नाम	हस्तांतरित आरआरबी का प्रायोजक बैंक
1	विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र		
2	आर्यावर्त बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
	बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा		

(बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्मेलन का विवरण, जहां हस्तांतरित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित है, निम्नानुसार है:

क्र.सं	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का नाम	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के सम्मेलन के बाद नया नाम	हस्तांतरित आरआरबी का प्रायोजक बैंक
1	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया
	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया		

(पी) यथा 31 मार्च 2025 तक आरबीआई द्वारा संदर्भित एनसीएलटी खातों (सूची 1 और 2) के संबंध में, बैंक के पास ₹ 3,033.86 के बकाया मूल्य का 100% प्रावधान है।

(क्यू) बैंक की अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नीति के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन से प्राप्त अधिशेष राशि ₹ 1,580.24 “पुनर्मूल्यांकन रिजर्व” में जोड़ा गया है।

(आर) अन्य आय में कमीशन और ब्रोकरेज आय, परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि, निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि (निवल) (निष्पादित निवेशों पर मूल्यहास सहित), विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न संव्यवहार से आय, पहले से बड़े खाते में डाले गए खातों से वसूली, लाभांश आय आदि शामिल हैं।

(एस) निदेशक मंडल ने अपेक्षित अनुमोदन के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 4.05 प्रति इक्विटी शेयर (40.50%) का लाभांश देने की सिफारिश की है।

(टी) सहायक बही खातों का संतुलन, विदेशी शाखाओं के साथ शेष राशि की पुष्टि/समाधान, अंतर-कार्यालय खाते, नोस्ट्रो खाते, सस्पेंस, ड्राफ्ट देय, समाशोधन अंतर, अन्य कार्यालय खाते आदि का काम निरंतर आधार पर चल रहा है। प्रबंधन की राय में, उपरोक्त के लंबित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र असमायोजित प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

(यू) कुल आय के 1% से अधिक अन्य आय/व्यय

अन्य आय: अन्य आय में बैंक की कुल आय के 1% से अधिक की निम्न आय शामिल है।

विवरण	2024-25	2023-24
बड़े खाते में डाले गए खातों में वसूली	2,365.46	1,467.04

15. यथा 31 मार्च 2025 तक एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण :

क्र. सं	विवरण	राशि
ए	एचटीएम में प्रतिभूतियों का प्रारंभिक वहन मूल्य	1,64,668.00
बी	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	17,013.01
सी	घटाएँ: विनियामक सीमा से छूट प्राप्त स्थितियों के तहत बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	10,362.20
डी	बेची गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (डी=बी-सी)	6,650.82
इ	एचटीएम में प्रतिभूतियों के प्रारंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियाँ (ई=डी/ए)	4.04%

16. यथा 31 मार्च 2025 तक निवेश के वहन मूल्य और उचित मूल्य का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2025						
	एचटीएम		एफएस	एफवीटीपीएल		सहायक कंपनियाँ, सहयोगी और संयुक्त उद्यम (जेवी)	
	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (पुनर्पूजीकरण बॉण्ड सहित)	1,80,366.02	1,81,928.47	26,176.43	16,155.79	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) शेयर	0.00	0.00	0.00	246.98	1,321.30	0.00	0.00
(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	3,216.45	3,251.32	8,663.26	2,041.96	1,248.91	0.00	0.00
(v) सहायक कंपनियाँ, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.38	1,619.38
(vi) अन्य	0.00	0.00	2,000.62	926.99	1,033.14	0.00	0.00
कुल	1,83,582.47	1,85,179.79	36,840.31	19,371.72	3,603.35	1,619.38	1,619.38
घटाएँ: हानि के लिए प्रावधान/एनपीआई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	1,83,582.47	1,85,179.79	36,840.31	19,371.72	3,603.35	1,619.38	1,619.38
II. भारत के बाहर निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	3,502.83	3,658.71	5,521.33	712.97	438.86	0.00	0.00
(ii) सहायक कंपनियाँ, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.05	2,346.05
(iii) अन्य निवेश	153.32	153.67	1,164.44	0.00	266.54	0.00	0.00
कुल	3,656.15	3,812.38	6,685.77	712.97	705.40	2,346.05	2,346.05
घटाएँ: हानि के लिए प्रावधान/एनपीआई	0.00	0.00	(-)47.82	3.97	55.61	0.00	0.00
निवल	3,656.15	3,812.38	6,733.59	708.99	649.78	2,346.05	2,346.05
कुल निवेश (I+II)	1,87,238.62	1,88,992.17	43,573.90	20,080.71	4,253.14	3,965.43	3,965.43

लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपेक्षित प्रकटन :

6.1 लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मर्दे एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

- (i) पूर्व अवधि मर्दे : वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।
- (ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन :

निम्न के अतिरिक्त, 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(ए) आरबीआई ने 12 सितंबर, 2023 के अपने मास्टर निर्देश के जरिए बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए संशोधित मानदंड जारी किए, जो 01 अप्रैल, 2024 से लागू हुए। जबकि अब तक निवेश पोर्टफोलियो को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस) और ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया था, संशोधित मानदंड निवेश पोर्टफोलियो का सिद्धांत-आधारित वर्गीकरण और उचित मूल्य लाभ और हानि का सममित उपचार करते हैं। संशोधित मानदंडों और बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंक ने यथा 01 अप्रैल 2024 तक अपने निवेश पोर्टफोलियो को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस), लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) और एफवीटीपीएल की उप श्रेणी के रूप में व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) और उस तिथि से, संशोधित फ्रेमवर्क के तहत निवेश पोर्टफोलियो के उपाय और मूल्यों के श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है।

01 अप्रैल, 2024 को फ्रेमवर्क में परिवर्तन पर, बैंक ने करों को छोड़कर ₹ 127.46 का निवल लाभ प्राप्त किया है, (निवेश रिजर्व ₹ 406.56 के अंतरण सहित), जिसे उक्त मानदंडों के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया गया है। पिछली अवधि (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए संशोधित फ्रेमवर्क का प्रभाव सुनिश्चित करने योग्य नहीं है और इस प्रकार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निवेश से लाभ या हानि पिछले वर्ष के साथ तुलनीय नहीं है।

(बी) सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों(एसआर) के लिए संशोधित मानदंडों पर आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर. एसटीआर.आरईसी.72/21.04.048/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 के अनुसार, बैंकों को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को ऋण अंतरण करने के वर्ष में लाभ और हानि खाते में किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर रिवर्स करने की अनुमति है, बशर्ते कि विचार केवल नकद और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर हो। ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके ऐसे एसआर का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके कारण, अप्रान्त एमटीएम लाभ के लिए बैंक के शेयर की राशि में ₹ 397.76 की वृद्धि हुई तथा अतिरिक्त प्रावधान को 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान पी एंड एल खाते में रिवर्स किया गया।

6.2 लेखांकन मानक 9 - राजस्व निर्धारण

लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के पैरा 3: प्रमुख लेखांकन नीतियों के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर गिना जाता है। तथापि, उक्त आय को गिनने योग्य नहीं माना जाता है।

6.3 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ :

क्र. सं.	विवरण	वि.व. 2024-2025		वि.व. 2023-2024	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
(i)	प्रयुक्त महत्वपूर्ण बीमांकिक अनुमान:				
	छूट की दर	6.99%	6.71%	7.22%	7.21%
	योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.94%	7.52%	7.77%	7.47%
	वेतन वृद्धि दर	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	एट्रिशन रेट करंट	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	परिनिश्चित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका :				
	वर्ष की शुरुआत में देयता	2,289.02	20,430.10	2,070.55	18,996.40
	ब्याज लागत	157.30	1,386.02	146.40	1,329.95
	वर्तमान सेवा लागत	126.39	1,128.23	116.97	1,051.76
	विगत सेवा लागत	0.00	41.21	0.00	326.05
	भुगतान किया गया लाभ	220.72	2,413.01	242.18	1,999.69
	बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	123.12	1,343.00	197.28	725.63
	वर्ष के अंत में देयता	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,430.10
	पिछली सेवा लागत जिनकी गणना नहीं की गई	0.00	0.00	0.00	41.22
	कुल परिभाषित लाभ दायित्व	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,471.32
(iii)	योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की तालिका :				
	वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	2,223.34	19,922.68	2,055.47	18,459.42
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	154.72	1,485.37	159.58	1,383.08
	योगदान	232.88	2,072.14	238.96	2,111.16
	भुगतान किया गया लाभ	220.72	2,413.01	242.18	1,999.69
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	40.27	321.46	11.51	(-)31.29
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
	कुल बीमांकिक लाभ/(हानि) जिसकी गणना की गई	(-)82.85	(-)1,021.55	(-)185.76	(-)756.92
(iv)	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :				
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	154.72	1,485.37	159.58	1,383.08
	योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	40.27	321.46	11.51	(-)31.29
	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	194.99	1,806.82	171.09	1,351.79
(v)	तुलन पत्र शीट में शामिल राशि:				
	वर्ष के अंत में देयता	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,471.32

क्र. सं.	विवरण	वि.व. 2024-2025		वि.व. 2023-2024	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
	पिछली सेवा लागत जिसे शामिल नहीं किया गया है	0.00	0.00	0.00	41.22
	तुलन पत्र शीट में शामिल राशि	44.62	526.92	65.68	507.42
(vi)	आय विवरणी में शामिल व्यय				
	वर्तमान सेवा लागत	126.39	1,128.23	116.97	1,051.76
	ब्याज लागत	157.30	1,386.02	146.40	1,329.95
	योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	(-)154.72	(-)1,485.37	(-)159.58	(-)1,383.08
	पूर्व वर्षों से संबंधित व्यय जिसे शामिल किया गया है	0.00	0.00	0.00	0.00
	विगत सेवा लागत	0.00	41.21	0.00	142.42
	बीमाकिक (लाभ) या हानि	82.85	1,021.55	185.76	756.92
	लाभ-हानि खाते में शामिल व्यय	211.82	2,091.64	289.55	1,897.97
(vii)	तुलनपत्र समाधान				
	आरंभिक निवल देयता (गत वर्ष तुलना पत्र में शामिल निवल राशि)	65.68	507.42	15.09	536.98
	यथोक्त व्यय	211.82	2,091.64	289.55	1,897.97
	नियोक्ता का अंशदान	(-)232.88	(-)2,072.14	(-)238.96	(-)2,111.16
	अतिरिक्त विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	183.63
	तुलनपत्र में शामिल राशि	44.62	526.92	65.68	507.42
(viii)	आस्तियों की श्रेणी :				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	10.21	2,569.54	15.24	2,597.01
	इक्विटी	0.00	1,071.34	0.00	813.33
	कॉरपोरेट बाण्ड	35.04	5,911.16	42.26	6,158.30
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	0.00	3,986.63	0.00	3,064.92
	बीमा	2203.68	6,931.40	2,090.00	6,740.13
	अन्य	181.56	918.56	75.84	548.99
	कुल	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
(ix)	अनुभव समायोजन :				
	योजना दायित्व (लाभ)/हानि	41.01	(-)545.48	124.29	410.04
	योजनागत संपत्ति (हानि)/लाभ	40.27	321.46	11.51	(-)31.29

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

विवरण	31.03.2025		31.03.2024	
	देयता	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(डबल्यू/बैक)	देयता	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(डबल्यू/बैक)
अवकाश नकदीकरण	1,279.43	73.07	1,206.35	5.31
छुट्टी यात्रा रियायत	63.17	0.34	62.83	0.25
पुनर्वास लाभ	9.07	0.47	8.60	0.53
माइलस्टोन अवार्ड	4.88	0.24	4.64	0.05
बीमारी छुट्टी **	4.28	1.20	3.08	0.08

* अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए एक्चूरियल अनुमान ग्रेच्युटी के लिए प्रयुक्त के समान ही हैं।

बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, के लिए रु. 544.39 (विगत वर्ष रु. 445.17) का अंशदान दिया है।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 2,064.09 (विगत वर्ष रु. 2,356.36) और ग्रैच्युटी के लिए रु. 27.61 (विगत वर्ष रु. 25.38) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

योजना में अधिशेष/घाटा:

विवरण	ग्रैच्युटी योजना				
	वि.व. 2024-25	वि.व. 2023-24	वि.व. 2022-23	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21
परिभाषित लाभ देयता	2,475.11	2,289.02	2,070.55	1,898.52	1,935.33
योजनागत आस्तियों	2,430.49	2,223.34	2,055.47	1,887.32	1,930.63
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(-)44.62	(-)65.68	(-)15.09	(-)11.20	(-)4.70
योजनागत देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	41.01	124.29	240.77	152.27	315.39
योजनागत आस्तियों (हानि)/लाभ पर अनुभव समायोजन	40.27	11.51	(-)5.88	(-)42.37	86.25

विवरण	पेंशन योजना				
	वि.व. 2024-25	वि.व. 2023-24	वि.व. 2022-23	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21
परिभाषित लाभ देयता	21,915.55	20,471.32	19,180.02	18,379.20	16,837.05
योजनागत आस्तियों	21,388.63	19,922.68	18,459.42	17,604.64	16,531.02
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	0.00	41.22	183.62	489.67	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(-)526.92	(-)507.42	(-)536.99	(-)284.88	(-)306.03
योजनागत देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	(-)545.48	410.04	843.92	1,092.69	791.71
योजनागत आस्तियों (हानि)/लाभ पर अनुभव समायोजन	321.46	(-)31.29	(-)45.52	(-)694.35	(-)620.28

6.4 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

भाग क : कारोबार खंड

कारोबार खंड	कोषागार परिचालन (1)		थोक बैंकिंग परिचालन (2)		खुदरा बैंकिंग परिचालन (3)		डिजिटल बैंकिंग (3) (i)		अन्य रिटेल बैंकिंग (3) (ii)		(*)अन्य बैंकिंग परिचालन (4)		कुल (1+2+3+4)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व	22,741.41	18,170.64	26,838.20	23,097.82	31,053.26	25,955.95	0.63	0.26	31,052.63	25,955.69	0.00	0.00	80,632.86	67,224.41
गैर-आर्बिट्रि राजस्व													263.70	646.53
घटा : अंतर खंड राजस्व													1,076.64	1,066.60
कुल राजस्व													79,819.92	66,804.34
परिणाम	6,082.48	4,706.80	1,894.43	784.06	7,220.81	6,759.91	(-)0.46	(-)0.75	7,221.26	6,760.66	0.00	0.00	15,197.71	12,250.77
गैर-आर्बिट्रि व्यय													(-)2,763.27	(-)2,151.70
कर पूर्व लाभ/ (हानि)													12,434.44	10,099.07
आयकर													3,215.42	3,781.15
असाधारण लाभ/ (हानि)														
निवल लाभ/(हानि)													9,219.02	6,317.92
अन्य जानकारी :														
खंड आस्तियां	3,51,187.63	3,08,765.24	3,80,856.8	3,33,854.50	2,82,218.80	2,52,894.05	6.65	7.16	2,82,212.13	227,710.31	0.00	0.00	10,14,263.2	895,513.79
गैरआर्बिट्रि आस्तियां													28,318.75	17,084.13
कुल आस्तियां													1042,581.95	912,597.92
खंड देयताएं	3,31,339.32	287,690.56	3,65,429.45	319,774.68	2,59,782.50	227,748.20	7.10	7.89	2,59,775.38	227,740.31	0.00	0.00	956,551.25	835,213.44
गैर आर्बिट्रि देयताएं													7,429.25	8,503.81
कुल देयताएं													963,980.50	843,717.25

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण "अन्य बैंकिंग परिचालन" नहीं है।

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

भौगोलिक खण्ड	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
विवरण	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व	70276.73	58,249.70	9543.19	8,554.64	79819.92	66,804.34
आस्तियां	881584.35	782,112.76	160997.60	130,485.16	1042581.95	912,597.92

बैंक ने लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार** : कोषागार खंड में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों की डीलिंग, डिनिवेस्टिव कांट्रैक्ट सहित मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग** : थोक बैंकिंग में वह सभी उधार गतिविधियां सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग** : खुदरा बैंकिंग खंड में डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग शामिल हैं :

डिजिटल बैंकिंग में डीबीयूज द्वारा अधिग्रहित डिजिटल बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं।

अन्य रिटेल बैंकिंग में सभी आवास ऋण खाते और रु. 7.50 करोड़ तक एक्सपोजर वाले उधारकर्ता खाते शामिल हैं।

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की पूर्ति जमा राशियों और उधार राशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का आबंटन:

ए)- किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षतः संबंधित व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

बी)- जो व्यय किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षतः संबंधित न हो उन्हें कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खंड : भौगोलिक खण्ड

ए) घरेलू परिचालन

बी) अंतरराष्ट्रीय परिचालन

6.5 **लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्ष से संव्यवहार** : (प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया।)

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ : श्री रजनीश कर्नाटक

कार्यपालक निदेशक गण : श्री पी. आर. राजगोपाल

श्री एम. कार्तिकेयन

(31.03.2025 को सेवानिवृत्त)

श्री सुब्रत कुमार

श्री राजीव मिश्रा

(ख) अनुषंगियाँ:

- बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
- बैंक ऑफ़ इंडिया इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लि. (भूतपूर्व बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड)
- बैंक ऑफ़ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि. (भूतपूर्व बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लिमिटेड)
- बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.
- पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
- बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.
- बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.
- बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.

(ग) सहायक कंपनियाँ:

- एसटीसीआई फाइनेन्स लिमिटेड
- एसआरआईसी (इंडिया) लि.
- इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

(घ) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक
- विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक
- आर्यावर्त बैंक

(ड.) संयुक्त उद्यम

स्टार यूनिन दार्ई- ईची लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लि.

संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा आश्रयित)

विवरण	अनुषंगियों/ सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदार		कुल	
	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान संव्यवहार						
प्राप्त व्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त व्याज	423.22	698.96	0.00	0.00	423.22	698.96
प्राप्त लाभांश	19.25	8.61	0.00	0.00	19.25	8.61
अन्य आय	229.56	394.44	0.00	0.00	229.56	394.44
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्पोरेट बॉण्ड और अन्य मौद्रिक बाजार लिखत की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्त की गयी जमराशि	14.07	(-)18.04	0.00	0.00	14.07	(-)18.04
परिपक्व जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिये गए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चुकाए गए ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एनपीए की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
किए गए निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत जारी इक्विटी शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के समाप्त में यथा बकाया	यथा 31.03.2025	यथा 31.03.2024	यथा 31.03.2025	यथा 31.03.2024	यथा 31.03.2025	यथा 31.03.2024
देय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमाराशियां स्वीकार्य	132.69	118.61	0.00	0.00	132.69	118.61
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिये गए ऋण	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00
जमाराशियों का नियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्त राशियां(अग्रिम)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश	180.51	180.51	0.00	0.00	180.51	180.51
गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल संपत्तियों की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य अस्तियाँ	5.49	7.16	0.00	0.00	5.49	7.16

पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियों के साथ संव्यवहार और चूँकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हैं उनके साथ संव्यवहारों का प्रकटन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार नहीं किया गया है जिसमें 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों' को अन्य संबद्ध पार्टियों, जो स्वयं 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के साथ उनके संव्यवहारों से संबंधित कोई भी प्रकटन करने से छूटप्राप्त है, के साथ किए गए अपने संव्यवहारों का प्रकटन करने से छूट प्राप्त है। इसके अलावा लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

6.6 लेखांकन मानक 19 - पट्टा: - परिचालनगत पट्टे बैंक के विकल्प पर रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालनगत पट्टों हेतु लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किए गए पट्टा व्ययों की राशि ₹ 748.44 (पिछले वर्ष ₹ 717.00) है।

6.7 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में) :

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	बेसिक ईपीएस	20.25	14.90
2.	डाइल्यूटेड ईपीएस	20.25	14.90

मूलभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(क)	वर्ष के लिए इक्विटी शेयाधारकों को प्राप्य निवल लाभ / (हानि)	9,219.02	6,317.92
(ख)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़ में)	455.27	424.10
(ग)	मूलभूत प्रति शेयर आय (क/ख) (रु.)	20.25	14.90
(घ)	इक्विटी शेयरों की डायल्यूटिव क्षमता सहित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	455.27	424.10
(ड.)	प्रतिशकयर डायल्यूटिव आय (क/ड.) (रु.)	20.25	14.90
(च)	प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (रु.)	10.00	10.00

6.8 लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

6.8.1 आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
	आस्थगित कर आस्तियां		
i)	संदेहास्पद कर्ज तथा अग्रिमों के संबंध में प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	2,044.96	3,716.83
ii)	अन्य प्रावधान/मदों के निमित्त समय अन्तर के कारण	200.61	234.23
iii)	विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व के कारण (FCTR)	244.46	176.22
iv)	अन्य	692.09	394.70
	कुल आस्थगित कर आस्तियाँ	3,182.12	4,521.98
	आस्थगित कर देयता		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास के कारण	179.79	151.25
ii)	प्रोद्भूत व्याज जो देय नहीं हैं के कारण	957.68	831.51
iii)	आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(01)(viii) के कारण कटौती*	659.40	659.40
iv)	अन्य	81.67	0.00
	कुल आस्थगित कर देयताएं	1,878.54	1,642.16
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/ (देयताएं)	1,303.58	2,879.82

* 431.67 पुरानी आरक्षितियों में से और लाभ में से शेष

6.8.2 वर्ष के दौरान आय कर हेतु किए गए प्रावधानों की राशि

विवरण	2024-25	2023-24
मौजूदा कर	1,343.51	23.09
आस्थगित कर	1,871.92	3,758.06
कुल कर व्यय	3,215.43	3,781.15

बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पुरानी कर व्यवस्था से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होने के अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया, जो आकलन वर्ष 2023-24 से प्रभावी होगा।

6.9 लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना:

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप और विदेशी परिचालन को युक्तिसंगत बनाने के लिए रणनीतिक पहल के एक भाग के रूप में, वित्तीय वर्ष 2019-20 में, बैंक ने अपनी विदेशी सहायक कंपनी यानि बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड को रु 14.64 के मूल्य पर बेच दिया है और रु 18.31 की निवेश की शेष लागत पूरी तरह से प्रावधान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, हम पुष्टि करते हैं कि हमारी सहायक कंपनियों का कोई विनिवेश नहीं है।

6.10 लेखांकन मानक 27- संयुक्त उद्यमों में निवेश :

निवेशों में रु.98.17 (पिछले वर्ष रु.98.17) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में बैंक-हित को दर्शाता है :-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि	निवास देश	होलडिंग %
1	स्टार यूनिन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.,	98.17	भारत	27.48%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	507.62	353.62
जमाराशियां	-	-
उधार	34.35	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	8,018.40	6,972.39
कुल	8,560.37	7,326.01
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	180.85	94.04
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	-	-
निवेश	8,210.49	6,939.28
अग्रिम	24.86	12.54
अचल आस्तियां	25.61	19.52
अन्य आस्तियां	118.56	260.63
कुल	8,560.37	7,326.01

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
पूँजीगत प्रतिबद्धताएं	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	36.61	39.26
आय		
अर्जित ब्याज	24.07	22.63
अन्य आय	70.87	57.83
कुल	94.94	80.46
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	2.66	-
परिचालन व्यय	68.55	33.19
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	1.17	(-)0.48
कुल	72.38	32.71
लाभ / (हानि)	22.56	47.75

6.11 परिसंपत्तियों की हानि (लेखांकन मानक 28) :

बैंक की अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नीति के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है और एस 28 के अनुसार अचल संपत्तियों की हानि 'शून्य' है।

6.12 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां” (लेखांकन मानक 29)

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं*	
	2024-25	2023-24
प्रारंभिक शेष	88.60	64.09
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	27.23	26.74
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	12.73	2.23
अंतिम शेष	103.10	88.60
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

* अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/मध्यस्थता / न्यायालय के बाहर का समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, संबंधित पक्षों द्वारा की गई मांग एवं विस्तार, जैसा भी मामला हो, पर क्रमशः निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

17. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनर्वर्गीकृत/पुनःश्रेणीबद्ध किया।

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated, figures in brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

1. Capital (As per BASEL-III):**(a) Composition of Regulatory Capital:**

S.No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	66,193.86	58,660.28
ii)	Additional Tier 1 capital	2,801.65	2,852.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	68,995.52	61,512.28
iv)	Tier 2 capital	10,244.05	8,394.53
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	79,239.57	69,906.81
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	4,45,961	4,12,078
vii)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)	14.84%	14.24%
viii)	Tier I Capital ratio (%)	15.47%	14.93%
ix)	Tier II Capital ratio (%)	2.30%	2.04%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	17.77%	16.96%
xi)	Leverage Ratio	6.23%	6.45%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	73.38%	73.38%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	0.00	4,500.00
xiv)	Share application money pending for allotment	0.00	0.00
xv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which:		
	a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	0.00	0.00
	b) Basel III complaint Perpetual Additional Tier-I Debt Instruments	0.00	0.00
xvi)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which	2,500.00*	2,000.00
	a) Perpetual Cumulative Preference Shares	0.00	0.00
	b) Basel III Compliant redeemable Tier-II Bond Series	2,500.00*	2,000.00

The computation of Capital to Risk weighted asset Ratio & Leverage ratio as on March 31, 2024 is arrived at after

2. Asset Liability Management**(a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March, 2025**

Details	Day 1	2to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 Days to 2 months	Over 2 months and up to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	TOTAL (1 TO 10)
Deposits\$	24,983.57 (9,775.46)	24,616.51 (13,539.73)	15,285.96 (13,828.73)	23,463.27 (15,032.43)	43,965.05 (29,326.33)	41,244.76 (31,425.89)	54,887.10 (46,051.04)	74,539.81 (47,227.88)	94,948.92 (53,037.26)	80,013.49 (42,534.90)	3,38,593.04 (4,36,140.58)	8,16,541.49 (7,37,920.21)
Advances#	23,547.69 (16,593.69)	8,153.88 (6,791.71)	8,057.40 (7,769.95)	15,865.04 (15,329.67)	16,934.50 (16,888.05)	18,119.14 (18,083.48)	31,203.10 (26,146.71)	38,077.72 (39,381.37)	2,78,383.39 (2,22,060.13)	65,633.77 (58,512.27)	1,45,681.41 (1,35,587.64)	6,49,657.04 (5,63,144.67)
Investments	114.97 (200.68)	1,464.95 (2,143.41)	0.00 (1,577.50)	1,163.89 (2,885.21)	3,985.42 (523.08)	2,240.38 (564.32)	7,699.14 (4,473.23)	2,952.27 (4,993.62)	28,149.22 (17,872.31)	39,776.52 (32,402.84)	1,71,565.05 (1,59,508.26)	2,59,111.80 (2,27,144.47)
Borrowings	2,474.17 (8.59)	30,289.73 (22,289.64)	232.25 (308.04)	653.21 (80.47)	676.38 (10,957.70)	2,923.76 (5,852.26)	12,114.38 (11,990.93)	33,552.74 (9,818.03)	19,429.84 (13,199.42)	8,802.30 (6,419.00)	12,707.67 (0.00)	1,23,856.43 (80,924.07)
Foreign Currency Assets##	3,586.40 (1,652.46)	9,386.78 (3,547.51)	1,151.29 (1,627.08)	16,185.28 (9,524.27)	18,629.89 (9,917.85)	20,261.29 (11,118.86)	21,525.73 (15,745.47)	9,284.04 (12,466.81)	32,943.63 (23,593.31)	23,532.40 (17,992.02)	10,287.59 (9,501.57)	1,66,774.32 (1,16,687.23)
Foreign Currency Liabilities\$\$	4,625.14 (1,753.01)	11,622.27 (4,320.33)	2,811.39 (6,716.39)	10,709.84 (6,541.70)	13,898.84 (16,480.77)	12,954.58 (16,952.48)	24,019.04 (24,584.71)	37,173.87 (12,354.49)	20,905.02 (17,016.65)	15,027.87 (12,182.31)	140.49 (4,263.47)	1,53,888.34 (1,23,166.32)

considering the effect of Net Present Value of non-interest bearing recapitalization bond infused as capital by the Government of India during the FY ended 31.03.2021.

Pursuant to RBI Circular No. DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023-24 dated May 12, 2023, the Bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratios.

*The Bank has raised Tier 2 Bonds of ₹ 2,500 during September 2024 (Coupon rate: 7.49%).

(a1) Details of outstanding Additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under:

As on 31.03.2025

Raised during the Financial year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2020-21	Additional Tier 1	1,352.00	1,352.00
2022-23	Additional Tier 1	1,500.00	1,500.00
	Total	2,852.00	2,852.00

(a2) Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under:

As on 31.03.2025

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2015-16	Tier-II	3,000.00	0.00
2020-21	Tier-II	1,800.00	1,800.00
2023-24	Tier-II	2,000.00	2,000.00
2024-25	Tier II	2,500.00	2,500.00
	Total	9,300.00	6,300.00

Bank has redeemed Tier II Bonds Series X & Series XI amounting to ₹ 1,000 & ₹ 500 on September 25, 2023 and September 30, 2023 respectively.

Bank has raised Basel III Complaint Tier II Bonds Series XVI amounting to ₹ 2,000 on September 15, 2023.

Bank has raised Basel III Complaint Tier II Bonds Series XVII amounting to ₹ 2,500 on September 26, 2024.

(b) Draw down from Reserves:

During the year ended March 31, 2025, there has been no drawdown from reserves to the Profit and Loss Account.

\$ including deposits in Foreign Currency

including advances in Foreign Currency

Foreign Currency on Balance Sheet Assets represent Advances and Investments

\$\$ Foreign Currency on Balance Sheet Liabilities represent Borrowings and Deposits

Note: The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31st March 2025 is based on the following:

- RBI Guidelines on ALM
- Behavioural studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality

(b) Liquidity Coverage Ratio: As compiled by the management

Quantitative Disclosure:

Sr. No.	AMOUNT IN RS CRS	FY 2024-25*		FY 2023-24*	
		Total Unweighted Value (average) @	Total Weighted Value(average) @	Total Unweighted Value (average) @	Total Weighted Value(average) @
HIGH QUALITY LIQUID ASSETS					
1	Total High Quality Assets(HQLA)		177,088.23		155,585.17
CASH OUTFLOW					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	508,561.04	39,505.95	518,171.71	45,101.08
(i)	Stable deposits	227,003.04	11,350.15	134,321.76	6,716.09
(ii)	Less stable deposits	281,558.00	28,155.80	383,849.94	38,384.99
3	Unsecured wholesale funding of which:	180,279.42	107,686.92	101,480.07	57,036.96
(i)	Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-
(ii)	Non -operational deposits (all counterparties)	120,987.50	48,395.00	74,071.86	29,628.74
(iii)	unsecured debts	59,291.92	59,291.92	27,408.21	27,408.21
4	Secured wholesale funding		1,243.16		208.94
5	Additional requirements, of which	107,379.97	27,983.99	76,157.78	18,813.14
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	10,194.61	10,194.61	6,826.93	6,826.93
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-
(iii)	Credit and liquidity facilities	97,185.36	17,789.38	69,330.85	11,986.21
6	Other contractual funding obligations	20,147.32	20,147.32	17,974.56	17,974.56
7	Other contingent funding obligations	40,641.41	1,219.24	34,733.24	1,042.00
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		197,786.59		140,176.67
CASH INFLOW					
9	Secured lending(e.g. reverse repos)	4,011.36	2,657.96	3,595.18	2,421.74
10	Inflows from fully performing exposurs	33,369.69	25,766.48	26,038.22	20,583.85
11	Other cash inflows	22,707.41	20,076.36	16,835.62	15,562.34
12	TOTAL CASH INFLOWS	60,088.47	48,500.80	46,469.03	38,567.94
13	TOTAL HQLA		177,088.23		155,585.17
14	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		149,285.79		101,608.74
15	LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		118.62		153.12

Note:-

*On consolidated basis (including domestic operations, overseas centres and overseas subsidiaries)

@ Disclosure as on 31.03.2025 as well as 31.03.2024 has been done by taking simple averages of daily observations over previous 4 quarters (i.e. average for the FY 2024-25 & FY 2023-24 respectively). This is as per RBI guidelines ref. no. DBR. No.BP.BC.80 /21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015.

Qualitative disclosures with regard to LCR

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is one of the Basel Committee's key reforms to develop a more resilient banking sector. The LCR, a global standard, is also used to measure your Bank's liquidity position. LCR seeks to ensure that the Bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs under a 30-day calendar liquidity stress scenario. The LCR helps in improving the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, thus reducing the risk of

spill over from the financial sector to the real economy. Based on Basel III norms, your Bank's average LCR stood at 118.62 per cent on a consolidated basis for financial year 2024-25 as against the regulatory threshold at 100 per cent.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until next 30 calendar days under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Liquid assets comprise of high-quality assets that can be readily encashed or used as collateral to obtain cash in a range of stress scenarios.

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need. While Level 1 assets are with 0% haircut, Level 2A and Level 2B assets are with 15% and 50% haircuts respectively.
- Net cash outflows are excess of total outflow over total inflow under stressed situation as defined by Basel / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors. In order to determine cash outflows, the Bank segregates its deposits into various customer segments, viz., Retail (which include deposits from individuals), Small Business Customers (those with deposits upto ₹ 7.5), and Wholesale (which would cover all residual deposits). Within Wholesale, deposits that are attributable to clearing, custody, and cash management services are classified as Operational Deposits. Other contractual funding, including a portion of other liabilities which are expected to run down in a 30 day time frame are included in the cash outflows. These classifications, based on extant regulatory guidelines, are part of the Bank's LCR framework, and are also submitted to the RBI.
- Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows. In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.

Main Drivers of LCR: The main drivers of the LCR are adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Sufficient stock of HQLA helped the Bank to maintain adequate LCR.

Composition of HQLA: The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR, Securities under MSF and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

The composition of Average HQLA for the financial year ended

March 2025 of disclosure is given below:

Cash in hand	2.01%
Excess CRR balance	3.14%
Government securities in excess of minimum SLR Requirement	22.22%
Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent of allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 percent of NDTL as allowed for MSF)	7.87%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardized approach and other securities adjustments on account of Repo/Reverse Repo transactions	3.13%
Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio	61.77%
Level 2 Assets	0.67%
Adjustment in HQLA to reflect liquidity transfer restrictions	(-)0.81%

Concentration of funding sources: Majority of Bank's funding sources are from retail customers & small business customers therefore the stressed outflows are comparatively lower. Bank does not have significant funding concentration from any counterparty. In the Indian context, the run-off factors for the stressed scenarios are prescribed by the RBI, for various categories of liabilities (viz., deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), undrawn commitments, derivative-related exposures, and offset with inflows emanating from assets maturing within the same time period. Given below is a table of run-off factors for deposits:

Particulars	Run-off factors
Retail Deposits	5% - 10%
Small Business Customers	5% - 10%
Operational deposits	5% - 25%
Non-financial corporates, sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs	40%
Other legal entities	100%

Derivative Exposures and potential collateral calls: Bank has very little exposure in derivative business which is not very significant.

Currency mismatch in the LCR: In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. In our case, USD is the only significant currency.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units: The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored by the ALCO at regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank is being governed by Global ALM Policy of the Bank. Liquidity for the Bank's domestic banking operations is directly managed at the Head Office. The overseas branches and offshore unit of the Bank independently manage their liquidity requirements with support from the Head Office. Similarly, the Bank's subsidiaries independently manage their liquidity requirements under guidance of the R.COM, which, along with

senior management of the subsidiaries, reviews the risk assessment of material risks at the subsidiaries. Further, the Bank maintains suitable systems and processes to monitor liquidity requirements in other currencies as appropriate.

The average LCR based on daily average for the financial year ended March 31, 2025 was at 118.62% as against 153.12% for the financial year ended March 31, 2024 and this is well above the present prescribed minimum regulatory requirement of 100%. The average HQLA for the financial year ended March 31, 2025 was ₹ 1,77,088.23 with 100.14% being Level 1 Assets whereas Level 2A and level 2 B assets constitute 0.56% and 0.11% respectively. The adjustment in average HQLA is (0.81%). During the financial year, the weighted average HQLA level has increased by ₹ 21,503.06 primarily on account of increase in excess SLR balance. Further, weighted average net cash outflows position has increased by ₹ 47,677.05 during the financial year, mainly on account of increase in cash outflows under the head unsecured wholesale funding.

The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources, which are well diversified. Management is of the view that the Bank has sufficient liquidity cover to meet its likely future commitments.

(d) Net Stable Funding Ratio:

Amount in (Rs. Crores)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥1 yr	
ASF Item						
1	Capital: (2+3)	77,032.15	0.00	0.00	18,990.00	96,022.15
2	Regulatory capital	77,032.15	0.00	0.00	6,300.00	83,332.15
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	12,690.00	12,690.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	236,682.80	75,665.48	116,093.34	0.00	395,833.14
5	Stable deposits	142,497.80	25,429.89	36,786.07	0.00	194,478.07
6	Less stable deposits	94,185.00	50,235.59	79,307.27	0.00	201,355.07
7	Wholesale funding: (8+9)	34,189.05	57,078.51	96,738.41	0.00	94,002.98
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	34,189.05	57,078.51	96,738.41	0.00	94,002.98
10	Other liabilities: (11+12)	11,779.61	155,801.47	854.75	165,670.98	115,228.66
11	NSFR derivative liabilities		201.77	0.00	0.00	0.00
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	11,779.61	155,599.70	854.75	165,670.98	115,228.66
13	Total ASF (1+4+7+10)					701,086.93
RSF Item						
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)	0	0	0	0	8,074.99
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	45.32	0.00	0.00	0.00	22.66
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	220,376.69	199,571.09	257,902.79	379,523.08
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	17,729.06	33,598.21	0.00	19,458.46
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	202,647.63	165,972.88	196,440.47	312,545.89
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	202,647.63	165,972.88	196,440.47	312,545.89

Amount in (Rs. Crores)		Unweighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1 yr	≥ 1 yr	
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	23,621.24	15,353.80
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	23,621.24	15,353.80
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	37,841.08	32,164.92
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	9,796.81	20,106.78	0.00	145,561.87	167,849.43
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	NSFR derivative assets		14,113.62	0.00	659.66	14,773.29
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		323.16	0.00	0.00	323.16
29	All other assets not included in the above	9,796.81	5,670.00	0.00	144,902.21	152,752.99
30	Off-balance sheet items		54,603.83	50,533.01	46,669.25	6,657.93
31	Total RSF					562,128.09
32	NSFR %					124.72%

Items to be reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity.

These may include, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities.

The objective of the Net Stable Funding Ratio (NSFR) is to promote the resilience of bank's liquidity risk profiles and to incentivize a more resilient banking sector over a longer time horizon. The NSFR guidelines ensure reduction in funding risk over a longer term horizon by requiring banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Amount of Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Amount of Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%$$

RBI issued the regulations on the implementation of the Net Stable Funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 1st October, 2021. NSFR is computed at Bank's standalone and consolidated level.

Available Stable Funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable which is determined by various factors / weights according to the nature and maturity of liabilities viz. liabilities having maturity of 1 year or more receiving 100% weight.

Required Stable Funding (RSF) is defined as the portion of on balance sheet and off-balance sheet exposures which requires to be funded on an ongoing basis. The amount of such stable

funding required is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held.

Brief about NSFR of the Bank

The main drivers of the Available Stable Funding (ASF) are the capital base, retail deposit base, and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. The capital base formed around 14%, retail deposits (including deposits from small sized business customers) formed 56% and wholesale funding formed 13% of the total Available Stable Funding, after applying the relevant weights.

The Required Stable Funding primarily comprised lending to corporates, retail clients and financial institutions which constituted 68% of the total RSF after applying the relevant weights. The stock of High-Quality Liquid Assets which majorly includes cash and reserve balances with the RBI, government debt issuances attracted no or low amount of stable funding due to their high quality and liquid characteristic. Accordingly, the HQLA constituted only 1% of the Required Stable Funding after applying the relevant weights. Other assets and Contingent funding obligations, such as committed credit facilities, guarantees and letters of credit constituted 31% of the Required Stable Funding.

Bank's NSFR comes to 124.72% at consolidated basis as on 31st March 2025 and is above the minimum regulatory requirement of 100% set out by RBI. As on 31st March 2025, the weighted Available Stable Funding (ASF) position stood at ₹ 7,01,086.93 and weighted Required Stable Funding (RSF) position stood at ₹ 5,62,128.09.

3. Investments

(a) Composition of Investment Portfolio

Investments as at 31.03.2025#

	Investments in India					Investments Outside India					Total Investments		
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Others	Total Investments in India	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds		Others	Total investments outside India
Held to Maturity													
Gross	1,80,366.02	0.00	0.00	3,216.45	0.00	1,83,582.47	3,502.83	0.00	0.00	0.00	153.32	3,656.15	1,87,238.62
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provision for (Depreciation)/Appreciation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1,80,366.02	0.00	0.00	3,216.45	0.00	1,83,582.47	3,502.83	0.00	0.00	0.00	153.32	3,656.15	1,87,238.62
Available For Sale													
Gross	25,971.07	0.00	0.00	8,629.17	2,000.62	36,600.86	5,521.33	0.00	0.00	0.00	1,164.43	6,685.76	43,286.62
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provision for (Depreciation)/Appreciation	205.36	0.00	0.00	34.09	0.00	239.44	(-)40.62	0.00	0.00	0.00	(-)7.21	(-)47.82	191.62
Net	26,176.43	0.00	0.00	8,663.26	2,000.62	36,840.31	5,561.95	0.00	0.00	0.00	1,171.64	6,733.58	43,573.89
FVTPL-HFT													
Gross	16,109.41	0.00	271.87	2,036.48	927.26	19,345.02	712.96	0.00	0.00	0.00	0.00	712.96	20,057.98
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provision for (Depreciation)/Appreciation	46.37		(-)24.89	5.48	(-)0.27	26.70	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	30.67
Net	16,155.78	0.00	246.98	2,041.96	926.99	19,371.72	708.99	0.00	0.00	0.00	0.00	708.99	20,080.70

	Investments in India					Investments Outside India					Total Investments	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Others	Total investments in India	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds		Others
FVTPL-NHFT												
Gross	0.00	0.00	1,157.44	1,250.00	1,006.37	3,413.80	438.86	0.00	0.00	0.00	266.54	705.40
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provision for (Depreciation)/ Appreciation	0.00	0.00	163.86	(-)1.09	26.78	189.55	-1.91	0.00	0.00	0.00	57.49	55.58
Net	0.00	0.00	1,321.30	1,248.91	1,033.15	3,603.35	440.77	0.00	0.00	0.00	209.05	649.81
Subsidiaries & Joint Ventures												
Gross	0.00	0.00	1,619.38	0.00	0.00	1,619.38	0.00	0.00	2,346.05	0.00	0.00	2,346.05
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provision for (Depreciation)/ Appreciation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	1,619.38	0.00	0.00	1,619.38	0.00	0.00	2,346.05	0.00	0.00	2,346.05
Total Investments	2,22,446.50	0.00	3,048.69	15,132.09	3,934.25	2,44,561.54	10,175.98	0.00	2,346.05	0.00	1,584.29	14,106.32
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provision for (Depreciation)/ Appreciation	251.73	0.00	138.97	38.48	26.51	455.69	(-)38.55	0.00	0.00	0.00	50.28	11.73
Net	2,22,698.24	0.00	3,187.66	15,170.57	3,960.76	2,45,017.23	10,214.53	0.00	2,346.05	0.00	1,534.00	14,094.59
												2,59,111.81

Investments as at 31.03.2024#

	Investments in India						Investments outside India				Total Investments	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others		Total Investments outside India
Held to Maturity												
Gross	162,669.92	0.00	1.11	805.21	1,496.06	61.66	165,033.95	0.00	2,298.46	0.00	2,298.46	167,332.41
Less: Provision for nonperforming investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86	1.86
Net	162,669.92	0.00	1.11	805.21	1,496.06	61.66	165,033.95	0.00	2,296.60	0.00	2,296.60	167,330.55
Available for Sale												
Gross	36,056.78	0.00	1,676.47	11,839.68	0.00	4,077.28	53,650.21	7,875.06	0.00	1,457.38	9,332.44	62,982.65
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	805.33	694.12	0.00	1,099.97	2,599.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.42
Net	36,056.78	0.00	871.14	11,145.56	0.00	2,977.31	51,050.79	7,875.06	0.00	1,457.38	9,332.44	60,383.23
Held for Trading												
Gross	1,273.76	0.00	2.47	9.97	0.00	0.00	1,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.20
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1,273.76	0.00	2.47	9.97	0.00	0.00	1,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.20
Total Investments	200,000.46	0.00	1,680.05	12,654.86	1,496.06	4,138.93	219,970.36	7,875.06	2,298.46	1,457.38	11,630.90	231,601.26
Less: Provision for nonperforming investments	0.00	0.00	805.33	694.12	0.00	1,099.97	2,599.42	0.00	1.86	0.00	1.86	2,601.28
Less: Provision for depreciation and NPI	1.39*	0.00	159.26	930.42	42.38	350.08	1,483.52	298.17	0.00	73.82	371.99	1,855.51
Net	199,999.07	0.00	715.46	11,030.32	1,453.68	2,688.88	215,887.42	7,576.89	2,296.60	1,383.56	11,257.05	227,144.47

Note: RBI vide its Master Direction dated September 12, 2023 changed the classification norms for Investment Portfolio, as per which, Bank has reclassified its investment portfolio as on April 01, 2024 and onwards. For details, refer Note 6.1 (ii) (a) for change in Accounting Policy. Accordingly, disclosure for Financial Year 2024-25 is not comparable with disclosure for Financial Year 2023-24.

- (i) Government Securities (Face Value) amounting to ₹ 54,267.64 (previous year ₹ 35,489.39) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing House and Exchange towards margin/security settlement.
- (ii) Bank's Joint Venture Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Limited has issued 1,82,72,424 fully paid equity shares, face value of ₹ 10 each at premium of ₹ 291 per share on right basis to existing shareholders. However, the Bank did not subscribe to any additional shares, which has resulted in reduction of Bank's stake from 28.96% to 27.48%. Accordingly, Bank's share in the reserves of said joint venture has reduced by ₹ 22.10.
- (iii) During the year ended March 31, 2025, the Bank has been allotted proportionate equity share capital by one of its existing associate Regional Rural Bank, namely Aryavart Bank of ₹ 152.04 against pending share application money made in FY 2022-23.
- (iv) Bank was also allotted shares for the additional investment of ₹ 49.46 in one of its wholly owned subsidiary, namely, Bank of India (Uganda) Limited.

(b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
a) Opening balance	4,456.81	4,433.13
Less: Transfer to general Reserve due to new RBI Circular	4,456.81	0.00
New Opening Balance (As on 1st April, 2024)*	0.00	0.00
b) Add: Provisions made during the year	461.38	939.93
c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	905.31	871.11
d) Add/(Less): Adjustments on account of exchange difference	0.00	(-)45.14
e) Closing balance	(-)443.93	4,456.81
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve		
a) Opening balance	1,285.38	1,079.02
b) Add: Amount transferred during the year	0.00	206.36

Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
c) Less: Drawdown	0.00	0.00
d) Closing balance	1,285.38	1,285.38
iii) Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/ Current category	2.03%	2.00%

*In Compliance with RBI Master Directions on Classification, Valuation and Operation of Investment portfolio of Commercial Bank (Directions) 2023, the Depreciation held in books as on 31.03.2024 has been transferred to General Reserve during reclassification of Investment portfolio.

(c) Sale and transfers to/from HTM categories during the financial year 2024-25:

The total value of sale of securities from HTM category during April 1, 2024 to March 31, 2025 has not exceeded 5% of the opening carrying value of investments held in HTM category as on April 1, 2024 in compliance with RBI Master Directions on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions) 2023 dated September 12, 2023.

Further as per the above Master Directions, Banks shall not reclassify investments between categories without approval of their Board of Directors and subsequent approval from Department of Supervision, RBI.

Sale of Securities from HTM during FY 2024-25 (Other than one time Shifting & sale under OMO)	6,650.82	Sale in % (<5%) =4.04%
Opening carrying value of securities held in HTM Category as on 01.04.2024	164,668.00	

(d) Non-SLR investment portfolio

i. Non-performing non-SLR investments

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(a)	Opening balance	2,601.29	3,016.60
(b)	Additions during the year	0.00	233.83
(c)	Less: Reductions during the above period*	2,601.29	649.14
(d)	Closing balance	0.00	2,601.29
(e)	Total provisions held	0.00	2,601.29

*Reduction is due to new RBI master direction dated September 12, 2023.

ii. Issuer Composition of non-SLR Investments

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	Extent of 'Unrated' Securities*	Extent of 'Un-listed' Securities*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	3,412.73	2,897.99	0.00	410.80	0.00
		(1,628.73)	(30.50)	(0.00)	(469.81)	(469.81)
ii.	FIs	6,257.87	6,257.87	0.00	0.00	0.00
		(6,378.58)	(422.56)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
iii.	Banks	3,569.73	2,650.29	0.00	0.00	0.00
		(1,426.99)	(1.15)	(0.00)	(1.15)	(631.74)
iv.	Private Corporates	548.21	398.09	0.00	0.00	0.00
		(1,878.57)	(1,427.10)	(884.75)	(948.18)	(1,427.10)
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures#	3,965.43	3,965.43	0.00	0.00	3,965.43
		(3,794.53)	(3,794.53)	(0.00)	(0.00)	(3,794.53)
vi.	Others *\$	41,387.20	31,661.21	0.00	25,818.49	1,635.34
		(41,192.41)	(24,961.08)	(0.00)	(24,699.00)	(24,709.00)
	Total	59,591.17	47,830.89	0.00	26,229.29	5,600.77
		(56,299.82)	(30,636.92)	(884.75)	(26,118.14)	(31,032.18)
vii.	Less: Provision held towards Depreciation	(-)192.20	(-)203.96	0.00	0.00	0.00
		(4,455.41)	(4,083.42)	(732.98)	(0.00)	(0.00)
	Net	59,783.37	48,034.85	0.00	26,229.29	5,600.77
		(51,844.40)	(26,553.50)	(151.77)	(26,118.14)	(31,032.18)

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates/RRBs have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines.

\$ Include investment in GOI Non-SLR Re-capitalisation Bonds of ₹ 23,369.81 (previous year ₹ 24,699).

iii. Repo Transactions (in face value terms) undertaken during the year:

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2025
Securities sold under repo:				
i) Government Securities	1.03 (0.00)	34,376.00 (22,089.60)	1,238.64 (4,692.40)	30,000.00 (15,374.38)
ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under reverse repo:				
i) Government Securities	5.14 (0.00)	2,043.78 (745.00)	123.38 (105.17)	0.00 (0.00)
ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

iv. Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

As at 31st March 2025

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2025
Securities lent through GSL transactions	Nil				
Securities borrowed through GSL transactions	Nil				
Securities placed as collateral under GSL Transactions	Nil				
Securities received as collateral under GSL Transactions	Nil				

As at 31st March 2024

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2024
Securities lent through GSL transactions	Nil				
Securities borrowed through GSL transactions Securities	Nil				
Securities placed as collateral under GSL Transactions	Nil				
Securities received as collateral under GSL Transactions	Nil				

(e) Matured Investment (included in Schedule 11 'Other Assets'):

Note: ₹ 10 transferred to General Reserve being amount of Standard Matured Investment (Inditrade)

(i) Value of Investments:

Particulars	2024-25	2023-24
(i) Gross Value of Investments	2,690.07	1,857.75
(a) In India	2,168.32	1,348.14
(b) Outside India	521.75	509.61
(ii) Provision for Depreciation	2,690.07	1,857.75
(a) In India	2,168.32	1,348.14
(b) Outside India	521.75	509.61
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	0.00	0.00
(b) Outside India	0.00	0.00

(ii) Movement of provisions held towards depreciation on investments:

Particulars	2024-25	2023-24
Opening Balance	1,857.75	1,854.36
Add: Provisions made during the year	829.27	140.47
Sub-total	2,687.02	1,994.83
Less: Write off/ write-back of excess provision during the year	9.09	143.57
Add/(Less): Adjustments on account of Exchange Difference	12.14	6.49
Closing Balance*	2,690.07	1,857.75

* Value of NPI is shown at cost

(f) Non performing Investments (Including Matured Investments):

Particulars	2024-25	2023-24
(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.00	0.00
(ii) Movement of NPIs (Gross)		
a) Opening balance	4,449.04	4,870.97
b) Additions during the year	841.41	370.79
c) Reductions during the year	4,768.70	792.72
d) Closing balance	521.75	4,449.04
(iii) Movement Provision for NPIs		
a) Opening balance	4,449.04	4,870.97
b) Additions during the year	841.41	370.79
c) Reductions during the year	4,768.70	792.72
d) Closing balance	521.75	4,449.04
(iv) Movement of NPIs (Net)		
a) Opening balance	0.00	0.00
b) Provisions made during the year	0.00	0.00
c) Write-off/write-back of excess provisions	0.00	0.00
d) Closing balance	0.00	0.00

Note: ₹ 10 transferred to General Reserve being amount of Standard Matured Investment (Inditrade)

4. Asset Quality

(a) Classification of Advances and Provisions held

As on 31.03.2025

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	5,56,412.13	4,633.65	12,401.91	12,147.21	29,182.77	5,85,594.90
Add: Additions during the year					7,588.56	
Less: Reductions during the year*					15,022.44	
Closing balance	6,44,298.55	4,484.69	9,178.43	8,085.77	21,748.89	6,66,047.44
*Reductions in Gross NPAs due to:						
(i) Upgradation					1302.94	
(ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					5962.93	
(iii) Technical/ Prudential Write-offs					5074.05	
(iv) Write-offs other than those under (iii) above					2682.52	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held		923.21	9,267.09	12,147.21	22,337.51	
Add: Fresh provisions made during the year					4,593.00	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					10,540.11	
Closing balance of provisions held		1,229.08	7,075.55	8,085.77	16,390.40	
Net NPAs						
Opening Balance		3,710.44	3,134.82	0.00	6,845.26	
Add: Fresh additions during the year					2,995.56	
Less: Reductions during the year					4,482.33	
Closing Balance		3,255.61	2,102.88	0.00	5,358.49	

Note: Opening and closing balances of provisions for NPAs include ECGC claims received (FY 2024-25 ₹ 1,041.70 / FY 2023-24 ₹ 1,149.02), part payment received and kept in suspense account (FY 2024-25 ₹ 141.66 / FY 2023-24 ₹ 106.23) and balance in sundries account in respect of NPA accounts (FY 2024-25 ₹ 777.26 / FY 2023-24 ₹ 860.96).

Floating Provisions as on 31.03.2025

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00

Technical write-offs and the recoveries made thereon as on 31.03.2025

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						43,571.09
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year*						8,853.38
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						3,779.33
Closing balance						48,645.14

*including exchange difference

As on 31.03.2024

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	4,78,166.92	4,984.33	15,105.96	17,595.27	37,685.56	5,15,852.48
Add: Additions during the year					7,550.76	
Less: Reductions during the year*					16,053.55	
Closing balance	5,56,412.13	4,633.65	12,401.91	12,147.21	29,182.77	5,85,594.90
*Reductions in Gross NPAs due to:						
(i) Upgradation					1,043.61	
(ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					5,260.89	
(iii) Technical/ Prudential Write-offs					3,218.84	
(iv) Write-offs other than those under (iii) above					6,530.21	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held		1,392.48	10,644.20	17,595.27	29,631.95	
Add: Fresh provisions made during the year					4,109.49	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					3,184.95	
Closing balance of provisions held		923.21	9,267.09	12,147.21	22,337.51	
Net NPAs						
Opening Balance		3,591.85	4,461.76	0.00	8,053.61	
Add: Fresh additions during the year					3,441.27	
Less: Reductions during the year					12,868.60	
Closing Balance		3,710.44	3,134.82	0.00	6,845.26	

Note: Opening and closing balance s of provisions for NPAs include ECGC claims received (FY 2023-24 ₹ 1,149.02/ FY 2022-23 ₹ 1,048.64) part payment received and kept in suspense account (FY 2023-24 ₹ 106.23 / FY 2022-23 ₹ 64.51), balance in sundries account in respect of NPA accounts (FY 2023-24 ₹ 860.96 /FY 2022-23 ₹ 877.02) and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured NPAs (FY 2023-24 ₹ 42.55 /FY 2022-23 ₹ 51.87)

Floating Provisions as on 31.03.2024

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00

Technical write-offs and the recoveries made thereon as on 31.03.2024

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						40,352.25
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year*						8,136.04
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						4,917.20
Closing balance						43,571.09

Ratios

Particulars	2024-25	2023-24
Gross NPA to Gross Advances (in %)	3.27	4.98
Net NPA to Net Advances (in %)	0.82	1.22
Provision coverage ratio (in %)	92.39	90.59

(b) Sector-wise Advances (Including Prudential/Technical write off) (As compiled by management)

Sr. No	Sector	2024-25			2023-24		
		O/S Gross Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	O/S Gross Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
A	Priority sector						
1	Agriculture and allied activities	98,338.13	9,387.68	9.55	84,554.77	9,672.78	11.44
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	27,707.09	2,410.53	8.70	27,270.73	3,301.62	12.11
3	Services	61,998.73	5,265.37	8.49	47,078.04	5,768.04	12.25
4	Personal loans	22,752.52	781.75	3.44	22,678.67	922.40	4.07
	Sub-total (A)	2,10,796.47	17,845.33	8.47	1,81,582.21	19,664.84	10.83
B	Non Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	25.62	0.00	0.00	45.54	0.01	0.02
2	Industry	1,52,474.48	769.23	0.50	1,45,063.01	3,767.23	2.60
3	Services	1,89,576.67	2,008.63	1.06	1,66,889.13	4,382.07	2.63
4	Personal loans	1,13,174.20	1,125.70	0.99	92,015.03	1,368.62	1.49
	Sub-total (B)	4,55,250.97	3,903.56	0.86	4,04,012.70	9,517.93	2.36
	Total (A+B)	6,66,047.44	21,748.89	3.27	5,85,594.91	29,182.77	4.98

(c) Overseas Assets, NPAs and Revenue:

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1	Total Assets	1,60,997.60	1,30,485.16
2	Total NPAs	6,712.90	6,799.87
3	Total Revenue	9,543.19	8,554.65

(d) Particulars of resolution plan and restructuring

As per RBI Circular No.DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, as on March 31, 2025, Bank holds Provision of ₹ 1,537.16 in respect of 12 borrower accounts (exposure ₹ 5,467.11), where the viable Resolution Plan has not been implemented within 180 days / 365 days of review period.

(e) Divergence in asset classification and provisioning:

As per RBI Master Direction No. RBI/DOR/2021-22/83/DOR.ACC.REC.No.45 /21.04.018/2021-22 dated August 30, 2021 (updated as on 01.04.2024) on Financial statements – Presentation and Disclosures, divergence in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

- the additional provisioning for non-performing assets (NPAs) assessed by RBI as part of its supervisory process, exceeds 5% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and
- the additional Gross NPAs identified by the RBI as part of its supervisory process exceeds 5% of reported incremental Gross NPAs for the reference period.

Divergences are within threshold limits in the Bank as specified above. Hence, no disclosure is required with respect to Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs with respect to RBI's supervisory process for the year ended March 31, 2024.

(f) Disclosure of transfer of loan exposures:

Disclosure of Transfer of Loan Accounts (SMAs & NPAs) in terms of RBI Circular No. DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021:

- The Bank has not transferred any loans not in default or Special Mention Accounts (SMA) during the year ended March 31, 2025 (through assignment, novation and loan participation).
- Details of loans not in default acquired through pool buyout via assignment are given below:

Particulars	2024-25	2023-24
Aggregate amount of loans acquired (₹ in crore)	3261.76	1,440.85
Weighted average residual maturity (in months)	119.45	102.28
Weighted average holding period by the originator (in months)	13.89	9.01
Retention of beneficial economic interest by the originator	15.74%	11.04%
Tangible security coverage (in times)	1.98	1.98

Note: The loans are not rated as these are not corporate borrowers.

- Details of loans not in default acquired through Loan Participation (Co-lending) are given below:

Particulars	2024-25
Aggregate amount of loans acquired (₹ in crore)	431.80
Weighted average residual maturity (in months)	129.52
Weighted average holding period by the originator (in months)	1.67
Retention of beneficial economic interest by the originator (in percentage)	20.64
Tangible security cover (in times)	2.47

Note: The loans are not rated as these are not corporate borrowers.

- During the year ended March 31, 2025 the Bank has not acquired any stressed (Non-Performing) Assets.
- Details of Stressed Loans (NPAs) transferred during the year ended March 31, 2025:

Sr. No.	Particulars	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
a.	No. of accounts	6 (12)	1 (0.00)	0.00 (0.00)
b.	Aggregate principal outstanding of loans transferred	594.04 (1,759.92*)	82.16 (0.00)	0.00 (0.00)
c.	Weighted average residual tenor of the loans transferred	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

Sr. No.	Particulars	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees
d.	Net book value of the loans transferred (at the time of transfer)	0.00 (188.87)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
e.	Aggregate consideration	222.35 (498.21)	53.20 (0.00)	0.00 (0.00)
f.	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
g.	Quantum of excess provisions reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	173.34 (84.66)	53.20 (0.00)	0.00 (0.00)

*includes Investment exposure of ₹ 280.02

- Distribution of the Security Receipts (SRs) held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2025:

Recovery Rating Band	Carrying Value 2024-25
RR1+	32.61
RR1	285.60
RR2	33.95
RR3	0.00
RR4	0.00
RR5	0.00
Ratings Withdrawn	0.00
Unrated	45.60
Total	397.76

(fa) Profit from sale of NPA

Sr. No.	Particular	2024-25	2023-24
1	Profit booked in respect of sale of NPA	226.54	84.66

(g) Fraud Accounts

Particulars	2024-25	2023-24
Number of frauds reported	*152	209
Amount involved in fraud	*1,449.21	866.70
Amount of provision made during this year for such frauds	71.91	32.64
Amount of provision made for such frauds	*1,079.76	*653.73
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	Nil	Nil

*This includes 5 cases pertaining to earlier years, which were deactivated by RBI and which were re-reported as fraud cases on re-examination, with amount involved of ₹ 375.72

and outstanding balance as on 31st March, 2025 of ₹ 185.36. The Bank is holding 100% provision in this regard and this includes outstanding in Non-Fund based exposure of ₹ 28.45 as on 31.03.2025.

- (h) In accordance with RBI circular No. DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 & RBI Circular No. DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated June 4, 2021 on Resolution Framework 2.0 –Resolution of COVID-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under:

(₹ in Crore except number of accounts)

No. of Accounts	Amount as on 31.03.2025	Provision Held
33,772	1,151.60	74.46

In terms of RBI Circular No. DOR.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and DOR. STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0), the details of resolution plan as on September 30, 2024:

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the previous half-year, i.e., March 31, 2024 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended September 30, 2024	Of (A) amount written off during the half-year ended September 30, 2024	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year ended September 30, 2024	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e., September 30, 2024
Personal Loans	4,094.48	185	0.32	495.49	3,700.77
Corporate persons*	2,050.24	158.59	0.82	1,420.15	1,498.23
Of which MSMEs	1,790.69	158.59	0.82	924.47	1,398.96
Others	25.35	0.28	0.00	13.78	23.19
Total	6,170.07	343.87	1.14	1,929.42	5,222.19

In terms of RBI Circular No. DOR.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and DOR. STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0), the details of resolution plan as on March 31, 2025:

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of previous half year, i.e. September 30, 2024 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2025	Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2025	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year ended March 31, 2025	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e. March 31, 2025
Personal Loans	3,700.77	159.80	0.23	818.83	3,435.20
Corporate persons*	1,498.23	103.85	0.27	2,277.01	1,212.68
Of which MSMEs	1,398.96	103.85	0.27	1,709.45	1,151.60
Others	23.19	3.38	0.00	30.21	20.03
Total	5,222.19	267.03	0.50	3,126.05	4,667.91

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016

March 31, 2024

In terms of RBI Circular No. DOR.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and DOR. STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0), the details of resolution plan as on September 30, 2023:

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half-year, i.e., March 31, 2023 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended September 30, 2023	Of (A) amount written off during the half-year ended September 30, 2023	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended September 30, 2023	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e., September 30, 2023
Personal Loans	4,974.07	236.86	0.94	209.62	4,499.18
Corporate persons*	2,840.70	339.18	2.15	262.61	2,631.84
Of which MSMEs	2,446.74	339.18	2.15	212.64	2,252.25
Others	25.87	0.44	0.00	3.99	27.54
Total	7,840.64	576.48	3.09	476.23	7,158.56

In terms of RBI Circular No. DOR.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and DOR. STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0), the details of resolution plan as on March 31, 2024:

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of previous half year, i.e. September 30, 2023 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2024	Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2024	Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended March 31, 2024	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e. March 31, 2024
Personal Loans	4,499.18	181.48	0.74	529.51	4,094.48
Corporate persons*	2,631.84	225.05	1.12	408.44	2,050.24
Of which MSMEs	2,252.25	225.05	1.12	349.65	1,790.69
Others	27.54	0.18	0.00	2.31	25.35
Total	7,158.56	406.71	1.86	940.26	6,170.07

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016.

5. Exposures

The Bank is lending to sectors, which are sensitive to asset price fluctuation.

i. Exposure to Real Estate Sector, as compiled by management

Sr. No.	Category	31.03.2025	31.03.2024
1	Direct Exposure	86,474.79	64,376.66
	(a) Residential Mortgages (include non-fund based (NFB) limits)	80,723.50	59,299.09
	(i) Lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented (other than (ii) below);	58,443.81	41,952.77
	(ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	22,279.69	17,346.32
	(b) Commercial Real Estate-	5,491.70	4,828.94
	Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include NFB limits;	5,491.70	4,828.89

Sr. No.	Category	31.03.2025	31.03.2024
	(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures	259.59	248.63
	a) Residential	10.53	0.00
	b) Commercial Real Estate	249.06	248.63
2	Indirect Exposure	22,509.01	17,067.95
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies	22,509.01	17,067.95
Total exposure to Real Estate Sector (1+2)		1,08,983.80	81,444.61

ii. Exposure to Capital Market

Sr. No	Category	31.03.2025	31.03.2024
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	885.66	683.43
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	1,167.11	791.32
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	186.10	1.45
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	603.37	1.75
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1,982.36	902.04
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.03	0.12
vii)	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.02	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	126.51	228.17
Total Exposure to Capital Market		4,951.17	2,608.28

iii. Risk Category-wise Country Exposure:

As per the extant RBI guidelines, the country exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table:

Sr. No.	Risk Category	As at 31.03.2025		As at 31.03.2024	
		Exposure (Net)	Provision held	Exposure (Net)	Provision held
1	Insignificant	64,421.66	47.62	54,110.54	38.34
2	Low	26,003.28	9.48	18,610.70	8.41
3	Moderate	8,862.82	0.00	7,321.81	0.00
4	High	1,093.00	0.00	228.84	0.00
5	Very High	2,484.50	0.00	2,580.82	0.00
6	Restricted	1.47	0.00	0.00	0.00
7	Off Credit	211.01	0.00	21.84	0.00
	Total	1,03,077.73	57.10	82,874.55	46.75

iv. Unsecured Advances

Particulars	2024-25	2023-24
Total Unsecured Advances of the Bank	1,45,653.06	1,13,537.16
Out of which	0.00	0.00
i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral		
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	0.00	0.00

v. Factoring exposures:

Bank has not taken any Export Factoring on non-recourse basis exposure during the financial year 2024-25.

vi. Intra-group exposures (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
A	Total amount of intra group exposures	8,385.39	5,210.97
B	Total amount of top 20 intra group exposure	8,385.39	5,210.97
C	% of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/Customers	0.88%	0.62%
D	Details of breach of limits on intra group exposures and regulatory action thereon, if any.	Nil	Nil

vii. Unhedged Foreign Currency Exposure

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
A	Opening balance provisions account	72.09	70.58
B	The quantum of provisions made in the accounting year	11.14	16.77
C	Amount Reverse during the accounting year	0.00	15.27
D	Closing balance in the provisions account	83.23	72.09

The bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with unhedged foreign currency exposure (UFCE) which is based on RBI Circulars.

As on 31.03.2025, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received in accordance with the policy, the additional Risk Weighted Assets on this exposure is ₹ 459.19 (Previous Year ₹ 535.49). As against this, additional minimum capital requirement is ₹ 52.81 (Previous Year ₹ 61.58).

viii. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The Bank had taken single borrower exposure and Group Borrower exposure within the prudential limit prescribed by RBI.

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2025
1.	Single Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
2.	Group Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs**(a) Concentration of deposits:**

Particulars	2024-25	2023-24
Total Deposits of twenty largest depositors	50,527.88	44,030.38
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	6.19%	5.97%

(b) Concentration of advances:

Particulars	2024-25	2023-24
Total Advances to twenty largest borrowers	1,09,733	1,02,423
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	15.40%	16.17%

(c) Concentration of exposures

Particulars	2024-25	2023-24
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	1,14,585	1,02,688
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	11.79%	11.87%

(e) Concentration of NPAs:

Particulars	2024-25	2023-24
Total Exposure to top twenty NPA accounts*	1,986	3,310
Percentage of exposure to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs	9.13%	11.34%

* Net of Prudential Write-off (PWO) and Unrealised Interest (URI)

7. Derivatives**(a) Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap**

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
i)	The notional principal of swap agreements	913.80	590.00
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	0.00	0.22
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier corporate	
iv)	Concentration of Credit Risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year
v)	The fair value of the swap book	10.86	0.22

(b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March (instrument-wise)	0.00	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00

There was no default and penalty imposed by Reserve Bank of India in Repo/Reverse Repo transactions and in RRC Account with RBI during the Financial year 2024-25.

(c) Disclosures on risk exposure in derivatives**i. Qualitative Disclosure**

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets

and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions, the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit and Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director. The derivative

transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure Method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instruments.

Residual Maturity	Credit Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium/ fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines, credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present, the provision is to be maintained at 0.40% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. Quantitative Disclosures

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For hedging	5,780.70	0.00
		(7467.49)	(0.00)
	b) For trading	337.08	75.00
		(0.25)	(590.00)

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
2	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)	0.13		0.00	
		(29.30)		(0.00)	
	b) Liability (-)	(-)10.80		0.22	
		(38.91)		(0.22)	
3	Credit Exposure	143.71		0.75	
		(170.99)		(6.12)	
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	36.00		0.00	
		(0.00)		(0.00)	
	b) On trading derivatives	0.00		26.00	
		(0.00)		(22.48)	
5	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	Max	Min	Max	Min
	a) On hedging	36.00	32.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	b) On trading	0.00	0.00	26.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(22.48)	(2.07)

(d) Credit Default Swaps

The bank has not dealt with any Credit Default Swap in current as well as in the previous year.

8. Disclosures relating to Securitisation

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the FY 2024-25 as well as during FY 2023-24.

9. Off balance sheet SPVs sponsored

Name of the sponsored SPV	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

Particulars	2024-25	2023-24
Opening balance of amounts transferred to DEAF	2,949.20	2,599.00
Add : Amounts transferred to DEAF during year	915.15	629.84
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	110.31	279.64
Closing balance of amounts transferred to DEAF	3,754.04	2,949.20

11. Disclosure of Complaints

- (a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs [Offices of the Banking Ombudsman]

Sr. No	Particulars	2024-25	2023-24
Complaints received by the bank from its customers			
1	Number of complaints pending at beginning of the year	1,030	1,517
2	Number of complaints received during the year	3,04,705	2,32,265
3	Number of complaints disposed during the year	3,04,363	2,32,752
3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	5,891	12,963
4	Number of complaints pending at the end of the year	1,372	1,030
Maintainable complaints received by the bank from OBOs			
5	Number of maintainable complaints received by the bank from OBOs	4,505	4,602
5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by BOs	1,484	1,514
5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by BOs	3,021	3,088#
5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank	0	0
6	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in RBIO Scheme 2021 and covered within the ambit of the Scheme.

#Out of this, one Award was issued in one case but not against the Bank as the same was resolved through Advisory before the passing of Award.

(b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
ATM/ Debit Cards	428 (1195)	118892 (128585)	(-)-7.54 (-)-33.90	468 (428)	0 (0)
Internet/ Mobile/ Electronic Banking	315 (114)	93244 (42382)	120.01 (248.59)	628 (315)	0 (0)
Account operation related	36 (126)	71892 (27227)	164.05 (107.52)	253 (36)	7 (0)
Advances/ Credit Related	5 (36)	7123 (4123)	72.76 (50.14)	4 (5)	0 (0)
Levy of charges	3 (2)	3948 (3141)	25.69 (58.95)	3 (3)	0 (0)
Others	243 (44)	9606 (26807)	(-)-64.17 (173.23)	16 (243)	0 (0)
Total	1030 (1517)	304705 (232265)	(+)-31.19 (-)-0.89	1372 (1030)	7 (0)

12. Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India and other regulators**a. Disclosure of Penalties imposed by RBI /Overseas Regulators****FY 2024-25**

Particulars	Nature of Breach	Domestic		International		Total	
		No of Cases	Amount	No of Cases	Amount	No of Cases	Amount
Penalty imposed by RBI	Regulatory/Operational	163	0.20	0	0.00	163	0.20
Penalties imposed on Overseas territories by their respective regulators	Regulatory/Operational	0	0.00	4	0.09	4	0.09

FY 2023-24

Particulars	Nature of Breach	Domestic		International		Total	
		No of Cases	Amount	No of Cases	Amount	No of Cases	Amount
Penalty imposed by RBI	Regulatory/Operational	189	0.27	1	0.03	190	0.30
Penalties imposed on Overseas territories by their respective regulators	Regulatory/Operational	0	0.00	3	0.04	3	0.04

b. Disclosure of imposition of penalty for bouncing of SGL forms

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
2024-25		0.00	
2023-24		0.00	

c. Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant)

Year ended	Amount
2024-25	0.00
2023-24	0.00

d. Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of:

Particulars	2024-25	2023-24
(i) Banking Regulation Act, 1949	1.00	1.41
(ii) Payment and Settlement Act, 2007	0.004	0.004
(iii) Government Securities Act, 2006	0.00	0.00

13. Disclosure on remuneration:

(Amount in ₹)

Sr. No	Particulars	2024-25	2023-24
1	Shri Rajneesh Karnatak	52,69,865	33,70,597
2	Shri P. R. Rajagopal	59,42,538	41,86,980
3	Shri M Karthikeyan	49,17,186	33,34,464
4	Shri Swarup Dasgupta	0	30,29,208
5	Shri Subrat Kumar	51,40,710	34,84,956
6	Shri Rajiv Mishra	35,65,716	2,81,400

14. Other Disclosures**(a) Business Ratios**

Sr. No.	Particulars	31.03.2025 (in %)	31.03.2024 (in %)
(i)	Interest Income as a percentage to average Working Funds	6.90	6.68
(ii)	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.88	0.67
(iii)	Cost of Deposits	4.90	4.51
(iv)	Net Interest Margin	2.82	2.97
(v)	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.60	1.55
(vi)	Return on Assets	0.90	0.70
(vii)	Business per employee (in ₹)	28.21	25.87
(viii)	Profit per employee (in ₹)	0.18	0.123

(b) Fees, remuneration received from Bancassurance Business:

Particulars	2024-25	2023-24
Life Insurance Business	223.43	154.76
Non-Life Insurance Business	30.68	23.32
Health Insurance Business	18.72	17.42
Total	272.83	195.50

(c) Fees, remuneration received from Marketing and Distribution:

Particulars	2024-25	2023-24
Mutual Funds	8.42	4.62
Total	8.42	4.62

(d) Disclosure of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (As compiled by the Management):

Purchased during the year	Sold During the Year
7,000.00 (3,000.00)	7,000.00 (4,800.00)

Bank has earned ₹ 136.18 by selling ₹ 7,000 in Priority Sector Lending Certificate (PSLCs) for Small Farmer & Marginal Farmer and purchased ₹ 7,000 in PSLC Agriculture with total expenses of ₹ 24.92. The net earning is ₹ 111.26.

(e) Provisions and Contingencies:

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

Particulars	2024-25	2023-24
Provision for Non-Performing Investments	(-)282.09	72.13
Provision towards NPA	4,592.72	4,109.49
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	3,215.43	3,781.15

Particulars	2024-25	2023-24
Provision towards Standard Assets	(-)387.06	(-)406.03
Other Provision & Contingencies		
• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(-)155.27	(-)217.48
• Provision for Country Risk	10.35	(-)30.64
• Other Provisions	199.01	442.07
Total	7,193.09	7,750.69

(f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS):

RBI vide its circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, deferred implementation of Ind AS till further notice as the legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949 as recommended by RBI are under consideration of the Government of India. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) every half year. Accordingly, the Bank has been preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) half-yearly with effect from September-2021, after seeking approval of Steering Committee formed for monitoring of implementation of Ind-AS in the Bank. The PFS are also presented to Audit Committee of Board and Board for information and reporting.

(g) Payment of DICGC Insurance Premium:

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	873.69	808.25
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	Nil	Nil

(h) Facilities granted to Directors and their relatives:

Applicable only to UCBs

(i) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, permitted Banks to amortise the additional liability on account of revision in family pension over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. The Bank recognised the additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 612.09 and has opted to amortise the said liability over a period not exceeding five years, beginning financial year ending March 31, 2022.

Accordingly, Bank has recognised ₹ 41.21 (Previous Year ₹ 142.42) as an expense in the Profit and Loss account, for the year ended March 31, 2025 towards the said additional liability and the unamortised amount of family pension liability as on the date is ₹ Nil (Previous Year ₹41.21).

(j) In accordance with RBI circular no.DBRNo. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019, on

"Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances", as amended from time to time, the details of MSME restructured accounts as on March 31, 2025 is as under:

No. of accounts restructured	Amount	Provision held
13,039 (19,844)	367.83 (530.71)	18.39 (26.54)

(k) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank for Subsidiaries (As compiled by the management):

During the year 2024-25, the bank has not issued any Letter of Comfort on behalf of Subsidiaries.

During the year 2010-11, the bank had issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, Bank of India (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2025, no financial obligations have arisen on the above commitments.

(l) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year	Cumulative*
Total green deposits raised (A)	33.54	0.00	33.54
Use of green deposit funds**			
1) Renewable Energy	33.54	0.00	33.54
- Solar Energy	33.54	0.00	33.54
2) Energy Efficiency	0.00	0.00	0.00
3) Clean Transportation	0.00	0.00	0.00
4) Climate Change Adaptation	0.00	0.00	0.00
5) Sustainable Water and Waste Management	0.00	0.00	0.00
6) Pollution Prevention and Control	0.00	0.00	0.00
7) Green Buildings	0.00	0.00	0.00
8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	0.00	0.00	0.00
9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	0.00	0.00	0.00
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	33.54	0.00	33.54
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	0.00	0.00	0.00
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects	-	-	-

*This contains the cumulative amount since the Bank started offering green deposits. For example, if bank has commenced raising green deposits from June 1, 2023, the annual financial statement for the period ending March 31, 2025 would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023 till March 31, 2025.

**Under each category, Bank has provided sub-categories based on the funds allocated to each sub-sector.

(m) Income Tax:

- Claims against the Bank not acknowledged as debt appearing under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 2,048.01 (previous year ₹ 2,909.92) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).
- Provision for taxes for the year is arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

(n) Details of Number of Investors complaints received and disposed-off during the quarter ended March 31, 2025:

i)	Pending at the beginning of the year	01
ii)	Received during the year	48
iii)	Resolved during the year	49
iv)	Pending at the end of the year	00

- (o) Pursuant to Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated April 7, 2025, the following Regional Rural Banks (RRBs), sponsored by Bank of India, have been amalgamated and the sponsor bank has been changed in respect of two RRBs with effect from May 1, 2025. The Bank's investments in these RRBs are included in its financial statements as at March 31, 2025.

(a) The details of amalgamation of RRBs, where the transferee RRBs are not sponsored by Bank of India are as below:

Sr. No.	Name of transferor RRBs	Sponsor Bank of transferor RRBs	New Name after Amalgamation of RRBs	Sponsor Bank of transferee RRBs
1	Vidharbha Konkan Gramin Bank	Bank of India	Maharashtra Gramin Bank	Bank of Maharashtra
	Maharashtra Gramin Bank	Bank of Maharashtra		
2	Aryavart Bank	Bank of India	Uttar Pradesh Gramin Bank	Bank of Baroda
	Baroda UP Gramin Bank	Bank of Baroda		

(b) The details of amalgamation of RRBs, where the transferee RRB is sponsored by Bank of India are as below:

Sr. No.	Name of transferor RRBs	Sponsor Bank of transferor RRBs	New Name after Amalgamation of RRBs	Sponsor Bank of transferee RRBs
1	Madhyanchal Gramin Bank	State Bank of India	Madhya Pradesh Gramin Bank	Bank of India
	Madhya Pradesh Gramin Bank	Bank of India		

- (p) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2025, Bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹ 3,033.86.
- (q) In terms of Bank's approved revaluation policy, during the year ended March 31, 2025 the immovable properties are revalued based on the revaluation reports of Bank's approved valuers and the surplus arising from revaluation amounts to ₹1,580.24 (Domestic ₹ 1,449.27 and Foreign ₹ 130.97) has been added to "Revaluation Reserve".
- (r) Other Income includes commission and brokerage income, profit/loss on sale of assets, profit/loss on revaluation of investments (net) (including depreciation on performing investments), earnings from foreign exchange and derivative transactions, recoveries from accounts previously written off, dividend income, etc.
- (s) The Board of Directors has recommended a dividend of ₹ 4.05 per equity share (40.50%) for the year ended March 31, 2025 subject to requisite approvals.
- (t) Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall unadjusted impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.
- (u) **Other Income / Expenditure exceeding 1% of total income**

Other Income: Other Income includes below income exceeding 1% of the total income of the Bank.

Particulars	2024-25	2023-24
Recovery in written off accounts	2,365.46	1,467.04

15. Details of Sales made out of HTM as on March 31, 2025 :

Sr. No.	Particulars	Amount
A	Opening Carrying Value of Securities in HTM	1,64,668.00
B	Carrying Value of all HTM Securities sold during the year	17,013.01
C	Less: Carrying Value of securities sold under situations exempted from regulatory limit	10,362.20
D	Carrying Value of Securities Sold (D= B-C)	6,650.82
E	Securities Sold as a Percentage of opening Carrying value of Securities in HTM (E= D/A)	4.04%

16. Details of Carrying value of Investment and Fair Value as on March 31, 2025

Particulars	March 31, 2025						
	HTM		AFS	FVTPL		Subsidiaries Associates & JVs	
	At Cost	Fair Value		HFT	Non-HFT	At Cost	Fair Value
I. Investments in India							
(i) Government Securities (including recapitalization bonds)	1,80,366.02	1,81,928.47	26,176.43	16,155.79	0.00	0.00	0.00
(ii) Other Approved Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Shares	0.00	0.00	0.00	246.98	1,321.30	0.00	0.00
(iv) Debentures and Bonds	3,216.45	3,251.32	8,663.26	2,041.96	1,248.91	0.00	0.00
(v) Subsidiaries, associates and Joint Venture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.38	1,619.38
(vi) Others	0.00	0.00	2,000.62	926.99	1,033.14	0.00	0.00
Total	1,83,582.47	1,85,179.79	36,840.31	19,371.72	3,603.35	1,619.38	1,619.38
Less: Provisions for Impairment/NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1,83,582.47	1,85,179.79	36,840.31	19,371.72	3,603.35	1,619.38	1,619.38
II. Investments Outside India							
(i) Government Securities (including Local Authorities)	3,502.83	3,658.71	5,521.33	712.97	438.86	0.00	0.00
(ii) Subsidiaries, associates and Joint Venture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.05	2,346.05
(iii) Other Investments	153.32	153.67	1,164.44	0.00	266.54	0.00	0.00
Total	3,656.15	3,812.38	6,685.77	712.97	705.40	2,346.05	2,346.05
Less: Provisions for Impairment/NPI	0.00	0.00	(-)47.82	3.97	55.61	0.00	0.00
Net	3,656.15	3,812.38	6,733.59	708.99	649.78	2,346.05	2,346.05
Total Investments (I+II)	1,87,238.62	1,88,992.17	43,573.90	20,080.71	4,253.14	3,965.43	3,965.43

Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS):**6.1 Accounting Standard – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:****(i) Prior Period Items:**

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Change in accounting policy:

There is no change in the Significant Accounting Policies followed during the year ended March 31, 2025 as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2024 except the following:

- (a) The RBI, vide its Master Direction dated September 12, 2023 issued revised norms for the classification, valuation and operation of the investment portfolio of banks, which became applicable from April 01, 2024. While hitherto the investment portfolio was classified under the held to maturity (HTM) , available for sale (AFS) and held for trading (HFT) categories, the revised norms bring in a principle-based classification of investment portfolio and a symmetric treatment of fair value gains and losses. In accordance with the revised norms and the Bank's Board approved policy, the Bank has classified its investment portfolio as on April 01, 2024, under the categories of held to maturity (HTM), available for sale (AFS), fair value through profit and loss (FVTPL) and held for trading (HFT) as a sub

category of FVTPL, and from that date, measures and values the investment portfolio under the revised framework.

On transition to the framework on April 01, 2024, the Bank has recognised a net gain of ₹ 127.46, net of taxes, (including transfer of Investment Reserve ₹ 406.56), which has been credited to revenue reserve in accordance with the said norms. The impact of the revised framework for the previous period (FY 2023-24) is not ascertainable and as such the profit or loss from the investments for the year ended March 31, 2025 are not comparable with that of the previous year.

- (b) In terms of RBI circular No. RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.REC.72 /21.04.048/2024-25 dated March 29, 2025 on revised norms for Government Guaranteed Security Receipts (SRs), banks are permitted to reverse any excess provision to the profit and loss Account in the year of transfer of loan to Asset reconstruction company (ARC) for the value higher than the net book value (NBV), provided the consideration consists solely of cash and SRs guaranteed by the Government of India. Such SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. On account of the same, appreciation to the extent of bank's share amounting to ₹ 397.76 towards unrealized MTM Gain and the excess provision has been reversed to P&L account during the year ended 31.03.2025.

6.2 Accounting Standard 9 – Revenue recognition

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy para 3 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

6.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

Sr. No.	Particulars	FY 2024-2025		FY 2023-2024	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
(i)	Principal actuarial assumptions used :				
	Discount Rate	6.99%	6.71%	7.22%	7.21%
	Rate of Return on Plan Assets	6.94%	7.52%	7.77%	7.47%
	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	Table showing changes in Present value of Defined Benefit Obligation :				
	Liability at the beginning of the year	2,289.02	20,430.10	2,070.55	18,996.40
	Interest Cost	157.30	1,386.02	146.40	1,329.95
	Current Service Cost	126.39	1,128.23	116.97	1,051.76
	Past Service Cost	0.00	41.21	0.00	326.05
	Benefit Paid	220.72	2,413.01	242.18	1,999.69
	Actuarial (gain)/loss on Obligation	123.12	1,343.00	197.28	725.63
	Liability at the end of the year	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,430.10
	Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	41.22
	Total Defined Benefit obligation	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,471.32
(iii)	Table showing changes in Fair value of Plan Assets :				
	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	2,223.34	19,922.68	2,055.47	18,459.42
	Expected return on Plan Assets	154.72	1,485.37	159.58	1,383.08
	Contributions	232.88	2,072.14	238.96	2,111.16
	Benefit Paid	220.72	2,413.01	242.18	1,999.69
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	40.27	321.46	11.51	(-)31.29
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
	Total Actuarial Gain/(Loss) recognised	(-)82.85	(-)1,021.55	(-)185.76	(-)756.92
(iv)	Actual return on Plan Assets :				
	Expected Return on Plan Assets	154.72	1,485.37	159.58	1,383.08
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	40.27	321.46	11.51	(-)31.29
	Actual return on Plan Assets	194.99	1,806.82	171.09	1,351.79

Sr. No.	Particulars	FY 2024-2025		FY 2023-2024	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
(v)	Amount recognised in the Balance Sheet				
	Liability at the end of the year	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,471.32
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
	Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	41.22
	Amount Recognised in the Balance Sheet	44.62	526.92	65.68	507.42
(vi)	Expenses recognised in the Income-Statement :				
	Current Service Cost	126.39	1,128.23	116.97	1,051.76
	Interest Cost	157.30	1,386.02	146.40	1,329.95
	Expected Return on Plan Assets	(-)154.72	(-)1,485.37	(-)159.58	(-)1,383.08
	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	Past Service Cost	0.00	41.21	0.00	142.42
	Actuarial (Gain) or Loss	82.85	1,021.55	185.76	756.92
	Expense Recognised in P & L	211.82	2,091.64	289.55	1,897.97
(vii)	Balance Sheet Reconciliation :				
	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	65.68	507.42	15.09	536.98
	Expenses as above	211.82	2,091.64	289.55	1,897.97
	Employer's Contribution	(-)232.88	(-)2,072.14	(-)238.96	(-)2,111.16
	Additional Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	183.63
	Amount Recognised in Balance Sheet	44.62	526.92	65.68	507.42
(viii)	Category of Assets :				
	Central Government of India Securities	10.21	2,569.54	15.24	2,597.01
	Equity	0.00	1,071.34	0.00	813.33
	Corporate Bonds	35.04	5,911.16	42.26	6,158.30
	State Government Securities	0.00	3,986.63	0.00	3,064.92
	Insurance	2203.68	6,931.40	2,090.00	6,740.13
	Other	181.56	918.56	75.84	548.99
	Total	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
(ix)	Experience Adjustment :				
	On Plan Liability (Gain)/Loss	41.01	(-)545.48	124.29	410.04
	On Plan Asset (Loss)/Gain	40.27	321.46	11.51	(-)31.29

Other long term employee benefits*:

Particulars	31.03.2025		31.03.2024	
	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year
Leave Encashment	1,279.43	73.07	1,206.35	5.31
Leave Travel Concession	63.17	0.34	62.83	0.25
Resettlement Benefits	9.07	0.47	8.60	0.53
Milestone Awards	4.88	0.24	4.64	0.05
Sick Leave**	4.28	1.20	3.08	0.08

* The actuarial assumptions for other long term employees' benefits are same which are used for Gratuity.

The Bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the Bank has contributed ₹ 544.39 (Previous Year ₹ 445.17) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The Bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leave by employees.

The Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 2,064.09 (Previous Year ₹ 2,356.36) and towards Gratuity is ₹ 27.61 (Previous Year: ₹ 25.38).

Surplus /Deficit in the Plan:

	Gratuity Plan				
Particular	FY2024-25	FY2023-24	FY2022-23	FY2021-22	FY2020-21
Defined benefit obligation	2,475.11	2,289.02	2,070.55	1,898.52	1,935.33
Plan assets	2,430.49	2,223.34	2,055.47	1,887.32	1,930.63
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/(deficit)	(-)44.62	(-)65.68	(-)15.09	(-)11.20	(-)4.70
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	41.01	124.29	240.77	152.27	315.39
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	40.27	11.51	(-)5.88	(-)42.37	86.25

	Pension Plan				
Particular	FY2024-25	FY2023-24	FY2022-23	FY2021-22	FY2020-21
Defined benefit obligation	21,915.55	20,471.32	19,180.02	18,379.20	16,837.05
Plan assets	21,388.63	19,922.68	18,459.42	17,604.64	16,531.02
Unrecognised Transitional liability	0.00	41.22	183.62	489.67	0.00
Surplus/(deficit)	(-)526.92	(-)507.42	(-)536.99	(-)284.88	(-)306.03
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	(-)545.48	410.04	843.92	1,092.69	791.71
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	321.46	(-)31.29	(-)45.52	(-)694.35	(-)620.28

6.4 Accounting Standard 17 - Segment Reporting

Part A: Business Segment

Business Segment	Treasury Operations (1)		Wholesale Banking Operations (2)		Retail Banking Operations (3)		Digital Banking (3) (i)		Other Retail Banking (3)(ii)		(*)Other Banking Operations (4)		Total (1+2+3+4)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Revenue	22,741.41	18,170.64	26,838.20	23,097.82	31,053.26	25,955.95	0.63	0.26	31,052.63	25,955.69	0.00	0.00	80,632.86	67,224.41
Unallocated revenue													263.70	646.53
Less: Inter segment revenue													1,076.64	1,066.60
Total Revenue													79,819.92	66,804.34
Results	6,082.48	4,706.80	1,894.43	784.06	7,220.81	6,759.91	(-)0.46	(-)0.75	7,221.26	6,760.66	0.00	0.00	15,197.71	12,250.77
Unallocated Expenses													(-)2,763.27	(-)2,151.70
Profit/(Loss) Before Tax													12,434.44	10,099.07
Income Tax													3,215.42	3,781.15
Extraordinary Profit/ (Loss)														
Net Profit/(Loss)													9,219.02	6,317.92
Other Information :														
Segment Assets	3,51,187.63	3,08,765.24	3,80,856.8	3,33,854.50	2,82,218.80	2,52,894.05	6.65	7.16	2,82,212.13	227,710.31	0.00	0.00	10,14,263.2	895,513.79
Unallocated Assets													28,318.75	17,084.13

Business Segment	Treasury Operations (1)		Wholesale Banking Operations (2)		Retail Banking Operations (3)		Digital Banking (3) (i)		Other Retail Banking (3)(ii)		(*)Other Banking Operations (4)		Total (1+2+3+4)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Total Assets													1042,581.95	912,597.92
Segment Liabilities	3,31,339.32	287,690.56	3,65,429.45	319,774.68	2,59,782.50	227,748.20	7.10	7.89	2,59,775.38	227,740.31	0.00	0.00	956,551.25	835,213.44
Unallocated Liabilities													7,429.25	8,503.81
Total Liabilities													963,980.50	843,717.25

(*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

Part B: Geographical Segment

Geographical Segments	Domestic		International		Total	
Particulars	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Revenue	70276.73	58,249.70	9543.19	8,554.64	79819.92	66,804.34
Assets	881584.35	782,112.76	160997.60	130,485.16	1042581.95	912,597.92

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

- Treasury:** 'Treasury' segment includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations including Derivative contracts.
- Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all lending activities which are not included under Retail Banking.
- Retail Banking:** Retail Banking segment comprises of Digital Banking and Other Retail Banking.

Digital Banking includes digital banking products acquired by DBUs.

Other Retail Banking includes all housing loan accounts and borrower accounts having exposure up to ₹ 7.50.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits and borrowings incurred by it.

Allocation of Costs:

- Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.
- Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

- Domestic Operations
- International Operations

6.5 Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

I) List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel :

Managing Director & CEO :

Shri Rajneesh Karnatak

Executive Directors :

Shri P R Rajagopal

Shri M. Karthikeyan (superannuated on 31.03.2025)

Shri Subrat Kumar

Shri Rajiv Mishra

b. Subsidiaries:

- i. BOI Shareholding Limited
- ii. Bank of India Investment Managers Pvt Ltd. (erstwhile BOI AXA Investment Managers Private Limited)
- iii. Bank of India Trustee Services Pvt Ltd. (erstwhile BOI AXA Trustee Services Private Limited)
- iv. BOI Merchant Bankers Limited
- v. PT Bank of India Indonesia Tbk
- vi. Bank of India (Tanzania) Limited
- vii. Bank of India (New Zealand) Limited
- viii. Bank of India (Uganda) Limited

c. Associates:

- i. STCI Finance Limited
- ii. ASREC (India) Limited
- iii. Indo Zambia Bank Limited

d. Regional Rural Banks sponsored by the Bank:

- i. Madhya Pradesh Gramin Bank
- ii. Vidharbha Konkan Gramin Bank
- iii. Aryavart Bank

e. Joint Venture:

- i. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Limited

Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

Particulars	With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		Key Management Personnel & their relatives		TOTAL	
	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
Transactions during the period						
Interest Received	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interest Paid	423.22	698.96	0.00	0.00	423.22	698.96
Dividend received	19.25	8.61	0.00	0.00	19.25	8.61
Other Income	229.56	394.44	0.00	0.00	229.56	394.44
Sale of Govt. Securities/Treasury Bills	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of Govt. Securities/Treasury Bills	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of Corporate Bonds and Other money market instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deposits accepted	14.07	(-)18.04	0.00	0.00	14.07	(-)18.04
Matured Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Loans Provided	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Loans Repaid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sale of NPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investments made	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equity shares issued under Employee's Stock Purchase Scheme (ESPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outstanding	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Payable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deposits accepted	132.69	118.61	0.00	0.00	132.69	118.61
Borrowing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Loans given	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Placement of the Deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receivables (Advances)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Particulars	With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		Key Management Personnel & their relatives		TOTAL	
	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
Investments	180.51	180.51	0.00	0.00	180.51	180.51
Non Funded Commitment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing / HP arrangements availed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leasing / HP arrangements provided	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Purchase of fixed assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sale of fixed assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Assets	5.49	7.16	0.00	0.00	5.49	7.16

The transactions with wholly owned subsidiaries and regional rural banks being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS - 18 on Related Party disclosure issued by ICAI exempting 'State Controlled Enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

6.6 Accounting Standard 19 – Leases: - Operating leases are cancellable at the option of the Bank. The amount of lease expenses recognized in the Profit & Loss Account for such operating lease is ₹ 748.44 (Previous Year: ₹ 717.00).

6.7 Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹:

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1.	Basic EPS	20.25	14.90
2.	Diluted EPS	20.25	14.90

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(A)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	9,219.02	6,317.92
(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	455.27	424.10
(C)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	20.25	14.90
(D)	Weighted Average Number of Equity shares including dilutive potential equity shares (in crore)	455.27	424.10
(E)	Dilutive Earnings per Share (A/D) (₹)	20.25	14.90
(F)	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

6.8 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

6.8.1 The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

Sr. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
	Deferred Tax Assets		
i)	On account of timing difference towards provision for doubtful debt and advances	2,044.96	3,716.83
ii)	On account of timing difference towards other provisions/items	200.61	234.23
iii)	On account of Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	244.46	176.22
iv)	Others	692.09	394.70
	Total Deferred Tax Assets	3,182.12	4,521.98
	Deferred Tax Liabilities		
i)	On account of Depreciation on fixed assets	179.79	151.25
ii)	On account of interest accrued but not due on investments	957.68	831.51
iii)	On account of Deduction in respect of special reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961*	659.40	659.40
iv)	Others	81.67	0.00
	Total Deferred Tax Liabilities	1,878.54	1,642.16
	Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)	1,303.58	2,879.82

* ₹ 431.67 out of past reserves and balance out of profit

6.8.3 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

Particulars	2024-25	2023-24
Current Tax	1,343.51	23.09
Deferred Tax	1,871.92	3,758.06
Total Tax Expense	3,215.43	3,781.15

The Bank had exercised the irreversible option to shift from old tax regime to the new tax regime under section 115BAA of the Income Tax Act, 1961, effective from the Assessment Year 2023-24.

6.9 Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations:

In consonance with the Government of India directives and as a part of strategic initiatives for rationalisation of Overseas Operations, in Financial year 2019-20, the Bank has sold its overseas subsidiary i.e. Bank of India (Botswana) Ltd. for consideration of ₹ 14.64 and remaining cost of investment of ₹ 18.31 has been fully provided.

For the Financial year 2024-25, we confirm that there is no disinvestment of our overseas subsidiaries.

6.10 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹ 98.17 (Previous year ₹ 98.17) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.	98.17	India	27.48%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Liabilities		
Capital & Reserves	507.62	353.62
Deposits	-	-
Borrowings	34.35	-
Other Liabilities & Provisions	8,018.40	6,972.39
Total	8,560.37	7,326.01
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	180.85	94.04
Balances with Banks and Money at call and short notice	-	-
Investments	8,210.49	6,939.28
Advances	24.86	12.54
Fixed Assets	25.61	19.52
Other Assets	118.56	260.63
Total	8,560.37	7,326.01
Capital Commitments	-	-
Other Contingent Liabilities	36.61	39.26
Income		
Interest Earned	24.07	22.63
Other Income	70.87	57.83
Total	94.94	80.46
Expenditure		
Interest Expended	2.66	-
Operating Expenses	68.55	33.19
Provisions & Contingencies	1.17	(-)0.48
Total	72.38	32.71
Profit / (Loss)	22.56	47.75

6.11 Impairment of Assets (Accounting Standard 28):

In terms of Bank's approved revaluation policy, during the year ended March 31, 2025 the immovable properties are revalued based on the revaluation reports of Bank's approved valuers and the impairment of Fixed Assets as per AS 28 is "NIL".

6.12 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" (Accounting Standard 29)**A. Movement of Provisions for contingent liabilities:**

Particulars	Legal cases/contingencies*	
	2024-25	2023-24
Opening Balance	88.60	64.09
Provided during the year	27.23	26.74
Amounts used during the year	12.73	2.23
Closing Balance	103.10	88.60
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	

*Excluding provisions for others

B. Contingent Liabilities:

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvment and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

7. Figures of the previous period have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary to conform to the current period's classification.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1) हमने बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक') के एकल वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2025 को तुलन पत्र, संबंधित वर्ष के अंत में लाभ-हानि विवरणी तथा नकद प्रवाह की विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित एकल वित्तीय विवरणियों पर नोट्स एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं जिसमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के विवरण शामिल हैं:

- हमारे द्वारा 20 घरेलू शाखाओं, ट्रेजरी शाखाओं और 14 अन्य कार्यालयों (प्रधान कार्यालय और 13 एफ़जीएमओ कार्यालय) की लेखापरीक्षा की गई;
- संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 1843 घरेलू शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों की लेखापरीक्षा की गई; और
- संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा 22 विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा की गई।

बैंक ने हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी में उन 4328 घरेलू शाखाओं तथा शून्य विदेशी शाखा की विवरणी भी शामिल है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं से 15.92% अग्रिम, 33.54% जमाराशियाँ, 12.07% ब्याज आय तथा 27.10% ब्याज व्यय संबंधित है।

हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के द्वारा जैसा आवश्यक है, उसके अनुरूप जानकारी देती हैं तथा यह भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं और

ए) तुलन पत्र, उस पर दिए गए नोट्स सहित, एक सम्पूर्ण और स्पष्ट तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, इसे उपयुक्त ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2025 तक के बैंक के

मामलों की स्थिति का सही और स्पष्ट नजरिया प्रदर्शित किया जा सके।

बी) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में लाभ का वास्तविक शेष; और

सी) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में सही व उचित स्थिति।

मत का आधार

2. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'लेखा-परीक्षा पर मानक' (एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, जिसमें आईसीएआई लेखांकन मानक शामिल हैं, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन यथासंशोधित हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत का आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

3. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी मानदंडों (आईआरएसी मानदंड) का अनुपालन। अग्रिम : बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के संबंध में हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है।	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों /परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। अग्रिम: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं: ए) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
	अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वर्गीकरण के लिए खातों की पहचान करता है तथा प्रावधानीकरण करता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक के वित्तीय विवरणों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनपीए खातों की पहचान तथा वर्गीकरण के लिए आईआरएसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है। निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वर्गीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएसई/एनएसई, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के वित्तीय विवरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमशः 62.31% तथा 24.85% है। चूंकि बैंक के कारोबार का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामकीय अनुपालन शामिल है, अतः हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	बी) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं। सी) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी मानदंडों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। डी) हमें आबंटित शाखाओं की, लेखा-परीक्षण के दौरान, हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। ई) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। निवेश: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: ए) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। बी) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। सी) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यहास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। डी) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है।
2	<u>अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन</u> आयकर मुकदमों सहित बैंक अनेक मुकदमों में शामिल है। जिनमें उन मुकदमों के खिलाफ विवादित दावे शामिल हैं, जो विभिन्न न्यायालयों/फोरम में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। बैंक के अप्रत्यक्ष कर के तहत कुछ भुगतानों पर इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता/रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की प्रयोज्यता के बारे में भी विवादित मामले हैं।	हमारे लेखा-परीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है: ए) मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। साथ ही प्रबंधन से 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष तक पूर्ण किए गए कर निर्धारणों और नवीनतम आदेशों, विभिन्न कर अधिकारियों से प्राप्त संचार और दायर अपीलों का विवरण प्राप्त किया। बी) कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं का मूल्यांकन करना। इसमें इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी मिसाल और अन्य फैसलों पर विचार करना शामिल है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
3.	<u>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन:</u> ए. संयवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरणी तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट देना आदि में आईटी कंट्रोल, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर बहुत अधिक निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: ए) बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश तथा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हुए प्रमुख परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। बी) बैंक द्वारा नियुक्त विभिन्न आईएस लेखा परीक्षकों/परामर्शदाताओं की रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा आईआरएसी स्वचालन नियंत्रण सहित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की गई। सी) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई। डी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाएं निष्पादित करने की आवश्यकता को पहचाना, हमने मैनुअल प्रतिपूरक नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे कि प्रणालियों और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य स्थापित करना या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, हमने अपने नमूना आकार को बढ़ाया।

अन्य मामले

4. हमने बैंक की एकल वित्तीय विवरणी में शामिल 1787 शाखाओं तथा प्रोसेसिंग केन्द्रों सहित 22 विदेशी शाखाओं की वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी, यथा 31 मार्च 2025 को रु. 234960.07 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 19251.13 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाते हैं जो एकल वित्तीय विवरणियों में विचारित हैं। ये शाखाएं तथा प्रोसेसिंग केन्द्र यथा 31 मार्च 2025 को 31.67% अग्रिमों, 47.18% जमाराशियों तथा 30.13% अनर्जक आस्तियों और 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए 24.84 % राजस्व को कवर करते हैं। इन शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखापरीक्षा, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारी राय, जो इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है वह पूर्णरूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अपने लेखापरीक्षण में, हमने 4328 घरेलू शाखाओं और शून्य विदेशी शाखा के संबंध में संबंधित शाखा के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित विवरणों पर ध्यान दिया है। ये अलेखापरीक्षित शाखाएं 31 मार्च 2025 तक अग्रिमों का 15.92%, जमाराशियों का 33.54% और अनर्जक आस्तियों का 16.63% और 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए राजस्व का 12.74% कवर करती हैं।

विवरण में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़े शामिल हैं, जिनका लेखापरीक्षण 4 लेखापरीक्षा फर्मों के रूप में एक संयुक्त लेखापरीक्षकों के समूह द्वारा किया गया है, जिन्होंने 10 मई, 2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अपरिवर्तित राय व्यक्त की है, और उन चार लेखापरीक्षा फर्मों में से तीन ऑडिट फर्म सतत है।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से भिन्न जानकारी

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारीयां समाविष्ट है परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो हमें अनुमानतः इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे।

एकल वित्तीय विवरणी पर हमारा मत, अन्य जानकारीयों तथा बासेल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटनों को शामिल नहीं करता है तथा इस पर हम किसी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष, व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी, अन्य जानकारीयों का अध्ययन करना तथा ऐसा करने में यह विचार करना कि क्या अन्य जानकारीयां वित्तीय विवरणियों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत तो नहीं है या लेखा-परीक्षा या अन्यथा प्राप्त हमारा ज्ञान गंभीर रूप से गलत प्रस्तुत किया गया तो नहीं लग रहा है।

जब हम अन्य जानकारी का अध्ययन करते हैं तथा यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई गलत जानकारी है तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम प्रशासन के प्रभारी को उक्त मामले के विषय में बताएं तथा लागू कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित करें।

एकल वित्तीय विवरणी के संबंध में प्रबंधन तथा जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी

6. बैंक का निदेशक मण्डल, इन एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन तथा बैंक के नकदी प्रवाह की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करता है। उक्त विवरणी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों एवं समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसरण में हैं। इस जिम्मेदारी में, निम्नलिखित शामिल हैं - बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ियों का पता

लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों, उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरण से मुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित निदेशक मण्डल, बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता की निरंतरता की क्षमता का मूल्यांकन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों का प्रकटन, जो भी लागू हो तथा लेखांकन में संस्था की निरंतरता के आधार का प्रयोग, जब तक कि बैंक का प्रबंधन बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद न करना चाहते हों या ऐसे करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न हो, हेतु उत्तरदायी है।

बैंक के निदेशक मंडल, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

- हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि एकल वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त हैं और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा, यदि अलग-अलग या समग्र रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों का ध्यान रखन वाली लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरुद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।
- वर्तमान परिस्थितियों में उचित लेखा-परीक्षा प्रक्रिया को तैयार करने के लिए लेखा-परीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना। आरबीआई के पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 के अपेक्षानुसार, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं निदेशक मण्डल द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी, प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक को संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।
- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन।

गंभीरता, वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्वता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को प्रशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी को इस विवरण के साथ यह भी सूचित करते हैं कि हम निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों एवं अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन करते हैं।

प्रशासन को सूचित, संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं।

इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से ज्यादा ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।
- उपयुक्त लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों (पैरा 7), प्रबंधन जिम्मेदारियों (पैरा 6) और अन्य मामलों (पैरा 4) पर पैराग्राफ में बताई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं

के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अधधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है तथा वे संतोषजनक हैं;
- ख. हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं, और
- ग. बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रही हैं।

10. “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं” पर पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020, जिसे आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट देते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- क. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरणियाँ, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करती हैं, उस सीमा तक जहाँ तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- ख. ऐसे वित्तीय संव्यवहारों/मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है, जिससे बैंक के कार्य निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- ग. जैसा कि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

घ. खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में कोई शर्त, शंका या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ड. आर.बी.आई के पत्र डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 के द्वारा यथा आवश्यक, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट यथा 31 मार्च, 2025 को वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपरिवर्तित मत प्रकट करता है।

11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क. संबंधित बहियों के हमारे परीक्षण से हमारी राय में, यह प्रतीत होता है कि विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ, बैंक द्वारा उचित रूप से रखी गई हैं और जिन शाखाओं एवं प्रसंस्करण केन्द्रों का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे प्राप्त विवरणियाँ हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं।

ख. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण न की गई शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों से प्राप्त बही खातों और विवरणियों से मेल खाते हैं,

ग. बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए शाखा कार्यालयों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है, और

घ. हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक, अनुपालन करते हैं।

कृते एस. जयकिशन सनदी लेखाकार (एफआरएन: 309005ई) नेमाई गोराई भागीदार// आईसीएआई एम.सं. 057892 यूडीआईएन: 25057892बीएमएचवाईओआई5401	कृते ए. बाफना एवं कंपनी सनदी लेखाकार (एफआरएन: 003660सी) विवेक गुप्ता भागीदार// आईसीएआई एम.सं. 400543 यूडीआईएन: 25400543बीएमएलआईएफ9974
कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन:000235एन/एन500089) आशीष अग्रवाल भागीदार// आईसीएआई एम.सं. 093790 यूडीआईएन: 25093790बीएमजेकेएलवी1520	कृते सारदा और पारीक एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन 109262डबल्यू/डबल्यू100673) गिरिराज सोनी भागीदार//आईसीएआई एम.सं. 109738 यूडीआईएन: 25109738बीएमएचडब्ल्यूएमवाईY1247

स्थान - मुंबई
दिनांक - 9 मई, 2025

स्वतंत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यों को सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ 10 (ई) का संदर्भ लें।)

भारतीय रिज़र्व बैंक (आगे "आरबीआई") के पत्र डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संप्रेषण") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

मत

- हमने संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) की इस एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के साथ तथा 31 मार्च, 2025 को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा की है जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग भी शामिल है।
- हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे पैराग्राफ "अन्य मामले" में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, बैंक के पास, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- बैंक का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार होगा जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल होगा जो उसके कारोबार के व्यवस्थित तथा दक्ष परिचालन को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से परिचालित बनाये हुए था। इस जिम्मेदारी में बैंक की नीतियों का पालन, बैंक की आस्तियों की रक्षा, धोखाधड़ियों एवं गलतियाँ की रोकथाम तथा पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता तथा पूर्णता तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत यथा आवश्यक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परीपत्र तथा दिशा-निर्देशों द्वारा जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयपूर्वक तैयारी भी शामिल है।

लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय

रिपोर्टिंग की लेखा-परीक्षा पर गइडेंस नोट ("गइडेंस नोट") तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन पर मानक (एस.ए), आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर लागू होने की सीमा तक के अनुसरण में अपनी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों तथा उक्त गइडेंस नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ तथा लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा क्या सभी महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में ऐसे नियंत्रणों ने ठीक प्रकार से काम किया है।

- हमारी लेखा-परीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता के विषय में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल थी। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई गंभीर कमजोरी मौजूद है तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जाँच एवं उसका मूल्यांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा-परीक्षा में शामिल था। चयनित प्रक्रिया, लेखा-परीक्षक के निर्णय पर आश्रित होगी, जिसमें धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणियों की गंभीर गलती के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।
- हम मानते हैं कि निम्नलिखित अन्य मामले शीर्षक के निम्नलिखित अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

- वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर भरोसे तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में पर्याप्त भरोसे को उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं तथा यह पर्याप्त विस्तार से बैंक की आस्तियों की प्रकृति तथा संबंधित संव्यवहारों को ठीक प्रकार से तथा सही रूप में बताती हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने को संभव बनाने के लिए यथा आवश्यक संव्यवहारों को दर्ज किया जाता है तथा बैंक की प्राप्ति तथा व्यय बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किये जाते हैं तथा (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, प्रयोग या डिस्पोजिशन की समयपूर्वक पहचान या बचाव के संबंध में पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना, जिसका वित्तीय विवरणियों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

8. आपसी मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों के ऊपर हावी होने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल की अंतर्निहित सीमाओं के कारण गलती से या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलत विवरणी की प्रस्तुति हो सकती है तथा ऐसा भी संभव है कि यह पकड़ी न जाए। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का पूर्वानुमान जोखिमों के अध्यधीन है। उक्त जोखिम यह है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या पॉलिसियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

अन्य मामले

9. हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक यह 1843 घरेलू शाखाओं और प्रसंस्करण केन्द्रों एवं 22 विदेशी शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा-परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

कृते एस. जयकिशन सनदी लेखाकार (एफआरएन: 309005ई) नेमाई गोराई भागीदार// आईसीआईएम.सं. 057892 यूडीआईएन: 25057892बीएमएचवाईओआई5401	कृते ए. बाफना एवं कंपनी सनदी लेखाकार (एफआरएन: 003660सी) विवेक गुप्ता भागीदार// आईसीआईएम.सं. 400543 यूडीआईएन: 25400543बीएमएलआईएफ9974
कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन:000235एन/एन500089) आशीष अग्रवाल भागीदार// आईसीआईएम.सं. 093790 यूडीआईएन: 25093790बीएमजेकेएलवी1520	कृते सारदा और पारीक एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन 109262डबल्यू/डबल्यू100673) गिरिराज सोनी भागीदार//आईसीआईएम.सं. 109738 यूडीआईएन: 25109738बीएमएचडब्ल्यूएमवाईY1247

स्थान - मुंबई

दिनांक - 9 मई, 2025

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Bank of India

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Bank of India ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of:

- (i) 20 Domestic branches, Treasury Branch and 14 other offices (Head-office and 13 FGMO Offices) audited by us;
- (ii) 1843 domestic branches and processing centres audited by respective Statutory Branch Auditors and
- (iii) 22 Foreign branches audited by respective local Auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement are the returns from 4328 domestic branches and Nil foreign branch which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 15.92 % of advances, 33.54 % of deposits, 12.07% of interest income and 27.10 % of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for the bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2025;
- b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and
- c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the ICAI Accounting Standards, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion..

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

Sr	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
1	<u>Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms)</u> <u>Advances:</u> Bank has to classify the accounts as performing advances or non-performing advances based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Identification of performing and non-performing advances is system driven. The software used by the bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. The bank has implemented IRAC Automation software for identification and classifying of NPA accounts through the software. <u>Investments:</u> Bank has to classify the investments as performing or non-performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non-performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA /FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. Advances and Investments constitute 62.31% and 24.85% respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances are involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Bank. <u>Advances: Our audit procedure included:</u> - Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances. - Testing on sample basis whether the classification of advances as performing or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. - Communication to the Statutory Branch Auditors (SBAs) to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and reliance on the audit reports furnished by the SBAs. - Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us. - Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. <u>Investments: Our audit procedure included:</u> - Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments. - Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. - Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines. - Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank.
2	<u>Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities</u> The Bank has various litigations including Income-tax litigations, involving disputed claims against those litigations, which are pending at various courts / forums and are at various stages in the judicial process. Bank has also disputes regarding availability of input credits / applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Tax.	<u>Our audit procedure included:</u> - Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Also obtained details of completed tax assessments and latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed till the year ended March 31, 2025, from the management. - Evaluating the management's underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. This includes considering the legal precedence and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax positions.

Sr	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
3	<u>Assessment of Information Technology (IT):</u> a. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	<u>Our audit procedure included:</u> a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. b) Reviewed the Reports of various IS Auditors / Consultants appointed by the Bank and discussed with IT Department on compliance with key IT controls, including IRAC Automation Controls. c) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. d) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

Other Matter

4. We did not audit the financial statements / financial information of 1787 branches and processing centres including 22 foreign branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/financial information reflects total assets of Rs.234960.07 Crore at March 31, 2025 and total revenue of Rs.19251.13 Crore for the year ended on that date as considered in the Standalone Financial Statements. These branches and processing centres cover 31.67% of advances, 47.18% of deposits and 30.13 % of Non-performing assets as on March 31, 2025 and 24.84 % of revenue for the period April 1, 2024 to March 31, 2025. The Financial statements/financial information of these branches and processing centres have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches and processing centres, are solely based on the report of such branch auditors.

In conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 4328 domestic branches and Nil foreign branch certified by the respective branch's management. These unaudited branches cover 15.92 % of advances, 33.54 % of deposits and 16.63% of non-performing assets as on March 31, 2025 and 12.74 % of revenue for the period April 1, 2024 to March 31, 2025.

The accompanying Standalone Financial Statements includes comparative figures for the year ended March 31, 2024, which have been audited by an earlier set of four audit firms as joint auditors, who have expressed unmodified

opinion vide their audit report dated May 10, 2024, and three of those four audit firms are continuing audit firms.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information Other than the Financial Statements and Auditors Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the Other Information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement (including annexures in the Annual Report) but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditor's report thereon, which is expected to be made available for us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements, or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, the Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. As required by the RBI letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls with reference to the Standalone Financial Statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs on Auditor's Responsibilities (para 7), Management Responsibilities (para 6) and Other matters (para 4) above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks—Reporting obligations for SCAs from FY: 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
 - c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
 - d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting as required by the RBI Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at March 31, 2025.
11. We further report that:
 - a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches and processing centres not visited by us;
 - b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches and processing centres not visited by us;

- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

For S. Jaykishan Chartered Accountants (FRN: 309005E) Nemai Gorai Partner // ICAI M. No. 057892 UDIN: 25057892BMHYOI5401	For A. Bafna & Co. Chartered Accountants (FRN: 003660C) Vivek Gupta Partner // ICAI M. No. 400543 UDIN: 25400543BMLIFJ9974
For SCV & Co. LLP Chartered Accountants (FRN:000235N / N500089) Ashish Agarwal Partner // ICAI M. No. 093790 UDIN: 25093790BMJKLV1520	For SARDA & PAREEK LLP Chartered Accountants (FRN:109262W/W100673) Giriraj Soni Partner // ICAI M. No. 109738 UDIN: 25109738BMHWMY1247

Place: Mumbai
Date: May 9, 2025

Annexure-A to Independent Auditors' Report

Referred to in Paragraph 10(e) of the Independent Auditors' Report of even date to the members of Bank of India on the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2025

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

Opinion

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements of Bank of India ("the Bank") as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements of the Bank's branches.
2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements and such Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2025, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI").

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

3. The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India

Auditor's Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform

the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

5. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
6. We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

7. A Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

8. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements to future periods are

subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

9. Our aforesaid report, insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 1843 domestic branches and processing centres and 22 foreign branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter

For S. Jaykishan Chartered Accountants (FRN: 309005E) Nemai Gorai Partner // ICAI M. No. 057892 UDIN: 25057892BMHYOI5401	For A. Bafna & Co. Chartered Accountants (FRN: 003660C) Vivek Gupta Partner // ICAI M. No. 400543 UDIN: 25400543BMLIFJ9974
For SCV & Co. LLP Chartered Accountants (FRN:000235N / N500089) Ashish Agarwal Partner // ICAI M. No. 093790 UDIN: 25093790BMJKLV1520	For SARDA & PAREEK LLP Chartered Accountants (FRN:109262W/W100673) Giriraj Soni Partner // ICAI M. No. 109738 UDIN: 25109738BMHWMY1247

Place: Mumbai

Date: May 9, 2025



बैंक ऑफ़ इंडिया

समेकित

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2025

एवं

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

लाभ एवं हानि खाता

BANK OF INDIA

**CONSOLIDATED
BALANCE SHEET**

As at 31st March, 2025

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2025

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2025

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
I. पूँजी एवं देयताएं	I. CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी	Capital	1	45,534,070	45,534,070
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	761,723,477	660,278,476
शेयर आवेदन राशि, जो आबंटन हेतु लंबित है	Share Application Money, pending allotment		-	-
अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	2A	1,615,688	1,608,093
जमा राशियां	Deposits	3	8,198,059,755	7,406,114,377
उधार	Borrowings	4	1,238,694,557	809,602,697
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	318,622,515	319,665,827
कुल	TOTAL		10,564,250,062	9,242,803,540
II. आस्तियां	II. ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	521,258,347	388,939,466
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	487,113,331	442,290,155
निवेश	Investments	8	2,680,022,897	2,345,919,824
अग्रिम	Advances	9	6,535,182,203	5,666,437,802
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	120,469,407	103,275,275
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	220,203,877	295,941,018
कुल	TOTAL		10,564,250,062	9,242,803,540
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	6,437,670,945	4,477,177,272
वसूली के लिए बिल	Bills for collection		279,983,418	285,543,510
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

तुलनपत्र बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तुलनपत्र तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

बी कुमार	राजेश एस इंगले	राजीव मिश्रा	सुब्रत कुमार	पी आर राजगोपाल	रजनीश कर्नाटक	एम.आर. कुमार
B Kumar	Rajesh S Ingle	Rajiv Mishra	Subrat Kumar	P. R. Rajagopal	Rajneesh Karnatak	M.R. Kumar
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष
General Manager & Chief Financial Officer	Chief General Manager	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO	Chairman

निदेशकगण DIRECTORS

मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन
Manoj Muttathil Ayyappan

अशोक नारायण
Ashok Narain

वी वी शेनॉय
V V Shenoy

जमुना रवि
Jamuna Ravi

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एस. जयकिशन For S.Jaykishan	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co	कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP	कृते सारदा और पारीक एलएलपी For SARDA & PAREEK LLP
सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 109262W/W100673) (FRN: 109262W/W100673)
नेमाइ गोरई Nemai Gorai भागीदार Partner एम.नं. M. No. 057892	विवेक गुप्ता Vivek Gupta भागीदार Partner एम.नं. M. No. 400543	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	गिरिराज सोनी Giriraj Soni भागीदार Partner एम.नं. M. No. 109738

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai

दिनांक : 9 मई, 2025 / Date : May 9, 2025

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2025 ₹	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2024 ₹
I. आय	INCOME			
अर्जित आय	Interest earned	13	713,077,088	610,733,406
अन्य आय	Other income	14	91,047,344	62,331,331
कुल	TOTAL		804,124,432	673,064,737
II. व्यय	EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	465,941,808	377,567,814
परिचालन व्यय	Operating expenses	16	172,099,099	153,061,997
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies		72,688,798	78,589,616
कुल	TOTAL		710,729,705	609,219,427
सहयोगी कंपनियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	Share of earnings/(loss) in Associates	16A	2,126,999	1,820,433
अल्पसंख्यकों के हित को कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		95,521,726	65,665,743
घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित	Less: Minorities' Interest		38,926	21,121
वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		95,482,800	65,644,622
जोड़ें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		73,388,004	34,767,772
कुल	TOTAL		168,870,804	100,412,394
III. विनियोजन	APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		23,050,000	15,800,000
निवेश घट-बढ़ आरक्षितियों को अंतरण	Transfer Investment Fluctuation Reserve		-	2,063,554
राजस्व आरक्षित को/(से) अंतरण	Transfer to/ (from) Revenue Reserve		-	-
पूंजी आरक्षित को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		2,130,200	695,900
निवेश आरक्षित खाते में अंतरण	Transfer to Investment Reserve Account		-	257,803
लाभांश भुगतान	Dividend Paid		12,747,470	8,207,132
अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		-	-
सहयोगी कंपनी हेतु लाभांश कर	Dividend Tax - for Subsidiary		-	-
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		-	-
समेकित तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance sheet		130,943,134	73,388,004
कुल	TOTAL		168,870,804	100,412,394
विशेष लेखांकन नीतियां	Significant accounting policies	17		
लेखा पर नोट	Notes to Accounts	18		
प्रति शेयर आय (₹) मूल	Earnings Per Share (₹) (Basic)		20.97	15.48
प्रति शेयर आय (₹) (डायल्यूटेड)	Earnings Per Share (₹) (Diluted)		20.97	15.48

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

बी कुमार B Kumar महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager & Chief Financial Officer	राजेश एस इंगले Rajesh S Ingle मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	राजीव मिश्रा Rajiv Mishra कार्यपालक निदेशक Executive Director	सुब्रत कुमार Subrat Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	पी आर राजगोपाल P. R. Rajagopal कार्यपालक निदेशक Executive Director	रजनीश कर्नाटक Rajneesh Karnataka प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	एम.आर. कुमार M.R. Kumar अध्यक्ष Chairman

निदेशकगण DIRECTORS

मनोज मुत्ताथिल अध्यक्ष
Manoj Muttathil Ayyappanअशोक नारायण
Ashok Narainवी वी शेनॉय
V V Shenoyजमुना रवि
Jamuna Ravi

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एस. जयकिशन For S.Jaykishan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	कृते एससीबी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	कृते सारदा और पारीक एलएलपी For SARDA & PAREEK LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन: 109262W/W100673) (FRN: 109262W/W100673)
नेमाइ गोरई Nemai Gorai भागीदार Partner एम.नं. M. No. 057892 स्थान : मुंबई / Place : Mumbai दिनांक : 9 मई, 2025 / Date : May 9, 2025	विवेक गुप्ता Vivek Gupta भागीदार Partner एम.नं. M. No. 400543	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	गिरिराज सोनी Giriraj Soni भागीदार Partner एम.नं. M. No. 109738

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2025

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2025	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2024
ए. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	A. Cash Flow from Operating Activities:		
कर के पहले निवल लाभ	Net Profit before taxes	127,671,345	103,730,585
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
निवेश पर परिशोधन/ मूल्यहास	Amortisation/Depreciation on Investments	(2,960,644)	2,256,934
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on Fixed Assets	6,035,552	5,086,998
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	Profit on sale of Fixed Assets	(2,030,017)	(284,569)
निवेशों के (निष्पादन कर रहे निवेशों पर मूल्यहास सहित) पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि)	(Profit) / Loss on Revaluation of Investments (Incl depre performing inv)	(1,593,278)	853,983
एनपीए के लिए प्रावधान	Provision for NPA	46,601,366	41,630,074
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान एवं निवेश	Provision for Standard Assets and Investments	(3,988,702)	(3,787,204)
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	708,432	1,939,446
एटी-I, टियर -II बॉण्ड पर ब्याज	Interest on AT I & Tier II bonds	13,024,745	7,941,056
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Associates	(305,557)	(136,605)
निम्नलिखित के लिए समायोजन:	Adjustments for:		
जमाराशियों में बढ़/घट	Increase / (Decrease) in Deposits	791,945,378	684,173,154
उधार में बढ़/घट	Increase/ (Decrease) in Borrowings	404,091,860	154,450,446
अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/घट	Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	3,273,837	33,687,694
निवेश में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Investments	(325,139,630)	(233,474,488)
अग्रिमों में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Advances	(915,345,767)	(821,255,643)
अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Other Assets	44,802,847	(33,580,490)
प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी	Taxes (Paid) / Refund	(1,447,300)	12,399,221
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)	Net Cash Flow from Operating Activities (A)	185,344,466	(44,369,408)
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	B. Cash Flow from Investing Activities:		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(7,230,490)	(8,505,335)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of Fixed Assets	499,545	235,713
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from Associates	305,557	136,605
समेकन का प्रभाव	Impact of Consolidation	(2,126,999)	(1,820,431)
अल्पसंख्यक हित	Minority Interest	7,595	42,958
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(8,544,792)	(9,910,490)
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:	C. Cash Flow from Financing Activities:		
शेयर पूंजी	Equity Share Capital	-	4,491,018
शेयर प्रीमियम	Share Premium	1,114,598	45,333,901
शेयर आवेदन रकम	Share Application Money	-	-
टियर I और टियर II कैपिटल बांड का निर्गम/(मोचन) (निवल)	Issue / (Redemption) of Tier I and Tier II Capital Bonds (Net)	25,000,000	5,000,000
प्रदत्त लाभांश	Dividend Paid	(12,747,470)	(8,207,132)
एटी 1, टियर II बॉण्ड पर ब्याज	Interest on AT I & Tier II bonds	(13,024,745)	(7,941,056)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	Net Cash Flow from Financing Activities (C)	342,383	38,676,731
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (ए)+(बी)+(सी)	Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	177,142,057	(15,603,167)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण

Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2025

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2025	समाप्ति वर्ष/ Year ended 31-03-2024
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	831,229,621	846,832,788
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	1,008,371,678	831,229,621
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य का समाधान	Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	521,258,347	388,939,466
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	487,113,331	442,290,155
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	1,008,371,678	831,229,621

नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमा राशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि जिसे तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके, शामिल हैं।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

बी कुमार B Kumar महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी General Manager & Chief Financial Officer	राजेश एस इंगले Rajesh S Ingle मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager	राजीव मिश्रा Rajiv Mishra कार्यपालक निदेशक Executive Director	सुब्रत कुमार Subrat Kumar कार्यपालक निदेशक Executive Director	पी आर राजगोपाल P. R. Rajagopal कार्यपालक निदेशक Executive Director	रजनीश कर्नाटक Rajneesh Karnatak प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	एम.आर. कुमार M.R. Kumar अध्यक्ष Chairman

निदेशकगण DIRECTORS

मनोज मुत्ताथिल अय्यप्पन
Manoj Muttathil Ayyappan

अशोक नारायण
Ashok Narain

वी वी शेनॉय
V V Shenoy

जमुना रवि
Jamuna Ravi

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एस. जयकिशन For S. Jaykishan सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 309005E) (FRN: 309005E)	कृते ए. बाफना एवं कंपनी For A. Bafna & Co सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C)	कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी For SCV & Co. LLP सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089)	कृते सारदा और पारीक For Sarda & Pareek सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफ़आरएन: 109262W/W100673) (FRN: 109262W/W100673)
नेमाइ गोरई Nemai Gorai भागीदार Partner एम.नं. M. No. 057892	विवेक गुप्ता Vivek Gupta भागीदार Partner एम.नं. M. No. 400543	आशीष अग्रवाल Ashish Agarwal भागीदार Partner एम.नं. M. No. 093790	गिरिराज सोनी Giriraj Soni भागीदार Partner एम.नं. M. No. 109738

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai

दिनांक : 9 मई, 2025 / Date : May 9, 2025

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	SCHEDULE - 1 : CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी	AUTHORISED CAPITAL		
प्रत्येक ₹10 के 600,00,00,000 (पिछले वर्ष 600,00,00,000) इक्विटी शेयर	600,00,00,000 (Previous year 600,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	60,000,000	60,000,000
निर्गमित पूँजी	ISSUED CAPITAL		
प्रत्येक ₹ 10 के 455,38,44,966 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 455,38,44,966)	Equity Shares 455,38,44,966 (Previous year ended 455,38,44,966) of ₹10 each	45,538,450	45,538,450
कुल	TOTAL	45,538,450	45,538,450
अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी	SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL		
पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 455,26,67,866 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 455,26,67,866)	455,26,67,866 Equity Shares (Previous year 455,26,67,866) of ₹ 10 each fully paid-up.	45,526,679	45,526,679
जोड़े: जलत शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	TOTAL*	45,534,070	45,534,070
* उपर्युक्त में से 334,08,61,720 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 334,08,61,720) प्रत्येक ₹.10 के ₹.3340.86 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹.3340.86 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा धारित हैं।	** Of the above, 334,08,61,720 Equity Shares (Previous year ended 334,08,61,720) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹3340.86 crore (Previous year ended ₹3340.86 crore) is held by Central Government.		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	I. Statutory Reserve :	110,885,412	95,025,156
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	23,024,308	15,860,256
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Add: Additions/adjustments during the year		
कुल (I)	TOTAL (I)	133,909,720	110,885,412
II. पूँजी आरक्षितियां :	II. Capital Reserves :		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	68,752,070	69,549,554
जोड़: परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़े गए	Add : Addition during the year on Revaluation of Premises	15,802,420	-
घटाएं : अवधि के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the year	(186,475)	(59,940)
घटाएं : पुनर्मूल्यांकन की वजह से मूल्यहास/समायोजन	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	1,520,175	857,424
(ए) का कुल	Total of (A)	83,220,790	68,752,070
बी) अन्य	B) Others:		
i) पूँजी आरक्षिति (अनुषंगी/सहायक/स.यु.का विक्रय) प्रारंभिक शेष	i) Capital Reserve (Sale of Subsidiary/Asso/JV) Opening Balance	-	-
वर्ष के दौरान जोड़े गए	Additions during the year	-	-
वर्ष के दौरान घटाएं गए	Deductions during the year	-	-
(i) का उप-कुल	Sub-total of (i)	-	-
ii) पूँजी मोचन आरक्षिति प्रारंभिक शेष	ii) Capital Redemption Reserve Opening Balance	5,000	5,000
जोड़े/घटाएं: परिवर्धन/कटौतियां	Add /Less: Additions/deductions	-	-
(ii) का उप-कुल	Sub-total of (ii)	5,000	5,000
iii) "परिपक्वता तक धारित" निवेशों को बिक्री पर लाभ प्रारंभिक शेष	iii) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity" Opening Balance	34,216,579	33,520,679
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	2,130,200	695,900
(iii) का उप-कुल	Sub-total of (iii)	36,346,779	34,216,579
iv) समेकन पर पूँजी आरक्षिति प्रारंभिक शेष	iv) Capital Reserve on Consolidation Opening Balance	-	-
जोड़े/ (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add/ (Less) : Adjustment during the year	-	-
(iv) का उप-कुल	Sub-total of (iv)	-	-
v) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति प्रारंभिक शेष	v) Foreign Currency Translation Reserve Opening Balance	22,624,929	24,093,619
जोड़े/ (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन (निबल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	2,414,785	(1,468,690)
(v) का उप-कुल	Sub-total of (v)	25,039,714	22,624,929
vi) विशेष आरक्षित - मुद्रा विनिमय प्रारंभिक शेष	vi) Special Reserve - Currency Swaps Opening Balance	-	0
जोड़े/ (घटाएं) : वर्ष के दौरान घटाएं गए	Add/(Less):Deductions during the year	-	0
(vi) का उप-कुल	Sub-total of (vi)	-	0

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
vii) पूँजी आरक्षिति (एफएस के अंतर्गत इक्विटी का विक्रय) प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान जोड़े गए वर्ष के दौरान घटाए गए (vii) का उप-कुल (बी) का कुल	vii) Capital Reserve (Sale of equity under AFS) Opening Balance Additions during the year Deductions during the year Sub-total of (vii) Total of (B)	- - - - 61,391,493	- - - 0 56,846,508
कुल (II)	TOTAL (II)	144,612,283	125,598,578
III. शेयर प्रीमियम : प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान परिवर्धन घटाए : वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ उपयोग	III. Share Premium : Opening Balance Additions during the year Less : Deductions / Utilization during the year TOTAL (III)	219,180,903 1,172,178 (57,580) 220,295,501	173,847,002 45,532,324 198,423 219,180,903
कुल (III)	TOTAL (III)	220,295,501	219,180,903
अनुसूची - 2 : आरक्षितियाँ एवं अधिशेष (जारी)	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)		
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियाँ : i) राजस्व आरक्षिति: प्रारंभिक शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन जोड़ें: विलय पर पूँजी आरक्षितियों अधिशेष से अंतरण जोड़/ (घटाएँ): समायोजन घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ (i) का उप जोड़ ii) निवेश आरक्षितियाँ : प्रारंभिक शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ (ii) का कुल iii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति : प्रारंभिक शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ (iii) का उप-जोड़ iv) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति प्रारंभिक शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (iv) का कुल-जोड़ v) एफएस आरक्षिति: प्रारंभिक शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धित घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ कुल (V)	IV. Revenue and Other Reserves : i) Revenue Reserve : Opening Balance Add: Addition during the year Add: Transfer from Capital Reserve-Surplus on Merger Add / (Less): Adjustments Less: Deductions during the year Sub-total of (i) ii) Investment Reserve : Opening Balance Add: Addition during the year Less: Deduction during the year Sub-total of (ii) iii) Investment Fluctuation Reserve : Opening Balance Add: Additions during the year Less: Deductions during the year Sub-total of (iii) iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 Opening Balance Add: Additions during the year Sub-total of (iv) v) AFS Reserve : Opening Balance Add: Additions during the year Less: Deductions during the year TOTAL (V)	88,106,190 2,370,630 - 220,726 71,022 90,626,524 4,065,618 (4,065,618) - - 12,853,771 - - 12,853,771 26,200,000 - 26,200,000 - 2,282,544 - - 131,962,839	91,679,548 853,648 - (4,376,133) 50,873 88,106,190 3,807,815 257,803 - 4,065,618 10,790,217 2,063,554 - 12,853,771 26,200,000 - 26,200,000 - - - 131,225,579
कुल (IV)	TOTAL (IV)	131,962,839	131,225,579
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष कुल (I से V)	V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account TOTAL (I TO V)	130,943,134 761,723,477	73,388,004 660,278,476
अनुसूची - 2क : अल्पसंख्यक हित	SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए	Minority interest at the date on which the parent-subsidary relationship came into existence	1,608,093	1,565,135
तदुपरांत वृद्धि/(कमी)	Subsequent increase / (decrease)	7,595	42,958
तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance sheet	1,615,688	1,608,093

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	SCHEDULE - 3 : DEPOSITS		
ए. I. माँग जमा राशियाँ :	A. I. Demand Deposits :		
i) बैंकों से	i) From Banks	5,484,792	6,998,182
ii) अन्य से	ii) From Others	388,092,136	365,832,692
कुल (I)	TOTAL (I)	393,576,928	372,830,874
II. बचत बैंक जमाराशियां	II. Savings Bank Deposits	2,456,876,451	2,375,675,782
III. मीयादी जमाराशियां :	III. Term Deposits :		
i) बैंकों से	i) From Banks	490,357,133	463,751,385
ii) अन्य से	ii) From Others	4,857,249,243	4,193,856,335
कुल (III)	TOTAL (III)	5,347,606,376	4,657,607,720
कुल क(I to III)	TOTAL A (I to III)	8,198,059,755	7,406,114,376
बी. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	B) i) Deposits of branches in India	7,002,106,279	6,296,462,068
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	1,195,953,476	1,109,652,309
कुल (ख)	TOTAL (B)	8,198,059,755	7,406,114,377
अनुसूची - 4 : उधार	SCHEDULE - 4 : BORROWINGS		
I. भारत में उधार:	I. Borrowings in India:		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	300,000,000	145,000,000
ii) अन्य बैंक	ii. Other Banks		
ए. टियर I पूँजी बांड	a. Tier I Capital bonds	7,490,000	7,740,000
बी. टियर II पूँजी बांड	b. Tier II Capital bonds	9,090,000	6,340,000
सी. अन्य	c. Others	24,352,295	362,019
कुल (ii)	Total (ii)	40,932,295	14,442,019
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण	iii) Other Institutions and Agencies		
ए. टियर I पूँजी बांड	a. Tier I Capital bonds	21,030,000	20,780,000
बी. टियर II पूँजी बांड	b. Tier II Capital bonds	83,910,000	61,660,000
सी. अन्य	c. Others	553,598,552	487,232,170
कुल (iii)	Total (iii)	658,538,552	569,672,170
कुल (I)	Total (I)	999,470,847	729,114,189
II. भारत के बाहर से उधार	II. Borrowings outside India		
ए. टियर I पूँजी बांड	a. Tier I Capital bonds	-	-
बी. टियर II पूँजी बांड	b. Tier II Capital bonds	-	-
सी. अन्य	c. Others	239,223,710	80,488,508
कुल (II)	Total (II)	239,223,710	80,488,508
कुल (I एवं II)	Total (I & II)	1,238,694,557	809,602,697
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	Secured borrowings included in above	730,498,552	213,870,541
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल	I. Bills Payable	16,077,840	16,576,874
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	2,964,920	-
III. उपार्जित ब्याज	III. Interest Accrued	36,633,716	32,008,951
VI. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	-	-
VII. अन्य	V. Others	262,946,039	271,080,002
कुल	TOTAL	318,622,515	319,665,827
*मानक आस्तियों हेतु ₹ 44,962,128 (गत वर्ष ₹ 49,473,017) का प्रावधान शामिल है	* Includes provision for Standard Assets ₹ 44,962,128 (Previous Year ₹ 49,473,017),		

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. Cash in hand (including foreign currency notes & Gold)	17,819,052	21,529,801
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	II. Balances with Reserve Bank of India : *		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	401,982,930	367,238,272
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	101,456,365	171,393
कुल (II)	TOTAL (II)	503,439,295	367,409,665
कुल (I एवं II)	TOTAL (I & II)	521,258,347	388,939,466
* भारत के बाहर केन्द्रीय बैंकों के शेष सहित	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में :	I. In India :		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	454,496	291,798
बी) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	17,095,029	23,886,204
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों में	a) With Banks	7,151,000	1,020,300
बी) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	-	-
कुल (I)	TOTAL (I)	24,700,525	25,198,302
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
II. भारत के बाहर :	II. Outside India :		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	12,490,746	5,537,025
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	229,512,247	247,330,545
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	220,409,813	164,224,283
कुल (II)	TOTAL (II)	462,412,806	417,091,853
कुल (I एवं II)	TOTAL (I & II)	487,113,331	442,290,155
अनुसूची - 8 : निवेश	SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश:	I. Investments in India :		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	2,256,780,900	2,026,584,300
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	18,390,627	17,441,681
iii) शेयर	iii) Shares	24,534,944	12,383,898
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	iv) Debentures and Bonds	168,918,487	117,177,208
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	27,810,288	23,576,293
vi) अन्य	vi) Others	48,020,067	40,657,625
कुल (I)	TOTAL (I)	2,544,455,313	2,237,821,005
II. भारत के बाहर निवेश:	II. Investments outside India :		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	118,063,551	91,508,768
ii) डिबेंचर एवं बंधपत्र	ii) Debentures & Bonds	-	-
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	1,973,637	2,560,206
iv) अन्य	iv) Others	15,530,396	14,029,845
कुल (II)	TOTAL (II)	135,567,584	108,098,819
कुल (I & II)	TOTAL (I & II)	2,680,022,897	2,345,919,824
III. भारत में निवेश :	III. Investments in India :		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	2,549,012,228	2,278,650,481
ii) मूल्यहास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	4,556,915	40,829,476
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	2,544,455,313	2,237,821,005
IV. भारत के बाहर निवेश:	IV. Investments outside India :		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	135,449,962	111,837,379
ii) मूल्यहास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	(117,622)	3,738,560
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	135,567,584	108,098,819
कुल (III & IV)	TOTAL (III & IV)	2,680,022,897	2,345,919,824

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम		SCHEDULE - 9 : ADVANCES	
ए	i) खरीदे गए बिल और बढ़ाकृत बिल	437,310,953	429,032,826
	ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	2,579,430,807	2,146,312,426
	iii) मीयादी ऋण	3,518,440,443	3,091,092,550
	कुल (ए)	6,535,182,203	5,666,437,802
बी	अग्रिम का विवरण	B. Particulars of Advances :	
	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	4,698,619,969	3,978,128,989
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित	379,955,975	552,877,938
	iii) अप्रतिभूत	1,456,606,259	1,135,430,875
	कुल (बी)	6,535,182,203	5,666,437,802
सी	अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण	C. Sectoral Classification of Advances :	
	I. भारत में अग्रिम	I. Advances in India	
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,995,708,036	1,689,173,691
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	1,257,428,680	1,302,094,408
	iii) बैंक	146,583,097	142,231,724
	iv) अन्य	2,075,173,307	1,568,687,548
	कुल (I)	5,474,893,120	4,702,187,371
अनुसूची - 9 : अग्रिम		SCHEDULE - 9 : ADVANCES	
II.	भारत के बाहर अग्रिम	II. Advances outside India :	
	i) बैंकों से देय	367,870,788	380,731,883
	II) अन्यो से देय		
	क) खरीदे गए बिल और बढ़ाकृत बिल	74,242,311	102,826,124
	ख) समूहनकृत ऋण	408,806,675	237,577,531
	ग) अन्य	209,369,309	243,114,893
	कुल (II)	1,060,289,083	964,250,431
	कुल (I एवं II)	6,535,182,203	5,666,437,802
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां		SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS	
I.	परिसर :	I. PREMISES :	
	लागत पर आरंभिक शेष	22,097,897	21,905,892
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	267,271	192,605
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	7,846	600
	उप-कुल	22,357,322	22,097,897
	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक परिवर्धन	83,268,793	70,241,372
	घटाएं : इस तारीख तक मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन के कारण सहित)	6,031,932	7,096,472
	कुल (I)	99,594,183	85,242,797
II.	अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित हैं)	II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)	
	लागत पर प्रारंभिक शेष	55,725,672	48,803,747
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	7,418,126	7,157,039
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	491,698	235,114
	उप-कुल	62,652,100	55,725,672
	घटाएं: इस तारीख को मूल्यहास	43,595,213	39,193,346
	कुल (II)	19,056,887	16,532,326
III.	निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	III. CAPITAL WORK IN PROGRESS	
	कुल (I से III)	1,818,337	1,500,152
		120,469,407	103,275,275

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		यथा As at 31-03-2025 ₹	यथा As at 31-03-2024 ₹
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निबल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	-	37,718,785
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	65,624,919	57,301,670
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निबल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	40,161,452	55,345,186
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	159,506	132,262
V. आस्थगित कर आस्तियां	V. Deferred Tax Assets	13,253,185	29,003,746
VI. अन्य	VI. Others	101,004,815	116,439,369
कुल	TOTAL	220,203,877	295,941,018
* नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गई ₹ 24,301,210 (गत वर्ष ₹ 43,265,948) की जमा राशियां शामिल हैं:		* Includes Deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB amounting to ₹ 24,301,210 (Previous Year ₹ 43,265,948)	
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	39,252,714	41,242,902
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	524,446	886,789
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	5,881,040,699	3,915,136,810
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
क) भारत में	a. In India	264,165,973	246,978,369
ख) भारत के बाहर	b. Outside India	27,963,965	35,849,403
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	174,512,990	197,274,107
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	9,138,000	5,900,000
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	41,072,158	33,908,892
कुल	TOTAL	6,437,670,945	4,477,177,272

समेकित लाभ एवं हानि खाता की अनुसूचियां

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

		समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2025 ₹	समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2024 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित व्याज एवं लाभांश	SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED		
I. अग्रिमों/बिल पर व्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	503,372,174	431,257,725
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	173,835,969	142,463,897
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर व्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	32,057,927	28,862,703
IV. अन्य	IV. Others	3,811,018	8,149,080
कुल	TOTAL	713,077,088	610,733,406
अनुसूची - 14 : अन्य आय	SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	20,122,162	17,645,377
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ/(हानि)	II. Profit/(Loss) on sale of Investments	17,217,313	7,173,990
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) - निवल	III. Profit/(Loss) on Revaluation of Investments - net	1,593,277	(853,983)
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ/(हानि)	IV. Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets	2,030,017	284,569
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ/(हानि)	V. Profit/(Loss) on exchange transactions	4,363,433	5,281,738
VI. अनुषंगियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	VI. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/ companies and /or/ joint ventures	305,557	136,605
VII. विविध आय	VII. Miscellaneous Income	45,415,584	32,663,035
कुल	TOTAL	91,047,344	62,331,331
* बट्टे खाते में डाले गए खातों में ₹ 2,36,54,591 (गत वर्ष ₹ 1,46,70,443) की राशि की वसूली शामिल है		* Includes Recoveries made in write-off accounts amounting to ₹ 2,36,54,591 (Previous Year ₹ 1,46,70,443)	
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया व्याज	SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED		
I. जमाओं पर व्याज	I. Interest on Deposits	379,258,211	313,547,707
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर व्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	73,169,654	56,124,704
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर व्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc..	13,513,943	7,895,404
कुल	TOTAL	465,941,808	377,567,814
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	103,873,126	92,626,796
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	10,343,637	9,311,660
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	1,037,421	984,769
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	436,897	430,518
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	V. Depreciation on Bank's property	6,035,552	5,086,998
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	71,994	63,152
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' Fees & Expenses)	920,693	1,019,852
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	618,056	510,533
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	3,363,804	2,922,223
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	1,055,443	927,499
XI. बीमा	XI. Insurance	9,218,815	8,348,652
XII. अन्य खर्च	XII. Other Expenditure	35,123,661	30,829,345
कुल	TOTAL	172,099,099	153,061,997
अनुसूची - 16 A : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/ हानि में हिस्सेदारी	SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	1,465,796	628,936
II. अन्य	II. Others	661,203	1,191,497
कुल	TOTAL	2,126,999	1,820,433

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (समेकित वित्तीय विवरणियाँ)

1) लेखांकन परिपाटी:

संस्था की निरंतरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व की लागत के आधार पर संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार किये गये हैं जो वस्तुतः 'सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीआई) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, कंपनी अधिनियम 2013, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी कार्यालयों/शाखाओं/सहायकों/सहयोगियों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किये गये आकलन उचित तथा तार्किक हैं। वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्यलक्षी प्रभाव से चालू और भविष्य की अवधियों में निर्धारित किया जाता है।

2) समेकन का आधार:

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये हैं:-

- ए) बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों की "समेकित वित्तीय विवरणियाँ", भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार की गई हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है तथा आंतर समूह संव्यवहारों, शेष राशि, उगाही रहित लाभ/हानि को हटाकर इसमें समान प्रकार की आस्ति, देयताएं, आय तथा व्ययों को जोड़ा जाता है तथा एकरूप लेखांकन का पालन करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण प्रकृति का आवश्यक समायोजन किया जाता है।
- बी) अनुषंगियों में मूल बैंक के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में मूल बैंक के शेयर में अंतर को गुडविल/आरक्षित पूँजी के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि कुछ गुडविल हो तो उसे निर्धारित होने के तुरंत बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।
- सी) समेकित वित्तीय विवरणों में अल्पसंख्यक हित, अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में हैं।
- डी) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23 "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कंपनियों में निवेश का लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति से किया जाता है।

- ई) संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन, आईसीआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार "आनुपातिक आधार" पर किया जाता है।

3) राजस्व का निर्धारण: (एएस-9- राजस्व निर्धारण)

3.1 बैंकिंग संस्थाएं :

- (ए) आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।
- (बी) अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर ब्याज आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।
- (सी) बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।
- (डी) अन्य सभी कमीशन एवं विनियम, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों को उगाही होने पर आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।
- ई) जहां ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और बकाया नहीं होता है वहां सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों और डिबेंचर के लिए आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।
- एफ) म्यूचुअल फंड, एआईएफ और अन्य ऐसे संयोजित/सामूहिक निवेश निधि की इकाइयों से आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है।
- जी) सभी प्रतिभूतियों पर छूट या प्रीमियम को स्थिर प्रतिफल पद्धति पर लिखत के शेष जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि को "निवेश पर आय" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- (एच) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि को लागत में शामिल किया जाता है।
- (आई) कर्ज निवेशों पर ब्रोकरेज, कमीशन, खण्डित अवधि के लिए ब्याज भुगतान/प्राप्तियों को व्यय/आय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।
- (जे) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कुछ हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।
- के) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को "अन्य आय" शीर्षक के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर लाभ के मामले में, एक समतुल्य राशि (करों और सांविधिक रिज़र्व में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर) लाभ और हानि खाते से 'पूँजी रिज़र्व खाते' में विनियोजित की जाती है।
- (एल) एएफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस रिज़र्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/हानि को एएफएस रिज़र्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

एम) एफएस श्रेणी के अंतर्गत निर्दिष्ट इक्विटी लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/हानि को एफएस रिजर्व से पूंजी रिजर्व में अंतरित कर दिया जाता है।

एन) किसी अनुषंगियों कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर प्राप्त लाभ/मुनाफे को पहले लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है और फिर पूंजी रिजर्व खाते में विनियोजित किया जाता है।

ओ) जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब लाभांश को आय के रूप में पहचाना जाता है।

पी) निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में पहचाना जाता है।

क्यू) एन.पी.ए. में वसूली का विनियोजन:

ए) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, बी) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा सी) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर, एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम में प्रभावी की जाती है :

- खाते से शुल्क डेबिट किया गया
- ऐसे खर्च / अपने जेब से खर्च, जो किए तो गए परंतु जिन्हें नामे नहीं किया गया;
- विविध जमाराशियों में रखे गए न उगाही किये गए ब्याज
- खाते में अप्रभारित ब्याज
- मूलधन।

अन्य मामलों में प्रासंगिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार कृत वसूलियों को विनियोजित किया जाता है।

इसके अलावा, ऐसे उधारकर्ताओं के मामले में जिनके पास एक से अधिक खाते हैं:

किसी की खाते में की गई वसूली को प्रणाली द्वारा उपर्युक्त क्रम अर्थात् उक्त खाते का व्यय, ब्याज और बकाया मूलधन में विभाजित किया जाता है। अधिशेष वसूली राशि, यदि कोई हो, को उसी ग्राहक के अन्य खातों के व्यय, ब्याज और मूलधन की बकाया राशि हेतु विचार किया जाता है।

3.2 गैर बैंकिंग निकाय-बीमा:

ए) प्रीमियम आय:

पॉलिसीधारक से देय होने पर, गैर-लिंकड व्यवसाय के लिए, राइडर प्रीमियम सहित प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। सहायक इकाइयों के सृजित होने पर लिंकड व्यवसाय के लिए प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। यथा लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाकर, प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है।

सीमित भुगतान अवधि के साथ नियमित भुगतान योजनाओं वाले उत्पादों को पहले वर्ष तथा नवीनीकरण प्रीमियम के वर्गीकरण के सहित नियमित व्यवसाय के रूप में माना जाता है। पूर्वोक्त से भिन्न उत्पादों पर प्रीमियम आय, एकल प्रीमियम के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

व्यपगत (लैप्स हुई) पॉलिसी पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब पॉलिसियों पुनः आरंभ की जाती हैं।

लिंकड कारोबार के तहत टॉप-अप प्रीमियम को एक सिंगल प्रीमियम माना जाता है तथा सहायक इकाइयों सृजित करने पर उन्हें आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

पीएमजेजेबीवाई के मामले में प्रीमियम को, प्रशासनिक प्रभार तथा मध्यवर्तियों को देय व्ययों की प्रतिपूर्ति (यथा लागू) को हटाकर निर्धारित किया जाता है।

बी) पॉलिसी के विरुद्ध ऋणों पर ब्याज, उपचय के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

सी) अन्य आय को तब निर्धारित किया जाता है जब कंपनी अंतिम वसूली के लिए पर्याप्त रूप से निश्चित होती है।

डी) निवेश पर ब्याज आय उपचय के आधार पर पहचानी जाती है। इसका अपवाद अनर्जक निवेशों पर ब्याज आय है जिसे यथा निर्दिष्ट आईआरडीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्ति पर निर्धारित किया गया है।

ई) प्रीमियम का निर्धारण, जोखिम को स्वीकार करते समय किया जाता है।

एफ) परिशोधित आय/लागत:

गैर-लिंकड निवेशों से संबंधित कर्ज प्रतिभूति/निश्चित आय प्रतिभूति के संबंध में अधिग्रहण पर प्रीमियम या डिस्काउन्ट, जैसा भी मामला हो, को परिपक्वता/धारित अवधि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

जी) लाभांश:

उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय, पूर्व-लाभांश तारीख पर पहचानी जाती है तथा गैर-उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय तब पहचानी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एच) लिंकड निधियों से आय:

लिंकड निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मॉर्टेंटीटी प्रभार, अन्य प्रभार, जहाँ भी लागू है, शामिल है, उन्हें पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार लिंकड फंड से वसूला जाता है तथा देयता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

उपर्युक्त यूनिट लिंकड प्रभारों से वसूल किया गया वस्तु एवं सेवा कर राजस्व खाते के अंतर्गत "यूलिप प्रभारों पर वस्तु एवं सेवा कर" (जीएसटी) के रूप में दर्शाया जाता है जैसा की आईआरडीआई दिशानिर्देशों के द्वारा आवश्यक किया गया है।

आई) लिंकड कारोबार हेतु कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि):

व्यय को छोड़कर बिक्री राशि तथा बही लागत का अंतर लिंकड व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। बही लागत को बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

जे) गैर लिंकड कारोबार हेतु कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) :

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा परिशोधन लागत का अंतर, असम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। परिशोधन लागत को बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

के) इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)/ अतिरिक्त टियर 1 बॉण्ड (एटी1)/इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी)/रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट(आरईआईटी)/ की बिक्री पर लाभ/हानि:

व्यय को हटाकर बिक्री तथा बिक्री के दिन भारित औसत आधार पर निर्धारित बही लागत का अंतर, इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड इकाइयों/ईटीएफ/अतिरिक्त टियर 1 परपेचुअल बॉण्ड/आईएनवीआईटी/आरईआईटी की बिक्री पर लाभ/(हानि) है।

गैर-लिंकड व्यवसाय के मामले में ठुचित मूल्य परिवर्तन खातेठ के अंतर्गत, पूर्व में निर्धारित उचित मूल्य में उपचित परिवर्तन, लाभ/(हानि) में शामिल हैं।

एल) लिंकड कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ/(हानि):

लिंकड कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है और संबंधित निधि के राजस्व खाते में पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य में परिवर्तन पर अंतरण/लाभ में परिवर्तन के तहत दर्शाया जाता है।

एम) उधार पर प्रतिभूति लेने और देने से आय:

उधार पर प्रतिभूति लेने और देने (एसएलबी) की व्यवस्था के अंतर्गत इक्विटी शेयर को देने पर प्राप्त फीस को देने की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

एन) प्रदत्त पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुनर्बीमा करने वाले के साथ प्रासंगिक समझौतों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखांकित किया जाता है। पुनर्बीमा पर दिये गये प्रीमियम के विरुद्ध पुनर्बीमा पर दिये गये लाभ/कमीशन को घटा दिया जाता है।

3.3 गैर बैंकिंग गतिविधियाँ - म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी सेवाएं:

ए) निवेश प्रबंधन करार के अनुसार, उपचय आधार पर, म्यूचुअल फंड योजना से प्रबंधन फीस का लेखांकन किया जाता है तथा जैसा की बीओआई म्यूचुअल फंड की योजना के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, यह निवल आस्ति मूल्य पर आश्रित है। निवेश प्रबंधन फीस को उपचय आधार पर जीएसटी हटाकर निर्धारित किया जाता है। यह म्यूचुअल फंड योजनाओं के औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत

(योजना में कंपनी द्वारा किये गए निवेश को छोड़कर) के रूप में होता है। यह इस प्रकार से रखा जाता है कि विनियमों या बाद के किन्हीं अन्य संशोधनों द्वारा निर्धारित सीमा का अतिक्रमण न करें।

बी) म्यूचुअल फंड की योजनाओं से प्राप्त ट्रस्टीशिप फीस को सेबी के नियमों और ट्रस्ट डीड के अनुसार उपचय आधार पर हिसाब किया जाता है और यह बैंक ऑफ़ इंडिया म्यूचुअल फंड की योजनाओं द्वारा दर्ज निवल आस्ति मूल्य पर निर्भर करता है।

सी) व्यापार की तारीख पर, निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को, लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है और एएस-13 के अनुसार विशेष प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है।

3.4 गैर-बैंकिंग संस्थाएं - मर्चेट बैंकिंग सेवाएं:

(ए) कूपन वाली डेट प्रतिभूतियों के आउटराइट आधार पर खरीद या बिक्री में भुगतान या प्राप्ति पर कुल राशि, मूलधन राशि तथा उपचित ब्याज के रूप में अलग-अलग पहचाना जाएगा। ऐसी प्रतिभूति की खरीद पर उपचित / भुगतान राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि, व्यय के माध्यम से व्यय या आय के रूप में घटाई तथा परिकलित की जाएगी।

(बी) कंपनी के द्वारा किए गए बीमा इश्यू के संबंध में इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण, यदि कोई हो तो इसे निवेश के रूप में माना जाएगा। इन निर्गमों पर अंडरराइटिंग आय, लाभ हानि खाते में जमा की जायेगी तथा निवेश के मूल्य के विरुद्ध नहीं घटाई जायेगी।

(सी) सेकेन्ड्री मार्केट परिचालन पर अर्जित ब्रोकरेज तथा कमीशन, कारोबार की तारीख के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। ऑनलाइन पोर्टल परिचालन पर ब्रोकरेज, कारोबार की तारीख पर निर्धारित किये जायेंगे। इश्यू मार्केटिंग तथा संसाधन संग्रहण के संबंध में ब्रोकरेज तथा कमीशन उपलब्ध जानकारी की सीमा तक उपचित किये जायेंगे। डिपोजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश बैंकिंग तथा अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जायेगा। तुलन पत्र की तारीख तक लाभांश को तब पहचाना जाएगा जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाएगा। सेवा कर जहां भी वसूली गया है उसे राजस्व से हटा दिया जाएगा।

(डी) निवेशों की बिक्री पर लाभ को निपटान की तारीख पर पहचाना जाएगा। यह बिक्री/मोचन आगम एवं अधिग्रहण के बीच अंतर को दिखता है। लागत को भारांक औसत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। निवेशों की बिक्री पर लाभ को निवेशों की बिक्री पर हानि से घटाया जाएगा।

(ई) सेवाओं से राजस्व, पूरे हुए काम को समापन तथा प्राप्य राशि की निश्चितता से सम्बद्ध करके आनुपातिक समापन पद्धति से निर्धारित किया जाता है।

(एफ) तुलन पत्र की तारीख पर धारित निश्चित कूपन कर्ज प्रतिभूतियों पर ब्याज, खण्डित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होगी। अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दर पर समुपचित होगी।

4) गैर बैंकिंग संस्थाएं - अन्य नीतियां

ए. बीमा

क) प्रदत्त लाभ:

भुगतान किए गए लाभ में, पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कुछ हो तो, शामिल है।

सूचना की प्राप्ति पर, मृत्यु, राइडर तथा अभ्यर्पण दावे, लेखांकित किये जाते हैं। सम्बद्ध व्यवसाय के अंतर्गत सरेन्डर में व्यपगत पॉलिसियों पर भुगतान योग्य राशि भी शामिल है जो लॉक इन अवधि की समाप्ति पर लेखांकित की जाती है। सरेन्डर और समापन को निवल प्रभार के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता, परिपक्वता तथा वार्षिक लाभ के दावे लेखांकित होते हैं।

जिस अवधि में संबंधित दावों का निपटान किया जाता है, उसी में पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष विवादित दावे, विवेक के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं, जैसा कि प्रबंधन, प्रत्येक ऐसे दावे के संबंध में तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर उचित समझता है।

ख) अधिग्रहण लागत:

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो बदलती रहती है तथा यह मुख्य रूप से नये बीमा करारों या उसके नवीनीकरण से संबंधित है तथा इसमें बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन, रिवाई तथा प्रोत्साहन, सेल्स स्टाफ लागत, चिकित्सा जांच लागत, पॉलिसी प्रकाशन व्यय, स्टॉप ड्यूटी तथा अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। इन्हें उस अवधि में खर्च किया गया माना जाता है जिसमें ये होते हैं।

भुगतान किये गये कमीशन के लिए, भविष्य में वापसी, यदि कुछ हो तो, उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिस वर्ष में वह प्राप्त होती है।

ग) पॉलिसी देयताएं:

वर्तमान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए मूल्यांकन कवायद की जाती है। सलाह पॉलिसी के लिए पॉलिसीधारकों की यथोचित अपेक्षाओं (पीआरई) पर भी विचार होता है। भविष्य की विभिन्न परिस्थितियों में सभी पॉलिसीधारकों को लाभ देने के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ रखी जाती हैं। प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन (एमएडी) का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किन्हीं संभावित विपरीत परिस्थितियों में भी पॉलिसीधारक के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

लागू पॉलिसियों के लिए बीमांकित देयता प्रीमियम पद्धति से तथा समूह व्यवसाय (क्रेडिट लाइफ व्यवसाय तथा रिवर्स बंधक ऋण द्वारा संबद्ध वार्षिकी को छोड़कर जहां सकल प्रीमियम पद्धति का प्रयोग होता है) के मामले में, अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति से बीमांकित देयता परिगणित होती हैं। सम्बद्ध देयताओं में यूनिट देयता तथा गैर-यूनिट देयता शामिल है। यूनिट देयता, पॉलिसी का

निधि मूल्य प्रदर्शित करती है तथा गैर-यूनिट देयता बीमा दावा, व्ययों आदि के लिए है। मूल्यांकन के लिए शासित मुख्य दिशा-निर्देश हैं - बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीआई अधिनियम 1999, आईआरडीआई (बीमांकिक रिपोर्ट एवं जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016, आईआरडीआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्तियां, देयताएं तथा शोधन क्षमता अंतर) विनियम 2016, भारतीय बीमांकिक संगठन द्वारा जारी बीमांकिक व्यवसाय मानक तथा मार्गदर्शन टिप्पणियाँ एवं आईआरडीआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

घ) ऋण:

वही मूल्य (चुकौतियों को हटाकर) तथा अर्जित ब्याज का समायोजन कर पॉलिसी के बदले ऋण का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह किसी भी मूय-हास, यदि कुछ हो तो, के अधीन है। तुलन पत्र की तारीख से 12 माह से कम परिपक्वता के मामले में ऋणों को अल्पावधि में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक ऋणों को छोड़कर, अन्य ऋण, दीर्घावधि ऋण में वर्गीकृत किए जाते हैं।

ड) भविष्य में विनियोजन के लिए निधि:

सहभागिता खण्ड में, भविष्य में विनियोजनों के लिए निधि (एफएफए), ऐसी निधि को प्रदर्शित करती है जो तुलन पत्र की तारीख को पॉलिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटित नहीं की गयी है। इस निधि में अंतरण तथा निधि से अंतरण, अधिकता या व्यय से कम आय तथा कंपनी के पॉलिसीधारक की निधि से प्रत्येक लेखांकन अवधि में निकलने वाले विनियोजन को प्रदर्शित करता है। सहभागिता करने वाली पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आबंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक के लाभ और हानि खाते में भी अंतरण को आवश्यक करेगा।

च) बंद पॉलिसी निधि:

बंद पॉलिसी निधि का अर्थ है पृथक् निधि, जिसे निम्नलिखित कारणों से अलग रखा गया है -

ए) अनुबंधित प्रीमियम का भुगतान न करना।

बी) पॉलिसी के बंद करने के विषय में पॉलिसीधारक से कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर।

बंद की गयी पॉलिसियों के लिए निधि का भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बंद की गयी सम्बद्ध बीमा पॉलिसी के साथ व्यवहार) विनियम, 2010 तथा उसके बाद जारी परिपत्रों के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

छ) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

आईआरडीआई की परिपत्र संख्या आईआरडीआई/लाइफ/सीआईआर/एमआईएससी/412/2024 दिनांक 16.02.2024 की आवश्यकताओं के अनुरूप पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए अदावाकृत आस्तियों को रखा गया है और उन्हें निम्नानुसार प्रबंधित किया गया है:

- i. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि का निवेश मुद्रा बाज़ार लिखतों, लिक्विड म्यूचुअल फंड और/या अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमाराशियों में किया जाता है जिसे पूर्व की लागत से वैल्यू किया जाता है, यह परिपक्वता/धारिता की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रीमियम के परिशोधन या डिस्काउंट की अनुवृद्धि के अध्वधीन है।
- ii. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर प्राप्त आय को संबंधित दावा न किए गए फंड में जोड़ दिया जाता है और फंड प्रबंधन प्रभागों को घटाकर उपचय आधार पर लेखांकन किया जाता है।
- iii. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि की देयता, यथा वैल्यूएशन तारीख को, बकाया इकाइयों के एनएवी के आधार पर निर्धारित की जाती है।

बी. म्यूचुअल फंड एवं ट्रस्टी सेवाएँ:

क) निधि व्यय

बैंक ऑफ़ इंडिया म्यूचुअल फंड की योजनाओं को लॉच करने संबंधी व्ययों को कंपनी अवशोषित करती है तथा ऐसे व्यय सेबी विनियमों के अनुसार अनुमति प्राप्त हैं।

ख) ब्रोकेज

22 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी होकर ट्रेल ब्रोकेज सहित सभी ब्रोकरेजों तथा योजना संबंधी व्ययों का वहन म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाता है।

5) अग्रिम:

- ए) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों को “अर्जक” और “अनर्जक अग्रिमों” (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- बी) इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि प्राप्त आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- सी) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किये जाते हैं:

एनपीए की श्रेणी	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान %
अवमानक:*	
एक्सपोजर, जो आरंभ से गैर जमानती है (अर्थात् जहां प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य आरंभ से 10% से अधिक नहीं है)	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूतिरहित एक्सपोजर जहां कुछ सुरक्षा प्रावधान जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर जमानती इफ्रा)	20%
अन्य	15%
संदिग्ध :	

एनपीए की श्रेणी	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान %
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	
- एक वर्ष तक	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	40%
- तीन वर्ष से अधिक	100%
गैर जमानती हिस्सा	100%
हानि	100%

डी) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान, संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा बैंक के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होंगे।

ई) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्य ब्याज, इसीजीसी दावा इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाए जाते हैं।

एफ) विशिष्ट खातों/योजनाओं/क्षेत्रों आदि के मामले में बढ़े हुए प्रावधानों को उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन से रख-रखाव किया जाता है।

जी) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है उस वर्ष में एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जा सकता है। परंतु कोई भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन द्वारा) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा। हालांकि भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा रसीदों (एसआर) और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर के मामले में, यदि विक्रय प्रतिफल में केवल नकदी है, तो अतिरिक्त प्रावधान को अंतरण वर्ष में लाभ और हानि खाते में रिवर्स कर दिया जाता है।

एच) पुनःसंचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत मानक आस्तियों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबंधित विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होगा।

आई) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक विदेशी एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

6) अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित किये जाने वाले अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है। शुद्ध एन.पी.ए की गणना के लिए इन प्रावधानों को सकल एन.पी.ए से घटाया जाता है।

7) डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवाइड पॉइंट:

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवाइड पॉइंट का प्रावधान एकचवरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवाइड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

8) निवेश:

1. बैंकिंग संस्थाएं:

बैंक सभी प्रतिभूतियों में खरीद और बिक्री के लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए निपटान तिथि लेखांकन का पालन करता है।

ए. वर्गीकरण:

- निम्नलिखित श्रेणियों के तहत निवेश को वर्गीकृत किया गया है:
 - परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
 - बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
 - लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

(ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के तहत एक अलग निवेश श्रेणी है)
 - सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम
- बैलेंस शीट (अनुसूची 8 के अंतर्गत) में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

भारत में निवेश	भारत के बाहर निवेश
सरकारी प्रतिभूतियां	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	अनुषंगिया और/या संयुक्त उद्यम
शेयर	अन्य
डिबेंचर और बॉन्ड	
अनुषंगियों कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	
अन्य	

iii) मूल्यांकन के उद्देश्य से निवेश को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

क) स्तर 1

ख) स्तर 2

ग) स्तर 3

स्तर 1/स्तर 2/स्तर 3 निम्नानुसार हैं:

स्तर 1: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में वे इनपुट होते हैं जो समान लिखतों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं) होते हैं जिन्हें बैंक माप तिथि पर एक्सेस कर सकता है। किसी साधन के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह उस मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो मूल रूप से स्तर 1 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 2 या स्तर 3 इनपुट नहीं होता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में, स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा वे इनपुट होते हैं, जो सीधे या परोक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकनीय होते हैं। किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह उस मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो स्तर 1 और स्तर 2 इनपुट पर आधारित होता है और इसमें कोई महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट नहीं होता है।

स्तर 3: वित्तीय लिखत के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के संदर्भ में अप्राप्य इनपुट हैं। किसी लिखत के मूल्यांकन के संदर्भ में, यह ऐसे मूल्यांकन को संदर्भित करता है जिसमें महत्वपूर्ण स्तर 3 इनपुट होता है।

वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

- संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिपक्वता तक धारण करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित निवेश।
- ऐसे निवेश जो एसपीपीआई (मूलधन का एकमात्र भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज) मानदंडों को पूरा करते हैं।
- प्रतिभूतिकरण नोटों (इक्विटी अंश के अलावा) में निवेश को एचटीएम के तहत वर्गीकृत किया जाता है यदि वित्तीय साधनों का अंतर्निहित पूल भी एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करता है।

(ii) बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)

- निवेशों को इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है यदि प्रतिभूति ऐसे उद्देश्य से प्राप्त की जाती है जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त की जाती है और संविदात्मक शर्तें एसपीपीआई (मूलधन का एकमात्र भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज) मानदंडों को पूरा करती हैं।
- प्रारंभिक मान्यता पर, बैंक के पास एएफएस के तहत एक इक्विटी उपकरण को वर्गीकृत करने का अपरिवर्तनीय चुनाव होता है जिसे व्यापार के उद्देश्य से नहीं रखा जाता है।

iii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

- ए) जो निवेश एचटीएम या एफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- बी) अनिवार्यतः, वैकल्पिक रूप से या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय विशेषताओं वाले निवेश और संविदात्मक हानि अवशोषण विशेषताओं वाले निवेश।
- सी) कारोबार के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल की एक उप-श्रेणी है।

iv) अनुषंगियों, सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यमों

अनुषंगियों, सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश को इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

बी. प्रारंभिक मान्यता:

- (i) सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न न हो।
- (ii) नीलामी, स्विच परिचालन और खुले बाजार परिचालन के माध्यम से प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आर्बिट्रिज की जाती है, वह उचित मूल्य होगा।
- (iii) प्रतिभूतियों पर दिन 1 लाभ/हानि जो उद्धृत/उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट के आधार पर निर्धारित की जाती है, लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त होती है।
- (iv) स्तर 3 निवेशों से उत्पन्न दिन 1 हानि को लाभ और हानि खाते में तुरंत मान्यता दी जाती है जबकि दिन 1 लाभ को स्थगित कर दिया जाता है। ऋण उपकरणों के मामले में दिन 1 लाभ परिपक्वता तिथि तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी उपकरणों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाता है जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

सी. अनुवर्ती माप:

i) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

- ए) प्रारंभिक तौर पर इस श्रेणी के अंतर्गत रखे गए निवेशों को लागत पर रखा जाता है, न कि मार्क-टू-मार्केट पर।

(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस)

- क) इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।
- ख) एफएस के अंतर्गत रखे गए सभी अर्जक निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि को, चाहे वे किसी भी वर्गीकरण के हों, एकत्रित किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को सीधे एफएस रिजर्व में जमा या डेबिट किया जाता है।

iii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

- क) इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाता है।
- ख) एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाता है।

iv) अनुषंगियों, सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यमों

- ए) इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश अधिग्रहण लागत पर रखे जाते हैं।
- बी) बैंक तिमाही आधार पर इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश का मूल्यहास के लिए मूल्यांकन करेगा।

डी. मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य अथवा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य, इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है।

लिखत का प्रकार	मूल्यांकन का आधार/पद्धति
उद्धृत प्रतिभूतियां (उद्धृत एआईएफ सहित)	एफबीआईएल/मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्य
सूची से इतर एसएलआर प्रतिभूतियां	एफआईबीआईएल द्वारा प्रकाशित परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
भारत सरकार द्वारा जारी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/विशेष प्रतिभूतियां (गैर-एसएलआर)	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर एफआईबीआईएल द्वारा दी गई प्राप्ति से 25 आधार अंक अधिक अंकन करके
सूची से इतर डिबेंचर और बांड	उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
शून्य कूपन बांड	बाजार मूल्य पर यदि बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो 'शून्य कूपन प्रतिफल' का उपयोग करके ज़ेडसीबी का वर्तमान मूल्य
इक्विटी शेयर (सूचीबद्ध नहीं/अतरल)	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीने से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य (स्तर 3) पर, अन्यथा प्रति कंपनी 1 रु.
अधिमानी शेयर	उद्धृत: अधिकतम कारोबार मूल्य अउद्धृत: उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर

लिखत का प्रकार	मूल्यांकन का आधार/पद्धति
वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र/ट्रेजरी बिल	कैरिंग कॉस्ट पर
पीएसयू/कॉर्पोरेट बांड	जी-सेक दर पर उचित मार्क अप के साथ परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड की इकाइयां	प्रत्येक योजना के संबंध में फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/एनएवी पर यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो लागत पर
वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) (अउद्धृत)	एआईएफ द्वारा घोषित एनएवी

ई. श्रेणियों के बीच निवेश का पुनर्वर्गीकरण:

- विभिन्न श्रेणियों के बीच निवेश का पुनर्वर्गीकरण केवल बोर्ड और आरबीआई से पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाता है।
- यदि बैंक को ऐसी मंजूरी मिल जाती है, तो बैंक आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को पुनर्वर्गीकृत करेगा।
- पुनर्वर्गीकरण, पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाएगा।

एफ. अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

- घरेलू कार्यालयों के संबंध में निवेशों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में हास हेतु प्रावधान किया जाता है।
- एनपीआई निवेशों पर प्रावधान को अर्जक निवेशों के मूल्यांकन लाभ और हानियों के विरुद्ध नहीं जोड़ा जाता है।
- किए गए प्रावधान आईआरसीएपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान और निवेश पर मूल्यहास में से अधिक है। एनपीआई (श्रेणी के अतिरिक्त) के लिए प्रावधान लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त है।
- एफएस निवेश के मामले में, आवश्यक प्रावधान एफएस-रिजर्व में ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक चार्ज करके बनाया जाता है और एफएस रिजर्व में घाटे के मामले में, संचयी घाटे को एफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 (प्रावधान घटाकर) में “अन्य आस्तियों” के अंतर्गत दिखाया गया है।
- विदेशी कार्यालयों के संबंध में, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए वर्गीकरण और प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, जो भी कठोर हों, किए जाते हैं।

जी. रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन

संपादित कृत ऋण और उधार के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागतों तथा राजस्वों का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है।

चलनिधि समायोजन सुविधा सहित रेपो खाता/सीमांत स्थायी सुविधा में शेष राशि को उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

चलनिधि समायोजन सुविधा/स्थायी जमा सुविधा के अंतर्गत आने वाले रिवर्स रेपो सहित भारतीय रिजर्व बैंक के पास सभी प्रकार के रिवर्स रेपो को अनुसूची 6 ‘नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष’ के अंतर्गत मद (II) भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष के उप मद (ii) ‘अन्य खातों में’ के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ 14 दिनों तक की मूल अवधि वाले रिवर्स रेपो को तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में अनुसूची 7 “बैंकों के साथ शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि” के तहत मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ रिवर्स रेपो जिनकी मूल अवधि 14 दिनों से अधिक है, उन्हें अनुसूची 9 “अग्रिम” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा: ए.(ii) ‘नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती-योग्य ऋण’ बी.(i) ‘मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत’ सी. (I). (iii) बैंक (iv) ‘अन्य’ (जैसा भी मामला हो)।

आरबीआई या अन्य के साथ रेपो लेनदेन की उधार लागत और रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को क्रमशः ब्याज व्यय और ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

एच. आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत एसआर का मूल्यांकन आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया है, जो परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048 /2021-22 दिनांक 24 सितंबर, 2021 एवं आरबीआई/डीओआर /2023/24/104 दिनांक 12 सितंबर, 2023 के माध्यम से जारी किए गए हैं, तथा आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.72/21.04.048/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 के अनुसार है।

ए) एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है, जो ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग पर आधारित होता है।

बैंक द्वारा एआरसी को हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में निवेश, हस्तांतरण या वसूली होने तक, बैंक की बहियों में निरंतरता के आधार पर जारी रहेगी, उपरोक्त एनएवी के आधार पर प्राप्त एसआर के मोचन मूल्य और हस्तांतरण के समय हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण के एनबीवी में से जो भी कम हो, दर्ज किया जाता है।

जब बैंक अपने द्वारा हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों द्वारा समर्थित एसआर में किया गया निवेश, उसके द्वारा हस्तांतरित ऋणों द्वारा समर्थित सभी एसआर का 10 प्रतिशत से अधिक होता है, तो ऐसे एसआर का मूल्यांकन, एसआर के अंकित मूल्य में से उस स्थिति में लागू कल्पित प्रावधान दर को घटाकर, जो बैंक की बहियों में अंतर्निहित ऋणों के जारी रहने पर लागू हो, या एसआर के एनएवी में से जो भी कम हो, पर किया जाता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित एनएवी की गणना करके समय-समय पर किया जाता है।

- बी) एसआर/पीटीसी जिन्हें समाधान अवधि (अर्थात् पांच वर्ष या आठ वर्ष जैसा भी मामला हो) के अंत में भुनाया नहीं गया है, उन्हें हानि वाली संपत्तियों के रूप में माना जाएगा और इसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया जाएगा।
- सी) आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बॉण्ड/एसआरएस/पीटीसी में बैंक निवेश पर लागू होंगे। हालाँकि, यदि एआरसी द्वारा जारी उपर्युक्त में से कोई भी लिखत संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली के अधीन है, तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर एआरसी से प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

II. गैर-बैंकिंग संस्था - बीमा

बीमा संयुक्त उद्यम के मामले में निवेश, बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकिक, वित्त और बीमाकर्ताओं के निवेश कार्य) विनियम, 2024, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है।

कारोबार तिथि पर निवेश को लागत पर दर्ज किया जाता है, जिसमें ब्रोकरेज और संबंधित कर, यदि कोई हो, शामिल हैं। खंडित अवधि के ब्याज का भुगतान/प्राप्ति, ब्याज प्राप्य खाते में डेबिट/क्रेडिट की जाती है और इसे खरीद/बिक्री से संबंधित लागत में शामिल नहीं किया जाता है।

अस्थायी के अतिरिक्त, निवेश के मूल्य में कमी को, राजस्व/लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

बोनस पात्रता

बोनस पात्रता को प्रासंगिक 'एक्स-बोनस तिथि' पर निवेश के रूप में मान्यता दी जाती है।

अधिकार पात्रता

राइट्स एंटाइटेल्मेंट को प्रासंगिक 'एक्स-राइट्स डेट' पर निवेश के रूप में पहचाना जाता है।

बट्टा

निजी रूप से रखे गए निवेशों पर किसी भी तरह के बट्टे को ऐसे निवेशों की लागत से घटा दिया जाता है।

ए. वर्गीकरण

निवेश विशेष रूप से पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के लिए स्वतंत्र रूप से खरीदे और रखे जाते हैं और इन निवेशों से संबंधित आय को क्रमशः राजस्व खाते और लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

निवेश का अल्पावधि और दीर्घकालिक वर्गीकरण

तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर उन्हें निपटाने के विशिष्ट इरादे से किए गए निवेश को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक निवेश के अलावा अन्य निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बी. मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-लिक्विड पॉलिसीधारकों के निवेश

सभी डेट प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' के रूप में माना जाता है और तदनुसार पूर्व की लागत पर प्रतिपादित किया जाता है, सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता/ होल्डिंग की बची हुई अवधि पर राजस्व खाते या लाभ-हानि खाते में प्रीमियम के परिशोधन या बट्टे की अभिवृद्धि के अधीन।

कोषागार बिल, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, त्रिपक्षीय रेपो का मूल्य निर्धारण, सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता की शेष अवधि में बट्टे की अभिवृद्धि के अधीन लागत पर किया जाता है।

सावधि जमा में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के अंतिम उद्धृत मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, एनएसई पर प्रतिभूति सूचीबद्ध / ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर अंतिम उद्धृत मूल्य पर विचार किया जाता है।

सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) व्यवस्था के तहत उधार दिए गए इक्विटी शेयरों को बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि कंपनी इन प्रतिभूतियों की लाभकारी स्वामी है। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के लिए ऊपर बताए अनुसार किया गया है।

आईआरडीएआई निवेश विनियमों द्वारा निर्धारित ठइक्विटी के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर 1 (बेसल III अनुपालन) स्थायी बांड, उचित मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं, जो सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड द्वारा बॉण्ड वैल्यूअर का उपयोग करके प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त टियर 1 बांड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ या हानि को बैलेंस शीट में उचित मूल्य परिवर्तन खाता के तहत पहचाना जाता है।

म्युचुअल फंड इकाइयों का उचित मूल्य तुलन पत्र की तारीख पर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्युचुअल फंडों के उचित मूल्यों में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है और तुलन पत्र में आगे ले जाया जाता है।

गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन, हानि के अधीन, यदि कोई हो, पूर्व की लागत पर किया जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) का मूल्यांकन बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि बैलेंस शीट की तारीख पर ईटीएफ का प्राथमिक या द्वितीयक एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया जाता है, तो ईटीएफ का मूल्यांकन बैलेंस शीट की तारीख पर नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर किया जाता है। यदि बैलेंस शीट की तारीख का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ईटीएफ के उचित मूल्यों में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है और तुलन पत्र में आगे ले जाया जाता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन, बैलेंस शीट की तारीख पर एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर उचित मूल्य पर किया जाता है। यदि प्रतिभूति, एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, इसका पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, तो यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन संबंधित अंतर्निहित फंडों के नवीनतम उपलब्ध शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है। फंड का एनएवी उपलब्ध न होने की स्थिति में, निवेश का मूल्य कम करने के प्रावधान (यदि कोई हो) के अधीन लागत पर लगाया जाता है।

सी. मूल्यांकन - लिंक्ड व्यवसाय

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त कीमतों पर किया जाता है।

कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर के आधार पर किया जाता है।

कोषागार बिल, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और त्रिपक्षीय रेपो का मूल्यांकन सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता की शेष अवधि में बट्टा की अभिवृद्धि के अधीन लागत पर किया जाता है।

सावधि जमा में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के अंतिम उद्धृत मूल्य के रूप में उचित मूल्य पर मापा जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। संबंधित निधि के राजस्व खाते में अप्राप्त लाभ और हानियों की पहचान की जाती है।

सिक्क्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) व्यवस्था के तहत उधार दिए गए इक्विटी शेयरों को बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि कंपनी इन प्रतिभूतियों की लाभकारी स्वामी होती है। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के लिए ऊपर बताई गयी पद्धति के अनुसार किया गया है।

आईआरडीएआई निवेश विनियमों द्वारा निर्धारित “इक्विटी” के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर 1 (बेसल III अनुपालित) स्थायी बांड, उचित मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं, जो सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड द्वारा बॉन्ड वैल्यूअर का उपयोग करके प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल का उपयोग करते हैं। संबंधित निधि के राजस्व खाते में अप्राप्त लाभ या हानि की पहचान की जाती है।

म्युचुअल फंड यूनिट्स का मूल्यांकन पिछले दिन के एनएवी पर किया जाता है। यदि पिछले दिन का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अप्राप्त लाभ और हानि संबंधित फंड के राजस्व खाते में पहचाने जाते हैं।

गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, हानि के अधीन, यदि कोई हो।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) का मूल्यांकन बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि ईटीएफ का बैलेंस शीट की तारीख पर प्राथमिक या द्वितीयक एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया जाता है, तो ईटीएफ को पिछले दिन के नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि पिछले दिन का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अप्राप्त लाभ और हानियों को संबंधित कोष के राजस्व खाते में पहचाना जाता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन, बैलेंस शीट की तारीख पर एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर उचित मूल्य पर किया जाता है। यदि प्रतिभूति, एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, इसका पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, तो यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यूनिटों

के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

डी. ब्याज दर डेरिवेटिव

ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं का उपयोग बीमा संविदाओं और जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में निवेश के नकदी प्रवाह पर अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित संव्यवहारों की हेजिंग के लिए किया जाता है। कंपनी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'डेरिवेटिव संविदा के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक नोट' और समय-समय पर संशोधित आईआरडीएआई इनवेस्टमेंट मास्टर परिपत्र के अनुसार हेज लेखांकन का पालन करती है।

कंपनी के पास बोर्ड अनुमोदित जोखिम हेजिंग नीति और प्रक्रिया दस्तावेज है जिसमें ब्याज दर जोखिम हेजिंग कार्यनीति के अनुसार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए किए गए डेरिवेटिव संव्यवहारों के कामकाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है। हेज की शुरुआत में, कंपनी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और हेज मद, जोखिम प्रबंधन उद्देश्य, हेज करने की रणनीति और हेज करने की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के बीच संबंध को निर्धारित और दस्तावेजीकृत करती है। हेज करने की प्रभावशीलता वह स्तर है जिस तक हेज किए गए मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन, जो हेज किए गए जोखिम के कारण होते हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन से दूर होते हैं। हेज करने की प्रभावशीलता हेज की शुरुआत के समय और उसके बाद समय-समय पर बैलेंस शीट की तारीख में सुनिश्चित की जाती है।

फॉरवर्ड रेट करार (एफआरए) संविदा का मूल्यांकन सेबी द्वारा अनुमोदित रेटिंग एजेंसी से लिए गए स्पोर्ट रेफरेंस यील्ड पर अंतर्निहित बॉण्ड के बाजार मूल्य और एफआरए संविदा निपटान तिथि तक मूल्यांकन तिथि इंटरमीडिएट कूपन इनफ्लो के वर्तमान मूल्य सहित अंतर्निहित बॉण्ड के अनुबंधित फॉरवर्ड मूल्य के बीच के अंतर पर किया जाता है। यह लागू आईएनआर ओवरनाइट इंटररेस्ट स्वेप (ओआईएस) दर वक्र पर किया जाता है। फेयर वैल्यूएशन के लिए मार्जिन सेटलमेंट या डेरिवेटिव के मार्क टू मार्केट मूल्यांकन को फॉरवर्ड दर करार के अनुसार मूल्यांकनकर्ता एजेंट द्वारा मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

हेजिंग लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और बाद की रिपोर्टिंग तिथियों पर उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव पर उचित मूल्य लाभ/हानि का प्रभावी हिस्सा जो प्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे इक्विटी खाते में मान्यता दी जाती है, अर्थात् बैलेंस शीट में 'क्रेडिट/(डेबिट)' उचित मूल्य परिवर्तन खाते के तहत ठहेज उतार-चढ़ाव रिजर्व या ठएचएफआरठ शीर्ष में और ऐसे डेरिवेटिव उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के अप्रभावी हिस्से को राजस्व खाते में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। ब्याज दर डेरिवेटिव पर उचित मूल्य लाभ/हानि जो अप्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित किया जाता है, वे राजस्व खाते में उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

हेज उतार-चढ़ाव रिजर्व में पहचाने गए संचित लाभ या हानियों को उसी अवधि में राजस्व खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जिसके दौरान अंतर्निहित पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह से अर्जित आय को राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन को बंद कर दिया जाता है जब हेजिंग लिखत समाप्त हो जाता है या यह संभावना बन जाती है कि अपेक्षित पूर्वानुमान संव्यवहार अब नहीं होगा या जोखिम प्रबंधन उद्देश्य बदल गया है या अब पूरा होने की उम्मीद नहीं है। इस तरह की समाप्ति पर, संचित लाभ या हानि जिन्हें हेज उतार-चढ़ाव रिजर्व में मान्यता दी गई थी, उन्हें राजस्व खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। डेरिवेटिव संविदाओं से जुड़ी लागतों को एक बार के लागत के रूप में माना जाता है।

ई. निवेशों का अंतरण

शेयरधारकों के खाते से पॉलिसीधारकों के खाते में अंतरण:

पॉलिसीधारक के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए शेयरधारक के खाते से पॉलिसीधारक के खाते में प्रतिभूतियों का अंतरण डेट प्रतिभूतियों के अलावा लागत मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

डेट प्रतिभूतियों के मामले में अंतरण, बाजार मूल्य या शुद्ध परिशोधित लागत, जो भी कम हो, पर किया जाता है। यदि अंतरण के समय किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो पिछले दिन जिस मूल्य पर प्रतिभूति का मूल्यांकन किया गया था, उस पर विचार किया जाता है।

गैर-लिक्विड पॉलिसीधारकों के धन के बीच अंतरण:

विभिन्न गैर-लिक्विड पॉलिसीधारकों के फंड के बीच प्रतिभूतियों का कोई अंतरण नहीं किया जाता है।

यूनिट-लिक्विड फंड्स के बीच अंतरण:

विभिन्न यूनिट लिक्विड फंडों के बीच निवेश का अंतरण प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है।

इक्विटी के अलावा अन्य प्रतिभूतियों के मामले में, यदि किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य अंतरण के समय उपलब्ध नहीं है, तो पिछले दिन जिस मूल्य पर प्रतिभूति का मूल्यांकन किया गया था, उस पर विचार किया जाता है।

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान

सभी संपत्तियां जहां बैलेंस शीट की तारीख पर 90 दिनों से अधिक के लिए ब्याज और / या मूलधन चुकाव की किस्त अतिदेय रहती है, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठडेट पोर्टफोलियो के संबंध में आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड पर विनियमों के अनुसार, सभी एनपीए के संबंध में बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

निवेश का ह्रास

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में निवेश की अग्रणीत राशि की समीक्षा

की जाती है, यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेतक हो। हास हानि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और राजस्व/लाभ या हानि खाते में 'निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (शुद्ध)' शीर्षक के अंतर्गत प्रकटन किया जाता है, जैसा कि राजस्व/लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी पिछली हास हानि से घटाया गया पुनर्मापित उचित मूल्य और अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक होता है। राजस्व/लाभ और हानि खाते में पहले मान्यता प्राप्त हास हानि के किसी भी रिवर्सल को क्रमशः राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

कॉल और पुट ऑप्शन के साथ प्रतिभूतियां

कॉल विकल्प वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, अंतिम परिपक्वता तिथि या कॉल विकल्प तिथि तक, प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त मूल्य के कमतर स्तर पर किया जाता है। यदि कई कॉल विकल्प हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न कॉल विकल्प प्रयोग तिथियों या अंतिम परिपक्वता तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है।

पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तिथि या पुट ऑप्शन तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त मूल्य के उच्चतम मूल्य पर किया जाता है। यदि कई पुट विकल्प हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न पुट विकल्प प्रयोग तिथियों या अंतिम परिपक्वता तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त उच्चतम मूल्य पर किया जाता है।

एक ही दिन पुट और कॉल विकल्प दोनों वाली प्रतिभूतियों को पुट/कॉल तिथि पर परिपक्व माना जाएगा और तदनुसार उनका मूल्यांकन किया जाएगा। आईआरडीएआई के इन्वेस्टमेंट मास्टर सर्कुलर 2022 की आवश्यकता के अनुसार 30 वर्षों की डीमड अवशिष्ट परिपक्वता को देखते हुए अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड का मूल्यांकन किया गया है।

9) डेरिवेटिव

ए. बैंकिंग कंपनी

वर्तमान में बैंक, फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर और करेंसी डेरिवेटिव्स का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव हैं - रुपया ब्याज दर स्वेप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वेप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - करन्सी स्वेप तथा करन्सी फ्यूचर। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

- (क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग-अलग रिकॉर्ड किया जाता है।
- (ख) हेजिंग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है
- (ग) सभी डेरिवेटिव संविदाओं को बैलेंस शीट की तिथि पर मान्यता दी जाती है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- (घ) जहां भी हेज अकाउंटिंग का विकल्प नहीं चुना जाता है, वहां

डेरिवेटिव को उचित मूल्य पर लेखांकित किया जाता है तथा उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

- (ङ) ट्रेडिंग स्वेप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग स्वेप के निरस्तीकरण पर, किसी भी लाभ/हानि को उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वेप की शेष अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खंड में उसे निर्धारित किया जाता है।
- (च) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।
- (छ) डेरिवेटिव संविदाओं के संदर्भ में उचित मूल्य 'निकास मूल्य' का प्रतिनिधित्व करता है।
- (ज) डेरिवेटिव आस्तियों और डेरिवेटिव देयताओं का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है।

बी. गैर-बैंकिंग: मर्चेन्ट बैंकिंग

- क) वायदा अनुबंध/ऑप्शन की बिक्री में प्रवेश के समय देय प्रारंभिक मार्जिन, सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के साथ जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
- ख) वायदा के संविदाओं में लेन-देन को संविदा के नोशनल व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में दर्ज किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को वायदा में ओपन इंटररेस्ट इसके नोशनल मूल्य से घटाया जाएगा।
- ग) वायदा के संविदाओं के मामले में, निपटान मूल्य या पिछले दिन के विनिमय समापन मूल्य और बाद के दिन के विनिमय समापन मूल्य में अंतर, एक्सचेंज को भुगतान या एक्सचेंज से प्राप्त, मार्क-टू-मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाएगा। मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते में बैलेंस शीट की तारीख तक वायदा संविदाओं में ओपन ब्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर भुगतान की गई या प्राप्त की गई शुद्ध राशि का प्रदर्शित करेगा। मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते में शुद्ध डेबिट शेष को राजस्व से प्रभारित किया जाएगा जबकि शुद्ध क्रेडिट शेष को वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया जाएगा।
- घ) ऑप्शन संविदाओं के मामले में, भुगतान किए जाने वाले या ऑप्शन की खरीद और बिक्री पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम और ऑप्शन के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में माना जाएगा। बेचे गए ऑप्शन में ओपन इंटररेस्ट के मामले में, यदि कोई हो तो, बैलेंस शीट तिथि पर प्रचलित प्रीमियम, उन ऑप्शन के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक होने वाली राशि के लिए प्रावधान किया जाएगा। बैलेंस शीट तिथि पर प्रचलित प्रीमियम पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम की अधिकता को मान्यता नहीं दी जाएगी।

इसी तरह, खरीदे गए ऑप्शन के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं जिसके द्वारा ऑप्शन के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम, बैलेंस शीट की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक होगा और भुगतान किए गए प्रीमियम पर बैलेंस शीट की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम की अधिकता होगी तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा। एक से अधिक ओपन स्थितियों के मामले में, निम्नानुसार प्रावधान किए जाएंगे:

सभी खरीद संविदाओं के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का योग + बिक्री की स्थिति में सभी अतिरिक्त प्रीमियम का योग

10) अचल संपत्तियों: (एएस 10 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)

- ए. अचल संपत्तियों को परंपरागत लागत में से संचित मूल्यहास/परिशोधन और क्षति हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है। जिन संपत्तियों का समय-समय पर पुनर्मूल्यन किया गया है, उन्हें पुनर्मूल्यंकित राशि में से संचित मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यन पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा किया जाता है।
- बी. लागत में शामिल है - खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पंजीकृत किया जाएगा जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।
- सी. मूल्यहास की दर तथा मूल्यहास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

क्र. सं.	विवरण	मूल्यहास की दर	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन	मूल्यहास प्रभारित करने का तरीका
1.	भवन एवं भूमि			
1ए.	भूमि (फ्री होल्ड)	शून्य		
1बी.	पट्टाधारित भूमि		पट्टे की अवधि में लीज प्रीमियम परिशोधित की जाती है।	
1सी.	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	1.58 %	60 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
2	अन्य अचल आस्तियां:-			
ए)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
बी)	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
सी)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	6.33%	15 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति

क्र. सं.	विवरण	मूल्यहास की दर	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन	मूल्यहास प्रभारित करने का तरीका
डी)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	11.88%	8 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
ई)	साइकल	20.00%	5 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
एफ)	मोबाइल फोन	33.33%	3 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
जी)	कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	33.33%	3 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
एच)	सर्वर	20%	5 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
आई)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	20%	5 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति

- डी) पट्टे पर धारित भूमि के संदर्भ में लीज प्रीमियम, यदि कुछ हो तो, उसे लीज अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।
- ई) वर्ष के दौरान, खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य हास को, जितने दिनों के लिए संबंधित आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके अनुपातिक आधार पर परिकलित किया जाता है।
- एफ) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो कम्प्यूटर हार्डवेयर के अनिवार्य अंग नहीं है, उन्हें अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इन्हे पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- जी) 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल) जहाँ आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।
- एच) पुनर्मूल्यंकित आस्तियों का मूल्यहास आस्ति के शेष उपयोगी जीवन पर किया जाता है, जैसा कि पुनर्मूल्यंकन के समय मूल्यंकन किया गया था। ऐसे मूल्यहास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यंकन आरक्षित से राजस्व आरक्षित में अंतरित किया जाता है। बैंक की अपनी आस्तियों का पुनर्मूल्यंकन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है।
- आई) भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यहास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखमानक एएस 11, “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव” के अनुरूप किया जाता है:

ए) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालनों के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है:

- i) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है। ऐसा, कॉजेंसिज/रयूटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर, रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाकर किया जाता है।
- ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती हैं।
- iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें, जो पूर्व की लागत के अनुसार की जाती हैं उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।
- iv) विदेशी मुद्रा में रखी गई आकस्मिक देयताओं को एफईडीआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती हैं।
- v) बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का, निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामतः लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- vi) एफईडीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।
- vii) मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकॉर्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।
- viii) मुद्रा वायदा बाजार में ओपन स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

बी) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

- i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ-साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति

पर, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर परिवर्तन किया जाता है।

- ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीआई द्वारा सूचित “तिमाही औसतन क्लोजिंग दर” पर स्पष्ट किया जाता है।
- iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते - “विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व” में संचित किया जाता है।
- iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12) कर्मचारी लाभ : (एएस 15 : कर्मचारी लाभ)**ए. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:**

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बढ़ाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

बी. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:**क. परिनिश्चित लाभ योजना:-****i) उपदान (ग्रेच्युटी)**

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। वेस्टिंग पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर ही होती है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्टी द्वारा किया जाता है जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

ii) पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई

(कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना:

i. भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii. पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

ग. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

- छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।
- अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।
- विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

13. सेगमेंट रिपोर्टिंग: (एएस 17 : सेगमेंट रिपोर्टिंग)

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखांकन 17 के अनुसार बैंक कारोबार संबंधी खण्ड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्ड और भौगोलिक खण्ड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

14. लीज संव्यवहार: (एस 19 लीज)

लीज जहां मालिकाना का जोखिम और रिवाइड, पट्टाकर्ता द्वारा रखा जाता है उसे लेखांकन मानक 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी लीज पर लीज व्यय लाभ एवं हानि खाने में निर्धारित किया जाता है।

15. प्रति शेयर अर्जन: (एएस 20 : प्रति शेयर अर्जन)

- एएस 20 “अर्जन प्रति शेयर” के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर की गणना, मूल अर्जन की कर पश्चात् शुद्ध लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग कर की जाती है।
- प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर की जाती है।

16. आय पर कर: (एएस 22 : आय पर कर के लिए लेखांकन)

- बीओआई ग्रुप द्वारा किये गये, वर्तमान कर तथा आस्थगित कर के व्यय की कुल राशि आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 - “आय पर करों के लिए लेखांकन” के प्रावधानों अनुसार क्रमशः वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।
- आस्थगन कर समायोजन में वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णतः लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।
- प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यहास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

घ) समेकित वित्तीय विवरणी में, आय कर व्यय, मूल तथा उसकी अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम के संबंध में लागू कानूनों के अनुसार उनकी पृथक वित्तीय विवरणियों में प्रदर्शित कर व्ययों की राशि का कुल योग है।

17. आस्तियों का ह्रास: (एएस 28 : आस्तियों का ह्रास)

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर हासित हानि, यदि कोई हो, तो एएस 28 “आस्तियों का ह्रास” के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर हासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम हासित हानि से अधिक न हो।

18. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां: (एएस 29 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियाँ)

एएस 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां” के अनुसार बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह भी हो सकता है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

19. शेयर निर्गम संबंधी व्यय :

शेयर निर्गमित किए जाने वाले वर्ष में शेयर निर्गमन संबंधी व्यय को प्रीमियम हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

SCHEDULE 17:**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Consolidated Financial Statements)****1) ACCOUNTING CONVENTION:**

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Companies Act 2013, Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches/subsidiaries/associates, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. The actual results could differ from the estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2) BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

- a) The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments of material nature wherever required to conform to uniform accounting.
- b) The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.
- c) Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.
- d) Accounting for investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.

- e) Accounting for investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.

3) REVENUE RECOGNITION: (AS-9- Revenue Recognition)**3.1 Banking entities:**

- (a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.
- (b) Interest income is recognised on time proportion basis except interest on Non-Performing Assets.
- (c) Commission on issue of Bank Guarantee (BG) and Letter of Credit (LC) is recognised over the tenure of BG/LC.
- (d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.
- (e) Income is recognized on accrual basis for Government Securities, bonds and debentures where interest is serviced regularly and is not in arrears.
- (f) Income from units of Mutual funds, AIFs and other such pooled/collective investment funds is recognized on cash basis.
- (g) Discount or Premium on all securities is amortised over the remaining life of the instruments on constant yield method. The amortised amount is shown under the head "Income on Investments".
- (h) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.
- (i) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/sale consideration.
- (j) Brokerage and Commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.
- (k) Profit or loss on sale of investments under "Held to maturity" (HTM) is recognised in the Profit and Loss Account under the head "Other Income". In case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account' from Profit and Loss Account
- (l) On sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in AFS Reserve is transferred from AFS Reserve to Profit and Loss Account.
- (m) On sale or maturity of an equity instrument designated under AFS category, the accumulated

gain/loss for that security in AFS Reserve is transferred from AFS Reserve to Capital Reserve.

- (n) The gain/profit on reclassification/sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss Account and then appropriated to the Capital Reserve Account'.
- (o) Dividend income is recognised when the right to receive the dividend is established.
- (p) Interest income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.
- (q) Appropriation of recoveries in NPA accounts:

In respect of NPA account, recoveries effected except through a.) Compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's are to be made in the following order:

- Charges debited to the account;
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited;
- Unrealised interest;
- Uncharged interest; and
- Principal

In other cases, the recoveries made are appropriated as per the order of relevant authority.

Further, in case of borrowers who are having multiple accounts:

Recovery made in one account is apportioned by the system in the above mentioned order i.e. Expenditure, interest and Principal outstanding of the said account. Surplus recovery amount, if any, takes care of Expenditure, Interest and Principal outstanding of other account(s) of the same customer.

3.2 Non-Banking entities- Insurance:

a) Premium Income:

Premium including rider premium for non-linked business is recognised as income when due from policyholders. Premium for linked business is recognised when the associated units are created. Premium is recognised net of Goods and Services Tax (GST) as applicable.

Products having regular premium paying plans with limited premium payment term and/or pre-determined policy terms are treated as a regular business with the due classification of premium into the first year and renewal. Premium income on products other than aforesaid is classified as a single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Top up premium under linked business is considered

as single premium and recognised as income when the associated units are created.

In case of PMJJBY Scheme premium is gross of administrative charges and reimbursement of expenses.

- b) Interest on loans against policies is recognized on accrual basis.
- c) Other income recognised when due, where the company is reasonably certain of ultimate collection.
- d) Interest income on investments is recognised on accrual basis except interest income on non-performing investments, which is recognised upon receipt as specified in IRDAI guidelines.
- e) Premium is recognised at the time of acceptance of risks.

f) Amortised Income/Cost:

Premium or discount on acquisition, as the case may be, in respect of debt securities/fixed income securities, pertaining to non-linked investments is amortized on straight line basis over the period of maturity/holding.

g) Dividend:

Dividend income for quoted shares is recognised on ex-dividend date, for non-quoted shares dividend income is recognised when the right to receive dividend is established.

h) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges, other charges, wherever applicable, are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised on due basis.

Goods and Services Tax ("GST") recovered on above Unit Linked charges are shown in the Revenue account under "Goods and Services tax ("GST") on ULIP charges" as required by IRDAI guidelines.

i) Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Linked Business:

Realized gain/(loss) on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale.

j) Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Non-Linked Business:

Realized gain/(loss) on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

k) Profit/ (Loss) on sale of Equity Shares/ Mutual Fund/

Exchange Traded Funds (ETFs)/ Additional Tier 1 Bonds (AT 1)/ Infrastructure Investment Trust (InvIT)/ Real Estate Investment Trust (REIT):

Profit/ (Loss) on sale of equity shares/ mutual fund units/ ETFs/ Additional Tier 1 Perpetual Bonds/ InvIT/ REIT is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost computed on weighted average basis as on the date of sale.

In respect of non-linked business, the Profit/(Loss) includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account".

l) Unrealized Gain/ (Loss) for Linked Business:

Unrealized gains and losses for Linked Business are recognised and shown under transfer / Gain on revaluation / change in fair value in the revenue account of respective funds.

m) Income from Security Lending and Borrowing:

Fees received for lending of equity shares under Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism is amortized on a straight-line basis over the period of lending.

n) Reinsurance Premium ceded:

Reinsurance Premium ceded is accounted for on due basis at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit/ commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

3.3 Non-Banking entities – Mutual Fund and Trustee Services:

- a) Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI Mutual fund. Investment Management Fees are recognized net of GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding investments made by the Company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the Regulations and any further amendments.
- b) Trusteeship fees from the schemes of the mutual fund are accounted on an accrual basis as per SEBI regulations and in accordance with the trust deed and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of Bank of India Mutual Fund.
- c) Profit or loss on sale of investment is recognised in the statement of Profit & Loss Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security as per AS-13.

3.4 Non-Banking entities– Merchant Banking Services:

- a) Total consideration paid or received on purchase

or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities shall be identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities shall be netted and reckoned as expense or income by way of interest.

- b) Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten if any by the company shall be treated as investments. Underwriting income on these issues shall be credited to profit and loss account and shall not be netted against the value of investments.
- c) Brokerage and commission earned on secondary market operations shall be recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations shall be recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization shall be accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management, Investment Banking and other fees shall be accounted for on accrual basis. Dividend shall be recognised when the company's right to receive payment shall be established by the balance sheet date. Revenue shall exclude Service Tax, wherever recovered.
- d) Profit on Sale of Investments shall be recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale/Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost shall be determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments shall be netted with loss on sale of Investments.
- e) Revenue from services is recognised on proportionate completion method by relating revenue with work accomplished and certainty of consideration receivable.
- f) Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, shall be accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities shall be accrued at rates determined as per the terms of the issue.

4) NON BANKING ENTITIES: Other Policies:

A. Insurance:

a) Benefits paid:

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider, surrender and withdrawal claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked Business, surrender also includes amount payable on lapsed/ discontinued policies which are accounted for on expiry of lock in period. Surrenders and terminations are accounted net of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as that of the related claims.

Claims disputed before judicial authorities are

provided for on prudent basis as considered appropriate by management based on facts and circumstances in respect of each such claim.

b) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of new and renewal insurance contracts and consist of cost like commission to insurance intermediaries, rewards and incentives, sales staff costs, medical examination costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses. These are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

c) Policy Liabilities:

The valuation exercise is done to protect the interests of the existing policyholders. For with Profit policies the reasonable expectations of policyholders (PRE) are also considered. Adequate reserves are made for all the policyholder's benefits for various future scenarios. Adequate use of Margin for Adverse Deviation (MAD) is made to ensure that policyholders' benefits are protected even in some plausible adverse scenarios.

Actuarial liability for in force policies and for those in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined using the gross premium method and in case of group business (except for Credit Life Business and Reverse Mortgage Loan Enabled Annuity where gross premium method is used), the actuarial liabilities have been calculated on the basis of Unearned Premium Reserve method. Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, expenses etc. The main governing guidelines considered for valuation are the Insurance Act 1938, the IRDA Act 1999, IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Actuarial Practice Standards and Guidance notes issued by Institute of Actuaries of India, Circulars issued by IRDAI from time to time.

d) Loans:

Loans against policies are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalized interest and are subject to impairment if any. Loans are classified as short term in case the maturity is less than 12 months from the date of balance sheet. Loans other than short term are classified as long term.

e) Funds for Future Appropriation:

The Funds for Future Appropriations (FFA), in the participating segment, represents surplus, which is not allocated to policyholders or to shareholders as at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over

expenses and appropriations in each accounting period arising in the Company's policyholders' funds. Any allocation to the participating policyholders would also give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the required proportion.

f) Discontinued Policies fund:

Discontinued policy fund means the segregated fund that is set aside on account of:

- a) Non-payment of contracted premium
- b) Upon the receipt of the information by the Company from the policyholder about the discontinuance of the policy.

Fund for discontinued policies is accounted in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations 2010 and circulars issued thereafter.

g) Unclaimed amount of policyholders:

Assets held for unclaimed amount of policyholders is created and maintained in accordance with the requirement of IRDAI circular no. IRDAI/Life/CIR/Misc/41/2/2024 dated February 16, 2024.

- i. Unclaimed amount of policyholders is invested in money market instruments, Liquid mutual funds and/ or fixed deposits of scheduled banks which is valued at historical cost, subject to amortisation of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.
- ii. Income on unclaimed amount of policyholders is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis, net of fund management charges.
- iii. Unclaimed amount of policyholders' liability is determined on the basis of NAV of the units outstanding as at the valuation date

B. Mutual fund and Trustee services:

a) Fund expenses

The Company absorbs the expenses relating to the launch of the schemes of Bank of India Mutual Fund and such expenses which are allowed as per the SEBI regulations.

b) Brokerage

W.e.f from October 22, 2018 all brokerages & scheme related expenses including trail brokerage are being booked in scheme books.

5) ADVANCES:

- a) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.
- b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable

regulatory guidelines.

- c) In respect of domestic branches, NPA Provisions (on the Outstanding Advances) are made at the rates given as under:

Category of NPAs	Provision % on net outstanding advance
Sub Standard:	
Exposures, which are unsecured ab-initio (i.e. where realizable value of security is not more than 10% ab-initio)	25%
Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
Others	15%
Doubtful:	
Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- Upto one year	25%
- One year to three years	40%
- More than three years	100%
Unsecured portion	100%
Loss	100%

- d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.
- e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.
- f) Escalated provisions in case of specific accounts/scheme/sector etc. are maintained with approval of the appropriate authority.
- g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset. However, in case of Security Receipts (SRs) that are guaranteed by Government of India, the excess provision is reversed to Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs

guaranteed by Government of India.

- h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to the Bank, whichever is stringent.
- i) Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

6) FLOATING PROVISION:

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes. These provisions are netted off from gross NPAs to arrive at Net NPAs.

7) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for reward points on credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

8) INVESTMENTS:

I. Banking Entities:

Bank follows Settlement date accounting for recording purchase and sale of transactions in all Securities.

A. Classification:

- i. Investments are classified under the following categories:
- a) Held to Maturity (HTM)
 - b) Available for Sale (AFS)
 - c) Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)
 - (Held for Trading (HFT) is a separate investment category under FVTPL)
 - d) Subsidiaries, Associates and Joint Ventures
- ii. Investments for the purpose of disclosure in the Balance Sheet (under Schedule 8) are classified under the following categories:

Investments in India	Investments outside India
Government Securities	Government Securities (including local authorities)
Other approved Securities	Subsidiaries and/or Joint ventures

Investments in India	Investments outside India
Shares	Others
Debentures and Bonds	
Subsidiaries and/or Joint ventures	
Others	

iii. Investments for the purpose of valuation are classified under the following categories:

- a) Level 1
- b) Level 2
- c) Level 3

Level 1/Level 2/ Level 3 are as follows:

Level 1: In the context of inputs used for valuation of a financial instrument are those inputs which are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the bank can access at the measurement date. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation that is substantively based on Level 1 inputs and does not have any significant Level 2 or Level 3 inputs

Level 2: In the context of inputs used for valuation of a financial instrument are those inputs, other than quoted prices included within Level 1, that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation that is based on Level 1 and Level 2 inputs and does not have any significant Level 3 inputs

Level 3: In the context of inputs used for valuation of a financial instrument are unobservable inputs. In reference to the valuation of an instrument, it refers to a valuation in which there is a significant Level 3 input.

Basis of Classification

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

(i) Held to Maturity (HTM)

- a) Investments acquired with an intention and objective to hold till maturity for collecting contractual cash flows.
- b) Investments that meet SPPI (Solely payment of principal and Interest on Principal outstanding) criteria.
- c) Investments in securitization notes (other than equity tranche) is classified under HTM if the underlying pool of financial instruments also meets the SPPI Criteria.

(ii) Available for Sale (AFS)

- a) Investments are classified under this category if the security are obtained with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities

and contractual terms meet SPPI (Solely payment of principal and Interest on Principal outstanding) criteria

- b) On Initial recognition, Bank has irrevocable election to classify an equity instrument under AFS that is not held with an objective of trading.

(iii) Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)

- a) Investments that do not qualify for inclusion in HTM or AFS are classified under FVTPL.
- b) Investments with compulsorily, optionally or contingently convertible features and Investments with Contractual loss absorbency features.
- c) Held for Trading (HFT) is a sub-category of FVTPL.

(iv) Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

Investments made in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are classified under this category.

B. Initial Recognition:

- (i) All Investments are measured at fair value on initial recognition unless the fair value is materially different from the acquisition cost.
- (ii) In respect of Government securities acquired through auction, switch operations and open market operations, the price at which the security is allotted shall be the fair value.
- (iii) Day 1 gain/loss on securities which are quoted/fair value is determined based on market observable inputs are recognized in Profit and Loss Account.
- (iv) Day 1 loss arising from Level 3 investments are recognised immediately in Profit and Loss Account while Day 1 gains are deferred. In case of Debt instruments Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date while for unquoted equity instruments, the gain is set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

C. Subsequent Measurement:

(i) Held to Maturity (HTM)

Upon initial recognition, Investments held under this category are carried at cost and not at mark-to-market.

(ii) Available for Sale (AFS)

- a) Investments under this category, are fair valued at least on a quarterly basis.
- b) The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification held under AFS are aggregated and the net appreciation or depreciation is directly credited or debited to AFS Reserve.

(iii) Fair Value through Profit and Loss (FVTPL)

- a) Investments under this category are fair valued on quarterly basis and the net gain or loss arising on such valuation are directly credited or debited to the Profit and Loss Account.
- b) Investments under HFT category are fair valued on daily basis and the net gain or loss arising on such valuation are directly credited or debited to the profit and loss account.

(iv) Subsidiaries, Associates and Joint Ventures

- a) Investments under this category are held at acquisition cost.
- b) Bank will evaluate Investments under this category for impairment on a quarterly basis.

D. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Type of Instrument	Basis of Valuation/Methodology
Quoted Securities (including Quoted AIF)	Prices declared by FBIL/ Recognised stock exchanges/ FIMMDA
Unquoted SLR Securities	On Yield to Maturity basis published by FIBIL
Other approved securities/ Special Securities issued by GoI(Non-SLR)	On Yield to Maturity basis by marking up by 25 basis points above yields put out by FIBIL
Unquoted debentures and bonds	On Yield to Maturity basis with appropriate mark up
Zero Coupon Bonds	At market value If market value not available, Present value of ZCB using 'Zero coupon yield curve'
Equity Shares (Not listed/ illiquid)	At break-up value (Level 3) as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Rs.1 per company
Preference Shares	Quoted: Max. Traded price Unquoted: on Yield to Maturity basis with appropriate mark up
Commercial Paper/ Certificate of Deposit/ Treasury Bills	At carrying cost
PSU/Corporate Bonds	On Yield to Maturity basis with appropriate mark up over G-sec rate
Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price/ NAV declared by the fund in respect of each scheme If NAV not available, at Cost

Type of Instrument	Basis of Valuation/Methodology
Alternate Investment Funds (AIF) (Unquoted)	Declared NAV by AIF

E. Reclassification of Investments between Categories:

- a) Reclassification of Investments between various categories is done only upon prior approval from Board and RBI.
- b) If such an approval is obtained by the Bank, Bank will reclassify the investments as per applicable RBI guidelines.
- c) Reclassification to be applied prospectively from the reclassification date.

F. Non-performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

- a. In respect of domestic offices investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI.
- b. In respect of non-performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.
- c. The provision on NPI investments is not netted against the valuation gains and losses of performing investments.
- d. Provision made is higher of provision required as per IRCAP norms and depreciation on the Investment. The provision for NPI (irrespective of category) are recognized in Profit and Loss Account.
- e. In case of AFS investment, the provision required is created by charging the same to AFS-Reserve to the extent of such available gains and in case of losses in AFS reserve, the cumulative losses shall be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule 11 (Net of Provision).
- f. In respect of foreign offices, classification and provisions for non-performing investments (NPI) are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever are stringent.

G. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be.

Balance in Repo Account / Marginal Standing facility including those under Liquidity Adjustment facility is classified as Borrowings.

All type of Reverse Repos with RBI including those under Liquidity Adjustment Facility/Standing Deposit Facility are presented under sub item (ii) 'In Other Accounts' of item (II) Balances with RBI under Schedule 6 'Cash and balances with RBI'.

Reverse Repos with banks and other institutions having original tenors up to and inclusive of 14 days are classified as Money at Call & Short Notice under Schedule 7 "Balance with Banks and Money at call & short notice" in the Balance sheet.

Reverse Repo with banks and other institutions having original tenors more than 14 days shall be shown under Schedule 9 "Advances" under following head: A.(ii) 'Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand" B.(i) 'Secured by tangible assets' C.(I). (iii) Banks (iv) 'Others' (as the case may be).

Borrowing cost of repo transactions and revenue on reverse repo transactions, with RBI or others, is accounted for as interest expense and interest income, respectively.

H. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets: -

The Bank has valued SRs under securitization in line with RBI guidelines issued vide circular no. RBI/DOR/2021-22/86 DOR.STR. REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021 and RBI/DOR/2023/24/104 dated September 12, 2023, and in terms of RBI circular no. RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR. REC.72/21.04.048/2024-25 dated March 29, 2025.

- a) Investments in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs are valued periodically at the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

Investments in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by the Bank to the ARC, are carried in the Bank's books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

When the investment by bank in SRs backed by stressed loans transferred by it, is more than 10 percent of all SRs backed by its transferred loans, the valuation of such SRs is at lower of face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the underlying loans continued in the books of the Bank or NAV of the SRs. However, SRs guaranteed by the Government of India is valued periodically by reckoning the NAV declared by the ARC.

- b) SRs/PTCs which are not redeemed as at the end of the resolution period (i.e., five years or eight years as the case may be) are treated as loss asset and fully provided for.
- c) The valuation, classification and other norms applicable to investment in Non-SLR instruments prescribed by RBI from time to time are applicable to bank's investment in debentures/ bonds/ SRs /PTCs issued by ARC. However, if any of the above instruments issued by ARC is limited to the actual realization of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the bank reckons the NAV obtained from ARC from time to time, for valuation of such investments.

II. Non-Banking Entities- Insurance

In case of Insurance joint venture, Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, as amended from time to time and various other circulars/ notifications issued by the IRDAI in this regard.

Investments are recorded on trade date at cost, which includes brokerage and related taxes, if any. Broken period interest paid/received is debited/ credited to Interest Receivable account and is not included in the cost of purchase/sale consideration.

Diminution in the value of investments, other than temporary, is recognised as an expense in the Revenue / Profit & Loss account.

Bonus Entitlements

Bonus entitlements are recognised as investments on the relevant 'ex- bonus date'.

Rights Entitlements

Rights entitlements are recognised as investments on the relevant 'ex-rights date'.

Discount

Any front end discount on privately placed investments is reduced from the cost of such investments.

A. Classification

Investments are specifically procured and held for Policyholders and Shareholders independently and the income relating to these investments is recognised in the Revenue Account and Profit & Loss Account respectively.

Short Term and Long Term Classification of Investment

Investments maturing within twelve months from the Balance Sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the Balance Sheet date are classified

as short-term investments. Investments other than short-term investments are classified as long term investments.

B. Valuation – Shareholders’ Investments and Non-Linked Policyholders’ Investments

All debt securities are considered as ‘held to maturity’ and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount in the revenue account or the profit and loss account over the remaining period of maturity/ holding on a straight line basis.

Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Tri Party Repo are valued at cost subject to accretion of discount, over the remaining period of maturity on straight line basis.

Investments in Fixed Deposits are valued at cost.

Valuation of Listed Equity securities is measured at Fair value on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, last quoted closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the last quoted closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered.

Equity shares lent under the Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism are recognised in the Balance Sheet as assets, as the Company continues to be beneficial owner of these securities. The securities are valued as stated above for equity shares.

Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds classified under “Equity” as stipulated by IRDAI Investment Regulations, are valued at fair value, using applicable market yields published by SEBI registered rating agency viz., CRISIL Ltd, using Bond Valuer. Unrealized gains or losses arising due to change in the fair value of Additional Tier 1 Bonds are recognised in the Balance Sheet under “Fair value change account”.

Fair value of mutual fund units is the net asset value on the Balance Sheet date. Unrealized gains/losses on changes in fair values of listed equity shares and mutual funds are taken to the Fair Value Change Account and carried forward in the Balance Sheet.

Unlisted equity shares are valued at historical cost, subject to impairment, if any.

Exchange Traded Funds (ETFs) are valued at Fair Value on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case ETFs are not traded on either of the Primary or the Secondary exchange on the Balance Sheet date, then the ETFs are valued at Net Asset Value (NAV) on the balance sheet date. In case NAV of Balance

Sheet date is not available, then the latest available NAV is used for valuation purposes. Unrealized gains/losses on changes in fair values of ETFs are taken to the Fair Value Change Account and carried forward in the Balance Sheet.

Infrastructure Investment Trust / Real Estate Investment Trust

The Investment in Units of InvIT/ REIT are valued at Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case, the market quote is not available for the last 30 days, the Units are valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the Trust.

Alternate Investment Fund (AIF)

Investments in Alternative Investment Fund (AIF) are valued at the latest available net asset values (NAV) of the respective underlying funds. In case the NAV of the fund is not available, investment is valued at cost subject to provision for diminution (if any).

C. Valuation - Linked business

Central Government and State Government securities are valued at prices obtained from Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL).

Corporate bonds and debentures are valued on the basis of CRISIL Bond Valuer.

Treasury Bills, Certificates of Deposits, Commercial Papers and Tri Party Repo are valued at cost subject to accretion of discount over the remaining period of maturity on straight line basis.

Investments in Fixed Deposits are valued at cost.

Listed equity shares are measured at fair value being the last quoted closing price of the security on NSE (Primary Exchange). In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. Unrealized gains and losses are recognised in the revenue account of respective fund.

Equity shares lent under the Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism are recognised in the Balance Sheet as assets, as the Company continues to be beneficial owner of these securities. The securities are valued as stated above for equity shares.

Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds classified under “Equity” as stipulated by IRDAI Investment Regulations, are valued at fair value, using applicable market yields published by SEBI registered rating agency viz., CRISIL Ltd., using Bond Valuer. Unrealized gains or losses are recognised in the respective fund’s revenue account.

Mutual Fund units are valued at NAV of previous day. In case previous day’s NAV is not available, then the latest available NAV is used for valuation

purposes. The unrealized gains and losses are recognised in the respective fund's revenue account.

Unlisted equity shares are valued at historical cost, subject to impairment, if any.

Exchange Traded Funds (ETFs) are valued at Fair Value on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case ETFs are not traded on either of the Primary or the Secondary exchange on the Balance Sheet date, then the ETFs are valued at Net Asset Value (NAV) of previous day. In case previous day's NAV is not available, then the latest available NAV is used for valuation purposes. The unrealized gains and losses are recognised in the revenue account of respective fund.

Infrastructure Investment Trust / Real Estate Investment Trust

The Investment in Units of InvIT/REIT are valued at Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case, the market quote is not available for the last 30 days, the Units are valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the Trust.

D. Interest Rate Derivative

Interest rate derivative contracts are used for hedging of highly probable forecasted transactions on insurance contracts and investment cash flows in life, pension and annuity business. The Company follows hedge accounting in accordance with the 'Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and IRDAI Investment Master Circular as amended from time to time.

The Company has Board approved interest rate risk hedging Policy and Process document covering various aspects related to functioning of the derivative transactions undertaken to mitigate interest rate risk as per the Interest rate risk hedging strategy. At the inception of the hedge, the Company designates and documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, the risk management objective, strategy for undertaking the hedge and the methods used to assess the hedge effectiveness. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument. Hedge effectiveness is ascertained at the time of inception of the hedge and periodically thereafter at Balance Sheet date.

The Forward Rate Agreement (FRA) contract is

valued at the difference between the market value of underlying bond at the spot reference yield taken from the SEBI approved rating agency and present value of contracted forward price of underlying bond including present value of intermediate coupon inflows from valuation date till FRA contract settlement date, at applicable INR Overnight Interest Swap (OIS) rate curve. Margin settlement for the fair valuation or Mark to market valuation of derivative is carried based on valuation by the valuation agent as per forward rate agreement.

Hedging instruments are initially recognised at fair value and are re-measured at fair value at subsequent reporting dates. The effective portion of fair value gain / loss on the interest rate derivative that is determined to be an effective hedge is recognised in equity account i.e. "Hedge Fluctuation Reserve" or "HFR" under the head 'Credit/(Debit) Fair Value Change Account' in the Balance Sheet and the ineffective portion of the change in fair value of such derivative instruments is recognised in the revenue account in the period in which they arise. The fair value gain / loss on the interest rate derivative that is determined to be an ineffective hedge is recognised in the revenue account in the period in which they arise.

The accumulated gains or losses that were recognised in the Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account, in the same period during which the income from investments acquired from underlying forecasted cash flow is recognized in the Revenue Account.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument is terminated or it becomes probable that the expected forecast transaction will no longer occur or the risk management objective is changed or no longer expected to be met. On such termination, accumulated gains or losses that were recognised in the Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account. Costs associated with derivative contracts are considered as at a point in time cost.

E. Transfer of Investments

Transfer from shareholders' account to the policyholders' account:

Transfer of securities from the Shareholder account to the policyholders account to meet the deficit in the policyholders account is done at the cost price or market price, whichever is lower, for other than debt securities.

In case of debt securities, transfer is done at market price or net amortized cost, whichever is lower. If the prevailing market price of any security is not available at the time of transfer, then the price at which the security was valued on the previous day is considered.

Transfer between Non – Linked policyholders' funds:

No transfer of securities is done between various non-linked policyholders' funds.

Transfer between Unit-Linked Funds:

Transfer of investments between various unit linked funds is done at prevailing market price.

In case of securities other than equity, if the prevailing market price of any security is not available at the time of transfer, then the price at which the security was valued on the previous day is considered.

Provision for Non-Performing Assets (NPA)

All assets where the interest and / or instalment of principal repayment remain overdue for more than 90 days at the Balance Sheet date are classified as NPA. In accordance with regulations on "Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of debt portfolio", adequate provisions are made to cover amounts outstanding in respect of all NPA's.

Impairment of Investment

The carrying amounts of investments are reviewed at each balance sheet date, whether there is any indicator of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognised as an expense and disclosed under the head 'Provision for diminution in the value of investment (net)' in the Revenue/ Profit or Loss account, to the extent of difference between the remeasured fair value and the acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/ Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss earlier recognised in the Revenue /Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/ Profit and Loss Account respectively.

Securities with call and put options

Securities with call option are valued at the lower of the value as obtained by valuing the security up to final maturity date or the call option date. In case there are multiple call options, the security is valued at the lowest value obtained by valuing the security at various call option exercise dates or up to the final maturity date.

Securities with put option are valued at the higher of the value as obtained by valuing the security up to final maturity date or the put option date. In case there are multiple put options, the security is valued at the highest value obtained by valuing the security at various put option exercise dates or up to the final maturity date.

The securities with both put and call option on the same day would be deemed to mature on the put/ call date and would be valued accordingly. Addition tier 1 bonds have been valued considering the deemed residual maturity as per the requirement of IRDAI Investment Master Circular 2022.

9) DERIVATIVE

A. Banking Entity:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

- The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.
- Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.
- All Derivative contracts are recognised on the Balance Sheet date and measured at fair value.
- Wherever, hedge accounting is not opted, derivatives are accounted at fair value with changes in fair value being recognised in the Profit and Loss Account.
- Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/ loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/ liabilities.
- Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.
- Fair value in the context of derivative contracts represents the 'exit price'.
- Netting of Derivative assets and Derivative liabilities is not carried out.

B. Non-Banking: Merchant Banking

- Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options shall be adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.
- Transactions in Future contracts shall be accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date shall be netted by its notional value.
- In case of Future Contracts, the difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange shall be treated as Mark-to-Market Margin. The balance in the Mark-to-Market Margin Account shall

represent the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark-to-Market Margin Account shall be charged off to revenue whereas net credit balance shall be shown under current liabilities.

- d) In case of Option Contracts, premium to be paid or to be received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options shall be accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold if any as on the balance sheet date, provision shall be made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date shall exceed the premium to be received for those options. The excess of premium to be received over the premium prevailing on the Balance Sheet date shall not be recognised.

Similarly, in case of options bought, provisions shall be made for the amount by which the premium to be paid for the option shall exceed the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid shall be ignored. In case of multiple open positions, provisions shall be made as under:

Sum of premium paid for all buy contracts + sum of all excess premium in sell positions

10) FIXED ASSETS: (AS 10 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT)

- a) Fixed assets are stated at historical cost less accumulated depreciation/amortisation and impairment losses, if any. Assets which have been periodically revalued are stated at revalued amount less accumulated depreciation. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.
- b) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is ready to use or capable of ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets ready to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- c) The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below:

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation	Estimated useful life as determined by the Bank	Method of charging depreciation
1	Land & Building:			
1.a.	Land (Freehold)	NIL		
1.b.	Leasehold Land		Lease premium is amortised over the period of lease	
1.c.	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 Years	Straight Line
2.	Other Fixed Assets:-			
a.	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's	9.50%	10 Years	Straight Line
b.	Electrical Fitting and Equipment's	9.50%	10 Years	Straight Line
c.	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 Years	Straight Line
d.	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 Years	Straight Line
e.	Cycle	20.00%	5 Years	Straight Line
f.	Mobile phones	33.33%	3 Years	Straight Line
g.	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 Years	Straight Line
h.	Servers	20%	5 Years	Straight Line
i.	Computer Software, which do not form integral part of computer hardware	20%	5 Years	Straight Line

- d) In respect of leasehold land, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease.
- e) In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been ready to use during the year.
- f) Computer Software, not forming integral part of computer hardware is classified as intangible asset and amortised over a period of 5 years.
- g) 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Mobile Phones, Computers and Computer Software forming integral part of hardware), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

- h) The revalued asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & Loss Account and an equivalent amount is transferred from the Revaluation Reserve to Revenue Reserve. The revaluation of Bank's own properties is carried out every 3 years.
- i) Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

- i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page on date of the transaction.
- ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.
- iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.
- vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.
- vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.
- viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency

futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

- i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.
- ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.
- iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign entities.
- iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) EMPLOYEE BENEFITS: (AS 15: Employee Benefits)

a) Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

b) Long Term Employee Benefits:

A. Defined Benefit Plan

i. Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days' basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules, 1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

ii. Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of

monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India (Employees) Pension regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

B. Defined Contribution Plan:

i. Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ii. Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

C. Other Long Term Employee Benefits:

All eligible employees are entitled to the following-

- i. Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".
- ii. Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".
- iii. In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation

are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13) SEGMENT REPORTING: (AS 17: Segment Reporting)

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

14) LEASE TRANSACTIONS: (AS 19 LEASES)

Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease expenses on such lease are recognised in Profit & Loss Account.

15) EARNINGS PER SHARE: (AS 20: Earning per Share)

- a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.
- b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

16) TAXES ON INCOME: (AS 22: Accounting for Taxes on Income)

- a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the BOI group. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.
- b) Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.
- c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

- d) In Consolidated Financial Statements, income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.

17) IMPAIRMENT OF ASSETS: (AS 28: Impairment of Assets)

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on revalued assets is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

18) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS: (AS 29: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

19) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to Share Premium Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकड़े रु. करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग के रूप में नोट्स

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

अनुषंगियों का नाम	निगमन (इन्कॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2025 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2024 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
घरेलू अनुषंगियां :			
क बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.	भारत	100%	100%
ख बीओआई इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.	भारत	100%	100%
ग बीओआई ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि.	भारत	100%	100%
घ बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.	भारत	100%	100%
विदेशी अनुषंगियां:			
क पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	90.96%	90.96%
ख बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड	तंजानिया	100%	100%
ग बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लिमिटेड	न्यूजीलैंड	100%	100%
घ बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	युगांडा	100%	100%

2. समेकित विवरण पत्रों में शामिल सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के विवरण इस प्रकार हैं:

(i) सहयोगी कंपनियां:

सहयोगी कंपनियों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2025 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2024 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
घरेलू अनुषंगियां			
क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-			
i) मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक (पहले नर्मदा झुबुआ ग्रामीण बैंक)	भारत	35%	35%
ii) विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
iii) आर्यावर्त बैंक (पहले आर्यावर्त ग्रामीण बैंक)	भारत	35%	35%
ख इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	20%	20%
ग एसटीसीआई फाइनेन्स लिमिटेड	भारत	29.96%	29.96%
घ एसआरआईसी (इंडिया) लि.	भारत	26.02%	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यम:

संयुक्त उद्यमों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2025 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2024 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	27.48%	28.96%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2025 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी - इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईजेडबीएल) के। आईजेडबीएल के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2024 तक तैयार किए गए हैं और उसके प्रबंधन ने 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं दी है।
4. अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और उनके द्वारा अपनायी गई भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण उत्पन्न लेखांकन समायोजन, अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर किए गए हैं।
5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :
- पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2025 के वित्तीय विवरण पत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।
 - बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2025 तक के वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा प्रमाणित और निगमन के देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप एक स्वतंत्र समीक्षक द्वारा समीक्षा की गई है।
 - बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2025 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।
 - बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., बीओआई इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बीओआई ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि., बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि., स्टार यूनियन डाई-ईची लाइफ़ इन्शुरेंस कंपनी लि., मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक तथा एसटीसीआई फाइनेन्स लि. के 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और इंडो जाम्बिया बैंक लि., के बारह माह 31.12.2024 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।
 - बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लिमिटेड तथा एसआरआईसी (इंडिया) लि. के 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।
6. मूल बैंक के संबंध में, अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उंचत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों, अन्य कार्यालय खातों इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।
7. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

ए) विनियामक पूंजी की संरचना:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	70,310.13	62,482.14
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	2,801.65	2,852.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	73,111.78	65,334.14
iv)	टियर 2 पूंजी	10,265.98	8,444.16
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	83,377.76	73,778.29
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए)	4,51,096	4,16,996
vii)	सीईटी 1 अनुपात	15.59%	14.98%
viii)	टियर 1 अनुपात	16.21%	15.66%
ix)	टियर 2 अनुपात	2.28%	2.03%
x)	पूंजी - जोखिम भारित आस्तियां अनुपात (सीआरएआर)	18.48%	17.69%
xi)	लिवरेज अनुपात	6.50%	6.75%
xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	73.38%	73.38%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त पूंजी की राशि	-	4,500
xiv)	आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि	निरंक	निरंक
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर इक्विटी टियर 1 पूंजी, जिसमें से :	-	-
	ए) बासेल III का अनुपालन करने वाले स्थायी ऋण लिखत	निरंक	निरंक
xvi)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी, जिसमें से :	2,500*	2,000
	बी) बासेल III अनुवर्ती प्रतिदेय ऋण लिखत	2,500*	2,000

31 मार्च, 2024 तक पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात और लिवरेज अनुपात की गणना 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी के रूप में डाले गए गैर-ब्याज पुनर्पूँजीकरण बॉण्ड के शुद्ध वर्तमान मूल्य के प्रभाव पर विचार करने के बाद की गई है।

*मूल बैंक ने सितंबर 2024 के दौरान रु. 2,500 मूल्य के टियर 2 बॉण्ड जुटाए हैं (कूपन दर: 7.49%)

आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.सीएपी.आरईसी.15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मई 2023 के अनुसार, मूल बैंक ने 31 मार्च 2025 तक पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व, विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व और आस्थगित कर आस्तियों पर विचार किया है।

(ए1) टियर 1 पूंजी बढ़ाने हेतु जुटाए गए बकाया अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) बॉण्ड के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष के दौरान जुटाए गए	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना
2020-21	अतिरिक्त टियर 1	1,352.00	1,352.00
2022-23	अतिरिक्त टियर 1	1,500.00	1,500.00
	कुल	2,852.00	2,852.00

(ए2) टियर 2 पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर 2 लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष के दौरान जुटाए गए	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III)
2015-16	टियर 2	3,000.00	0.00
2020-21	टियर 2	1,800.00	1,800.00
2023-24	टियर 2	2,000.00	2,000.00
2024-25	टियर 2	2,500.00	2,500.00
	कुल	9,300.00	6,300.00

मूल बैंक ने 25 सितंबर, 2023 और 30 मार्च, 2023 को क्रमशः रु. 1,000 और रु. 500 की राशि के टियर 2 बॉण्ड सीरीज़ X एवं सीरीज़ XI को भुनाया है।

मूल बैंक ने 15 सितंबर, 2023 को 2,000 रुपये की राशि के बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर-2 बॉण्ड सीरीज़ XVI जुटाए हैं।

मूल बैंक ने 26 सितंबर, 2024 को रु. 2,500 मूल्य की बेसल III कंप्लेंट टियर 2 बॉण्ड सीरीज़ XVII जुटाई है।

बी) आरक्षितियों से आहरण द्वारा गिरावट (मूल बैंक) :

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, आरक्षितियों से लाभ और हानि खातों से कोई कटौती नहीं की गई है।

सी) मूल बैंक के संयुक्त उद्यम स्टार यूनिजन दाई-इची लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मौजूदा शेयरधारकों को रु. 291 प्रति शेयर के प्रीमियम पर रु. 10 प्रत्येक अंकित मूल्य के 1,82,72,424 पूर्ण भुगतान इक्विटी शेयर जारी किए हैं। हालांकि, मूल बैंक ने कोई अतिरिक्त शेयर नहीं खरीदा, जिसके परिणामस्वरूप मूल बैंक की हिस्सेदारी 28.96% से घटकर 27.48% हो गई। तदनुसार, उक्त संयुक्त उद्यम के रिजर्व में मूल बैंक की हिस्सेदारी में रु. 22.10 की कमी आई है।

डी) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, मूल बैंक को उसके एक मौजूदा सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात् आर्यावर्त बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में लंबित शेयर आवेदन राशि के प्रति रु. 152.04 की आनुपातिक इक्विटी शेयर पूंजी आवंटित की गई है।

ई) मूल बैंक को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड में रु. 49.46 के अतिरिक्त निवेश के लिए शेयर आवंटित किए गए हैं।

एफ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

विवरण	2024-25	2023-24
निवेश के लिए प्रावधान	(-)282.09	72.13
अनर्जक के लिए प्रावधान	4660.14	4163.01
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	3218.86	3808.60
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(-)398.87	(-)378.72

विवरण	2024-25	2023-24
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		
• पुनःसंचित खातों में त्याग हेतु प्रावधान	(-)155.27	(-)217.48
• देश जोखिम के लिए प्रावधान	10.35	(-)30.64
• अन्य प्रावधान	215.76	442.06
कुल	7268.88	7858.96

जी) फ्लोटिंग प्रावधान यथा 31.03.2025 - (मूल बैंक)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
प्रारंभिक शेष						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण						0.00
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष						0.00

फ्लोटिंग प्रावधान यथा 31.03.2024 - (मूल बैंक)

	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
प्रारंभिक शेष						0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरण						0.00
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष						0.00

एच) आय कर - (मूल बैंक)

- आकस्मिक देनदारियों (अनुसूची 12) के अंतर्गत आने वाले ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए बैंक पर दावों में रु. 2,048.01 (पिछले वर्ष रु.2,909.92) की विवादित आयकर/ब्याज कर देनदारियाँ शामिल हैं, जिनके लिए ऐसे विवादों पर पिछले मूल्यांकनों के संबंध में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है। उक्त विवादित बकाया के विरुद्ध भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत शामिल हैं।
- वर्ष के लिए करों का प्रावधान लागू कर कानूनों के प्रावधानों और कुछ विवादित मुद्दों पर प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार करने के बाद किया जाता है।

आई) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित)

वर्ष 2024-25 के दौरान, मूल बैंक ने अनुषंगियों की ओर से किसी भी प्रकार का चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीओआई (न्यूजीलैंड) के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, को पूरा करने के लिए पैरेंटल गारन्टी जारी की है।

यथा 31.03.2025 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन:

ए. एएस - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदे एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

(i) पूर्व अवधि मद :

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस-5) :

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों, जिनका पालन किया गया, सिवाय निम्नलिखित के कोई परिवर्तन नहीं हुआ है :

(क) आरबीआई ने 12 सितंबर, 2023 के अपने मास्टर निर्देश के जरिए बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए संशोधित मानदंड जारी किए, जो 01 अप्रैल, 2024 से लागू हो गए हैं। जबकि अब तक निवेश पोर्टफोलियो को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया था, संशोधित मानदंड निवेश पोर्टफोलियो के सिद्धांत-आधारित वर्गीकरण और उचित मूल्य लाभ और हानि के सममित सुविधा लाते हैं। संशोधित मानदंडों और मूल बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, मूल बैंक ने 01 अप्रैल, 2024 तक अपने निवेश पोर्टफोलियो को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस), लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) और एफवीटीपीएल की उप श्रेणी के रूप में व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) की श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है, और उस तिथि से, संशोधित फ्रेमवर्क के तहत निवेश पोर्टफोलियो को मापता है और उसका मूल्यांकन करता है।

01 अप्रैल, 2024 को फ्रेमवर्क में परिवर्तन पर, मूल बैंक ने करों के बाद रु. 127.46 का शुद्ध लाभ (निवेश रिजर्व रु. 406.56 के हस्तांतरण सहित) को मान्यता दी है, जिसे उक्त मानदंडों के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया गया

है। पिछली अवधि (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए संशोधित फ्रेमवर्क का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है और इस प्रकार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निवेश से होने वाले लाभ या हानि पिछले वर्ष के साथ तुलनीय नहीं है।

- (ख) सरकारी गारंटीकृत सुरक्षा प्राप्तियों (एसआर) के संशोधित मानदंडों पर 29 मार्च 2025 के आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.72/21.04.048/2024-25 के अनुसार, बैंकों को शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य के लिए एसेट

रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) को ऋण हस्तांतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को उलटने की अनुमति है, बशर्ते कि विचार में केवल नकदी और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर शामिल हों। ऐसे एसआर का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के आधार पर समय-समय पर किया जाएगा, जो ऐसे उपकरणों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग पर आधारित है। इसके कारण, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल बैंक के शेयर में रु. 397.76 की वृद्धि हुई, जो अप्राप्त एमटीएम लाभ और अतिरिक्त प्रावधान के लिए लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दी गई है।

बी. एस-15 “कर्मचारी लाभ”(मूल बैंक)

क्र.सं. विवरण	वि.व. 2024-25		वि.व. 2023-24	
	उपदान	पेशान	उपदान	पेशान
(i) प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक अनुमान:				
छूट की दर	6.99%	6.71%	7.22%	7.21%
योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	6.94%	7.52%	7.77%	7.47%
वेतन वृद्धि दर	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
एट्रिशन रेट करंट	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii) परिनिश्चित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका :				
वर्ष की शुरुआत में देयता	2,289.02	20,430.10	2,070.55	18,996.40
ब्याज लागत	157.30	1,386.02	146.40	1,329.95
वर्तमान सेवा लागत	126.39	1,128.23	116.97	1,051.76
विगत सेवा लागत	0.00	41.21	0.00	326.05
भुगतान किया गया लाभ	220.72	2,413.01	242.18	1,999.69
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	123.12	1,343.00	197.28	725.63
वर्ष के अंत में देयता	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,430.10
पिछली सेवा लागत जिनकी गणना नहीं की गई	0.00	0.00	0.00	41.22
कुल परिभाषित लाभ दायित्व	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,471.32
(iii) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की तालिका :				
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	2,223.34	19,922.68	2,055.47	18,459.42
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	154.72	1,485.37	159.58	1,383.08
योगदान	232.88	2,072.14	238.96	2,111.16
भुगतान किया गया लाभ	220.72	2,413.01	242.18	1,999.69
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	40.27	321.46	11.51	(-)31.29
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
कुल बीमांकिक लाभ/(हानि) जिसकी गणना की गई	(-)82.85	(-)1,021.55	(-)185.76	(-)756.92
(iv) योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :				
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	154.72	1,485.37	159.58	1,383.08
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	40.27	321.46	11.51	(-)31.29
योजनागत आस्ति पर वास्तविक प्रतिलाभ	194.99	1,806.82	171.09	1,351.79

क्र.सं. विवरण	वि.व. 2024-25		वि.व. 2023-24	
	उपदान	पेन्शन	उपदान	पेन्शन
(v) बैलेंस शीट में शामिल राशि:				
वर्ष के अंत में देयता	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,471.32
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
पिछली सेवा लागत जिसे शामिल नहीं किया गया है	0.00	0.00	0.00	41.22
बैलेंस शीट में शामिल राशि	44.62	526.92	65.68	507.42
(vi) आय-विवरण में शामिल व्यय:				
वर्तमान सेवा लागत	126.39	1,128.23	116.97	1,051.76
ब्याज लागत	157.30	1,386.02	146.40	1,329.95
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(-)154.72	(-)1,485.37	(-)159.58	(-)1,383.08
पूर्व वर्षों से संबंधित व्यय जिसे शामिल किया गया है	0.00	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत	0.00	41.21	0.00	142.42
बीमांकिक (लाभ) या हानि	82.85	1,021.55	185.76	756.92
लाभ-हानि खाते में शामिल व्यय	211.82	2,091.64	289.55	1,897.97
(vii) बैलेंस शीट समाधान				
आरंभिक निवल देयता (पिछले वर्ष की निवल राशि को बैलेंस शीट में शामिल किया गया है)	65.68	507.42	15.09	536.98
यथोक्त व्यय	211.82	2,091.64	289.55	1,897.97
नियोक्ता का अंशदान	(-)232.88	(-)2,072.14	(-)238.96	(-)2,111.16
अतिरिक्त विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	183.63
बैलेंस शीट में शामिल राशि	44.62	526.92	65.68	507.42
(viii) आस्तियों की श्रेणी :				
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	10.21	2,569.54	15.24	2,597.01
इक्विटी	0.00	1,071.34	0.00	813.33
कॉरपोरेट बाण्ड	35.04	5,911.16	42.26	6,158.30
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	0.00	3,986.63	0.00	3,064.92
बीमा	2203.68	6,931.40	2,090.00	6,740.13
अन्य	181.56	918.56	75.84	548.99
कुल	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
(ix) अनुभव समायोजन :				
योजना दायित्व (लाभ)/हानि पर	41.01	(-)545.48	124.29	410.04
योजनागत संपत्ति (हानि)/लाभ पर	40.27	321.46	11.51	(-)31.29

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ*:

विवरण	31.03.2025		31.03.2024	
	देयता	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/ (राइट बैक)	देयता	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/ (राइट बैक)
छुट्टी नकदीकरण	1,279.43	73.07	1,206.35	5.31
छुट्टी किराया रियायत	63.17	0.34	62.83	0.25
पुनर्वास लाभ	9.07	0.47	8.60	0.53

विवरण	31.03.2025		31.03.2024	
	देयता	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/ (राइट बैक)	देयता	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/ (राइट बैक)
माइलस्टोन अवाई	4.88	0.24	4.64	0.05
रुग्ण अवकाश **	4.28	1.20	3.08	0.08

*अन्य दीर्घकालिक कर्मचारियों के लाभों के लिए बीमांकिक धारणाएं वही हैं जो ग्रेच्युटी के लिए उपयोग की जाती हैं।

मूल बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि/परिभाषित अंशदान योजना के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए रु. 544.39 (विगत वर्ष रु. 445.17) का अंशदान किया है।

** मूल बैंक अब तक पूर्ण सीमा तक अर्थात् संपूर्ण बकाया अवकाश शेष तक रुग्ण अवकाश की देयता को मान्यता देता रहा है। रुग्ण अवकाश के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसे अवकाश लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

मूल बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 2,064.09 (विगत वर्ष रु. 2,356.36) और ग्रेच्युटी के लिए रु. 27.61 (विगत वर्ष रु. 25.38) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

ii. योजना में अधिशेष/घाटा:

विवरण	ग्रेच्युटी योजना				
	वि.व. 2024-25	वि.व. 2023-24	वि.व. 2022-23	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21
परिभाषित लाभ देयता	2,475.11	2,289.02	2,070.55	1,898.52	1,935.33
प्लान आस्तियां	2,430.49	2,223.34	2,055.47	1,887.32	1,930.63
संक्रमणशील देयता जो शामिल नहीं किए गए हैं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(-)44.62	(-)65.68	(-)15.09	(-)11.20	(-)4.70
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	41.01	124.29	240.77	152.27	315.39
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	40.27	11.51	(-)5.88	(-)42.37	86.25

विवरण	पेन्शन योजना				
	वि.व. 2024-25	वि.व. 2023-24	वि.व. 2022-23	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21
परिभाषित लाभ देयता	21,915.55	20,471.32	19,180.02	18,379.20	16,837.05
प्लान आस्तियां	21,388.63	19,922.68	18,459.42	17,604.64	16,531.02
संक्रमणशील देयता जो शामिल नहीं किए गए हैं	0.00	41.22	183.62	489.67	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(-)526.92	(-)507.42	(-)536.99	(-)284.88	(-)306.03
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	(-)545.48	410.04	843.92	1,092.69	791.71
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	321.46	(-)31.29	(-)45.52	(-)694.35	(-)620.28

सी. लेखांकन मानक 17 - “खंड रिपोर्टिंग”

भाग क: कारोबार खंड

कारोबार खण्ड	कारोबार परिचालन (1)		थोक बैंकिंग परिचालन (2)		रिटेल बैंकिंग परिचालन (3)		डिजिटल बैंकिंग (3) (i)		अन्य रिटेल बैंकिंग (3)(ii)		(*)अन्य बैंकिंग परिचालन (4)		कुल (1+2+3+4)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व	22,735.88	18,287.96	27,338.94	23,405.62	31,053.26	25,955.95	0.63	0.26	31,052.63	25,955.69	0.00	0.00	81,128.08	67,649.53
गैर-आबंटित राजस्व													361.01	723.54
घटाएं : अंतर खंड राजस्व													1,076.64	1,066.60
कुल राजस्व													80,412.45	67,306.47

कारोबार खण्ड	कारोबार परिचालन (1)		थोक बैंकिंग परिचालन (2)		रिटेल बैंकिंग परिचालन (3)		डिजिटल बैंकिंग (3) (i)		अन्य रिटेल बैंकिंग (3)(ii)		(*)अन्य बैंकिंग परिचालन (4)		कुल (1+2+3+4)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
परिणाम	6,289.66	4887.08	1,987.80	827.80	7,220.80	6,759.91	(-)0.45	(-)0.75	7,221.26	6,760.66	0.00	0.00	15,498.26	12,474.79
गैर-आबंटित व्यय													(-)2,731.12	(-)2,101.73
कर पूर्व लाभ/ (हानि)													12,767.14	10,373.06
आयकर													3,218.86	3,808.60
असाधारण लाभ/ (हानि)													XXXX	XXXX
निवल लाभ/ (हानि)													9,548.28	6,564.46
अन्य जानकारी :														
खंड आस्तियां	352,717.99	310,082.90	384,649.62	337,050.50	282218.77	252,894.05	6.65	7.16	282,212.13	252,886.89	0.00	0.00	1,019,586.38	900,027.45
गैरआबंटित आस्तियां													36,838.63	24,252.91
कुल आस्तियां													1,056,425.02	924,280.36
खंड देयताएं	331,339.32	287,690.56	369,036.17	322,846.21	259782.48	227,748.20	7.10	7.89	259,775.38	227,740.31	0.00	0.00	960,157.97	838,284.97
गैर आबंटित देयताएं													15,541.27	15,414.12
कुल देयताएं													975,699.24	853,699.09

नोट- गैर-बैंकिंग अनुषंगीयों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।

भाग ख : भौगोलिक खंड

भौगोलिक खंड	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
विवरण						
राजस्व	70,374.04	58,324.94	10,038.41	8,981.53	80,412.45	67,306.47
आस्तियां	891,676.36	790,560.15	164,748.65	133,720.20	1,056,425.01	924,280.35

बीओआई समूह ने एएस-17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

1. प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

ए) **कोषागार** : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार परिचालन तथा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सहित विदेशी मुद्रा परिचालन में लेनदेन।

बी) **थोक बैंकिंग** : थोक बैंकिंग में ऐसे सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

सी) **रिटेल बैंकिंग** : रिटेल बैंकिंग खण्ड में डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग शामिल हैं।

डिजिटल बैंकिंग में डीबीयू द्वारा अर्जित डिजिटल बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं।

अन्य रिटेल बैंकिंग में रु. 7.50 करोड़ तक एक्सपोज़र वाले सभी आवास ऋण खाते एवं उधार खाते शामिल हैं

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण:

रिटेल बैंकिंग खंड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खंड और कोषागार खंड, रिटेल बैंकिंग खंड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाशायियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का आबंटन :

ए) विशेष खंड से सीधे सम्बद्ध व्ययों को संबंधित खंड में विनियोजित किया गया है।

बी) जो व्यय किसी खंड विशेष से सीधे सम्बद्ध न हों उन्हें कर्मचारियों की संख्या/संचालित कारोबार के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खंड

ए) घरेलू परिचालन

बी) अंतरराष्ट्रीय परिचालन

डी. लेखांकन मानक 18 “संबंधित पक्ष संव्यवहार” (मूल बैंक):

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ : श्री रजनीश कर्नाटक

कार्यपालक निदेशक गण : श्री पी. आर. राजगोपाल
श्री एम. कार्तिकेयन (31.03.2025 को सेवा निवृत्त)
श्री सुब्रत कुमार
श्री राजीव मिश्रा

प्रदत्त पारिश्रमिक :

(राशि रु में)

क्र. सं.	विवरण	पदनाम	2024-25	2023-24
1	श्री रजनीश कर्नाटक	एमडी एवं सीईओ	52,69,865	33,70,597
2	श्री पी.आर. राजगोपाल	कार्यपालक निदेशक	59,42,538	41,86,980
3	श्री स्वरूप दास गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	0	30,29,208
4	श्री एम. कार्तिकेयन	कार्यपालक निदेशक	49,17,186	33,34,464
5	श्री सुब्रत कुमार	कार्यपालक निदेशक	51,40,710	34,84,956
6	श्री राजीव मिश्रा	कार्यपालक निदेशक	35,65,716	2,81,400

लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

(ई) लेखांकन मानक 19 - “पट्टा” (मूल बैंक): मूल बैंक के विकल्प पर परिचालन पट्टे रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालन पट्टे के लिए लाभ और हानि खाते में शामिल पट्टा व्यय की राशि रु 748.44 (पिछले वर्ष: रु 717.00) है।

(एफ) एएस 20 - “प्रति शेयर अर्जन” रुपयों में:

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	मूल ईपीएस	20.97	15.48
2.	तनुकृत ईपीएस	20.97	15.48

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(ए)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि)	9,548.28	6,564.46
(बी)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़)	455.27	424.10
(सी)	मूलभूत आय प्रति शेयर (ए/बी) (रु.)	20.97	15.48
(डी)	तनुकृत संभावित इक्विटी शेयर सहित इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़)	455.27	424.10
(ई)	तनुकृत प्रति शेयर आय (ए/डी) (रु.)	20.97	15.48
(एफ)	प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00

(जी) लेखांकन मानक 22 – “आय पर करों के लिए लेखांकन”:

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
आस्थगित कर आस्तियां		
प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	2,266.96	3,971.35
अन्य	936.55	570.92
कुल आस्थगित कर आस्तियां	3,203.51	4,542.27
आस्थगित कर देयता		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	179.70	151.12
निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	0	0
उपचित ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	957.68	831.51
अन्य	740.82	659.21
कुल आस्थगित कर देयताएं	1,878.20	1,641.84
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	1,325.31	2,900.43

(एच) लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना:

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप एवं परिचालनों को तर्क संगत बनाने के लिए कार्यनीतिक पहल के भाग के रूप में, मूल बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी अनुषंगी जैसे बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. को बेच दिया, जिसके लिए रु. 14.64 की राशि प्राप्त हुई एवं रु. 18.31 के निवेश की बची हुई लागत का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हम पुष्टि करते हैं कि हमारी विदेशी अनुषंगियों का कोई विनिवेश नहीं हुआ है।

(आई) एस 27 - “संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग”:

निवेश में रु. 98.17 (पिछले वर्ष रु. 98.17) शामिल हैं जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में मूल बैंक के निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि	निगमन देश	होल्डिंग %
1.	स्टार यूनियन दाई इची जीवन बीमा कंपनी लि.,	98.17	भारत	27.48%

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	507.62	353.62
जमा राशियां		-
उधार	34.35	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	8,018.40	6,972.39
कुल	8,560.37	7326.01
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	180.85	94.04
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		-
निवेश	8,210.49	6939.28
अग्रिम	24.86	12.54
अचल आस्तियां	25.61	19.52
अन्य आस्तियां	118.56	260.63
कुल	8,560.37	7326.01

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
पूँजीगत बाध्यताएं		-
अन्य आकस्मिक देयताएं	36.61	39.26
आय		
अर्जित व्याज	24.07	22.63
अन्य आय	70.87	57.83
कुल	94.94	80.46
व्यय		
व्यय किया गया व्याज	2.66	-
परिचालन व्यय	68.55	33.19
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	1.17	(-)0.48
कुल	72.38	32.71
लाभ / (हानि)	22.56	47.75

जे. **एएस 29 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां: (मूल बैंक)**

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं*	
	31.03.2025	31.03.2024
प्रारंभिक शेष	88.60	64.09
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	27.23	26.74
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	12.73	2.23
अंतिम शेष	103.10	88.60
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

*अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

ख. **आकस्मिक देयताएं**

इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

9. **अन्य नोट :**

(ए) जीवन-बीमा संयुक्त उद्यम के निवेशों का लेखा, बैंक के द्वारा पालन की जा रही लेखांकन नीति के स्थान पर आईआरडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार रखा गया है। यथा 31 मार्च 2025 को कुल निवेश का लगभग 3.06% (विगत वर्ष 2.96%) बीमा संयुक्त उद्यम के निवेश से है।

(बी) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से बैंकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू करते हुए अधिकतम पांच वर्षों की अवधि में पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है, बशर्ते कि कुल राशि का न्यूनतम 1/5 वां हिस्सा हर साल खर्च किया जाए। बैंक ने पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण रु.612.09 की अतिरिक्त देयता को मान्यता दी है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू करते हुए पांच वर्षों की अवधि में उक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है।

तदनुसार, मूल बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में उक्त अतिरिक्त देयता के लिए रु. 41.21 (विगत वर्ष रु. 142.42) को व्यय के रूप में मान्यता दी है और इस तिथि तक पारिवारिक पेंशन देयता की अशोध्य राशि रु. शून्य (विगत वर्ष रु. 41.21) है।

(सी) राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 7 अप्रैल, 2025 के अनुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को समामेलित कर दिया गया है और 1 मई, 2025 से दो आरआरबी के संबंध में प्रायोजक बैंक को बदल दिया गया है। इन आरआरबी में मूल बैंक के निवेश को 31 मार्च, 2025 तक के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

(क) उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का ब्यौरा, जहां अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित नहीं हैं, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	अंतरणकर्ता आरआरबी का नाम	अंतरणकर्ता आरआरबी का प्रयोजक बैंक	आरआरबी के समामेलन के बाद नया नाम	अंतरिती आरआरबी का प्रयोजक बैंक
1	विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र		
2	आर्यावर्त बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
	बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा		

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का विवरण, जहां अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	अंतरणकर्ता आरआरबी का नाम	अंतरणकर्ता आरआरबी का प्रयोजक बैंक	आरआरबी के समामेलन के बाद नया नाम	अंतरिती आरआरबी का प्रयोजक बैंक
1	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया
	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया		

डी) यथा 31 मार्च 2025 को, आरबीआई द्वारा संदर्भित एनसीएलटी खातों (सूची 1 एवं 2) के संबंध में बैंक ने रु. 3,033.86 की बकाया राशि के लिए 100% प्रावधान किया है।

ई) मूल बैंक की अनुमोदित पुनर्मूल्यांकन नीति के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान मूल बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं की पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न अधिशेष राशि रु. 1,580.24 को “पुनर्मूल्यांकन रिजर्व” में जोड़ा गया है।

एफ) अन्य आय/व्यय जो कुल आय के 1% से अधिक हो (मूल बैंक)

अन्य आय : अन्य आय में मूल बैंक की कुल आय के 1% से अधिक की आय शामिल है।

विवरण	वि.व. 2024-25	वि.व. 2023-24
बट्टे खाते में वसूली	2,365.46	1467.04

जी) मूल बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 4.05 प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात 40.50%) के लाभांश की सिफारिश की है, जो आवश्यक अनुमोदन के अधीन है।

एच) पिछली अवधि के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated. Figures in Brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent bank) are as under:

Name of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2025	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2024
Domestic Subsidiaries:			
a) BOI Shareholding Ltd.	India	100%	100%
b) Bank of India Investment Managers Pvt Ltd.	India	100%	100%
c) Bank of India Trustee Services Pvt Ltd.	India	100%	100%
d) BOI Merchant Bankers Ltd	India	100%	100%
Overseas Subsidiaries:			
a) PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	90.96%	90.96%
b) Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
c) Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
d) Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

Name of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2025	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2024
Domestic Subsidiaries:			
a) Regional Rural Banks-			
i) Madhya Pradesh Gramin Bank (erstwhile Narmada Jhabua Gramin Bank)	India	35%	35%
ii) Vidharbha Konkan Gramin Bank	India	35%	35%
iii) Aryavart Bank (erstwhile Gramin Bank of Aryavart)	India	35%	35%
b) Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%
c) STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d) ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) Joint Venture:

Name of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2025	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2024
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	27.48%	28.96%

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2025 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements are prepared upto 31st December 2024 and its management has reported no significant transactions for the quarter ended 31st March 2025.
4. In case of subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by them and the Parent Bank have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.
5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :
- Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2025 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.
 - Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2025 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.
 - Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2025 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.
 - Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., Bank of India Investment Managers Pvt. Ltd., Bank of India Trustee Services Pvt. Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Madhya Pradesh Gramin Bank, Vidharbha Konkan Gramin Bank, Aryavart Bank & STCI Finance Ltd. for the financial year ended 31.03.2025 and Indo Zambia Bank Ltd. for the twelve months ended 31.12.2024.
 - Unaudited Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. and ASREC (India) Ltd., for the financial year ended 31.03.2025 certified by their management.
6. In respect of the Parent bank, balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.

7. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

(a) Composition of Regulatory Capital:

Sr. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	70,310.13	62,482.14
ii)	Additional Tier 1 capital	2,801.65	2,852.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	73,111.78	65,334.14
iv)	Tier 2 capital	10,265.98	8,444.16
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	83,377.76	73,778.29
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	451,096	416,996
vii)	CET 1 Ratio	15.59%	14.98%
viii)	Tier 1 Ratio	16.21%	15.66%
ix)	Tier 2 Ratio	2.28%	2.03%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)	18.48%	17.69%
xi)	Leverage Ratio	6.50%	6.75%
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	73.38%	73.38%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	4,500
xiv)	Share application money pending for allotment	NIL	NIL
xv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which:	-	-
	a) Basel III compliant Perpetual Debt Instruments	NIL	NIL
xvi)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which:	2,500*	2,000
	a) Basel III compliant Redeemable Debt Instruments	2,500*	2,000

The computation of Capital to Risk weighted asset Ratio & Leverage ratio as on March 31, 2024 is arrived at after considering the effect of Net Present Value of non-interest bearing recapitalization bond infused as capital by the Government of India during the FY ended 31.03.2021.

*The Parent Bank has raised Tier 2 Bonds of ₹ 2,500 during September 2024 (Coupon rate : 7.49%)

Pursuant to RBI Circular No. DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023-24 dated May 12, 2023, the Parent Bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2025.

- (a1) Details of outstanding Additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under:

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation
2020-21	Additional Tier 1	1,352.00	1,352.00
2022-23	Additional Tier 1	1,500.00	1,500.00
	Total	2,852.00	2,852.00

- (a2) Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under:

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2015-16	Tier-II	3,000.00	0.00
2020-21	Tier-II	1,800.00	1,800.00
2023-24	Tier-II	2,000.00	2,000.00
2024-25	Tier-II	2,500.00	2,500.00
	Total	9,300.00	6,300.00

The Parent Bank has redeemed Tier II Bonds Series X & Series XI amounting to ₹ 1,000 & ₹ 500 on September 25, 2023 and September 30, 2023 respectively.

The Parent Bank has raised Basel III Complaint Tier II Bonds Series XVI amounting to ₹ 2,000 on September 15, 2023.

The Parent Bank has raised Basel III Complaint Tier II Bonds Series XVII amounting to ₹ 2,500 on September 26, 2024.

(b) Draw down from Reserves (Parent Bank)

During the FY 2024-25, there has been no drawdown from reserves to the Profit and Loss accounts.

- (c) Parent Bank's Joint Venture Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Limited has issued 1,82,72,424 fully paid equity shares, face value of ₹ 10 each at premium of ₹ 291 per share on right basis to existing shareholders. However, the Parent Bank did not subscribe to any additional shares, which has resulted in reduction of Parent Bank's stake from 28.96% to 27.48%. Accordingly, Parent Bank's share in the reserves of said joint venture has reduced by ₹ 22.10.

- (d) During the year ended March 31, 2025, the Parent Bank has been allotted proportionate equity share capital by one of its existing associate Regional Rural Bank, namely Aryavart Bank of ₹ 152.04 against pending share application money made in FY 2022-23.

- (e) The Parent Bank has been allotted shares for the additional investment of ₹ 49.46 in one of its wholly owned subsidiary, namely, Bank of India (Uganda) Limited.

(f) Provisions and Contingencies:

Particulars	2024-25	2023-24
Provision for Non-Performing Investments	(-)282.09	72.13
Provision towards NPA	4660.14	4163.01
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	3218.86	3808.60
Provision towards Standard Assets	(-)398.87	(-)378.72
Other Provision & Contingencies		
• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(-)155.27	(-)217.48
• Provision for Country Risk	10.35	(-)30.64
• Other Provisions	215.76	442.06
Total	7268.88	7858.96

(g) Floating Provisions as on 31.03.2025 - (Parent Bank)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00

Floating Provisions as on 31.03.2024 - (Parent Bank)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						0.00

(h) Income-Tax – (Parent Bank)

- Claims against the Bank not acknowledged as debt appearing under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹2,048.01 (previous year ₹ 2,909.92) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).
- Provision for taxes for the year is arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

(i) Disclosure of Letter of comfort issued by the Parent bank for subsidiaries (As compiled by Management)

During the year 2024-25, the Parent bank has not issued any letter of comforts on behalf of Subsidiaries.

In the Financial year 2010-11, the Parent Bank has issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, Bank of India (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2025 no financial obligations have arisen on the above commitments.

8. Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):**A. AS – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:****(i) Prior Period Items:**

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Change in Accounting Policy (AS-5):

There is no change in the Significant Accounting Policies followed during the year ended March 31, 2025 as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2024 except the following:

- The RBI, vide its Master Direction dated September 12, 2023 issued revised norms for the classification, valuation and operation of the investment portfolio of banks, which became applicable from April 01, 2024. While hitherto the investment portfolio was classified under the held to maturity (HTM), available for sale (AFS) and held for trading (HFT) categories, the revised norms bring in a principle-based classification of investment portfolio and a symmetric treatment of fair value gains and losses. In accordance with the revised norms and the Parent Bank's Board approved policy, the Parent Bank has classified its investment portfolio as on April 01, 2024, under the categories of held to maturity (HTM), available for sale (AFS), fair value through profit and loss (FVTPL) and held for trading (HFT) as a sub category of FVTPL, and from that date, measures and values the investment portfolio under the revised framework.

On transition to the framework on April 01, 2024, the Parent Bank has recognised a net gain of ₹ 127.46, net of taxes, (including transfer of Investment Reserve ₹ 406.56), which has been credited to revenue reserve in accordance with the said norms. The impact of the revised framework for the previous period (FY 2023-24) is not ascertainable and as such the profit or loss from the investments for the year ended March 31, 2025 are not comparable with that of the previous year.

- In terms of RBI circular No. RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.

REC.72/21.04.048/2024-25 dated March 29, 2025 on revised norms for Government Guaranteed Security Receipts (SRs), banks are permitted to reverse any excess provision to the profit and loss Account in the year of transfer of loan to Asset reconstruction company (ARC) for the value higher than the net book value (NBV), provided the consideration consists solely of cash and SRs guaranteed by the Government of India. Such SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. On account of the same, appreciation to the extent of Parent bank's share amounting to ₹ 397.76 towards unrealized MTM Gain and the excess provision has been reversed to P&L account during the year ended 31.03.2025.

B. AS-15 "Employee Benefits" (Parent Bank)

Sr. No.	Particulars	FY 2024-2025		FY 2023-2024	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
(i)	Principal actuarial assumptions used :				
	Discount Rate	6.99%	6.71%	7.22%	7.21%
	Rate of Return on Plan Assets	6.94%	7.52%	7.77%	7.47%
	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	Table showing changes in Present value of Defined Benefit Obligation:				
	Liability at the beginning of the year	2,289.02	20,430.10	2,070.55	18,996.40
	Interest Cost	157.30	1,386.02	146.40	1,329.95
	Current Service Cost	126.39	1,128.23	116.97	1,051.76
	Past Service Cost	0.00	41.21	0.00	326.05
	Benefit Paid	220.72	2,413.01	242.18	1,999.69
	Actuarial (gain)/loss on Obligation	123.12	1,343.00	197.28	725.63
	Liability at the end of the year	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,430.10
	Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	41.22
	Total Defined Benefit obligation	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,471.32
(iii)	Table showing changes in Fair value of Plan Assets :				
	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	2,223.34	19,922.68	2,055.47	18,459.42
	Expected return on Plan Assets	154.72	1,485.37	159.58	1,383.08
	Contributions	232.88	2,072.14	238.96	2,111.16
	Benefit Paid	220.72	2,413.01	242.18	1,999.69
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	40.27	321.46	11.51	(-)31.29
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
	Total Actuarial Gain/(Loss) recognised	(-)82.85	(-)1,021.55	(-)185.76	(-)756.92
(iv)	Actual return on Plan Assets :				
	Expected Return on Plan Assets	154.72	1,485.37	159.58	1,383.08
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	40.27	321.46	11.51	(-)31.29
	Actual return on Plan Assets	194.99	1,806.82	171.09	1,351.79
(v)	Amount recognised in the Balance Sheet				
	Liability at the end of the year	2,475.11	21,915.55	2,289.02	20,471.32
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
	Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00	41.22
	Amount Recognised in the Balance Sheet	44.62	526.92	65.68	507.42
(vi)	Expenses recognised in the Income-Statement :				
	Current Service Cost	126.39	1,128.23	116.97	1,051.76
	Interest Cost	157.30	1,386.02	146.40	1,329.95
	Expected Return on Plan Assets	(-)154.72	(-)1,485.37	(-)159.58	(-)1,383.08
	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	Past Service Cost	0.00	41.21	0.00	142.42
	Actuarial (Gain) or Loss	82.85	1,021.55	185.76	756.92
	Expense Recognised in P & L	211.82	2,091.64	289.55	1,897.97

Sr. No.	Particulars	FY 2024-2025		FY 2023-2024	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
(vii)	Balance Sheet Reconciliation :				
	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	65.68	507.42	15.09	536.98
	Expenses as above	211.82	2,091.64	289.55	1,897.97
	Employer's Contribution	(-)232.88	(-)2,072.14	(-)238.96	(-)2,111.16
	Additional Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	183.63
	Amount Recognised in Balance Sheet	44.62	526.92	65.68	507.42
(viii)	Category of Assets :				
	Central Government of India Securities	10.21	2,569.54	15.24	2,597.01
	Equity	0.00	1,071.34	0.00	813.33
	Corporate Bonds	35.04	5,911.16	42.26	6,158.30
	State Government Securities	0.00	3,986.63	0.00	3,064.92
	Insurance	2203.68	6,931.40	2,090.00	6,740.13
	Other	181.56	918.56	75.84	548.99
	Total	2,430.49	21,388.63	2,223.34	19,922.68
(ix)	Experience Adjustment :				
	On Plan Liability (Gain)/Loss	41.01	(-)545.48	124.29	410.04
	On Plan Asset (Loss)/Gain	40.27	321.46	11.51	(-)31.29

Other long term employee benefits*:

Particulars	31.03.2025		31.03.2024	
	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year
Leave Encashment	1,279.43	73.07	1,206.35	5.31
Leave Travel Concession	63.17	0.34	62.83	0.25
Resettlement Benefits	9.07	0.47	8.60	0.53
Milestone Awards	4.88	0.24	4.64	0.05
Sick Leave**	4.28	1.20	3.08	0.08

* The actuarial assumptions for other long term employees' benefits are same which are used for Gratuity.

The Parent Bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the Parent Bank has contributed ₹ 544.39 (Previous Year ₹ 445.17) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The Parent Bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leave by employees.

The Parent Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 2,064.09 (Previous Year ₹ 2,356.36) and towards Gratuity is ₹ 27.61 (Previous Year: ₹ 25.38).

Surplus /Deficit in the Plan:

Particulars	Gratuity Plan				
	FY2024-25	FY2023-24	FY2022-23	FY2021-22	FY2020-21
Defined benefit obligation	2,475.11	2,289.02	2,070.55	1,898.52	1,935.33
Plan assets	2,430.49	2,223.34	2,055.47	1,887.32	1,930.63
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/(deficit)	(-)44.62	(-)65.68	(-)15.09	(-)11.20	(-)4.70
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	41.01	124.29	240.77	152.27	315.39
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	40.27	11.51	(-)5.88	(-)42.37	86.25

Particulars	Pension Plan				
	FY2024-25	FY2023-24	FY2022-23	FY2021-22	FY2020-21
Defined benefit obligation	21,915.55	20,471.32	19,180.02	18,379.20	16,837.05
Plan assets	21,388.63	19,922.68	18,459.42	17,604.64	16,531.02
Unrecognised Transitional liability	0.00	41.22	183.62	489.67	0.00
Surplus/(deficit)	(-)526.92	(-)507.42	(-)536.99	(-)284.88	(-)306.03
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	(-)545.48	410.04	843.92	1,092.69	791.71
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	321.46	(-)31.29	(-)45.52	(-)694.35	(-)620.28

C. AS-17 “Segment Reporting”**Part A: Business Segment**

Business Segment	Treasury Operations (1)		Wholesale Banking Operations (2)		Retail Banking Operations (3)		Digital Banking (3) (i)		Other Retail Banking (3)(ii)		Other Banking Operations (4)		Total (1+2+3+4)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Revenue	22,735.88	18,287.96	27,338.94	23,405.62	31,053.26	25,955.95	0.63	0.26	31,052.63	25,955.69	0.00	0.00	81,128.08	67,649.53
Unallocated revenue													361.01	723.54
Less: Inter segment revenue													1,076.64	1,066.60
Total Revenue													80,412.45	67,306.47
Results	6,289.66	4887.08	1,987.80	827.80	7,220.80	6,759.91	(-)0.45	(-)0.75	7,221.26	6,760.66	0.00	0.00	15,498.26	12,474.79
Unallocated Expenses													(-)2,731.12	(-)2,101.73
Profit/(Loss) Before Tax													12,767.14	10,373.06
Income Tax													3,218.86	3,808.60
Extraordinary Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Net Profit/(Loss)													9,548.28	6,564.46
Other Information :														
Segment Assets	352,717.99	310,082.90	384,649.62	337,050.50	282,218.77	252,894.05	6.65	7.16	282,212.13	252,886.89	0.00	0.00	1,019,586.38	900,027.45
Unallocated Assets													36,838.63	24,252.91
Total Assets													1,056,425.02	924,280.36
Segment Liabilities	331,339.32	287,690.56	369,036.17	322,846.21	259,782.48	227,748.20	7.10	7.89	259,775.38	227,740.31	0.00	0.00	960,157.97	838,284.97
Unallocated Liabilities													15,541.27	15,414.12
Total Liabilities													975,699.24	853,699.09

Note: Information in respect of Non-Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

Part B: Geographical Segment

Geographical Segments	Domestic		International		Total	
Particulars	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Revenue	70,374.04	58,324.94	10,038.41	8,981.53	80,412.45	67,306.47
Assets	891,676.36	790,560.15	164,748.65	133,720.20	1,056,425.01	924,280.35

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS-17.

I. Primary Segment: Business Segments

- a) **Treasury:** 'Treasury' segment includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations including Derivative contracts.
- b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all lending activities which are not included under Retail Banking.
- c) **Retail Banking:** Retail Banking segment comprises of Digital Banking and Other Retail Banking.

Digital Banking includes digital banking products acquired by DBUs.

Other Retail Banking includes all housing loan accounts and borrower accounts having exposure up to ₹ 7.50.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits and borrowings incurred by it.

Allocation of Costs:

- a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.
- b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

- a) Domestic Operations
- b) International Operations

D. AS-18 "Related Party Transactions" (Parent Bank):**Key Managerial Personnel:**

Managing Director & CEO: Shri Rajneesh Karnatak

Executive Directors: Shri P. R. Rajagopal
Shri M. Karthikeyan (superannuated on 31.03.2025)
Shri Subrat Kumar
Shri Rajiv Mishra

Remuneration paid :

(Amount in ₹)

Sr No	Name	Designation	2024-25	2023-24
1	Shri Rajneesh Karnatak	MD & CEO	52,69,865	33,70,597
2	Shri P. R. Rajagopal	Exe. Director	59,42,538	41,86,980
3	Shri Swarup Dasgupta	Exe. Director	0	30,29,208
4	Shri M. Karthikeyan	Exe. Director	49,17,186	33,34,464
5	Shri Subrat Kumar	Exe. Director	51,40,710	34,84,956
6	Shri Rajiv Mishra	Exe. Director	35,65,716	2,81,400

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship, including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed, since the disclosure would conflict with Parent Bank's duties of confidentiality.

- E. **Accounting Standard 19 – Leases (Parent Bank):** - Operating leases are cancellable at the option of the Parent Bank. The amount of lease expenses recognized in the Profit & Loss Account for such operating lease is ₹ 748.44 (Previous Year: ₹ 717.00).

F. AS20 "Earnings per Share" in ₹:

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1.	Basic EPS	20.97	15.48
2.	Diluted EPS	20.97	15.48

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

S.No.	Particulars	2024-25	2023-24
(A)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	9,548.28	6,564.46
(B)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	455.27	424.10
(C)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	20.97	15.48
(D)	Weighted Average number of Equity shares including dilutive potential equity shares (in crore)	455.27	424.10
(E)	Dilutive Earnings per share (A/D) (₹)	20.97	15.48
(F)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

G. AS-22 “Accounting for Taxes on Income”:

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Deferred Tax Assets		
On account of timing difference towards provisions	2,266.96	3,971.35
Others	936.55	570.92
Total Deferred Tax Assets	3,203.51	4,542.27
Deferred Tax Liabilities		
On account of depreciation on fixed assets	179.70	151.12
On account of depreciation on investment	0	0
On account of interest accrued but not due	957.68	831.51
Others	740.82	659.21
Total Deferred Tax Liabilities	1,878.20	1,641.84
Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)	1,325.31	2,900.43

H. Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations:

In consonance with the Government of India directives and as a part of strategic initiatives for rationalisation of Overseas Operations, in Financial year 2019-20, the Parent Bank has sold its overseas subsidiary i.e. Bank of India (Botswana) Ltd. for consideration of ₹ 14.64 and remaining cost of investment of ₹ 18.31 has been fully provided.

For the Financial year 2024-25, we confirm that there is no disinvestment of our overseas subsidiaries.

I. AS-27 “Financial Reporting of Interests in Joint Ventures”:

Investments include ₹ 98.17 (Previous year ₹98.17) representing Parent Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of incorporation	Holding %
1.	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.	98.17	India	27.48%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Liabilities		
Capital & Reserves	507.62	353.62
Deposits		-
Borrowings	34.35	-
Other Liabilities & Provisions	8,018.40	6,972.39
Total	8,560.37	7326.01
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	180.85	94.04

Particulars	31.03.2024	31.03.2023
Balances with Banks and Money at call and short notice		-
Investments	8,210.49	6939.28
Advances	24.86	12.54
Fixed Assets	25.61	19.52
Other Assets	118.56	260.63
Total	8,560.37	7326.01
Capital Commitments		-
Other Contingent Liabilities	36.61	39.26
Income		
Interest Earned	24.07	22.63
Other Income	70.87	57.83
Total	94.94	80.46
Expenditure		
Interest Expended	2.66	-
Operating Expenses	68.55	33.19
Provisions & Contingencies	1.17	(-)0.48
Total	72.38	32.71
Profit / (Loss)	22.56	47.75

J. AS-29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”: (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities

Particulars	Legal cases/contingencies*	
	31.03.2025	31.03.2024
Opening Balance	88.60	64.09
Provided during the year	27.23	26.74
Amounts used during the year	12.73	2.23
Closing Balance	103.10	88.60
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

*Excluding provisions for others

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

9. Other Notes:

- The investments of life insurance joint venture have been accounted for in accordance with the IRDAI guidelines instead of restating the same in accordance with the accounting policy followed by the Parent Bank. The investments of the insurance joint venture constitute approximately 3.06% (previous year 2.96%) of the total investments as on 31st March, 2025.

- b) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, permitted Banks to amortise the additional liability on account of revision in family pension over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. The Parent Bank recognised the additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 612.09 and has opted to amortise the said liability over a period not exceeding five years, beginning financial year ending March 31, 2022.

Accordingly, the Parent Bank has recognised ₹ 41.21 (Previous Year ₹ 142.42) as an expense in the Profit and Loss account, for the year ended March 31, 2025 towards the said additional liability and the unamortised amount of family pension liability as on the date is ₹ Nil (Previous Year ₹41.21).

- c) Pursuant to Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated April 7, 2025, the following Regional Rural Banks (RRBs), sponsored by Bank of India, have been amalgamated and the sponsor bank has been changed in respect of two RRBs with effect from May 1, 2025. The Parent Bank's investments in these RRBs are included in its financial statements as at March 31, 2025.

- (a) The details of amalgamation of RRBs, where the transferee RRBs are not sponsored by Bank of India are as below:

Sr. No.	Name of transferor RRBs	Sponsor Bank of transferor RRBs	New Name after Amalgamation of RRBs	Sponsor Bank of transferee RRBs
1	Vidharbha Konkan Gramin Bank	Bank of India	Maharashtra Gramin Bank	Bank of Maharashtra
	Maharashtra Gramin Bank	Bank of Maharashtra		
2	Aryavart Bank	Bank of India	Uttar Pradesh Gramin Bank	Bank of Baroda
	Baroda UP Gramin Bank	Bank of Baroda		

- (b) The details of amalgamation of RRBs, where the transferee RRB is sponsored by Bank of India are as below:

Sr. No.	Name of transferor RRBs	Sponsor Bank of transferor RRBs	New Name after Amalgamation of RRBs	Sponsor Bank of transferee RRBs
1	Madhyanchal Gramin Bank	State Bank of India	Madhya Pradesh Gramin Bank	Bank of India
	Madhya Pradesh Gramin Bank	Bank of India		

- d) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2025, the Parent Bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹ 3,033.86
- e) In terms of Parent Bank's approved revaluation policy, during the year ended March 31, 2025 the immovable properties are revalued based on the revaluation reports of the Parent Bank's approved valuers and the surplus arising from revaluation amounts to ₹1,580.24 has been added to "Revaluation Reserve".

f) Other Income / Expenditure exceeding 1% of total income (Parent Bank)

Other Income: Other Income includes below income exceeding 1% of the total income of the Parent Bank.

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Recovery in written off accounts	2,365.46	1467.04

- g) The Board of Directors of Parent Bank has recommended a dividend of ₹ 4.05 per equity share (i.e. 40.50%) for the year ended March 31, 2025 subject to requisite approvals.
- h) Previous Year's figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

बैंक ऑफ़ इंडिया सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया ('मूल बैंक') तथा इसकी अनुषंगियों, सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों (इसके बाद इसे संयुक्त रूप से 'समूह' कहा जायेगा) की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2025 को समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरणी तथा संबंधित वर्ष के अंत में नकद प्रवाह की समेकित विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए विवरणियाँ शामिल हैं:

- (i) मूल बैंक के लेखा परीक्षित विवरण
- (ii) संबंधित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 4 अनुषंगियों (घरेलू) और 5 सहायक कंपनियों (1 विदेशी और 4 घरेलू) और 1 संयुक्त उद्यम (घरेलू) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण; तथा
- (iii) 4 अनुषंगियों (विदेशी) और 1 सहायक कंपनी (घरेलू) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा / समीक्षा की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अनुषंगियों और सहयोगी कंपनियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर हमारे मत पर आधारित, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ('आरबीआई दिशानिर्देश') और समूह एवं उसके अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों के लिए आवश्यक तरीके से लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एकरूप हैं और निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं :

ए) यथा दिनांक 31 मार्च, 2025 को बैंक के समेकित तुलनपत्र एवं समूह, उसकी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों की परिस्थिति के संबंध में उचित एवं सही स्थिति।

बी) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाते के विवरण के संबंध में समूह और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों के लाभ का वास्तविक शेष; और

सी) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में समूह और उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाह का सही और उचित विवरण।

मत का आधार

2. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'लेखा-परीक्षा पर मानक' (एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह/बैंक, उसके अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम से स्वतंत्र हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, जिसमें समय-समय पर संशोधित आईसीएआई लेखांकन मानक शामिल हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे 'अन्य मामले' पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार, हमारी लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

3. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है,

जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी मानदंडों (आईआरएसी मानदंड) का अनुपालन। अग्रिम : बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के संबंध में हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है। अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वर्गीकरण के लिए खातों की पहचान करता है तथा प्रावधानीकरण करता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक के वित्तीय विवरणों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनपीए खातों की पहचान तथा वर्गीकरण के लिए आईआरएसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है। निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वर्गीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएसई/एनएसई, एफआईएमडीए/ एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के वित्तीय विवरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमशः 61.86% तथा 25.39%। चूँकि बैंक के कारोबार का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामकीय अनुपालन शामिल है, अतः हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों/परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। अग्रिम: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं: ए) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी मानदंडों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। बी) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना। सी) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं। डी) हमें आबंटित शाखाओं की, लेखा-परीक्षण के दौरान, हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। ई) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। निवेश: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: ए) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना। बी) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। सी) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यहास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। डी) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
2)	<u>अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन</u> आयकर मुकदमों सहित बैंक अनेक मुकदमों में शामिल है। जिनमें उन मुकदमों के खिलाफ विवादित दावे शामिल हैं, जो विभिन्न न्यायालयों/फोरम में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। बैंक के अप्रत्यक्ष कर के तहत कुछ भुगतानों पर इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता/रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की प्रयोज्यता के बारे में भी विवादित मामले हैं।	हमारे लेखा-परीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है: ए) मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। साथ ही प्रबंधन से 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष तक पूर्ण किए गए कर निर्धारणों और नवीनतम आदेशों, विभिन्न कर अधिकारियों से प्राप्त संचार और दायर अपीलों का विवरण प्राप्त किया। बी) कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं का मूल्यांकन करना। इसमें इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी मिसाल और अन्य फैसलों पर विचार करना शामिल है।
3)	<u>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन:</u> ए. संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरणी तैयार करना तथा विनियमकों को अनुपालन की रिपोर्ट देना आदि में आईटी कंट्रोल, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर बहुत अधिक निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियमकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है	हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है: ए) बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश तथा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हुए प्रमुख परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। बी) बैंक द्वारा नियुक्त विभिन्न आईएस लेखा परीक्षकों/परामर्शदाताओं की रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा आईआरएसी स्वचालन नियंत्रण सहित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की गई। सी) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई। डी) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाएं निष्पादित करने की आवश्यकता को पहचाना, हमने मैनुअल प्रतिपूरक नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे कि प्रणालियों और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य स्थापित करना या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, हमने अपने नमूना आकार को बढ़ाया।

अन्य मामले

4. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है :

- ए) ऐसी 4 अनुषंगी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 को रु. 148.37 करोड़ की कुल आस्तियां, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 92.57 करोड़ के कुल राजस्व तथा कर के बाद रु. 29.44 करोड़ का निवल लाभ तथा रु. 8.91 करोड़ का निवल नकदी बहिर्गमन दर्शाया गया है, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।
- बी) एक संयुक्त उद्यम (घरेलू) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 तक कुल परिसंपत्तियां रु. 8560.36 करोड़, कुल राजस्व रु. 94.93 करोड़ और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद कुल शुद्ध लाभ रु. 22.56 करोड़ तथा समेकित वित्तीय विवरणों में विचारित शुद्ध नकदी प्रवाह रु. 91.62 करोड़ दर्शाते हैं, का अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

सी) 5 सहयोगी कंपनियों (4 घरेलू और 1 विदेशी) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद समूह के शुद्ध लाभ में रु. 245.19 करोड़ का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, का अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों के विषय में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

एक विदेशी सहयोगी के संबंध में, वित्तीय सूचना उस देश में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है जिसमें वह स्थित है और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत लेखा परीक्षा की गई है जैसा कि यह उस देश में लागू होता है जिसमें यह स्थित है। मूल बैंक प्रबंधन ने ऐसे सहयोगी की वित्तीय जानकारी को आम तौर पर उस देश में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से परिवर्तित कर उसे भारत में

आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कर दिया है। जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी सहयोगी कंपनी की राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा तैयार रूपांतरण समायोजनों पर आधारित है।

5. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में गैर-लेखा परीक्षित/समीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय विवरण शामिल है:

ए) 4 अनुषंगियों (विदेशी) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2025 तक 5234.88 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति, 474.04 करोड़ रुपये का कुल राजस्व और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 90.68 करोड़ रुपये का कर के बाद कुल शुद्ध लाभ और समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए गए 137.22 करोड़ रुपये के शुद्ध नकदी प्रवाह को दर्शाते हैं, का किसी भी लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है।

बी) 1 अनुषंगी (घरेलू) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ में समूह के हिस्से को 10.14 करोड़ रुपये दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, किसी भी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

ये वित्तीय विवरण समीक्षित/अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें तथा मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता के संबंध में, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़े शामिल हैं, जिनका ऑडिट चार ऑडिट फर्मों के एक समूह द्वारा संयुक्त ऑडिटर के रूप में किया गया है, जिन्होंने 10 मई, 2024 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से अपरिवर्तित राय व्यक्त की है, और उन तीन ऑडिट फर्मों में से तीन निरंतर ऑडिट फर्म हैं। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए मूल बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारीयाँ समाविष्ट है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारीयाँ और बासेल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटन शामिल नहीं है तथा हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को प्रस्तुत नहीं करते हैं और न करेंगे। समेकित

वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारीयाँ का अध्ययन करना तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना कि अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरण या लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण गलत विवरण से वास्तव में असंगत है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है, तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम इस मामले को शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बताएं तथा लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत कार्यवाई निर्धारित करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन तथा जिन्हें प्रशासन का प्रभाव दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियाँ

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा बैंकों पर लागू निर्धारित लेखांकन मानकों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप समूह, इसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाह की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करता है। समूह में बैंक का संबंधित निदेशक मंडल, इसके सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम समूह, उसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों की आस्तियों का रक्षा करने तथा धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं से बचने एवं उनके पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने, तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन करने, तथा ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाने, लागू करने तथा उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गम्भीर गलत विवरण से मुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, समूह इकाइयों के संबंधित निदेशक मंडल बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता को निरंतरता की क्षमता, प्रकटन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों, जो भी लागू हो तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसे करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी है।

समूह में शामिल बैंकों, इसके सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम के संबंधित निदेशक मंडल, समूह, उसके सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी

नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में गलत विवरण यदि कोई हो, का हमेशा पता लगा लिया जाएगा। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इस के साथ ही हम:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों की प्रतिक्रिया स्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटिबश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण को अनदेखा करना शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों पर मूल बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो समूह, उसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के, कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने में बड़ा संदेह उत्पन्न करती हो। यदि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण ऐसा हो सकता है कि बैंक कार्यशील संस्था के रूप में जारी न रहे।
- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंतर्गत बैंक, उसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय जानकारी से संबंधित पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं।

हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल बैंकों के वित्तीय विवरण को लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

समेकित वित्तीय विवरण में शामिल अन्य कंपनियों के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा के लिए निर्देश, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम केवल अपनी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए उत्तरदायी हैं।

महत्व, वित्तीय विवरणों में विसंगतियों का परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए विसंगतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को प्रशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी को इस विवरण के साथ यह भी सूचित करते हैं कि हम निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों एवं अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन करते हैं।

प्रशासन को सूचित, संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण से लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं।

इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से ज्यादा ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;
10. उपरोक्त पैराग्राफ लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ (पैरा 8), प्रबंधन जिम्मेदारियाँ (पैरा 7) और अन्य मामले (पैरा 5) में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित, और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अनुषंगियों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने के बाद, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;
- बी) मूल बैंक के जो लेन-देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे मूल बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं और
- सी) मूल बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।
11. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 30(2) के प्रावधानों के तहत और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 के अनुसार, 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (SCAs) की नियुक्ति वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए (SCAs) के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं', को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाएं, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
- ए) हमारी राय में, मूल बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं;
- बी) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण, संबंधित खाता बहियों तथा हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं;
- सी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका समुचित ढंग से निपटान किया है;

- डी) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- ई) वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिनका मूल बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- एफ) चूंकि मूल बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता मूल बैंक पर लागू नहीं होती है।
- भारत में निगमित सीमा तक सरकारी कंपनी के अलावा अन्य सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च 2025 तक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- जी) खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- एच) आईसीएआई द्वारा जारी 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शिका' के पैरा 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

कृते एस. जयकिशन सनदी लेखाकार (एफआरएन: 309005ई) नेमाई गोराई भागीदार// आईसीएआई एम.सं. 057892 यूडीआईएन: 25057892बीएमएचवाईओजे8482	कृते ए. बाफना एवं कंपनी सनदी लेखाकार (एफआरएन: 003660सी) विवेक गुप्ता भागीदार// आईसीएआई एम.सं. 400543 यूडीआईएन: 25400543बीएमएलआईएफके1467
कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन: 000235एन/एन500089) आशीष अग्रवाल भागीदार// आईसीएआई एम.सं. 093790 यूडीआईएन: 25093790बीएमजेकेएलडब्ल्यू3416	कृते सारदा और पारीक एलएलपी सनदी लेखाकार (एफआरएन 109262डबल्यू/डबल्यू100673) गिरिराज सोनी भागीदार//आईसीएआई एम.सं. 109738 यूडीआईएन: 25109738बीएमएचडब्ल्यूएमजेड8097

स्थान : मुंबई
दिनांक : मई 9, 2025

Independent Auditors' Report

To

The Members of Bank of India

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of India ('the Holding Bank'), and its subsidiaries (collectively hereinafter referred to as "the Group"), associates and joint venture, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2025, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of:

- (i) Audited Financial Statements of the Holding Bank.
- (ii) Audited Financial Statements of 4 Subsidiaries (Domestic) and 5 Associates (1 Foreign & 4 Domestic) & 1 Joint-Venture (Domestic), audited by respective other auditors; and
- (iii) Un-audited financial statements of 4 Subsidiaries (Foreign) and 1 Associate (Domestic).

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on our consideration of the audit / review reports of other auditors on separate financial statements of the Subsidiaries, Joint Venture and Associates and the unaudited financial statements and other financial information of the Subsidiaries and Associate as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the Group and its associates & joint ventures and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give :

- a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group and its associates and joint ventures as at March 31, 2025;

- b) true balance of Profit of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and
- c) true and fair view of the cash flows of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group / Bank, its associates and joint venture in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the ICAI Accounting Standards, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics.

We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

Sr	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
1	<u>Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms)</u> <u>Advances:</u> Bank has to classify the accounts as performing advances or non-performing advances based on the guidelines/ circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Identification of performing and non-performing advances is system driven. The software used by the bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. The bank has implemented IRAC Automation software for identification and classifying of NPA accounts through the software. <u>Investments:</u> Bank has to classify the investments as performing or non-performing based on the guidelines/ circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non-performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA /FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. Advances and Investments constitute 61.86% and 25.39% respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances are involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Bank. Advances: Our audit procedure included: - Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances. - Testing on sample basis whether the classification of advances as performing or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. - Communication to the Statutory Branch Auditors (SBAs) to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and reliance on the audit reports furnished by the SBAs. - Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us. - Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. <u>Investments: Our audit procedure included:</u> - Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments. - Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. - Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines. - Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank.
2	<u>Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities</u> The Bank has various litigations including Income-tax litigations, involving disputed claims against those litigations, which are pending at various courts / forums and are at various stages in the judicial process. Bank has also disputes regarding availability of input credits / applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Tax.	<u>Our audit procedure included:</u> - Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Also obtained details of completed tax assessments and latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed till the year ended March 31, 2025, from the management. - Evaluating the management's underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. This includes considering the legal precedence and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax positions.

Sr	Key Audit Matters	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters
3	<u>Assessment of Information Technology (IT):</u> a. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems. We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	<u>Our audit procedure included:</u> a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. b) Reviewed the Reports of various IS Auditors / Consultants appointed by the Bank and discussed with IT Department on compliance with key IT controls, including IRAC Automation Controls. c) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. d) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence.

Other Matter

4. The accompanying Consolidated Financial Statements include the audited financial statements and other financial information in respect of:

- The financial statements of 4 Subsidiaries (Domestic) whose financial statements reflect total assets of Rs.148.37 Crores as at March 31, 2025, total revenues of Rs. 92.57 Crores and total net profit after tax of Rs. 29.44 Crores for the year ended on that date, and net cash flows of Rs. 8.91 Crores as considered in the Consolidated Financial Statements, have been audited by other auditors.
- The financial statements of 1 Joint-Venture (Domestic) whose financial statements reflect total assets of Rs. 8560.36 Crores as at March 31, 2025, total revenues of Rs. 94.93 Crores and total net profit after tax of Rs. 22.56 Crores for the year ended on that date, and net cash flows of Rs. 91.62 Crores, as considered in the Consolidated Financial Statements, have been audited by other auditors.
- The financial statements of 5 Associates (4 Domestic & 1 Foreign) whose financial statements include Group's share of net profit after tax of Rs. 245.19 Crores for the year ended March 31, 2025, as considered in the Consolidated Financial Statements, have been audited by other auditors.

The independent auditor's reports on the financial statements of these entities have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint venture and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

In respect of one foreign associate, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the country in which it is situated and has been audited by the other auditors under generally accepted auditing standards as applicable in the country in which it is situated. The Holding Bank management has

converted the financial information of such associate from accounting principles generally accepted in the country in which it is situated to accounting principles generally accepted in India. Our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures of such associate located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Holding Bank.

5. The accompanying Consolidated Financial Statements includes the unaudited financial statements and other financial information in respect of:

- The financial statements of 4 Subsidiaries (Foreign), whose financial statements reflect total assets of Rs. 5234.88 Crores as at March 31, 2025, total revenues of Rs. 474.04 Crores and total net profit after tax of Rs. 90.68 Crores for the year ended on that date, and net cash flows of Rs. 137.22 Crores as considered in the Consolidated Financial Statements, have not been audited by any auditors.
- The financial statements of 1 Associate (Domestic) whose financial statements reflect Group's share of net profit after tax of Rs.10.14 Crores for the year ended as on March 31, 2025, as considered in the Consolidated Financial Statements have not been audited by any auditor

These financial statements are reviewed / unaudited and have been furnished to us by Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the unaudited financial information as certified by the Holding Bank's management.

The accompanying Consolidated Financial Statements includes comparative figures for the year ended March 31, 2024, which have been audited by an earlier set of four audit firms as joint auditors, who have expressed unmodified opinion vide their audit report dated May 10, 2024, and three of those three audit firms is a continuing audit firm. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors Report thereon

6. The Holding Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the Other Information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement (including annexures in the Annual Report) but does not include the Consolidated Financial Statements and our Auditor's report thereon, which is expected to be made available for us after the date of this Auditors' Report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements. or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Holding Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group, its associates and Joint venture in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the entities within the Group, its associates and Joint venture are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group, its associates and Joint venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Group Entities are responsible for assessing the ability of the Group, its associates and Joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entity included in the Group, its associates and Joint venture are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group, its associates and Joint venture financial reporting processes.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of Holding Bank's internal controls on the Consolidated Financial Statements.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's, its associates and Joint venture ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit

evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and joint venture to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities within the Group, its associates and Joint venture to express an opinion on the Consolidated Financial Statements.

We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors.

For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by the other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the Consolidated Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs Auditor's Responsibilities (para 8), Management Responsibilities (para 7) and Other matters (para 5) above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, associates and joint ventures, as noted in the 'other matter' paragraph, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Holding Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Holding Bank and
- c) The returns received from the offices and branches of the Holding Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. As required under the provisions of Section 30(2) of the Banking Regulation Act 1949 and by the RBI letter No. DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, We further report that:

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Holding Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.
- e) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Holding Bank.
- f) As the Holding Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Holding Bank.

On the basis of the reports of the statutory auditors of subsidiaries, associate and joint ventures companies

other than Government Company to the extent incorporated in India, none of the directors of the subsidiaries, associates & joint ventures companies incorporated in India is disqualified as on March 31, 2025 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013

- g) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

- h) As per par 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of Public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated Financial Statements.

For S. Jaykishan Chartered Accountants (FRN: 309005E) Nemai Gorai Partner // ICAI M. No. 057892 UDIN: 25057892BMHYOJ8482	For A. Bafna & Co. Chartered Accountants (FRN: 003660C) Vivek Gupta Partner // ICAI M. No. 400543 UDIN: 25400543BMLIFK1467
For SCV & Co. LLP Chartered Accountants (FRN:000235N / N500089) Ashish Agarwal Partner // ICAI M. No. 093790 UDIN: 25093790BMJKLW3416	For SARDA & PAREEK LLP Chartered Accountants (FRN:109262W/W100673) Giriraj Soni Partner // ICAI M. No. 109738 UDIN: 25109738BMHWMZ8097

Place: Mumbai

Date: May 9, 2025

बासेल-III (स्तंभ 3) प्रकटन

बासेल III पूंजी विनियम पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार, बैंकों को बासेल III पूंजी आवश्यकताओं के अंतर्गत स्तंभ 3 प्रकटन अपेक्षित है।

उक्त प्रकटन बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

<https://www.bankofindia.co.in/basel-iii-disclosures>

BASEL-III (PILLAR 3) DISCLOSURES

In accordance with Reserve Bank of India's Master Circular on Basel III Capital Regulations, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III Capital requirements.

The said disclosures are available on Bank's website www.bankofindia.co.in under the following link:

<https://www.bankofindia.co.in/basel-iii-disclosures>

बैंक ऑफ़ इंडिया

Bank of India

BOI



प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051

Head Office : Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के शेयरधारकों की 29वीं (उनतीसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम), शुक्रवार, 27 जून, 2025 को प्रातः 11.00 बजे से प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई (बैठक का मानित स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के द्वारा निम्नलिखित कारोबार संपादित करने हेतु आयोजित की जाएगी।

साधारण कारोबार:

मद संख्या 1:

यथा 31 मार्च 2025 के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि खाता, तुलन पत्र और उपर्युक्त अवधि के लिए कवर किये गए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट जिसमें तुलन पत्र और खातों के संबंध में खातों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कवर की गई है, पर चर्चा करना, अनुमोदित करना और स्वीकार करना।

मद संख्या 2:

वर्ष 2024-25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर @4.05 रुपये (40.50%) की दर से लाभांश घोषित करना।

मद संख्या 3:

मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिस करने वाली कंपनी के सचिव को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक पांच वर्ष की निरंतर अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करना।

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा,
ह/-

दिनांक: 31.05.2025

(रजनीश कर्नाटक)

स्थान: मुंबई

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नोट्स :-

1. बैठक की मद संख्या 3 से कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देने वाली व्याख्यात्मक विवरणी इसके साथ संलग्न है।
2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से, जिसमें 05 मई 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 और परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 शामिल हैं, ने कंपनियों को 30 सितंबर 2025 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। उसी के मद्देनजर, बैंक की 29वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अतः शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। बैंक के प्रधान कार्यालय को एजीएम स्थल माना जाएगा। बैंक ने एजीएम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए अटेंडेंट एनबलर्स हैं। रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम में मतदान से संबंधित विस्तृत निर्देश यहां अलग से दिए गए हैं।

NOTICE

Notice is hereby given that the **29th (Twenty Ninth) Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of Bank of India (Bank) will be held on **Friday, June 27, 2025 at 11.00 AM** at Head Office, Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1:

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2025, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2025, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2:

To declare dividend for the year 2024-25 @ Rs.4.05 (40.50%) per equity share.

Item No. 3:

To appoint M/s. Sawant & Associates, Practising Company Secretary, as Secretarial Auditor of the Bank for a continuous period of five years from FY 2025-26 to FY 2029-30.

By order of Board of Directors,

Sd/-

Date: 31.05.2025

Place: Mumbai

(Rajneesh Karnatak)

Managing Director & CEO

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No.3 of the meeting is annexed hereto.
2. Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024 has permitted companies to hold the AGM through Video Conference (VC) / Other Audio Video Means (OAVM) by 30th September 2025. In view of the same, the 29th AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. Hence, Shareholders can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of the Bank shall be deemed to be the venue of the AGM. The Bank has appointed NSDL to provide Video Conferencing facility for the AGM and the attendant enablers for conducting the AGM through VC/OAVM. The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.

3. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा कम से कम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े सदस्य (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले सदस्य), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
4. **परोक्षी की नियुक्ति:**
लागू प्रावधानों के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र हैं। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के परिपत्रकों के अनुसार चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
5. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**
संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या शासकीय निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्राधिकार देने/संकल्प को दिनांक 20 जून 2025 तक या उसके पहले ई-मेल द्वारा headoffice.share@bankofindia.co.in पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्कूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net पर तथा एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजी जाएगी।
6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।
7. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 36 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ एजीएम की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सटीक पथ सहित वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, जहाँ वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है। शेयरधारक ध्यान दें कि बैंक की एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।
8. **वार्षिक रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक आम बैठक का नोटिस प्राप्त करने हेतु ईमेल आईडी पंजीकृत करने तथा लाभांश के भुगतान हेतु बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करने हेतु प्रक्रिया:**
भौतिकरूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु: भौतिकरूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारक (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है), वे बैंक के आरटीए के पास आईएसआर-1 फॉर्म की विधिवत् भरी हुई भौतिक प्रति बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि., नंबर एस6-2, 6वां ताल, पिन्नेकल बिज़नेस पार्क, आहुरा सेंटर से अगला, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व मुंबई -400093 को प्रेषित करके या info@bigshareonline.com को ईमेल प्रेषित करके अपनी ईमेल आईडी का पंजीकरण और बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करवा सकते हैं।

3. The Members can join the AGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the notice. The facility of participation at the AGM through VC / OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Members (Members holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairperson of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc., who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

4. APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars, through VC / OAVM, physical attendance of Shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Shareholders will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

5. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:

Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank on or before 20th June 2025 by email to headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to evoting@nsdl.co.in.

6. The attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007.
7. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and Regulation 36 of SEBI (LODR) Regulations, Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 is being sent through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. A letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report is available will be sent to those shareholders who have not registered their email address. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2024-25 of the Bank will also be available on the Bank's website www.bankofindia.co.in, websites of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd., at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

8. Process to register the email id for receiving Bank's AGM Notice and Annual Report and updation of Bank account details for payment of dividend:

For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending the physical copy of duly filled in **ISR-1** Form to Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093 or by sending email at info@bigshareonline.com.

डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु: अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले वे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी/ बैंक खाता पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि कृपया डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी में अपना ई-मेल पता, मोबाईल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अद्यतन करवाएँ।

9. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए रूट मैप इस नोटिस में संलग्न नहीं है।

10. लाभांश हेतु रिकॉर्ड तिथि:

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु शेयर धारकों के लिए लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार, 20 जून, 2025 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।

11. लाभांश का भुगतान: बैंक के निदेशक मंडल ने 09 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु पूर्ण रूप से प्रदत्त रु. 10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए रु. 4.50 (40.50%) लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित लाभांश यदि बैंक की 29वीं एजीएम में अनुमोदित होता है तो स्रोत पर कर की कटौती की शर्त के अधीन उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार प्रदर्शित होते हैं:

क. 20 जून, 2025 को कारोबार समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी (अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में लाभार्थी स्वामी के रूप में और;

ख. रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज सभी अनुरोधों का वैध प्रेषण तथा प्रतिस्थापन प्रभावी होने के बाद 20 जून, 2025 को या उससे पहले बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज

ग. 29वीं एजीएम में लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश पात्र शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा।

12. लाभांश पर टीडीएस:

क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों को प्राप्त होने पर लाभांश आय कर योग्य है जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है, और बैंक द्वारा शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती किया जाना अपेक्षित है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के संबंध में शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसमें हुए संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अपने पैर को अपडेट करें।

ख) एक निवासी शेयरधारक जिसके पास पैर है और जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर में कटौती न करने का लाभ उठाने के लिए फॉर्म सं. 15 जी/15 एच में आरटीए को ईमेल द्वारा वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से यह नोट करने हेतु अनुरोध है कि यदि उनका पैर पंजीकृत नहीं है तो आयकर 20% की उच्च दर पर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास के देश के बीच कर संधि के अंतर्गत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि अपेक्षित दस्तावेज tds@bigshareonline.com आरटीए को एक ईमेल भेजकर उपलब्ध करवाएँ अर्थात् गैर-स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व की घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉर्म 10एफ, कोई भी अन्य दस्तावेज जो कर संधि के लाभ उठाने के लिए आवश्यक हों।

For Shareholders holding shares in Demat form: Shareholders holding shares in dematerialised mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register / update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depository Participants.

9. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

10. **Record Date for Dividend:**

Friday, 20th June, 2025 has been fixed as Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of Shareholders for dividend for the financial year ended 31st March, 2025.

11. **Payment of Dividend:**

The Board of Directors of the Bank at their meeting held on 9th May, 2025 has recommended dividend @ Rs.4.05 (40.50%) per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March, 2025. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 29th AGM of the Bank will be paid to those shareholders, subject to deduction of tax at source, whose names appear:

a) As Beneficial Owners at the end of the business hours on 20th June, 2025 as per the list to be furnished by the Depositories (i.e NSDL and CDSL) in respect of shares held in electronic form and;

b) As Shareholders in the Register of Shareholders of the Bank after giving effect to all valid transmission and transposition requests lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank on or before 20th June, 2025.

c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of declaration of Dividend at the 29th AGM.

12. **TDS on Dividend:**

a) Pursuant to provisions of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

b) A residential shareholder with PAN and who is not liable to pay tax can submit a yearly declaration in Form No. 15 G/ 15 H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to RTA. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing the necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to RTA at tds@bigshareonline.com.

- ग) शेयरधारकों को घोषणाएँ और दस्तावेज़ 20 जून, 2025 को या उससे पहले tds@bigshareonline.com पर मेल के ज़रिए जमा करने होंगे, ताकि बैंक लाभांश राशि पर टीडीएस/ कर की दर पर रोक निर्धारित कर सके। 20 जून, 2025 के बाद बैंक द्वारा कर की दर, कर कटौती/ निर्धारण पर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
13. सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार, यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही अंतरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु बैंक या बैंक के रजिस्ट्रारों, अंतरण एजेंटों एवं बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।
14. संयुक्त धारकों के मामले में, वे शेयरधारक जिनका नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वार्षिक आम बैठक में वोट देने के हकदार होंगे।
15. शेयरधारकों को खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए और जो एजीएम में खुद को स्पीकर के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 20 जून, 2025 को या उससे पहले headoffice.share@bankofindia.co.in पर ईमेल के माध्यम से बैंक को लिखें। उक्त के संबंध में एजीएम में बैंक द्वारा यथोचित उत्तर दिया जाएगा। बैंक द्वारा एजीएम में उचित तरीके से उत्तर दिया जाएगा। केवल वे शेयरधारक जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पहले से पंजीकृत किया है, उन्हें एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
16. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड ("आईईपीएफ") में अंतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में अंतरित किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर कम्पनी से अपने लाभांश का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएलएफ प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश, कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट तथा बैंक की वेबसाइट <https://bankofindia.co.in> पर निवेशक पृष्ठ के प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।
17. **पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड:**
सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक/बैंक के आरटीए को अनिवार्य रूप से वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए नामांकन विवरण प्रस्तुत करना होगा।
उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, भौतिक शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए फॉर्म में बैंक/आरटीए को वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत प्रस्तुत करें:
- c) The aforesaid declarations and documents are required to be submitted by the shareholders through mail to tds@bigshareonline.com on or before 20th June, 2025 to enable the Bank to determine the TDS / withholding tax rate on the dividend amount. No communication on the tax rate, tax deduction / determination shall be entertained by the Bank after 20th June, 2025.
13. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listing companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, Shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Shareholders can contact the Bank or Bank's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Pvt. Ltd., for assistance in this regard.
14. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.
15. Shareholders seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM and who wants to register themselves as Speakers at the AGM are requested to pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/folio number, PAN and mobile number to the Bank on or before **June 20, 2025** through email on headoffice.share@bankofindia.co.in. The same will be replied by the Bank suitably at the AGM. Only those Shareholders who have pre-registered themselves as a speaker will be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.
16. Shareholders are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). In view of this, Shareholders are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank's website <https://bankofindia.co.in>.
17. **Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:**
As per SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank / RTA of the Bank.
Pursuant to above mentioned SEBI circular, all the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank / RTA:

क्रम सं.	रूप	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए
2	फॉर्म आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करना
3	फॉर्म आईएसआर-3	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र
4	फॉर्म एसएच-13	नामांकन फार्म
5	फॉर्म एसएच-14	नामांकन रद्द करना या उसमें परिवर्तन (यदि कोई हो)

उपर्युक्त सभी फॉर्म (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14) और उक्त सेवा परिपत्र हमारी वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/format_for_Boi_shareholders पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म को सहायक दस्तावेजों के साथ बैंक के आरटीए को बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नंबर एस 6-2, छठी मंजिल, पिनकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली गुफा रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093 में जमा करें।

सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से निम्नलिखित प्रावधान को समाप्त कर दिया है -

- उन फोलियो को फ्रीज करना जहां अनिवार्य विवरण जैसे पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी को फोलियो का संदर्भ लेना।

18. ई-वोटिंग

बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को प्रसन्नता हो रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मद्दों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकें। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान करेगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के दौरान अपने वोट नहीं डाले हैं। बैंक ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स एसएन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा **शुक्रवार, 20 जून, 2025** को रखे गए इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी, जो इस उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

19. ई-वोटिंग निर्देश

ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 24 जून, 2025 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होकर 26 जून, 2025 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। शेयरधारक, जिनके नाम निर्दिष्ट तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 20 जून, 2025 को शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 जून, 2025 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे मतदान करूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में “दोचरण” शामिल हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

Sl. No.	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register / update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or variation of Nomination (if any)

All above Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14) and the said SEBI circular are available on our website at https://www.bankofindia.co.in/format_for_Boi_shareholders.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093.

SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/181 dated 17.11.2023 has done away with the provision of –

- Freezing of folio where mandatory details viz., PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details are not available.
- Referral of folios by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and /or Prevention of Money Laundering Act, 2002

18. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N Ananthasubramanian & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Friday, June 20, 2025** being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

19. E-VOTING INSTRUCTIONS

THE INTRUCTIONS TO SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:

The remote e-voting period begins on June 24, 2025 at 09:00 A.M. and ends on June, 26, 2025 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Shareholders, whose names appear in the Register of Shareholders / Beneficial Owners as on the Specified date (cut-off date) i.e. June 20, 2025 may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being June 20, 2025.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम को एक्सेस करना

ए) डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुड़ने की लॉगइन प्रक्रिया

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में, एकल शेयरधारकों जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ हैं उन्हें अपने डीमैट खाता जो डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में है, के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयर धारकों की सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	1. OTP आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना 8 अंकों का DP ID, 8 अंकों का क्लाइंट ID, PAN नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और OTP जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको NSDL डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. मौजूदा IDeAS यूजर निजी कम्प्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर विजिट कर सकते हैं। ई-सर्विस होमपेज पर “Beneficial Owner” आइकन के अंतर्गत “Login” पर क्लिक करें, जो IDeAS खंड के अंतर्गत उपलब्ध है, और अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालने के लिए सूचित करेगा। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप वैल्यू एडेड सर्विसेज के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेज देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसेज के अंतर्गत ‘Access to e-Voting’ पर क्लिक कर आप ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुँच जाएँगे। 3. यदि यूजर IDeAS ई-सर्विसेज हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “Register Online for IDeAS Portal” का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। किसी निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 3. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS Portal” or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 4. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com either on a Personal Computer

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
	लॉन्च हो जाने के बाद, 'Shareholder/Member' खंड में उपलब्ध 'Login' आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूजर आईडी (एनएसडीएल में आपकी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सत्यापन कोड डालें। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉ जितरी साइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दोबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुँच जाएँगे। 4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "NSDL Speede" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on  App Store  Google Play  
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारक	1) प्रयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल Easi / Easiest facility का चयन किया है, अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अधिप्रमाणन के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest पर लॉग-इन करने वाले प्रयोगकर्ता www.cdslindia.com वेबसाइट पर जाएँ और लॉग-इन आइकॉन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद अपना मौजूदा my easi यूजर नाम एवं पासवर्ड का चयन करें। 2) सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद Easi / Easiest प्रयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पात्र कम्पनियों जहाँ ई-वोटिंग चल रही है, हेतु ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएँगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, प्रयोगकर्ता बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक से जुड़ने एवं मतदान करने या रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने हेतु ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख पाने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम के एक्सेस के लिए भी लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि प्रयोगकर्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर सीधे जा सके। 3) यदि प्रयोगकर्ता का Easi/Easiest हेतु पंजीकरण नहीं है, तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है तथा लॉगइन पर क्लिक करें एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।

Type of shareholders	Login Method
	or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. NSDL Mobile App is available on  App Store  Google Play  
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
	4) इसके अलावा, यूजर www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध एक ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या तथा पैन नम्बर उपलब्ध करा कर भी ई-वोटिंग पेज पर सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर यूजर को अधिप्रमाणित करेगा। सफल अधिप्रमाणन के बाद, यूजर ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहां ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तथा साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस भी कर सकेगा।
एकल शेयरधारक (डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले) अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत निक्षेपागार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशल का प्रयोग कर भी लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंचेंगे, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक कर आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुंचेंगे।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प फॉरगॉट यूजर आईडी तथा फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करें।

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु डिपॉजिटरी अर्थात सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

लॉगइन का प्रकार	हेल्पडेस्क का विवरण
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर या 022 - 4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री सं 1800 22 55 33 पर कॉल करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।

(बी) डीमैट स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों तथा भौतिक स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग हेतु लॉगइन की विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल (NSDL) की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से वेब ब्राउज़र को खोलें; URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>, इसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से खोल सकते हैं।
2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने पर 'Shareholder/Member' खंड में जाएँ एवं "Login" आइकॉन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

Type of shareholders	Login Method
	4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज अर्थात् आईडीईएस (IDEAS) पर पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस (IDEAS) लॉगिन के माध्यम से <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल के माध्यम से एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज पर लॉग-इन करने के पश्चात आप ई-वोटिंग पर क्लिक करके दूसरे चरण में ईलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।

4. आपके यूजर आईडी विवरण नीचे दिये गए हैं:

शेयर धारण प्रणाली अर्थात् डीमैट(एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा भौतिक रूप से	आपकी यूजर आईडी:
क. एनएसडीएल में डीमैट खाते में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	8 अक्षरों की डीपी आईडी तदपश्चात 8 अंकों की ग्राहक आईडी उदाहरण के तौर पर यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** तथा ग्राहक आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** है।
ख. सीडीएसएल में डीमैट खाते में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	16 अंकों की बेनीफिशियरी आईडी उदाहरण तथा यदि आपकी बेनीफिशियरी आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी 12***** है।
ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु	EVEN संख्या तदपश्चात कंपनी की रजिस्टर्ड फोलियो संख्या उदाहरण के तौर पर यदि फोलियो संख्या 001*** एवं EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

5. एकल शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयर धारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:

- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग हेतु पंजीकृत हैं तो आप लॉगिन करने और वोट देने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको पूर्व में प्राप्त 'initial password' को पुनः प्राप्त करना होगा। अपने 'initial password' को पुनः प्राप्त करने के पश्चात् आपको 'initial password' प्रविष्ट करना होगा और सिस्टम आपको पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।
- ग) 'इनिशियल पासवर्ड' को पुनः प्राप्त कैसे करें?
- (i) यदि आपकी ईमेल आईडी डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है तो आपका 'इनिशियल पासवर्ड' आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अपनी ईमेल आईडी में एनएसडीएल द्वारा प्राप्त मेल को खोजें। ईमेल एवं उसमें प्राप्त संलग्नक को खोलें जो कि एक पीडीएफ फ़ाइल है। पीडीएफ फ़ाइल को खोलें। पीडीएफ फ़ाइल को खोलने हेतु पासवर्ड आपके एनएसडीएल (NSDL) खाते 8 अंकों की पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फ़ाइल में आपकी 'User ID' और आपका 'initial password' होता है।
- (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***.

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password', which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
- (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.

6. यदि आप "Initial password" को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अभी तक "Initial password" प्राप्त नहीं किया है या पासवर्ड भूल गए हैं तो:
 - क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "**Forgot User Details/Password?**" पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं)।
 - ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "**Forgot User Details/Password?**" (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं)
 - ग) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
 - घ. शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "Terms and Conditions" पर टिक करें।
8. अब, आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में किस प्रकार शामिल हों?

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों "ईवीईएन (EVEN)" को देख पाएंगे जिनमें आप शेयर रख रहे हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी के "ईवीईएन (EVEN)" का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "Join Meeting" के तहत उपलब्ध विकल्प "VC / OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्पों अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और "Submit" पर क्लिक करें, संकेत दिए जाने पर "Confirm" करें।
5. पुष्टि होने पर, संदेश "Vote Cast Successfully" प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "**Forgot User Details/Password?**" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) **Physical User Reset Password?** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting System.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

शेयरधारकों हेतु सामान्य दिशानिर्देश

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) द्वारा संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन प्रति (पीडीएफ / जेपीजी फॉर्मेट) स्क्रीनिंगर पर ईमेल scrutinizer@snaco.net के माध्यम से तथा evoting@nsdl.co.in को कॉपी में रखकर मतदान करने के लिए अधिकृत विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजना आवश्यक है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपना बोर्ड संकल्प/ मुख्तारनामा / प्राधिकरण पत्र आदि उनके लॉगिन में "e-Voting" टैब के अंतर्गत दर्शाए गए "Upload Board Resolution / Authority Letter" पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं।
- दृढ़ता से अनुशासना की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प का प्रयोग करना होगा।
- कोई भी शंका होने पर, आप शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी आईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं:

- भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वतःसत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वतःसत्यापित सत्यापित प्रति) को Headoffice.share@bankofindia.co.in पर ई-मेल या <http://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx> लिंक पर क्लिक कर के आरटीए को प्रेषित करें।
- यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया Headoffice.share@bankofindia.co.in पर अथवा <https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx> लिंक पर क्लिक करके आरटीए को डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूति धरण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आपसे अनुरोध है कि **चरण 1(ए) में बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें अर्थात् डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुड़ने की लॉगइन प्रक्रिया**
- वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ evoting@nsdl.co.in को उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।
- सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

General Guidelines for shareholders

- Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution / Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request to at evoting@nsdl.co.in

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to the RTA by clicking the link at <https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx>.
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to the RTA by clicking the link at <https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx>. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**
- Alternatively shareholder/ may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
- In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा किसी कारणवश ऐसा करने से नहीं रोका गया है, वे ईजीएम/एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
3. जिन लोगों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे ईजीएम / एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम/एजीएम में मतदान करने के योग्य नहीं होंगे।
4. ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंचने के लिए ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के विपरीत "Join Meeting" मेनू के तहत रखे गए "वीसी / ओएवीएम" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य बैठक में शामिल होने वाले मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अलावा शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ कैमरा और इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागियों या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप के माध्यम से उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 3

मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीओपी संख्या 16317) को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक, पांच साल की निरंतर अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना।

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार, भारत में निगमित प्रत्येक सूचीबद्ध संस्था और उसकी महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कंपनियों को एक सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा करानी है और सूचीबद्ध संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के साथ निर्दिष्ट प्रश्नों में सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट संलग्न करनी है।

THE INSTRUCTIONS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE EGM/AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM/AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the EGM/AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM/AGM.
3. Who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM/AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM/AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE EGM/AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM/ AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of "VC/OAVM" placed under **"Join meeting"** menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/ Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 3

To appoint M/s. Sawant & Associates, Practising Company Secretary (COP No 16317), as Secretarial Auditor of the Bank for a continuous period of five years from FY 2025-26 to FY 2029-30.

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (LODR) Regulations, 2015, every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India shall undertake Secretarial Audit by a Secretarial Auditor and shall annex a Secretarial Auditor Report in such forms as specified, with the annual report of the listed entity.

निदेशक मंडल की संस्तुतिके आधार पर, एक सूचीबद्ध इकाई (i) किसी व्यक्ति को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त या पुनर्नियुक्त करे, जो लगातार पांच वर्षों की एकमुश्तअवधि से अधिक न हो; या

(ii) किसी सचिवीय लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्तिसचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में लगातार पांच वर्षों की दो अवधियों से अधिक न हो।

मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, को निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करनेके बाद रु. 80,000 + जीएसटी के वार्षिक शुल्क पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

सुश्री प्राची प्रकाश सावंत एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं और सावंत एंड एसोसिएट्स की संस्थापक हैं, उनके पास 9 साल से अधिक का अनुभव है। उन्हें कॉर्पोरेट कानून, सचिवीय लेखापरीक्षण और विनियामकीय अनुपालन में विशेषज्ञता प्राप्त है। उनकी फर्म कई क्षेत्रों में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों को परामर्श देती है।

बैंक के अनुरोध पर, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति के बाद चार साल की अतिरिक्त अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसमें दूसरे वर्ष से शुल्क में 10% की एकमुश्त वृद्धि शामिल है।

बैंक के निदेशक मंडल ने 30.05.2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स सावंत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 5 साल की लगातार अवधि के लिए ऊपर उल्लिखित शुल्क के अनुसार नियुक्त करने की संस्तुति की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

बैंक के किसी भी निदेशक, प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त प्रस्ताव में हित रखने वाला या संबंधित नहीं माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से,

ह/-

रजनीश कर्नाटक

प्रबंध निदेशक और सीईओ

तिथि: मई 31, 2025

स्थान: मुंबई

On the basis of recommendation of Board of Directors, a listed entity shall appoint or re-appoint (i) an individual as Secretarial Auditor for not more than one term of five consecutive years; or

(ii) a Secretarial Audit firm as Secretarial Auditor for not more than two terms of five consecutive years.

M/s. Sawant & Associates, practising Company Secretary, was appointed as Secretarial Auditor of the Bank for a period of 3 years from FY 2023-24 to FY 2025-26 at an annual fees of Rs.80,000 + GST, after following tender process. Brief profile of M/s. Sawant & Associates is as under:

Ms. Prachi Prakash Sawant is a Practising Company Secretary and founder of Sawant & Associates, with over 9 years of experience. She specializes in corporate laws, secretarial audits, and regulatory compliance. Her firm advises listed and unlisted companies across wide range of sectors.

Based on request of the Bank, they have consented to act as Secretarial Auditor for an additional period of four years after expiry of existing terms in FY 2025-26 with onetime increase in fees of 10% from the second year onwards.

Board of Directors of the Bank in their meeting held on 30.05.2025 have recommended appointment of M/s. Sawant & Associates, Practising Company Secretary, as Secretarial Auditor of the Bank for a consecutive period of 5 years from FY 2025-26 to FY 2029-30 as per the fees mentioned above, subject to approval of the shareholders in the ensuing AGM.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of Board of Directors,

Sd/-

(Rajneesh Karnatak)

Managing Director & CEO

Date: May 31, 2025

Place: Mumbai

हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संसूचनाएं प्राप्त करने के लिए डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे : अपने डीमैट खाते के लिए एक ईमेल आईडी पंजीकृत करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे : इस संसूचना के छिद्रित भाग को भरकर और हस्ताक्षर करके अपनी सहमति हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को उनके निम्न पते पर भेजें :

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.

यूनिट : बैंक ऑफ इंडिया,

ऑफिस नं.एस6-2, 6ठी मंजिल, पिनैकल बिज़नस पार्क,

अहुरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड,

अंधेरी पूर्व, मुंबई 400093.

ई मेल आईडी: investor@bigshareonline.com

टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001

बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.

यूनिट : बैंक ऑफ इंडिया,

ऑफिस नं.एस6-2, 6वीं मंजिल, पिनैकल बिज़नस पार्क,

अहुरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400093.

ई मेल आईडी: investor@bigshareonline.com

महोदय

मैं/हम _____ भौतिक रूप में बैंक ऑफ इंडिया के _____ शेयर रखते हैं और बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट शासन के तहत हरित पहल के एक भाग के रूप में, यहां नीचे दी गई हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया से सभी संसूचनाएं प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

फोलियो नंबर : _____

ई मेल आईडी : _____ @

मोबाइल नं. : _____

मैं/ हम यह भी वचन देते हैं कि मेरे ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त सूचना को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की उचित, कानूनी और पर्याप्त डिलीवरी के रूप में माना जाएगा। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि हम बैंक ऑफ इंडिया, उसके किसी भी कर्मचारी, रजिस्ट्रार या उसके कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, यदि किसी तकनीकी/अन्य विफलताओं के कारण मेरे/हमारे ईमेल आईडी पर सूचना ठीक से प्राप्त नहीं होती है।

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER
COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to:
Register an email ID to their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Bigshare Services Pvt. Ltd.

Unit : Bank of India,

Office No.S6-2, 6" Floor, Pinnacle Businesss Park,

Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,

Andheri East, Mumbai 400093.

E-mail ID: investor@bigshareonline.com

Toll Free No: 1800 309 4001

GREEN INITIATIVE OF BANK OF INDIA

Date :

Bigshare Services Pvt. Ltd.

Unit : Bank of India,

Office No.S6-2, 6" Floor, Pinnacle Businesss Park,

Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,

Andheri East, Mumbai 400093.

E-mail ID: investor@bigshareonline.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of India.

Folio Number: _____

Email ID : _____ @

Mobile No. : _____

I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

Signature of the First/Sole Shareholder

[illegible]



हमारा दृष्टिकोण

“जिम्मेदार और प्रासंगिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करके हमारे हितधारकों और राष्ट्र की प्रगति में एक विश्वसनीय भागीदार बनना”।

Our Vision

“To be a trusted partner in progress of our stakeholders and nation by providing financial services that are responsible and relevant.”

हमारा लक्ष्य

“एक ऐसा बैंक बनाना जो सुरक्षा, सुदृढ़ता और ग्राहकों को केंद्रबिंदु मानकर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए बेहतर और नवोन्मेषी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है”।

Our Mission

“To transform into a Bank that provides superior and innovative banking services by leveraging technology, founded on the principles of safety, soundness and with customer as fulcrum”

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और संरक्षकों को, उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons

महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट www.bankofindia.co.in का अवलोकन करें।

बैंक को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक Headoffice.Share@bankofindia.co.in पर ई-मेल कर ऑर्डर कर सकते हैं।

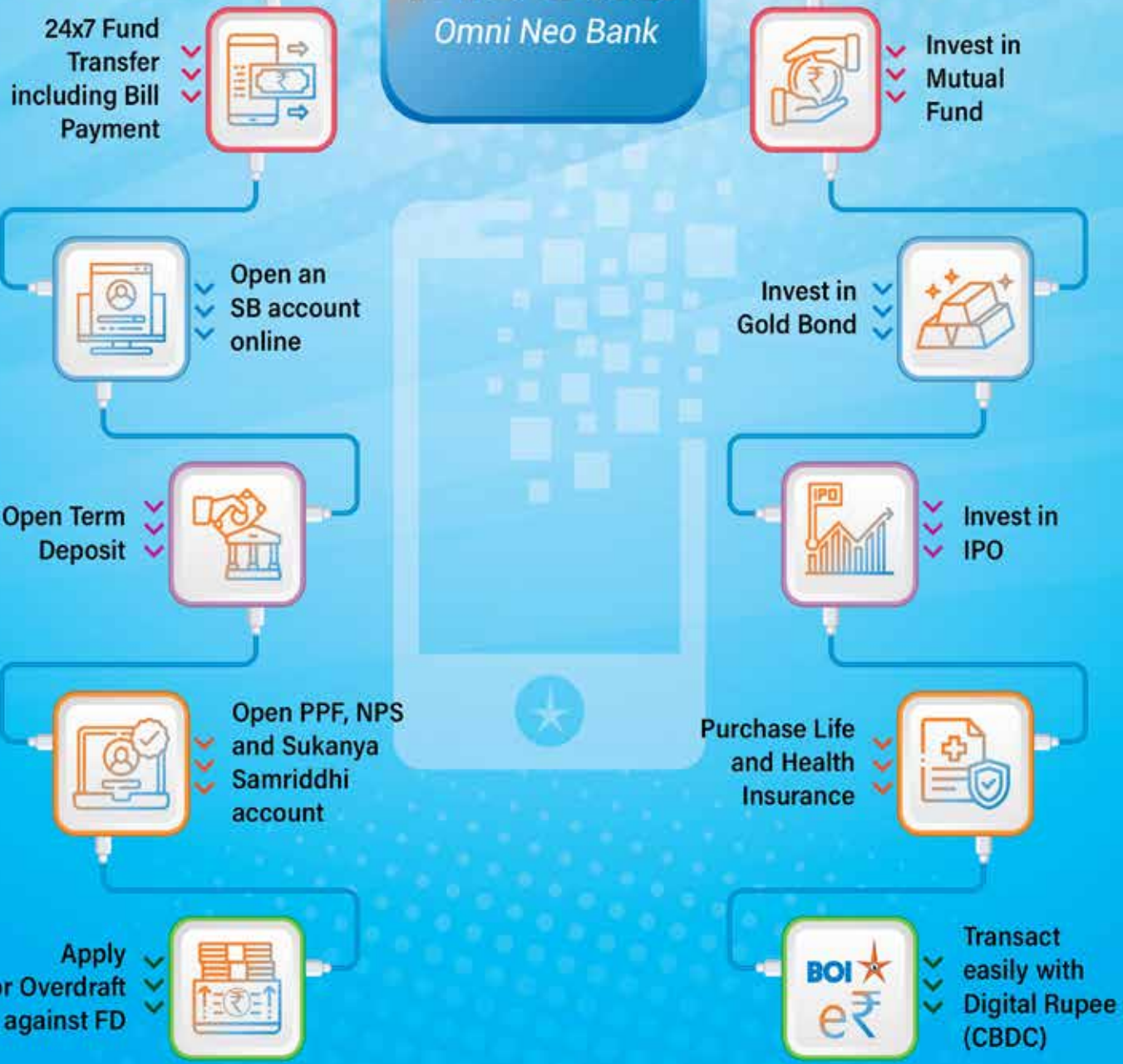
शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई-मेल के जरिए शीघ्र नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल आई डी headoffice.share@bankofindia.co.in पर सूचित करें।

IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website www.bankofindia.co.in to get the soft copy of Annual Report 2024-25.

Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual report may order for it by sending email to Headoffice.Share@bankofindia.co.in

Shareholders are requested to register their E-mail ID with the Bank at Headoffice.Share@bankofindia.co.in for quick/ early receipt of Notice, information, communication through E-mail.



Scan the QR Code for Easy Digital Banking!

